[2020] 3 एस. सी. आर 1

इंदौर विकास प्राधिकरण

वी.

मनोहरल और ओआरएस। ईटीसी।

(एस. एल. पी (ग) संख्या। 9036-9038 2016 का)

06 मार्च, 2020

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, वाइन सरन,

एम. आर. शाह और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: 2013 के अधिनियम का विधायी इतिहास-इसके अधिनियमन का उद्देश्य-मुख्य विशेषताएं-सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वास और पुनर्वास योजना से संबंधित 2013 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम से प्रस्थान-पर चर्चा की गई।भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: धारा 24 (2) चूक के लिए दोहरी आवश्यकता-पहला, भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है और दूसरा मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्या शर्तें संचयी हैं यानी दोनों को पूरा किया जाना है। अधिग्रहण कार्यवाहियों के समाप्त होने या वैकल्पिक ("या तो/या") शर्तों के लिए-आयोजित: 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) केवल उस स्थिति से संबंधित है जहां पुरस्कार पांच साल या अधिनियम के प्रारंभ से पहले, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। 24 (2) , दो नकारात्मक शर्तें निर्धारित की गई हैं-वैधानिक का सामान्य नियम।सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों की व्याख्या यह है कि सकारात्मक 'या' से अलग की गई शर्तों को वैकल्पिक रूप से पढ़ा जाता है लेकिन 'या' से जुड़ी नकारात्मक शर्तों को संचयी माना जाता है और 'या' को 'न' या 'के रूप में पढ़ा जाता है और' यानी अभिव्यक्ति 'या' को संयुग्म के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और दोनों खंडों की शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।इस प्रकार, 'या' शब्द का उपयोग एस में किया जाता है। 24 (2) अधिकार और अधिकार के बीच मुआवजे को 'न' या 'और' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए-इसका अर्थ यह होगा कि एस के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही का मानित समापन। 24 (2) पाँच साल तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण होता है या2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है-इस प्रकार, भले ही एक शर्त पूरी हो जाए, कोई चूक नहीं है-कानूनों की व्याख्या।भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: एस. 24 (2) एस. के तहत "या" की व्याख्या करना। 24 (2) 2013 के अधिनियम का विसंगत रूप से-प्रभाव-आयोजित: इसके परिणामस्वरूप एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा होगी, क्योंकि एक बार जब भूमि मालिक को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता

है, तो ऐसा नहीं होता है। इसकी वापसी के लिए प्रावधान-यदि भौतिक कब्जा भूमि मालिक के पास है और मुआवजे का भुगतान किया गया है, तो मुआवजे के लाभ को समाप्त करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है-2013 के अधिनियम में धनवापसी के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, राज्य भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली नहीं कर सकता है - अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध-यह कभी भी एस को लागू करने का विधायी इरादा नहीं हो सकता था। 24 (2) 2013 के अधिनियम के अनुसार-जब तक अधिनियम में प्रावधान नहीं किया गया है, तब तक अधिकारियों द्वारा अपने दम पर बहाली के सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जा सकता है-2013 के अधिनियम में वापसी के प्रावधान की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष को मजबूत करती है कि "या" शब्द को संयुग्मित रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसे "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए-अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत और बहाली का सिद्धांत।भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: धारा 24 (2)-उद्देश्य-आयोजित: 2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले लंबित कार्यवाहियों में पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिनिर्णय देने के बाद भौतिक कब्जा नहीं लेने और न ही मुआवजे का भुगतान करने में अपनी सुस्ती के लिए अधिग्रहण प्राधिकरण को दंडित करना, बशर्ते कि वे समाप्त हो जाएँ।भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार निहित अधिकारों को हटाना-ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल रूप से निहित भूमि पर अधिकार छीनने या उसे विभाजित करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। राज्य के साथ, या ऐसी भूमि के लाभार्थियों या तीसरे पक्ष के हस्तांतरणकर्ताओं के स्वामित्व या हित को विभाजित करना, जिसे उन्होंने बिक्री या हस्तांतरण के माध्यम से कानूनी रूप से अधिग्रहित किया था।भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: के लिए प्रावधान एस। 24 (2) - क्या परंतुक एस का हिस्सा है। 24 (2) या एस। 24 (1) (ख)-आयोजित: परंतुक एस की योजना का हिस्सा है। 24 (2) - पूरा प्रावधान इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल एस. 24 (2) , परंतुक सहित, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रियता होने पर संचालित होता है, जैसा कि उसमें विचार किया गया है।भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: धारा 24 (2)-लंबित कार्यवाहियों के लिए प्रयोज्यता-आयोजित: धारा 24 (2) उस कार्यवाही पर लागू होगी जो उस तारीख को लंबित है जिस दिन 2013 का अधिनियम लागू किया गया है और यह समाप्त कार्यवाही पर लागू नहीं होती है - धारा 24 (2) निष्कर्षित कार्यवाहियों को पुनर्जीवित करने और अधिग्रहण कार्यवाहियों की वैधता पर सवाल उठाने के लिए एक उपकरण नहीं है, जिसके कारण दशकों पहले कब्जा ले लिया गया था, या खजाने में राशि जमा करने के तरीके पर सवाल उठाने के लिए-2013 के अधिनियम का कभी भी ऐसे दावों को पुनर्जीवित करने का इरादा नहीं था - धारा 24 (2) केवल पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य करने के लिए अधिकारियों की सुस्ती/निष्क्रियता पर विचार करती है।भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: धारा 24 (2)-क्या कार्रवाई के नए कारण को जन्म देता है-आयोजित: 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही

की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है। 24 बासी और समय-वर्जित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और फिर से नहीं खोलता हैक्षतिपूर्ति को अमान्य करने के लिए अदालत के बजाय खजाने में जमा करना अधिग्रहण।भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: धारा 24 (2)-अंतरिम आदेशों की अवधि का बहिष्करण-आयोजित: किसी भी अदालत के अंतरिम आदेश को अधिकारियों या एजेंसियों की निष्क्रियता नहीं कहा जा सकता है; इस प्रकार, 5 साल की अवधि की गणना के लिए समय अवधि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि धाराओं में परिकल्पित है। 24 (2) .भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: धारा 24 (2) और इसका परंतुक-धारा के मुख्य भाग में 'भुगतान' अभिव्यक्ति। 24 (2) अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है-जमा न करने का परिणाम एस को परंतुक में प्रदान किया गया है। 24 (2) यदि इसे अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो एस के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक)। 4 1894 के अधिनियम की धारा [2020] 3 एस. सी. आर. की हकदार होगी। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा-एस के तहत दायित्व के मामले में। 31 1894 के अधिनियम को पूरा नहीं किया गया है, एस के तहत ब्याज। 34 उक्त अधिनियम की मंजूरी दी जा सकती है-मुआवजे की जमा राशि (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप कोई चूक नहीं होती है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही-पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न होने की स्थिति में, मुआवजा 2013 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख के अनुसार "भूमि मालिकों" को भुगतान किया जाना है। 4 अधिनियम का1894 .भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013: धारा. 24 (2)-जब क्षतिपूर्ति के लिए निविदा दी जाती है, जैसा कि धाराओं में प्रावधान किया गया है। 31 (1) 1894 के अधिनियम का, लेकिन न्यायालय में भुगतान/जमा नहीं किया गया-क्या अधिग्रहण में चूक हुई: यदि किसी व्यक्ति को एस के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के लिए निविदा दी गई है। 31 (1) उनके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है। 24 (2) भुगतान न करने के कारण या अदालत में क्षतिपूर्ति जमा न करना-भुगतान करने का दायित्व एस के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। 31 (1) – जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण एस के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई थी। 24 (2) 2013 के अधिनियम-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 - धारा 31 (1)।

भूमि अधिग्रहण: कब्जा लेने का तरीका जब भूमि के बड़े क्षेत्र का कब्जा लिया जाना है, फिर पंचनामा-कब्जा खींचकर कब्जा करने की अनुमति है।

स्वामित्व: कब्जा रखने की अवधारणा: कब्ज़ाइसमें दूसरों को अधिकार में रखने और बाहर करने का अधिकार शामिल है, आवश्यक है अधिकार-अधिकार उस चीज़ के चरित्र पर निर्भर करता है जो कब्जे में

है-यदि भूमि किसी भी उपयोग में सक्षम नहीं है, केवल इसका गैर-उपयोगकर्ता होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मालिक के कब्जे में नहीं है-स्थापित सिद्धांत यह है कि कब्जा शीर्षक का पालन करता है-कब्जे में संपत्ति पर नियंत्रण शामिल है-कब्जे का तत्व भौतिक नियंत्रण या शक्ति है।उद्देश्य और इरादे या शक्ति का प्रयोग करने की इच्छा पर-कॉर्पस और एनिमस दोनों आवश्यक हैं और सह-अस्तित्व में हैं।

विलम्ब/लैच: भूमि अधिग्रहण के मामलों में, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर सवाल उठाने में देरी घातक है-कब्जा के मामले में कानून के अनुसार नहीं लिया गया है और निहित करना एस के अनुसार नहीं है। 16 , अदालतों के समक्ष कार्यवाही उचित समय के भीतर शुरू की जानी चाहिए, न कि कई दशकों के अंतराल के बाद-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। 16 .

क़ानूनों की व्याख्या: न्यायालयों की वैधानिक शक्ति में शब्द (ओं) को जोड़ना या घटाना: व्याख्या करते हुएकानून में वैधानिक प्रावधानों, जोड़ या घटाव की अनुमति नहीं है-यह अदालत के लिए किसी शब्द को जोड़ने या घटाने के लिए खुला नहीं है-कानून के शब्दों से कोई विचलन नहीं हो सकता है, जैसा कि कानूनी उक्ति "ए वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रीसीडेंडम"-कानूनी उक्ति में देखा गया है।क़ानूनों की व्याख्या: जब किसी क़ानून के एक ही प्रावधान में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो यह धारणा होती है कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में नहीं किया जाता है।

विधियों की व्याख्या: एक प्रावधान का प्रावधान परंतुक का कार्य दायरे की व्याख्या या विस्तार करना है-परंतुक उस प्रावधान से आगे नहीं बढ़ सकता है जिससे वह जुड़ा हुआ है।

क़ानूनों की व्याख्या: कोलन (विराम चिह्न) इसके उपयोग का महत्व-कोलन का उपयोग एक उपखंड पेश करने के लिए किया जाता है जो इसके पहले के पाठ से तार्किक रूप से अनुसरण करता है-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 - एस. 24 (2)। न्यायिक सूचना: इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जाता है कि किसी अन्य सरकारी प्रतिभूति में, एस. एस. के तहत निवेश की जा रही राशि पर ब्याज की दर अधिक नहीं है। 32 और 1894 के अधिनियम के 33-एस के तहत ब्याज की उच्च दर उपलब्ध है। 34 भूमि मालिकों के लाभ के लिएभूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।

निरस्त करना: सामान्य खंड अधिनियम की प्रयोज्यता-आयोजित: कब निरसन के बाद उसी विषय पर एक नया अधिनियम बनाया जाता है, सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के लिए निस्संदेह नए अधिनियम की भाषा की जांच की आवश्यकता होगी यदि यह पहले निरस्त किए गए अधिनियम से अलग इरादे को व्यक्त करता है-जांच के लिए जांच की आवश्यकता होगी यदि पुराने अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखा जाता है या क्या नया अधिनियम इसे समाप्त करने का इरादा प्रकट करता है।या उन्हें नष्ट करना-यदि नया अधिनियम अलग-अलग इरादों को प्रकट करता है, तो सामान्य खंड अधिनियम का अनुप्रयोग बाहर रहेगा-सामान्य खंड अधिनियम।

शब्द और वाक्यांश - शब्द 'भुगतान', 'कोमल', 'निहित'-का अर्थ, चर्चा की गई।शब्द और वाक्यांश -

शब्द 'भुगतान' और 'जमा'-एस के संदर्भ में शब्दकोश अर्थ और अर्थ के बीच अंतर। 24 (2) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013।

शब्द और वाक्यांश - वेस्टिंग की अवधारणा-चर्चा की गई।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. 2013 का अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है, जो सार्वजनिक उद्देश्यों की भूमि के अधिग्रहण के लिए एक सामान्य कानून है, जो उक्त अधिनियम में कुछ अपर्याप्तताओं और/या कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लगभग 120 वर्षों से लागू था। 2013 का अधिनियम संभावित है और कार्यवाही को बचाता है।2013 के अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अधीन, इसके निरसन से पहले ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू किया गया था। जो एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है और 2013 के अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों को ओवरराइड करता है। [पैरा 6,7] [58 बी-डी]

2. धारा 24 का दायरा

2.1 धारा 24 एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है, जो 2013 के अधिनियम की धारा 114 सहित अन्य सभी प्रावधानों को ओवरराइड करती है। निरसन और बचत से संबंधित 2013 का अधिनियम। 2013 के अधिनियम की धारा 114 के संदर्भ में, अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग को बचा लिया गया है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (ए) में प्रावधान है कि जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन

निरसन किए जाने के समय जो कुछ भी लागू या मौजूदा नहीं था, उसे पुनर्जीवित नहीं करेगा। इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य के पिछले संचालन का प्रभाव भी धारा 6 (बी) में निहित प्रावधानों द्वारा सहेजा जाता है। धारा 6 (सी) के अनुसार, निरसन किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या अधिग्रहित, उपार्जित या उपार्जित दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।[पैरा 94] [115 ई-जी]

2.2 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) को गैर-बाधा खंड के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि 1894 के अधिनियम के तहत पुरस्कार धारा 11 के तहत नहीं दिया गया था, फिर 2013 के अधिनियम के प्रावधानों से संबंधितमुआवजे का निर्धारण लागू होगा। हालांकि; पहले की गई कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। धारा 24 (1) (बी) के संदर्भ में, जहां धारा 11 के तहत पुरस्कार दिया जाता है, तो ऐसी कार्यवाही1894 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगा। यह विचार करता है कि ऐसी लंबित कार्यवाही, जिस तारीख को 2013 का अधिनियम लागू हुआ, जारी रहेगी और अपने तार्किक अंत तक ले जाएगी। तथापि, धारा 24 (1) (ख) के अपवाद का प्रावधान धारा 24 (2) में लंबित कार्यवाहियों के मामले में किया गया है; यदि अधिनिर्णय 2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पाँच वर्ष या उससे अधिक समय पहले पारित किया गया है, तो भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा, और ऐसी कार्यवाही धारा के प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं रह सकती है।24 (1) ((ख) 2013 के अधिनियम के अनुसार। [पैरा 95] [115 जी-एच] [116 ए-सी]

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (14 वां संस्करण) -

2.3 जहां तक धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्दों के संयोजन का संबंध है, दो नकारात्मक शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार, भले ही एक शर्त पूरी हो जाए, कोई चूक नहीं है, और यह तार्किक रूप से 2013 के अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के साथ पढ़े गए 1894 के अधिनियम से प्रवाहित होता है। किसी भी अन्य व्याख्या के अतार्किक परिणाम होंगे। इस प्रकार, अधिग्रहण की समाप्ति के लिए शुरू की गई कार्यवाहीपुराना कानून, धारा 24 (2) के तहत, यदि दोनों कदम नहीं उठाए गए हैं, यानी, न तो भौतिक कब्जा लिया जाता है, न ही मुआवजा दिया जाता है भुगतान करने पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। [पारस 99,101] [119 जी-एच] [122 बी-सी]

पटेल चुनीभाई दजिभा, आदि। नारायणरावखंडेराव जांबेकर और अन्र। ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1457:[1965] एस. सी. आर. 328; पंजाब प्रोडक्यूस एंड ट्रेडिंग कं. v. आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, [1971] एससीआर 977 उस पर भरोसा करें

ब्राउन एंड कंपनी वी. हैरिसन (1927) ऑल ई. आर. रेप 195;फेडरल स्टीम नेविगेशन कं. लिमिटेड बनाम विभागव्यापार और उद्योग 1974 (1) डब्ल्यू. एल. आर. 505 संदर्भित [2020] 3 एस. सी. आर.

2.4 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) एक दंडात्मक प्रावधान है -

2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले अधिनिर्णय देने के बाद भौतिक कब्जा न लेने और न ही मुआवजे का भुगतान करने में अपनी सुस्ती के लिए अधिग्रहण प्राधिकारी को दंडित करें।लंबित कार्यवाहियों में, बशर्ते कि वे समाप्त हो जाएँगे। द.

2013 के अधिनियम के प्रवर्तन की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है,और उस संदर्भ में, धारा 24 (2) में एक अपवाद बनाया गया है। [पैरा 112] [131 ए-सी]

एम/एस। रणछोड़दास आत्माराम और अन्र। वी. भारत संघ और ओआरएस। ए. आई. आर 1961 एस. सी. 935: [1961] एस. सी. आर. 718 प्रो. यशपाल और ओआरएस। वी. छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य। (2005) 5 एससीसी 420: [2005] 2 एस. सी. आर. 23; खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक बनाम। तंदूर एंड नयनदगी स्टोन क्वारीज (पी) लिमिटेड (1987) 3 एस. सी. सी. 308: [1987] 2 एससीआर 911; समी खान बनाम बिंदु खान (1998) 7 एससीसी 59: [1998] 1 पूरक। एस. सी. आर. 244; बॉम्बे राज्य बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला [1957] 1 एससीआर 874; तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज

आदि बनाम राजस्थान राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1638:

[1964] एस. सी. आर. 561-निर्भर

पूरन सिंह बनाम। एम. पी. राज्य [1965] 2 एस. सी. आर. 853; श्री नसीरुद्दीन बनाम। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण (1975) 2 एससीसी 671 [1976] 1 एससीआर 505; नगर निगम

दिल्ली बनाम। टेक चंद भाटिया (1980) 1 एस. सी. सी. 158: [1980] 1 एस. सी. आर. 910; पंजाब राज्य बनाम पूर्व-सिपाही राम सिंह (1992) 4 एस. सी. सी. 54: [1992] 3 एससीआर 634-संदर्भित

मार्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम कोगिन्स और

ग्रिफ़िथ (लिवरपूल) लिमिटेड एल. आर. (एसी) Vol.XIII 1888 595;

रे हेडन पास्क बनाम। पेरी (1931) 2 Ch.333;

मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स v. स्ट्रीट ब्रदर्स (1881) VIII

क्यू. बी. डी. 445-संदर्भित

2.5 1894 के अधिनियम की योजना पर विचार करते समय, एक बार धारा 11 के तहत पुरस्कार दिए जाने के बाद, कलेक्टर,उस भूमि का कब्जा लेना जो उसके बाद सभी बाधाओं से मुक्त सरकार में पूरी तरह से निहित होगी। 1894 के अधिनियम की धारा 16 कलेक्टर को इंदौर विकास प्राधिकरण का अधिकार लेने में सक्षम बनाती है।

मनोहरल

अर्जित भूमि, जब धारा 11 के तहत कोई पुरस्कार दिया जाता है। स्पष्ट रूप से, 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही केवल तभी समाप्त हो सकती है जब कब्जा नहीं लिया जाता है। 1894 के अधिनियम की धारा 11ए के प्रावधानों में कहा गया है कि कलेक्टर धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर एक पुरस्कार देगा और यदि दो साल के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण के लिए पूरी कार्यवाही

लैप्स। दो वर्ष की अवधि में ऐसी कोई भी अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश लागू था। एक बार जब कोई पुरस्कार दिया जाता है और कब्जा ले लिया जाता है, तो धारा 16 के आधार पर, भूमि राज्य में पूरी तरह से निहित होती है, जो सभी बाधाओं से मुक्त होती है। धारा 16 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, अधिनिर्णय पारित करने और कब्जा करने की दो आवश्यकताओं के होने पर भूमि का निहित होना स्वतः होता है। [पारस 114,115] [131 एफ-एच] [132 सी-ई]

2.6 1894 के अधिनियम की योजना स्पष्ट है कि जब धारा 11 के तहत पुरस्कार पारित किया जाता है, तो उसके बाद कब्जा ले लिया जाता है।

जैसा कि धारा 16 के तहत प्रावधान किया गया है, भूमि राज्य सरकार में निहित है। धारा 12 (2) के तहत, कलेक्टर द्वारा पुरस्कार की सूचना जारी की जानी है। कब्जा लेना भुगतान पर निर्भर नहीं है।

भुगतान धारा 31 के तहत किया जाना चाहिए जब तक कि कलेक्टर को "भुगतान करने से रोका न जाए", जैसा कि धारा के तहत प्रदान किया गया है। 31 (2) . धारा 31 (1) या 31 (3) के तहत विफलता के मामले में भी कलेक्टर को भुगतान करने से नहीं रोका जाता है, लेकिन इसमें ब्याज होता है।

धारा 34 के तहत भुगतान या जमा करने की तारीख से पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत की दर से और उसके बाद 15 प्रतिशत की दर से। इस प्रकार, एक बार जब धारा 16 के तहत राज्य में भूमि निहित हो जाती है, तो धारा 31 (2) के तहत जमा करने के लिए धारा 31 (1) के तहत मुआवजे का भुगतान करने में विफलता के मामले में, मुआवजे का भुगतान ब्याज के साथ किया जाना चाहिए, और धारा 31 का पालन न करने के कारण, अधिग्रहण में कोई चूक नहीं होती है। उसी भावना को आगे बढ़ाया गया है 2013 का अधिनियम धारा 24 (2) में उपबंध करता है। एक बार जब कब्जा ले लिया जाता है, हालांकि भुगतान नहीं किया गया है, तो मुआवजे का भुगतान धारा 34 के तहत परिकल्पित ब्याज के साथ किया जाना चाहिए, और एक मामले में, भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है, धारा के तहत कोई चूक नहीं है।

24 (2) . ऐसे मामले में जहां धारा 16 या 17 (1) द्वारा प्रदान किए गए 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा ले लिया गया है, भूमि निहित है।

राज्य में पूरी तरह से, सभी बाधाओं से मुक्त, यदि मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कोई विनिवेश नहीं होगा, कोई [2020] 3 एस. सी. आर. नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति के रूप में चूक पर 9 प्रतिशत या 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है जैसा कि 1894 के अधिनियम की धारा 34 के तहत परिकल्पित है। धारा 24 (2) के प्रावधान में कुछ संपूर्ण प्रावधान किया गया है कि यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में, न केवल वे व्यक्ति बल्कि सभी लाभार्थी, हालांकि अल्पांश धारक मुआवजे का भुगतान किया गया है, इसके अनुसार अधिक मुआवजे के हकदार होंगे।

2013 के अधिनियम के प्रावधान। उपयोग की गई अभिव्यक्ति "उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी", यानी, 1894 के अधिनियम का अर्थ है कि जिन व्यक्तियों को अधिक मुआवजा दिया जाना है, वे वे हैं जिन्हें धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख तक लाभार्थियों के रूप में दर्ज किया गया है। परंतुक को प्रभावी बनाता है,और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाता है कि 1894 के अधिनियम के तहत, धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के बाद की गई खरीद अमान्य है। इस प्रकार, धारा 24 (2) के प्रावधान के तहत उच्च मुआवजे का लाभ 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना में उल्लिखित लाभार्थियों को दिया जाना है। [पैरा 118] [133 डी-एच] [134 ए-डी]

2.7 2013 के अधिनियम के तहत लाभों की परिकल्पना की गई है कि जहां पुरस्कार नहीं दिया गया था, या पुरस्कार नहीं दिया गया था, लेकिन

कब्जा नहीं लिया गया है (क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो जाती है) अधिग्रहण की चूक हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भुगतान भी किया जाना है: उस मुद्दे का ध्यान धारा 34 के तहत ब्याज के भुगतान के प्रावधान द्वारा रखा जाता है: साथ ही, किसी दिए गए पुरस्कार में अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों को 1894 के अधिनियम के तहत जारी धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को उच्च मुआवजे का भुगतान किया जाना है। जहां पुरस्कार दिया गया है और कब्जा ले लिया गया है, वहां मुआवजे का भुगतान न करने का विशिष्ट संदर्भ देने वाले उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कुछ भी नहीं है। एक अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालय ने विधायिका के उद्देश्यों और कारणों पर विचार करने के लिए, जो विधायिका के दिमाग में थे, इस बात पर भी जोर दिया कि एक बार निहित होने के बाद

पूर्ण, कोई विनिवेश नहीं है। [पैरा 120] [134 जी-एच] [135 ए-सी]

दिमाकुची टी एस्टेट के कर्मचारी बनाम। का प्रबंधन

दिमाकुची टी एस्टेट [1958] एससीआर 1156; मुकेश के.

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

त्रिपाठी बनाम. वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, एल. आई. सी. और अन्य।

(2004) 8 एससीसी 387: [2004] 4 पूरक। एससीआर 127-निर्भर

पर

2.8 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत "या" की अलग-अलग व्याख्या करने से एक विसंगत स्थिति पैदा होगी-क्योंकि,

एक बार जब भूमि मालिक को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है, तो उसके रिफंड का कोई प्रावधान नहीं होता है। यदि भौतिक कब्जा भूमि मालिक के पास है और मुआवजे का भुगतान किया गया है, तो मुआवजे के लाभ को समाप्त करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। 2013 के अधिनियम में धनवापसी के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, राज्य भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली नहीं कर सकता है। जमींदार होगा

अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) को लागू करने का विधायी इरादा कभी नहीं हो सकता था। जब तक अधिनियम में प्रावधान नहीं किया गया है, तब तक अधिकारियों द्वारा अपने

दम पर बहाली के सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जा सकता है। 2013 के अधिनियम में धनवापसी के प्रावधान की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि शब्द

" या "को संयुग्म रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसे" और "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 132] [150-ई] [151 ए-बी]

सी. पद्मा और अन्य। वी. डी. सचिव और अन्य (1997) 2 एस. सी. सी. 627 [1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 158; उत्तरी भारतीय ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम। जसवंत सिंह और अन्य (2003) 1 एससीसी 335: [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 534; मिल्कफूड लिमिटेड बनाम जीएमसी बर्फ

क्रीम (पी) लिमिटेड 2004 (7) एस. सी. सी. 288: [2004] 3 एससीआर 854 -

संदर्भित किया गया है

3. पुनः में - निवेश और विनिवेश

एक बार जब भूमि राज्य में निहित हो जाती है, तो इसे विनिवेश नहीं किया जा सकता है, भले ही अधिग्रहण की कार्यवाही में कुछ अनियमितता हो। वहाँ 1894 के अधिनियम में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसका गैर-अनुपालन घातक होगा या किसी भी दंड का कारण बनेगा। एक बार वेस्टिंग होती है, और कब्जे में होती है, जिसके बाद एक व्यक्ति जो रहता है

कब्जा केवल एक अतिचारक है, जो सही कब्जे में नहीं है और निहित करने से राज्य में पूर्ण अधिकार, कब्जा माना जाता है। [पारस 141,147] [160-एच] [161-ए] [163 एफ-जी]

पंजाब राज्य बनाम। साधु राम 1996 (7) जे. टी. 118; स्टार वायर (इंडिया) लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य (1996) 11 एस. सी. सी. 698 [1996] 7 पूरक। एस. सी. आर. 6; बाजार समिति बनाम। कृष्ण मुरारी (1996) 1 एस. सी. सी. 311 [1995] 4 पूरक।

एससीआर 787; एल. आर. वी. द्वारा पुट्टू लाल (मृत) उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 3 एस. सी. सी. 99: [1996] 2 एस. सी. आर. 638; द फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट्स यूनियन v. दिल्ली में सुधार

ट्रस्ट [1957] एस. सी. आर. 01; 147 वी. के. एन. एम. व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाम। केरल राज्य (2016) 4 एससीसी 216: [2016] 1 एस. सी. आर. 343; मई जॉर्ज बनाम। विशेष तहसीलदार और अन्य। (2010) 13 एससीसी 98 [2010] 7 एससीआर 204;पी. चिन्नन्ना और अन्य। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य। (1994) 5 एससीसी 486: [1994] 2 पूरक। एस.

सी. आर. 426; सतेंद्र प्रसाद जैन और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1993) 4 एस. सी. सी. 369: [1993] 2 पूरक। एस. सी. आर. 336; टीका राम और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2009) 10 एससीसी 689: [2009] 14 एस. सी. आर. 905; प्रताप और अन्र। वी. राजस्थान राज्य और अन्य (1996) 3 एस. सी. सी. 1: [1996] 2 एससीआर 1088; अवध बिहारी यादव और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य (1995) 6 एस. सी. सी. 31: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 197-पर निर्भर

बिक्री कर आयुक्त, यू. पी. बनाम मोदी शुगर मिल्स

[1961] 2 एस. सी. आर. 189; दत्तात्रेय मोरेश्वर बनाम। बॉम्बे राज्य और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1952 एससी 181: [1952] एससीआर 612; यू. पी. और अन्य राज्य। वी. बाबू राम उपाध्याय, आकाशवाणी 1961 एससी 751: [1961] एससीआर 679; रजा बुलंद चीनी

कं. लिमिटेड, रामपुर बनाम। नगरपालिका बोर्ड, रामपुर, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 895 [1965] एस. सी. आर. 970; मैसूर राज्य बनाम। वीके.

कंगन, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2190 [1976] 1 एस. सी. आर. 369; शरीफ-उद-दीन बनाम। अब्दुल गनी लोन, ए. आई. आर 1980 एस. सी. 303: [1980] 1 एससीआर 1177; बलवंत सिंह और अन्य। वी. आनंद कुमार शर्मा और अन्य। , (2003) 3 एससीसी 433: [2003] 1 एससीआर 653; चंद्रिका प्रसाद यादव बनाम। बिहार राज्य

और ओआरएस। , एआईआर 2004 एससी 2036: [2004] 3 एससीआर 834; एम/एस। रबर हाउस बनाम। एक्सेलसियर नीडल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, ए. आई. आर 1989 एस. सी. 1160: [1989] 1 एससीआर 986; बी. एस. खुराना और अन्य। वी. दिल्ली नगर निगम और अन्य। , (2000) 7 एस. सी. सी. 679 [2000] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 357; हरियाणा और अन्र राज्य। वी. रघुबीर दयाल (1995) 1 एस. सी. सी. 133: [1994] 5 पूरक। एससीआर 448;

गुल्लीपिल्ली सोवरिया राज बनाम। बंडारू पवनी @गुल्लीपिली पवनी, (2009) 1 एस. सी. सी. 714: [2008] 17 एस. सी. आर. 35-जिसे इंदौर विकास प्राधिकरण v कहा जाता है।

मनोहरल

ब्रेथवेट एंड कंपनी वी. E.S.I.C [1968] 1 SCR 771 -

संदर्भित किया गया है

4. पुनः में - 2013 के अधिनियम की धारा 24 के तहत निहित अधिकार

2013 के अधिनियम की धारा 24 का उद्देश्य निहित अधिकारों को छीनना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है भूमि, जो मूल रूप से राज्य के पास निहित थी, को मालिकाना हक देना या उसका बंटवारा करना, या ऐसी भूमि के लाभार्थियों या तीसरे पक्ष के हस्तांतरणकर्ताओं के स्वामित्व या हित का बंटवारा करना, जिसे उन्होंने बिक्री या हस्तांतरण के माध्यम से कानूनी रूप से अधिग्रहित किया था। जब निरसन के बाद उसी विषय पर एक नया अधिनियम बनाया जाता है, तो सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के लिए निस्संदेह नए अधिनियम की भाषा की जांच की आवश्यकता होगी यदि यह पहले के निरस्त अधिनियम से अलग इरादे को व्यक्त करता है। यदि पुराने अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखा जाता है या नया अधिनियम उन्हें समाप्त करने या नष्ट करने का इरादा प्रकट करता है, तो जांच की आवश्यकता होगी। यदि नया अधिनियम अलग प्रकट होता है

इरादे, सामान्य खंड अधिनियम के अनुप्रयोग को बाहर रखा जाएगा। [पारस 148,149] [164 एफ-जी] [166 ए-सी]

हरियाणा राज्य बनाम। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 463: [2017] 9 एस. सी. आर. 482-निर्भर

ज़िले सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2004) 8 एस. सी. सी. [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 400; सी. आई. टी. बनाम सरकार बिल्डर्स (2015) 7

एस. सी. सी. 579 [2015] 7 एस. सी. आर. 56; जवाहरमल बनाम। राजस्थान राज्य [1966] 1 एस. सी. आर. 890; राय रामकृष्ण बनाम। बिहार राज्य [1964] 1 एससीआर 897; के. एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य और अन्य (1994) 5 एस. सी. सी. 593 [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 405-निर्भर

यामाशिता-शिन्निहोन स्टीमशिप कं. Ltd.v L 'ऑफिस

शेफीफियन डेस फॉस्फेट और एनर [1994] 1 ए. सी. 486; लॉरी बनाम। रेनाड (1892) 3 Ch. 402 ; ग्लूसेस्टर यूनियन बनाम। वूलविच यूनियन (1917) 2 के. बी. 374; राजा वी। साउथेम्प्टन के लिए आयकर के सामान्य आयुक्त

(1916) 2 के. बी. 249-संदर्भित

बेनिओन, सांविधिक व्याख्या, पाँचवाँ संस्करण (2012) -

[2020] 3 एस. सी. आर. को संदर्भित।

5. पुनः में - 2013 के अधिनियम का विधायी इतिहास

उस भूमि के कब्जे के संबंध में प्रावधान जो नहीं ली गई है। इससे पहले, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, और यह प्रस्तावित किया गया था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लोकसभा में 29.8.2013 पर बहसों को सुनवाई के दौरान इस सवाल के संबंध में दिए गए विभिन्न कारणों का हवाला देने के लिए संदर्भित किया गया था कि मामलों में पूर्वव्यापी प्रभाव क्यों दिया जाना चाहिए। जहाँ अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है। बहस का जवाब देते हुए, संबंधित मंत्री ने कहा था कि चूक तभी होगी जब कब्जा नहीं लिया गया हो और

क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। शुरू से ही बल कब्जे पर था। इस प्रकार, बहस के अवलोकन से भी, यह स्पष्ट है कि "या" शब्द को इस रूप में समझा गया था“ और "। [पारस 161,162,164,165] [178 डी-ई] [172 बी-डी] [180 सी] [180 जी-एच]

तिनसुकिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य और अन्य। , (1989) 3 एससीसी 709: [1989] 2 एस. सी. आर. 544; सी. आई. टी. बनाम. हिन्दुस्तान बल्क कैरियर्स, (2003) 3 एस. सी. सी. 57: [2002]

5 पूरक। एस. सी. आर. 387; बलराम कामत बनाम। भारत संघ (2003) 7 एससीसी 628: [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 24; नया भारत

आश्वासन कंपनी v. नुली निवेल्ले (2008) 3 एस. सी. सी. 279:

6. इन रे: अधिनियम के उद्देश्य 2013 का अधिनियम इस बात पर विचार करते हुए अधिनियमित किया गया है कि

पहले के कानूनों के संचालन और जनहित को कम करने के कारण होने वाली कठिनाइयाँ। अतः न्यायालय को परिचर परिस्थितियों के संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी चाहिए। साथ ही, न्यायालय को एक उद्देश्यपूर्ण या इंदौर विकास प्राधिकरण v को स्पष्ट रूप से अपनाते हुए नहीं करना चाहिए।

मनोहरल

उदार व्याख्या उन मामलों को प्रभावित करती है जो अंतिम या बासी हो गए हैं। [पैरा 166] [181 डी-ई]

बुराकुर कोयला कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (1962)

1 एस. सी. आर. 44; ए. थंगल कुंजू मुसलियार बनाम। एम.

वेंकटचलम पोट्टी [1955] एस. सी. आर. 1196; अर्नीत दास बनाम।

बिहार राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 488; पोपट बहिरू

गोवर्धन और अन्य। वी. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी

& एन. आर. , (2013) 10 एससीसी 765: [2013] 8 एससीआर 241-निर्भर पर

भावनगर विश्वविद्यालय बनाम। पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड

& ओआरएस। , (2003) 2 एससीसी 111: [2002] 4 पूरक। एस. सी. आर. 517-संदर्भित

7. इन रे: धारा 24 (2) का परंतुक: चाहे परंतुक धारा 24 (2) या धारा 24 (1) का हिस्सा हो।

7.1 धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "या" के रूप में "और" शब्द को पढ़ते समय, यह स्पष्ट है कि परंतुक को इसके हिस्से के रूप में रहना होगा।

धारा 24 (2) जहां इसे विधानमंडल द्वारा रखा गया है, और तभी इसका अर्थ निकलता है। यदि 'कब्जा नहीं लिया गया है' या 'मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है' की दो नकारात्मक शर्तों के बीच 'या' का उपयोग किया गया है, तो उस मामले में, असंगत रूप से, परंतुक लागू नहीं हो सकता है और यह अनुचित हो जाएगा और धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं होगा। राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में अधिग्रहण को समाप्त होना पड़ता है, हालांकि (भूमि का) कब्जा ले लिया गया है, मुख्य भाग की उचित व्याख्या नहीं होगी, जब "या" को संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है, धारा 24 (2) एक ऐसे मामले में चूक के लिए प्रदान की गई है जहां कब्जा नहीं लिया गया है, और न ही

मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, ऐसे मामले में अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में राशि जमा नहीं करने की आवश्यकता को देखते हुए परंतुक लागू हो जाता है। [पैरा 171] [184 डी-एफ]

7.2 धारा 24 (2) को पढ़ने से पता चलता है कि यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है, तो भी कब्जा ले लिया गया है।

कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। यदि लाभार्थियों के खातों में अधिकांश हिस्सेदारी के संबंध में भुगतान नहीं किया गया है और न ही जमा किया गया है, तो 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थियों को 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। धारा 24 (2) न केवल भौतिक [2020] 3 एस. सी. आर. लेने में विफलता से संबंधित है।

कब्जा लेकिन मुआवजे का भुगतान करने में भी विफलता। यदि दोनों चीजें नहीं की गई हैं, तो अधिग्रहण की कार्यवाही में चूक हो जाती है। एक बार जब कोई पुरस्कार पारित हो जाता है और कब्जा ले लिया जाता

है, तो भूमि का पूर्ण स्वामित्व होता है, क्योंकि इस तरह के उच्च मुआवजे का प्रावधान के तहत पालन किया जाता है, जो इसके लिए फायदेमंद है -

धारकों। ऐसे मामले में जहां दोनों नकारात्मक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, जैसा कि धारा 24 (2) में उल्लेख किया गया है, एक चूक है। इस प्रकार, परंतुक एक संपूर्ण प्रावधान है और वास्तव में, धारा 24 (2) का एक हिस्सा है; यह धारा 24 (2) के संदर्भ में फिट बैठता है क्योंकि जमा मुआवजे के भुगतान से संबंधित है और चूक का प्रावधान किया गया है।

पाँच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा न लेने के साथ-साथ भुगतान न करने के कारण, जबकि जमा न करने पर अधिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। [पैरा 172] [184 एफ-एच] [185 ए-डी]

7.3 धारा 24 (1) (बी) के प्रावधानों पर विचार करते समय जहां अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार पारित किया गया है

1894 , ऐसी कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है। एकमात्र अपवाद 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि है और वह भी धारा 24 (1) में निहित किसी भी चीज़ के लिए धारा 24 (2) में एक गैर-बाधा खंड प्रदान करके। गैर-बाध्य खंड धारा 24 (2) के लिए भी परंतुक को योग्य बनाता है। इसे धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि यह धारा 24 (1) (बी) का अपवाद है। धारा 24 (1) (बी) एक स्व-निहित प्रावधान है, और गैर-अबाधित प्रावधान का भी एक हिस्सा है।

उप-धारा (1) में यथा उपबंधित अधिनियम के अन्य उपबंधों के लिए खंड। संसद ने धारा 24 (1) को धारा 24 (2) में एक गैर-बाधा खंड प्रदान करके एक अपवाद तैयार किया। क्षतिपूर्तिभुगतान 1894 के अधिनियम के तहत धारा 24 (1) (बी) के तहत किया जाना है न कि 2013 के अधिनियम के तहत। इस प्रकार धारा 24 (2) धारा 24 (1) (बी) का एक अपवाद है और परंतुक भी एक अपवाद है जो केवल धारा 24 (2) के अबाधित खंड के साथ फिट बैठता है। कोई अन्य व्याख्या इसमें निहित प्रावधानों के लिए अपमानजनक होगी।

धारा 24 (1) (बी) जो यह प्रावधान करती है कि लंबित कार्यवाही 1894 के अधिनियम के तहत जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया था, जिसमें मुआवजे से संबंधित हिस्सा भी शामिल होगा। भले ही धारा 24 (1) (ए) के तहत कार्यवाही समाप्त न हो जाए, धारा 24 (1) (ए) के तहत केवल अधिक मुआवजा दिया जाता है। [पैरा 173] [185 डी-एच] [186-ए] इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड बनाम तरुण पाल सिंह

& ओआरएस। (2018) 14 एससीसी 161: [2017] 14 एससीआर 202 171 -

उस पर भरोसा करें

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। विरेन्द्र लाल बहरी और

ओआरएस। उल्लेख किया गया है -

7.4 धारा 24 (2) में प्रयुक्त विराम चिह्नः

संसद ने धारा 24 (1) और अनुच्छेद (1) के बाद पूर्ण विराम (.) का उपयोग किया हैः) धारा 24 (2) के बाद। यह नहीं कहा जा सकता है कि विराम चिह्न यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से जब प्रावधान के किसी भी हिस्से को स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाता है। बृहदान्त्र का उपयोग एक पेश करने के लिए है

(बी) विराम चिह्न का उपयोग कोलन निष्कर्ष को मजबूत करता है और विराम चिह्न वैधानिक रूप से एक स्वीकृत तरीका रहा है।जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो व्याख्या करें। हालांकि कभी-कभी विराम चिह्न को भी नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन आम तौर पर नहीं। धारा 24 (1) (बी) के बाद पूर्ण विराम किसी विशेष वाक्य को समाप्त करने और उसे अगले भाग से अलग करने के जानबूझकर इरादे को व्यक्त करता है। यह स्पष्ट है कि कोलन (:) में पिछले कथन का संदर्भ है और इसे बड़ा करता है और वाक्य के अर्थ का विस्तार करता है। बृहदान्त्र इंगित करता है कि पाठ आंतरिक रूप से इससे पहले के पिछले प्रावधान से जुड़ा हुआ है, यानी इस मामले में धारा 24 (2) और धारा 24 (1) से नहीं। बृहदान्त्र इंगित करता है कि आगे क्या होता है। बृहदान्त्र किस चीज के तत्वों को साबित करता है, समझाता है, परिभाषित करता है या सूचीबद्ध करता है

उससे पहले। यदि परंतुक शारीरिक रूप से हटा दिया जाता है और उसके बाद रखा जाता है धारा 24 (1) (बी), धारा 24 (2) एक "कोलन" के साथ समाप्त होगी, जो कभी भी किसी प्रावधान को समाप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। [पारस 174,176] [186 डी-जी] [187 डी-ई]

फाल्कन टायर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य (2006) 6 एस. सी. सी. 530 [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 734; अश्विनी कुमार घोष और अन्र बनाम अरबिंदा बोस और अन्र [1953] एस. सी. आर. 1; जमशेद गुज़दार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2005) 2 एससीसी 591:

[2005] 1 एस. सी. आर. 223 [2020] 3 एस. सी. आर. पर निर्भर था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुजरात राज्य बनाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2017) 16

एससीसी 28: [2017] 13 एस. सी. आर. 25; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम

स्वपन कुमार गुहा और ओआरएस (1982) 1 एससीसी 561:

[1982] 3 एस. सी. आर. 121 को संदर्भित किया गया

मार्शल वी। कोटिंगम [1982] सीएच 82; डिंगमार बनाम।

डिंगमार 2007 (2) सभी ई. आर. 382; कैनेडी बनाम सूचना

आयुक्त और एक अन्य (न्याय राज्य सचिव)

हस्तक्षेप) [2012] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 3524; टेलर बनाम। कैरिबू

102 मुझे। 401 , 67 ए. 2 (1907)-संदर्भित ' फुल स्टॉप 'और' कोलन ', वेपा पी. सारथी इन द इंटरप्रिटेशन

क़ानूनों का पाँचवाँ संस्करण; वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन

-

संदर्भित किया गया है

7.5 धारा 24 (1) (ए) का प्रावधान स्पष्ट है कि यदि कोई पुरस्कार

उस प्रावधान से परे यात्रा करें जिससे यह संलग्न है। प्रावधानधारा का आशय होने के कारण यह 1894 के अधिनियम से परे जाएगा।

24 (1) (ख) 1894 के अधिनियम द्वारा शासित होने वाली कार्यवाहियाँ। इस प्रकार, धारा 24 (1) (बी) के साथ परंतुक का कोई स्थान नहीं है, और इसे संसद द्वारा धारा 24 (2) के साथ उचित रूप से संलग्न नहीं किया गया है और इसे सही स्थान पर रखा गया है जहां इसे होना चाहिए था। परंतुक धारा 24 (2) और संपूर्ण इंदौर विकास प्राधिकरण v की योजना का हिस्सा है।

मनोहरलाल और

ओआरएस। ईटीसी।

धारा 24 (2) का प्रावधान, परंतुक सहित, तब संचालित होता है जब 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रियता होती है, जैसा कि विचार किया गया है।उसमें। [पारस 185,186] [197 डी-एच] [198-ए] [198 सी-डी]

8. पुनः में - प्रावधान के हिस्से के रूप में पढ़ा जाने वाला प्रावधान यह है

जोड़ा गया

एक परंतुक को उस खंड के एक भाग के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें इसे जोड़ा गया है। एक मुख्य प्रावधान में एक परंतुक जोड़ा जाता है जिससे वह जुड़ा होता है। ई अधिनियमक विस्तार नहि करैत अछि। यदि प्रावधान अधिनियमन भाग के प्रतिकूल है, तो परंतुक प्रबल नहीं हो सकता है। परंतुक धारा 24 (1) (बी) के प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता है और न ही यह अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को शून्य पर सेट कर सकता है, लेकिन यह अधिक मुआवजा प्रदान करके आगे बढ़ सकता है, इस प्रकार

धारा 24 (2) के मामलों के साथ। इसलिए, प्रभावी रूप से, जहां पुरस्कार नहीं दिया जाता है [धारा 24 (1) (ए)] साथ ही जहां पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अधिकांश के संबंध में मुआवजा जमा नहीं किया जाता है

धारा 24 (1) (ख) की व्याख्या पर विचार करते हुए, धारा 24 (2) के अंत में अर्ध-बृहदान्त्र का उपयोग किया गया है औरप्रतिकूलता जो उस स्थिति में उत्पन्न होगी जब परंतुक को हटाया जाता है जो अनुज्ञेय नहीं है और विशेष रूप से धारा 24 (2) में 'या' के रूप में 'या' के रूप में 'शब्द को पढ़ते समय, इसे वहां रखा जाना चाहिए जहां विधायिका ने इसे विधिबद्ध किया है, इसे गलत तरीके से धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में नहीं रखा गया है, बल्कि यह उन सभी के लिए उच्च मुआवजे के लाभकारी परिणामों के लिए है जहां कोई चूक नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार राशि जमा नहीं की गई है। [पारस 190,196,197] [200 बी-सी] [207 सी-एफ]

पट्टाबीरमन और अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एस. सी. आर. 643; ईश्वरलाल ठाकुरलाल अल्मौला बनाम। मोतीभाई नागजिभाई [1966] 1 एस. सी. आर. 367; हरियाणा राज्य

सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड v.

हरियाणा [2020] 3 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्मचारी

यूनियन और ए. एन. आर. (2004) 1 एससीसी 574: [2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 1039; शिम्बू और अन्र। वी. हरियाणा राज्य, (2014) 13 एससीसी 318 [2013] 14 एससीआर 136; केदारनाथ जूट

विनिर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य। , [1965] 3 एस. सी. आर. 626; शाह भोजराज कुवेरजी ऑयल

मिल्स एंड जिनिंग फैक्ट्री बनाम सुभाष चंद्र योगराज

सिन्हा, ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1596; द्वारका प्रसाद बनाम। द्वारका दास सराफ (1976) 1 एस. सी. सी. 128: [1976 [1 एससीआर 277; द

आय-कर आयुक्त, मैसूर, त्रावणकोर

कोचीन और कुर्ग, बैंगलोर बनाम। द इंडो मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, [1959] (पूरक) 2 एससीआर 256; रोमेश कुमार शर्मा बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2006) 6 एससीसी 510: [2006] 4 पूरक। एस. सी. आर. 227; मोतीराम घेलाभाई बनाम। जगन नगर और अन्य (1985) 2 एससीसी 279: [1985] 2 एससीआर 1051;

मधु गोपाल बनाम। VI अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अन्य।

(1988) 4 एससीसी 644: [1988] 3 पूरक। एससीआर 276; द किंग बनाम। डोमिनियन इंजीनियरिंग कं. लिमिटेड आकाशवाणी (34) 1947

पी. सी. 94-पर निर्भरकानून पर क्रेज़, 7 वीं संस्करण। - संदर्भित किया गया है

9. पुनः में - धारा 24 (2) में प्रयुक्त "भुगतान" और परंतुक में प्रयुक्त "जमा" शब्द का क्या अर्थ है -

धारा 24 (2)9.1 1894 के अधिनियम की धारा 31 के प्रावधान 'भुगतान' और 'जमा' शब्दों के अर्थ का पता लगाने के लिए धारा 24 (2) के प्रावधानों की व्याख्या की ओर आकर्षित हैं। धारा 31 (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि पुरस्कार पारित होने पर लाभार्थियों को मुआवजा दिया जाना है और कलेक्टर उन्हें इसका भुगतान करेंगे। भुगतान केवल धारा 31 (1) में प्रदान किया गया है। धारा 31 (1) में अभिव्यक्ति 'निविदा' और उन्हें भुगतान में 'जमा' शब्द शामिल नहीं हो सकता है। 1894 के अधिनियम की धारा 31 (2) उस स्थिति में जमा से संबंधित है जब कलेक्टर को धारा में उल्लिखित एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा भुगतान करने से 'रोका' जाता है।

31 (2) . जमा तब होता है जब कलेक्टर को भुगतान करने से रोका जाता है। यदि कलेक्टर को आकस्मिकताओं के कारण भुगतान करने से रोका जाता है, राशि प्राप्त करने से इनकार किया जाता है, या यदि कोई व्यक्ति भूमि को अलग करने में सक्षम नहीं है, या यदि मुआवजा प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के बारे में विवाद है या इंदौर विकास प्राधिकरण v।

मनोहरल

क्षतिपूर्ति को अदालत में जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए धारा 18 के तहत निर्देश प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 31 (2) धारा 18 के तहत संदर्भ के मामले में जमा की अपेक्षा करती है और नहीं संदर्भ, जिसकी मांग 1894 के अधिनियम की धारा 30 या धारा 28ए के तहत की जा सकती है। [पारस 198,199] [208 बी-एफ]

9.2 धारा 24 (2) उस अभिव्यक्ति से संबंधित है जहां मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। इसका मतलब यह होगा कि इसे धारा 31 (1) के तहत भुगतान के लिए निविदा नहीं दी गई है। यद्यपि 'भुगतान' शब्द एक पूर्ण घटना के बराबर है, लेकिन एक बार धारा 31 (1) के तहत मुआवजे का भुगतान करने की

पेशकश/निविदा देने के बाद, अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी को भुगतान न करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि भूमि मालिक और कलेक्टर द्वारा स्वीकार करने से इनकार करने के कारण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

इस प्रकार, धारा 24 (2) में प्रयुक्त 'भुगतान' शब्द को धारा 31 (2) के तहत इसके केन 'जमा' में शामिल नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए धारा के परंतुक में विशेष प्रावधान किया गया है। 24 (2) , जो लाभार्थियों के खाते में जमा की जाने वाली राशि से संबंधित है। दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है

धारा 24। धारा 24 के मुख्य भाग में 'भुगतान' शब्द और इसके परंतुक में 'जमा' शब्द का उपयोग किया गया है। [पैरा 200] [208 एफ-एच] [209 ए]

9.3 राशि जमा न करने के परिणाम के बारे में 1894 के अधिनियम की धारा 34 में बताया गया है। धारा 24 (2) के अनुसार, यदि राशि का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कब्जा लिया गया है, तो इसमें चूक का प्रावधान है। जबकि परंतुक इंगित करता है कि 5 साल या उससे अधिक समय के लिए 1894 के अधिनियम के तहत शुरू किए गए मामले में अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है। परंतुक में पाँच वर्ष की अवधि निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह धारा 24 (2) का हिस्सा है और इसे इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति जमा न करने के दो अलग-अलग परिणाम हैं: ((i) उच्चतरऐसे मामले में मुआवजा जहां कब्जा ले लिया गया है, कुछ को भुगतान किया गया है और राशि नहीं दी गई है

अधिकांश जोतों के संबंध में जमा किया गया, (ii) मामले में [2020] 3 एस. सी. आर.

यदि कोई चूक नहीं होती है, तो लाभार्थी पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कब्जा लेने की तारीख से धारा 34 के तहत परिकल्पित ब्याज के हकदार होंगे। [पैरा 201] [209 बी-डी]

9.4 भूमि मालिक को धारा 31 (1) में "भुगतान" शब्द अदालत में "जमा" अभिव्यक्ति को इसके दायरे में शामिल नहीं कर सकता है।

जमा को भूमि मालिकों को किया गया भुगतान नहीं कहा जा सकता है।

जमा को भुगतान से रोका जा रहा है। हालाँकि, यदि भूमि मालिक को राशि की निविदा उपलब्ध कराई जाती है जो भुगतान करने के दायित्व का निर्वहन होगी और उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने में

चूक के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। अदालत में जमा करने में चूक होने पर, दायित्व 1894 के अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज का भुगतान करना है। "जमा" की अवधारणा

यह "भुगतान" शब्द से अलग है और काफी अलग है, जिसके कारण 2013 के अधिनियम की धारा 24 में चूक का प्रावधान किया गया है। अधिकांश भूमि स्वामित्व के लिए जमा न करने के मामले में, उच्च मुआवजे का पालन किया जाएगा क्योंकि इस तरह के शब्द "भुगतान" को इसके दायरे में "जमा" शब्द में शामिल नहीं किया जा सकता है। अन्यथा अभिनिर्धारित करना धारा 24 (2) में निहित प्रावधानों और इसके विभिन्न प्रावधानों वाले परंतुक के विपरीत होगा।

परिणाम। [पैरा 203,204] [209 जी-एच] [210-ए] [210 डी-ई]

9.5 जमा करने की बाध्यता का उल्लंघन होता है, भले ही वह राशि संदर्भ न्यायालय में जमा करने के लिए ली गई हो।

धारा 31 (2) में प्रदान की गई आवश्यकताओं को भुगतान से रोका जा रहा है। चूक का निष्कर्षित कार्यवाही को फिर से खोलने का प्रभाव नहीं होगा। कानूनी स्थिति और परिणाम जो जमा करने में विफलता पर 1893 से 2013 तक प्रचलित था, केवल ब्याज के लिए देयता थी और उन सभी लेनदेनों को धारा 24 में निहित प्रावधानों द्वारा कभी भी अमान्य नहीं किया गया था। यह केवल उस मामले में है जहां पांच साल या उससे अधिक की अवधि के लिए लंबित कार्यवाही में कदम नहीं उठाए गए हैं।

कब्जा लेने और मुआवजे के भुगतान के लिए, धारा 24 (2) के तहत एक चूक है। यदि अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है, तो अधिक

मुआवजे का पालन करना होगा। [पैरा 205] [210 एफ-एच] [211-ए]

9.6 जब राशि की निविदा दी जाती है, तो कलेक्टर द्वारा दायित्व पूरा किया जाता है।

भूमि मालिकों को इंदौर विकास प्राधिकरण v के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मनोहरल

इसे प्राप्त करें। यदि किसी व्यक्ति ने राशि स्वीकार नहीं की है और

इसके लिए धारा 24 (2) के परंतुक में भी पर्याप्त प्रावधान दिए गए हैं। धारा 77 और 80 में 2013 के अधिनियम की योजना भी वही है जो 1894 के अधिनियम की धारा 31 और 34 में प्रदान की गई थी। [पैरा 206] [211 बी-डी]9.7 इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जाता है कि 1894 के अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत निवेश की जा रही राशि पर ब्याज की कोई अन्य सरकारी प्रतिभूति दर अधिक नहीं है। भूमि मालिकों के लाभ के लिए धारा 34 के तहत उच्च ब्याज दर उपलब्ध है। [पैरा 207] [211 ई-एफ]

9.8 पुरानी व्यवस्था के तहत, कलेक्टर के लिए यह खुला था कि वह पुरस्कार की घोषणा के लिए एक सुविधाजनक तारीख या तारीख तय करे, और

निविदा भुगतान। भूमि मालिक द्वारा इनकार करने की स्थिति में

प्राप्त करना, या अन्य मामलों में, जैसे कि वास्तविक मालिक की अनुपस्थिति, या इस विवाद के मामले में कि इसे किसे प्राप्त करना था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क़ानून ने प्रावधान किया कि राशि अदालत में जमा की जानी थी: जैसा कि आज भी धारा 77 के तहत होता है। फिर भी, न तो उस समय के दौरान जब 1894 का अधिनियम लागू था, और न ही 2013 के अधिनियम के तहत, पूरा अधिग्रहण जमा न करने के लिए समाप्त नहीं होता है। अदालत में मुआवजे की राशि। अतः यह गलत होगा कि

2013. इस तरह की व्याख्या से किसी प्रावधान का पूर्वव्यापी संचालन होगा, और एक मानक या मानक लागू करके लंबे समय तक पूरी की गई अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा, और उस समय के लिए इसका उपयोग किया जाएगा जब यह मौजूद नहीं था। यदि "जमा की गई" अभिव्यक्ति को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में उपयोग की गई "भुगतान की गई" अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है, तो विसंगति और अस्वीकृतिपरंतुक और मुख्य उप-धारा के बीच के कारण होगा, जिससे बचा जाना चाहिए और धारा 31 (2) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन घातक नहीं है। भले ही राशि [2020] 3 एस. सी. आर. नहीं रही हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जमा किए गए, उच्च मुआवजे का धारा 24 (2) के अनिवार्यता परंतुक में पालन करना होगा। यह स्पष्ट है कि राशि की "निविदा" उसे देने वाले पक्ष को मिलने वाले परिणाम से बचाती है।

राशि का भुगतान न करने पर। [पैरा 208,209,211] [211 जीएच] [212-ए-डी] [212-एफ]

स्ट्रा बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, सहारनपुर बनाम। गोबिंद [1962] (पूरक 3) एस. सी. आर. 318; दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रबंधन v. औद्योगिक

न्यायाधिकरण, दिल्ली और ए. एन. आर. [1965] 1 एस. सी. आर. 998; इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम। नारायण भौमिक (1968) 1 पीएलजेआर 94;

बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, लखनऊ (1969) 2 एस. सी. सी. 316: [1970] 1

एस. सी. आर. 669; भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। कैसर

एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा निगम (2012) 9 एस. सी. सी. 552: [2012] 12 एस. सी. आर. 327; सदस्य, राजस्व बोर्ड बनाम। आर्थर पॉल बेंथल [1955] 2 एस. सी. आर. 842; आयकर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम। एम/एस। ईस्ट वेस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट (पी) लिमिटेड (1989) 1 एससीसी 760: [1989] 1 एससीआर 570

उस पर भरोसा करें

-

क्रॉफर्ड बनाम। स्पूनर (1846) 6 मूर पी. सी. 1; लॉर्ड

हावर्ड डी वाल्डन बनाम। आई. आर. सी. और ए. एन. आर. (1948) 2 ए. ई. आर. 825-संदर्भित 9.9 खंड में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है।

24 (2) . धारा 24 (2) में "भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और जबकि परंतुक में "जमा" का उपयोग किया गया है।

" भुगतान "में" जमा "शामिल नहीं हो सकता है, अन्यथा संसद ने मुख्य उप-खंड में अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया होगा और इसके

परंतुक, यदि अर्थ समान होना था। न्यायालय कानून में किसी भी शब्द को जोड़ या घटा नहीं सकता है और उसे स्पष्ट अर्थ देना होता है और जब धारा 24 (2) के तहत मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि मुआवजे को जमा नहीं किया गया है जैसा कि परंतुक में उपयोग किया गया है। वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, विधान में जोड़ या घटाव की अनुमति नहीं है। कानून के शब्दों से कोई विचलन नहीं हो सकता है, जैसा कि कानूनी उक्ति "ए वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रीसेडेंडम" में देखा गया है। वहाँ एक हैधारा 24 (2) में "जमा" शब्द का जानबूझकर लोप, जिसका उपयोग परंतुक में किया गया है। संसद को इंदौर विकास प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है।

मनोहरल

एक ही प्रावधान में एक ही अर्थ वाले अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया गया, जबकि "भुगतान" और "जमा" शब्द पूरी तरह से एक अर्थ रखते हैं।

अलग अर्थ। भुगतान वास्तव में भूमि मालिक को किया जाता है और अदालत में जमा किया जाता है, जो कि भूमि मालिक को किया गया भुगतान नहीं है। यह भुगतान के दायित्व का निर्वहन हो सकता है ब्याज और उससे अधिक नहीं। शाब्दिक निर्माण के नियम को लागू करने से भी "भुगतान" और "जमा" शब्दों के प्राकृतिक, साधारण और लोकप्रिय अर्थ का एक ही अर्थ नहीं होता है; उन्हें प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए। [पैरा 215] [214 एफ-एच] [215 ए-डी]

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

संदर्भित किया गया है

9.10 जब किसी क़ानून के एक ही प्रावधान में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो एक धारणा होती है कि वे नहीं हैं। उसी अर्थ में उपयोग किया जाता है। [पैरा 216] [216 जी-एच] [217-ए]

10. पुनः में - धारा 55 के तहत बनाए गए नियम और राज्य सरकारों द्वारा जारी स्थायी आदेश

10.1 नियम और स्थायी आदेश संबंधित अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं और उन्हें उनका पालन करना होगा। वे अदालत में केवल तभी राशि जमा करते हैं जब एक संदर्भ (उच्च के लिए) हो।

क्षतिपूर्ति) की मांग की जाती है, अन्यथा नहीं। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है और राशि अदालत में जमा की जाती है या यहां तक कि इसकी निविदा भी नहीं दी जाती है, तो धारा 34 के तहत केवल अधिक ब्याज मिलता है। एक बार नियम लंबे समय से प्रचलित रहे हैं और भले ही यह माना जाता है कि भुगतान से रोके जाने पर अदालत में जमा करना अनिवार्य है।

धारा 31 (1) के तहत उच्च ब्याज का भुगतान करने का एकमात्र दायित्व राज्य पर निर्धारित किया गया है। ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने की देनदारी बनी रहेगी। राशि कब

अदालत में जमा किए जाने पर, एक प्रक्रियात्मक अनियमितता होगी और प्रतिकूल परिणाम की परिकल्पना 1894 के अधिनियम की धारा 34 के तहत की गई है। अदालत में जमा न करने का परिणाम यह है कि भूमि मालिक की राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जा सकता है जैसा कि 1894 के अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत परिकल्पना की गई है, जिसमें ब्याज 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रकार, भूमि मालिकों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि वे लाभ के लिए खड़े हैं और फिर भी भुगतान सुरक्षित है क्योंकि इसे अदालत में रखा जाता है।

अधिग्रहण को अमान्य नहीं किया जा सकता है, [2020] 3 एस. सी. आर. के संबंध में राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में केवल अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

अधिकांश भूमि धारक, सभी लाभार्थी धारा 24 (2) के परंतुक में परिकल्पित उच्च मुआवजे के हकदार होंगे। [पैरा 229] [227 जी-एच] [228 ए-डी]

10.2 यह स्पष्ट है कि एक बार भूमि अधिग्रहण हो जाने के बाद पुरस्कार पारित हो जाता है

और कब्जा ले लिया गया है, यह राज्य में निहित है। इसे लाभार्थियों को आवंटित किया गया था। एक काफी बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सकता था और एक तीसरे पक्ष के हित ने भी हस्तक्षेप किया था। अधिग्रहणकर्ता द्वारा भूमि दी गई होगी।

10.3 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान का उद्देश्य यह है कि कलेक्टर के पास इसे जमा करने के लिए पर्याप्त धन होगा।अधिकांश भूमि का सम्मान करना। यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी उच्च मुआवजे के हकदार हैं। यदि अधिकांश के संबंध में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास या खजाने में या अदालत में धन जमा नहीं किया गया है।

भूमि स्वामित्व, परिणाम उच्चतर का पालन करना होगा 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा।

अन्यथा भी, यदि कोषागार में जमा राशि अनियमित है, तो ब्याज का पालन 1894 के अधिनियम की धारा 34 के तहत किया जाएगा। धारा 24 (2) को आकर्षित किया जाता है यदि अधिग्रहण की कार्यवाही पुरस्कार की घोषणा के बाद 5 वर्षों के भीतर पूरी नहीं की जाती है। संसद ने विचार किया

अधिग्रहण कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए उचित समय के रूप में 5 वर्ष की अवधि अर्थात भूमि का भौतिक कब्जा लेना और मुआवजे का भुगतान करना। यह स्पष्ट इरादा है 2013 का अधिनियम, धारा 24 (2) का वह प्रावधान उस कार्यवाही पर लागू होगा जो उस तारीख को लंबित है जिस पर

2013 , लागू किया गया है और यह लागू नहीं होता हैकार्यवाही का समापन किया। धारा 24 (2) उन कार्यवाहियों को पुनर्जीवित करने और अधिग्रहण लेने की वैधता पर सवाल उठाने का साधन नहीं है।

1960, 1970, 1980 के दशक में किस कार्यवाही के कारण कब्जा लिया गया था, या कोषागार में राशि जमा करने के तरीके पर सवाल उठाया गया था। यदि ऐसे भूमि मालिक इंदौर विकास प्राधिकरण v के साथ कब्जा लेने की कार्यवाही या जमा करने के तरीके पर सवाल उठाने में रुचि रखते थे।

मनोहरल

कोषागार, ऐसा करने के लिए उनके पास उपलब्ध समय के भीतर ऐसी चुनौती की अनुमति थी। [पैरा 242] [236 बी-एच]

जानकीनाथ सारंगी बनाम। उड़ीसा राज्य (1969) 3 एस. सी. सी. 392; सुनील कुमार बनर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। (1980) 3 एससीसी 304: [1980] 3 एस. सी. आर. 17 9; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। तक्किडीराम रेड्डी (1998) 6 एस. सी. सी. 554:

[1998] 3 एससीआर 1088; राम दीन मौर्य (डॉ.) बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 735: [2009] 6 एस. सी. आर. 703; राय विमल कृष्ण और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। (2003) 6 एस. सी. सी. 401 [2003] 1 पूरक। एससीआर 358; हिसार सुधार बनाम। श्रीमती. रुक्मिणी देवी और अन्र

(1990) मान लीजिए एस. सी. सी. 806; किशन दास बनाम। यू. पी. राज्य

(1995) 6 एससीसी 240: [1995] 3 पूरक। एससीआर 584; डी-ब्लॉक अशोक नगर (साहिबाबाद) प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (1997) 10 एस. सी. सी. 77: [1997] 3 एससीआर 1096-निर्भर

पर

हावर्ड वी। पर्यावरण राज्य सचिव, (1975)

क्यू. बी. 235; बेल्वेडियर कोर्ट मैनेजमेंट लिमिटेड बनाम

फ्रॉगमोर डेवलपमेंट लिमिटेड (1996) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1008 -

संदर्भित किया गया है 11. 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका

11.1 1894 के अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा पारित किए जाने के बाद लिया जा सकता है।

पुरस्कार और उसके बाद राज्य सरकार में सभी बाधाओं से मुक्त भूमि निहित। धारा 17 (1) में तात्कालिकता के मामले में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। "कब्ज़ा" शब्द का उपयोग 1894 के अधिनियम में किया गया है, जबकि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में "भौतिक कब्ज़ा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। क्या था?

1894 के अधिनियम के तहत विचार किया गया, कब्जा लेने का मतलब केवल भूमि का भौतिक कब्जा था। संभालते हुए 2013 के अधिनियम के तहत कब्जा हमेशा भूमि का भौतिक कब्जा लेने के बराबर था। जब राज्य सरकार

भूमि का अधिग्रहण करता है और कब्जा करने का एक ज्ञापन तैयार करता है, जो भूमि का भौतिक कब्जा लेने के बराबर है। संपत्ति के बड़े हिस्से पर या अन्यथा जो अधिग्रहित किया जाता है, सरकार को किसी अन्य व्यक्ति या

इसे रखने और खेती शुरू करने के लिए कब्जे में पुलिस बल भूमि का उपयोग उसके द्वारा उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया है।

सरकार को रहने या शारीरिक रूप से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब कब्जा कर लिया जाता है तो उस पर कब्जा करने के लिए जाँच की कार्यवाही शुरू करें। इसके बाद, यदि भूमि का कोई और संरक्षण या भूमि पर कोई पुनः प्रवेश किया जाता है या कोई खुली भूमि पर खेती करना शुरू कर देता है या

आउटहाउस आदि में रहना शुरू कर देता है, तो उस भूमि पर अतिक्रमण करने वाला माना जाता है जो राज्य के कब्जे में है। [पारस 244,245] [237 जी-एच] [238 ए] [238 सी-एफ]

11.2 अधिकार की अवधारणा जटिल है। इसमें दूसरों को रखने और बाहर करने का अधिकार शामिल है, अनिवार्य है शत्रुता

संपत्ति। अधिकार का तत्व भौतिक नियंत्रण या वस्तु पर शक्ति और उद्देश्य या इच्छा का प्रयोग करना है।शक्ति। कॉर्पस और एनिमस दोनों आवश्यक हैं और इनका सह-अस्तित्व होना चाहिए। [पैरा 247] [239 ए-सी]

कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल बनाम। अनिल कुमार भुनजा और अन्य। (1979) 4 एससीसी 274: [1980] 1 एस. सी. आर. 323; राम दास बनाम। देविंदर (2004) 3 एस. सी. सी. 684; भिंका और अन्य। वी. चरण सिंह (1959)

(पूरक 2) एस. सी. आर. 798; वी. चंद्रशेखरन और अनर। वी. प्रशासनिक अधिकारी और अन्य (2012) 12 एस. सी. सी. 133:

[2012] 10 एस. सी. आर. 603-निर्भर

एस. एम. याकूब बनाम टी. एन. बसु ए. आई. आर. 1949 पैट 146-किनोच लिमिटेड बनाम। रोलैंड्स (1912) 1 Ch 527

संदर्भित किया गया है मित्रा का "संपत्ति के स्वामित्व और स्वामित्व का कानून",

2 एन. डी. ई. एन. ; शब्द और वाक्यांश, स्थायी संस्करण, वेस्ट पब्लिशिंग कंपनी। ; जोविट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लॉ, एड। 1969 – संदर्भित किया गया है

11.3 यह स्पष्ट है कि निहित करना अधिकार के साथ है और क़ानून ने 1894 के अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत प्रावधान किया है कि एक बार कब्जा लेने के बाद, पूर्ण निहित होना हुआ। यह एक अक्षम्य अधिकार है और इसके बाद अधिकार निहित हो जाता है। धारा 16 के तहत निर्दिष्ट निहितिकरण, विभिन्न चरणों के बाद होता है, इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

जैसे, धारा 4 के तहत अधिसूचना, धारा 6 के तहत घोषणा, धारा 9 के तहत नोटिस, धारा 11 के तहत अधिनिर्णय और फिर कब्जा। संपत्ति को सभी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त करने के वैधानिक प्रावधान को पूर्ण प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। न केवल राज्य में कब्जे वाले जैकेट बल्कि अन्य सभी बाधाओं को भी तुरंत हटा दिया जाता है।

जमींदार का अधिकार समाप्त हो जाता है और राज्य संपत्ति का पूर्ण मालिक और कब्जा बन जाता है। इसके बाद संपत्ति पर भूमि-स्वामी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसे संपत्ति लेने और उसे नियंत्रित करने के लिए कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। भले ही उसने राज्य द्वारा कब्जा किए जाने के बाद उस पर कब्जा बनाए रखा हो या अन्यथा अतिक्रमण किया हो, वह एक अतिचारक है और अतिचारक का ऐसा कब्जा उसके लाभ के लिए और उसकी ओर से होता है।

मालिक का। 'बनियान' शब्द का अर्थ उस संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान में किया जाता है। वेस्टिंग पूर्ण है और सभी बाधाओं से मुक्त है जिसमें कब्ज़ा भी शामिल है। एक बार जब भूमि निहित हो जाती है, एक बार कब्जा ले लिया जाता है, तो धारा 24 (2) संपत्ति के विनिवेश पर विचार नहीं करती है। राज्य। [पैरा 256,258] [245 ई-एच] [246 जी-एच] [247-ए]

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य (1998) 4

एससीसी 387 [1998] 2 एससीआर 339; बी. आर. एंटरप्राइजेज बनाम यू. पी. और अन्य राज्य। , (1999) 9 एससीसी 700: [1999] 2 एससीआर 1111; कैलाश नाथ अग्रवाल और अन्य। वी. प्रदेशिया

यू. पी. लिमिटेड का औद्योगिक और निवेश निगम और

एन. आर. , (2003) 4 एससीसी 305: [2003] 1 एससीआर 1159; डीएलएफ

कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्टवी. हरियाणा राज्य और अन्य। , (2003) 5 एससीसी 622: [2003] 2 एस. सी. आर. 1; सीता राम भंडार सोसायटी, नई दिल्ली बनाम।

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और

ओआरएस। , (2009) 10 एससीसी 501: [2009] 14 एससीआर 507;

बालमोकंद खत्री एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रस्ट,

अमृतसर बनाम। पंजाब राज्य और अन्य (1996) 4

एससीसी 212: [1996] 2 एससीआर 643; पी. के. कालबुर्की बनाम की स्थिति

कर्नाटक और ओआरएस। (2005) 12 एससीसी 489; राष्ट्रीय

कपड़ा निगम लिमिटेड बनाम। नरेश कुमार बद्रीकुमार

जगद और अन्य 2011 (12) एस. सी. सी. 695: [2011] 14 एस. सी. आर. 472; एम. वेंकटेश और अन्य। वी. आयुक्त, बैंगलोर विकास प्राधिकरण, आदि (2015) 17

एस. सी. सी. 1 [2015] 15 एस. सी. आर. 499; राम सिंह बनाम

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जम्मू विकास प्राधिकरण (2017) 13 एससीसी 474 -

उस पर भरोसा करें

रमेश बेजॉय शर्मा बनाम। पशुपति राय (1979) 4

एससीसी 27: [1980] 1 एस. सी. आर. 6; मागुनी चरण द्विवेदी बनाम। उड़ीसा राज्य (1976) 2 एससीसी 134: [1976] 3 एस. सी. आर. 76; श्री तारकेश्वर सियो ठाकुर जिउ बनाम। दार दास डे एंड कंपनी (1979) 3 एस. सी. सी. 106; करणपुरा डेवलपमेंट कंपनी v. भारत संघ (1988) सप. एससीसी 488-विशिष्ट

ग्रेटर बॉम्बे का नगर निगम और

निगम और अन्र (2001) 8 एस. सी. सी. 143: [2001] 2 पूरक। एस. सी. आर. 50; एन. ए. एल. लेआउट रेजिडेंट एसोसिएशन बनाम। बैंगलोर विकास प्राधिकरण ओआरएस। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम

(2018) 12 एससीसी 400: [2017] 13 एससीआर 1053-संदर्भित

कोरिचर्डसन बनाम। रॉबर्टसन, (1862) 6 एल. टी. 75-संदर्भित

11.4 1894 के अधिनियम के तहत, जब धारा 16 के तहत या धारा 17 के तहत पुरस्कार पारित होने के बाद कब्जा लिया जाता है

पुरस्कार के पारित होने पर, कब्जा करने का पंचनामा लेने पर भूमि पूरी तरह से राज्य में निहित होती है, जो कब्जा करने का तरीका है। इसके बाद, कब्जा में कोई भी पुनः प्रवेश या कब्जा बनाए रखना पूरी तरह से अवैध है और अतिक्रमणकर्ता का कब्जा मालिक के लाभ के लिए है और यहां तक कि खुली भूमि के मामले में भी, कब्जा मालिक का माना जाता है। जब भूमि खाली होती है और खुली होती है, तो इसे मालिक का माना जाता है। एक बार अधिग्रहण किए जाने के बाद सरकारी भूमि पर केवल पुनः प्रवेश और राज्य में पूरी तरह से निहित (1894 के अधिनियम के तहत) इसे कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और धारा 24 (2) का कोई प्रभाव नहीं है -

राज्य में निहित होने के बाद भूमि का विनिवेश करना। [पैरा 272] [255 जीएच] [256 ए-सी]

रघबीर सिंह सहरावत बनाम। हरियाणा राज्य (2012) 1 एससीसी 792 [2011] 14 एससीआर 1113-सही कानून नहींकाशी बाई बनाम। सुधा रानी घोष (2012) 5 एससीसी 370:

[2012] 3 एस. सी. आर. 841 पर निर्भर

11.5 अदालत इस तथ्य से अवगत है कि ऐसे कई मामले हैं जहां अधिग्रहण के बाद भूमि को विभिन्न निगमों, स्थानीय प्राधिकरणों, अधिग्रहण निकायों, इंदौर विकास प्राधिकरण v को सौंप दिया गया है।

मनोहरल

आदि। (अधिग्रहण के लिए) मुआवजा जमा करने के बाद उन निकायों और अधिकारियों को भूमि का कब्जा सौंप दिया गया है। उन्होंने, बदले में, ऐसी अधिग्रहित भूमि के विकास के बाद संपत्तियों को सौंप दिया है; तीसरे पक्ष के हितों ने हस्तक्षेप किया है और अब ऐसी सभी कार्रवाइयों को अमान्य करने के लिए धारा 24 (2) के आवरण के तहत घोषणा की गई है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, धारा 24 में ऐसे मामलों को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है और कानून के प्रावधानों का इस तरह का घोर दुरुपयोग बंद होना चाहिए। एक बार निहित होने के बाद, एक स्पष्ट कानूनी प्रावधान के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है; किसी भी मामले में, यहां तक कियदि भूमि मालिकों का यह तर्क कि कब्जे के बाद भी, मुआवजे का भुगतान न करने की स्थिति में, अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा, तर्कों के लिए स्वीकार किया जाता है, तो इन तीसरे पक्ष के मालिकों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया जाएगा, जो उनके द्वारा कानूनी रूप से अधिग्रहित की गई थी।

किसी भी प्रकार का मुआवजा। [पैरा 277] [258-एच] [259 ए-सी]

वेलक्सन कुमार बनाम भारत संघ (2015) 4 एस. सी. सी. 325; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। एम. पी. राज्य (2011) 7

एस. सी. सी. 639 [2011] 6 एस. सी. आर. 443-ओवरलुड

मारिया मार्गडिया सेक्वेरिया बनाम इरास्मो जैक डी सेक्वेरिया

(2012) 5 एससीसी 370 [2012] 3 एससीआर 841; राष्ट्रीय

थर्मल पावर लिमिटेड बनाम महेश दत्ता (2009) 8 एससीसी

339 [2009] 10 एस. सी. आर. 1084; वी. चंद्रशेखरन और अन्र। वी. प्रशासनिक अधिकारी और अन्य। (2012) 12 एससीसी 133:

[2012] 10 एस. सी. आर. 603 पर निर्भर

12. न्यायालय के अंतरिम आदेश का प्रभाव

12.1 धारा 24 (2) के तहत दो आवश्यकताएं हैं, जिन्हें अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाना है, जहां पुरस्कार दिया गया है

2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले के वर्ष या उससे अधिक, यदिभूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। यदि कब्जा ले लिया गया है, तो अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों को मुआवजे का भुगतान करना होगा। द.

अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए पांच साल का समय दिया गया है, न कि मामले पर सोने के लिए। चूक केवल भूमि अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों द्वारा चूक के मामले में प्रदान की जाती है, न कि किसी अन्य कारण या अदालत के आदेश के कारण। जब प्रावधान की व्याख्या स्पष्ट है, तो संसद को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी अंतरिम आदेश की अवधि के अपवर्जन के लिए धारा 24 (2) के तहत प्रावधान। हालाँकि इसने अंतरिम आदेश [2020] 3 एस. सी. आर. की अवधि को बाहर कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 19 (7) के प्रावधान के तहत घोषणा करने के लिए और 2013 के अधिनियम की धारा 69 के तहत अवधि की गणना के लिए बहिष्करण भी किया गया है, यह प्रदान करने की आवश्यकता के कारण हैअतः प्रावधान की भाषा को ध्यान में रखते हुए। धारा 24 के प्रावधानों ने अधिकारियों पर कदम उठाने का दायित्व डाल दिया है जिसका अर्थ है कि वे इस तरह के कदम उठाने के लिए तैयार हैं और उनकी ओर से निष्क्रियता या सुस्ती को संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। नतीजतन, कार्यवाही का अंत हो जाता है। [पैरा 282] [261 सी-एच] [262-ए]

राजस्थान राज्य और अन्य। वी. खंडका जैन ज्वेलर्स (2007) 14 एस. सी. सी. 339: [2007] 12 एस. सी. आर. 105; पद्म सुंदर राव (मृत) और अन्य। वी. टी. एन. और अन्य का राज्य। , (2002) 3 एससीसी 533: [2002] 2 एस. सी. आर. 383; भारत संघ बनाम। एसआईसीओएम लिमिटेड (2009) 2 एससीसी 121: [2008] 17 एससीआर 120

- संदर्भित किया गया है

12.2 2013 के अधिनियम का यह इरादा नहीं है कि जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया है, उन्हें उच्च मुआवजे का लाभ मिलना चाहिए।

धारा 24 के तहत सभी लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। यह प्रावधानों द्वारा अभिप्रेत नहीं है कि टुकड़ों में वे व्यक्ति जिन्होंने मुकदमा दायर किया है और अंतरिम प्राप्त किया है

आदेश को 2013 के अधिनियम के प्रावधानों का लाभ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने 5 वर्षों के भीतर मुआवजे को स्वीकार कर लिया है और कब्जा भी सौंप दिया है, उन्हें लाभ होगा, यदि अधिकांश के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है।

होल्डिंग्स। ऐसे मामले हैं जिनमें परियोजनाएं आंशिक रूप से सामने आई हैं और योजना के अनुसार योजना के लिए शेष क्षेत्र की आवश्यकता है।

विकास जिसके संबंध में अंतरिम रोक प्राप्त की गई है। कानून का उद्देश्य अथक वादियों को लाभ पहुंचाना नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण 5 साल के भीतर कब्जा नहीं लिया जा सका। सार्वजनिक नीति मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसे समाप्त करने के लिए है। कई उदाहरणों में, विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं को एकल न्यायाधीश पीठों द्वारा खारिज कर दिया गया था और रिट अपील लंबे समय से लंबित थी और जिसमें, परियोजनाओं की भूमि के हिस्से के संबंध में, धारा 24 (2) का लाभ प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। संसद का उपरोक्त कारणों से ऐसे वादियों को लाभ प्रदान करने का इरादा नहीं था।

मुकदमा तुच्छ या उचित हो सकता है।

ऐसे वादियों के पास इंदौर विकास प्राधिकरण v है। मनोहरल

अपने स्वयं के मामले के बल पर खड़े होने के लिए और ऐसे मामले में 2013 के अधिनियम की धारा 114 और अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानसामान्य खंड अधिनियम, 1897 स्पष्ट रूप से आकर्षित है और ऐसी कार्यवाही पुराने अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रखी जानी चाहिए जो 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) की भावना में होगी। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (बी),

यह प्रावधान करता है कि निरसन इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या कुछ भी विधिवत किया गया या पीड़ित नहीं होगा इसके नीचे। धारा 6 (सी) में कहा गया है कि निरसन किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा जो अर्जित किया गया हो या उपार्जित किया गया हो।

इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन उपगत। जब धारा 24 (1) (बी) में ही धारा 24 (बी) में उपबंधित धारा 24 के प्रयोजनों के लिए, जहां 1894 के अधिनियम के तहत अधिनिर्णय पारित किया गया है, उन कार्यवाहियों को जारी रखने का प्रावधान है, तो धारा 114 के प्रावधान स्पष्ट रूप से सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधानों के रूप में धारा 24 के अबाधित खंड की सीमा तक आकर्षित होते हैं, जहां कब्जा नहीं लिया गया है और न ही भुगतान किया गया है, वहां एक चूक होती है, वह भी अधिकारियों की निष्क्रियता से। किसी भी अदालत के अंतरिम आदेश को अधिकारियों या एजेंसियों की निष्क्रियता नहीं कहा जा सकता है; इस प्रकार, 5 साल की अवधि की गणना के लिए समय अवधि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

धारा 24 (2) में परिकल्पित। [पैरा 287] [263 एफ-एच] [264 ए-जी]

भारत संघ और ओआरएस। वी. मोदी रबर लिमिटेड (1986) 4

एस. सी. सी. 66 [1986] 3 एस. सी. आर. 587

सिंडिकेट बैंक बनाम प्रभा डी. नाइक और अन्र (2001) 4 एस. सी. सी. 713 [2001] 2 एस. सी. आर. 714-लागू नहीं

मदन सिंह शेखावत बनाम। भारत संघ (1999) 6

एससीसी 459; यू. पी. और अन्य राज्य। वी. हिंदुस्तान एल्यूमीनियम

कॉर्प. और ओआरएस। (1979) 3 एससीसी 229: [1979] 3

एस. सी. आर. 709; एम. पेंटिया बनाम। मुद्दला वीरमल्लप्पा (1961)2 एस. सी. आर. 295; हमीदिया हार्डवेयर स्टोर बनाम। बी. मोहन

लाल सौकार (1988) 2 एस. सी. सी. 513: [1988] 3 एससीआर 384

-

संदर्भित किया गया हैसीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर (1949) 2 के. बी. 481

संदर्भित किया गया है

— [2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.3 ऐसे मामलों में जहां कुछ भूमि मालिकों ने मुकदमेबाजी का सहारा लेना चुना है (जिसका उन्हें अधिकार है) और

कब्जा लेने पर अंतरिम आदेश या यथास्थिति के आदेश प्राप्त किए गए, व्यावहारिक वास्तविकता के रूप में अधिकारियों या राज्य के अधिकारियों के लिए कब्जा करना या मुआवजे का भुगतान करना संभव नहीं है। कई उदाहरणों में, इस तरह के अंतरिम आदेशों ने पुरस्कार देने में भी बाधा उत्पन्न की। अब, जहां तक पुरस्कारों (और मुआवजे के भुगतान का संबंध था, ऐसी कार्यवाही के अनुसार) के तहत पुरस्कार देने के लिए प्रदान की गई अवधि

2013 के अधिनियम को धारा 11 ए के स्पष्टीकरण के आधार पर बाहर रखा जा सकता है। इस प्रकार, निष्क्रियता का कोई दोष अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता है और जिन लोगों ने इस तरह के अंतरिम आदेश प्राप्त किए थे, वे मुकदमा दायर करने में अपनी कार्रवाई से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, जो कि सराहनीय हो भी सकता है और नहीं भी। गुण-दोष के सवाल के अलावा, जब यथास्थिति के कब्जे या आदेश या आगे की कार्यवाही पर रोक के संबंध में कोई अंतरिम आदेश होता है, तो अधिकारी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और न ही वे मुआवजे का भुगतान कर सकते हैं। उनके दायित्व भूमि अधिग्रहण की योजना के

साथ जुड़े हुए हैं। यह देखा गया है कि अधिकारी कार्यवाही में तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि अंतरिम आदेश खाली नहीं हो जाता। [पैरा 297] [272-बी-ई]

एल. आर. और ओ. आर. एस. द्वारा अभय राम (मृत)। वी. भारत संघ और अन्य (1997) 5 एस. सी. सी. 421: [1997] 3 एससीआर 931; ओम प्रकाश बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2010) 4 एससीसी 17: [2010] 2 एस. सी. आर. 447; सुरेश चंद बनाम गुलाम चिश्ती (1990) 1 एस. सी. सी. 593: [1990] 1 एस. सी. आर. 186; श्याम सुंदर और अन्य। वी. राम कुमार और अन्र। (2001) 8 एससीसी 24: [2001] 1 पूरक। एस. सी. आर. 115-निर्भर

भारत संघ बनाम। शिव राज (2014) 6 एससीसी 564: [2014] 8 एससीआर 751; करनैल कौर बनाम पंजाब राज्य (2015) 3

एस. सी. सी. 206; राजीव चौधरी एच. यू. एफ. बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) (2015) 3 एस. सी. सी. 541-विशिष्ट

भारत संघ और ओआरएस। वी. नॉर्थ टेल्यूमर कोलियरी एंड ओआरएस (1989) 3 एससीसी 411 [1989] 3 एससीआर 455-संदर्भित

को

12.4 इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि केसस ओमिसस को अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और स्पष्ट होने के मामले में

यदि इंदौर विकास प्राधिकरण v का प्रावधान है, तो अदालत को कानून की व्याख्या करनी होगी।

मनोहरल

कानून का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है। इसके लिए है।

यदि आवश्यक समझा जाए तो किसी कानून में संशोधन, संशोधन और निरसन करने के लिए विधायिका। के प्रावधानों की व्याख्या के कारण धारा 24 स्वयं इस मामले में केसस ओमिसस लागू नहीं होती है। [पैरा 309] [281 ए-बी]

कर्नाटक राज्य बनाम। डी. सी. नंजुदैया (1996) 10

एस. सी. सी. 619 [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 222; राणा गर्डर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2013) 10 एससीसी 746: [2013] 14

एस. सी. आर. 58 संदर्भित

12.5 इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य कानून के सिद्धांतों को

वैधानिक प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए और बाद वाले को प्रबल होना चाहिए, लेकिन वैधानिक प्रावधान स्वयं यह स्पष्ट करता है कि तत्काल मामले में ऐसी अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए, इस प्रकार, सामान्य कानून के सिद्धांत भी पूरी ताकत से लागू होते हैं। उक्ति "लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया" का अर्थ है कि कानून की अपेक्षा नहीं है

असंभव का प्रदर्शन। ऐसे मामले हैं जिनमें मुआवजे की निविदा दी गई थी, लेकिन इनकार कर दिया गया और फिर इसमें जमा किया गया।खजाना। अदालत में मुकदमा था, जो लंबित था (या कुछ मामलों में, निर्णय लिया गया था); मुआवजे में वृद्धि के लिए पहले संदर्भ मांगे गए थे और मुआवजे में वृद्धि की गई थी। अधिग्रहण की कार्यवाही या कब्जा लेने आदि के लिए कोई चुनौती नहीं थी। इस न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में, यहां तक कि मुआवजे से संबंधित कार्यवाही में भी, धारा 24 (2) को यह बताने के लिए लागू किया गया था कि अदालत में मुआवजे को जमा नहीं करने या खजाने में जमा करने या अन्यथा अदालत के अंतरिम आदेश के कारण कार्यवाही समाप्त हो गई है।

ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस तरह की कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए। [पैरा 311,312] [311 डी-ई] [283 सी-एफ]

एससीआर 754; मोहम्मद गाजी बनाम। एम. पी. और अन्य का राज्य। (2000) 4 एससीसी 342: [2012] 3 एस. सी. आर. 841; भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड बनाम। कन्नौरस्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्य। (2002) 5 एससीसी

54 [2002] 2 एससीआर 1093; हुडा और ए. एन. आर. वी. डॉ. बाबेश्वर कन्हार और अन्र (2005) 1 एस. सी. सी. 191 [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 282 का उल्लेख [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.6 एक और रोमन कानून उक्ति "निमो टेनटूर एड"

एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट इस सिद्धांत पर आधारित है कि अदालती कार्यवाही या अदालत के कृत्यों के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यदि विचाराधीनता के दौरान कोई अंतरिम आदेश दिए जाते हैंमुकदमेबाजी, वे मामले में अंतिम निर्णय के अधीन हैं। में।

यदि मामला बिना योग्यता के खारिज कर दिया जाता है, तो अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से भंग हो जाता है। यदि मुकदमेबाजी तुच्छ रूप से या बिना किसी आधार के दायर की गई है, तो विलंब करने के लिए अन्यायपूर्ण रूप से और इससे देरी होती है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई समानता नहीं है। ऐसे मामलों का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कानून की नीति कि

असमर्थनीय दावे देरी के कारण फलीभूत होने चाहिए। इसी तरह, कानून का पालन करने वाले व्यक्ति की पीड़ा की अनुमति नहीं है। 2013 का अधिनियम लाभ प्रदान नहीं करता है

बेईमान वादी, लेकिन यह पांच साल के भीतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों की सुस्ती पर नाराज़गी जताता है। [अनुच्छेद 314,318,319] [284 डी-ई] [287 एफ-एच] [288-ए] [288 बी-सी]

राष्ट्रपति चुनाव (1974) 2 एस. सी. सी. 33: [1975] 1 एस. सी. आर. 504; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। निदेशालय

प्रवर्तन (2005) 4 एससीसी 530: [2005] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 49-निर्भर

कर अधीक्षक बनाम। ओंकारमल नाथमल ट्रस्ट

(1976) 1 एस. सी. सी. 766 [1975] पूरक। एससीआर 365

-

प्रतिष्ठित

नीरज कुमार सैनी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 14

एससीसी 136 [2017] 4 एससीआर 881-लागू नहीं किया गया

मृत्युंजय पानी और अन्र। वी. नर्मदा बाला सस्मल और

ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1353 [1962] एस. सी. आर. 290-निर्दिष्ट

कोसांबशिव चारी बनाम। रामासामी रेड्डी आईएलआर (1899) 22

मैड 179; जी. टी. सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1998) 3 एस. सी. सी. 376; जयपुर नगर निगम बनाम। सी. एल.

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

मिश्रा (2005) 8 एस. सी. सी. 423; ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (1980) 2 एस. सी. सी. 191: [1980] 2 एस. सी. आर. 765; महादेव सावलाराम शेल्के बनाम। पुणे नगर निगम (1995)

3 एस. सी. सी. 33 [1995] 1 एस. सी. आर. 543; अमरजीत सिंह और

ओआरएस। वी. देवी रतन और ओआरएस (2010) 1 एससीसी 417: [2009] 15 एस. सी. आर. 1010; कर्नाटक दुर्लभ पृथ्वी और ए. एन. आर. वी. वरिष्ठ भूविज्ञानी, खान और भूविज्ञान विभाग (2004) 2 एस. सी. सी. 783 [2004] 1 एस. सी. आर. 965; केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर बनाम। नेशनल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (1972) 2 एससीसी 560: [1973] 1 एस. सी. आर. 822; कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ (1977) 4 एससीसी 608 [1978] 2

एस. सी. आर. 1 संदर्भित

कॉलकुहौन वी. ब्रूक्स (1889) 21 क्यू. बी. डी. 52-संदर्भित

लुईस सदरलैंड का सांविधिक निर्माण (दूसरा संस्करण);

पी. सेंट जे. लैंगन द्वारा क़ानूनों की व्याख्या (12 वां संस्करण) पर मैक्सवेल-संदर्भित

13. इन रे: पुनर्स्थापना का सिद्धांत:

क्षतिपूर्ति का सिद्धांत मुकदमेबाजी के अंत में पूर्ण न्याय करने के आदर्श पर आधारित है, और पक्षों को होना चाहिए

उसी स्थिति में रखा गया लेकिन मुकदमेबाजी और अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, के लिए मामले में पारित किया गया। एक गलत-कर्ता या वर्तमान संदर्भ में, एक वादी जो अपना मौका लेता है, उसे रणनीति में देरी करके लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह न्यायिक प्रणाली का कर्तव्य है कि वह अदालत को एक उपकरण के रूप में उपयोग करके अनुचित संवर्धन या अनुचित लाभ को हतोत्साहित करे। इस प्रकार, जिस अवधि के लिए अंतरिम आदेश धारा 24 के तहत संचालित किया गया है, उसे इसके लिए बाहर रखा जाना चाहिए।

धारा 24 (2) के तहत 5 साल की अवधि की गणना। [पैरा 332,335,336] [298 जी-एच] [307 डी-ई]

गुजरात राज्य और अन्य। वी. एस्सार ऑयल लिमिटेड और अन्र (2012) 3 एस. सी. सी. 522: [2012] 2 एस. सी. आर. 1127; ए. षण्मुगम बनाम।

अरिया क्षत्रिय राजकुला वंशथु मदालय

नंदवन परिपलनाई संगम (2012) 6 एस. सी. सी. 430: [2012] 4 एस. सी. आर. 74; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम। भारत संघ, (2011) 8 एस. सी. सी. 161: [2011] 9 एस. सी. आर. 146; ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (1980) 2

एस. सी. सी. 191; राम कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1992) 2 एस. सी. सी. 620: [1992] 2 एससीआर 378; मार्शल संस एंड कंपनी।

(I) लिमिटेड v. साही ओरेट्रांस (पी) लिमिटेड और अन्र। , (1999) 2 एससीसी 325: [1999] 1 एस. सी. आर. 311; कलाभारती विज्ञापन बनाम। हेमंत विमलनाथ नरीचनिया (2010) 9 एससीसी 437: [2010] 10 एससीआर 971; कृष्णस्वामी एस. पी. डी. वी. भारत संघ (2006) 3 एससीसी 286: [2006] 2 एससीआर 390-निर्भर

पर

14. क्या धारा 24 पुराने और वर्जित दावे को पुनर्जीवित करती है

14.1 निष्कर्षित मामलों की वैधता पर धारा 24 (2) की आड़ में सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि इसमें कार्यवाही और अधिग्रहण पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

बहुत पहले निष्कर्ष निकाला गया है, या मुकदमेबाजी के कई दौर में, पक्षों के अधिकारों का निपटारा किया गया है। अधिग्रहण की कार्यवाही को धारा 24 (2) के मानदंडों के भीतर चुनौती नहीं दी जा सकती है, एक बार जब कब्जा लेने का पंचनामा तैयार हो गया हो, तो उसके बाद पुनः प्रवेश या कब्जा बनाए रखना अतिचारक का है। कार्यवाही की वैधता नहीं हो सकती हैदेर से चुनौती दी गई, और चुनौती देने के अधिकार को धारा 24 (2) के प्रावधानों के आधार पर पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 340,342] [309 एफ-जी] [312 एफ-जी]

शिव कुमार और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य 2019 (13) स्केल 698; महावीर और अन्य। वी. भारत संघ (2018) 3 एससीसी 588: [2017] 11 एस. सी. आर. 553; हरि सिंह और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एआईआर 1984 एससी 1020: [1984] 3 एस. सी. आर. 417; टी. एन. और अन्य का राज्य। वी. एल. कृष्णन

& ओआरएस (1996) 1 एससीसी 250: [1995] 4 पूरक। एस. सी. आर. 663; ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम। औद्योगिक

विकास निवेश कंपनी प्रा. लि. लिमिटेड (1996) 11 एस. सी. सी. 501 [1996] 5 पूरक। एससीआर 551; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। भगवान सिंह भाटी और अन्य। , (2008) 3 एससीसी 462: [2008] 4 एस. सी. आर. 616; सरकार। ए. पी. और अन्य। वी. कोल्लुतला ओबी रेड्डी और अन्य। , (2005) 6 एससीसी 493: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 513; जसवीर सिंह और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य प्रदेश और ओआरएस। (2017) 6 एससीसी 787: [2017] 3 एस. सी. आर. 921; स्वाका प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. राजस्थान राज्य और अन्य (2008) 4 एस. सी. सी. 695: [2008] 2 एससीआर

521 ; हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प

निगम लिमिटेड और अन्य। वी. जैन स्कूल सोसायटी (2003) 12 एस. सी. सी. 538; अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उदयपुर बनाम.

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

भेरू लाल और ओआरएस (2002) 7 एससीसी 712: [2002] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 512; विश्वास नगर निकासी प्लॉट खरीदार

एसोसिएशन और ओआरएस। वी. अवर सचिव, दिल्ली प्रशासन। & ओआरएस। (1990) 2 एससीसी 268; यू. पी. राज्य जल निगम और अन्र. वी. जसवंत सिंह और अन्र (2006) 11 एस. सी. सी. 464: [2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 916; रवीन्द्रनाथ बोस और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य (1970) 1 एस. सी. सी. 84: [1970] 2 एस. सी. आर. 697; धारप्पा बनाम। बीजापुर कॉप। दुग्ध उत्पादक सोसायटी यूनियन लिमिटेड (2007) 9 एस. सी. सी. 109 [2007] 5 एस. सी. आर. 729; कर्नाटक राज्य बनाम। लक्ष्मण (2005) 8 एस. सी. सी. 709 [2005] 4 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 535-निर्भर

असम राज्य बनाम। भास्कर ज्योति सरमा और ओआरएस (2015)

5 एससीसी 321: [2014] 14 एससीआर 1451-संदर्भित

14.2 जहां बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है या आंशिक रूप से विकसित किया गया है, और निवेश किया गया है, विशेष रूप से जब भूमि का अधिग्रहण बहुत पहले किया गया है, तो कानूनी निश्चितता होनी चाहिए। कानूनी निश्चितता को बनाए रखना न्यायालय का कर्तव्य है। लाचेज़ का सिद्धांत हमेशा एक उदासीन पक्ष को रोकता है, जो अदालत से संपर्क नहीं करने का विकल्प चुनता है, या अनुमोदन करता है।

न्यायालय, एक प्रतिकूल निर्णय को अंतिम बनने की अनुमति देता है, ताकि उसकी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के मुद्दे को फिर से उठाया जा सके। ऐसा करना, विशेष रूप से

ऐसे मामले, जिनमें अधिकार राज्य के पास निहित है, और उसके बाद बाद के हितों के साथ, सार्वजनिक नीति के विपरीत होंगे। [पैरा 353] [322 डी-जी]

वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी. बनाम भारत संघ और अन्य (2012) 6 एससीसी 613: [2012] 1 एससीआर 573; ए. पी. राज्य वित्तीय निगम वी. गारवेयर रोलिंग मिल (1994) 2

एससीसी 647 पर भरोसा किया गया

मथुरा प्रसाद बाजू जयसवाल और अन्य। वी. दोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय (1970) 1 एस. सी. सी. 613 [1970] 3 एस. सी. आर. 830; केनरा बैंक बनाम एन. जी. सुब्बाराय सेट्टी और अन्र (2018) 16 एस. सी. सी. 228: [2018] 3 एससीआर 884; अनिल कुमार गुप्ता बनाम। बिहार राज्य

(2012) 12 एस. सी. सी. 443; राम चंद और अन्य। वी. भारत संघ (1994) 1 एससीसी 44: [1993] 2 पूरक। एस. सी. आर. 558 संदर्भित

ब्रिटिश रेलवे बोर्ड बनाम। पिकिन (1974) एसी 765-संदर्भित [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14.3 धारा 24 का उपयोग मृत और पुराने दावों और निष्कर्षित मामलों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 के दायरे में उनकी जांच नहीं की जा सकती है। धारा 24 के प्रावधान न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को अमान्य नहीं करते हैं, जहां अधिकार और दावे खो गए हैं और अस्वीकार कर दिए गए हैं। कानून के संचालन द्वारा वर्जित दावों का कोई पुनरुद्धार नहीं है। इस प्रकार, बासी और मृत दावों पर प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

धारा 24 के अधिनियमन का बहाना। असाधारण मामलों में, जब वास्तव में, भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन कब्जा ले लिया गया है, तो उपाय कहीं और है यदि मामला परंतुक द्वारा कवर नहीं किया गया है। यह न्यायालय है जो 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत स्वतंत्र रूप से इस पर विचार नहीं करेगा। [पैरा 359] [325 सी-ई]15. धारा 101 में प्रावधान है कि यदि कब्जा लेने की तारीख से पांच साल तक भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वही

मूल मालिक या मालिक या उनके कानूनी को वापस कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उत्तराधिकारी या उपयुक्त सरकार के भूमि बैंक को निर्धारित तरीके से प्रत्यावर्तन द्वारा

उपयुक्त सरकार द्वारा। धारा 24 अधिग्रहण की समाप्ति से संबंधित है। धारा 101 को 1894 के अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण पर लागू नहीं कहा जा सकता है। चूक के प्रावधान पर अपने बल पर विचार किया जाना चाहिए न कि धारा 101 के आधार पर, हालांकि मूल मालिक या मालिकों या कानूनी उत्तराधिकारियों या भूमि बैंक को भूमि वापस देने की भावना है।

भूमि की वापसी 2013 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित सभी भूमि के संबंध में है क्योंकि उद्घाटन भाग में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "जब इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित कोई भी भूमि अप्रयुक्त रहती है" है। लैप्स, ऑन

दूसरी ओर, ऐसा तब होता है जब राज्य धारा 24 (2) के संदर्भ में कदम नहीं उठाता है। धारा 101 के प्रावधान 1894 के अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहणों पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। [पारस 360,361] [325 ई-एफ] [326 ए-सी]

पुणे नगर निगम और अन्र बनाम हरकचंद

मिसरीमल सोलंकी और अन्य (2014) 3 एससीसी 183: [2014] 1

एस. सी. आर. 783; श्री बालाजी नगर निवासी संघ बनाम तमिलनाडु राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 353: [2014] 7 एस. सी. आर. 799-ओवरलुड

योगेश नीमा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) 6 एस. सी. सी. 387; एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड बनाम।

सुपर डोअर विकास प्राधिकरण v. मनोहर्ल

कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2008) 13 एससीसी 30: [2008] 9 एस. सी. आर. 165; उड़ीसा की दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी

लिमिटेड वी. श्री सीताराम राइस मिल (2012) 2 एस. सी. सी. 108: [2011]

15 एस. सी. आर. 211; डी. साईबाबा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओआरएस (2003) 6 एससीसी 186: [2003] 3 एस. सी. आर. 1209; आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम श्रीमती. पी. लक्ष्मी देवी (2008) 4 एससीसी 720 [2008] 3 एससीआर 330; इंदौर विकास

प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। (2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 100; एन. कन्नदासन बनाम। आनंद लें।

खोसे एंड ओर्स (2009) 7 एस. सी. सी. 1: [2009] 7 एससीआर 668; राम नारायण बनाम। उत्तर प्रदेश ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 18: [1956] एस. सी. आर. 664; हर्भजन सिंह बनाम। भारतीय प्रेस परिषद (2002) 3 एस. सी. सी. 722 [2002] 2 एस. सी. आर. 369; केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम। एल्फिंस्टन एसपीजी। & Wvg.Mills Co.Ltd। (1971) 1 एससीसी 337: J.Dalmia v आयकर आयुक्त ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1866: [1964] एस. सी. आर. 579; मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड v. कुरुसा सॉफ्टवेयर (पी) एल. टी. डी. (2018) 1 एस. सी. सी. 353 [2017] 10 एस. सी. आर. 1006; श्री के. सी. गजपति नारायण देव बनाम। उड़ीसा राज्य [1954] एस. सी. आर. 11; जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति बनाम। सिद्ध मठ (2015) 16 एस. सी. सी. 542 [2015] एस. सी. आर. 46; गुलाम मुस्तफा बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एस. सी. सी. 800 [1977] 1 एस. सी. आर. 875; चंद्रगौड़ा रामगोंडा

पाटिल और अन्र। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , (1996)

6 एस. सी. सी. 405; बांदा विकास प्राधिकरण बनाम। मोती लाल अग्रवाल (2011) 5 एससीसी 394: [2011] 7 एस. सी. आर. 435; बलवंत नारायण भागड़े बनाम। एम. डी. भागवत, (1976) 1 एस. सी. सी. 700 [1975] पूरक। एससीआर 250; राज्य टी. एन. वी. महालक्ष्मी अम्मल (1996) 7 एस. सी. सी. 269: [1995] 5 पूरक। एससीआर 451; टी. एन. आवास बोर्ड बनाम ए. विश्वम, (1996) 8 एससीसी 259: [1996] 2 एससीआर 402; ओम प्रकाश वर्मा और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, (2010) 13 एस. सी. सी. 158: [2010] 15 एस. सी. आर. 303; ए.

आर. अंतुले बनाम R.S.Nayak और अन्य [1988] पूरक 1 SCR 01; कार्डियोसंवहनी रोग (2014) 2 एस. सी. सी 62: [2013] 12 एससीआर 674; दाउ दयाल बनाम यू. पी. राज्य [1959] पूरक 1 एस. सी. आर. 639; साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बनाम एम. पी. राज्य और अन्य। (2003) 8 एससीसी 648: [2003] 4 पूरक। एससीआर 651; देव शरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 4 [2020] 3 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. सी. 769 [2011] 3 एस. सी. आर. 728; राधे श्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (2011) 5 एससीसी 553: [2011] 8 एस. सी. आर. 359; भारत सेवक समाज बनाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य। (2012) 12 एस. सी. सी. 675; माधव राव सिंधिया बनाम। भारत संघ(1971) 1 एससीसी 85: [1971] 3 एससीआर 9 (11 न्यायाधीश); श्रीमती. परायणकंडियाल एरावथ बनाम। के. देवी (1996) 4 एससीसी 76

: [1996] 2 पूरक। एससीआर 1 (2 न्यायाधीश); भरत कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2014) 6 एससीसी 586; बिमला देवी बनाम हरियाणा राज्य (2014) 6 एससीसी 583; हरियाणा राज्य बनाम

विनोद ऑयल एंड जनरल मिल्स (2014) 15 एस. सी. सी. 410:

[2014] 13 एस. सी. आर. 524; सीता राम बनाम हरियाणा राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 597; राम किशन बनाम हरियाणा राज्य (2015) 4 एस. सी. सी. 347; सक्षम ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3186 [2015] एस. सी. आर. 237; भारत सरकार

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम जगजीत सिंह ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2683: [2015] एससीआर 692; करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2014) 5

एस. सी. सी. 738; शशि गुप्ता और अन्य। वी. हरियाणा राज्य (2016) 13 एस. सी. सी. 380; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम

सुखबीर सिंह (2016) 16 एस. सी. सी. 258 [2016] 5 एस. सी. आर. 227; इवो एग्नेलो सैंटिमानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य (2011) 11 एससीसी 506: [2011] 2 एस. सी. आर. 1142; प्रताप सिंह बनाम। झारखंड राज्य (2005) 3 एससीसी 551: [2005] 1 एस. सी. आर. 1019; मध्य रेलवे कार्यशाला बनाम. विश्वनाथ (1969) 3

एससीसी 95; [1970] 2 एससीआर 726; मेसर्स इंटरनेशनल ओर एंड फर्टिलाइजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड बनाम। कर्मचारी राज्य बीमा (1987) 4 एससीसी 203: [1987] 3 एस. सी. आर. 981; सेकसरिया कॉटन मिल्स बनाम। बॉम्बे राज्य [1953] एस. सी. आर. 325;अधीक्षक वी.

अनिल कुमार (1979) 4 एससीसी 274: [1980] 1 एस. सी. आर. 323; बी. गंगाधर बनाम राजलिंगम (1995) 5 एस. सी. सी. 238 [1995] 1 पूरक। एस. सी. आर. 535; गुरुचंद

सिंह बनाम। कमला सिंह (1976) 2 एससीसी 152: [1976] 1 एस. सी. आर. 739 (67); मोहन लाल बनाम। राजस्थान राज्य (2015)

6 एससीसी 222: [2015] 5 एस. सी. आर. 435; बिक्री कर आयुक्त बनाम। पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स (1975) 4 एस. सी. सी. 22; जी. नारायणस्वामी बनाम। जी. पन्नीरसेल्वम (1972) 3

एस. सी. सी. 71; कुलदिप नायर बनाम भारत संघ (2006) 7 एस. सी. सी. 1: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (1998) 2 एस. सी. सी. 109: [1997] 5 पूरक। एससीआर 469; आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम।

मनोहरल

(1984) 2 एससीसी 183: [1984] 2 एस. सी. आर. 495; जीवन बीमा

निगम बनाम डी. जे. बहादुर (1981) 1 एस. सी. सी. 325: [1981]

1 एस. सी. आर. 1083; बी. प्रेमानंद बनाम मोहन कोइकल (2011) 4

एस. सी. सी. 266 [2011] 3 एस. सी. आर. 932; मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम

कलकत्ता निगम [1966] 1 एससीआर 543; कृषि आयकर आयुक्त बनाम केशव

चंद्र मंडल [1950] एस. सी. आर. 435; महाराष्ट्र राज्य

बनाम नांदेड़ परभणी संघ (2000) 2 एससीसी 69: [2000] 1

एससीसी 71; एम. वी. जवाली बनाम महाजन बोरवेल एंड कंपनी लिमिटेड(1997) 8 एससीसी 72: [1997] 4 पूरक। एससीआर 320; एस. एम. एस.

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला (2005) 8 एससीसी 89:

[2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 371; पंजाब राज्य बनाम मोहर

सिंह [1955] 1 एससीआर 893; J.K.Cotton एसपीजी। & Wvg.Mils

लिमिटेड वी. भारत संघ (1987) पूरक एस. सी. सी. 350: [1988]

एससीआर 700; बंगाल इम्युनिटी Co.Ltd। वी. बिहार राज्य

[1955] 2 एससीआर 603; एम. आई. जी. क्रिकेट क्लब

बनाम अभिनव सहकार एजुकेशन सोसाइटी, (2011) 9 एससीसी 97

: [2011] 11 एस. सी. आर. 141; ईश्वर सिंह बिंद्रा और अन्य बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य [1969] 1 एस. सी. आर. 219-संदर्भित

गिवर्ड डी वाल्डन (लॉर्ड) v. आईआरएस (1948) 2 सभी ईआर 825

(एच. एल.); सामाजिक सुरक्षा राज्य सचिव बनाम टुनिक्लिफ

[1991] 2 सभी ई. आर. 712; हावर्ड डी वाल्डन (लॉर्ड) बनाम। आई. आर. सी.

(1948) 2 सभी ई. आर. 825 (एच. एल.); ग्रीन वी. प्रीमियर

ग्लाइनरहॉन्वी स्टेट कं. एल. आर. (1928) 1 के. बी. 561-संदर्भित

को

मामला कानून संदर्भ

(2016) 6 एस. सी. सी. 387

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2003] 3 पूरक। एससीआर 24

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[2008] 3 एससीआर 330

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2010] 3 एससीआर 485

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[2013] 8 एससीआर 849

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1956] एससीआर 664

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 369

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

(1971) 1 एस. सी. सी. 337

संदर्भित किया गया है

पैरा 38 [2020] 3 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1964] एससीआर 579

पैरा 38

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 1006

पैरा 44

संदर्भित किया गया है

[1971] एससीआर 977

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[1969] 1 एससीआर 219

पैरा 44

संदर्भित किया गया है

[1987] 2 एससीआर 911

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[1955] 2 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[1954] एससीआर 11

पैरा 47

संदर्भित किया गया है

[2015] एससीआर 46

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[2002] 3 पूरक। एससीआर 534

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[1977] 1 एससीआर 875

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[2009] 14 एससीआर 507

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

(1996) 6 एस. सी. सी. 405

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[2011] 7 एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[1975] पूरक। एससीआर 250

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

[1995] 5 पूरक। एससीआर 451

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[1996] 2 एससीआर 402

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

[2010] 15 एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[1988] पूरक 1 एस. सी. आर. 01

पैरा 52

संदर्भित किया गया है

[2013] 12 एससीआर 674

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

[1959] पूरक 1 एस. सी. आर. 639

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

[2011] 3 एससीआर 728

पैरा 53

संदर्भित किया गया है

[2011] 8 एससीआर 359

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

(2012) 12 एस. सी. सी. 675

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

[1971] 3 एस. सी. आर 9

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

[1996] 2 पूरक। एससीआर 1

पैरा 55

संदर्भित किया गया है

(2014) 6 एस. सी. सी. 586

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

(2014) 6 एस. सी. सी. 583

पैरा 58

संदर्भित किया गया है

[2014] 13 एससीआर 524

संदर्भित किया गया है

पैरा 58 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

(2015) 3 एस. सी. सी. 597

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

(2015) 4 एस. सी. सी. 347

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

[2015] एससीआर 237

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

[2015] एससीआर 692

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

(2014) 5 एस. सी. सी. 738

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

(2016) 13 एससीसी 380

पैरा 58

संदर्भित किया गया है

[2016] 5 एससीआर 227

पैरा 58

संदर्भित किया गया है

[2011] 2 एससीआर 1142

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

[2005] 1 एससीआर 1019

संदर्भित किया गया है

पैरा 63

[1970] 2 एससीआर 726

संदर्भित किया गया है

पैरा 63

[1987] 3 एससीआर 981

संदर्भित किया गया है

पैरा 63

[1953] एससीआर 325

संदर्भित किया गया है

पैरा 67

[1980] 1 एससीआर 323

संदर्भित किया गया है

पैरा 67

[1995] 1 पूरक। एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 67

[1976] 1 एससीआर 739

संदर्भित किया गया है

पैरा 67

[2015] 5 एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पैरा 67

[2007] 12 एससीआर 105

पैरा 69

संदर्भित किया गया है

(1975) 4 एससीसी 22

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

(1972) 3 एससीसी 71

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

[2006] 5 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

[1997] 5 पूरक। एससीआर 469

पैरा 73

संदर्भित किया गया है

[1984] 2 एससीआर 495

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[1981] 1 एससीआर 1083

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[2011] 3 एससीआर 932

पैरा 79

संदर्भित किया गया है

[1966] 1 एससीआर 543

संदर्भित किया गया है

पैरा 82

[1950] एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पैरा 82

[2000] 1 एससीआर 357

संदर्भित किया गया है

पैरा 82

(1997) 6 एससीसी 71

संदर्भित किया गया है

[1997] 4 पूरक। एससीआर 320

संदर्भित किया गया है

पैरा &

[2005] 3 पूरक। एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1955] 1 एससीआर 893

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1988] एससीआर 700

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1955] 2 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2011] 11 एससीआर 141

पैरा &

संदर्भित किया गया है

[1965] एससीआर 328

उस पर भरोसा करें

पैरा एस

(1971) 2 एससीसी 540

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[1961] एससीआर 718

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[2005] 2 एससीआर 23

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[1987] 2 एससीआर 911

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[1998] 1 पूरक। एससीआर 244

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[1964] एससीआर 561

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[1957] 1 एससीआर 874

पैरा 10

उस पर भरोसा करें

[1965] 2 एससीआर 853

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1976] 1 एससीआर 505

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर 910

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1992] 3 एससीआर 634

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1958] एससीआर 1156

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[2004] 4 पूरक। एससीआर 127

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[1994] 3 पूरक। एससीआर 405

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[2004] 3 एससीआर 854

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1996] 9 पूरक। एससीआर 158

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2002] 3 पूरक। एससीआर 534

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

उस पर भरोसा करें

[1993] 2 पूरक। एससीआर 336

पैरा 13

[2009] 14 एससीआर 905

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[1996] 2 एससीआर 1088

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[1995] 3 पूरक। एससीआर 197

उस पर भरोसा करें

पैरा 13 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

1994] 2 पूरक। एससीआर 426

उस पर भरोसा करें

पैरा 139

2010] 7 एससीआर 204

उस पर भरोसा करें

पैरा 140

1952] एससीआर 612

संदर्भित किया गया है

पैरा140

1961] एससीआर 679

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

1965] एससीआर 970

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

1980] 1 एससीआर 1177

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

2003] 1 एससीआर 653

पैरा 140

संदर्भित किया गया है

2004] 3 एससीआर 834

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

1989] 1 एससीआर 986

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

2000] 3 पूरक। एससीआर 357

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

1994] 5 पूरक। एससीआर 448

पैरा 140

संदर्भित किया गया है

2008] 17 एससीआर 35

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

1961] 2 एससीआर 189

संदर्भित किया गया है

पैरा 142

उस पर भरोसा करें

996 (7) जेटी 118

पैरा 145

1996] 7 पूरक। एससीआर 6

उस पर भरोसा करें

पैरा 146

1995] 4 पूरक। एससीआर 787

उस पर भरोसा करें

पैरा 147

1996] 2 एससीआर 638

उस पर भरोसा करें

पैरा 147

1957] एससीआर 01

उस पर भरोसा करें

पैरा 147

2016] 1 एससीआर 343

उस पर भरोसा करें

पैरा 148

2017] 9 एससीआर 482

उस पर भरोसा करें

पैरा 149

2004] 3 पूरक। एससीआर 400

उस पर भरोसा करें

पैरा 158

2015] 7 एससीआर 56

उस पर भरोसा करें

पैरा 159

1966] 1 एससीआर 890

उस पर भरोसा करें

पैरा 160

1964] 1 एससीआर 897

उस पर भरोसा करें

पैरा 160

2011] 15 एससीआर 211

पैरा 160

संदर्भित किया गया है

1989] 2 एससीआर 544

संदर्भित किया गया है

पैरा 160

2002] 5 पूरक। एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पैरा 160

2003] 3 एससीआर 1209

संदर्भित किया गया है

पैरा 160 [2020] 3 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2003] 3 पूरक। एससीआर 24

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2007] 13 एससीआर 598

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2008] 3 एससीआर 330

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2008] 9 एससीआर 165

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[2009] 7 एससीआर 668

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2010] 3 एससीआर 485

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[2013] 1 एससीआर 1

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[1962] 1 एससीआर 44

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[1955] एससीआर 1196

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

(2000) 5 एससीसी 488

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[2016] 5 एससीआर 227

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2002] 2 एससीआर 383

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2013] 8 एससीआर 241

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[2011] 3 एससीआर 932

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[2002] 4 पूरक। एससीआर 517

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2017] 14 एससीआर 202

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1953] एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[2005] 1 एससीआर 223

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[2006] 3 पूरक। एससीआर 734

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

[2017] 13 एससीआर 25

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1982] 3 एससीआर 121

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1965] 1 एससीआर 276

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1967] 1 एससीआर 831

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1968] एससीआर 148

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1985] 2 एससीआर 643

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1966] 1 एससीआर 367

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1039

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2013] 14 एससीआर 136

उस पर भरोसा करें

पैरा 19 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

उस पर भरोसा करें

| 3 एससीआर 626

पैरा 193

उस पर भरोसा करें

961 एससी 1596

पैरा 193

उस पर भरोसा करें

1 एससीआर 277

पैरा 193

(पूरक) 2 एससीआर 256

उस पर भरोसा करें

पैरा 193

4 पूरक। एससीआर 227

उस पर भरोसा करें

पैरा 193

उस पर भरोसा करें

2 एससीआर 1051

पैरा194

3 पूरक। एससीआर 276

उस पर भरोसा करें

पैरा 194

34) 1947 पीसी 94

उस पर भरोसा करें

पैरा 194

(3) एस. सी. आर. 318

उस पर भरोसा करें

पैरा 212

उस पर भरोसा करें

पैरा213

| 1 एससीआर 998

उस पर भरोसा करें

पैरा 214

1 एससीआर 669

उस पर भरोसा करें

12 एससीआर 327

पैरा 219

पैरा 221

उस पर भरोसा करें

| 2 एससीआर 842

उस पर भरोसा करें

पैरा 222

1 एससीआर 570

उस पर भरोसा करें

| 2 एससीआर 1111

पैरा 222

उस पर भरोसा करें

1 एससीआर 1159

पैरा 222

उस पर भरोसा करें

पैरा 222

2 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

3 एस. सी. सी. 392

पैरा 232

उस पर भरोसा करें

पैरा 232

3 एस. सी. आर. 17

3 एससीआर 1088

उस पर भरोसा करें

पैरा 232

उस पर भरोसा करें

पैरा 236

| 6 एससीआर 703

1 पूरक। एससीआर 358

उस पर भरोसा करें

पैरा 236

एस. सी. सी. 806

उस पर भरोसा करें

पैरा 237

3 पूरक। एससीआर 584

पैरा 238

उस पर भरोसा करें

उस पर भरोसा करें

पैरा 239

| 3 एससीआर 1096

उस पर भरोसा करें

1 एससीआर 323

पैरा 251

उस पर भरोसा करें

पैरा 252

3 एस. सी. सी. 684

(पूरक 2) एस. सी. आर. 798

उस पर भरोसा करें

पैरा 252 [2020] 3 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 10 एससीआर 603

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2011] 14 एससीआर 472

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2001] 2 पूरक। एससीआर 50

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1996] 2 एससीआर 643

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

(2005) 12 एस. सी. सी. 489

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2015] 15 एससीआर 499

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

(2017) 13 एस. सी. सी. 474

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2017] 13 एससीआर 1053

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1976] 3 एससीआर 76

पैराः

प्रतिष्ठित

(1979) 3 एस. सी. सी. 106

प्रतिष्ठित

पैरा 2

[1980] 1 एससीआर 6

प्रतिष्ठित

पैरा

(1988) सप. एससीसी 488

प्रतिष्ठित

पैरा 2

[2011] 14 एससीआर 1113

सही कानून नहीं

पैरा

[2012] 3 एससीआर 841

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2012] 3 एससीआर 841

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2009] 10 एससीआर 1084

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2012] 10 एससीआर 603

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2008] 17 एससीआर 120

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

(2015) 4 एससीसी 325

ओवरराइड किया

पैरा 2

[2011] 6 एससीआर 443

ओवरराइड किया

पैरा 2

[1961] 2 एससीआर 295

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1988] 3 एससीआर 384

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

(1999) 6 एससीसी 459

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1986] 3 एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1979] 3 एससीआर 709

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2001] 2 एससीआर 714

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1997] 3 एससीआर 931

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2010] 2 एससीआर 447

उस पर भरोसा करें

पैरा 3 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[1990] 1 एससीआर 186

उस पर भरोसा करें

पैरा 301

[2001] 1 पूरक। एससीआर 115

उस पर भरोसा करें

पैरा302

[2014] 8 एससीआर 751

प्रतिष्ठित

पैरा 305

(2015) 3 एससीसी 206

प्रतिष्ठित

पैरा 305

(2015) 3 एस. सी. सी. 541

प्रतिष्ठित

पैरा 305

[2014] 7 एससीआर 799

पैरा 305

ओवरराइड किया

[1989] 3 एससीआर 455

पैरा306

संदर्भित किया गया है

[1996] 5 पूरक। एससीआर 222

संदर्भित किया गया है

पैरा 309

[2013] 14 एससीआर 58

संदर्भित किया गया है

पैरा 310

[1999] 3 एससीआर 594

संदर्भित किया गया है

पैरा 311

[1999] 2 पूरक। एससीआर 754

संदर्भित किया गया है

पैरा 313

[2000] 2 एससीआर 871

संदर्भित किया गया है

पैरा 313

[2002] 2 एससीआर 1093

संदर्भित किया गया है

पैरा 314

[2004] 6 पूरक। एससीआर 282

संदर्भित किया गया है

पैरा315

[1975] 1 एससीआर 504

उस पर भरोसा करें

पैरा 316

[2005] 1 पूरक। एससीआर 49

उस पर भरोसा करें

पैरा 317

[1962] एससीआर 290

पैरा 318

संदर्भित किया गया है

(1998) 3 एससीसी 376

पैरा 321

संदर्भित किया गया है

(2005) 8 एस. सी. सी. 423

संदर्भित किया गया है

पैरा 321

[1980] 2 एससीआर 765

संदर्भित किया गया है

पैरा 321

[1995] 1 एससीआर 543

संदर्भित किया गया है

पैरा 322

[2009] 15 एससीआर 1010

संदर्भित किया गया है

पैरा 322

[2004] 1 एससीआर 965

संदर्भित किया गया है

पैरा 323

[1975] पूरक। एससीआर 365

प्रतिष्ठित

पैरा 325

अप्रयोज्य रखा गया

[2017] 4 एससीआर 881

पैरा 326

[1978] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 330

[2003] 4 पूरक। एससीआर 651

संदर्भित किया गया है

पैरा 332 [2020] 3 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 2 एससीआर 1127

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2012] 4 एससीआर 74

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2011] 9 एससीआर 146

उस पर भरोसा करें

पैरा

(1980) 2 एससीसी 191

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1992] 2 एससीआर 378

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1999] 1 एससीआर 311

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2010] 10 एससीआर 971

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2006] 2 एससीआर 390

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

उस पर भरोसा करें

2019 (13) स्केल 698

पैरा 3

[2017] 11 एससीआर 553

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2014] 14 एससीआर 1451

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1984] 3 एससीआर 417

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1995] 4 पूरक। एससीआर 663

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1996] 5 पूरक। एससीआर 551

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2008] 4 एससीआर 616

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2005] 2 पूरक। एससीआर 513

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2017] 3 एससीआर 921

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2008] 2 एससीआर 521

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1998] 2 एससीआर 339

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

(2003) 12 एस. सी. सी. 538

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

उस पर भरोसा करें

[2002] 2 पूरक। एससीआर 512

पैरा 3

(1990) 2 एससीसी 268

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2006] 8 पूरक। एससीआर 916

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1970] 2 एससीआर 697

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2007] 5 एससीआर 729

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2005] 4 पूरक। एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2012] 1 एससीआर 573

उस पर भरोसा करें

पैरा 3 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

(1994) 2 एससीसी 647

उस पर भरोसा करें

पैरा 353

[1970] 3 एससीआर 830

पैरा 355

संदर्भित किया गया है

[2018] 3 एससीआर 884

संदर्भित किया गया है

पैरा 355

(2012) 12 एस. सी. सी. 443

संदर्भित किया गया है

पैरा 355

[1993] 2 पूरक। एससीआर 558

पैरा 355

संदर्भित किया गया है

[2014] 1 एससीआर 783

ओवरराइड किया

पैरा 362

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: विशेष अवकाश याचिका

(सिविल) सं। 9036-9038 2016 से।

उच्च न्यायालय के 30.11.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश की पीठ, इंदौर में रिट अपील सं। 514 , 799 और 2006 का 772।

के साथ

सिविल अपील सं। 4835 2015, 19356, 19362, 19361, 19358,

19357 , 19360 , 19359 , 19363 , 19364 , 19412 2017 का एस. एल. पी. (ग) संख्या। 30577 30580 2015 का, 9798-9799,17088-17089,37375,37372,16573-16605।

34752-34753 2016 का 15890,33022,33114,2017 का 33127,2018 का 30452,2019 का 16051,2016 का सी. ए. सं. 12247 में 2017 का एम. ए. सं. 1423। 2016 की सी. ए. संख्या 10210 में 2017 की एम. ए. No.1787,2016 की सी. ए. संख्या 10207 में 2017 की एम. ए. संख्या 1786,2017 की सी. ए. संख्या 6239 में 2018 की एम. ए. संख्या 45,2018 की डायरी संख्या 23842,2018 की सी. सी. No.15967 2016 की।

तुषार मेहता, एसजी, सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, बी. के. सतीजा, अजय

बंसल, ए. ए. जी., आर. बालासुब्रमण्यम, श्याम दीवान, मनोज स्वरूप, गोपाल शंकरनारायणन, अनूप जॉर्ज चौधरी, सुश्री जून चौधरी, गुरु कृष्ण कुमार, वी. शेखर, के. एस. नामदार, शेखर नाफडे, प्रितेश कपूर, रामेश्वर सिंह मलिक, ध्रुव मेहता, अनुकुल चंद्र प्रधान, के. शशि किरण शेट्टी, मोहन परासरन, जयंत मुथराज, के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कानू अग्रवाल, मनन पोपली, राजीव रंजन, शांतनु शर्मा, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, अश्विनी कुमार धतवालिया, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुमित तेतरवाल, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री कृति दुआ, हेमंत आर्य, सुश्री तनिषा सामंत, चाकितन वी. एस. पापटा, सुश्री अशिता गोयल, अंकुर तलवार, प्रशांत सिंह, राज बहादुर यादव, विनोद कुमार, अश्विनी कुमार, सुश्री पीहा वर्मा, रविंदर नैन, आयुष अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, अभिनव मल्होत्रा, सुदिप्तो सरकार, भाव रतन, प्रमोद बी. अग्रवाल, सिद्धार्थ बत्रा, गौरव अग्रवाल, अविष्कार सिंघवी, हर्ष [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पराशर, निपुण कत्याल, सुश्री तन्वी भटनागर, राहुल कौशिक, ध्रुव सुराना, आर. आनंद पद्मनाभन, अरविंद सी., शशि भूषण कुमार, राजीव कुमार दुबे, कमलेन्द्र मिश्रा, हितेश कुमार शर्मा,

एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, सुश्री संध्या शर्मा, रवींद्र केशवराव अदसुरे, सागर एन. पहुने पाटिल, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, अभिकल्प प्रताप सिंह, सुश्री ऐश्वर्या दास, दुर्गेश गुप्ता, ए. पी. मयी, ए. राजाराजन, संजीव कुमार चौधरी,

जितेश मलिक, सुश्री बीना, सतीश कुमार, सिद्धार्थ बत्रा, सुश्री.

गरिमा सहगल, सुश्री सुगंधा शर्मा, राम शंकर, ओम प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, आशीष चौबे, जी. चित्रकला, सुश्री माफी, आर. के. वी. सुहास, आर. वी. कामेश्वरन, महेश ठाकुर, बी. एस. श्रीनिवास, श्रीमती विपाशा सिंह, शरण ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर, विजय कुमार परदेसी, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, कार्तिक आनंद, सुश्री शेफाली चौधरी, जोहेब हुसैन, सुश्री अदीबा मुजाहिद, सुश्री अदिति दानी, अश्विन कुमार डी. एस., पीयूष गोयल, विवेक गुरनानी, अग्नि सेन, संजीव मेनन, सुश्री पूर्बिता मित्रा, सुश्री ए. जसवंती, के. वी. विजयकुमार, आनंद कन्नन, दीपक गोयल, कमल कुमार पांडे, बलदेव अत्रेया, अजय कुमार सिंह, सुश्री नीलम गोयल, गौरव यादव, श्रीमती वीणा बंसल, संजय कुमार विसेन, प्रशांत भूषण, ओमानकुट्टन के. के., सुश्री अन्नन्या घोष, अभिमन्यु श्रेष्ठ, पल्लव मोंगिया, अभिषेक कुमार, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, यशराज सिंह देवड़ा, अशोक अरोड़ा, डॉ.

रितुराज

शुक्ला, चंदन कुमार, मधु प्रकाश, ऋतुराज विश्वास,

चौधरी, हेमंत कुशवाहा, चांद कुरैशी, रजत वर्मा, हीरेन दासन, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, भरत गंगाधरन, हर्षल नारायण, वी. एम. खन्ना, सुश्री शुभ्रा कपूर, प्रमोद दयाल, सुश्री शशि किरण, डॉ. सतीश चंद्र, सुश्री उषा मिश्रा, मनोज जैन, शंकर चिल्लरगे (मेसर्स के लिए)। लॉयर्स निट एंड कंपनी), सुश्री रचना

श्रीवास्तव, विष्णु बी. सहारिया, विरेश बी. सहारिया (मेसर्स के लिए)।), सुश्री रश्मि नंदकुमार, सुश्री आयुषमा अवस्थी, शंकर

नारायणन, डॉ. डी. वी. राव, बी. वी. बलराम दास, कुणाल वर्मा, विनय कुमार शैलेंद्र, सुश्री दीपिका वी. मरावाहा, चंद्र भूषण प्रसाद, सिद्धार्थ चौधरी, मुहम्मद अली खान, उमर होदा, स्पर्श प्रसाद, अनुराग सिंह, गौरव गोयल, एस. के. राउत, आर. के. दुदेजा, सचिन गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री प्रतिभा जैन, विकास कुमार, अजय चौधरी, एम. राम बाबू, विक्रांत यादव, पुनीत चुघ, सुदर्शन मेनन, रवींद्र ए. लोखंडे, समरंद्र बेउरा, राम गुप्ता, केशव रंजन, मनीष पालीवाल, सेंथिल जगदीशन, अंभोज कुमार सिन्हा, आर. वी.

मनोहरल

परमशिवम, एम. योगेश कन्ना, मुनव्वर नसीम, सी. एल. साहू, सतीश कुमार, राजेश महाले, रितेश खत्री, श्रीमती बलविंदर कौर बरार, राजेश कुमार झा, डॉ. एम. एस. वर्मा, सुश्री रंजना वोहरा, राकेश कुमार यादव, सुश्री अल्पना मलिक, दिनेश के. मुद्गल, सुश्री शशि सिंह, रजनीश कुमार झा, यश पाल ढींगरा, दिव्यकांत लाहोटी, मनीष कौशिक, सुश्री अमृता ग्रोवर, परीक्षित आहूजा, कार्तिक लाहोटी, सुश्री प्रवीणा बिष्ट, मधुर झावर, राजीव कटारिया, सुश्री देबजानी दास पी. (मेसर्स के लिए)। दिल्ली

लॉ चैंबर्स), के. परमेश्वर, पी. वी. दिनेश, सुश्री सिंधु टी. पी., मुकुंद पी. उन्नी, अनिरुद्ध देशमुख, राजेश श्रीवास्तव, सुश्री सुरेश कुमारी, यतीन एम. जगतप, रबीन मजूमदार, सौरव रॉय, हर्ष आनंद, गौरव मजूमदार, सुश्री देविका खन्ना, यश अहलावत, श्रीमती वी. डी. खन्ना, मनीष के. बिश्नोई, मैसर्स। एस. नारायण एंड कंपनी, श्री पाल सिंह, बालाजी श्रीनिवासन, अनुपम रैना, सुनंदो राहा, अरिदम दास, कुणाल मलिक, डॉ. सुमंत भारद्वाज, सुश्री मृदुला रे भारद्वाज, अमोल चित्रवंशी, सुश्री रिनचेन वांगमो, वेदांत भारद्वाज, संगम लाल पांडे, विश्वजीत दास, हार्दीप सिंह, अनामिका शर्मा, अभिगया, वरिंदर कुमार शर्मा, वरुण ठाकुर, एस. शर्मा, सुश्री मंदाकिनी सिंह, सुश्री सुखमनी बाजवा, सैयद इम्तियाज अली, अली सफीर फारूकी, आफताब अली खान, एम. जेड. चौधरी, सुश्री मुमताज आलम सिद्दीकी, केशव ठाकुर, अरविंद। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की सही व्याख्या और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (संक्षेप में, '2013 का अधिनियम'), इस न्यायालय की इस पाँच न्यायाधीशों की पीठ के लिए संदर्भ का विषय है।

2. पुणे नगर निगम और अन्र बनाम हरकचंद मिसरीमल सोलंकी और अन्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ,

2013 के अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या की गई। आदेश में कहा गया है कि श्री बालाजी नगर के निवासियों के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश में कहा कि श्री बालाजी नगर के निवासियों के मामले में निर्णय पर संदेह है।

एसोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य 3 (जिसने पुणे नगर निगम (उपरोक्त) का अनुसरण किया था और यह भी माना कि धारा 24 (2)

1 1 (2014) 3 एससीसी 183

2 (2016) 6 एस. सी. सी. 3873 3 (2015) 3 एस. सी. सी. 353 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2013 का अधिनियम किसी भी अवधि को बाहर नहीं करता है जिसके दौरान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किसी भी अदालत द्वारा दी गई रोक या निषेधाज्ञा के कारण रुकी हुई हो सकती है) और इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। बाद में, एक अन्य अपील में (एस. एल. पी. से उत्पन्न)। (सी) 2016

का No.2131 (इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & Ors.[1]) मामले को 7.12.2017 पर एक बड़ी पीठ को भेजा गया था; अदालत ने देखा कि:

" जिन मामलों को समाप्त किया जा चुका है, उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। जानबूझकर मुआवजे को स्वीकार नहीं करने और अदालत में यह बयान दिए जाने के बावजूद कि वे किसी भी कीमत पर मुआवजा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, और वे मामले हारने के बाद बार-बार आंदोलन कर रहे हैं और जब कार्यवाही को अंतरिम आदेशों द्वारा लंबित रखा जाता है, तो धारा 24 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

ऐसे भूमि मालिकों द्वारा आह्वान किया गया "। 3. न्यायालय ने देखा कि एक बड़ी पीठ का संदर्भ था

लंबित था, और इसे योगेश नीमा (ऊपर) में बनाया गया था। न्यायालय ने यह भी महसूस किया कि कई अन्य मुद्दे उत्पन्न हुए जिन्हें उसने रेखांकित किया, लेकिन नहीं थे

पुणे नगर निगम (ऊपर) में माना जाता है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए और उचित आदेशों के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र (इसके बाद, "आई. डी. ए. बनाम शैलेंद्र") तीन न्यायाधीशों की पीठ का विचार था कि पुणे नगर निगम (ऊपर) के फैसले में 2013 के अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या से संबंधित कई पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था। चूँकि पुणे नगर निगम (ऊपर) एक निर्णय था

आई. डी. ए. बनाम शैलेंद्र में दो विद्वान न्यायाधीशों ने प्रथम दृष्टया राय दी कि निर्णय असंगत प्रतीत होता है।

4. बाद में, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम श्याम वर्मा और अन्य (2016 का एस. एल. पी. सं. 9798) मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करना उचित समझा ताकि मुद्दों को जल्द से जल्द एक बड़ी पीठ द्वारा हल किया जा सके। फिर भी हरियाणा राज्य बनाम महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट (विनियमित) और ए. एन. आर. (2015 का सी. ए. No.4835) मामले को बड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया। इन समूह की अपीलों को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था, जिसने वकील को सुनने के बाद निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए, जो विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

4 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 100 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

" 1. भुगतान '/निविदा' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?

उचित मुआवजे के अधिकार की धारा 24 और

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विकास में पारदर्शिता

पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम) और अधिनियम की धारा 31

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. (1894 का अधिनियम)? क्या गैर-जमा

अधिनियम की धारा 31 (2) के तहत अदालत में मुआवजे का

1894 जिसके परिणामस्वरूप धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो जाता है।

2013 का अधिनियम। जमा न करने के क्या परिणाम होते हैं? अदालत में विशेष रूप से जब मुआवजे की पेशकश की गई हो

और 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) और 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत इनकार कर दिया? क्या ऐसे व्यक्ति इनकार करने के बाद

क्या वे अपने गलत/आचरण का फायदा उठा सकते हैं?

2. क्या 'या' शब्द को संयोजी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए या2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में असंवेदनशील?

3. परंतुक का वास्तविक प्रभाव क्या है, क्या यह इसका हिस्सा है

2013 के अधिनियम की उप-धारा (2) या मुख्य धारा 24? 4. भूमि पर कब्जा करने का तरीका क्या है?

अधिग्रहण अधिनियम और अभिव्यक्ति का वास्तविक अर्थ

खंड में होने वाली भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है

24 (2) 2013 के अधिनियम का?

5. क्या वह अवधि जो किसी न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई हैभूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को बाहर रखा जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 24 (2) के लागू होने के उद्देश्य से

2013 ?

6. क्या 2013 के अधिनियम की धारा 24 वर्जित को पुनर्जीवित करती है और

पुराने दावे? इसके अलावा, प्रति इनक्यूरियम और अन्य का प्रश्न

आनुषंगिक प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

5. प्रश्न संख्या। 1 3 आपस में जुड़े हुए हैं और 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के सही ढोंग से संबंधित हैं। निम्नलिखित प्रश्न

धारा 24 (2) के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए समतुल्य

2013 का अधिनियम:

(i) क्या 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में "या" शब्द है।

कब्जे के बीच में उपयोग नहीं किया गया है या नहीं लिया गया है

मुआवजे का भुगतान "और" के रूप में नहीं किया गया है?

((ii) क्या 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के परंतुक को उसके हिस्से के रूप में या धारा 24 (1) (बी) के परंतुक के रूप में माना जाना चाहिए?

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ग) धारा 24 (2) में प्रयुक्त "भुगतान" और धारा के परंतुक में प्रयुक्त "जमा" शब्द का क्या अर्थ है?

24 (2) ?

((iv) भुगतान नहीं किए जाने के क्या परिणाम होते हैं?

(v) जमा नहीं की गई राशि के क्या परिणाम होते हैं?

(vi) स्वीकार करने से इनकार करने वाले व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है?

क्षतिपूर्ति?

6. 2013 का अधिनियम भूमि अधिग्रहण को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है

अधिनियम, 1894, सार्वजनिक प्रयोजनों की भूमि के अधिग्रहण के लिए एक सामान्य कानून, जो उक्त अधिनियम में कुछ अपर्याप्तताओं और/या कमियों को दूर करने की दृष्टि से लगभग 120 वर्षों से लागू था।

7. 2013 का अधिनियम संभावित है और पहले से ही कार्यवाही को बचाता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत इसके निरसन से पहले शुरू किया गया, जो 2013 के अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अधीन है, जो एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होता है और 2013 के अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों को ओवरराइड करता है।

8. संघ, राज्यों और विभिन्न अधिग्रहण निकायों और विकास प्राधिकरणों की ओर से, श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल

(जिन्होंने दलीलों का नेतृत्व किया, इसके बाद "एस. जी".), सुश्री पिंकी आनंद, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (इसके बाद "ए. एस. जी".), श्री अनूप चौधरी और श्री जयंत मुथुराज, विद्वान वरिष्ठ वकील, सुश्री शशि किरण, सुश्री रचना श्रीवास्तव, श्री आर. एम. भांगड़े और विद्वान वकील श्री राजेश महाले ने अपनी दलीलें दीं।

9. विद्वान एस. जी. ने तर्क दिया कि इस न्यायालय को पुणे नगर निगम (उपरोक्त) और अन्य निर्णयों में अनुपात को रद्द कर देना चाहिए।

अधिग्रहण की कार्यवाही लंबी होती है, इसकी जांच नहीं की गई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 24 एक संक्रमणकालीन प्रावधान है और ऐसे प्रावधानों को एक ऐसी व्याख्या दी जानी चाहिए जो पिछली कार्यवाहियों पर अब तक अनुपस्थित मानकों को लागू करने के बजाय विधायी इरादे के अनुरूप हो, या पिछली व्यवस्था के तहत शुरू की गई कार्यवाही, लेकिन जो खुद काम नहीं कर पाई है। उन्होंने आग्रह किया कि किसी अधिनियम में किसी भी प्रावधान की प्रतिबंधित पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के पक्ष में एक धारणा है जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि योजनाबद्ध रूप से, यह एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार पारित करने का चरण है, कि इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

2013 के अधिनियम या एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए पृथक्करण में निर्धारक कारक का प्रतिनिधित्व करता है। यह आग्रह किया जाता है कि धारा 24 (1) में प्रावधान का प्रारंभिक भाग एक गैर-अबाधित खंड है।2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) और (बी) में उल्लिखित आकस्मिकताओं के मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सीमित ओवरराइडिंग प्रभाव के लिए प्रावधान।

10. धारा 24 (1) (ए) में विचार किया गया है कि जहां एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया गया है, लेकिन कार्यवाही की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत शुरू किए गए, 2013 के अधिनियम के प्रावधान मुआवजे के निर्धारण तक सीमित रूप से लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, 2013 के अधिनियम के तहत पूरी कवायद को शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, धारा 24 (1) (ए) 2013 के अधिनियम की सीमित प्रयोज्यता पर विचार करती है। धारा 24 (1) (बी) में निर्धारित किया गया है कि जहां एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया गया है, पूरी कार्यवाही होगी उस कानून के तहत जारी रहना और 2013 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। धारा 24 (1) (बी) धारा 24 के तहत बड़ा छत्र खंड है, जो एल. ए. अधिनियम के तहत पक्षों के निहित अधिकारों की रक्षा करता है यदि -

अधिनियम, एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया गया था। नतीजतन, धारा 24 (2) का धारा 24 (1) (ए) से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी पुरस्कार पर विचार नहीं करती है। यह.इसलिए यह धारा 24 (1) (बी) का एक सीमित अपवाद है। परिणामस्वरूप धारा 24 (2) एक अपवाद के रूप में धारा 24 (1) (बी) से संबंधित है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कुछ आकस्मिकताओं में तब भी समाप्त हो जाएगी जब एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया गया था।

12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 24 (2) में चूक के लिए आकस्मिकताएं, एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार के अधीन हैं।

2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पाँच साल पहले किया गया (जो

1.1.2014) है। यदि पुरस्कार इस प्रकार दिया जाता है, तो दो आकस्मिकताओं के परिणामस्वरूप पूरी तरह से चूक हो जाती है - (क) भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है; या (ख)

मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। धारा 24 (2) के अनुसार चूक का प्रावधान, अपनी प्रकृति से, एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो उन आकस्मिकताओं के उत्पन्न होने की स्थिति में गंभीर परिणामों को आमंत्रित करता है। यह इन व्याख्याओं का " आकस्मिकताएँ "जिन पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। "आकस्मिकताओं" की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिससे पिछले लेन-देनों को इस हद तक बचाया जा सके कि उन्हें बचाया जा सके क्योंकि 2013 के अधिनियम का स्पष्ट रूप से पिछले सभी लेन-देनों पर काबू पाने का इरादा नहीं है।

13. विद्वान एस. जी. ने तर्क दिया कि धारा 24 (2) का परंतुक धारा 24 (2) के लिए एक अपवाद बनाता है, अर्थात यदि पुरस्कार दिया गया है।

14. इसलिए, यदि केवल कुछ दावेदारों को मुआवजे के साथ वितरित किया जाता है, तो ऐसे दावेदारों को 2013 के अधिनियम के तहत बिना किसी चूक के सीमित सीमा तक मुआवजे का लाभ मिलेगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भले ही अधिग्रहण समाप्त न हो जाए, सभी लाभार्थी जिन्हें मुआवजा देय है, वे 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार होंगे। 15. यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 24 (1) (ए) और धारा 24 (2) पूर्वव्यापीता और कटौती की सीमा को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को संतुलित कर रहे हैं।

अधिकारों का उन्मूलन। कुछ परिभाषित परिस्थितियों में 2013 के अधिनियम के तहत बढ़े हुए मुआवजे के प्रावधानों को प्रदान करते हुए कुछ परिभाषित परिस्थितियों में एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण की सुरक्षा का ऐसा संतुलन "बीच का रास्ता" है जिसे संसद ने अपनाया है। यह है।

उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए, धारा 24 (2) उस परंतुक द्वारा नियंत्रित है जो संसद द्वारा सचेत रूप से चुने गए एक और मध्य मार्ग को फिर से अनिवार्य करता है।

16. यह तर्क दिया जाता है कि निरस्त किए गए अधिनियम के तहत पहले से उठाए गए सभी कदमों के "समाप्त" होने के परिणामस्वरूप एक अस्थायी प्रावधान या स्थितियों का प्रावधान करते हुए, विधायिका हमेशा कई आकस्मिकताओं की परिकल्पना करती है जो उसके दिन-प्रतिदिन के अनुभव से निकलती हैं। जिस तरीके से धारा 24 [2] और उसके साथ संलग्न परंतुक का मसौदा तैयार किया गया है, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संसद ने कुछ अपरिहार्य आकस्मिकताओं का इरादा किया था जो

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में अक्सर उत्पन्न हुआ। यह स्पष्ट रूप से आग्रह किया गया था कि अक्सर अधिग्रहित भूमि बेनामी मालिकों की होती है, जो स्वामित्व नहीं रख सकते हैं, या मुआवजे का दावा नहीं कर सकते हैं या अपनी पहचान नहीं बता सकते हैं।

इस तरह के इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

ऐसी स्थितियों में, अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी के लिए "सभी" भूमि धारकों को "भुगतान" करना संभव नहीं हो सकता है [जिसका, जैसा कि साधारण भाषा से पता चलता है, इसका मतलब होगा कि हकदार व्यक्तियों द्वारा लिए जाने के लिए अलग करना जैसा कि आगे समझाया गया है]

हकदार व्यक्ति। हालाँकि, जैसा कि धारा 24 [2] के परंतुक से स्पष्ट है, यदि यह दिखाया जा सकता है कि राशि अधिकांश शेयर के लिए जमा की गई है। धारण, अधिग्रहण को बचाया जाएगा और समाप्त नहीं हो सकता है; एकमात्र परिणाम अधिनियम के तहत लाभों का निर्धारण होगा

2013. परंतुक में संसदीय इरादा स्पष्ट रूप से यह पता लगाने के लिए प्रतीत होता है कि एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किस स्तर तक पहुंच गई है। यदि किसी को मुआवजा या मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है यद्यपि निविदा और/या तैयार रखे जाने के बावजूद सभी द्वारा नहीं लिया गया है, विधायिका ऐसी स्थिति को प्रतिवर्ती मानती है और इसलिए, "भुगतान न करने" से पहले सभी पिछले चरणों को समाप्त करने का प्रावधान करती है। तथापि, यदि यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि यद्यपि-(1) क्षतिपूर्ति थी

(2) उनमें से कुछ ने (किसी भी कारण से) क्षतिपूर्ति नहीं ली; और (3) अधिकांश भूमि जोतों के मामले में क्षतिपूर्ति जमा की जाती है। ऐसे व्यक्तियों के हिस्से को अलग करना और उन्हें इसे लेने के लिए उपलब्ध कराना], तब, न तो कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और न ही मुआवजे को अधिनियम के तहत निर्धारित करने की आवश्यकता होगी2013. वस्तुतः, इसलिए, कानूनी स्थिति सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए धारा 24 [1] [बी] के तहत विचार की गई स्थिति के समान होगी।

17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधेयक के मसौदे के दौरान, अधिग्रहण प्रक्रिया में कानूनी इरादे और हितधारकों की आशंकाएं

'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक, 2011' पर चर्चा करते हुए 'ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति' की 31 वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जो 2013 के अधिनियम का अग्रदूत था।

विद्वान एस. जी. ने स्थायी समिति की रिपोर्ट, मसौदा विधेयक, सरकारी और सार्वजनिक एजेंसियों की विभिन्न टिप्पणियों के उद्धरणों पर भरोसा किया।

और विभाग और अन्य हितधारक, वह चरण (चरण) जिसके दौरान मसौदा प्रावधानों (धारा 24 के) में संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और वर्तमान रूप और संरचना में इसकी परिणति। 18. विद्वान एस. जी. ने तर्क दिया कि मंत्री द्वारा विधेयक पेश करते समय प्रस्तावित संशोधन-एक स्पष्टीकरण को शामिल करने के लिए,

जो "जमा" का गठन करता है उसे लोकसभा के विधायी ज्ञान में स्वीकार नहीं किया गया था और इस तरह से पारित विधेयक में सचेत रूप से शामिल नहीं किया गया था -

स्पष्टीकरण (धारा 24 (2) के प्रावधान के रूप में) भुगतान शब्द के व्यापक और कृत्रिम अर्थ का प्रावधान करता है। इसके अलावा, "बैंक" खाते के संदर्भ को भी जानबूझकर शामिल नहीं किया गया था जिससे [2020] 3 एस. सी. आर. रह गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"भुगतान करना" और "जमा करना" अभिव्यक्ति अपने स्वाभाविक अर्थ के साथ और मुआवजे की राशि को खजाने में भी जमा करने के लिए अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों के विवेक पर छोड़ देती है। यह संभव है कि विधायिका ने 2012-13 की वास्तविकता पर विचार किया होगा जहां करोड़ों लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। यह भी आग्रह किया गया कि संशोधन की अस्वीकृति व्यक्त की गई आशंकाओं के अनुरूप है

उक्त समय में अन्य हितधारकों और मंत्रालयों द्वारा। उक्त विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद, संशोधनों को प्रस्तावित किया गया और राज्यसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिससे प्रावधान को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि उस समय प्रयास संतुलन बनाने की दिशा में था।

प्रावधान जो अधिग्रहण को समाप्त होने से बचाता है और साथ ही नए अधिनियम के तहत उस चरण के आधार पर बढ़े हुए मुआवजे का प्रावधान करता है जिस स्तर तक अधिग्रहण आगे बढ़ा है। यह धारा 24 (1) (ए) और धारा 24 (2) के प्रावधान के पीछे की उत्पत्ति थी जो अधिग्रहण को समाप्त होने से बचाती है जबकि इसके तहत उच्च मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

सीमित परिभाषित परिस्थितियों में भूमि मालिकों के लिए 2013 का अधिनियम। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 24 (2) के परंतुक को उसी प्रावधान के साथ पढ़ना आवश्यक है न कि धारा 24 (1) (बी) के रूप में जो पूर्ववर्ती संसदीय इरादे के अनुरूप होगा।

19. यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 24 (2) का उद्देश्य एक सीमित पूर्वव्यापी संचालन था: फिर भी इस तरह की पूर्वव्यापीता संचालित होती है और धारा 24 (2) की प्रकृति और चौड़ाई और इससे होने वाले गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसका संकीर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

2013 के अधिनियम की धारा 114 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 से प्रकट विधायी इरादे के संदर्भ में धारा 24 के तहत दिए जाने वाले पूर्वव्यापीता के क्षेत्र पर विचार करने की आवश्यकता है। दोनों धारा 114 (2013 के अधिनियम की) और 1897 के अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट रूप से धारा 24 की एक संकीर्ण व्याख्या की ओर इशारा करती हैं, जिसका उद्देश्य अधिग्रहण की कार्यवाही को यथासंभव बचाना है। विद्वान एस. जी. को संदर्भित किया गया यूके के व्याख्या अधिनियम, 1978 के प्रावधान; उन्होंने बेनिओन के सांविधिक व्याख्या बेनिओन के पांचवें संस्करण, (2012) भारतीय पुनर्मुद्रण पर भी भरोसा किया, जो नीचे दिया गया है:

" जहां, कारकों के वजन पर, ऐसा लगता है कि कुछ पूर्वव्यापी प्रभाव का इरादा था, पूर्वव्यापी के खिलाफ सामान्य धारणा इंगित करती है कि इसे एक दिशा के रूप में संकीर्ण रखा जाना चाहिए जैसा कि विधायी के अनुसार होगा।

इरादा "इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

20. रिलायंस को सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सचिव के पद पर रखा गया था

v टुनिक्लिफ ', इस प्रभाव के लिए:

" यह माना जाता है कि संसद का इरादा कानून में बदलाव करने का नहीं था

पिछली घटनाओं और लेन-देनों पर इस तरह से लागू होता है कि

उनमें शामिल लोगों के लिए अनुचित है, जब तक कि इसके विपरीत न हो

इरादा प्रकट होता है "।

विद्वान एस. जी. ने सदन के बाद के फैसले का भी उल्लेख किया

जो उक्त प्रश्न से संबंधित था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यामाशिता-शिनिहोन स्टीमशिप कंपनी में आठ न्यायाधीशों के संयोजन में बैठना, जहां यह माना गया था कि एक क़ानून का पूर्वव्यापी आवेदन केवल तभी किया जा सकता है जब यह किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करता है। विद्वान एस. जी. ने ज़िले सिंह बनाम का उल्लेख किया। हरियाणा राज्य 'जहाँ तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि किसी प्रावधान को पूर्वव्यापीता दी गई मानी नहीं जानी चाहिए, जब तक कि वह इतना स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ के माध्यम से न कहे। किसी दिए गए मामले में यह निर्धारित करने के लिए प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया था कि क्या ऐसा इरादा व्यक्त किया गया है।

21. यह आग्रह किया गया था कि इस न्यायालय ने अनपेक्षित मूल्यांकन के बाद

और बेतुके परिणाम जो एक संशोधन के परिणामस्वरूप, उद्देश्यपूर्ण रूप से हो सकते हैं

प्रचालन में संभावित होने के लिए प्रावधानों की व्याख्या की। यह भी थाइस बात पर जोर दिया कि धारा 24 (2) प्रकृति में पूर्वव्यापी है और नहीं किया जा सकता है

5 [1991] 2 सभी ईआर 712 6 [1994] 1 ए. सी. 486, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

" नियम जिसके लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी या दंडित नहीं किया जाना चाहिए

अपराध नहीं होने पर किया गया आचरण मौलिक और दीर्घकालिक है।

खड़े हैं। यह मैक्सिम नलम क्रिमेन नुल्ला पोएना साइन में परिलक्षित होता है।

आगे बढ़ें। यह यूरोपीय समझौते के अनुच्छेद 7 द्वारा संरक्षित है

मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण (1953)।

8969) . नियम भी लागू होता है, लेकिन कम बल के साथ, अपराधी के बाहर

गोल। यह फिर से मैक्सिम, लेक्स प्रॉस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट में व्यक्त किया जाता है और

सर्वव्यापी नया संविधान भविष्य के लिए अस्थायी रूप है।

प्रेटेराइटिस। फ्रांसीसी नागरिक संहिता में कहा गया है कि "ला लोई ने क्यू का निपटान नहीं किया है। पूर्वव्यापी प्रभाव डालने के लिए कहें:

लेकिन ये दोनों परिच्छेद एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कि

यह केवल वहाँ लागू होता है जहाँ इसके उपयोग से अन्याय या अन्याय नहीं होगा।

यह सामान्य नियम या धारणा के अनुरूप है जो स्वयं आधारित है।

निष्पक्षता और न्याय के विचारों पर, जैसा कि मैक्सवेल में परिच्छेद द्वारा दिखाया गया है

उद्धृत, पूर्व, पी। 494 सी-ई, और हाल ही में सचिव में स्टॉटन एल. जे. द्वारा जोर दिया गया

सामाजिक सुरक्षा राज्य बनाम। टुनिक्लिफ [1991] 2 ऑल ई. आर. 712,724।

" }

7 (2004) 8 एस. सी. सी. 1 [2020] 3 एस. सी. आर.

संभावित माना जाता है; फिर भी, कठोर परिणामों को देखते हुए, व्याख्या करते समय पूर्वव्यापीता की सीमा को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए

कि यह विशेष रूप से जनहित की परियोजनाओं के खिलाफ परिणाम देता है। रिलायंस को सी. आई. टी. वी. पर रखा गया था। सरकार बिल्डर्स।

22. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के अलावा, इस न्यायालय ने लगातार पूर्वव्यापी संचालन का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों पर फैसला सुनाया है

क़ानून। हालांकि पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ कोई रोक नहीं है, फिर भी इस न्यायालय ने कानूनों के पूर्वव्यापी संचालन की सीमा का विश्लेषण करने से पहले व्यावहारिक वास्तविकताओं पर विचार किया। इस संबंध में भरोसा जवाहरमल बनाम पर रखा गया है। राजस्थान राज्य 'और राय रामकृष्ण बनाम। बिहार राज्य 1 0. 23. इसके बाद विद्वान एस. जी. ने कहा कि इस न्यायालय के कई फैसलों ने पुणे नगर निगम के अनुपात का पालन किया है।

(ऊपर)। इस बात पर जोर देते हुए कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 की समग्र व्याख्या को इसकी योजना के अनुरूप होना चाहिए, यह कहा गया कि उस प्रावधान का उद्देश्य केवल यह घोषित करना नहीं था कि कुछ अधिग्रहण समाप्त हो गए हैं। विद्वान वकील ने इस संदर्भ में इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 24 (1) (ए) वास्तव में अधिग्रहण कार्यवाही को बचाती है, जहां 2013 के अधिनियम के आने से पहले पुरस्कार नहीं दिए गए थे, यह घोषणा करते हुए कि पुरस्कार उस अधिनियम के तहत दिया जाएगा और इसके प्रावधानों के अनुसार देय मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी ओर धारा 24 (1) (बी) में पुराने (एल. ए.) अधिनियम के तहत पुरस्कार देने पर विचार किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है कि पुरस्कार के बाद आगे की सभी "कार्यवाही" नए अधिनियम के तहत की जाएगी। यहाँ इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संसद का स्पष्ट रूप से इरादा था कि पुराने अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे का भुगतान नए अधिनियम के संदर्भ में किया जाना था, जो धारा 77 के तहत है। विद्वान एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि इन पहलुओं को देखते हुए, जो धारा 24 (1) में व्यक्त किए गए हैं, गैर-अवरोधक खंड और धारा 24 (2) के निम्नलिखित प्रावधानों की व्याख्या प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जानी

चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि संसद का इरादा यह नहीं था कि सुलझे हुए मामलों को पूर्ववत किया जाना चाहिए, और अधिग्रहण मामलों में जो भी अंतिमता प्राप्त कर चुका था, उसे फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया जो उड़ीसा लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी के रूप में रिपोर्ट किए गए थे। श्री सीताराम राइस मिल "; तिनसुकिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य और अन्य 1 2;

8 2015 (7) एस. सी. सी. 579

9 9 1966 (1) एससीआर 890

11 (2012) 2 एससीसी 108 12 (1989) 3 एस. सी. सी. 709 @para 118-121 इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

आय कर आयुक्त v. हिन्दुस्तान बल्क कैरियर्स 1 3; डी. साईबाबा बनाम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य 1 4; बलराम कामत बनाम। भारत संघ 1 5; न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. v. नुली निवेल्ले 1 6; आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम। श्रीमती. पी. लक्ष्मी देवी 1 7; एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड बनाम। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 18 1 8; एन. कन्नदासन बनाम। अजय खोसे और अन्य "; एच. एस. वंकानी बनाम। गुजरात राज्य, 20; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्य। 21

24. यह प्रस्तुत किया गया था कि अब तक, पुणे नगर निगम (उपरोक्त) और बालाजी नगर आवासीय संघ के अनुसार। वी. की स्थिति

तमिलनाडु 22 अधिकांश निर्णयों ने स्वीकार किया था कि अभिव्यक्ति "या"

(धारा 24 (2) में होने वाली, जहां 2013 के अधिनियम के प्रारंभ से 5 साल पहले पुराने अधिनियम के तहत एक पुरस्कार दिया गया है, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या

क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है "-इसे अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात, यदि दोनों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाती है, तो अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा। हालांकि,

विद्वान एस. जी. को प्रस्तुत करते हुए, "या" शब्द की सही और सही व्याख्या यह होगी कि इसे एक संयोजी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए।

25. विद्वान वकील ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति "भुगतान"

इसका अर्थ उचित रूप से लगाया जाना चाहिए न कि शाब्दिक तरीके से, जैसा कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) में किया गया था। 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त भुगतान के तरीके थेः भुगतान के लिए निविदा, उस स्थिति में अदालत में भुगतान जो संपत्ति को अलग करने का हकदार नहीं है, उसे प्राप्त किया और भुगतान प्राप्त करने की पात्रता के बारे में विवादों पर अदालत में भुगतान किया। इन तीन स्थितियों की कल्पना पुराने अधिनियम की धारा 31 (2) में की गई थी। इस बात पर जोर दिया गया कि भुगतान स्वीकार करने से इनकार करने, या इसे प्राप्त करने के हकदार किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति, या राशि प्राप्त करने की पात्रता के संबंध में विवाद की आकस्मिकता की स्थिति में अधिग्रहण की समाप्ति के परिणाम पर कभी विचार नहीं किया गया था। इसका स्पष्ट अर्थ था कि जबकि मुआवजे का भुगतान किया गया था

13 (2003) 3 एससीसी 57 @पैरा 14-21 14 (2003) 6 एससीसी 186 पैरा 16-18 15 (2003) 7 एससीसी 628 पैरा 24

16 (2008) 3 एस. सी. सी. 279 @पैरा 51-54 17 (2008) 4 एस. सी. सी. 720 पैरा 41 और 42 18 (2008) 13 एस. सी. सी. 30 पैरा 132-137 19 (2009) 7 एस. सी. सी. 1 पैरा 54-67 20 (2010) 4 एस. सी. सी. 301 पैरा 43-48 21 (2011) 7 एस. सी. सी. 239 पैरा 78-85 22 2015 (3) एस. सी. सी. 353 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवश्यक और अनिवार्य, भुगतान का तरीका अनिवार्य नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि राशि की निविदा दी गई थी और उसे प्राप्त नहीं किया गया था, लेकिन इसके बजाय, भूमि मालिक ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो उपयुक्त सरकार इसे मौजूदा वित्तीय नियमों के अनुसार खजाने में जमा कर सकती है, ताकि जब भी भूमि मालिक या इसे प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति आगे आए और अधिकार स्थापित कर सके। ऐसी स्थिति में, जमा न करने (अदालत में, धारा 31 के तहत) का एकमात्र परिणाम यह था कि

धारा 34 द्वारा अनिवार्य ब्याज का भुगतान किया जाना था।26. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 24 का संदर्भ एक अस्थायी प्रावधान प्रदान करना है। लंबित भूमि अधिग्रहण का ध्यान रखना

2013 के अधिनियम के दौरान एल. ए. अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही डब्ल्यू. ई. एफ. 1.1.2014 को लागू किया गया है। इस प्रावधान को बनाने का उद्देश्य और उद्देश्य भूमि के धारकों के साथ सार्वजनिक परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी अधिकारों को संतुलित करना है। इसका उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जहां एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही एक उन्नत चरण तक पहुंच गई है

और सार्वजनिक धन का निवेश पहले ही किया जा चुका था, पहला, इस तरह की चल रही परियोजनाओं के समाप्त होने से बचा जाना चाहिए और दूसरा जहां तक

संभव है कि भूमि मालिकों को भी अधिग्रहण की प्रक्रिया में बाधा डाले बिना 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजा दिया जा सकता है।

टेंडर किया गया। 28. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संसद को यह उम्मीद नहीं थी कि अधिग्रहण करने वाला प्राधिकारी किसी भी कारण से इसे स्वीकार करने के लिए भूमि मालिकों को भुगतान करने के लिए मजबूर करने का एक असंभव कार्य करेगा। इसलिए विधायिका भूमि मालिकों की अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है

" भुगतान स्वीकार कर लिया। यह केवल "भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

विधायिका स्पष्ट रूप से केवल एक आकस्मिकता में भूमि मालिकों के अधिकारों को संतुलित करने का प्रयास करती है। पुरस्कार के बाद के परिदृश्य में और पुरस्कार 1.1.2014 से पाँच साल पहले किया गया है, जब राशि अधिकांश लाभार्थियों के खातों में "जमा" नहीं की जाती है।

29. यह आग्रह किया गया कि एक सच्चे निर्माण पर और संदर्भित संदर्भ में प्रावधानों के शाब्दिक, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ को लेते हुए उपरोक्त और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि "भुगतान" और "जमा" शब्द एक ही अधिनियम की अभिव्यक्तियाँ हैं, अर्थात् इसके हकदार लोगों द्वारा ली जाने वाली राशि (यानी निविदा) उपलब्ध कराना। यह आग्रह किया गया कि यदि यह व्याख्या नहीं दी जाती है तो कुछ व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों द्वारा भूमि के एक विशाल क्षेत्र के अधिग्रहण में अप्राप्य होने से इनकार करने के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

30. विद्वान ए. एस. जी. और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुथुराज द्वारा यह आग्रह किया गया था कि विधायिका को इस तरह की विसंगत स्थिति का इरादा रखने के लिए नहीं माना जा सकता है। धारा 24 के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों को स्वाभाविक अर्थ दिया जाए और "भुगतान" और "जमा" शब्दों को प्रत्येक मामले में तथ्य की स्थिति के आधार पर एक ही अधिनियम की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाए। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि "भुगतान" और "जमा" शब्दों का उपयोग करके, संसद ने जानबूझकर एक विशेष मामले से निपटने के लिए चूक के गंभीर परिणाम को बचाने के लिए एक रास्ता छोड़ दिया।

प्रत्येक मामले में उभरने वाली तथ्य स्थिति के आलोक में स्थिति। "भुगतान" और "जमा" को पर्यायवाची या "जमा" के रूप में नहीं मानना ताकि इसे "भुगतान" के बाद अगले कदम के रूप में उपलब्ध रखा जा

सके, विनाशकारी स्थितियों का कारण बन सकता है क्योंकि अधिग्रहण करने वाले प्राधिकरण ने भूमि के विशाल हिस्से का अधिग्रहण किया होगा और हो सकता है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करके सार्वजनिक उपयोग के लिए इसका पर्याप्त हिस्सा रखा हो। इस तरह की विनाशकारी स्थिति/परिणाम का विधायिका द्वारा कभी अनुमान या परिकल्पना नहीं की गई होगी। विद्वान वकील ने कई राज्यों की वित्तीय संहिता के हिस्से के रूप में बनाए गए विभिन्न स्थायी आदेशों का भी उल्लेख किया, जो जमा करने की प्रक्रिया के लिए प्रदान किए गए थे कोषागार में धन, जब भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या अनुपलब्ध थे, उस समय राशि की निविदा दी जानी थी।

31. विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय को किसी भी चूक को स्वीकार नहीं करना चाहिए या क़ानून में शब्दों को जोड़ना या संशोधित नहीं करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शब्दों के जोड़ और प्रतिस्थापन के बिना सादा और असंदिग्ध निर्माण दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब एक शाब्दिक पठन एक बोधगम्य परिणाम उत्पन्न करता है तो यह शब्दों को पढ़ने या शब्दों को जोड़ने के लिए खुला नहीं है [2020] 3 एस. सी. आर.

कानून के लिए। इस प्रस्ताव के समर्थन में, कुछ निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थी। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि "भुगतान" शब्द का अर्थ वास्तविक वास्तविक भुगतान नहीं है और न ही हो सकता है क्योंकि यह उन शब्दों को जोड़ने के बराबर होगा जो प्रावधान में मौजूद नहीं हैं। इसी तरह, "जमा" शब्द का अर्थ "न्यायालय में जमा" नहीं हो सकता है क्योंकि यह कभी भी विधायी इरादा नहीं था और न ही इसे किसी भी स्वीकृत व्याख्यात्मक प्रक्रिया से निकाला जा सकता है।

32. यह प्रस्तुत किया गया था कि यह न्यायालय, धारा 24 की व्याख्या करते हुए

2013 के अधिनियम के अनुसार, पुणे नगर निगम में पहली बार

[ऊपर] और बाद के निर्णयों में यह माना गया कि "भुगतान" शब्द

2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में होने वाली घटना की व्याख्या एल. ए. ए. अधिनियम की धारा 31 के अनुसार की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अनुमान का न तो कोई औचित्य है और न ही उक्त निर्णयों में इस तरह के किसी औचित्य की जांच की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त धारणा के परिणामस्वरूप सचेत चूक का पता लगाए बिना गंभीर परिणाम हुए हैं।

विधानमंडल का हिस्सा। विद्वान एस. जी. ने स्पष्ट किया कि एल. ए. अधिनियम और 2013 के अधिनियम के तहत विभिन्न अर्थों में "भुगतान" और "जमा" शब्दों का उपयोग कैसे किया गया है।

33. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि सबसे पहले, एल. ए. ए. एक्ट की धारा 31

यह 2013 के अधिनियम की धारा 77 के समान है। अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या करने का न तो कोई औचित्य है और न ही कोई आवश्यकता है।

2013 एल. ए. अधिनियम की धारा 31 की छाया में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि एक वैकल्पिक तर्क के रूप में यह माना जाता है कि धारा 31 में "भुगतान"/"निविदा" और "जमा" दोनों अभिव्यक्तियों का जानबूझकर उपयोग किया गया है, जैसा कि धारा 24 (2) का मसौदा तैयार करने का कारण है, तो एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान में, उपयोग की गई अभिव्यक्ति मुआवजे को "लाभार्थियों के खाते में" जमा नहीं किया गया है, जो एल. ए. अधिनियम की धारा 31 (2) के तहत परिकल्पित "अदालत में जमा" से अलग है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 31 में "बैंक खाता" शब्द का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है और 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में "न्यायालय में" शब्द का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। उक्त चूक भारी होती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

34. यह आग्रह किया जाता है कि यदि 2013 के अधिनियम की धारा 24 का उद्देश्य

एल. ए. अधिनियम की धारा 31 की कठोरता और तकनीकीताओं को आकर्षित करते हुए, इसने अपेक्षित वाक्यांश का उपयोग किया होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 31 शब्द अधिनियम की धारा 24 में इसकी अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट है।

23 बाल्को बनाम। कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2012) 9 एस. सी. सी. 552; हावर्ड डी वाल्डन (लॉर्ड) बनाम। आई. आर. सी. (1948) 2 सभी ई. आर. 825 (एच. एल.); वी. एल. एस. फाइनेंस लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2013) 6 एस. सी. सी. 278; और राम नारायण बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 18.

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 31 के तहत उनके अर्थों के संदर्भ में नहीं, ताकि उक्त प्रावधान की कठोरता से बचा जा सके और भूमि अधिग्रहण की व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके, विशेष रूप से जब 2013 के अधिनियम की धारा 24 केवल एक अस्थायी प्रावधान है। यह तर्क दिया गया था कि यह व्याख्या का एक निश्चित सिद्धांत है कि जब विधानमंडल दो अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग करता है, तो उनका अर्थ अलग होगा। हर्भजन सिंह बनाम। भारतीय प्रेस परिषद, 24 पर भरोसा किया जाता है। 35. यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 24 (1) एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है, जिसके मामले में एल. ए. अधिनियम के सीमित अधिरोही प्रभाव का प्रावधान है -

धारा 24 (क) और (ख) में उल्लिखित आकस्मिकताएँ। धारा 24 (1) (ए) में विचार किया गया है कि जहां भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थीएल. ए. अधिनियम लेकिन नया अधिनियम लागू होने की

तारीख तक कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया था। 1.1.2014 , अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रह सकती है, हालांकि 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करना होगा। अनुभाग

24 (1) (ख) यह प्रावधान करता है कि जहां एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया गया है, पूरी कार्यवाही 1894 के अधिनियम के तहत जारी रहेगी, जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया था। धारा 24 (2) में एक बहिष्करण खंड का प्रावधान है जो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश देता है।

और नए सिरे से शुरू किया।

36. यह प्रस्तुत किया गया था कि समाप्त होने की आवश्यकताएँ (की

एक व्यक्ति ने राशि की निविदा दी है और इसे बिना शर्त उपलब्ध कराया है और भूमि मालिक ने इसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया है, जिस व्यक्ति ने राशि की निविदा दी है, उस पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, जिसे राशि का भुगतान न करने के लिए देखा जाना है। रिलायंस को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में शब्द के अर्थ पर रखा गया है।38. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि "निविदा" निविदा देने वाले पक्ष को भुगतान न करने या प्रदर्शन न करने के लिए दंड से बचा सकती है।

24 (2002) 3 एससीसी 722 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि कोई अन्य पक्ष अनुचित रूप से निविदा को अस्वीकार कर रहा है। "भुगतान" पद का अर्थ एल. ए. अधिनियम की धारा 31 (1) और 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में होगा, जैसे ही इसे पेश किया जाता है और बिना शर्त उपलब्ध कराया जाता है।

केवल, यदि कोई भूमि मालिक इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका भुगतान नहीं किया गया है। एक बार बोली लगाने के बाद यह राशि भुगतान के बराबर होगी। इस प्रकार, "भुगतान" शब्द का अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक भुगतान किया जाना है, लेकिन किसी पदधारी के लिए भुगतान करने के लिए जो कुछ भी संभव है, केवल उस पर विचार किया जाता है। भुगतान का मतलब रसीद या अदालत में जमा करना नहीं है। निविदा के बावजूद राशि प्राप्त करने से इनकार किया जा सकता है। इस प्रकार,

25

बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों का दृष्टिकोण। सी. आई. टी., केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम. एल्फिंस्टन एसपीजी। & Wvg.Mills Co.Ltd.26 और J.Dalmia v आयकर आयुक्त 27, धारा 24 (2) के प्रावधानों को राशि के निविदा के रूप में माना जाना चाहिए।

39. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुणे में फैसले में तीन न्यायाधीशों की पीठ

नगर निगम (उपरोक्त) ने "मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति का निर्णय लेते हुए कहा कि धारा 24 (2) के प्रयोजनों के लिए मुआवजे को "भुगतान" माना जाएगाः

" यदि मुआवजे की पेशकश इच्छुक व्यक्ति को की गई है

और ऐसा मुआवजा अदालत में जमा किया गया है जहाँ

धारा 18 के तहत घटना पर संदर्भ दिया जा सकता है

धारा 31 (2) के तहत विचार की गई कोई भी आकस्मिकताभूमि अधिग्रहण अधिनियम। दूसरे शब्दों में, क्षतिपूर्ति

कहा जा सकता है कि धारा के अर्थ के भीतर "भुगतान" किया गया था 24 (2) जब कलेक्टर (या उस मामले के लिए भूमि अधिग्रहण)

अधिकारी) ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और

इच्छुक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसे प्रदान किए गए अनुसार निपटाया जाना है धारा 32 और 33 में "।

40. यह तर्क दिया गया था कि पुणे नगर निगम में निष्कर्ष

26 (1971) 1 एस. सी. सी. 337 27 (1964) 53 आई. टी. आर. 83 [एयर 1964 एस. सी. 1866] इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

मामला। हालाँकि एल. ए. अधिनियम की धारा 34 का उल्लेख पैरा 16 पारित करने में किया गया था, हालाँकि इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है,

जो क्षतिपूर्ति जमा नहीं किए जाने के परिणामों से संबंधित है। इसके अलावा, वकील प्रस्तुत करें, मामला सरकारी धन से मुआवजे के भुगतान से संबंधित है। सरकारी निधियों का संचालन राज्यों द्वारा जारी स्थायी आदेशों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। उन स्थायी आदेशों के प्रभाव पर भी पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के फैसले में विचार नहीं किया गया है।

इसलिए, उक्त निर्णय, एल. ए. अधिनियम की धारा 34 और स्थायी आदेशों को ध्यान में रखे बिना दिया गया है, जो वकील के प्रस्तुत करने में है।

41. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक अन्य पहलू जो उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अदालत में राशि जमा नहीं होने और खजाने में जमा होने की स्थिति में पूर्वाग्रह या अन्याय होगा, विशेष रूप से जबएल. ए. ए. टी. की धारा 31 में निहित प्रावधान को धारा 34 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 34, (एल. ए. अधिनियम की) के कारण कोई भी ब्याज का दावा कर सकता है-धारा 31 (2) के तहत राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में उच्च दर पर यदि अधिकारियों की गलती थी।

42. इस बारे में तर्क देते हुए कि क्या अभिव्यक्ति "या" को संयुग्म या विभेदक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यह तर्क दिया गया कि खंड के चरण के बाद

11 एल. ए. अधिनियम के तहत दो संभावनाएँ हैं। अपेक्षित प्राधिकारी एल. ए. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भूमि का कब्जा ले सकता है या उक्त प्राधिकारी एल. ए. अधिनियम की धारा 31 के तहत निविदा भुगतान के लिए आगे बढ़ सकता है। उक्त दो संभावनाओं को एक साथ या एक के बाद एक संचालित किया जा सकता है, इस संबंध में एल. ए. अधिनियम में कोई प्रतिबंध नहीं है

एक ही।

43. यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 24 (2), व्यपगत होने का प्रावधान करते हुए,

भूमि के कब्जे से संबंधित दो वाक्यांशों का उपयोग करता है और असंगत शब्द "या" के साथ भुगतान की निविदा देता है जिससे अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी के लिए दोनों आकस्मिकताओं को पूरा करना अनिवार्य हो जाता है ताकि चूक से बचा जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सीमित चूक के विधायी इरादे के खिलाफ होगा। इसके अलावा, उक्त व्याख्या कब्जे के उद्देश्य और एल. ए. में धारा 16 की व्याख्या के आधार पर अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी में "निहित" होने के शीर्षक के खिलाफ होगी।

अधिनियम [जैसा कि प्रस्तुतियों के बाद के भाग से संबंधित है]। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधानमंडल का इरादा भूमि के अधिग्रहण अधिकार को वापस लेने का नहीं हो सकता था क्योंकि उक्त को "सभी बाधाओं से मुक्त" निहित किया गया है। उसी के अनुरूप, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शब्द [2020] 3 एस. सी. आर.

" या "के रूप में पढ़ा जा सकता है" और "केवल उन मामलों में लैपिंग को सीमित करने के लिए जहां दोनों, भुगतान नहीं किया गया है (परंतुक के अधीन) और कब्जा नहीं लिया गया है।

44. ईश्वर सिंह के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसलों पर भरोसा रखा गया है।

बिंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 28, जहां इस न्यायालय ने मैक्सवेल से व्याख्या और स्ट्राउड के न्यायिक पर अंशों को मंजूरी दी और निकाला इस प्रभाव के लिए शब्दकोश कि आम तौर पर, संयुग्म

"और" का उपयोग एक संचयी अर्थ में किया जाता है, जिसमें उन सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है जिन्हें यह एक साथ जोड़ता है, और यहाँ यह "या" का विरोधाभास है और हालाँकि, कभी-कभी, ऐसे संबंध में भी, यह अपनी सामग्री के बल पर, "या" के रूप में पढ़ा जाता है। इसी तरह, मैक्सवेल ने स्वीकार किया कि "विधायिका के इरादे को पूरा करने के लिए कभी-कभी इसे पढ़ना आवश्यक पाया जाता है।

संयोजन या 'और' और 'एक दूसरे के लिए'। सीखा हुआ परामर्श भी

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड बनाम किरासा सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड 2 9 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि:

" 38 ..... अन्यथा भी, खंड में आने वाला शब्द "और"

8 (2) (क) विधायी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए "या" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

इरादा और तथ्य यह है कि एक विसंगत स्थिति उत्पन्न होगी यदि

इसे "या" यदि पढ़ा जाए "और" के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, तो विवाद केवलदिवालियापन प्रक्रिया को रोकें यदि वे पहले से ही लंबित हैं

किसी वाद या मध्यस्थता कार्यवाही में और अन्यथा नहीं। यह इससे बड़ी कठिनाई होगी; जिसमें कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है

दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से कुछ दिन पहले, जिसमें

या तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अदालत। विद्वान वकील ने कई अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया

समर्थन

उसी प्रस्ताव का (अर्थात, विभेदक "या" को प्रासंगिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और यदि आवश्यकता हो तो "और" के रूप में, अर्थात, एक संयोजन के रूप में)। 30

28 1969 (1) एससीआर 219

29 (2018) 1 एससीसी 353 30 ब्राउन बनाम हैरिसन 1927 ऑल ईआर 195 @pp। 203 , 204 (सीए); रणछोड़दास आत्माराम और अन्र बनाम भारत संघ 1961 (3) एससीआर 718; बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमरबागवाला 1957 (1) एस. सी. आर. 874 (इसके बाद "आर. एम. डी. सी".); पटेल चुनीभाई दाजीभा बनाम नारायणराव, 1965 (2) एस. सी. आर. 328; पंजाब प्रोडक्यूस एंड ट्रेडिंग कं. आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, 1971 एस. सी. आर. 977; ईश्वर सिंह बिंद्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1969 (1) एस. सी. आर. 219; खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक बनाम तंदूर और नयनदगी स्टोन क्वारीज़ (पी. ओ. लिमिटेड 1987 (3) एस. सी. सी. 308; समी खान बनाम बिंदु खान 1998 (7) एस. सी. सी. 59। प्रो. यशपाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 2005 (5) एस. सी. सी. 420 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

45. इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि परंतुक का स्थान (धारा 24 (2) के बाद) महत्वपूर्ण है, और आकस्मिक नहीं है, यह तर्क दिया गया कि परंतुक के संचालन का क्षेत्र तुरंत पूर्ववर्ती प्रावधान है, अर्थात धारा24 (2) और धारा 24 (1) (बी) नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 24 (2) के परंतुक में ऐसी स्थिति पर विचार किया गया है जहां अधिकांश जोतों के संबंध में, भूमि मालिकों के खाते में मुआवजा जमा नहीं किया गया है (भले ही सभी भूमि मालिकों को भुगतान की निविदा दी जा रही हो और भौतिक कब्जा लिया जा रहा हो), 2013 के अधिनियम के लाभों के बाद मुआवजे का पालन किया जाएगा। यह तर्क दिया जाता है कि यदि उक्त परंतुक को धारा 24 (2) का परंतुक नहीं माना जाता है, तो संसद द्वारा दिया गया एक मूल्यवान लाभ समाप्त हो जाएगा। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि

उक्त परंतुक में बढ़े हुए लाभ का प्रावधान है, भले ही इसकी दोहरी शर्तें हों।

धारा 24 (2) को पूरा किया जाता है। इसलिए, उक्त परंतुक भूमि अधिग्रहण को बचाता है और सभी भूमिधारकों को मुआवजे की गणना का लाभ देने के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। अतः यह स्पष्ट है कि कि परंतुक को उचित रूप से धारा 24 (2) के परंतुक के रूप में माना जाता है और इसे 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के परंतुक के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि संसदीय इरादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, क्योंकि

धारा 24 (2) के अंत में होने वाला बृहदान्त्र (एक विराम चिह्न), जिसका अर्थ है कि परंतुक उस प्रावधान के लिए एक अपवाद है। अश्विनी कुमार घोष और अन्र बनाम अरबिंदा का संदर्भ दिया गया था।बोस और ए. एन. आर. 3 1 (जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ". किसी कानून के निर्माण में विराम चिह्न एक मामूली तत्व है और अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जब एक कानून है

ध्यान से विराम चिह्न और इसके अर्थ के बारे में संदेह है, निस्संदेह विराम चिह्न को एक वजन दिया जाना चाहिए।) . रिलायंस को जमशेद गुज़दार बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भी रखा गया था। 3 2

46. सुश्री पिंकी आनंद, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मुआवजे का भुगतान धारा 16 के संदर्भ में निहित करने के लिए अनिवार्य नहीं है।

पुराने एल. ए. अधिनियम। इस संदर्भ में यह आग्रह किया जाता है कि पुराने अधिनियम में क्षतिपूर्ति जमा करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई थी; न ही कब्जा लेने के लिए भी। आम तौर पर, 2013 के अधिनियम (धारा 114) के तहत निरसन प्रावधान प्रबल होगा; हालाँकि, धारा 24 निरसन खंड से एक महत्वपूर्ण, यद्यपि एक सीमित दायरे को स्पष्ट करती है। धारा 24 (2) अधिग्रहण के संबंध में लैप्सिंग की अवधारणा को नए सिरे से प्रस्तुत करती है।

जो पुराने अधिनियम के तहत शुरू किए गए थे। आवश्यक रूप से, लैप्सिंग को एक संकीर्ण अवधारणा माना जाना चाहिए। विद्वान एसजी के तर्क का समर्थन करना 31 1953 एससीआर 1

32 2005 (2) एससीसी 591 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुराने अधिनियम की धारा 16 के कारण, अधिकार लेने पर राज्य में निहित शीर्षक। पुराने अधिनियम के तहत विनिवेश की अनुमति नहीं थी। यह आग्रह किया गया

जो एक व्याख्या को स्वीकार करने वाली अदालत थी, कि धारा 24 (2) के तहत मुआवजे का भुगतान न करने या कब्जा लेने के परिणामस्वरूप अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा, जैसा कि पुणे नगर निगम में अभिनिर्धारित किया गया था (उपर्युक्त) और अन्य निर्णय, राज्य में निहित भूमि, और तीसरे पक्ष को (या तो आवास योजनाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवंटनकर्ताओं के रूप में, एक विकास परियोजना या किसी अन्य के लिए, या सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के निर्माण जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए) हस्तांतरित की जाएगी।

47. एल. ए. अधिनियम की धारा 16 के तहत एक बार पुरस्कार दिए जाने और भूमि का कब्जा ले लिए जाने के बाद, भूमि पूरी तरह से सरकार। इसलिए, धारा 24 (2) में व्यपगत माने जाने वाले शब्द की व्याख्या सरकार से भूमि के विनिवेश के रूप में नहीं की जानी चाहिए जो पहले से ही सरकार में निहित है और इसके अलावा 1894 के अधिनियम में विनिवेश के किसी भी प्रावधान के अभाव में। इस संदर्भ में, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम में टिप्पणियाँ। बिहार राज्य 3 3 कि विधायिका को उस निर्माण से परिचित माना जाता है जिसे अदालतों ने शब्दों पर रखा है, और जब विधायिका उन्हीं शब्दों को दोहराती है। इस न्यायालय ने उस निर्णय में श्री के. सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य 3 4 में पिछले निर्णय को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया था कि

" अधिनियम की धारा राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने का अधिकार देती है कि

अधिसूचना राज्य में सभी से मुक्त निहित है अड़चनें। ..... अधिसूचना जारी करके या समर्पण के परिणामस्वरूप ईथर को निहित करने के परिणामों का अधिनियम की धारा 5 में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह हमारे लिए पर्याप्त होगा

वर्तमान उद्देश्य यह बताना है कि प्राथमिक परिणाम यह है कि सांप्रदायिक भूमि, गैर-रैयती भूमि, अपशिष्ट और पेड़ों के बगीचों सहित संपत्ति में शामिल सभी भूमि चरागाह भूमि, वन, खान और खनिज, खदान, नदियाँ और नदियाँ, तालाब, जल चैनल, मत्स्य पालन, नौका, टोपी और बाजार, और

जिस भूमि पर वे खड़े हैं, उसके साथ भवन या संरचनाएं, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी बाधाओं से मुक्त राज्य सरकार में पूरी तरह से निहित होंगी और मध्यस्थ का उनमें कोई हित नहीं रहेगा।

33 (1955) 2 एससीआर 603

34 1954 एस. सी. आर. 11 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

विद्वान वकील ने भी इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति बनाम। सिद्ध मठ 3 5, पैरा 53 में कहा गया है कि "यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक बार जब कोई संपत्ति विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा निहित हो जाती है, तो प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसे बाद में किसी भी सामान्य कानून के अधिनियमन द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है और ऐसी संपत्ति को ऐसे कानून के तहत निहित नहीं किया जा सकता है।"

48. यह आग्रह किया गया था कि स्थिति होने पर गंभीर परिणाम उत्पन्न होते हैं

व्यपगत करना संसद का इरादा नहीं हो सकता है। इसी तरह, जिसने मुआवजा प्राप्त किया है, वह 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत होने की स्थिति में राज्य को धन वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए यह आग्रह किया गया कि सरकार को प्राप्त मुआवजे को वापस करने के प्रावधान का अभाव संसदीय इरादे की ओर इशारा करता है कि" या "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए" और "; इस प्रकार, केवल तभी जब न तो कब्जा (अधिग्रहित भूमि का) लिया जाता है और न ही मुआवजे का भुगतान किया जाता है, (यानी, पक्ष या पक्षों को दिया जाता है) तो एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा। विद्वान वकील ने भी इस संदर्भ में कई निर्णयों पर भरोसा किया। 36

49. मैसर्स भांगडे, श्री राजेश महाले और सुश्री शशि किरण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खंड की शाब्दिक व्याख्या का परिणाम 24 (2) इसका मतलब यह है कि स्थितियाँ असंगत हैं (या तो "या" को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए) बहुत कठोर और गंभीर हैं। सीखा हुआ परामर्श

35 (2015) 16 एससीसी 542 @पैरा 5336 उत्तरी भारतीय ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम। जसवंत सिंह और अन्य। , (2003) 1 एस. सी. सी. 335; गुलाम मुस्तफा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एस. सी. सी. 800; सीता राम भंडार सोसायटी, नई दिल्ली बनाम। उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली और अन्य। , (2009) 10 एस. सी. सी. 501 और चंद्रगौड़ा रामगोंडा पाटिल और अनर। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , (1996) 6 एससीसी 405 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. कब्जा लेने के तरीके से संबंधित प्रश्न पर, यह तर्क दिया गया कि जब राज्य कब्जा करने में शामिल है अर्जित संपत्ति, यह एक पंचनामा बनाकर कब्जा कर सकती है। कुछ व्यक्तियों के माध्यम से भूमि पर अधिकार रखने वाले राज्य का सामान्य शासन होगा

ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा। खुली भूमि पर कब्जा मालिक का माना जाता है। जिस तरह से राज्य अधिग्रहित संपत्ति के बड़े हिस्से पर कब्जा करता है, वह कब्जा करने का ज्ञापन निकालना है क्योंकि राज्य अन्य व्यक्तियों या अपने पुलिस बल को कब्जे में नहीं रखने जा रहा है या इसकी खेती करने जा रहा है या रहने या भौतिक रूप से कब्जा करने के बाद उस पर कब्जा करने जा रहा है, जो कुछ निजी व्यक्तियों के मामले में भौतिक रूप से कब्जे में थे, यदि वे खुली भूमि पर फिर से कब्जा करते हैं, खेती शुरू करते हैं या घर में रहते हैं। वैध अधिकार राज्य का माना जाता है। कई निर्णय जिन्होंने पंचनामा बनाने के तरीके को स्वीकार किया

राज्य के लगातार कब्जा करने का एक तरीका होने का उल्लेख किया गया था। बांदा विकास प्राधिकरण बनाम। मोती लाल अग्रवाल 37 यह न्यायालय यह देखा गया कि एक पंचनामा तैयार करना कब्जा करने के लिए पर्याप्त है। यदि अधिग्रहण भूमि के एक बड़े हिस्से का है, तो भूमि के प्रत्येक हिस्से पर भौतिक कब्जा करना संभव नहीं हो सकता है और यह पर्याप्त होगा कि तैयारी करके प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया जाए।

स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में एक उपयुक्त दस्तावेज और

उनके हस्ताक्षर प्राप्त करना। यहाँ तक कि बाद में अधिग्रहित भूमि के एक हिस्से का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग अभी भी कब्जा करने के लिए पर्याप्त था।

51. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब राज्य भूमि का अधिग्रहण करता है और कब्जा करने का ज्ञापन तैयार करता है तो राज्य ऐसा ही करता है।

अधिग्रहित भूमि के बड़े हिस्से का अधिकार, यह आवश्यक नहीं है कि

37 (2011) 5 एस. सी. सी. 394 (इसके बाद "बांदा विकास प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित)

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

भौतिक रूप से कब्जे में लोगों को जबरन विस्थापित करने के बाद ऐसी भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा कर लें। कानून में अधिकार को राज्य के लिए भौतिक अधिकार माना जाता है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में राज्य द्वारा पंचनामा खींचने के तरीके को लगातार कब्जा करने का एक तरीका स्वीकार किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय टी. एन. आवास बोर्ड बनाम. ए. विश्वम 3 3 ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा उनके द्वारा हस्ताक्षरित गवाहों की उपस्थिति में ज्ञापन/पंचनामा दर्ज करना भूमि पर कब्जा करना होगा।

इसके अलावा, अन्य निर्णयों पर भी निर्भरता रखी जाती है। 39

52. इसके बाद उस तरीके से निपटना जिसके द्वारा न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को इस उद्देश्य के लिए बाहर रखा जाना चाहिए:

2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) की प्रयोज्यता, यह तर्क दिया जाता है कि कानून का एक तय प्रस्ताव यह है कि किसी न्यायालय के कार्य को किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मैक्सिम एक्टस क्यूरे नेमेनेम ग्रेवबिट या इसकी अनुपस्थिति में भी, अदालत द्वारा दिया गया कोई भी अंतरिम आदेश पक्षों के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि न्याय वितरण प्रणाली के उचित कामकाज के लिए, एक बार जब अदालत रोक लगाने का आदेश पारित कर देती है

हालांकि असंभव है, यानी कानून किसी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। चूंकि, राज्य के लिए कब्जा करना असंभव हो जाता है, इसलिए जिस अवधि के लिए रोक या अंतरिम आदेश लागू है, अंतरिम आदेश के परिणाम का उपयोग राज्य के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। इस कानूनी स्थिति के लिए भरोसा ए. आर. अंतुले बनाम R.S.Nayak और ओर्सो, सारा मैथ्यू बनाम इंस्टीटचूट ऑफकार्डियो वैस्कुलर रोग और दौ दयाल बनाम U.P42 की स्थिति। A.R.Antulay (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई भी पक्ष अदालत की गलती से पूर्वाग्रहित नहीं है। इसलिए, वकील ने उन मामलों में आग्रह किया जहां अधिग्रहण का संचालन किया जाता है

38 (1996) 8 एससीसी 259

41 41 2014 (2) एस. सी. सी 6242 1959 पूरक (1) एस. सी. आर. 639 [2020] 3 एस. सी. आर.

किसी निर्णय के पारित होने के बाद, किसी भी अदालत के अंतरिम आदेश के कारण, उस प्रभाव के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, एक पक्ष जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता था, और लेकिन आदेश के लिए, निर्धारित समय के भीतर अपने निर्धारित कार्य का पालन कर सकता था, उसे

नुकसान में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी के गलत काम के लिए प्रीमियम देने या श्रेणी की अटकलों के बराबर होगा। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि यह अनिवार्य है कि जिस अवधि के दौरान राज्य या अधिग्रहण करने वाले प्राधिकरण को अदालत के अंतरिम आदेश द्वारा प्रतिबंधित/बाधित किया गया था। कब्जा लेने से बचना होगा। यह सिद्धांत, विद्वान वकील के समक्ष, तय किए गए सामान्य कानून के सिद्धांतों पर आधारित है। ये वास्तव में समानता, न्याय और ठोस तर्क के नियम हैं। कानून में उनके निषेध होने के अभाव में ये सिद्धांत आकर्षित होंगे। कानून में किसी भी स्पष्ट निषेध के अभाव में ऐसे सामान्य कानून सिद्धांतों की प्रभावकारिता और बाध्यकारी प्रकृति को कम या कम नहीं किया जा सकता है। जोड़ीदार।

उपरोक्त सिद्धांत के साथ पुनर्स्थापन का भी एक सिद्धांत है। न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश अंतिम निर्णय में विलय हो जाता है, जो अंतरिम स्तर पर सफल पक्ष के खिलाफ जाता है। जब तक अदालत द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक मुकदमे के अंत में सफल पक्ष को उसी स्थान पर रखा जाना उचित होगा जहां वह होता, अगर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया होता। प्रतिपूर्ति के सिद्धांत का सहारा लेकर अंतरिम आदेश के प्रभाव को पूर्ववत करना वास्तव में अदालत का दायित्व है। उपरोक्त सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एम. पी. और Ors.4[3] के फैसले में निकाला गया है और लागू किया गया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि समानता, न्याय और ठोस तर्क के सामान्य सामान्य कानून नियम निश्चित रूप से लागू होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह, गुजरात राज्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड सहित इस न्यायालय के कई अन्य निर्णयों में पुनर्स्थापन के सिद्धांत पर चर्चा की गई है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 24 (2) के तहत एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति-उस अवधि को बाहर करने के लिए जिसके दौरान एक अंतरिम आदेश संचालित होता है, जो एक पुरस्कार देने या अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करने से रोकता है, कानून में इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसे प्रतिस्थापन और न्यायसंगत सिद्धांत लागू नहीं होंगे।

भूमि मालिकों की ओर से विवाद

53. वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने भूमि मालिकों की ओर से दलीलों का नेतृत्व किया। उन्होंने आग्रह किया कि 2013 का अधिनियम एक नया है,

परिवर्तनकारी और कट्टरपंथी उपाय। नया कानून एक कल्याणकारी राज्य है।

43 2003 एस. सी. सी. 648

44 2012 (3) एस. सी. सी. 522 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

कानून, औपनिवेशिक कानून नहीं-1894 के अधिनियम के विपरीत। श्री दीवान ने कहा कि 1894 के अधिनियम के परिणामस्वरूप मुआवजे का भुगतान, विधायी रूप से अनिवार्य की कमी जैसे विभिन्न पहलुओं पर कई दौर की बार-बार मुकदमेबाजी हुई।

अधिग्रहण प्रक्रिया आदि को पूरा करने के लिए समय-सीमा। इसके परिणामस्वरूप 1894 के अधिनियम (विशेष रूप से 1967 और 1984 के संशोधन) में भी संशोधन किए गए, जिसमें कुछ हद तक भूमि मालिकों को राहत देने की मांग की गई थी। हालांकि, ये भी मुकदमेबाजी में फंस गए। विद्वान वकील ने निर्णयों पर भरोसा किया, जिन्हें देव शरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 45 और राधे श्याम बनाम यूपी राज्य 46 के रूप में रिपोर्ट किया गया था। बार-बार मुकदमेबाजी एक का परिणाम था

अनुचित कानूनी व्यवस्था। यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के ऐसे निर्णयों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सड़कों, नहरों, रेलवे आदि के निर्माण के लिए भूमि और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की सुविधा के लिए 1894 का अधिनियम 116 साल से अधिक समय पहले अधिनियमित किया गया था। इस कानून का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के युग में अक्सर सड़क बनाने जैसे विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था।विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों के पुलों, बांधों और भवनों का निर्माण, शहरी क्षेत्रों का नियोजित विकास, समाज के विभिन्न वर्गों को घर प्रदान करना और आवासीय कॉलोनियों/क्षेत्रों का विकास करना। हाल के वर्षों में, देश के ग्रामीण हिस्सों में विकास और निजी उद्यमियों को उनके हस्तांतरण के नाम पर भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो इसका उपयोग बहुमंजिला परिसरों, वाणिज्यिक केंद्रों के निर्माण और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए करते हैं। इसी तरह, अधिनियम के भाग VII में निहित प्रावधानों को लागू करके कंपनियों की ओर से बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किए गए थे। परिणामस्वरूप, इस तरह के अधिग्रहण से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों और अन्य सहायक गतिविधियों में लगे भूमि मालिकों की आजीविका के स्रोत से वंचित हो गए। इनमें से बड़ी संख्या में लोग इस बात से अनजान हैं और अपने अधिकारों का दावा करने और उचित मुआवजा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इन अभावों से उत्पन्न अशांति और असमानता ने राज्य को एक आधुनिक कानून बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसने न केवल उचित मुआवजे को सुनिश्चित किया, बल्कि पुनर्वास, रोजगार, उच्च ऋण और कुछ प्रकार की भूमि से वंचित होने के खिलाफ गारंटी जैसे अन्य अधिकारों को भी सुनिश्चित किया। इस प्रकार, 2013 के अधिनियम ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जो एक नई दिशा से शुरू होती है। सीखा हुआ परामर्श भी

भारत सेवक समाज बनाम पर भरोसा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य। , 47 यह कहना कि 1894 के अधिनियम के प्रावधान पुराने हो गए थे और उनका दुरुपयोग किया गया था और वे भूमि मालिकों के हितों के लिए दमनकारी थे। इसलिए, 2013 का अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इस न्यायालय को इस भावना से व्याख्या करनी चाहिए

45 (2011) 4 एस. सी. सी. 769

46 (2011) 5 एस. सी. सी. 553

47 2012 (12) एससीसी 675 [2020] 3 एस. सी. आर.

नया लाभकारी कानून। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि इस तरह से प्रदान किए गए लाभों को इस न्यायालय द्वारा इसके प्रावधानों की संकीर्ण व्याख्या करके नहीं लिया जाना चाहिए।

54. श्री दीवान ने 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भरोसा करते हुए कहा कि नया कानून बनाया गया था।

उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और उचित मुआवजे का भुगतान किए बिना जबरन अधिग्रहण की संपत्ति मालिकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएंऐसे मालिकों की आजीविका को प्रभावित करना, कई बार, जो छोटी संपत्ति के मालिक हैं या छोटी कृषि भूमि वाले व्यक्ति हैं और

उक्त जोत के आधार पर नया अधिनियम बनाया जाता है। अधिनियम का उद्देश्य है -

न्यायसंगत और उचित मुआवजा प्रदान करें, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान करें परिवार में प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास,

वैज्ञानिक तरीकों पर क्षतिपूर्ति पैकेज का निर्धारण। यह आग्रह किया गया कि एक कल्याणकारी कानून होने के नाते, 2013 का अधिनियम औपनिवेशिक दृष्टिकोण की पूर्ण अस्वीकृति का गठन करता है। विद्वान वकील ने आग्रह किया

कि नए अधिनियम के तहत, 1894 के अधिनियम के विपरीत, एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस. आई. ए.) रिपोर्ट, धारा 7 के तहत, एक अभिन्न के रूप में तैयार की जानी चाहिए। अधिग्रहण कार्यवाही का घटक। यदि अधिग्रहण का सहारा नहीं लिया जाता है, तो एक समय सीमा में अधिग्रहण समाप्त हो जाता है; इसी तरह, नए अधिनियम में एक पुनर्वास योजना तैयार करने पर विचार किया गया है, जिसमें (ए) प्रत्येक प्रभावित परिवार की अधिग्रहित की जा रही भूमि और अचल संपत्तियों का विवरण; (बी) भूमिहीनों के संबंध में खोई हुई आजीविका जो मुख्य रूप से अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर हैं; (सी) सार्वजनिक उपयोगिताओं की एक सूची शामिल होगी।

सरकारी भवन, सुविधाएँ और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहाँ प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है और (घ) किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधनों का विवरणअर्जित किया।

55. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 24 सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है, अर्थात, 1894 के अधिनियम के निरसन और धारा 114 के संचालन के कारण सभी अधिग्रहण कार्यवाही का समापन। इसलिए, धारा 24 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि संसदीय इरादा यह सुनिश्चित करना था कि अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्पीड़न और कठिनाई न हो। यह

तर्क दिया गया था कि इस मुख्य विशेषता को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान (धारा 24) का शाब्दिक अर्थ लगाया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने कहा कि नए अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए एक ओर 1894 के अधिनियम की धारा 11,11 (ए), 12,31 और 34 के दायरे को समझना और दूसरी ओर 2013 के अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों को समझना। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि गैर-बाध्यकारी इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

56. श्री दीवान ने 2013 के अधिनियम से पहले के तीन चरणों पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि संसद के मन में कोई संदेह नहीं है कि अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त करने का इरादा था, यदि मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था; या कब्जा नहीं लिया गया था, 2013 के अधिनियम के लागू होने से पांच साल पहले दिए गए पुरस्कारों के संबंध में। यह तर्क दिया गया था कि धारा 24 को एक सादा और शाब्दिक निर्माण दिया जाना चाहिए, सिवाय इस हद तक कि धारा 24 (2) में आने वाला "भुगतान" शब्द उन मामलों को भी शामिल करेगा जहां संदर्भ से पहले जमा किया जाता है।1894 अधिनियम की धारा 31 (2) के अंतर्गत आने वाली स्थितियों में न्यायालय। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि इस न्यायालय के पहले निर्णय, यानी पुणे नगर निगम (उपरोक्त) ने पहले से मौजूद कानून के संदर्भ में धारा 24 (2) पर ध्यान दिया। न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि 1894 के अधिनियम के तहत, जहां मुआवजे का भुगतान किया गया था और भूमि मालिक

राशि स्वीकार करने से इनकार करने के बावजूद, राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि राशि हर समय, किसी स्थान या खाते में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, न कि उसके नियंत्रण में। इसलिए यह आग्रह किया गया कि मुआवजे की राशि की वास्तविक निविदा भुगतान के कार्य को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। यह माना जाता था कि उस स्थिति में, भूमि मालिक राशि स्वीकार नहीं करता है, इसे न्यायालय, एक तटस्थ और स्वतंत्र प्राधिकरण के पास जमा किया जाना चाहिए, जिसे भूमि मालिक या कोई भी व्यक्ति उसके अधीन दावा करने वाले संपर्क कर सकते हैं और राशि निकाल सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस दायित्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पूर्वाग्रह के बिना मुआवजे की स्वीकृति के सवाल के अलावा, बाद के चरण में भी, भूमि मालिक मुआवजे पर पुनर्विचार करना और राशि का लाभ उठाना चाह सकता है।

57. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जमा करने की बाध्यता

संदर्भ न्यायालय में राशि एक स्वतंत्र और निरपेक्ष राशि है जिसमें यह इस बात की परवाह किए बिना है कि भूमि मालिक ने न्यायालय (1894 के अधिनियम के तहत) को उच्च मुआवजे के लिए संदर्भ की मांग की थी या नहीं। सीखा है।

वकील ने इस अदालत से इस व्याख्या को स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसके अनुसार

48 माधव राव सिंधिया बनाम। भारत संघ 1971 (1) एस. सी. सी. 85 (11 न्यायाधीश); श्रीमती. परायणकंडियाल एरावथ बनाम। के. देवी (1996) 4 एससीसी 76 (2 न्यायाधीश)।

उसके लिए, संसद के इरादे को पूरा प्रभाव देगा, यानी संसद के इरादे को बचाने के लिए। यह फिर से उजागर किया गया कि संसद

इरादा सबसे पहले पिछले कानून को सीमित सीमा तक निरस्त करना और धारा 24 (1) के संदर्भ में चल रही अधिग्रहण कार्यवाही को बचाना था और

एक नई व्यवस्था की शुरुआत, यानी धारा 24 (2) जिसके तहत मुआवजे के भुगतान या कब्जा लेने के संबंध में राज्य एजेंसियों की ओर से शिथिलता, जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण की कार्यवाही ही समाप्त हो जाती है। विद्वान वकील ने निर्णयों पर भरोसा किया इस न्यायालय ने पुणे नगर निगम में घोषित कानून का पालन किया और उसे लागू किया।

58. यह तर्क दिया गया था कि राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ और

विकास प्राधिकरण कि "भुगतान" में कोषागार या संदर्भ न्यायालय के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण के पास जमा राशि शामिल है, कर सकते हैं

जिन्हें 1894 के अधिनियम का अनुपालन नहीं कहा गया है। यहां, यह आग्रह किया गया कि संसद इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत है कि पिछली भूमि अधिग्रहण व्यवस्था के परिणामस्वरूप मुआवजे के भुगतान में हानिकारक और अनुचित देरी हुई। इसके अलावा, पुरस्कार दिए जाने के बाद भी,

49 भरत कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2014) 6 एस. सी. सी. 586 (इसके बाद "भरत कुमार"); बिमला देवी बनाम हरियाणा राज्य (2014) 6 एस. सी. सी. 583 @para 3; भारत संघ बनाम शिव राज (2014) 6 एस. सी. सी. 564 पैरा 22 पर; श्री बालाजी नगर आवासीय संघ (ऊपर) पैरा 14 पर; हरियाणा राज्य बनाम विनोद ऑयल एंड जनरल मिल्स 2014 (15) एस. सी. सी. 410 पैरा 21 पर; सीता राम बनाम हरियाणा राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 597 पैरा 19,21 पर; राम किशन बनाम हरियाणा राज्य हरियाणा (2015) 4 एस. सी. सी. 347 पैरा 8,9,12 पर; वेलक्सन कुमार बनाम भारत संघ 2015 (4) पैरा 15,16,17 पर एस. सी. सी. 325 (इसके बाद "वेलक्सन"); करनैल कौर बनाम पंजाब राज्य (2015) पैरा 17,18,23 पर 3 एस. सी. सी. 206; राजीव चौधरी बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) (2015) पैरा 1 पर 3 एस. सी. सी. 541; पैरा 4 पर सक्षम ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3186; पैरा 3 पर दिल्ली सरकार बनाम एन. सी. टी. जगजीत सिंह ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2683; पैरा 3 पर करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2014 (5) एस. सी. सी. 738 वी. हरियाणा राज्य 2016 (13) एस. सी. सी. 380 पैरा 5 पर;

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुखबीर सिंह (2016) 16 एस. सी. सी. 258 पैरा 1 पर (इसके बाद "सुखबीर")।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

दोनों मामले 1.1.2014 से 5 साल से कम पहले के हैं। इन दो सीमित उदाहरणों में ही अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

या संरक्षित। इस प्रकार, संसद का उद्देश्य था कि सभी पुरस्कारों के मामलों में।

कि यह न्यायालय सुखबीर सिंह के मामले में निर्णय की पुष्टि करे। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जब तक कि 1894 अधिनियम की धारा 31 जो अभिनिर्धारित करती हैएक विशेष तरीके से सार्वजनिक कर्तव्य का निष्पादन और (निर्धारित तीन घटनाओं के माध्यम से), इस तरह के कर्तव्य को केवल और केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब उस प्रक्रिया का पालन किया गया हो। विद्वान सलाहकार ने इस पर भरोसा किया

भरत कुमार में निर्णय, जिसमें उल्लेख किया गया है कि धारा 24 (2) का एक लाभकारी इरादा है और एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होता है। इसलिए किया आग्रह

सलाह, शाब्दिक अर्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि धारा 24 (2) ने दो गुना उद्देश्य हासिल किया, यानी अधिग्रहण को संरक्षित करना।

संविधान के अनुच्छेद 300ए द्वारा गारंटी दी गई है कि निर्माण के बजाय उन्हें पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए जो इसके उद्देश्य को नष्ट कर देगा।इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम पर भरोसा किया। शिवराज 5 0.

59. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) में निर्णय स्वयं धारा 31 के प्रति सचेत था और

धारा 31 (2) के तहत विचार की गई आकस्मिकताएं या आकस्मिकताएं। इसके अलावा, यह इवो एग्नेलो सैंटिमानो फर्नांडीस बनाम पर भी निर्भर था। गोवा राज्य 3 1, यह कहने के लिए कि राज्य नहीं हो सकता है-अस्वीकृति की स्थिति में

50 (2014) 6 एससीसी 564।

51 (2011) 11 एससीसी 506 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूमि स्वामी द्वारा मुआवजे या भूमि मालिक का पता लगाने में असमर्थता या विवाद की स्थिति में-मुआवजे की राशि अपने पास रखें और इसे उसी सामान्य कोषागार राशि का हिस्सा होने का दावा करें और इसका उपयोग करने के लिए आगे बढ़ें। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रथा से निपटने के लिए, अपील में प्रावधान किया गया था कि मुआवजे का भुगतान न किया जाए-और 1894 अधिनियम की धारा 31 (2) में उपार्जित किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में,

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में शाब्दिक व्याख्या भी एक न्यायसंगत व्याख्या के साथ प्राप्त होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि नए कानून का वास्तविक लाभक्षतिपूर्ति के भुगतान के बिना लंबी अवधि के लिए अपनी संपत्तियों और आजीविका से वंचित भूमि मालिकों को जमा होगा। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि इस न्यायालय द्वारा वेलक्सन कुमार (उपरोक्त) में अपनाई गई लाभकारी व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजीव चौधरी

एच. यू. एफ. (ऊपर) 3 2, यह तर्क दिया गया था कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या करते हुए, न्यायालय को एक व्याख्यात्मक अभ्यास की आड़ में विधायिका की टोपी नहीं पहननी चाहिए। यह राज्य के तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि धारा 24 (2) में "या" को संयुग्म "और" के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में यह तर्क दिया गया था कि सभी तीन मसौदों में कि विधेयक (जो अंततः 2013 के अधिनियम में समाप्त हुआ) 5 3 के माध्यम से चला गया, लगातार उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "लेकिन भौतिक अधिकार" थी। तीन चरणों में, इरादा सामान्य रूप से यह सुनिश्चित करना था कि लंबे समय से लंबित अधिग्रहण कार्यवाही समाप्त हो जाए। इस पर जोर दिया गया कि पहले संस्करण में, अर्थात आई. डी. 1 पर पेश किए गए विधेयक में, सभी अधिग्रहणों को इस बात की परवाह किए बिना कि पुरस्कार दिया गया था या नहीं, यदि कब्जा नहीं लिया गया था और उन मामलों में भी जहां पुरस्कार नहीं दिए गए थे, समाप्त माना गया था। इसलिए, इस न्यायालय को शाब्दिक के अलावा किसी भी तरीके से "या" की व्याख्या करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

भावना।

60. धारा 24 के तहत शामिल तीन व्यापक स्थितियां (i) ऐसे मामले हैं जहां भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को समाप्त माना जाएगा;

52 (2015) 3 एस. सी. सी. 541 53 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक 2011-लोकसभा में 'आईडी 3' पर पेश किया गया; भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013 जैसा कि लोकसभा द्वारा 'आईडी 2' पर पारित किया गया और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा 'आईडी 1' पर पारित किया गया)।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

61. यह तर्क दिया गया कि मामलों के दूसरे समूह, जहां 2013 के अधिनियम के तहत बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान किया जाना है, धारा 24 (1) और धारा 24 के प्रावधान के तहत आते हैं। धारा 24 (1) में प्रावधान है कि जहां कार्यवाहियां 1894 अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी निर्णय के चरण तक नहीं पहुंची हैं, वहां 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करने के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा, धारा 24 के परंतुक में 2013 के अधिनियम के संदर्भ में मुआवजे का प्रावधान है, जहां निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, सबसे पहले 1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया गया है और दूसरा, भूमि मालिकों को अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि पुरस्कार के संदर्भ में "बहुमत" की गणना की जानी चाहिए।1894 के अधिनियम के तहत पारित किए गए और परंतुक द्वारा विचार किए गए पुरस्कार 2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले पांच साल की अवधि के भीतर दिए गए पुरस्कार हैं, यानी 1.1.2009 और 31.12.2013 के बीच दिए गए पुरस्कार।

अधिनियम के प्रारंभ में, व्यपगत मानी जाने वाली शर्तों में से कोई भी मौजूद नहीं है। श्री दीवान ने आग्रह किया कि 1894 के अधिनियम के प्रावधान बढ़े हुए मुआवजे के संदर्भ में बिना किसी लाभ के आवेदन करना जारी रखें, जहां 2013 के अधिनियम के प्रारंभ होने के 5 वर्षों के भीतर एक पुरस्कार पारित किया जाता है, लेकिन अधिकांश भूमि धारकों को भुगतान कर दिया गया है।

63. श्री दीवान ने तब आग्रह किया कि धारा 24 के प्रावधानों की यह समझ व्याख्या के स्थापित नियमों पर आधारित है, अर्थात, व्याख्या के सुनहरे नियम के लिए न्यायालय को वैधानिक व्याख्या करने की आवश्यकता है। प्रावधान शाब्दिक रूप से। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का नियम था

अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए कानून के उद्देश्य और 1894 के अधिनियम के तहत शासन से प्रभावित कुछ भूमि धारकों को 2013 के अधिनियम का लाभ प्रदान करने के लिए विधायी इरादे का उपयोग किया जाएगा। नियोजित किया जाने वाला तीसरा नियम, सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का नियम है, जैसे कि प्रावधान के सभी शब्दों को प्रभावी बनाया जाता है और प्रावधान के किसी भी हिस्से को अनुचित नहीं माना जाता है; चौथा, इसके लिए जिम्मेदार प्रशासकों की समकालीन समझ।

एक नया कानून लागू करना। इसके अलावा इस तरह से एक व्याख्या की आवश्यकता थी कि शब्दों को डालने, शब्दों को घटाने और विसंगतियों या बेतुकी बातों से बचा जा सके। अंत में यह आग्रह किया गया

कि किसी प्रावधान को उसका स्वाभाविक प्रभाव देना, जिसके परिणामस्वरूप इस मामले में व्याख्या का नियम बनता है कि नागरिकों के पक्ष में अस्पष्टता के मामले में एक लाभकारी कानून के प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए। 54

1894 के अधिनियम की धारा 31 के साथ, "निविदा" अभिव्यक्ति भी प्रासंगिक है और उन्होंने जो व्याख्या की है वह प्राकृतिक के अनुरूप है।"कोमल" का अर्थ है।

65. भूमि मालिकों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि शब्द

' 'भुगतान' और 'लाभार्थियों के खाते में जमा' भूमि मालिकों को मुआवजा उपलब्ध कराने के दो अनुमेय तरीके हैं। श्री दीवान ने तर्क दिया कि ये पैसे का भुगतान करने के दो तरीके हैं

जमींदारों को। ' 'भुगतान', यह आग्रह किया गया था, जिसका अर्थ है भुगतान। इसका मतलब खजाने में जमा होना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 'लाभार्थियों के खाते में जमा' का मतलब खजाने में जमा करना नहीं है। उन्होंने तर्क दिया

कि शाब्दिक व्याख्या के नियम से अलग होने का कोई कारण नहीं था, और भुगतान का तरीका, जैसा कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) में आयोजित किया गया है, सख्ती से 1894 के अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में होना चाहिए क्योंकि यह है

54 वकील ने प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य (2005) 3 एस. सी. सी. 551 (5 न्यायाधीश); केंद्रीय रेलवे कार्यशाला बनाम विश्वनाथ (1969) 3 एस. सी. सी. 95; और मैसर्स इंटरनेशनल ओर एंड फर्टिलाइजर्स (इंडिया) प्राइवेट का हवाला दिया। लिमिटेड बनाम। कर्मचारी राज्य बीमा (1987) 4 एस. सी. सी. 203 एक कल्याणकारी और उपचारात्मक क़ानून के लाभकारी निर्माण के नियम के समर्थन में।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

एक अनुचित कानून। यह विद्वान सॉलिसिटर के रूप में तर्क दिया गया था

जनरल का यह निवेदन कि धारा 24 के संदर्भ में भुगतान का अनुपालन किया जाता है यदि राशि भूमि मालिकों को दी जाती है, धारा 24 के संदर्भ में भुगतान के दायित्व को नजरअंदाज करते हुए केवल तभी पूरा किया जाता है जब राशि वास्तव में भूमि मालिकों को भुगतान की जाती है। आकस्मिकताओं की घटना पर

1894 के अधिनियम की धारा 31 (2) में उल्लिखित, इसे संदर्भ न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए जैसा कि 1894 के अधिनियम की धारा 3 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि

निविदा राशि भुगतान नहीं है और 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) में 'निविदा' और 'भुगतान' शब्दों का उपयोग किया गया है।

अर्थ और दायित्व। श्री दीवान ने तर्क दिया कि इस संबंध में विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा उद्धृत निर्णय अनिवार्य रूप से श्रम कानूनों से संबंधित हैं, और लागू नहीं होते हैं क्योंकि इन कानूनों में 1894 के अधिनियम की धारा 31 जैसा प्रावधान नहीं है, जो सख्ती से और सटीक रूप से निर्धारित करता है कि भुगतान स्वीकार नहीं होने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए।

66. यह तर्क दिया गया था कि 1894 के अधिनियम के तहत कोई भी नियम खजाने में जमा करने पर विचार नहीं करता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि स्थायी आदेश,

जो केवल राज्य के मौद्रिक लेनदेन के संचालन के लिए जारी किए गए प्रशासनिक निर्देश हैं, कुछ मामलों में उन्हें 1894 के अधिनियम की धारा 55 के तहत बनाए गए नियमों के रूप में भ्रमित किया गया है। नियम या स्थायी आदेश प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और धारा 55 की आवश्यकताओं के अनुपालन का कोई सबूत नहीं दिया गया है, जैसे कि राजपत्र में अधिसूचना। सभी विद्वान वकीलों ने कहा कि किसी भी मामले में

प्रत्यायोजित/अधीनस्थ विधान मूल अधिनियम की स्पष्ट और सटीक भाषा से असंगत या किसी भी तरह से अलग नहीं हो सकता है। एक बार फिर, यह प्रस्तुत किया गया कि राजकोष में मुआवजे की राशि जमा करने के संबंध में राज्य का तर्क दो मजबूत कारणों से असमर्थनीय है: एक, कि धारा 31 ने स्वयं अदालत में मुआवजे को जमा करने का निर्देश दिया। इस स्पष्ट स्थिति में, राज्य को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह फिर भी खजाने में राशि "जमा" कर सकता है, जो कि पैसे को अपने पास रखने के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा यह आग्रह किया गया कि अन्यथा भी, 1894 के अधिनियम में यह कल्पना की गई थी किस्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए मामलों के संबंध में, नियम बनाए जा सकते हैं (धारा 55)।

67. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य का तर्क

बांदा विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में अनुपात के अनुसार 'भौतिक अधिकार' की कब्जा होने की व्याख्या गलत है। यह प्रस्तुत किया गया कि [2020] 3 एस. सी. आर. के सचेत समावेश पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

अधिकार के संबंध में 'भौतिक' शब्द। न्यायिक/रचनात्मक/मानित अधिकार और 'भौतिक' अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर बनाए जाने की आवश्यकता है। भले ही यह स्वीकार किया जाए कि पंचनामा का चित्रकारी शुरू में विशाल भूमि पर कब्जा करने का एक वैध तरीका है।

खाली भूमि के क्षेत्र, विधायिका का इरादा यह है कि पांच साल की अवधि में, इस तरह के कब्जे को स्पष्ट और प्रदर्शन योग्य 'भौतिक' कब्जे में बदलना चाहिए, यानी वास्तविक नियंत्रण और प्रभुत्व की अभिव्यक्ति।विषय भूमि (ओं) पर। विद्वान वकील ने अपने इस तर्क के समर्थन में कई निर्णयों पर भरोसा किया कि "भौतिक अधिकार" का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

विकास प्राधिकरण बनाम। विरेंद्र लाल बहरी, [एसएलपी [सी] No.37375/2016]। 69. भूमि मालिकों के सभी वकीलों ने प्रस्तुत किया कि धारा 24 (2) के तहत 5 साल की अवधि से बाहर करने का कोई वैध कारण नहीं है, जिस समय के दौरान एक भूमि मालिक को अदालत के अंतरिम आदेश का लाभ मिला था। इस तर्क के समर्थन में, सबसे पहले यह तर्क दिया गया कि संसद ने धारा 24 में ऐसी अवधि को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया है। दूसरा, जहां 2013 के अधिनियम में, विधायिका स्थगन या निषेधाज्ञा की अवधि को बाहर करना चाहती थी, उसने धारा 19 के परंतुक और 2013 के अधिनियम की धारा 69 के स्पष्टीकरण जैसे स्पष्ट शब्दों का उपयोग करके ऐसा किया है। तीसरा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्ति "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट" जिसका अर्थ है कि "अदालत का कार्य किसी पर पूर्वाग्रह नहीं करेगा" का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

55 सेकसरिया कॉटन मिल्स बनाम। बॉम्बे राज्य 1953 एस. सी. आर. 325 पैरा 21; अधीक्षक बनाम. अनिल कुमार (1979) 4 एस. सी. सी. 274 (पारस 11-16); बी. गंगाधर बनाम। राजलिंगम (1995) 5 एस. सी. सी. 238 (पैरा 5-6) गुरुचंद सिंह बनाम। कमला सिंह (1976) 2 एस. सी. सी. 152 (पारस 21-24)। मोहन लाल बनाम। राजस्थान राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 222 (2 न्यायाधीश)

पैरा 11 से 15 इंदौर विकास प्राधिकरण शब्द की प्रासंगिक व्याख्या का समर्थन करते हुए v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

यहाँ, क्योंकि यह एक उक्ति है जिसे आम तौर पर एक सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्याय न हो, व्यक्तिगत मामलों में समानता। इस उक्ति को शायद ही कभी, यदि कभी भी, किसी क़ानून की व्याख्या करने के लिए लागू किया जाता है। श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने कम से कम दो रिपोर्ट किए गए निर्णयों-पद्म सुंदर राव बनाम में इस सिद्धांत पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु राज्य 56 और राजस्थान राज्य और अन्य। वी. खंडका जैन ज्वेलर्स 57। श्री दीवान ने आगे स्नेल की इक्विटी (33वां संस्करण, 2015) पर निर्भरता रखी, जिसमें कहा गया है कि इक्विटी का अधिकतम कानून के सिद्धांत का एक विशिष्ट नियम नहीं है। यह एक व्यापक विषय का कथन है जो न्यायसंगत अवधारणाओं और सिद्धांतों को रेखांकित करता है और इसके परिणामस्वरूप न्यायसंगत सिद्धांत की उपयोगिता सीमित है। इसमें आगे कहा गया है कि यह उक्ति दो व्यापक प्रकार की स्थितियों में अदालत को कुछ सीमित सहायता प्रदान कर सकती है:

" पहला तब होता है जब सिद्धांत के किसी विशेष नियम के दायरे के बारे में कुछ अनिश्चितता होती है, और अदालत को पीछे हटना पड़ता है।उस अनिश्चितता को हल करने के लिए अधिक बुनियादी सिद्धांत। दूसरा तब होता है जब एक अदालत एक न्यायसंगत विवेकाधिकार का प्रयोग कर रही होती है, और व्यापक, अंतर्निहित का उल्लेख करके उस अभ्यास की संरचना करना चाहती है।

सिद्धांत "।

70. विद्वान वकील ने बिक्री कर आयुक्त बनाम मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया। पार्सन उपकरण और पादप 58, जहाँ यह माना गया था कि:

' यदि विधानमंडल जानबूझकर किसी बाद के क़ानून में किसी अनुरूप कानून को शामिल करने से चूक जाता है, या भले ही किसी क़ानून में कोई मामला चूक हो, जिसकी भाषा अन्यथा स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो न्यायालय उस पर संलग्न करके या उसमें पेश करके चूक की आपूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं है।

व्याख्या की आड़ में, सादृश्य या निहितार्थ द्वारा,कुछ ऐसा जिसे वह न्याय का एक सामान्य सिद्धांत मानता है

और समता।'

यह प्रस्तुत किया गया था कि बिताए गए समय को हटाने का कोई अवसर नहीं है

मुकदमेबाजी पर। संसद धारा 24 (2) के तहत एक विशेष तिथि जैसे 1.1.2009 को कट-ऑफ पॉइंट के रूप में निर्दिष्ट कर सकती थी। अगर कोई तारीख इस तरह से निर्दिष्ट की गई होती, तो समय को बाहर करने का कोई अवसर नहीं होता। एक विशेष तिथि निर्दिष्ट करने के बजाय, 2013 के अधिनियम में विधानमंडल

प्रारंभ के संदर्भ में निर्धारित कट-ऑफ बिंदु56 (2002) 3 एस. सी. सी. 533

57 (2007) 14 एस. सी. सी. 339

58 (1975) 4 एससीसी 22 [2020] 3 एस. सी. आर.

एक्ट करें। कट-ऑफ बिंदु को निर्दिष्ट करने की यह विधि "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट" सिद्धांत को आकर्षित नहीं करेगी। यह तर्क दिया गया था कि

समय को अलग करने का अवसर तभी पैदा होगा जब शुरुआत हो।

कार्य को पूरा करने के लिए एक बिंदु और एक वैधानिक अवधि। ऐसे प्रावधानों में, उचित तरीके से समय को हटाने का प्रावधान करना उचित हो सकता है।

खंड में भाषा। यहाँ, जहाँ एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई है और इस प्रकार कार्य को पूरा करने के लिए कोई प्रारंभिक बिंदु और अवधि नहीं है,मुकदमों में बिताए गए समय को अलग रखने की धारणा एक विदेशी अवधारणा है। यह था,

इसलिए, प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह विधानमंडल द्वारा अंतराल को भरने के लिए उपयोग किए गए शब्दों को फैलाए या किसी अधिनियम के प्रावधानों में उपयोग किए गए शब्दों को हटा दे, अर्थात, एक अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्ट और सचेत बहिष्करण को भरने के लिए।

आकस्मिकता, या एक केसस ओमिसस। इस प्रस्तुति के समर्थन में, सीखा वकील ने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। 59 यह भी तर्क दिया गया कि

न्यायालय को मुकदमेबाजी में बिताए गए किसी भी अवधि या अवधि को भी बाहर नहीं करना चाहिए।जब अंतरिम आदेश काम कर रहे थे, क्योंकि, सबसे पहले, ऐसे प्रत्येक में

उदाहरण के लिए, भूमि मालिक विभिन्न प्रकार की मनमानी से व्यथित थे

व्यवहार, जैसे कि अनिवार्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करना (के तहत

आपत्तियों की पूरी तरह से बेतुकी अस्वीकृति; वास्तविक पर ध्यान देने में विफलता

विकासात्मक आवश्यकताएँ, और भूमि का अधिग्रहण, जो जनता से असंबद्ध है

प्रयोजन, या उपयोगिताओं और सुविधाओं को जब्त करने के स्पष्ट उदाहरण

जैसे विद्यालय, सामुदायिक परिसंपत्तियाँ आदि। इसने अदालतों को चुनौती में योग्यता का आकलन करने और अंतरिम आदेश देने के लिए प्रथम दृष्टया विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह के मामलों को तुच्छ मुकदमा नहीं कहा जा सकता है।

नए कानून द्वारा आदेशित, समय के बहिष्करण की गारंटी, व्यपगत होने के लाभ से वंचित करना। दूसरा, यह तर्क दिया गया था कि बार-बार प्रयास किए गए थे

संसद में कानून में संशोधन करने के लिए, राज्य द्वारा मांगे गए तरीके से समय को बाहर करने के लिए, मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट का उपयोग किया गया। लेकिन इस तरह का संशोधन पारित नहीं हो सका।

71. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संसद का इरादा उन भूमि धारकों को लाभ प्रदान करना है जो पूर्व के अनुचित कार्यों से प्रभावित थे।

एक अन्यायपूर्ण पूर्व शासन और मुकदमेबाजी के तहत बिताई गई अवधि को बाहर नहीं करता हैइस तरह के अनुचित शासन में। उन्होंने आगे आग्रह किया कि डीमिंग प्रावधान

पाँच साल की कट-ऑफ अवधि पर अपने स्पष्ट और सत्यापन योग्य मानदंडों के साथ,

59 जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम (1972) 3 एस. सी. सी. 717 और कुलदिप नायर बनाम भारत संघ (2006) 7 एस. सी. सी. 1-दोनों संविधान पीठों के निर्णय।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

भौतिक कब्जा और भुगतान को संचालित करना आसान है। लंबित मुकदमेबाजी के कारण समय का बहिष्कार जैसी धारणाओं को लागू करने से क़ानून का काम करना जटिल हो जाएगा।

72. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 24 (2) अभिव्यक्ति का उपयोग करती है

" या "। विधानमंडल का इरादा "या" शब्द द्वारा अलग की गई दो शर्तों को वैकल्पिक शर्तों के रूप में रखना था। चार स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँस्थितियाँ असंगत हैं: पहला, जब भौतिक कब्जा राज्य के पास होता है और मुआवजा नागरिक के पास होता है, तो कोई चूक नहीं मानी जाती है; दूसरा, जब भौतिक कब्जा नागरिक के पास होता है और मुआवजा राज्य के पास होता है, तो क्षतिपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि राज्य ने मुआवजे की राशि बरकरार रखी है; तीसरा, जब भौतिक कब्जा नागरिक के पास होता है, और मुआवजा भी नागरिक के पास होता है, तो ऐसे परिदृश्यों में नागरिक को मुआवजे को वापस करना होगा। यह आग्रह किया गया कि जहां राज्य ने संदर्भ न्यायालय में जमा करके धन का भुगतान किया है और धन न्यायालय के पास पड़ा हुआ है, राज्य मानित व्यपगत होने पर धन निकाल सकता है। हालाँकि, यदि राज्य नए सिरे से भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लेता है, तो पहले से ही भुगतान किए गए मुआवजे को समायोजित किया जा सकता है; और आगे चूंकि चूक की धारणा में अंतर्निहित पुनर्स्थापन की आवश्यकता है, इसलिए राज्य अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त नियम बनाकर मुआवजे की वसूली कर सकता है। नागरिक "था और प्राप्त" मुआवजे को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि यह अन्यायपूर्ण संवर्धन के बराबर होगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि जहां भौतिक कब्जे के साथ-साथ मुआवजा राज्य के पास है, यानी जहां राज्य ने मुआवजे का भुगतान किए बिना कब्जा कर लिया है

1894 के अधिनियम के तहत आवश्यक है कि धारा 16 के तहत सभी बाधाओं से मुक्त कोई पूर्ण निहित नहीं है। की अनुपस्थिति में निहित रूप से, राज्य को नागरिक को अधिकार बहाल करने की आवश्यकता है।

रोक के कारण, पूरी धारा 24 (2) सामग्री से लूटी जाएगी क्योंकि यह बहुत दुर्लभ मामलों पर लागू होगी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि धारा 24 कितनी दूर है, इसके संदर्भ में कोई विशिष्ट शर्त निर्धारित नहीं करती है।समय से पहले धारा 24 (2) के तहत विचार किए गए पुरस्कारों में [2020] 3 एस. सी. आर. हो सकते थे।

बनाया गया है। धारा 24 (2) के तहत डीमिंग प्रावधान डब्ल्यू. ई. एफ. 1.1.2014 को संचालित करता है और इसका प्रभाव उन सभी मामलों को शामिल करेगा जो क़ानून में प्रदान की गई शर्तों को पूरा करते हैं। विद्वान वकील ने इस व्याख्या के समर्थन में निर्णयों का हवाला दिया कि "या" को विभेदक रूप से समझा जाना चाहिए, न कि संयुग्म रूप से "और" 60

74. विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि कोई निहित अधिकार नहीं हैं

जब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है और कब्जा नहीं लिया जाता है, तब तक किसी भी मामले में राज्य में बनाया गया है। 2013 का अधिनियम एक लाभकारी कानून है और पिछले अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन से एक मौलिक प्रस्थान है। यह भूमि मालिकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने का इरादा रखता है और प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति के प्रयोग को हमारे साथ संगत बनाता है। संवैधानिक मूल्य। इसलिए इसकी एक ऐसी व्याख्या दी जानी चाहिए जो भूमि मालिकों के पक्ष में हो। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में निर्णय ने गलत तरीके से पुणे नगर निगम के साथ शुरू हुए निर्णयों की एक सुसंगत पंक्ति को परेशान कर दिया।

(ऊपर)। पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के बाद इस न्यायालय के बाद के फैसलों ने भी कई तर्कों/मुद्दों पर विचार किया है और प्रस्थान करने का कोई ठोस कारण नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ भी स्टेयर डिसिसिस के सिद्धांत का उचित सम्मान करने के लिए बाध्य है।

75. प्रस्तुतियों का पूरक करते हुए, भूमि मालिकों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि "मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है" वाक्यांश के अर्थ पर विचार किया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि

धारा 24 (2) "भुगतान" का उपयोग नहीं किया जाता है। वाक्यांश "नहीं किया गया है" का उपयोग "अधिकार" के साथ-साथ "भुगतान" दोनों के संबंध में किया जाता है। इसलिए, इसका मतलब दोनों तरह से एक ही होना चाहिए। ध्यान में रखने और "भुगतान" वाक्यांश को "जमा" से अलग करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, चाहे वे धारा 31 (2) के तहत अदालत में हों या धारा 31 (1) के तहत खजाने में। यह आग्रह किया जाता है कि 1894 के अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित धारा 17 (3ए) और (3बी), 31 (1) और (2) और धारा 28 के विश्लेषण से पता चलता है कि

प्रावधान स्पष्ट रूप से निविदा, भुगतान या जमा के बीच अंतर करते हैं चाहे वह अदालत में हो या कोषागार में।

76. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में एक ही अधिनियम में उपयोग किए गए तीन अलग-अलग शब्दों का अर्थ एक ही नहीं हो सकता है। यह.

यह धारा 19 (1) (सी) और (सी. सी.) के पठन से भी मिलता है। इन दोनों में 60 नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (1998) 2 एस. सी. सी. 109 (5 न्यायाधीश); आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले 1984 (2) एस. सी. सी. 183; और जीवन बीमा निगम बनाम डी. जे. बहादुर 1981 (1) एस. सी. सी. 325।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

प्रावधान शब्द "निविदा" का उपयोग "भुगतान" शब्द के विपरीत किया जाता है जबकि भुगतान शब्द का उपयोग "जमा" शब्द के विपरीत किया जाता है। शब्द "जमा",

जहाँ भी उपयोग किया जाता है, वह "न्यायालय में जमा" के संदर्भ में है, केवल कोषागार नहीं।

धारा 17 (3ए) और धारा के तहत "निविदा भुगतान" अभिव्यक्ति

31 (1) 1894 के अधिनियम के बाद "उन्हें भुगतान करें" शब्द आए। इसलिए, निविदा का अर्थ "भुगतान" नहीं हो सकता है। यह आग्रह किया जाता है कि ये शर्तें अधिनियम के भाग V में आती हैं, जिसका शीर्षक "भुगतान" है। "निविदा" के बाद धारा 31 के तहत "उन्हें भुगतान करें" शब्द का अर्थ एक अतिरिक्त कार्रवाई या कदम होना चाहिए। जब "निविदा" के बाद मुआवजे का "भुगतान" करने का प्रयास किया जाता है और उसे लाभार्थी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह "भुगतान" हो जाता है। धारा 31 (2) के तहत "जमा" केवल तभी आता है जब लाभार्थी भुगतान करने से इनकार कर देता है। इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि "भुगतान की निविदा" को धारा 31 (1) और 31 (2) के तहत "उन्हें भुगतान करें" या "अदालत में जमा करें" के बराबर नहीं माना जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि इसके बाद जो होता है वह यह है कि भुगतान की निविदा अपने आप में पर्याप्त नहीं है। राज्य की व्याख्या को गलत बताते हुए चुनौती दी गई है क्योंकि यदि निविदा भुगतान किए जाने के बराबर है तो विधायिका "अदालत में जमा" का प्रावधान क्यों करती है। राशि को निविदा पर भुगतान किया गया माना जाता है और भुगतान करने की बाध्यता समाप्त हो जाती है तो सवाल यह है कि "अदालत में जमा" की आवश्यकता क्यों है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि "निविदा" को कभी भी "भुगतान" नहीं माना जा सकता है: यह केवल धारा 19 (सी) को पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता है जहां "भुगतान या निविदा" शब्द को वैकल्पिक के रूप में दर्शाया गया है। इसी तरह, "भुगतान या जमा" का उपयोग बारी-बारी से किया जाता है। इसी तरह, धारा 17 (3) (बी), 19 (सी. सी.) और 34 इन शब्दों का बारी-बारी से उपयोग करती हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यदि "निविदा" "भुगतान" के बराबर होगी और फिर मुआवजे को भुगतान किया गया माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान करने की बाध्यता का निर्वहन होगा, तो धारा 31 (2) के तहत अदालत में इसे "कस्टोडिया लेजिस" बनाने के लिए क्यों जमा किया जाए। अधिकांश मामलों में धारा 31 (2) निरर्थक हो जाएगी।

77. विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थी द्वारा भुगतान करने से इनकार करने पर इसे धारा 31 (2) के तहत अदालत में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना चाहिए। इस प्रावधान में "जमा किया जाएगा" वाक्यांश का उपयोग किया गया है और यह प्राप्तकर्ता को एक मूल्यवान अधिकार देता है, न केवल उस स्थिति में ब्याज का जो "अदालत में जमा नहीं किया गया है" बल्कि मांग करने का अधिकार भी देता है।

धारा 33 के तहत मुआवजे का निवेश। यदि "जमा" "अदालत" में नहीं है तो ये वैधानिक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि "खजाने में जमा करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। यह "न्यायालय में जमा" का विकल्प नहीं हो सकता है। इसके अलावा 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) और 31 (2) भुगतान के लिए एक पूर्ण संहिता प्रस्तुत करती है और नियमों को पूरक बनाने की अनुमति देने के लिए कोई अंतराल या खुला क्षेत्र नहीं है। कोषागार में कोई भी जमा धारा 31 का उल्लंघन था और इसलिए, इसकी अनुमति नहीं थी।

78. यह तर्क दिया गया कि 1894 के अधिनियम की योजना स्पष्ट और स्पष्ट थी कि जब लाभार्थी द्वारा मुआवजे की राशि स्वीकार की जाती है तो इसे चालू रखने के लिए ब्याज के लिए "भुगतान" माना जाता है। धारा 34 के तहत ब्याज का चलाना भुगतान करने के दायित्व के गैर-निर्वहन को दर्शाता है, अन्यथा ब्याज का भुगतान क्यों करें? "न्यायालय में जमा" ब्याज देना बंद कर सकता है और इसलिए, इस उद्देश्य के लिए भुगतान किया जा सकता है, लेकिन जब उपरोक्त प्रावधानों में वास्तविक अर्थ की बात आती है, तो "भुगतान और जमा" को हमेशा "या" उनके बीच में "शब्द के उपयोग से अलग किया जाता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब नए अधिनियम की धारा 24 (2) में "मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है" वाक्यांश का उपयोग किया जाता है तो यह धारा 34 (परंतुक) के परंतुक की शब्दावली का उपयोग करता है और इसका वही अर्थ होना चाहिए जिसका अर्थ "भुगतान नहीं किया गया है" जिसे "जमा नहीं किया गया है" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि यह सही व्याख्या है तो धारा 24 (2) के दायरे का विस्तार भी उन मामलों को शामिल करने के लिए होता है जिनमें - वास्तव में मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है लेकिन अदालत में जमा किया गया है। यह प्रस्तावना में निहित विधायी नीति के अनुरूप भी होगा, ताकि उन लोगों को न्यायसंगत और उचित मुआवजा दिया जा सके जिनकी भूमि पुराने अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित की गई है। नए अधिनियम की व्याप्ति उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनकी "भूमि का अधिग्रहण किया गया है"। धारा 24 की नीति "न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" के इस व्यापक उदार दृष्टिकोण को भी दर्शाती है।

क्षतिपूर्ति "। इसलिए धारा 24 को इस उदार नीति के इरादे के आलोक में देखना होगा।79. यह आग्रह किया गया कि दावों के पुनरुद्धार या जिसके परिणामस्वरूप अपूरणीय क्षति होने वाली असंभव स्थितियों के बारे में इन राज्यों के तर्क हैं -

एक बार विधायी नीति स्पष्ट हो जाने के बाद यह बहुत प्रासंगिक नहीं है। इस प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह उन लोगों को न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने के विधायी नीति के इरादे को कम करता है जिनकी भूमि 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित (कब्जा) की गई थी। एक बार विधायी नीति या इरादा स्पष्ट हो जाने के बाद कठोर परिणामों से संबंधित आपत्तियां इंदौर विकास प्राधिकरण v नहीं हैं।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

वास्तव में प्रासंगिक। यह कहा गया था कि राज्य को एक कठिन स्थिति में डाला जा सकता है, लेकिन समाधान भी धारा 24 (2) के अंतिम भाग में प्रदान किया गया है जो इन शब्दों को दर्शाता है "यदि वह ऐसा चाहता है", तो वह धारा 24 के तहत नए सिरे से प्राप्त कर सकता है। विद्वान वकील पद्म सुंदर राव (ऊपर); पोपट पर निर्भर थे।बहिरू गोवर्धन बनाम। भूमि अधिग्रहण अधिकारी और बी. प्रेमानंद बनाम। मोहन कोइकल 62। यह आग्रह किया गया था कि विधायी नीति कारण बन सकती है

कुछ लोगों या राज्य के लिए कठिनाई या कठिनाइयों को एक असंभव स्थिति में डाला जा सकता है; फिर भी संसदीय इरादे से दूर नहीं किया जा सकता है। संसद के पास इन कठिनाइयों, पहले प्रचलित कानून या जमीनी वास्तविकताओं को जानने के लिए पर्याप्त ज्ञान है। यह माना जाएगा कि यह न केवल कठिनाइयों से अवगत है, बल्कि उदारीकृत नीति तैयार करते समय उनका मूल्यांकन भी किया है। सवाल इरादे का है। आशय को मुख्य रूप से पाठ में उपयोग किए गए शब्दों से देखा जाना चाहिए। यह केवल तभी है जब इस तरह का इरादा स्पष्ट नहीं है कि अदालतों को उन्हें संदर्भ की सहायता से देखना होगा। कठिनाइयों के साथ-साथ कठोर परिणामों का उपयोग प्रावधान में अंतर्निहित इरादे का आकलन करने के लिए नहीं किया जा सकता है यदि वे स्पष्ट हैं, अन्यथा पाठ या संदर्भ से। न केवल संसद ने किसी भी प्रकार के अपवाद का निर्माण करने वाला कोई खंड प्रदान नहीं किया है, या भूमि बेदखल करने वालों के मुकदमे के मामलों में पांच साल का विस्तार नहीं किया है, जिनके पक्ष में अंतरिम आदेश हो सकते हैं, अधिग्रहण या मुआवजे के भुगतान को रोक सकते हैं। प्रावधान में केवल इतना कहा गया है कि "या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है"। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य व्यापक है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। यह ऐसे सभी मामलों को शामिल करने के लिए विधायी इरादे का एक स्पष्ट संकेतक है जो राज्य के लिए कठिनाई का कारण बन सकते हैं या न्यायालय या मुकदमेबाजी वाली भूमि बेदखल करने वाले की गलती के कारण हो सकते हैं। इरादा स्पष्ट है और इसलिए, कठिनाइयों या कठिनाइयों के अलावा पढ़ा जाना चाहिए।

80. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकार और मुआवजे के लिए एक अलग दृष्टिकोण के संबंध में राज्य का तर्क तर्कहीन है और

भेदभावपूर्ण। यह अनुचित है क्योंकि ऐसा शायद ही कोई मामला हो जिसमें मुआवजे का भुगतान किया गया हो, फिर भी कब्जा नहीं लिया गया हो। अधिकांश मामले धारा 17 (1) के तहत हैं जहां कब्जा हमेशा

लिया जाता है जबकि मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि पुरस्कार नहीं दिया जाता है।बनाया गया। शब्द 'या' के रूप में 'और' को पढ़ने से, शब्द 'या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है' अनावश्यक या निरर्थक हो जाता है। संसद केवल यह कह सकती थी कि लैपिंग केवल तभी होगी जब कब्जा नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर कब्जा लिया जाता है तो कभी भी लैपिंग नहीं होगी और

"या" के रूप में "और" पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, ऐसी व्याख्या (अर्थात, पढ़ना या "संयोगात्मक रूप से) व्याख्या के प्रत्येक नियम के विपरीत है और पहले के मामलों में न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने की प्रस्तावना में इंगित विधायी नीति के विपरीत है।

अधिग्रहण, जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां कब्जा ले लिया गया है।

81. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 24 (2) भेदभावपूर्ण हो जाएगी यदि "या" को "और" के रूप में पढ़ा जाता है। इसके लिए धारा 24 (1) (ए) का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। धारा 24 (1) (ए) ऐसी स्थिति पर लागू होती है जहां नए अधिनियम के प्रारंभ तक कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है। नहीं।

इस स्थिति में बढ़े हुए मुआवजे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भी उत्पन्न होंगे। फिर भी संसद ने इन कठिनाइयों को नजरअंदाज किया है और पुनर्निर्धारण का प्रावधान किया है। धारा 24 (1) (ए) पांच साल या उससे अधिक की अवधि तक वापस जा सकती है, या धारा 24 (2) के मामले में 10-15 वर्ष हो सकती है। यह नहीं होगा। पुराने अधिनियम की धारा 11ए की सहायता से धारा 24 (1) (ए) की पूर्वव्यापीता को प्रारंभ से 2 साल पहले तक सीमित करना उचित होगा। यह गलत होगा क्योंकि तब कोई स्पष्टीकरण को नजरअंदाज कर रहा होगा

धारा 11ए (परंतुक)। उक्त स्पष्टीकरण में पुरस्कार की अवधि को 2 साल से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसलिए ऐसे मामलों को बाहर करना उचित नहीं होगा जहां कब्जा ले लिया गया हो, लेकिन मुआवजे का भुगतान बहुत लंबे समय तक नहीं किया गया हो।

नए अधिनियम के प्रारंभ तक। धारा 24 (1) (ए) में धारा 25 (परंतुक), धारा 19 (7) (परंतुक) और धारा 69 (2) (स्पष्टीकरण) जैसे कोई प्रावधान नहीं हैं और इसलिए, उपरोक्त अपवादों के अभाव में इसके दायरे में व्यापक है।

82. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 24 (2) एक विशेष प्रावधान है जो अधिक लाभ देता है क्योंकि धारा 24 (2) के तहत आने वाले मामलों में

" पुरस्कार के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। क्या यह तर्कसंगत होगा कि

धारा 24 (2) को इस तरह से पढ़ें कि यह इसके मूल्य और मूल्य से वंचित हो और इसे अप्रभावी बना दे। धारा 24 (2) समग्र रूप से अप्रभावी हो जाएगी क्योंकि दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मामले होंगे, जहां दोनों शर्तों को पूरा किया जाएगा। अनुभव विशाल बहुमत में इंदौर विकास प्राधिकरण v में दिखाई देता है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

पुराने अधिनियम के तहत अधिग्रहण के मामलों में, कब्जा ले लिया जाता है जबकि पुरस्कार और मुआवजा बहुत बाद में आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 9 और 17 (6)

यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि भले ही अधिनियम का निष्पादन असंभव हो, या अस्वीकार करने में उसकी गलती के बावजूद लाभार्थी को अनुचित लाभ हो, फिर भी धारा 24 (2) का लाभ बिना कोई अपवाद बनाए दिया जा सकता है। कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं हैविधानमंडल कि ऐसे मामलों या स्थितियों को बाहर रखा जाना चाहिए। विधायिका कठिनाइयों के अलावा सभी को समान रूप से लाभ प्रदान कर सकती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निर्णयों पर भरोसा रखा गया है। 63 इसलिए, ऐसी व्याख्या जो कठिनाइयों के ऐसे तर्कों का सहारा लेकर धारा 24 (2) के तहत लाभों को बाहर करती है, अर्थहीन है। उपरोक्त परिस्थितियों को नजरअंदाज करके सभी को लाभ देना न तो अवैध है और न ही अन्यायपूर्ण है। यह न तो विसंगत है और न ही बेतुका। यह आग्रह किया जाता है कि अदालत जो महसूस करती है वह महत्वपूर्ण नहीं है; जो प्रासंगिक है वह विधायिका का दृष्टिकोण है, जिसे केवल पाठ या संदर्भ के पढ़ने से निकाला जाना चाहिए; किसी अन्य तरीके से नहीं। इस नियम के लिए मोहम्मद पर निर्भरता रखी गई थी। कवि वी. फतमाबल इब्राहिम 64 और अन्य निर्णय।

83. अन्य विद्वान वरिष्ठ वकील, अर्थात मेसर्स दुष्यंत दवे, गोपाल

शंकरनारायण, सिद्धार्थ लूथरा, नकुल दीवान, मनोज स्वरूप, अनुकूल चंद्र प्रधान ने श्री दीवान और श्री द्विवेदी की प्रस्तुतियों को पूरा किया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए

63 मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम कलकत्ता निगम 1966 (1) एससीआर 543; कृषि आयकर आयुक्त बनाम केशव चंद्र मंडल 1950 एससीआर 435; और महाराष्ट्र राज्य बनाम नांदेड़ परभणी संघ 2000 (2) एससीसी 69।64 1997 (6) एस. सी. सी. 71 और एम. वी. जवाली बनाम महाजन बोरवेल एंड कंपनी लिमिटेड 1997 (8) एस. सी. सी. 72; और नांदेड़ परभणी संघ (ऊपर); और एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम। नीता भल्ला (2005) 8 एस. सी. सी 89।

क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था, या कब्जा नहीं लिया गया था, 1.1.2009 से पहले दिए गए पुरस्कारों के संबंध में, समाप्त हो जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई दुर्गम कठिनाई या असंभवता नहीं है, भले ही कब्जा ले लिया गया हो।

(लेकिन मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया) और भले ही निहित किया जाता है, नए अधिनियम की धारा 24 (2) स्पष्ट रूप से समाप्त होने का प्रावधान करती है। उस मामले में, उपयुक्त सरकार के लिए उपचार आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग करके फिर से अधिग्रहण से गुजरने का विकल्प है। उस स्थिति में, अधिकारियों को पुनर्वास और बढ़े हुए मुआवजे का प्रावधान करना होगा। किसी भी मामले में, अदालत के पास हमेशा ऐसे मामलों में विकल्प होता है जहां तीसरे पक्ष के अधिकार पूर्ण न्याय करने के लिए होते हैं, उन लोगों को विधिवत मुआवजा देकर जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, तीसरे पक्ष के कब्जे को बाधित किए बिना।

जिसे जमीन दी गई है।

84. विद्वान वकील का कहना है कि इस न्यायालय को 2013 के अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या करने के दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए कि यह एक बहिष्करण संबंधी प्रावधान के साथ एक बचत खंड है। यह आग्रह किया जाता है कि धारा 24 (2) के तहत "भौतिक कब्जा" शब्दों को 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख की वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, यानी, भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा था। यह धारा 24 (2) के तहत "मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया" शब्द के संबंध में भी मामला होगा, जहां मुआवजे का भुगतान या तो करना पड़ता या अदालत में जमा करना पड़ता; और "या" शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि ऊपर निर्धारित दो शर्तें असंगत हैं। यह तर्क दिया जाता है कि धारा 114 में दो धाराएँ (1) धारा 114 (1) में निर्धारित एक निरसन खंड और (2) धारा 114 (2) में निर्धारित एक बचत खंड शामिल हैं। यह तर्क दिया जाता है कि जिस तरीके से एक निरसन खंड है, उसमें एक अंतर है।

इसका अर्थ उस तरीके की तुलना में लगाया जाता है जिसमें बचत खंड का अर्थ लगाया जाता है। जबकि एक निरस्तीकरण खंड, उसी विषय-वस्तु पर एक नए कानून के बाद नए अधिनियम द्वारा पुराने अधिनियम के तहत किन अधिकारों को समाप्त किया जाता है, इस बारे में जांच की एक पंक्ति होगी, एक बचत खंड का अर्थ इस तरह से किया जाएगा जो एक प्रावधान को पुनर्जीवित करता है, जो अन्यथा निरसन के कारण समाप्त हो जाएगा। निरसन खंड के संबंध में, पिछले अधिनियम के प्रावधानों को मिटाने का प्रभाव ऐसा होगा जैसे कि निहित अधिकारों को छोड़कर, जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के तहत संरक्षित होंगे। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6, इस प्रकार एक बचत खंड के रूप में संचालित

होती है। विद्वान वकील पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। मोहर सिंह 65 ने कहा कि एक क़ानून को निरस्त करने का प्रभाव इसे मिटाने के लिए कहा गया था

65 (1955) 1 एस. सी. आर. 893 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

संसद के अभिलेखों से पूरी तरह से जैसे कि यह कभी पारित नहीं किया गया था, उन कार्यों के उद्देश्य के अलावा, जो शुरू किए गए थे,मुकदमा चलाया गया और निष्कर्ष निकाला गया जबकि यह एक मौजूदा कानून था और कि:

" अत: बिना किसी बचत खंड के निरसन किसी भी कार्यवाही को नष्ट कर देगा चाहे वह शुरू नहीं हुई हो या निरसन अधिनियम के अधिनियमन के समय लंबित हो और पहले से ही अंतिम निर्णय के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया हो ताकि एक निहित अधिकार का निर्माण किया जा सके।

85. यह प्रस्तुत करते हुए कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का प्रभाव यह है कि जब तक विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन नहीं होता है

निरस्त अधिनियम के पिछले संचालन या इसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ को प्रभावित करता है और किसी भी अधिकार, दायित्व के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है।

अधिक स्पष्ट रूप से एक बचत प्रावधान के रूप में विधायी इरादे को प्रतिबिंबित करने के लिए कहा गया है, धारा 24 (1) (बी) के संचालन को एक शास्त्रीय बचत प्रावधान के रूप में पूरी तरह से सराहना करने के लिए जो 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही को बचाता है यदि धारा 11 के तहत कोई पुरस्कार दिया गया था, इस तरह से जैसे कि 1894 के अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया था। धारा 24 (1) (ए) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है और इसके निर्धारण के लिए प्रावधान किया गया है2013 के अधिनियम के संदर्भ में मुआवजे का स्वाभाविक रूप से यह अर्थ होगा कि मुआवजे की गणना के मुद्दे को छोड़कर, 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही को पुनर्जीवित किया जाएगा। कार्यवाही को पुनर्जीवित करना

धारा 24 (1) के तहत, धारा 24 (2) के माध्यम से एक मानित लैप्सिंग का प्रावधान है

पाँच वर्ष या 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले दिए गए पुरस्कार के लिए एक गैर-अबाधित प्रावधान। यह एक लीगा फिक्शन बनाता है, जैसा कि इस अदालत ने J.K.Cotton Spg में माना है। & Wvg.Mils Ltd. v. भारत संघ, 66 है:66 1987 एस. सी. सी. 350 [2020] 3 एस. सी. आर.

" ..... मान लिए गए तथ्य के अस्तित्वहीन होने की स्वीकृति। विधायिका एक डीमिंग प्रावधान लागू करने के लिए काफी सक्षम है।

एक तथ्य के अस्तित्व को मानने के उद्देश्य से जो

वास्तव में मौजूद नहीं है।

} }

विद्वान वकील ने बंगाल इम्युनिटी Co.Ltd में संविधान पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया। वी. बिहार राज्य निम्नलिखित प्रभाव से:

" [l] समान कल्पनाएँ केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं

उद्देश्य "और निर्णय ईस्ट एंड ड्वेलिंग को संदर्भित किया गया

Co.Ltd.v। फिन्सबरी बरो काउंसिल, 1952 एसी 109 पर

पैराग्राफ 71, जो इस प्रकार है:

" यदि आपको किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए कहा जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक उन परिणामों और घटनाओं की वास्तविक रूप से कल्पना भी करनी चाहिए जो, यदि अनुमानित स्थिति वास्तव में मौजूद थी, तो अनिवार्य रूप से उससे उत्पन्न हुई होगी या उसके साथ हुई होगी। इस मामले में इनमें से एक 1939 के स्तर से मुक्ति है किराया देते हैं। कानून कहता है कि आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणाम की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को चौंका देना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए।

(जोर दिया गया)

87. इस संदर्भ में इस न्यायालय के अन्य फैसलों पर भी भरोसा किया गया था। 68 विद्वान वकील ने कहा कि यह देखते हुए कि यह एक कानूनी कल्पना है जो 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही की मानित समाप्ति की ओर ले जाती है,

धारा 24 (2) के तहत संसदीय इरादे का अर्थ इस तरह लगाया जाना चाहिए कि धारा 24 (2) के तहत "भौतिक कब्जा" 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है; इसी तरह, धारा 24 (2) के तहत भुगतान नहीं किया गया क्षतिपूर्ति शब्द भी। यह कहा गया था कि कार्यकारी

नियमों के अनुसार कोषागार में राशि को बनाए रखना भुगतान की शर्त के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विद्वान वकील ने यह भी आग्रह किया कि इस अदालत को "या" की व्याख्या दोनों शर्तों के असंगत अध्ययन के रूप में करनी चाहिए। धारा 24 (2) के तहत बनाई गई इस कानूनी कल्पना की तुलना 1894 के अधिनियम के तहत राज्य के दायित्वों से करना इस न्यायालय के फैसलों के साथ असंगत होगा, जिसके तहत कानूनी कल्पनाएं की गई हैं।

67 (1955) 2 एससीआर 60368 एम. आई. जी. क्रिकेट क्लब बनाम अभिनव सहकार एजुकेशन सोसाइटी, (2011) 9 एस. सी. सी. 97 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

इसे वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि कानूनी कल्पना में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसलिए, धारा 24 (2) का प्रभाव यह है कि यदि किसी भी स्थिति को पूरा नहीं किया जाता है, तो 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और राज्य 2013 के अधिनियम के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही शुरू कर सकता है। यह रचना, विद्वान परामर्श का आग्रह भी उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक है। यदि राज्य ने किसी संपत्ति का भौतिक कब्जा नहीं लिया है, भले ही मुआवजे का भुगतान 5 साल से अधिक समय से किया गया हो

2013 के अधिनियम की शुरुआत, क्योंकि यह अब अधिग्रहण के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, यह कार्यवाही को छोड़ सकता है जैसा कि उनके पास होगा

लुप्त हो गया। ऐसी स्थिति में, राज्य स्वाभाविक रूप से पुनर्स्थापनात्मक वसूली का हकदार होगा। हालाँकि, यदि राज्य भौतिक रूप से कब्जा करने में विफल रहा है, तो उसे अपनी निष्क्रियता से लाभ नहीं हो सकता है और उसे 2013 के अधिनियम के तहत कार्यवाही फिर से शुरू करनी चाहिए। ऐसे मामले में, भुगतान किए गए मुआवजे को 2013 के अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे के खिलाफ हमेशा फिर से समायोजित किया जा सकता है। तथापि, यह आग्रह किया जाता है कि भले ही 2013 के अधिनियम की धारा 114 (2) को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के आधार पर राज्य के निहित अधिकारों को जीवित रखने के लिए माना जाता है, ऐसे अधिकार 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) और धारा 24 (2) द्वारा सीमित हैं। इस प्रकार, जबकि आम तौर पर अधिग्रहण की कार्यवाही जो 1894 के अधिनियम के तहत पारित पुरस्कारों के संबंध में लंबित थी, जारी रहती, विधायिका एक सृजन के माध्यम से

एक कानूनी कल्पना, जो इन कार्यवाहियों की मानित समाप्ति के लिए प्रदान की गई है, जिसके संबंध में भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा रखा। 69 वी. के. एन. एम. व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाम केरल राज्य, 70 जहाँ यह आयोजित किया गया था कि:

" ..... एक निहित अधिकार को बाद वाले द्वारा भी छीन लिया जा सकता है।

अधिनियम यदि इस तरह के बाद के अधिनियम विशेष रूप से प्रदान करता है

व्यक्त शब्दों या आवश्यक इरादे से। दूसरे शब्दों में,व्यक्त द्वारा ऐसे किसी भी अधिकार के विलुप्त होने की स्थिति में

बाद के अधिनियम में प्रावधान, वही खो देगा

इसका मूल्य "।

88. यह प्रस्तुत किया गया था कि 1894 के अधिनियम के तहत संचित अधिकारों और उपार्जित देनदारियों को निर्धारित करने के लिए,

जांच का उद्देश्य यह पता लगाना नहीं है कि क्या नए अधिनियम ने अपने नए प्रावधानों द्वारा निरस्त कानून के तहत अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखा है, बल्कि यह जानना है कि क्या इसने उन अधिकारों और देनदारियों को छीन लिया है।

69 जयंतीलाल अमृतलाल बनाम। भारत संघ, (1972) 4 एस. सी. सी. 174, T.S.Baliah वी. आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्कल VI, मद्रास, 1969 (3) एससीआर 65 70 2016 (4) एससीसी 216।

89. सभी विद्वान वकीलों ने इस दलील का समर्थन किया कि परंतुक

इसके संचालन में केवल धारा 24 (2) तक ही सीमित नहीं है और इसका स्थान निर्धारक नहीं है। इस बात पर जोर दिया गया कि परंतुक में यह नहीं कहा गया है कि अधिक मुआवजे का भुगतान, इसके द्वारा प्रदान की गई आकस्मिकता में, चूक से बचने के विकल्प के रूप में किया जाएगा। किसी की अनुपस्थिति

लैप्सिंग, या धारा 24 (2) के घटकों के संदर्भ का स्पष्ट रूप से अर्थ था कि अधिकांश भूमि मालिकों को (पुराने अधिनियम के तहत) मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में उच्च मुआवजे का लाभ था

एक ही वर्ग में आने वाले सभी लोगों के लिए, अर्थात, जिनकी भूमि अधिग्रहण के अधीन थी, चाहे वह 2013 के अधिनियम के लागू होने से पांच साल पहले हो या उससे कम।

प्रासंगिक प्रावधान 90. वर्तमान मामलों में विवाद की सराहना करने के लिए, यह है

1894 के अधिनियम के साथ-साथ 2013 के अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को निकालने के लिए आवश्यक है। 1894 के अधिनियम के प्रावधानों को नीचे दोहराया गया है:

" 12 कलेक्टर का पुरस्कार जब अंतिम होना है।

(1) ऐसा पुरस्कार कलेक्टर के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा और

इसके बाद दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, अंतिम और निर्णायक होगा।

कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच साक्षय,

क्या वे क्रमशः कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हैं

या नहीं, भूमि के वास्तविक क्षेत्र और मूल्य का, औरव्यक्तियों के बीच मुआवजे का विभाजन

रुचि रखते हैं।

(2) कलेक्टर अपने पुरस्कार की तत्काल सूचना देंगे

इच्छुक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हैं

या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जब पुरस्कार दिया जाता है।

***

***

“ 17. तात्कालिकता के मामले में विशेष शक्तियाँ। – (1) जिन मामलों में

तात्कालिकता, जब भी उपयुक्त सरकार निर्देश देती है,कलेक्टर, हालांकि ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, पर

सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति धारा 9, उप-धारा (1) में उल्लिखित,

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी भूमि। ऐसी भूमि

इसके बाद सरकार में पूरी तरह से निहित, सभी से मुक्त

अड़चनें।

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

[(3क) उप-धारा के तहत किसी भी भूमि पर कब्जा करने से पहले

(1) या उप-धारा (2), कलेक्टर, बिना किसी पूर्वाग्रह के,

उप-धारा (3) के प्रावधानों के लिए

(क) मुआवजे के अस्सी प्रतिशत का निविदा भुगतान

ऐसी भूमि के लिए जो उसके द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को अनुमानित की गई हो।

इसके हकदार हैं, और

(बी) उन्हें इसका भुगतान करें, जब तक कि किसी एक या अधिक द्वारा रोका न जाए

धारा 31, उप-धारा (2) में उल्लिखित आकस्मिकताएँ,

और जहां कलेक्टर को इस तरह से रोका जाता है, के प्रावधान

धारा 31, उप-धारा (2) (उसके दूसरे परंतुक को छोड़कर),वे मुआवजे के भुगतान पर लागू होंगे

उस धारा के तहत।

(4) किसी भी भूमि के मामले में, जिसके लिए, की राय में

[उपयुक्त सरकार], उप-धारा (1) के प्रावधान

या उप-धारा (2) लागू होती है, उपयुक्त सरकार

निर्देश दे सकता है कि धारा 5क के प्रावधान लागू नहीं होंगे,

और, यदि यह ऐसा प्रत्यक्ष करता है, तो इसके तहत एक घोषणा की जा सकती है

धारा 6 की तारीख के बाद किसी भी समय भूमि के संबंध में

धारा 4, उप-धारा के तहत अधिसूचना का प्रकाशन

(1) .] ”

16. अधिकार लेने की शक्ति। — जब कलेक्टर ने किया है

धारा 11 के तहत एक पुरस्कार, वह कब्जा कर सकता है

भूमि, जो इसके बाद पूरी तरह से निहित होगी

सरकार, सभी बाधाओं से मुक्त।

***

***

31. अदालत में मुआवजे या उसी की जमा राशि का भुगतान। -

(1) धारा 11 के तहत पुरस्कार देने पर, कलेक्टर

उसके द्वारा दिए गए मुआवजे का निविदा भुगतान

पुरस्कार के अनुसार इसके हकदार इच्छुक व्यक्ति,

और उन्हें इसका भुगतान तब तक करेगा जब तक कि किसी एक या अधिक द्वारा रोका न जाए।अगले उप-खंड में उल्लिखित आकस्मिकताओं का विवरण।

(2) यदि वे इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे, या यदि कोई नहीं होगा

भूमि को अलग करने के लिए सक्षम व्यक्ति, या यदि कोई है

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार के बारे में या के रूप में विवाद इसका बंटवारा करते हुए, कलेक्टर राशि जमा करेगा

न्यायालय में क्षतिपूर्ति जिसके लिए एक संदर्भ

धारा 18 प्रस्तुत की जाएगी:

बशर्ते कि इच्छुक होने के लिए स्वीकार किया गया कोई भी व्यक्ति विरोध के तहत ऐसा भुगतान प्राप्त कर सकता है कि राशि पर्याप्त है: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने विरोध के अलावा अन्य कोई राशि प्राप्त नहीं की है, वह धारा 18 के तहत कोई आवेदन करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, जो इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी मुआवजे का पूरा या कोई हिस्सा प्राप्त कर सकता है, उसे कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को भुगतान करने के लिए।

(3) इस धारा में कुछ भी होने के बावजूद, कलेक्टर

(4) अंतिम पूर्वगामी उप-धारा की किसी भी बात का अर्थ कलेक्टर की प्रवेश करने की शक्ति में हस्तक्षेप करना या उसे सीमित करना नहीं होगा।भूमि में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यवस्था में

और उसके संबंध में अनुबंध करने के लिए सक्षम।

***

***

34 ब्याज का भुगतान

जब इस तरह के मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या भूमि पर कब्जा करने से पहले जमा नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर उस दर पर ब्याज के साथ राशि का भुगतान करेगा। इस प्रकार कब्जा करने के समय से लेकर इस प्रकार भुगतान या जमा किए जाने तक प्रति वर्ष 72 [नौ प्रतिशत]:

बशर्ते कि यदि ऐसा मुआवजा या उसका कोई हिस्सा

एक वर्ष की अवधि के भीतर भुगतान या जमा नहीं किया गया

जिस तारीख को कब्जा लिया जाता है, उस तारीख से पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर देय होगा, जिसका भुगतान या जमा ऐसी समाप्ति की तारीख से पहले नहीं किया गया है। विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

2013 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 24. 1984 के अधिनियम संख्या 1 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

कुछ मामलों में व्यपगत माना जाएगा।

(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही का मामला

अधिग्रहण अधिनियम, 1894, -

(क) जहाँ उक्त भूमि की धारा 11 के तहत कोई पुरस्कार नहीं है।

अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया है, तो, इसके सभी प्रावधान

मुआवजे के निर्धारण से संबंधित अधिनियम लागू होगा;

या

(ख) जहां उक्त धारा 11 के तहत कोई पुरस्कार दिया गया है,

तब ऐसी कार्यवाही के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी

उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जैसे कि उक्त अधिनियम नहीं किया गया है

निरस्त कर दिया।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1), जिसके तहत एक पुरस्कार

उक्त धारा 11 पाँच वर्ष या उससे अधिक समय पहले बनाई गई है

इस अधिनियम का प्रारंभ लेकिन भौतिक अधिकार

जमीन नहीं ली गई है या मुआवजा नहीं दिया गया है।

उक्त कार्यवाही का भुगतान किया गया माना जाएगा कि वह समाप्त हो गई है।

इस तरह के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ:

बशर्ते कि जहाँ कोई पुरस्कार दिया गया हो और

अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा दिया गया है

लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो, अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी

उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत,

प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का हकदार इस अधिनियम का "।

***

***

114. रद्द करें और बचत करें। – (1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. (1

एल. ए.), एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, उप-धारा (1) के तहत निरस्तीकरण को निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 इस प्रकार है:

" धारा 6-निरसन का प्रभाव

जहां यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन, अब तक किए गए या इसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, तब, जब तक कि कोई अलग इरादा न हो।

प्रतीत होता है, निरसन नहीं होगा (क) किसी भी ऐसी चीज को पुनर्जीवित करें जो उस समय लागू या मौजूद न हो।

निरसन प्रभावी होता है; या

(ख) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित करता है।

या उसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित कुछ भी; या

(ग) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है; या

(घ) में किए गए किसी भी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है

इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में; या

(ई) ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है,

जैसा कि ऊपर कहा गया है दंड, ज़ब्त या सजा;

और ऐसा कोई भी अन्वेषण, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना,

ज़ब्त या सजा इस तरह दी जा सकती है जैसे कि निरसन

अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था।

2013 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

91. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद, कोई दो राय नहीं हो सकती है कि 2013 के अधिनियम के प्रावधानों को उनकी भूमि से विस्थापित लोगों को मुआवजा प्रदान करने और उनके पुनर्वास के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का निष्कर्षण और विवरण

इसे नीचे संक्षिप्त किया गया है:

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

" परिचय

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक सामान्य कानून था। कम्पनियों और ऐसे अधिग्रहण के कारण किए जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए। उक्त अधिनियम के प्रावधान निजी भूमि और संपत्ति के अनैच्छिक अधिग्रहण के लिए राज्य की वैधानिक शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कुछ मुद्दों को संबोधित करने में अपर्याप्त पाए गए।

अधिनियम ने पुनर्वास के मुद्दों को संबोधित नहीं किया और

प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को पुनर्वास। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. में न केवल केंद्र सरकार द्वारा बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी कई संशोधन किए गए थे। लेकिन, भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से बहु-फसल सिंचित भूमि पर जनता की चिंता बढ़ रही थी। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्वास के मुद्दों से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं था। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के रूप में और

पुनर्वास एक ही सिक्के के दो पहलू थे, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्वास के मुद्दों से निपटने के लिए एक एकल एकीकृत कानून आवश्यक था।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

अवसंरचना और शहरीकरण परियोजनाएं समय पर औरपारदर्शी तरीके से।

यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण के लिए विधायी दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह पहली बार प्रावधान पेश करता है।

सामाजिक प्रभाव विश्लेषण के लिए, गैर-मालिकों को प्रभावित व्यक्तियों के रूप में मान्यता देता है, अधिग्रहण का एक तरीका जिसके लिए सहमति की आवश्यकता होती है

पुनर्वास के लिए विस्थापित और वैधानिक अधिकार। में।इसके अलावा, इसने उन आधारों को प्रतिबंधित कर दिया है जिन पर तात्कालिकता खंड के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए और कंपनियों [2020] 3 एस. सी. आर. के लिए भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित सामान्य कानून है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और ऐसे अधिग्रहण के कारण किए जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को वैधानिक शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कुछ मुद्दों को संबोधित करने में अपर्याप्त पाया गया है।

निजी भूमि और संपत्ति के अनैच्छिक अधिग्रहण के लिए राज्य। यह अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के पुनर्वास और पुनर्वास के मुद्दों को संबोधित नहीं करता है।

2. "सार्वजनिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति की परिभाषा के रूप में

अधिनियम में दिया गया बहुत व्यापक है। इसलिए, इसे फिर से परिभाषित करना आवश्यक हो गया है ताकि राज्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए इसके दायरे को सीमित किया जा सके और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जहां आम जनता को लाभ मिलता है। अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग कंपनियों के लिए निजी भूमि अधिग्रहण के लिए भी किया जाता है। यह अक्सर इस तरह के राज्य हस्तक्षेप की वांछनीयता पर सवालिया निशान लगाता है जब कंपनी द्वारा भूमि की व्यवस्था की जा सकती है।

ऐसी भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. को निरस्त करने और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधानों के साथ इसे बदलने का प्रस्ताव है। 3. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. में न केवल केंद्र सरकार द्वारा बल्कि कई संशोधन किए गए हैं।

राज्य सरकारों द्वारा भी। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से बहु-फसल सिंचित भूमि पर जनता की चिंता बढ़ गई है और पुनर्वास और पुनर्वास के मुद्दों से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है।विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। चूंकि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्वास को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखने की आवश्यकता है, इसलिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्वास के मुद्दों से निपटने के लिए एक एकीकृत कानून आवश्यक हो गया है। इसलिए प्रस्तावित कानून

किसानों और उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रस्ताव

आजीविका अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर है, जबकि एक ही समय में डीओआरई विकास प्राधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करता है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

औद्योगीकरण, अवसंरचना और शहरीकरण परियोजनाएं

समय पर और पारदर्शी तरीके से।

4. इससे पहले, भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2007 और पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक, 2007 को 6 दिसंबर 2007 को लोकसभा में पेश किया गया था और इन्हें लोकसभा के लिए भेजा गया था। ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति

परीक्षा और रिपोर्ट के लिए। स्थायी समिति

21 अक्टूबर 2008 को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट (39 वीं और 40 वीं रिपोर्ट) प्रस्तुत की और उसी दिन राज्यसभा में रखी। स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर और उसके परिणामस्वरूप, विधेयकों में आधिकारिक संशोधन प्रस्तावित किए गए। इन विधेयकों को आधिकारिक संशोधनों के साथ 25 फरवरी 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह विधेयक भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया।

14 वीं लोकसभा।

5. अब एक एकीकृत कानून बनाने का प्रस्ताव है।

भूमि अधिग्रहण के साथ, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रावधान करें क्षतिपूर्ति और इसके लिए पर्याप्त प्रावधान करना

प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास तंत्र। इस प्रकार विधेयक में निरस्तीकरण का प्रावधान है

और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. के स्थान पर व्यापक

पर्याप्त पुनर्वास और पुनर्वास के लिए प्रावधान

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए तंत्र।

6. अक्सर सार्वजनिक सुविधाओं या बुनियादी ढांचे का प्रावधान

राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है जिससे लोगों का विस्थापन होता है, उन्हें उनकी भूमि, आजीविका और आश्रय से वंचित किया जाता है,

पारंपरिक संसाधन आधार तक उनकी पहुंच को सीमित किया जाता है और उन्हें उनके सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण से उखाड़ फेंका जाता है। ये दर्दनाक हैं,

समाज पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव

प्रभावित आबादी, जो अपने अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान करती है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), सीमांत किसानों और उनके परिवारों सहित समाज के कमजोर वर्गों के मामले में।

7. पुनर्वास और पुनर्वास के मुद्दों को प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ तैयार की गई विकास प्रक्रिया के लिए आंतरिक रूप से पहचानने की आवश्यकता है

और परिवार। मौद्रिक [2020] 3 एस. सी. आर. से परे अतिरिक्त लाभ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए।

अनैच्छिक विस्थापन द्वारा प्रतिकूल। जिन लोगों का उस भूमि पर अधिकार नहीं है, जिस पर वे अपने निर्वाह के लिए गंभीर रूप से निर्भर हैं, उनकी दुर्दशा और भी बदतर है। यह योजनाकारों की ओर से विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्वास प्रक्रिया ढांचे में शामिल करने के लिए एक व्यापक ठोस प्रयास की मांग करता है, न केवल उन लोगों के लिए जो सीधे अपनी भूमि और अन्य संपत्तियों को खो देते हैं, बल्कि उन सभी के लिए भी जो इस तरह के अधिग्रहण से प्रभावित हैं। विस्थापन प्रक्रिया अक्सर ऐसी समस्याएं पैदा करती है जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए अपनी पारंपरिक आजीविका गतिविधियों को जारी रखना मुश्किल हो जाता है।

पुनर्वास। इसके लिए आर्थिक नुकसान और इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

विस्थापन। प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के सर्वांगीण जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से समग्र प्रयास भी होने चाहिए।

8. परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास पर एक राष्ट्रीय नीति 2003 में तैयार की गई थी, जो फरवरी 2004 से लागू हुई थी। इस नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव इंगित करता है कि नीति द्वारा संबोधित कई मुद्दे हैं जिनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, एक के माध्यम से

प्रत्येक परियोजना की वांछनीयता और न्यायसंगतता की लागतों और लाभों की सावधानीपूर्वक मात्रा निर्धारित करना जो बड़े पैमाने पर समाज को प्राप्त होंगे। प्रभावित परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव-आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक-का मूल्यांकन सहभागी और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। एक राष्ट्रीय

इस प्रकार पुनर्वास और पुनर्वास ढांचे को उन सभी परियोजनाओं पर लागू करने की आवश्यकता है जहां अनैच्छिक विस्थापन होता है।

9. परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति, 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2007 तैयार की गई है। नई नीति को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और यह 31 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी हो गई है। कई राज्य सरकारों की अपनी पुनर्वास और पुनर्वास नीतियाँ हैं। इस संबंध में कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या एजेंसियों की भी अपनी नीतियां हैं।

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

10. यह कानून तब लागू होगा जब सरकार अपने उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए या अंतिम उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करेगी।

इसे निजी कंपनियों के उपयोग के लिए सार्वजनिक रूप से हस्तांतरित करना।

उद्देश्य या तत्काल और निजी द्वारा घोषित उपयोग के लिए

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कंपनियाँ। केवल पुनर्वास और

पुनर्वास प्रावधान तब लागू होंगे जब निजी कंपनियां किसी परियोजना के लिए भूमि खरीदती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 एकड़ से अधिक या शहरी क्षेत्रों में 50 एकड़ से अधिक भूमि खरीदती हैं। भूमि अधिग्रहण के प्रावधान अधिग्रहण किए जाने वाले क्षेत्र पर लागू होंगे लेकिन निजी कंपनी के आने पर भी पुनर्वास और पुनर्वास के प्रावधान पूरे परियोजना क्षेत्र पर लागू होंगे।

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आंशिक अधिग्रहण के लिए सरकार।

11. " सार्वजनिक उद्देश्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है,

ताकि अधिग्रहण में सरकारी हस्तक्षेप केवल रक्षा, कुछ विकास परियोजनाओं तक ही सीमित रहे। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परियोजना के लिए कम से कम 80 प्रतिशत की सहमति हो।

प्रभावित परिवारों को पूर्व सूचित के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

प्रक्रिया। तात्कालिकता खंड के तहत अधिग्रहण भी किया गया है

राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए सीमित

उद्देश्य, और पुनर्वास और पुनर्वास की आवश्यकताएँ

केवल आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदाओं की घटना।

12. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बहु-फसल सिंचित भूमि का अधिग्रहण केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। यदि बहु-फसल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो संवर्धित बंजर भूमि के बराबर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। जिन जिलों में शुद्ध बुवाई क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से कम है, वे 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

जिले के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाएगा।

13. भूमि मालिकों के लिए व्यापक क्षतिपूर्ति पैकेज सुनिश्चित करने के लिए, भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए एक वैज्ञानिक विधि प्रस्तावित की गई है। गणना किए गए बाजार मूल्य को ग्रामीण क्षेत्रों में दो के कारक से गुणा किया जाएगा। सोलेटियम को भी 100 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

कुल क्षतिपूर्ति। जहाँ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है शहरीकरण, विकसित भूमि का 20 प्रतिशत दिया जाएगा

प्रभावित भूमि मालिकों को।

14. निर्वाह भत्ता, नौकरी, घर, [2020] 3 एस. सी. आर. सहित भूमि मालिकों के लिए व्यापक पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिंचाई परियोजनाओं, परिवहन भत्ता और पुनर्वास भत्ता के मामलों में एक एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

15. आजीविका खोने वालों के लिए व्यापक पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज, जिसमें निर्वाह भत्ता, नौकरी, घर, परिवहन भत्ता और पुनर्वास भत्ता शामिल हैं।

प्रस्तावित है।

16. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान और

अनुसूचित जनजातियों की परिकल्पना प्रत्येक प्रभावित परिवार को ढाई एकड़ भूमि या खोए हुए भूमि के विस्तार का अतिरिक्त लाभ प्रदान करके की गई है।

रु. 50,000 / - ; जिले के बाहर बसे परिवारों के लिए पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास और पुनर्वास लाभ; सामुदायिक और सामाजिक समारोहों के लिए मुफ्त भूमि और पुनर्वास क्षेत्र में आरक्षण जारी रखना आदि।

17. पुनर्वास क्षेत्र में स्कूलों और विद्यालयों सहित पँचिश बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

खेल के मैदान, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें और बिजली कनेक्शन, सुरक्षित पेयजल के सुनिश्चित स्रोत, पंचायत घर, आंगनवाड़ियां, पूजा स्थल, दफन और दाह संस्कार स्थल, ग्राम स्तर के डाकघर, उचित मूल्य की दुकानें और बीज

सह-उर्वरक भंडारण सुविधाएं।

18. नए कानून के तहत लाभ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. के तहत भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में उपलब्ध होंगे, जहां पुरस्कार नहीं दिया गया है, या भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है।

राज्य सरकार के भूमि बैंक को हस्तांतरित किया गया। बिना विकास के भूमि के प्रत्येक हस्तांतरण पर, मूल्यवान भूमि मूल्य का बीस प्रतिशत मूल भूमि के साथ साझा किया जाएगा।मालिकों।

20. विधेयक के प्रावधान पूरी तरह से किए गए हैं।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996; अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन की मान्यता) जैसे अन्य कानूनों का अनुपालन।

अधिकार) अधिनियम, 2006 और पाँचवें अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण विनियम।

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

21. दोनों के लिए कठोर और व्यापक दंड

गलत जानकारी, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई और प्रस्ताव के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में कंपनियां और सरकार

कानून बनाए गए हैं।

22. भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ केंद्रीय अधिनियम

विधेयक में सूचीबद्ध किए गए हैं। विधेयक के प्रावधान इन अधिनियमों के अतिरिक्त हैं न कि अपमान में। इस अधिनियम के प्रावधानों को इन मौजूदा अधिनियमों पर लागू किया जा सकता हैकेंद्र सरकार की अधिसूचना।

23. विधेयक में बुनियादी न्यूनतम का भी प्रावधान है।

आवश्यकताएँ जो विस्थापन की ओर ले जाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए आवश्यक हैं पता। इसमें राज्य को सक्षम बनाने के लिए एक बचत खंड शामिल है।

सरकारें, अधिक से अधिक प्रदान करना या रखना जारी रखें

विधेयक के तहत निर्धारित लाभ स्तरों की तुलना में।

24. विधेयक में बुनियादी न्यूनतम का प्रावधान होगा कि विस्थापन की ओर ले जाने वाली सभी परियोजनाओं को संबोधित किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रभाव

विस्थापन के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन (एस. आई. ए.)

प्रभावित सहित सभी हितधारकों को शामिल करने वाली प्रक्रियाइन पर कार्रवाई करने से पहले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। द.

पुनर्वास प्रक्रिया आय के स्तर को बढ़ाएगी और समृद्ध करेगी।

विस्थापित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता, जिसमें पुनर्निर्माण शामिल है

सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध, क्षमता निर्माण और प्रावधान

सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाएँ। कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

विस्थापित व्यक्तियों के वर्ग।

25. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नोटों में

खंडों में निहित विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करें

बिल "।

92. 2013 के अधिनियम की धारा 2 (2) में प्रावधान है कि निजी कंपनियों के लिए समझौता होने की स्थिति में, 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए,

प्रभावित परिवारों को ले जाने की आवश्यकता है। धारा 3 (ग) में,

' प्रभावित परिवार का विस्तार किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं

अनुसूचित जनजातियों के लोग, वनवासी और ऐसे परिवार जो वनों या जल निकायों पर निर्भर हैं। ए "सामाजिक प्रभावएस. एस. एम. टी. "(" एस. आई. ए ".) तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि धारा 4 से 9 में दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए धारा 10 में उल्लिखित असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बहु-फसल भूमि के अधिग्रहण को प्रतिबंधित करके विशेष प्रावधान किए गए हैं। धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के संबंध में 1894 के अधिनियम की धारा 4 के समान है। एस. आई. ए. रिपोर्ट उस स्थिति में समाप्त हो जाती है जब धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना नहीं होती है।

रिपोर्ट की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर जारी किया गया। ए.

पुनर्वास और पुनर्वास योजना ("आर. आर. योजना") धारा 16 से 18 में प्रदान की गई है। कलेक्टर को धारा 23 के तहत पुरस्कार देना होता है। धारा 26 कलेक्टर द्वारा बाजार मूल्य के निर्धारण से संबंधित है। धारा 30 में 100% पर सॉलेटियम का प्रावधान है। आर. आर. पुरस्कार को कलेक्टर द्वारा धारा 31 के तहत पारित किया जाना है, और धारा 37 के तहत तुरंत नोटिस दिया जाना है, जो कि 1894 के अधिनियम की धारा 12 के बराबर है। धारा 38 में प्रावधान है कि कलेक्टर को मुआवजे का पूरा भुगतान करने के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्वास अधिकारों का भुगतान या हकदार व्यक्तियों को निविदा देने के बाद कब्जा करना होगा। इस प्रकार, 2013 के अधिनियम की धारा 38 में निहित प्रावधानों में 1894 के अधिनियम की धारा 16 से एक विचलन है। कलेक्टर को 2013 के अधिनियम की धारा 38 के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को विस्थापित करने से पहले पुनर्वास और पुनर्वास प्रक्रिया पूरी हो। धारा 40 तात्कालिक मामलों से संबंधित है। भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तात्कालिकता की स्थिति में सरकार पुरस्कार दिए बिना भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। अन्य में

प्राकृतिक आपदाओं या किसी अन्य आपात स्थिति से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों का उपयोग धारा 40 के तहत विशेष प्रावधानों का उपयोग संसद के अनुमोदन से किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास और पुनर्वास योजना के प्रावधानों को छूट दी जा सकती है। ऐसे मामलों में 75 प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा देय है। धारा 41 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान हैं और जहाँ तक संभव हो अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाकर अनुसूचित जनजातियाँ। धारा 43 से 50 परियोजना के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरणों और निगरानी समितियों की नियुक्ति और गठन से संबंधित है। धारा 51 से 74 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास की स्थापना से संबंधित है।

प्राधिकरण। धारा 77 से 80 तक, भुगतान, जमा करने और जमा करने से संबंधित, 1894 के अधिनियम की धारा 31 से 34 में निहित प्रावधानों के समान हैं।

ब्याज आदि। धारा 93 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के बराबर है। यदि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तो सरकार अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र होगी। धारा 101 में प्रावधान है कि भूमि मूल मालिक या उपयुक्त के भूमि बैंक को वापस की जाए।

सरकार यदि अधिग्रहित भूमि पाँच वर्ष की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहती है।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

इस प्रकार, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित 2013 के अधिनियम में पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम से विभिन्न प्रस्थान किए गए हैं।

पुराने अधिनियम की तुलना में मुआवजा; सार्वजनिक उद्देश्य को परिभाषित किया गया है; सहमति के प्रावधान भी किए गए हैं। अनुसूचित जातियों का हित और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है। विभिन्न समितियों और प्राधिकरणों का गठन किया गया है। 'प्रभावित परिवारों' की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

93. निस्संदेह 2013 के अधिनियम ने उच्च मुआवजे और पुनर्वास के प्रावधानों के रूप में सुरक्षा प्रदान की है, जो हैं -आवश्यक है। इस दृष्टि से, न्यायालय को अपने प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी, प्रावधानों की भाषा और अवधि को ध्यान में रखते हुए विधायी इरादे को पूर्ण और सार्थक प्रभाव देने के लिए, यह न्यायालय द्वारा कानून बनाने के लिए नहीं है। न्यायालय अस्पष्टता को दूर करने के लिए केवल खामियों को दूर कर सकता है। इच्छित लाभ को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही, 2013 के अधिनियम के बाद से, अधिकारियों की ओर से शिथिलता और निष्क्रियता के कारण अधिसूचित अधिग्रहण (और कई मामलों में, पुरस्कार जारी करके पूरा किया गया) समाप्त होने की परिकल्पना की गई है और इसलिए, अधिग्रहण का इरादा तेजी से है, धारा 24 में निहित प्रावधानों को पूरा प्रभाव देना होगा।

धारा 24 का दायरा94. धारा 24 एक गैर-बाध्य खंड के साथ शुरू होती है, जो सभी को ओवरराइड करती है।

निरसन और बचत से संबंधित 2013 के अधिनियम की धारा 114 सहित 2013 के अधिनियम के अन्य प्रावधान। 2013 के अधिनियम की धारा 114 के संदर्भ में, अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग को बचा लिया गया है। अनुभाग

6 (क) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 का प्रावधान है कि जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन किसी भी ऐसी चीज को पुनर्जीवित नहीं करेगा जो उस समय लागू या मौजूद नहीं थी जब निरसन किया गया था। इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम या उसके तहत विधिवत

किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य के पिछले संचालन का प्रभाव भी धारा 6 (बी) में निहित प्रावधानों द्वारा सहेजा जाता है। धारा 6 (सी) के अनुसार, निरसन किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या अधिग्रहित, उपार्जित या उपार्जित दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

95. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए), जिसे गैर-अवरोधक खंड के साथ पढ़ा जाता है, में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के मामले में

1894 पुरस्कार धारा 11 के तहत नहीं दिया गया था, तब मुआवजे के निर्धारण से संबंधित 2013 के अधिनियम के प्रावधान [2020] 3 एस. सी. आर.

इस बात पर विचार किया गया है कि ऐसी लंबित कार्यवाहियां, जिस तारीख को 2013 का अधिनियम लागू हुआ था, जारी रहेंगी और अपने तार्किक अंत तक ले जाएंगी। तथापि, धारा 24 (1) (बी) के अपवाद का प्रावधान धारा 24 (2) में लंबित कार्यवाहियों के मामले में किया गया है; ऐसे मामले में जहां पुरस्कार अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष या उससे अधिक समय पहले पारित किया गया है। 2013 , भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा, और ऐसी कार्यवाही 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं रह सकती है।

96. धारा 24 (2) धारा 24 (1) (बी) के लिए एक अपवाद तैयार करती है, जहां पुरस्कार पारित किया गया है, और कार्यवाही लंबित है, लेकिनऐसी कार्यवाही में, भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है,

या क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है, कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। चूक के लिए दोहरी आवश्यकताएं हैं; पहला, भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है और दूसरा, मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। यदि कब्जा ले लिया गया है लेकिन मुआवजे का भुगतान किया गया है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। जो सवाल तय किया जाना है वह यह है कि क्या परिस्थितियाँ संचयी हैं, यानी अधिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने के लिए दोनों को पूरा किया जाना है, या शर्तें वैकल्पिक ("या तो/या") में हैं। राज्य और अधिग्रहण एजेंसियों के अनुसार, ऐसी स्थिति में जहां कब्जा ले लिया गया है, और मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, कोई चूक नहीं है: उन मामलों में भी जहां मुआवजे का भुगतान किया गया है, लेकिन 1.1.2014 पर लंबित कार्यवाही में कब्जा नहीं लिया गया है, कोई चूक नहीं है। अनिवार्य रूप से यह है कि कार्यवाही लंबित होनी चाहिए। उनका तर्क है कि "या" वाक्यांश में उपयोग किया गया शब्द 'भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है', की व्याख्या "और" के रूप में की जानी चाहिए क्योंकि दो नकारात्मक आवश्यकताएं इसे योग्य बनाती हैं। इसके अलावा, राज्य का तर्क है कि जब दो नकारात्मक स्थितियां "या" से जुड़ी होती हैं, तो उन्हें संचयी माना

जाता है, शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना है। स्वाभाविक रूप से, भूमि मालिक इसके विपरीत तर्क देते हैं, अर्थात,

अधिग्रहण तब हुआ जब 2013 के अधिनियम के लागू होने से 5 साल पहले मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, या कब्जा नहीं लिया गया था।

97. सांविधिक व्याख्या के नियमों पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

इस संबंध में। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (14 वां संस्करण), सांविधिक इंदौर विकास प्राधिकरण v के निम्नलिखित सामान्य नियम की बात करते हैं।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

जब भी किसी क़ानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों की व्याख्याः

..... आम तौर पर, के बीच एक अंतर किया जा सकता है

एक क़ानून द्वारा निर्धारित सकारात्मक और नकारात्मक शर्तें

अधिकार या लाभ प्राप्त करना। सकारात्मक स्थितियों को अलग किया गया'या' द्वारा वैकल्पिक '1 में पढ़ा जाता है लेकिन नकारात्मक स्थितियाँ

'या' द्वारा जुड़े हुए संचयी के रूप में माने जाते हैं और 'या' है

'नौर' या 'और' 72 के रूप में पढ़ें।

वैधानिक व्याख्या का उपरोक्त नियम इस पर आधारित है -

पटेल चुनीभाई दजिभा आदि में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम नारायणराव

खंडेराव जांबेकर और Anr.73, जिसमें इस अदालत ने अभिनिर्धारित कियाः

" (19) यह स्मरणीय है कि धारा 32 में संशोधन किए गए थे।

समय-समय पर, और 1957 का बॉम्बे अधिनियम XXXVIII जोड़ा गया

उप-एस के लिए। (1) (ख), सी. एल. (iii) और पूर्ववर्ती "या"। होना ही है।

ध्यान दिया कि उप-एस. एस. में उल्लिखित शर्तें। (1) ((क) और(1) ((ख) वे परस्पर अनन्य हैं। की अनुपस्थिति के बावजूद

शब्द "या" उप-एसएस के बीच। (1) (ए) और (1) (बी), दोनों उप

खंड वैकल्पिक शर्तों को निर्धारित करते हैं। किरायेदार होना चाहिए

यह माना जाता है कि उसने भूमि खरीदी है यदि वह इनमें से किसी एक को संतुष्ट करता है।दोनों शर्तें। अपीलार्थी स्थायी किरायेदार नहीं है,

और उपखंडों में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है। (1) (ए)।

हालांकि वे एक स्थायी किरायेदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने पट्टे पर दी गई भूमि पर खेती की।

व्यक्तिगत रूप से, और इसलिए, के पहले भाग को संतुष्ट करता है

उप-ओं में निर्दिष्ट स्थिति। (1) (बी)। अपीलार्थी का तर्क

वह उप-एसएस है। (1) (ख) (i), (1) (b) (ii) और (1) (b) (iii)

वैकल्पिक शर्तें, और जैसा कि वह शर्त को संतुष्ट करता हैउप-में उल्लिखित है। (1) (ख) (iii), उसके पास होना चाहिए

1 अप्रैल, 1957 को जमीन खरीदी। इसे रंग दिया जाता है।

उप-ओं के बीच प्रकट होने वाले शब्द "या" द्वारा तर्क। (1) (ख) (ii) और उप-सं। (1) (ख) (iii)। लेकिन, हम सोचते हैं कि शब्द "या" उप-ss के बीच है। (1) (बी) (ii) और (1) (बी) (iii) के साथ संयोजन में

सुविधा के लिए, ऊपर निकाले गए हिस्से में संख्याओं को फिर से क्रमांकित किया गया है। 73 आकाशवाणी 1965 एससी 1457 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सफल नकारात्मक के बराबर है और इसे इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए

" न ही "। दूसरे शब्दों में, एक किरायेदार (स्थायी किरायेदार के अलावा)

किरायेदार) व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करना बन जाएगा

1 अप्रैल, 1957 को भूमि का खरीदार, यदि उस तारीख को न तो

धारा 39 के तहत कोई आवेदन जिसे धारा 31 के साथ पढ़ा जाए और न ही कोई आवेदन

एस. 29 के तहत एस. 14 के साथ पढ़ा जाना लंबित था। अगर कोई आवेदन

या तो धारा 29 के तहत धारा 31 के साथ पढ़ा जाता है या धारा 29 के तहत धारा 39 के साथ पढ़ा जाता है।

धारा 14 1 अप्रैल, 1957 को लंबित थी, किरायेदार "स्थगित तिथि" पर खरीदार बन जाएगा, अर्थात, जब

आवेदन अंततः खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आवेदन

अंत में अनुमति दी जाए तो किरायेदार खरीदार नहीं बनेगा।

परंतुक में "एक आवेदन" अभिव्यक्ति का अर्थ है नहीं

केवल धारा 31 के तहत एक आवेदन लेकिन इसके तहत एक आवेदन भी

एस. 29 को एस. 14 के साथ पढ़ा जाता है। यदि किसी भी प्रकार का आवेदन था

1 अप्रैल, 1957 को लंबित रहने पर, किरायेदार नहीं बन सका उस उत्साह पर खरीदार। अब 1 अप्रैल, 1957 को आवेदन

धारा 39 के साथ पठित धारा 29 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया था

लंबित है। नतीजतन, अपीलार्थी को ऐसा नहीं माना जा सका कि -

1 अप्रैल, 1957 को जमीनें खरीदी हैं। ”

पंजाब उपज और व्यापार मामले में इस अदालत का फैसला

लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी., पश्चिम बंगाल, कलकत्ता 74, पर ऊपर उल्लिखित विवाद में भरोसा किया गया था, जहां नए कर अधिनियम, 1922 की धारा 23ए और स्पष्टीकरण (बी) (ii) और (iii) के प्रावधान उपहास के लिए सामने आए थे। इस न्यायालय ने "या" के संबंध में फैसला सुनाया और अभिनिर्धारित किया कि उसने

नकारात्मक स्थितियों को इस प्रकार "और" के रूप में पढ़नाः

" 7. निर्धारिती की ओर से काफी निर्भरता है

स्टार कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया था। आय-कर आयुक्त (केंद्रीय) कलकत्ता, (1970) 3 एस. सी. सी. 864। उस मामले में, उपखंड (बी) (ii) सामने आया विचार किया, और यह माना गया कि के दो भागों

उस उपखंड में निहित स्पष्टीकरण वैकल्पिक थे।दूसरे शब्दों में, यदि एक भाग संतुष्ट था तो यह अनावश्यक था

यह विचार करने के लिए कि क्या दूसरा भाग भी संतुष्ट था। इस प्रकार

"या" शब्द को असंगत रूप से उपयोग किया गया माना जाता था

और संयोगात्मक रूप से नहीं। एक ही तर्क की मांग की जाती है

उपखंड (ख) (iii) के संदर्भ में लागू किया गया।

1 (2) एस. सी. सी. 540 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

8. यह महत्वपूर्ण है कि खंड (ख) के उपखंड (ii) और (iii) की भाषा अलग-अलग है। पूर्व एक सकारात्मक से संबंधित है

स्थिति जबकि बाद वाला नकारात्मक बताता है

शर्तें। "या" शब्द का उपयोग अक्सर एक ही चीज़ के परिभाषित शब्दों या स्पष्टीकरण के विकल्प को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

यह नहीं कहा जा सकता कि वे संतुष्ट थे। उपखंड (ख) में नकारात्मक या अयोग्य शर्तों के साथ पठित "और" शब्द के साथ खंड (ख) के प्रारंभिक भाग का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि निर्धारिती अन्य उपखंडों में निहित शर्तों के अलावा संतुष्ट करने के लिए बाध्य था जो उसके कार्य पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय नहीं थे। छह से कम व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और कुल मतदान शक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक वाले शेयर इसी अवधि के दौरान छह से कम व्यक्तियों के पास नहीं थे। हम तर्क या निष्कर्ष में कोई कमजोरी नहीं पा रहे हैं

न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय जहाँ तक प्रश्न 1 है

चिंतित हैं। "

यह देखा गया कि यदि उपखंड (ख) (iii) में पाई जाने वाली दो नकारात्मक शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है, तो पूरे खंड में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कहा जा सकता है।

98. यह भी ध्यान रखना उपयोगी होगा कि ब्राउन एंड कंपनी v. हैरिसन ", समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1924 में निहित प्रावधान अपील न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद IV, आर 2 (क्यू) में "या" शब्द को संयोगात्मक रूप से पढ़ा जाना चाहिए न कि विच्छेदात्मक रूप से। यह देखा गया है कि काफी सामान्य रूप से संयोजन"या" शब्दों का

अर्थ संयोगात्मक अर्थ में हो सकता है और निश्चित रूप से जहां शब्द का असंगत उपयोग, तिरस्कार या बेतुकेपन की ओर ले जाता है।

99. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्दों के संयोजन के संबंध में, दो नकारात्मक शर्तें दी गई हैं -

निर्धारित किया गया। इस प्रकार, भले ही एक शर्त पूरी हो जाए, कोई चूक नहीं है, और यह तार्किक रूप से 1894 के अधिनियम से प्रवाहित होता है जिसे निम्नलिखित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है: 2013 के अधिनियम की धारा 24। किसी भी अन्य व्याख्या के अतार्किक परिणाम होंगे। इसके अलावा, यदि "या" द्वारा योग्य दो नकारात्मक शर्तों के संबंध में व्याख्या के नियम का उपयोग किया जाता है, तो "या" होना चाहिए

75 (1927) सभी ई. आर. प्रतिनिधि 195 पीपी. 203 , 204 (सीए)

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"न" या "और" के रूप में। ब्राउन एंड कंपनी वी. हैरिसन (ऊपर) ने इस प्रकार शासन किया,

द्वारा जुड़ी दो नकारात्मक स्थितियों की व्याख्या

" या ":

..... मुझे लगता है कि यह काफी सामान्य और व्याकरणिक रूप से हो सकता है

संयुग्म भावना। यह आम तौर पर विभेदक होता है, लेकिन यह हो सकता है

शब्दों के संयोजन से स्पष्ट है कि इसका अर्थ एक में है

संयुग्म बोध, और निश्चित रूप से जहाँ शब्द का उपयोग एक असंगतता तिरस्कार या बेतुकेपन की ओर ले जाती है, यह काफी हद तक भीतर है

न्यायालय द्वारा अपनाए गए निर्माण के सामान्य सिद्धांत

शब्द को एक संयोजी उपयोग देने के लिए। यहाँ, यह काफी स्पष्ट है कि

शब्द एक बेतुकेपन की ओर ले जाता है, क्योंकि विवाद

इस मामले में जहाज मालिकों द्वारा आगे बढ़ाया जाना इस राशि के बराबर है,

मेरे स्वामी ने कहा, कि अगर कोई जहाज का मालिक खुद मामला तोड़ता है और इसकी सामग्री चुरा लेता है, उसे इसके तहत दायित्व से छूट दी जाती है।

आर 2 (क्यू) यदि उसके किसी भी नौकर ने मामले का हिस्सा नहीं चुराया याउसे तोड़ दिया। मुझे यह सरासर मूर्खतापूर्ण लगता है। में।

आर 2 (क्यू) के दूसरे भाग के लिए प्रतिकूल। इसलिए मैं नहीं कहता। इसके बारे में और अधिक "।

100. फेडरल स्टीम नेविगेशन कं. लिमिटेड बनाम। विभाग

ई और उद्योग ", तत्कालीन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस प्रकार फैसला सुनाया था:

" यदि इन सभी अर्थों को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पाठ्यक्रम बना रहता है।

"या" को एक गैर-बहिष्कृत विकल्प को व्यक्त करने के रूप में मानने का

- आधुनिक तर्क में "वी" द्वारा प्रतीकित। वकील के शब्दों में, यह

"और" के लिए "को प्रतिस्थापित करने के पाठ्यक्रम के रूप में वर्णित किया जा सकता है या,

" }

बल्कि वाक्यांश को फिर से लिखने की प्रक्रिया ताकि पढ़ा जा सके: " द.

"मालिक और/या स्वामी" को सुविधा की अनुमति दी गई थी।"और" के लिए "या" को प्रतिस्थापित करना एक मजबूत और असाधारण है।

इसकी आवश्यकता के बारे में और भी अधिक आश्वस्त होना चाहिए। यह सर्जरी है। उपचार के बजाय। लेकिन इसके लिए ठोस उदाहरण हैं

ऐसा करना: मेरे महान और विद्वान मित्र, बोर्थ के लॉर्ड मॉरिस

y-गेस्ट ने कुछ सबसे प्रसिद्ध का उल्लेख किया है: वे हैं।

पर्याप्त चित्र हैं और मुझे उन्हें फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं करूँगा।

हालाँकि, एक अधिनियम पर एक संयुक्त राज्य अमेरिका का मामला, एक दीवानी मामला जोड़ें।

1915 के नाविकों के बारे में। इसमें ये शब्द थे: " किसी भी

4 (1) डब्ल्यू. एल. आर. 505 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

मालिक की विफलता मालिक या पोत या पोत के मालिक को नुकसान के लिए उत्तरदायी बनाएगी। वाशिंगटन डी. सी. में एक जिला अदालत ने "या" के रूप में "पढ़ा और कहा कि कांग्रेस की ओर से नाविकों को यह चुनने के लिए मजबूर करने का कोई उद्देश्य या इरादा नहीं हो सकता था कि किसे आगे बढ़ाना है और इस तरह दूसरों को दायित्व से छूट दी जाए-द ब्लेकली, 234 फेड। 959 .

हालाँकि यह एक दीवानी मामला था, आपराधिक मामला नहीं, मुझे लगता है

निष्कर्ष और तर्क आश्वस्त करने वाले हैं।

101. एम/एस में। रणछोड़दास आत्माराम और अन्र। वी. द यूनियन ऑफ एंड ओआरएस "। , इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि दो नकारात्मक शर्तें हैं, अभिव्यक्ति "या" होनी चाहिए

दोनों खंडों की संयुग्म और शर्तें होनी चाहिए

नेतृत्व किया। यह देखा गया:

" (13) यह स्पष्ट है कि यदि शब्द एक सकारात्मक वाक्य बनाते हैं,

तब केवल एक खंड की शर्त को पूरा करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले में, "या" का वास्तव में अर्थ है "या तो" या "। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में "या" शब्द का एक अर्थ है

"दो (या अधिक) शब्दों, वाक्यांशों या खंडों को समन्वित करने वाला एक कण जिसके बीच एक विकल्प है। " यह भी कहा गया है, "या" द्वारा व्यक्त विकल्प पर पहले सदस्य को जोड़कर या अंतिम के बाद जोड़कर, संबद्ध सलाह पर जोर दिया जाता है। दोनों "। इसलिए, "या तो" के बिना भी, या "अकेले" एक विकल्प बनाता है। यदि, इसलिए, हमारे सामने वाक्य सकारात्मक है, तो हमें दो विकल्प मिलते हैं,

जिनमें से किसी एक को दूसरे के बिना चुना जा सकता है किसी भी तरह से सोचा। ऐसे मामले में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि जुर्माना एक लाख रुपये से अधिक है। 1,000 थोपा जा सकता है।

(14) हालाँकि, यदि वाक्य नकारात्मक है, तो स्थिति अलग हो जाती है। शब्द "या" दोनों के बीच

खंड तब नकारात्मक प्रभाव फैलाएंगे

इसके बाद का खंड। व्याकरण का यह नियम विवादित नहीं है। ऐसे मामले में दोनों खंडों की शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए और परिणाम यह होगा कि जुर्माना लगाया जा सकता है।

कभी भी रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। 1,000 .

(15) तब सवाल वास्तव में इस पर आता है: क्या हमारे सामने वाक्य नकारात्मक है या सकारात्मक? हमें ऐसा लगता है

1961 एससी 935 [2020] 3 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि वाक्य एक सकारात्मक वाक्य है। का पदार्थ सजा यह है कि एक निश्चित व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसलिए वाक्य नहीं है

इसके आयात में नकारात्मक "।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, पुराने के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही के समापन के लिए

कानून, धारा 24 (2) के तहत यदि दोनों कदम नहीं उठाए गए हैं, यानी न तो भौतिक कब्जा लिया गया है, न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है, तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। बार में कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि "या" को "और" के रूप में माना गया है और इसके विपरीत। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि संदर्भ। प्रो. यशपाल और ओआरएस। वी. छत्तीसगढ़ राज्य और Ors.78, अभिव्यक्ति "स्थापित या निगमित" के रूप में पढ़ा गया था

" स्थापित और निगमित "। R.M.D.C (ऊपर) में, विधानमंडल के स्पष्ट इरादे को प्रभावी बनाने के लिए, "या" शब्द को "और" के रूप में पढ़ा गया था।

102. ईश्वर सिंह बिंद्रा (ऊपर) में यह देखा गया था कि:

" 11. अब अगर अभिव्यक्ति "पदार्थों" को लिया जाना है

"दवा" के अलावा कुछ और मतलब है जैसा कि में आयोजित किया गया है हमारा पिछला निर्णय यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कैसे

शब्द "और" जैसा कि धारा 3 (बी) (आई) में दवा की परिभाषा में उपयोग किया गया है

स्ट्रौड्स जुडिशियल डिक्शनरी, तीसरा संस्करण। यह पृष्ठ 135 पर बताया गया है। कि "और" में आम तौर पर एक संचयी अर्थ होता है, जिसकी आवश्यकता होती है

उन सभी शर्तों को पूरा करना जिन्हें यह एक साथ जोड़ता है, और इसमें

यह या का विरोधाभास है। लेकिन कभी-कभी, इस तरह के एक में भी

संबंध, यह, एक संदर्भ के बल से, "या" के रूप में पढ़ा जाता है। इसी तरह,

क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल में, 11 वीं संस्करण। , इसमें हैयह स्वीकार किया गया कि "विधायिका के इरादे को पूरा करने के लिए

कभी-कभी संयोजनों को पढ़ना आवश्यक पाया जाता है।

" या "और" और "एक दूसरे के लिए।

103. खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक बनाम। तंदूर और नयनदगी

स्टोन क्वारीज (पी) लिमिटेड "", और "को विधायी इरादे पर विचार करते हुए अलग-अलग पढ़ा गया था। समी खान (ऊपर) में "और" शब्द था

78 (2005) 5 एससीसी 420

79 (1987) 3 एस. सी. सी. 308 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

विधायी इरादे को पूरा करने के लिए "या" के रूप में माना जाता है। मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में भी इसी तरह के अवलोकन किए गए थे। ग्रीन वी में। L.R80, यह निर्धारित किया गया है कि कभी-कभी शब्द "या" के रूप में पढ़ें "और" और इसके विपरीत, लेकिन ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि यह आवश्यक न हो जाए क्योंकि "या" का आम तौर पर अर्थ नहीं होता है "और" और "का आम तौर पर अर्थ नहीं होता है" या "।

104. R.M.D.C. (ऊपर) में धारा 2 (1) (डी) के तहत परिभाषा आई है।

विचार के लिए। योग्यता खंड में दो भाग शामिल थे जो एक दूसरे से भिन्न शब्द "या" द्वारा अलग किए गए थे। योग्यता खंड के दोनों भागों ने संकेत दिया कि पाँच प्रकार के पुरस्कारों में से प्रत्येक

जिन प्रतियोगिताओं के लिए वे योग्य थे, वे जुआ खेलने की प्रकृति की थीं। अदालत ने कहा कि विधायिका के स्पष्ट इरादे पर विचार करते हुए, उसे "या" के रूप में "और" शब्द पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है। तिलकायत में श्री गोविंदलालजी महाराज

आदि बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 8 1, इस न्यायालय ने धारा 5 के तहत निर्धारित बोर्ड की संरचना पर विचार किया। उपयोग की गई अभिव्यक्तियाँ हिंदू धर्म को मानने से संबंधित नहीं थीं या पुष्टी-मार्गिया वल्लभी संप्रदाय से संबंधित नहीं थीं। दो नकारात्मक स्थितियों का उपयोग किया गया था। इस न्यायालय ने कहा है कि अयोग्यता से संबंधित खंड (छ) में "या" का अर्थ "और" होना चाहिए। उसी के प्रासंगिक हिस्से को नीचे निकाला गया है:

" (39) ..... बोर्ड की संरचना धारा 5 द्वारा निर्धारित की गई है; इसमें एक अध्यक्ष, उदयपुर जिले का कलेक्टर और नौ अन्य सदस्य शामिल होंगे। इस धारा का प्रावधान महत्वपूर्ण है: इसमें कहा गया है कि गोस्वामी ऐसे सदस्यों में से एक होंगे यदि वह अन्यथा सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और इस रूप में सेवा करने के लिए तैयार हैं। धारा 5 (2) खंड (ए) से (जी) में निर्दिष्ट अयोग्यताओं को निर्धारित करती है-अस्वस्थता

सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया मन, दोषसिद्धिनैतिक अधमता शामिल है; एक दिवालिया के रूप में निर्णय या

एक अविमुक्त दिवालिया की स्थिति; अल्पसंख्यक, बधिर होने का दोष-मूक या कुष्ठ रोग; एक पद धारण करना या एक व्यक्ति होना

मंदिर का सेवक होना या रसीद में होना या कोई परिलब्धियाँ

हिंदू धर्म या पुष्टी से संबंधित नहींमार्गियावल्लभी संप्रदाय। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि

80 (1928) 1 के बी 561

81 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1638 [2020] 3 एस.

“ या "खंड (छ) में स्पष्ट रूप से संदर्भ के लिए" और "का अर्थ होना चाहिए।

यह उस तरह से इंगित करता है। धारा 5 (2) में एक प्रावधान है जो

यह निर्धारित करता है कि एक के आयोजन के रूप में अयोग्यता

मन्दिरक अधीन पद अथवा रोजगार एहि पर लागू नहि होयत - गोस्वामी और धर्म के बारे में अयोग्यता होगी

कलेक्टर पर लागू नहीं होता है; अर्थात, एक कलेक्टर एक होगा

संप्रदाय का अनुयायी। धारा 5 (3) में प्रावधान है कि बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाएगी।

सरकार और सभी उद्देश्यों के लिए एक माना जाएगा

उपखंड (1) में निर्दिष्ट अन्य सदस्य होंगे - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि

हर जगह से पुष्टी-मार्गिया वैष्णवों का प्रतिनिधित्वभारत। यह स्पष्ट रूप से विचार करता है कि अन्य सदस्यों के

बोर्ड न केवल हिंदू होगा, बल्कि इसका सदस्य भी होना चाहिए

मूल्यवर्ग, क्योंकि यह केवल इस तरह से है कि उनके

प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

105. प्रो. यशपाल (ऊपर), शब्द "या" में होने वाला

सत्र "स्थापित या निगमित" को "और" के रूप में पढ़ा गया था ताकि राज्य अधिनियम केंद्रीय विधान के साथ टकराव में न आए।

उत्तरार्द्ध के काम में किसी भी बाधा या बाधा को दूर करें। यह

उन्होंने देखा है:

" 59. श्री राकेश द्विवेदी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक

निजी विश्वविद्यालय संबंधित हैं, शब्द "या" घटित हो रहा है।

अनुभागों में "स्थापित या निगमित" अभिव्यक्ति में

2 (च) यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 22 और 23 को "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।" वह.

प्रस्तुत किया है कि शब्द का सामान्य अर्थ

" स्थापित "अस्तित्व में लाना है। इससे बचने के लिए

जहाँ 112 से अधिक विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं।एक वर्ष की एक छोटी अवधि जिसमें से कई के पास कोई नहीं है

किस प्रकार की आधारभूत संरचना या शिक्षण सुविधा, इसमें होगी

संवैधानिक योजना के अनुरूप जो केवल उसके बाद विश्वविद्यालय की बुनियादी आवश्यकताओं की स्थापना

(कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यालय और छात्रावास सुविधा, इंदौर विकास प्राधिकरण v.

[अरुण मिश्रा, जे।]

आदि) कि इसे शामिल किया जाना चाहिए और एक न्यायिक प्रदान किया जाना चाहिए

व्यक्तित्व। "या" शब्द आम तौर पर विभेदक होता है और "और"

आम तौर पर संयुग्म होता है, लेकिन कभी-कभी, उन्हें इसके विपरीत पढ़ा जाता है

विधायिका के प्रकट इरादों को प्रभावी बनाना, जैसे -संदर्भ से प्रकट किया गया। यदि शब्द का शाब्दिक पठन

एक अस्पष्ट या बेतुका परिणाम उत्पन्न करता है "और" शायद पढ़ा जा सकता है। "या" और "या" शायद पढ़ने के लिए "और" के लिए। (के सिद्धांत देखें

जी. पी. सिंह द्वारा सांविधिक व्याख्या, 7 वीं संस्करण। , पी। 339 और बॉम्बे राज्य बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला, आकाशवाणी 1957

एससी 699, एआईआर पी। 709 और मझगांव डॉक लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी., आकाशवाणी

1958 एस. सी. 861) हमारी राय है कि

संवैधानिक योजना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम

संसद द्वारा बनाया गया, अर्थात्, विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग अधिनियम उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम है जिसके लिए यह

बनाया गया है और यू. जी. सी. अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है और जिम्मेदारियाँ, और आगे कि राज्य अधिनियम नहीं करता है

जहां तक "स्थापित और निगमित" के रूप में निगमितनिजी विश्वविद्यालय चिंतित हैं।

(जोर दिया गया)

106. पूरन सिंह बनाम का भी उल्लेख किया गया है। की स्थिति

M.P82, जिसमें न्यायालय ने एम. वी. अधिनियम की योजना पर विचार किया। मजिस्ट्रेट धारा 130 की उप-धारा (1) द्वारा निर्धारित प्रकृति के समन जारी करने के लिए बाध्य था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उप-धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संकेत देता हो कि उसे समन का समर्थन करना चाहिए। दोनों खंडों (ए) और (बी) की शर्तें, कि उन्हें इस तरह से आदेश दिया गया है, 'या' को 'और' में परिवर्तित करना होगा। विधायिका की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह के धर्मांतरण को उचित ठहराता है और ऐसे पर्याप्त कारण हैं जो इस तरह की व्याख्या को अधिनियम की योजना के साथ पूरी तरह से असंगत बनाते हैं।

107. रिलायंस को श्री नसीरुद्दीन बनाम पर रखा गया है। राज्य

परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण 83. 'या' शब्द को व्याकरणिक अर्थ दिया गया था। आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय नए उच्च न्यायालय के रूप में बैठेगा और उसके न्यायाधीश और खंड पीठ इलाहाबाद में बैठेंगे। 82 1965 (2) एससीआर 853

83 1975 (2) एससीसी 671 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संयुक्त प्रांतों में ऐसे अन्य स्थानों पर जहाँ मुख्य न्यायाधीश

बिन्दु। यह माना गया था कि 'या' शब्द को 'और' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। उन्हें एक सामान्य अर्थ में माना जाना चाहिए। यदि दो अलग-अलग व्याख्याएँ संभव हैं, तो अदालत वही अपनाएगी जो न्यायपूर्ण, उचित और विवेकपूर्ण है।

ई न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 27. निष्कर्ष के साथ-साथ उच्च का तर्क

न्यायालय कि उच्च न्यायालय का स्थायी स्थान है

इलाहाबाद बहुत अच्छा नहीं है। आदेश में कहा गया है कि उच्च

न्यायालय नए उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के रूप में बैठेगा और

इसकी खंड पीठ इलाहाबाद या संयुक्त प्रांतों में ऐसे अन्य स्थानों पर बैठेगी जिन्हें मुख्य न्यायाधीश संयुक्त प्रांतों के राज्यपाल के अनुमोदन से नियुक्त करे। "या" शब्द को "और" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर सटीक शब्द

उपयोग किए गए सादे और असंदिग्ध हैं, वे होने के लिए बाध्य हैंउनके सामान्य अर्थों में समझाया गया। केवल यह तथ्य कि किसी कानून के परिणाम अन्यायपूर्ण हो सकते हैं, अदालत को इसे लागू करने से इनकार करने का अधिकार नहीं देता है। यदि किसी अधिनियम में शब्दों की दो अलग-अलग व्याख्याएँ हैं, तो न्यायालय उसे अपनाएगा जो न्यायपूर्ण है,

जो कुछ भी नहीं है, उसके बजाय उचित और समझदार

उन चीजों को। यदि असुविधा एक बेतुकी असुविधा है, तो एक अधिनियम को उसके सामान्य अर्थों में पढ़ने से, जबकि यदि इसे इस तरह से पढ़ा जाता है जिसमें वह सक्षम है, हालांकि सामान्य अर्थों में नहीं,

तो कोई असुविधा नहीं होगी; ऐसा कारण होगा कि किसी को इसे उसके सामान्य व्याकरणिक अर्थ के अनुसार नहीं पढ़ना चाहिए। कहाँ हैं शब्द

स्पष्ट रूप से, न्यायालय कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

108. दिल्ली नगर निगम बनाम। टेक चंद भाटिया84,

'मिलावटी' शब्द के संदर्भ में 'और' और 'या' की व्याख्या

धारा 2 (i) (च) में परिभाषित न्यायालय ने कहा:

" 7. हमारी राय है कि उच्च न्यायालय धारा 2 (i) (f) की अपनी व्याख्या में स्पष्ट रूप से गलत था। परिभाषा खंड की साधारण भाषा में, यह स्पष्ट है कि शब्द "या अन्यथा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं"उनसे पहले के बाकी शब्दों से असंगत। यह पूरी तरह से एक अलग और अलग वर्ग से संबंधित है। हमें ऐसा लगता है कि अंतिम खंड "या अन्यथा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है"

1980) 1 एस. सी. सी. 158 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

अवशिष्ट प्रावधान है, जो किसी मामले पर लागू नहीं होगा

.....या कीट-पीड़ित स्वयं मामले को उपखंड (च) में परिभाषित "मिलावटी" शब्द के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त होगा, और इस तरह के मामले में यह आवश्यक नहीं होगा। मामला यह साबित करने के लिए कि भोजन की वस्तु इसके लिए अनुपयुक्त थी

मानव उपभोग।

***

11. परिभाषा खंड में, "गंदी, गंदी, सड़ी हुई, सड़ी हुई और कीट-संक्रमित" शब्दों का संग्रह, जो "भोजन की वस्तु" शब्द को योग्य बनाने वाले विशेषण हैं, यह दर्शाता है कि

यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त प्रकृति, पदार्थ और गुणवत्ता का नहीं है। यह देखा जाएगा कि पहले तीन शब्दों में से प्रत्येक के बाद एक अल्पविराम होता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन योग्य विशेषणों को परिभाषा के अंतिम भाग में नहीं पढ़ा जा सकता है, यानी "या अन्यथा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है", जो दूसरों से काफी अलग और अलग है।

"अन्यथा" शब्द का अर्थ है मनुष्य के लिए अयोग्यता।

धारा 2 (i) (च) में "गंदी, गंदी, सड़ी हुई, आदि" और "अन्यथा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त" के बीच हो सकता था संयुग्म रूप से उपयोग करने का इरादा। यह अधिक होगा

संदर्भ में इसे अलग-अलग पढ़ने के लिए उपयुक्त है। स्ट्रौड्स जुडिशियल डिक्शनरी में, तीसरा संस्करण। , खण्ड. 1 , यह पी में कहा गया है। 135 :

" और "आम तौर पर एक संचयी अर्थ रखता है, जिसमें उन सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है जिन्हें यह एक साथ जोड़ता है, और यहाँ यह" या "का विरोधाभास है। कभी-कभी, हालांकि, इस तरह के संबंध में भी, इसे एक संदर्भ के बल पर, "या" के रूप में पढ़ा जाता है।

विषय से निपटने के दौरान 'OR' को AND के रूप में पढ़ा जाता है, और वाइस

इसके विपरीत, स्ट्रौड वॉल्यूम में कहते हैं। 3 , पी पर। 2009 :

" आप पाएंगे कि कुछ मामलों में यह कहा गया है कि 'या' का अर्थ है 'और'; लेकिन

‘ या 'कभी नहीं मतलब' और '।

इसी तरह, क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल में, 11 वीं संस्करण। , पीपी। 229-30 , यह स्वीकार किया गया है कि "विधायिका के इरादे को पूरा करने के लिए, कभी-कभी यह आवश्यक पाया जाता है

'या' और 'और' एक के लिए दूसरे को पढ़ने के लिए। "या" शब्द आम तौर पर विभेदक होता है और "और" आम तौर पर संयुग्म होता है, लेकिन कभी-कभी उन्हें इसके विपरीत पढ़ा जाता है। जैसा कि स्क्रूटन, एल. जे. ने ग्रीन बनाम में कहा था। प्रीमियर ग्लिनहोनवी स्टेट कंपनी, एल. आर. (1928) 1 के. बी. 561,568: “ आप कभी-कभी क़ानून में "या" के रूप में "और" पढ़ते हैं। . . . लेकिन आप इसे तब तक नहीं करते जब तक कि आप बाध्य न हों, क्योंकि "या" का आम तौर पर अर्थ नहीं है "और" और "का आम तौर पर अर्थ नहीं है" या "। जैसा कि लॉर्ड हैल्सबरी एल. सी. ने मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम में देखा। हेंडरसन, एल. आर. (1888) 13 ए. सी. 603, "या" के रूप में "और" के पठन का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि उसी क़ानून का कोई अन्य भाग याइसके स्पष्ट इरादे के लिए ऐसा करना आवश्यक है। हालाँकि, संयोजनों का प्रतिस्थापन कभी-कभी पर्याप्त कारणों के बिना किया गया है, और यह संदेह किया गया है कि क्या "या" में "और" और इसके विपरीत "के कुछ मामले व्याख्या की चरम सीमा तक नहीं गए हैं।

109. पंजाब राज्य में बनाम। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1948 की धारा 2 के संदर्भ में पूर्व कांस्टेबल राम सिंह 'या' को 'न' और 'और' के रूप में नहीं पढ़ा गया था। नागा पीपुल्स मूवमेंट

मेंमानवाधिकार (ऊपर), न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 (ए) की भाषा उक्त निर्माण का समर्थन नहीं करती है।

110. मार्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम। कॉगिन्स एंड ग्रिफ़िथ (लिवरपूल) लिमिटेड ", न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: (पृष्ठ 603 पर)

" ..... जब तक कि संदर्भ "या" का आवश्यक अर्थ नहीं बनाता है।

" और ", जैसा कि कुछ मामलों में होता है; लेकिन मेरा मानना है कि यह पूरी तरह से है

उदाहरणहीन इसलिए ऐसा करते समय इसे पढ़ने के लिए एक पर होगा

निर्माण वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है जब तक कि उसी क़ानून के किसी अन्य भाग या इसके स्पष्ट इरादे के लिए ऐसा करने की आवश्यकता न हो। वास्तव में इस पर संदेह किया जा सकता है कि"या" में "और" और इसके विपरीत "बदलने के कुछ मामले व्याख्या की चरम सीमा तक नहीं गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी इस मामले को कवर नहीं करेगा।

85 (1992) 4 एससीसी 54

86 एल. आर. (एसी) Vol.XIII 1888 595 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

111. रे हेडन पास्क बनाम। पेरी87, अभिव्यक्ति "या उनके मुद्दे" पर विचार किया गया था, और यह देखा गया था कि शब्द "या उनके मुद्दे"

इसे सीमित शब्दों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि प्रतिस्थापन के रूप में। "या" शब्द का अर्थ "और" किया गया था। विद्वान एस. जी. ने मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स बनाम में क्वीन बेंच के फैसले पर भरोसा रखा। स्ट्रीट ब्रोस 88 ने प्रस्तुत किया कि मुद्दा यह था कि क्या इसके व्याकरणिक अर्थ के संदर्भ में, यदि दो चीजों को प्रतिबंधित किया गया था, तो दोनों की अनुमति थी और केवल विकल्प में अनुमति नहीं थी। "या" के बजाय "न" लिखना अधिक सख्ती से व्याकरणिक होता। निर्णय में निम्नलिखित चर्चा की गई:

" डिस. 13. ग्रोव, जे. हमारे सामने मुख्य प्रश्न 25 और 26 विक्ट में उपयोग किए गए शब्द "या" के अर्थ को चालू करता है। सी। 102 , एस. 98. जल्द ही पढ़ें, एस। 98 अधिनियम बनाता है कि कोई मौजूदा सड़क, मार्ग नहीं है

या रास्ता, इसके बाद गठित किया जाएगा या गाड़ी के लिए रखा जाएगा

यातायात जब तक कि ऐसी सड़क चालीस फीट चौड़ी या पैदल यातायात के उद्देश्यों के लिए न हो, जब तक कि ऐसी सड़क की चौड़ाई -

बीस फीट, या जब तक कि ऐसी सड़कें क्रमशः दोनों सिरों पर खुली नहीं होंगी। सवाल यह है कि क्या उस शब्द "या" को विभेदक या संयोगात्मक रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या शायद "और" या "नर:" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका अर्थ है "न"; अर्थात, कि निषेध में शामिल दो चीजें दोनों हैं

निषिद्ध, और न केवल विकल्प में निषिद्ध। अगर

जिस अर्थ को मैं शब्द के लिए श्रेय देता हूं वह सही है, इसके बजाय "न" लिखना अधिक सख्ती से व्याकरणिक होता।"या" से। लेकिन मेरा मानना है कि अधिनियम का अर्थ यह है कि सड़क निर्दिष्ट चौड़ाई की होनी चाहिए, और किसी भी सड़क की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह निर्दिष्ट चौड़ाई की न हो, और न ही जब तक कि वह दोनों सिरों पर खुली न हो। मुझे लगता है कि यह क़ानून का उद्देश्य है, जिसे स्वच्छता उद्देश्यों के लिए पारित किया गया था, और

आराम और यातायात के उद्देश्य से।

यह तर्क दिया गया था कि प्रावधान का उद्देश्य केवल स्वच्छता है, और यदि कोई सड़क चालीस फीट चौड़ी है, या यदि

संकीर्ण, यह दोनों सिरों पर खुला है, अच्छा वेंटिलेशन सुरक्षित है। लेकिन एक बहुत लंबी संकीर्ण सड़क शायद ही एक छोर और सड़क के बंद होने की तुलना में दोनों छोरों के साथ अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगी।

वे एक कुल डी सैक थे।

87 (1931) 2 Ch.333 88 (1881) 8 क्यू. बी. डी. 445 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम का हमारा निर्माण सामान्य के अनुसार है

भाषा का उपयोग, हालांकि यह सख्ती से व्याकरणिक नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हमने अच्छे लेखकों द्वारा अधिकारियों को संदर्भित किया हो, यह दर्शाते हुए कि जहां "या" शब्द से पहले एक नकारात्मक या

निषेधात्मक प्रावधान, इसका अक्सर एक अलग अर्थ होता है जो इसके पास होता है जब यह एक सकारात्मक प्रावधान से पहले होता हैप्रावधान। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक आदेश है कि "आपका घर या तो सूखा होना चाहिए या हवादार होना चाहिए"। विकल्प में "या" शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाएगा। मान लीजिए फिर से,

हवादार ", जो मेरे दिमाग में इस विचार को व्यक्त करता है कि आपका घर या तो सूखा होना चाहिए या हवादार होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आदेश यह था कि "आपको अपने घर को बिना हवा वाले या

बिना हवा वाले नहीं रखना चाहिए।" दूसरे नकारात्मक शब्दों को जोड़ा जाता हैशब्द "या", और पिछले वाक्य में नकारात्मक

दोनों को नियंत्रित करता है। एस में। 98 एक वाक्य से पहले एक नकारात्मक है; "कोई भी मौजूदा सड़क" को वाहन यातायात के लिए एक सड़क के रूप में नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसी सड़क को चालीस फीट तक चौड़ा नहीं किया जाता है, या केवल पैदल यातायात के उद्देश्यों के लिए जब तक कि ऐसी सड़क या रास्ता

बीस फीट की चौड़ाई तक चौड़ी "या" जब तक कि ऐसी सड़कें दोनों सिरों पर खुली न हों। संभवतः, यदि शब्द "या" वाक्य में ", या केवल पैदल यातायात के उद्देश्यों के लिए" लिखा गया होता ", न ही" वहाँ की भाषा भी अधिक स्पष्ट और अधिक निश्चित रूप से निषेधात्मक होती; लेकिन वाक्य के संबंध में "या जब तक कि ऐसी सड़कें दोनों छोरों पर खुली नहीं होतीं 'मुझे लगता है कि शब्द" या "के रूप में" या "न ही" को पढ़कर हम अधिनियम के इरादे को पूरा करते हैं, जिसमें एक उचित सड़क की सड़कें होतीं।

चौड़ी और दोनों सिरों पर ठीक से खोली गई, और यह कि वहाँ असुविधाजनक और अस्वास्थ्यकर क्रॉस सड़कें नहीं होनी चाहिए जो एक छोर पर बंद हैं।क़ानूनों के निर्माण पर अक्सर ऐसे मामले होते रहे हैं जहाँ अदालतों ने "या" अर्थ "और" शेष सजा को लेते हुए "या" शब्द को लिया है।

हुआ, उद्देश्य और इरादा निषेध है, और दो चीजों को "या" शब्द से जोड़ा जाना निषिद्ध है। मुझे लगता है।

एस में निषेध। 98 यह सड़कों की चौड़ाई और खुले अंत दोनों से संबंधित है। सड़क निर्धारित चौड़ाई की होनी चाहिए और दोनों छोरों पर खुली होनी चाहिए। इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

112. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2), हमारी राय में, एक दंडात्मक है।

कार्यवाही लंबित है, बशर्ते कि वे समाप्त हो जाएँगे। अभिव्यक्ति जहाँ एक पुरस्कार दिया गया है, तब कार्यवाही जारी रहेगी।1894 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 24 (1) (बी) में उपयोग का अर्थ है कि 2013 के अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख को कार्यवाही लंबित थी, कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है, और उस संदर्भ में, धारा 24 (2) में एक अपवाद बनाया गया है।

113. भले ही कब्जा ले लिया गया हो, जिसके बावजूद भुगतान किया गया हो

यदि ऐसा नहीं किया गया है और न ही जमा किया गया है (अधिकांश भूमि-जोतों के लिए), तो 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को भूमि रखने वाले सभी लाभार्थियों को 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाना है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 अधिकारियों की शिथिलता और मूर्खता को नकारती है। "भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है" या "मुआवजे

का भुगतान नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति धारा 24 (1) (बी) के तहत लंबित कार्यवाही में पांच साल या उससे अधिक समय के लिए आवश्यक कदम उठाने में अधिकारियों की ओर से विफलता का संकेत देती है। धारा 24 (2) धारा 24 (1) में जो निहित है, उस पर अधिस्थापक खंड के साथ शुरू होती है। इस प्रकार, धारा 24 (2) को धारा 24 (1) (बी) के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसी तरह, बाद में चर्चा किए जाने वाले कई कारणों के लिए परंतुक को धारा 24 (2) के परंतुक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। संसद ने एक लाभकारी प्रावधान लागू किया यदि अधिकारियों ने पांच साल से अधिक समय तक कब्जा लेने में देरी की और न ही मुआवजे का भुगतान किया, जिसका अर्थ है कि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है। धारा 24 (2) स्पष्ट रूप से अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता पर विचार करती है, न कि भूमि मालिकों या अन्य इच्छुक व्यक्तियों की विलंबकारी रणनीति और आचरण के परिणामस्वरूप।

114. धारा 24 में 'या' शब्द को 'और' के रूप में पढ़ने के अन्य कारण भी हैं। जब हम 1894 के अधिनियम की योजना पर विचार करते हैं, तो एक बार

धारा 11 के तहत अधिनिर्णय दिया गया था, कलेक्टर उस भूमि का कब्जा ले सकता है जो उसके बाद सभी बाधाओं से मुक्त सरकार में पूरी तरह से निहित होगी। 1894 के अधिनियम की धारा 16 कलेक्टर को अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने में सक्षम बनाती है, जब धारा 11 के तहत कोई पुरस्कार दिया जाता है। 1894 के अधिनियम की धारा 17 (1) तात्कालिकता के मामलों में विशेष शक्तियां प्रदान करती है। कलेक्टर, धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन से 15 दिनों की समाप्ति पर, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का कब्जा ले सकता था और ऐसी भूमि [2020] 3 एस. सी. आर.

इसके बाद सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से सरकार में निहित हो जाता है।

धारा 17 (3ए) के तहत कब्जा लेने से पहले, कलेक्टर को मुआवजे का 80 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था, जैसा कि उनके द्वारा अनुमान लगाया गया था औरभूमि मालिकों या इच्छुक व्यक्तियों को भी भुगतान करना पड़ता था, जब तक कि धारा 31 (2) में उल्लिखित आवश्यकताओं द्वारा रोका न जाए। 1894 के अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3बी) में यह भी प्रावधान किया गया है कि भुगतान की गई राशि या

धारा 17 (3ए) के तहत जमा की गई राशि को धारा 31 के तहत निविदा के लिए आवश्यक मुआवजे का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

115. धारा 16 (1894 के अधिनियम की) के एक स्पष्ट पठन से यह स्पष्ट है कि भूमि पूरी तरह से सरकार में निहित होती है जब अधिनिर्णय पारित होने के बाद कब्जा लिया जाता है। स्पष्ट रूप से, इसमें चूक हो सकती है

1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही केवल तभी की जाती है जब कब्जा नहीं लिया जाता है। 1894 के अधिनियम की धारा 11ए के प्रावधानों में कहा गया है कि कलेक्टर धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर एक पुरस्कार देगा और यदि दो साल के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। दो वर्ष की अवधि में ऐसी कोई भी अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश लागू था। एक बार जब कोई पुरस्कार दिया जाता है और कब्जा ले लिया जाता है, तो धारा 16 के आधार पर, भूमि राज्य में पूरी तरह से निहित होती है, जो सभी बाधाओं से मुक्त होती है। पुरस्कार पारित करने और लेने की दो आवश्यकताओं के होने पर भूमि का निहित होना स्वतः होता है।

कब्जा, जैसा कि धारा 16 में दिया गया है। एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा ले लिया जाता है, तो भूमि का मालिक उसका अधिकार खो देता है, और सरकार भूमि की पूर्ण स्वामी बन जाती है।

116. 1894 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदान किया गया है, जो पुरस्कार पारित होने के बाद किया जाना है।

धारा 11 के तहत। अपवाद, धारा 17 के तहत तात्कालिकता के मामले में है, जहां इसे कब्जा करने से पहले निविदा देनी होती है। एक बार पुरस्कार पारित हो जाने के बाद, कलेक्टर इसके हकदार व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि इसमें पाया गया है और उन्हें इसका भुगतान तब तक करेगा जब तक कि धारा 31 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आकस्मिकताओं द्वारा "रोका" न जाए। धारा 31 (3) में एक अबाधित खंड है जो कलेक्टर को बहुमत के हित में, अन्य भूमि के बदले में अन्य भूमि के अनुदान द्वारा, अन्य भूमि पर भूमि राजस्व की माफी या ऐसे अन्य तरीके से जो न्यायसंगत हो, उपयुक्त सरकार की मंजूरी के साथ अधिकृत करता है।

117. धारा 31 (1) में कहा गया है कि कलेक्टर को भुगतान के लिए निविदा देनी होगी।

इंदौर विकास प्राधिकरण के हकदार इच्छुक व्यक्तियों को उनके द्वारा दिए गए मुआवजे का।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

पुरस्कार के अनुसार और भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करेगा, जब तक कि उसे (कलेक्टर) ऐसा करने से रोका न जाए।

अतः, उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई तीन आकस्मिकताओं में से किसी के लिए। धारा 31 (2) अदालत में मुआवजे के जमा करने का प्रावधान करती है यदि राज्य

(i) इसे प्राप्त करने से इनकार करने की स्थिति में भुगतान करने से रोका गया; (ii) यदि कोई व्यक्ति भूमि को अलग करने में सक्षम नहीं है; (iii) यदि मुआवजा प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के बारे में कोई विवाद है; या (iv) यदि विभाजन के बारे में विवाद है। ऐसी अनिवार्यताओं में, कलेक्टर मुआवजे की राशि उस अदालत में जमा करेगा जिस पर धारा 18 के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा।

118. धारा 34 ऐसी स्थिति से संबंधित है जहाँ कोई भी दायित्व हो।

धारा 31 (1) या 31 (3), जिसे कलेक्टर भी कहा जाता है, भुगतान करने से वर्जित नहीं है, लेकिन इसमें धारा 34 के तहत उस तारीख से पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत की दर से ब्याज होता है जब इसे भुगतान या जमा किया जाना चाहिए था और उसके बाद 15 प्रतिशत की दर से। इस प्रकार, एक बार जब धारा 16 के तहत राज्य में भूमि निहित हो जाती है, तो धारा 31 (2) के तहत जमा करने के लिए धारा 31 (1) के तहत मुआवजे का भुगतान करने में विफलता के मामले में, मुआवजे का भुगतान ब्याज के साथ किया जाना चाहिए, और धारा 31 का पालन न करने के कारण, अधिग्रहण में कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम में धारा 24 (2) में प्रावधान करके इसी भावना को आगे बढ़ाया गया है। एक बार जब कब्जा ले लिया जाता है, हालांकि भुगतान नहीं किया गया है, तो मुआवजे का भुगतान धारा 34 के तहत परिकल्पित ब्याज के साथ किया जाना चाहिए, और एक मामले में, भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है, धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं है। ऐसे मामले में जहां 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा ले लिया गया हैधारा 16 या 17 (1) द्वारा प्रदान की गई भूमि राज्य में पूरी तरह से निहित है, सभी बाधाओं से मुक्त, यदि मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कोई [2020] 3 एस. सी. आर. नहीं है।

विनिवेश में कोई चूक नहीं होगी क्योंकि मुआवजे पर 9 प्रतिशत या 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है जैसा कि 1894 के अधिनियम की धारा 34 के तहत परिकल्पित है। धारा 24 (2) के प्रावधान में कुछ संपूर्ण प्रावधान किया गया है कि यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में, न केवल वे व्यक्ति बल्कि सभी लाभार्थी, हालांकि अल्प स्वामित्व के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है, अधिक राशि के हकदार होंगे।2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा। उपयोग की गई अभिव्यक्ति "सभी लाभार्थियों के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 अर्थात 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण का अर्थ है कि जिन व्यक्तियों को अधिक मुआवजा दिया जाना है, वे वे हैं जिन्हें धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख तक लाभार्थियों के रूप में दर्ज किया गया है। परंतुक इस सिद्धांत को प्रभावी बनाता है और आगे बढ़ाता है कि 1894 के अधिनियम के तहत, धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के बाद की गई खरीद अमान्य है। इस प्रकार, धारा 24 (2) के प्रावधान के तहत उच्च मुआवजे का लाभ 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना में उल्लिखित लाभार्थियों को दिया जाना है।

119. 1894 के अधिनियम से यह स्पष्ट है कि मुआवजे के भुगतान के बारे में भाग 5 में बताया गया है, जबकि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है -

धारा 31 (3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर को आपात स्थितियों में भुगतान करने से रोके जाने की स्थिति में तत्काल और जमा (राशि) का पालन करना होगा। निम्नलिखित बात यह है कि धारा 31 (1) और 31 (2) के तहत भुगतान करने या जमा करने के दायित्व को पूरा नहीं करने की स्थिति में, 1894 के अधिनियम ने ऐसा नहीं किया भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने का प्रावधान है, और मुआवजे के भुगतान के बाद केवल ब्याज में वृद्धि होती है।

120. 2013 के अधिनियम के उद्देश्य खंड संख्या 18 (उद्देश्यों और कारणों के विवरण) की शर्तों से पता चलता है कि एक पुरस्कार देने पर (अधिग्रहित भूमि का) कब्जा लेने का विकल्प नया कानून 1894 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों में उपलब्ध होगा, जहां पुरस्कार नहीं दिया गया है, या भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। यह स्पष्ट है कि 2013 के अधिनियम के तहत लाभों की परिकल्पना की गई है कि जहां पुरस्कार नहीं दिया गया था, या पुरस्कार नहीं दिया गया है, लेकिन कब्जा नहीं लिया गया है (क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद, भूमि राज्य में निहित है) वहां अधिग्रहण की चूक हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भुगतान भी किया जाना है: उस मुद्दे का ध्यान धारा 34 के तहत ब्याज के भुगतान के प्रावधान द्वारा रखा जाता है: साथ ही, गैर-जमा के मामले में-इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

किसी दिए गए पुरस्कार में अधिकांश जोतों के संबंध में, 2013 के अधिनियम के तहत उच्च मुआवजे का भुगतान सभी लाभार्थियों को 1894 के अधिनियम के तहत जारी धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को किया जाना है। जहां पुरस्कार दिया गया है और कब्जा ले लिया गया है, वहां मुआवजे का भुगतान न करने के बारे में विशिष्ट संदर्भ देने वाले उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कुछ भी नहीं है। एक अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, अदालत ने विधायिका के उद्देश्यों और कारणों पर विचार करने के लिए, जिसे विधायिका ने ध्यान में रखा था, इस बात पर भी जोर दिया कि एक बार निहित होने के बाद, कोई विनिवेश नहीं है जैसा कि वर्कमेन ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट v में माना गया है। दिमाकुची चाय बागान का प्रबंधन, इस प्रकार:

" (9) हालांकि, थोड़ा सावधानीपूर्वक विचार करने से पता चलेगा कि परिभाषा खंड के तीसरे भाग में आने वाली अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति" का अर्थ इस व्यापक दुनिया में कोई भी और हर कोई नहीं हो सकता है। सबसे पहले, विवाद का विषय होना चाहिए

(i) रोजगार या गैर-रोजगार या (ii) किसी व्यक्ति के रोजगार या श्रम की शर्तों से संबंधित;

अनिवार्य रूप से इस अर्थ में एक सीमा निर्धारित की जाए कि एक व्यक्ति जिसके संबंध में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध कभी मौजूद नहीं था या संभवतः कभी मौजूद नहीं हो सकता है, वह नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच विवाद का विषय नहीं हो सकता है। दूसरा, परिभाषा खंड को अधिनियम की विषय वस्तु और योजना के संदर्भ में और अधिनियम के उद्देश्यों और अन्य प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय है कि " किसी कानून के शब्दों को, जब उनके अर्थ के बारे में कोई संदेह होता है, तो उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे अधिनियम के विषय और उस उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं जो विधानमंडल के विचार में है। उनका अर्थ कड़ाई से व्याकरणिक या व्युत्पत्ति संबंधी औचित्य में इतना नहीं पाया जाता है।

भाषा का, न ही इसके लोकप्रिय उपयोग में, जैसा कि विषय में या उस अवसर पर जिस पर उनका उपयोग किया जाता है, और जिसका उद्देश्य होना है

हासिल किया "।

(मैक्सवेल, क़ानूनों की व्याख्या, 9 वां संस्करण, पी। 55)। ”

121. मुकेश के. त्रिपाठी बनाम। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, एल. आई. सी. और अन्य "। , एक अधिनियम के उद्देश्य को समझने के मुद्दे पर, वर्कमेन ऑफ डिमाकुची एस्टेट (सुप्रा) में निर्णय को दोहराया गया था।

89 1958 एससीआर 1156 9 0 90 (2004) 8 एससीसी 387 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

122. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) केवल उस स्थिति से संबंधित है जहां पुरस्कार 5 साल या उससे अधिक समय पहले दिया गया हो।

अधिनियम का प्रारंभ, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। यह ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं करता है जहां धारा 17 (1) के तत्काल प्रावधान के तहत कब्जा ले लिया गया है, लेकिन पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में, 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत, पूरी कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है: लेकिन मुआवजे का निर्धारण प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। 2013 के अधिनियम के अनुसार। तात्कालिकता के मामले में, आमतौर पर पुरस्कार पारित होने से पहले कब्जा ले लिया जाता है। इस प्रकार, जहां कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया जाता है, जहां 1894 के अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत तत्काल प्रावधान लागू किया गया था, वहां कोई चूक नहीं है, धारा 24 (1) (ए) के तहत केवल उच्च मुआवजे का पालन किया जाएगा, भले ही भुगतान नहीं किया गया हो या 1894 के अधिनियम की धारा 17 (3ए) के तहत निविदा नहीं दी गई हो।

123. धारा 24 के तहत चूक का प्रावधान केवल तभी उपलब्ध होता है जब पुरस्कार दिया गया हो, लेकिन कब्जा नहीं लिया गया हो।

पाँच वर्षों के भीतर, न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। यदि 'या' शब्द को अलग-अलग पढ़ा जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त होने से रोकने के लिए कब्जा लेने के बाद भी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, एक बार जब भूमि सरकार में निहित हो जाती है और ज्यादातर मामलों में, विकास

पहले से ही किया गया है। धारा 24 (2) में उपयोग की गई अभिव्यक्तियाँ "भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है" और "मुआवजा नहीं दिया गया है।

भुगतान किए गए "असंबंधित हैं और 1894 के अधिनियम के तहत अलग-अलग परिणाम देते हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, ये शर्तें केवल अनन्य शर्तें हैं और वैकल्पिक स्थितियों के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां मुआवजे का भुगतान किया गया है, लेकिन किसी न किसी कारण से अधिकारियों की गलती के बिना या अन्यथा कब्जा नहीं लिया गया है, और ऐसे मामले हैं जहां कब्जा ले लिया गया है, लेकिन

124. 2013 के अधिनियम की धारा 24 को पूरी तरह से प्रभावी किया जाना है। धारा 24 (2) को अन्यथा सामान्य के अपवाद के रूप में बनाया गया है।सामान्य की धारा 6 में निहित प्रावधानों की प्रयोज्यता

खंड अधिनियम और धारा 24 (1) (ए) और (बी) उन कार्यवाहियों पर लागू होते हैं जो लंबित हैं। उप-धारा (2) उप-धारा (1) का एक अपवाद है जिसमें लिखा है: उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी " जहां कोई पुरस्कार दिया गया है, लेकिन कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है, धारा 24 में एक अपवाद बनाया गया है जहां एक पुरस्कार पारित किया गया है, लेकिन इंदौर विकास प्राधिकरण v के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 24 (1) के तहत लंबित कार्यवाही में कब्जा लेना और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। इस प्रावधान का अर्थ 2013 के अधिनियम की धारा 114 और धारा 24 (2) में गैर-बाध्यकारी खंड के तहत धारा 6 (सामान्य खंड अधिनियम) के तहत सहेजे गए प्रावधान के पीछे की भावना से लगाया जाना चाहिए।

125. राज्यों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि न तो एक अस्थायी प्रावधान और न ही एक निरसन कानून की व्याख्या की जा सकती है ताकि -

कानून के संचालन द्वारा बनाए गए अधिकारों को छीनना, बाधित करना या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना। यह राज्य सरकार को पूरी तरह से निहित भूमि से वंचित नहीं कर सकता है। रिलायंस को के. एस. परिपूर्णन बनाम पर रखा गया है। केरल राज्य और अन्य 9 1 इस प्रकार:

" 12. यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि संशोधन अधिनियम ने अन्य बातों के अलावा, धारा 23 (1 ए) और धारा 28-ए के प्रावधानों को जोड़ा है और धारा 23 (2) के प्रावधानों में संशोधन किया है। इसने अपनी धारा 30 में स्वतंत्र संक्रमणकालीन प्रावधान भी किया है। धारा के सुसंगत प्रावधान

30 इस प्रकार पढ़िए:

30. संक्रमणकालीन प्रावधान। — (1) इस अधिनियम की धारा 15 के खंड (ए) द्वारा अंत:स्थापित मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1-ए) के प्रावधान लागू होंगे, और यह माना जाएगा कि वे -(क) के अधीन किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्येक कार्यवाही

लोक सभा में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1982 को प्रस्तुत करने की तिथि], जिसमें कोई पुरस्कार नहीं है कलेक्टर द्वारा उस तारीख से पहले किया गया था;

(ख) किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्येक कार्यवाही

मूल अधिनियम उस तारीख के बाद शुरू हुआ, चाहे कलेक्टर द्वारा उस तारीख से पहले कोई पुरस्कार दिया गया हो या नहीं।

इस अधिनियम का प्रारंभ।

(2) मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) और धारा 28 के प्रावधान, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 15 के खंड (बी) और धारा 18 द्वारा संशोधित किया गया है, लागू होंगे, और

यह समझा जाएगा कि उसने कलेक्टर या न्यायालय या किसी आदेश द्वारा दिए गए किसी पुरस्कार के लिए भी और उसके संबंध में भी आवेदन किया है।

9 1 1994 (5) एस. सी. सी. 593 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल, 1982 के बाद [लोक सभा में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पेश करने की तारीख] और इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील में पारित किया गया।

संशोधन अधिनियम के विधेयक को पेश करने की तारीख 30-4-1982 है और इसके शुरू होने की तारीख 24-9-1984 है।

***

38. संक्रमणकालीन प्रावधान अपने स्वभाव से एक सक्षम प्रावधान है और इसकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, यह 30-4-1982 और 24-9-1984 के बीच की अवधि का ध्यान रखने के लिए बनाया गया है, यानी, संशोधन अधिनियम के विधेयक को पेश करने की तारीख और अधिनियम के शुरू होने की तारीख के बीच। चूँकि उक्त अंतराल के दौरान कलेक्टर और संदर्भ न्यायालय द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए होंगे, इसलिए विधायिका संबंधित पुरस्कार विजेताओं को धारा 23 (1-ए) के नए प्रदान किए गए लाभ या धारा 23 (2) और 28 के तहत बढ़े हुए लाभ से वंचित नहीं करना चाहती थी। दूसरा उद्देश्य कलेक्टर और न्यायालय को उनके समक्ष लंबित कार्यवाही में उक्त लाभ देने में सक्षम बनाना था।उन्होंने पुरस्कार नहीं दिए थे। एकमात्र सीमा जो रखी गई थी

इस संबंध में कलेक्टर की शक्ति यह थी कि उसे

जिस परकार्यवाही में उनके द्वारा पहले से दिए गए पुरस्कारों को फिर से नहीं खोला गया जो देने के लिए 30-4-1982 पर उनके सामने लंबित थे

ऐसे पुरस्कार विजेताओं को धारा 23 (1-ए) का लाभ। यह जैसा कि पहले कहा गया था, दो कारणों से था। यदि उक्त पुरस्कार संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को संदर्भ न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, अर्थात। , 24-9-1984 , संदर्भ न्यायालय पुरस्कार विजेताओं को उक्त लाभ देने में सक्षम होगा। दूसरी ओर, यदि विचाराधीन पुरस्कार विजेताओं ने पुरस्कार स्वीकार कर लिए थे, तो वे अंतिम हो गए हैं, उन्हें फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। जहां तक धारा 23 (2) और 28 के तहत बढ़े हुए लाभ का संबंध है, विधायिका का इरादा इसे न केवल संदर्भ न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही तक विस्तारित करना था।

लेकिन उन लोगों को भी जहां कलेक्टर और संदर्भ न्यायालयों द्वारा 30-4-1982 और 24-9-1984 के बीच पुरस्कार दिए गए थे। इसलिए इन पुरस्कारों को न केवल फिर से खोला जा सकता है, बल्कि यदि वे

उच्च न्यायालयों या विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील का विषय था।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

सर्वोच्च न्यायालय, अपीलीय आदेश भी हो सकते हैं

उक्त लाभों को बढ़ाने के लिए फिर से खोला गया।

***

71. संशोधन अधिनियम की धारा 30 का शीर्षक है:

" संक्रमणकालीन प्रावधान "। संक्रमण की भूमिका की व्याख्या करना

एक क़ानून के प्रावधानों में, बेनिओन ने कहा है:

" जहाँ किसी अधिनियम में मूल, संशोधन या निरसन शामिल है।

अधिनियमों में, इसमें आम तौर पर संक्रमणकालीन प्रावधान भी शामिल होते हैं जो उन अधिनियमों के संचालन को विनियमित करते हैं और संक्रमण की अवधि के दौरान उनके प्रभाव को संशोधित करते हैं। जहाँ कोई अधिनियम ऐसे प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल करने में विफल रहता है, वहाँ न्यायालय है -

इच्छित संक्रमणकालीन के रूप में निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है

व्याख्यात्मक मानदंडों के आलोक में, यह

(फ्रांसिस बेनियन: सांविधिक व्याख्या, द्वितीय संस्करण, पृ. 212) विद्वान लेखक ने आगे बताया है:

" एक अधिनियम या अन्य साधन में संक्रमणकालीन प्रावधान हैं:

प्रावधान जो सटीक रूप से बताते हैं कि कब और कैसे

उपकरण के सक्रिय भागों को प्रभावी होना है। यह है।

दुभाषिया के लिए यह महसूस करना और लगातार ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इसका स्पष्ट अर्थ क्या प्रतीत होता है मूल अधिनियम को अक्सर संक्रमणकालीन द्वारा संशोधित किया जाता है।

अधिनियम में कहीं और स्थित प्रावधान। (पी। 212)

इसी तरह थॉर्नटन ने विधायी प्रारूपण पर अपने ग्रंथ में [तीसरा] एडन। , 1987 , पी। 319 ब्रिटनेल वी. में उद्धृत। सामाजिक सुरक्षा राज्य सचिव, (1991) 2 ऑल ई. आर. 726,730 पर लॉर्ड कीथ] ने कहा है:

" एक संक्रमणकालीन प्रावधान का कार्य विशेष बनाना है।

विधान लागू करने के लिए प्रावधान

परिस्थितियाँ जो उस समय मौजूद थीं जब वह विधान

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या और यदि हां, तो संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 23 में प्रस्तुत उप-धारा (1-ए) के प्रावधान किस हद तक उन कार्यवाहियों पर लागू होते हैं जो - [2020] 3 एस. सी. आर. की शुरुआत की तारीख को लंबित थे।

अधिनियम में संशोधन करते हुए धारा 23 (1-ए) को साथ में पढ़ना आवश्यक है। उप-धारा (1) में निहित संक्रमणकालीन प्रावधानों के साथ

संशोधन अधिनियम की धारा 30 "।

(जोर दिया गया)

126. खंडों को निरस्त करने और सहेजने की व्याख्या के लिए, रिलायंस ने

मिल्कफूड लिमिटेड v. पर रखा गया। जी. एम. सी. आइसक्रीम (पी) 9 2 इस प्रकारः

" 70. 1996 के अधिनियम की धारा 85 1940 के अधिनियम को निरस्त करती है। उप.

धारा 85 की धारा (2) एक गैर-अवरोधक खंड का प्रावधान करती है।

उक्त उप-धारा के खंड (ए) में बचत खंड का प्रावधान है।

यह कहते हुए कि उक्त अधिनियमों के प्रावधान लागू होंगे

मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में जो पहले शुरू हुई थी

उक्त अधिनियम लागू हुआ। इस प्रकार, वे मध्यस्थता कार्यवाही

जो 1996 के लागू होने से पहले शुरू किए गए थे

अधिनियम सुरक्षित है और 1996 के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

माध्यस्थम कार्यवाही के संबंध में जो या पर शुरू हुई थी उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद। यहाँ तक कि उक्त सीमित के लिए भी

उद्देश्य, यह पता लगाना आवश्यक है कि इसका क्या अर्थ है

के उद्देश्य के लिए मध्यस्थता कार्यवाही का प्रारंभ

1996 अधिनियम जिसके लिए भी धारा 21 के संदर्भ की आवश्यकता है

उठेंगे। न्यायालय को निरसन और बचत की व्याख्या करनी है।

खंड इस तरह से ताकि एक व्यावहारिक और

उद्देश्यपूर्ण अर्थ। यह कहना एक बात है कि

मध्यस्थता कार्यवाही का प्रारंभ इस पर निर्भर करता है -

प्रत्येक मामले के तथ्य के रूप में कि के अधीन होगा पक्षों के बीच समझौता। यह भी कहने के लिए एक और बात है

कि अभिव्यक्ति "मध्यस्थता की शुरुआत"

कार्यवाहियों को संदर्भ को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए।

जिसमें उसी का उपयोग किया जाता है; लेकिन यह पूरी तरह से अलग होगा।

कहने की बात यह है कि मध्यस्थता की कार्यवाही केवल शुरू होती है

सूचना जारी करने पर सीमा के उद्देश्य के लिए और

किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। कानून ऐसा नहीं कहता है। यहां तक कि

मामला-कानून उसी का सुझाव नहीं देते हैं। इसके विपरीत,

इस क्षेत्र में काम करने वाले इस न्यायालय के निर्णय

शेट्टीज कंस्ट्रक्शंस कं. (पी) लिमिटेड बनाम कोंकण रेल।

निर्माण, (1998) 5 एस. सी. सी. 599 प्रभाव के लिए उपयुक्त हैं।

कि धारा 21 का सहारा इस उद्देश्य के लिए लिया जाना चाहिए किअधिनियम की धारा 85 (2) (ए) की व्याख्या। वहाँ कोई नहीं है

4 (7) एस. सी. सी. 288 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

कारण, भले ही दो विचार संभव हों, इस न्यायालय के निर्णयों से विचलन करने के लिए जैसा कि पहले यहां संदर्भित किया गया है।

***

105. वर्तमान मामले में, एक संक्रमणकालीन प्रावधान यानी धारा 85 (2) (ए) से संबंधित है जो इस बारे में अधिनियमित करता है कि कैसे

कानून मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर काम करेगा।

1996 के अधिनियम की धारा 85 (2) (ए) जो "प्रारंभ" की अवधारणा पर जोर देती है; कि एक सामग्री है दोनों अधिनियमों की योजना में अंतर; कि धारा 85 (2) (ए) में दिखाई देने वाली "संबंध में" अभिव्यक्ति पुराने अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही के विभिन्न चरणों को संदर्भित करती है;

धारा के तहत "प्रारंभ" की अवधारणा को सीमित करें।85 (2) (क) केवल 1996 के अधिनियम की धारा 21 के लिए जो अन्य बातों के साथ-साथ

से मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान करता है

जिस तारीख को किसी विशेष विवाद को संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है

उत्तरदाता द्वारा।

***

109. संक्षेप में, इस मामले में, सवाल संबंधित है

संक्रमणकालीन प्रावधानों की व्याख्या; कि धारा 85 (2) (ए) "प्रारंभ" की अवधारणा पर जोर देती है जबकि धारा

48 1940 के अधिनियम ने "संदर्भ" की अवधारणा पर जोर दिया; कि धारा 85 (2) (ए) निहित निरसन का प्रावधान करती है; कि 1940 के अधिनियम की योजना 1996 के अधिनियम से अलग है; कि पुराने अधिनियम की धारा 48 में "संदर्भ" शब्द के विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग अर्थ थे; और उक्त कारणों से, मेरा विचार है कि [2020] 3 एस. सी. आर. में धारा 85 (2) (ए) की व्याख्या करते समय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस अपील में उठाए गए प्रश्न के संदर्भ में, कोई भरोसा नहीं कर सकता है केवल 1996 के अधिनियम की धारा 21 पर।

(जोर दिया गया)

127. 1894 के अधिनियम की धारा 48 के तहत, भूमि की निकासी

अधिग्रहण की कार्यवाही केवल तभी अनुमत थी जब धारा 16 या 17 (1) के तहत कब्जा नहीं लिया गया हो। धारा 48 (1) यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 48. अधिग्रहण को पूरा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन

पूरा न होने पर मुआवजा दिया जाना।

(1) धारा 36 में उपबंधित मामले को छोड़कर,

सरकार इससे हटने के लिए स्वतंत्र होगी

ऐसी किसी भूमि का अधिग्रहण जिसका कब्जा नहीं किया गया हो

लिया गया।

(2) जब भी सरकार इस तरह के किसी भी कदम से पीछे हटती है अधिग्रहण, कलेक्टर की राशि निर्धारित करेगा

में मालिक को हुए नुकसान के लिए देय मुआवजा

सूचना या उसके अधीन किसी कार्यवाही का परिणाम,

और इच्छुक व्यक्ति को एक साथ ऐसी राशि का भुगतान करेगा।

अभियोजन में उसके द्वारा उचित रूप से किए गए सभी खर्चों के साथउक्त भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही।

(3) इस अधिनियम के भाग III के प्रावधान लागू होंगे, जहाँ तक

देय मुआवजे के निर्धारण के लिए हो सकता है

इस धारा के तहत "।

यदि कब्जा ले लिया गया है, तो कोई निकासी नहीं हो सकती है।

1894 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से।

128. राज्य की ओर से विभिन्न निर्णय संदर्भित किए गए थे

हरियाणा में एक बार जब कब्जा ले लिया गया है और भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, तो किसी भी भूमि के अधिग्रहण से वापस नहीं लिया जा सकता है। कब्जा का चरण समाप्त होने के बाद भूमि को मालिक को वापस नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित निर्णयों को सेवा में लगाया गया है:

(ए)। गुलाम मुस्तफा और ओरस (ऊपर) में, यह देखा गया था:

" 5. इस स्तर पर श्री देशपांडे ने शिकायत की कि वास्तव में

नगरपालिका समिति ने अतिरिक्त भूमि बेच दी थीउन्हें एक आवासीय कॉलोनी के लिए अलग-अलग भूखंडों में चिह्नित करें।

इस तथ्य के अलावा कि एक आवास कॉलोनी एक सार्वजनिक आवश्यकता है, विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

एक बार जब मूल अधिग्रहण वैध हो जाता है और शीर्षक निहित हो जाता है

प्राधिकरण की आवश्यकता इसे इसके अलावा किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मोड़ती है धारा 6 (3) घोषणा में कहा गया है।

चंद्रगौड़ा रामगोंडा पाटिल और अन्र। (ऊपर) जब पुनर्स्थापना

कुछ सरकारी प्रस्तावों के आधार पर, समर्पण किए जाने के बाद पहचान पत्र मांगा गया था, यह इस प्रकार देखा गया:

" 2 ..... चूंकि उन्होंने उक्त सरकार को लागू करने की मांग की थी

संकल्प, रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सका

रचनात्मक न्यायपालिका का आधार। वह भी भरोसा करना चाहता है

कुछ आदेशों पर कहा जाता है कि उच्च द्वारा पारित किया गया था

सरकार के प्रवर्तन के अनुरूप न्यायालय

संकल्प। हमें नहीं लगता कि यह न्यायालय उचित होगा।

पूर्ववर्ती को भूमि की बहाली के लिए निर्देश देने में

मालिकों को जब भूमि वापस ले ली गई और उसमें निहित किया गया

नगरपालिका सभी बाधाओं से मुक्त है। हम नहीं हैं।

किसी में भी अधिसूचना की वैधता से संबंधितरिट याचिकाएँ। यह स्वयंसिद्ध है कि जनता के लिए अधिग्रहित भूमि

इस उद्देश्य का उपयोग किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

हालाँकि इसका उपयोग मूल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था।

यह अभिप्रेत नहीं है कि कोई भी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया गया हो,

क्षतिपूर्ति का भुगतान बाजार मूल्य के अनुसार किया गया था अधिसूचना की तिथि। इन परिस्थितियों में,

उच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया था

दोनों रिट याचिकाएँ "।

(जोर दिया गया)

फिर से, सी. पद्मा और ओआरएस में। वी. डी. सचिव और अन्य 9 3, यह न्यायालय

डी कि:

" 4. स्वीकृत स्थिति यह है कि अधिसूचना के अनुसार

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. की धारा 4 (1) के तहत प्रकाशित

(संक्षेप में "अधिनियम") जी. ओ. आर. सं. 1392 इंडस्ट्रीज में दिनांकित

17-10-1962 , 6 एकड़ 41 सेंट भूमि का कुल विस्तार

7) 2 एससीसी 627 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के सैदापेट तालुक के माधवरम गांव का अधिग्रहण टी. वी. एल. द्वारा सिंथेटिक रसीना के निर्माण के लिए अधिनियम के अध्याय VII के तहत किया गया था। रीचोल्ड

केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, मद्रास। अधिग्रहण की कार्यवाही

कंपनी, इसे टी. वी. एल. को सौंप दिया गया। सिम्पसन और जनरलवित्त कंपनी जो रीचोल्ड केमिकल्स की सहायक कंपनी है

इंडिया लिमिटेड ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कंपनी द्वारा किए गए अनुरोध पर, एक एकड़ 37 सेंट भूमि में से 66 सेंट भूमि, जिसके संबंध में मूल रूप से अपीलार्थियों का स्वामित्व था,

किसी अन्य सहायक कंपनी के पक्ष में जी. ओ. एम. संख्या 816 इंडस्ट्रीज दिनांक 24-3-1971 में हस्तांतरित। श्री राम विलास सर्विस लिमिटेड, पाँचवाँ प्रतिवादी जो एक अन्य प्रतिवादी भी है।

कंपनी की सहायक कंपनी ने दो एकड़ 75 सेंट भूमि के लिए अनुरोध किया था। इसे जी. ओ. एम. संख्या 439 इंडस्ट्रीज दिनांक 10-5-1985 में समझौते के संदर्भ में फिर से शुरू होने के बाद सरकार द्वारा पट्टे के आधार पर सौंपा गया। जी. ओ. एम. एस. सं. 546 इंडस्ट्रीज दिनांक 30-3-1986 में, वही आया।

स्वीकृति दी जाए। तब अपीलकर्ताओं ने मूल जी. ओ. एम. एस. संख्या 1392 इंडस्ट्रीज दिनांक 17-10-1962 को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि चूंकि मूल उद्देश्य जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उसका संचालन बंद हो गया था, इसलिए अपीलकर्ता उनसे लिए गए कब्जे की बहाली के हकदार हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है किअधिग्रहित भूमि जो पहले से ही राज्य में निहित है, अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती द्वारा मुआवजे की प्राप्ति के बाद, उन्हें अधिसूचना को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

इस प्रकार रिट याचिका और रिट अपील खारिज कर दी गई।

5. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जी. रामास्वामी का तर्क है कि जब अधिनियम की धारा 40 के साथ धारा 44-बी को पढ़ा जाता है, तो सार्वजनिक उद्देश्य

अस्तित्व में नहीं रहा, अधिग्रहण खराब हो गया और

इसलिए, जी. ओ. कानून की दृष्टि से खराब था। हम विवाद में कोई ताकत नहीं पाते हैं। यह देखा गया है कि जी. ओ. आर. 1392 दिनांक 17-10-1962 में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, अधिग्रहण की कार्यवाही जारी है।

अंतिम हो गया था, मुआवजे का भुगतान अपीलार्थियों के पिता को किया गया था और उसके बाद भूमि राज्य में निहित हो गई थी। डीओआरई विकास प्राधिकरण के अध्याय VII में विचार किए गए समझौते के संदर्भ में।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

अधिनियम, कंपनी ने शर्तों के अधीन कब्जा दिया था

और उसके तहत शर्तें। यह देखा गया है कि शर्तों में से एक

सरकार के समक्ष समर्पण किया जाएगा। आगे बढ़ने के लिएइसके बाद, भूमि सरकार को सौंप दी गई

पुनः आरंभ करने के लिए। भूमि तब एस. आर. वी. एस. लिमिटेड को आवंटित की गई थी।

5 उत्तरदाता जो एक सहायक समामेलित भी है

मूल कंपनी की कंपनी। इसलिए आम जनता

जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया गया था, उसे प्रतिस्थापित किया गया था

एक और सार्वजनिक उद्देश्य। इसके अलावा, सवाल आखिरकार खड़ा हो गया

32 साल पहले निपटाया गया और इसलिए रिट याचिका नहीं हो सकती है

मूल उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य नहीं था या भूमि नहीं कर सकती थीइसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है।

6. इन परिस्थितियों में, हम सोचते हैं कि उच्च न्यायालय

रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करना सही था।

(जोर दिया गया)

उत्तरी भारतीय ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम में निर्णय। जसवंत

2 & ओआरएस 94 इस प्रकार है:

" 9 ..... अनुचित के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है

उत्तरदाताओं को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया था, कि स्वयं में देरी और अड़चनों को माफ करने का आधार नहीं था

रिट याचिका दायर करना। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय भी था

उत्तरदाताओं को भूमि की बहाली का आदेश देना सही नहीं है

इस आधार पर कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग किस लिए नहीं किया गया था

इसे प्राप्त किया गया था। यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है किपुरस्कार पास करने और धारा के तहत कब्जा करने के बाद

16 अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित भूमि सरकार के पास निहित है।

सभी बाधाओं से मुक्त। भले ही भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है

जिस उद्देश्य के लिए इसे अधिग्रहित किया गया है, भूमि मालिक ऐसा नहीं करता है

उसे अपनी जमीन वापस लेने की माँग करने और माँगने का कोई अधिकार प्राप्त करें

अधिकार की बहाली के लिए। इस न्यायालय में जितनी जल्दी हो सके

1976 गुलाम मुस्तफा बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एस. सी. सी. 800 ने पैरा 5 में इस प्रकार कहा है: (एस. सी. सी पी. 802, पैरा 5)

03) 1 एससीसी 335 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5. इस स्तर पर श्री देशपांडे ने शिकायत की कि वास्तव में

नगरपालिका समिति ने अतिरिक्त भूमि बेच दी थी

उन्हें एक आवासीय कॉलोनी के लिए अलग-अलग भूखंडों में चिह्नित करें।

इस तथ्य के अलावा कि एक आवास कॉलोनी एक सार्वजनिक आवश्यकता है,

एक बार जब मूल अधिग्रहण वैध हो जाता है और शीर्षक निहित हो जाता है

प्राधिकरण की आवश्यकता इसे इसके अलावा किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मोड़ती हैधारा 6 (3) घोषणा में कहा गया है। "

(जोर दिया गया)

सीता राम भंडार सोसायटी, नई दिल्ली (ऊपर) 9 5 न्यायालय

वेद कि:

" 28. उपरोक्त निर्णयों का संचयी अध्ययन होगा

प्रकट करें कि कब्जा करते समय, प्रतीकात्मक और काल्पनिक

अधिनियम के तहत कब्जे की परिकल्पना शायद नहीं की गई है, लेकिन

जिस तरह से कब्जा लिया जाता है वह अनिवार्य रूप से निर्भर करता है

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर। इस व्यापक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए

ध्यान रखें, यह न्यायालय टी. एन. आवास बोर्ड बनाम. ए. विश्वम, (1996) 8 बलवंत नारायण मामले में फैसले पर विचार करने के बाद एस. सी. सी. 259

भागडे वी। एम. डी. भागवत, (1976) 1 एस. सी. सी. 700 ने कहा किभूमि के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हुए (इस मामले में)

339 एकड़) एक व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण होना था

लिया गया। इस न्यायालय ने तब उस संदर्भ की जांच की जिसके तहत

नारायण भागड़े मामले में फैसला सुनाया गया था और

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया: (विश्वम मामला, एस. सी. सी. पी. 262, पैरा 9)

" 9. यह इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा तय किया गया कानून है कि

अधिग्रहण पर कब्जा करने के स्वीकृत तरीकों में से एक

भूमि एक ज्ञापन या पंचनामे का अभिलेखन है

एल. ए. ओ. उनके द्वारा हस्ताक्षरित गवाहों की उपस्थिति में औरभूमि का कब्जा लेना होगा जैसा कि यह होगा

अधिग्रहित भूमि पर भौतिक कब्जा करना असंभव है।

यह सामान्य ज्ञान है कि कुछ मामलों में मालिक /

इच्छुक व्यक्ति कब्जा लेने में सहयोग नहीं कर सकता है।भूमि से "।

***

***

*

19) 10 एस. सी. सी. 501 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

40. नारायण भागड़े मामले में एक तर्क उनके द्वारा उठाया गया था।भूमि मालिक यह था कि के संचार के अनुसार

आयुक्त भूमि अभी भी जमींदार के पास थी और

उस पर कब्जा नहीं किया गया था। पीठ ने कहा कि

कि पत्र भूमि मालिक के रूप में एक गलत धारणा पर आधारित था

उसके तुरंत बाद अधिग्रहित भूमि में फिर से प्रवेश किया था

सरकार ने इसे नजरअंदाज करते हुए कब्जा कर लिया था

परिदृश्य कि वह कब्जे से अलग हो गया था, के तहत

अधिनियम की धारा 16। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

(नारायण भागड़े मामला, एस. सी. सी. पी. 712, पैरा 29)

" 29. ..... कानूनी स्थिति के लिए यह स्पष्ट रूप से गलत दृष्टिकोण था।

यह स्पष्ट है कि भले ही अपीलार्थी ने भूमि पर प्रवेश किया हो और

जमीन मिलने के अगले ही पल से इस पर फिर से कब्जा कर लिया गया।

वास्तव में कब्जा कर लिया गया था और निहित हो गया था

सरकार, अपीलार्थी की ओर से ऐसा कार्य नहीं किया गया

वेस्टिंग के परिणामों को मिटाने का प्रभाव पड़ता है।

 " "

इसलिए, हमारे विचार से, यह मानते हुए भी कि अपीलार्थी नेविभिन्न अंतरिम आदेशों के कारण भूमि में पुनः प्रवेश किया गया

अदालतों द्वारा दिया गया, या अन्यथा भी, यह नहीं होगा

(1) कि मुकदमे/याचिकाएं अंततः खारिज कर दी गईं और (2) कि भूमि एक बार सरकार में निहित थी

अधिनियम की धारा 16 के आधार पर, भूमि मालिक द्वारा पुनः प्रविष्टि

इस अदालत ने लीलावंती और ओआरएस में कहा। वी. हरियाणा राज्य औरओआरएस 9 इस प्रकारः

" 19. यदि पैरा 493 को उनके द्वारा सुझाए गए तरीके से पढ़ा जाता है।

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील तब सभी मामलों में

अधिग्रहित भूमि मालिकों को वापस करनी होगी। अधिग्रहण की तारीख के बीच के समय के अंतराल की परवाह किए बिना

और वह तारीख जिस पर अधिग्रहण का उद्देश्य निर्दिष्ट किया गया है

धारा 4 को प्राप्त कर लिया गया है और सरकार इसके लिए स्वतंत्र नहीं होगी अधिग्रहित भूमि का उपयोग किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करें। इस तरह की

व्याख्या भी भाषा के विपरीत होगी

अधिनियम की धारा 16, जिसके संदर्भ में अधिग्रहित भूमि

राज्य सरकार में सभी बाधाओं और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से मुक्त निहित है कि भूमि का अधिग्रहण

विशेष सार्वजनिक उद्देश्य का उपयोग किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।उद्देश्य।

22. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण केरल राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। एम.

भास्करन पिल्लई, (1997) 5 एस. सी. सी. 432 और सरकार। ए. पी. वी. सैयद अकबर (2005) 1 एस. सी. सी. 558। इन मामलों में से पहले में, न्यायालय ने पारित एक कार्यकारी आदेश की वैधता पर विचार किया

पूर्ववर्ती मालिकों को भूमि सौंपने के लिए सरकार ने कहाः (एम. भास्करन पिल्लई मामला, एस. सी. सी. पी. 433 ,

पैरा 4)

" 4. इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. के तहत भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 के संचालन द्वारा किया गया था, यह राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त था। सवाल उठ रहा है

क्या सरकार पूर्ववर्ती मालिकों को भूमि सौंप सकती है? यह तय कानून है कि यदि भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त करने के बाद, शेष भूमि का उपयोग किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

यदि कोई अन्य सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, तो पूर्व मालिक को बिक्री के माध्यम से निपटान के बजाय, भूमि को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जाना चाहिए और सार्वजनिक नीलामी में प्राप्त राशि का बेहतर उपयोग संविधान के निदेशक सिद्धांतों में परिकल्पित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, हम जो पाते हैं वह यह है कि कार्यकारी आदेश अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप नहीं है और इसलिए अमान्य है। इन परिस्थितियों में, डिवीजन बेंच कार्यकारी आदेश को अमान्य घोषित करने में पूरी तरह से उचित है। जो भी कार्य किया जाए, वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अन्यथा, सरकार की भूमि केवल सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेची जानी चाहिए ताकि जनता को भी अधिक मूल्य मिलने से लाभ हो।

***

24. ऊपर बताए गए कारणों से, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता इंदौर विकास प्राधिकरण v को एक आदेश जारी करने के लिए एक मामला बनाने में विफल रहे हैं।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

प्रत्यर्थियों को उनके पक्ष में अधिग्रहित भूमि को जारी करने के लिए। में।

परिणामस्वरूप, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है लागतें।

(जोर दिया गया)

129. 1894 के अधिनियम की धारा 31 समान सामग्री में है -

2013 के अधिनियम की धारा 77 के प्रावधान; धारा 34 (1994 के अधिनियम की) 2013 के अधिनियम की धारा 80 के साथ समान है। 2013 के अधिनियम की धारा 77 मुआवजे के भुगतान या प्राधिकरण में जमा करने से संबंधित है। धारा 77 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

" 77. मुआवजे का भुगतान या उसी में जमा

प्राधिकरण। - (1) धारा 30 के तहत पुरस्कार देने पर,

कलेक्टर दिए गए मुआवजे का भुगतान करेंगे।

उसके द्वारा इसके अनुसार हकदार इच्छुक व्यक्तियों को

उनके बैंक खातों में जब तक कि किसी एक या अधिक द्वारा रोक न लगाई जाएउप-धारा (2) में उल्लिखित आकस्मिकताओं का विवरण।

(2) यदि मुआवजे का हकदार व्यक्ति इसके लिए सहमति नहीं देगा

इसे प्राप्त करें, या यदि कोई व्यक्ति अलग करने में सक्षम नहीं है

भूमि, या यदि प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के बारे में कोई विवाद है

क्षतिपूर्ति या इसके बंटवारे के बारे में, कलेक्टर

मुआवजे की राशि प्राधिकरण में जमा करेगा।

जिस पर धारा 64 के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा:

बशर्ते कि इच्छुक होने के लिए स्वीकार किया गया कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है

राशि की पर्याप्तता के विरोध में ऐसा भुगतान:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसे राशि प्राप्त नहीं हुई हो

अन्यथा विरोध के तहत कोई भी करने का हकदार होगा धारा 64 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन:

बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा

किसी भी व्यक्ति का दायित्व, जिसे पूरा या कोई भी प्राप्त हो सकता है

इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी मुआवजे का हिस्सा,

कानूनी रूप से इसके हकदार व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही है।'

130. कलेक्टर को धारा 77 (1) के तहत भुगतान करना होता है।

और इच्छुक व्यक्तियों को उनके बैंक खातों में राशि जमा करके भुगतान करना जब तक कि धारा 77 (2) के तहत रोक नहीं है जो समान हैं।

ऊपर उल्लिखित धारा 31 (2) में प्रदान की गई आकस्मिकताएँ। धारा 80

2013 के अधिनियम की धारा 1894 के अधिनियम की धारा 34 के समान है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 80. ब्याज का भुगतान। - जब इस तरह के मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या भूमि का कब्जा लेने से पहले जमा नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर इस तरह से कब्जा करने के समय से प्रति वर्ष नौ प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ दी गई राशि का भुगतान करेगा, जब तक कि वह

इस प्रकार भुगतान किया गया या जमा किया गया:

बशर्ते कि यदि ऐसा मुआवजा या उसका कोई हिस्सा नहीं है

जिस तारीख को कब्जा लिया गया है, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर भुगतान या जमा किया गया है, पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज प्रति वर्ष मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर देय होगा जो ऐसी समाप्ति की तारीख से पहले भुगतान या जमा नहीं किया गया है।

131. ब्याज लेने से पहले मुआवजे का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में ब्याज दर के संबंध में प्रावधान समान हैं।

भूमि का अधिकार। पुरस्कार राशि का भुगतान पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष और उसके बाद 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया जाना है।

132. चूंकि 1894 के अधिनियम में मुआवजे की राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में चूक का प्रावधान नहीं है, इसलिए गैर-जमा राशि अधिक होती है।

ब्याज। नए अधिनियम के तहत प्रावधान समान हैं: धारा 77 का पालन न करने से किसी भी अधिग्रहण की कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत "या" की अलग-अलग व्याख्या करने से एक विसंगत स्थिति पैदा होगी क्योंकि एक बार मुआवजे के रूप में

भूमि मालिक को भुगतान कर दिया गया है, उसके धनवापसी का कोई प्रावधान नहीं है। भूमि मालिकों की ओर से यह उचित रूप से स्वीकार किया गया था कि यदि कब्जा नहीं लिया गया है तो उन्हें चूक की स्थिति में मुआवजा वापस करना होगा। यदि कब्जा भूमि मालिक के पास है और मुआवजे का भुगतान किया गया है, तो भूमि मालिकों के प्रस्तुतिकरण के अनुसार, धारा 24 (2) के तहत "या" अलग-अलग "शब्द को पढ़ने से चूक मानी जाती है। इसके बाद राज्य सरकार संदर्भ न्यायालय में जमा किए गए धन को वापस ले सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह चूक की धारणा में अंतर्निहित है कि राज्य क्षतिपूर्ति के आधार पर मुआवजे की वसूली कर सकता है। हमारी राय में, प्रस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक विसंगत परिणाम होगा। यदि भौतिक कब्जा भूमि मालिक के पास है और मुआवजे का भुगतान किया गया है, तो मुआवजे के लाभ को समाप्त करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। 2013 के अधिनियम में धनवापसी के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, राज्य भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली नहीं कर सकता है। जमींदार अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध होगा।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) को लागू करने का विधायी इरादा कभी नहीं हो सकता था। जब तक अधिनियम में प्रावधान नहीं किया गया है, तब तक अधिकारियों द्वारा अपने दम पर बहाली के सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जा सकता है। 2013 के अधिनियम में धनवापसी के प्रावधान की अनुपस्थिति हमारे इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि "या" शब्द को संयुग्म रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसे "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। प्रतिपूर्ति के सिद्धांत पर भरोसा करके, किसी भी प्रावधान के अभाव में, ऐसी राशि की वसूली करने की राज्य की क्षमता के बारे में भूमि मालिकों का तर्क आधारहीन है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा सिद्धांत बिना किसी कानूनी मंजूरी के है। राज्य को एक मुकदमे के समाधान का सहारा लेना होगा, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से भारी अनुपात में मुकदमेबाजी हो सकती है। इसके अलावा, भूमि मालिक अच्छी तरह से तर्क दे सकते हैं कि संपत्ति (यानी राशि) कानूनी रूप से उनकी थी और इसे वापस लेने का दावा करने की सीमा समाप्त हो गई होगी। कई अन्य संभावित बचाव उपलब्ध

होंगे, जिनमें से प्रत्येक के परिणामस्वरूप विविध मुकदमेबाजी होगी। इसलिए, यह तर्क पूर्व-दृष्टि से असमर्थनीय और असंगत है।

133. यह प्रस्तुत किया गया था कि मामले में राज्य ने 1894 के अधिनियम के तहत आवश्यक मुआवजे का भुगतान किए बिना कब्जा कर लिया था।

धारा 16 के तहत सभी बाधाओं से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट है कि 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत निहित होना मुआवजे के भुगतान पर निर्भर नहीं करता है। पुरस्कार के पारित होने के बाद जैसे ही कब्जा लिया जाता है, वैसे ही वेस्टिंग की जाती है। निस्संदेह, मुआवजे का भुगतान भी करना पड़ता है। इसके लिए, 1894 के अधिनियम की धारा 31 और 34 में प्रावधान किए गए हैं। धारा 31 (1) में निविदा और भुगतान की आवश्यकता होती है, जो भूमि मालिक को धन उपलब्ध करा रहा है और यदि राज्य को रोका जाता है: यानी, यदि भूमि मालिक धारा 31 (2) में प्रदान की गई तीन अन्य आवश्यकताओं के लिए इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देता है, तो राशि को अदालत में जमा करना होगा। अदालत में जमा राशि ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से सरकार को मुक्त करती है। हालाँकि, यदि भुगतान धारा 31 (1) के तहत नहीं किया जाता है और न ही कब्जा लेने की तारीख से धारा 31 (2) के तहत परिकल्पना के अनुसार अदालत में जमा किया जाता है, तो पहले वर्ष के लिए ब्याज 9 प्रतिशत है और उसके बाद प्रति वर्ष 15 प्रतिशत है। वेस्टिंग का प्रभाव, किसी भी परिस्थिति में, गैर के कारण दूर नहीं किया जाता है

धारा 31 (1) या 31 (2) का अनुपालन, जैसा भी मामला हो, क्योंकि भुगतान धारा 34 के प्रावधानों के तहत ब्याज के साथ सुरक्षित है। धारा 31 के साथ। राज्य को एक बार कब्जा बहाल करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

लेकिन यदि वह धारा 31 (3) के तहत या अन्यथा अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में जमा करने में विफल रहता है, तो उस आवश्यकता में, धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी 2013 के अधिनियम के तहत अधिक मुआवजे के हकदार होंगे औरउस मामले में चूक।

134. भूमि मालिकों ने शिकायत की थी कि कुछ मामलों में विभिन्न योजनाओं के तहत मुआवजे की राशि का लगभग 80 प्रतिशत नहीं था।

संबंधित कलेक्टर को सौंप दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कुछ योजनाओं में 50 प्रतिशत लाभार्थियों, जिनके लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, ने एक रुपया भी नहीं दिया था। चूँकि यह न्यायालय यहाँ अलग-अलग मामलों का निर्णय नहीं ले रहा है, इसलिए इस निर्णय के आलोक में

कानून की व्याख्या का क्या प्रभाव है, इस पर प्रत्येक मामले में विचार किया जाना चाहिए। हम उक्त के गुण-दोष पर टिप्पणी करने से बचते हैं।

प्रस्तुतियाँ क्योंकि हम हमें दिए गए संदर्भ में गुण-दोष के आधार पर मामलों का निर्णय नहीं कर रहे हैं। मामले के गुण-दोष पर विभिन्न पहलू उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि योजनाओं को अलग-अलग समय और तिथियों पर तैयार किया गया था।

इसके तहत धारा 4 के तहत जारी अधिसूचनाएं, क्या एक या अलग अधिसूचनाएं हैं और विभिन्न अन्य परिचर परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जैसे कि कब्जा लिया गया है या नहीं, किस हद तक मुआवजे का भुगतान किया गया है और क्या धारा 24 (2) का परंतुक इसके हकदार लोगों के लाभों के लिए आकर्षित किया गया है। यदि अधिकांश जोतों के संबंध में क्षतिपूर्ति जमा करने में विफलता होती है, तो व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों का आकलन किया जाना चाहिए और फिर निर्णय लिया जाना चाहिए।

पुनः में - निवेश और विनिवेश

135. सतेंद्र प्रसाद जैन और अन्य में। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 9 7,1894 के अधिनियम के तहत निहित करने की अवधारणा को शामिल किया गया था। विचार करें। एक बार कब्जा कर लेने के बाद सरकार धारा 48 के तहत अधिग्रहण से पीछे नहीं हट सकती है। इस न्यायालय ने कहा है कि एक बार जब धारा 17 (1) के तहत कब्जा ले लिया जाता है, तो अधिनिर्णय देने से पहले, मालिक को भूमि का अधिकार सौंप दिया जाता है, जो सरकार में निहित है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा भूमि को मालिक को वापस किया जा सके। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 14. इस न्यायालय के दो निर्णय हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। राजस्थान आवास बोर्ड बनाम। श्री किशन, (1993) 2 एस. सी. सी. 84 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकार भूमि पर कब्जा करने के बाद धारा 48 के तहत अधिग्रहण से पीछे नहीं हट सकती है। एच. पी. के उपराज्यपाल बनाम अविनाश शर्मा, (1970) 2 एस. सी. सी. 149 में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः (एस. सी. सी पी. 152, पैरा 8)

धारा 17 (1) के तहत एक अधिसूचना के अनुसार कब्जा लेने के बाद भूमि में निहित है

सरकार और अधिसूचना को इसके तहत रद्द नहीं किया जा सकता है

97 (1993) 4 एस. सी. सी. 369 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट प्रावधान को दरकिनार करना एक सामान्य शक्ति पर निर्भर। जब भूमि का अधिकार होता है

धारा 17 (1) के तहत ली गई भूमि सरकार में निहित है।

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा भूमि वैधानिक रूप से निहित हो सरकार केवल रद्द करके मूल मालिक को वापस कर देती है

अधिसूचना "।

15. आम तौर पर, सरकार का अधिकार ले सकती है

एक अधिनिर्णय के बाद ही अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि

धारा के तहत इसके संबंध में मुआवजा दिया गया है।

11. कब्जा लेने पर भूमि निहित होती है

सरकार, अर्थात, भूमि का स्वामी हार जाता है सरकार इसे शीर्षक देती है। धारा 16 में यही कहा गया है। द.

धारा 11-ए के प्रावधानों का उद्देश्य लाभान्वित करना है -

भूमि मालिक और यह सुनिश्चित करें कि पुरस्कार एक अवधि के भीतर दिया गया है धारा 6 की घोषणा की तारीख से दो साल। में

सामान्य मामला, इसलिए, जब सरकार एक बनाने में विफल रहती हैधारा 6 के तहत घोषणा के दो साल के भीतर पुरस्कार,

भूमि अभी भी सरकार और उसके अधिकार में निहित नहीं है।

मालिक के पास रहता है, अधिग्रहण की कार्यवाही अभी भी जारी है

धारा 11-क के प्रावधानों के आधार पर,

लैप्स। जब धारा 17 (1) को तात्कालिकता के कारण लागू किया जाता है,

सरकार निर्माण से पहले भूमि पर कब्जा कर लेती है।

धारा 11 के तहत पुरस्कार और उसके बाद मालिक है उस भूमि को स्वामित्व से विच्छेदित किया गया जो इसमें निहित है

सरकार। धारा 17 (1) स्पष्ट शब्दों में ऐसा बताती है।

स्पष्ट रूप से, धारा 11-ए के मामलों में कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है -धारा 17 के तहत अधिग्रहण क्योंकि भूमि पहले से ही है

सरकार में निहित है और इसमें कोई प्रावधान नहीं है

उक्त अधिनियम जिसके द्वारा भूमि वैधानिक रूप से सरकार में निहित है

मालिक को वापस कर सकते हैं।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने आगे सतेंद्र प्रसाद जैन (ऊपर) में टिप्पणी की।

भले ही अपीलार्थी को धारा के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया हो

-ए), यह नहीं कहा जा सकता है कि कब्जा अवैध रूप से लिया गया था। वेशभूषा

सोल्यूट। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

“ 17. तत्काल मामले में, यहां तक कि अनुमानित का 80 प्रतिशत

अपीलार्थियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, हालांकि धारा

17 (3 - ए) आवश्यक है कि इसका भुगतान पहले किया जाना चाहिए था

उक्त भूमि का कब्जा ले लिया गया था लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि

कि कब्जा अवैध रूप से लिया गया था या कि उक्त भूमि

इसके बाद पहले उत्तरदाता में निहित नहीं किया। यह किसी भी तरह से है

दर, तीसरे उत्तरदाता के लिए खुली नहीं है, जो, के पत्र के रूप में

विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी दिनांक 27 जून, 1990 शो, आवश्यक धन उपलब्ध कराने में विफल रहा और

जो तब से उक्त भूमि पर कब्जा कर रहा है

कब्जा ले लिया गया था, यह आग्रह करने के लिए कि कब्जा ले लिया गया था

अवैध रूप से और इसलिए, उक्त भूमि में निहित नहीं है

प्रथम प्रत्यर्थी और प्रथम प्रत्यर्थी नहीं है

पुरस्कार देने का दायित्व। '

(जोर दिया गया)

136. टीका राम और ओआरएस में। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य "। 98

कब्जा लेने के मामले में माना गया अनुमान, और मुआवजा

भुगतान किया, प्रभाव क्या है? इस न्यायालय ने माना है कि इसमें कोई चूक नहीं है

अभिग्रहण और इस प्रकार अवलोकन किया गया:

“ 91. लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है?

भुगतान नहीं किया जाता है और कब्जा ले लिया जाता है। क्या हो सकता है?

पूरा अधिग्रहण शून्य पर सेट किया जाना चाहिए?

92. हमारी राय में, अपीलार्थियों की ओर से यह विवाद

यह भी गलत है। अगर हम पूरे अधिग्रहण में गलती पाते हैं

80 प्रतिशत का भुगतान न करने के कारण प्रक्रिया

क्षतिपूर्ति, तो आगे का सवाल यह होगा कि

क्या मुआवजे के 80 प्रतिशत का अनुमान सही है या

नहीं। फिर मकान मालिकों द्वारा एक और विवाद उठाया जा सकता है। कि जो भुगतान किया गया वह 80 प्रतिशत नहीं था और 80 प्रतिशत से कम था और

इसलिए, अधिग्रहण को शून्य पर रखा जाना चाहिए। ऐसी चरम सीमा

धारा 17 स्वयं, जांच से बचने का मूल विचार धारा 5-ए की ओर से तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

किसी के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए राज्य सरकारउप-धारा (1) या उप-धारा द्वारा खोजी गई संभाव्यता

(2) अधिनियम की धारा 17।

19) 10 एस. सी. सी. 689 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

93. एकमात्र सवाल जो बचा रहेगा वह अनुमान का है।

मुआवजे से। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, भले ही

अधिनियम की धारा 17 (2) में अनुध्यात और क्षतिपूर्तिनहीं दिया जाता है, क्या पूरा अधिग्रहण बेकार हो सकता है? यह.

इसके गंभीर परिणाम होंगे।

***

95. इसके अलावा, प्रताप बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय में। की स्थितिराजस्थान, (1996) 3 एस. सी. सी. 1 में भी इसी तरह का दृष्टिकोण बताया गया था। कि

अधिनियम की धारा 17 के तहत लिया गया, सरकार नहीं कर सकी धारा 18 के तहत उस पद से हटना और यहां तक कि

धारा 11-ए के प्रावधान आकर्षित नहीं किए गए थे। वह ऐसा था

एक मामला जहां पुरस्कार धारा के तहत पारित नहीं किया गया था

11 - ए कब्जा लेने के बाद। एक स्पष्ट अवलोकन

पैरा 12 में इस संबंध में इस आशय से बनाया गया किअधिनियम की धारा 17 का गैर-अनुपालन, जहाँ तक -

मुआवजे के भुगतान का संबंध है, जिसका परिणाम नहीं निकला

सतेंद्र प्रसाद जैन बनाम में इस न्यायालय द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य, (1993) 4 एस. सी. सी. 369 को मंजूरी दी गई। अदालत ने भी फैसले पर भरोसा किया

पी. चिन्नाणा बनाम। ए. पी. राज्य, (1994) 5 एस. सी. सी. 486 और अवधबिहारी यादव बनाम। बिहार राज्य, (1995) 6 एस. सी. सी. 31 जहाँ समान

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के संबंध में विचार लिया गया टूटना नहीं। एकमात्र परिणाम जो गैर के बाद आ सकता है

भुगतान ब्याज का भुगतान होगा, जैसा कि इसमें विचार किया गया है।

धारा 34 और 1984 के अधिनियम द्वारा उसमें जोड़ा गया परंतुक। में। उस दृष्टिकोण से, हम इस मामले को आगे संदर्भित नहीं करना चाहते हैं,

श्री त्रिवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री

कमर अहमद, अपीलार्थियों के विद्वान वकील। इसलिए, छठे प्रश्न पर भी, किसी की आवश्यकता नहीं है।

संदर्भ "।

(जोर दिया गया)

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह आगे देखा गया है कि एकमात्र परिणाम जो आगे आ सकता है

भुगतान न करने से ब्याज का भुगतान होगा जैसा कि 1894 के अधिनियम की धारा 34 में विचार किया गया है।

137. प्रताप और अन्र में। वी. राजस्थान राज्य और अन्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब धारा 17 (1) के तहत भूमि का कब्जा लिया जाता है, तो भूमि सभी बाधाओं से पूरी तरह से सरकार में निहित होती है।

और सरकार धारा 48 के तहत अधिग्रहण से पीछे नहीं हट सकती है और दो साल के भीतर पुरस्कार पारित करने की धारा 11-ए के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था। एक बार कब्जा ले लिए जाने के बाद, धारा 11-ए के तहत निर्धारित अवधि के भीतर पुरस्कार देने में विफलता पर कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। मुआवजे का आंशिक भुगतान भी कब्जे को अवैध नहीं बनाएगा। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 12. धारा 52 की उप-धारा (4) के प्रावधान कुछ हद तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. की धारा 17 के समान हैं। जिस तरह धारा 52 (1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन राज्य में भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त करता है, जैसा कि धारा 52 (4) द्वारा प्रदान किया गया है, उसी तरह जब धारा 17 (1) के तहत भूमि का कब्जा लिया जाता है तो भूमि सभी बाधाओं से पूरी तरह से सरकार में निहित होती है। इस न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न उठा कि यदि धारा 5-ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है और इस प्रकार अधिग्रहित भूमि के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो क्या अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। सतेंद्र प्रसाद जैन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1993) 4 एस. सी. सी. 369 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार धारा 17 (1) के तहत कब्जा ले लिया गया था और सरकार में निहित भूमि तब -

सरकार अधिग्रहण से पीछे नहीं हट सकी

धारा 48 और धारा 11-ए के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था और इसलिए, अधिग्रहण की कार्यवाही उसमें निर्धारित अवधि के भीतर एक पुरस्कार देने में विफलता पर समाप्त नहीं होगी। यह भी

अभिनिर्धारित किया गया कि कब्जा लेने से पहले मुआवजे के आंशिक भुगतान के संबंध में धारा 17 (3-ए) का गैर-अनुपालन भी कब्जा को अवैध नहीं बनाएगा और सरकार को इससे हटने का अधिकार देगा।

अधिग्रहण। उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा पी. चिन्नाणा बनाम में दोहराया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 5 एस. सी. सी. 486 और अवध बिहारी यादव बनाम। बिहार राज्य (1995) 6 एस. सी. सी. 31. उपरोक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि धारा 11-ए के प्रावधान वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं हैं और भले ही

9 9 99 (1996) 3 एस. सी. सी. 1 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

यह माना जाए कि पुरस्कार के भीतर पारित नहीं किया गया है

निर्धारित अवधि में, भूमि का अधिग्रहण नहीं होता है

अंत।

(जोर दिया गया) "

138. अवध बिहारी यादव और अन्य में। वी. बिहार राज्य और अन्य 1 00

धारा 11-ए में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहण कार्यवाही की समाप्ति के संबंध में सवाल उठाया गया था क्योंकि भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने की तारीख से 2 साल के भीतर पुरस्कार नहीं दिया गया था। सरकार द्वारा धारा 17 (1) के तहत कब्जा ले लिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सरकार अधिग्रहण से हटने के लिए तैयार नहीं है। अनुभाग के प्रावधान

11 - ए आकर्षित नहीं हुआ था। इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित है:

" 8. .....यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 11-ए को ध्यान में रखते हुए

भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही बिना किसी पुरस्कार के समाप्त हो गईधारा 11 के तहत तारीख से 2 साल के भीतर बनाया गया था।

भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम की शुरुआत,

1984. हमारा विचार है कि उपरोक्त याचिका का कोई बल नहीं है। में।

इस मामले में सरकार ने जमीन पर कब्जा कर लिया था

अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत विचाराधीन। यह खुला नहीं है

सरकार अधिग्रहण से पीछे हट जाए (धारा 48) अधिनियम)। ऐसे मामले में, अधिनियम की धारा 11-ए नहीं है

आकर्षित किया और अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी,भले ही यह माना जाए कि अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था

अधिनियम की धारा 11-ए द्वारा विहित।

})

139. पी. चिन्नन्ना और ओआरएस में। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य। 101 सवाल

तत्काल खंड का आह्वान करते हुए धारा 17 (1) के तहत लिए गए कब्जे के संबंध में फिर से उत्पन्न हुआ, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार कब्जा ले लिए जाने के बाद, पूर्ण निहित होता है और बाद की कार्यवाही शून्य थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

“ 10. उक्त प्रावधान उपयुक्त सरकार को सक्षम बनाता है।

की समाप्ति पर संबंधित भूमि का कब्जा लेना

15 में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन के दिनों से

धारा 9 उप-धारा (1) इस तथ्य के बावजूद कि नहीं इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। जब का अधिकार

संबंधित भूमि को एक बार उसके तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार लिया जाता है।

100 (1995) 6 एससीसी 31

101 (1994) 5 एससीसी 486 [2020] 3 एस. सी. आर.

ऐसी भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त सरकार में पूरी तरह से निहित किया जाता है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संबंधित भूमि पर कब्जा करना और उसे पूरी तरह से सरकार को सौंपना सभी बाधाओं से मुक्त नहीं है।

यह धारा 11 के तहत दिए जाने वाले किसी अधिनिर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें से भूमि के सामान्य अधिग्रहण के मामले में अकेले अधिनिर्णय देने से कलेक्टर को धारा 16 के तहत भूमि पर कब्जा करने का अधिकार मिल सकता था और जिसका अधिग्रहण

कब्जा करने से भूमि सरकार में पूरी तरह से सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती। जैसा कि 1978 के डब्ल्यू. पी. सं. 3416 में उच्च न्यायालय के दिनांकित आई. डी. 2 के निर्णय से देखा गया है कि कलेक्टर द्वारा धारा 17 (1) के तहत आई. डी. 1 पर अपीलकर्ताओं की भूमि के साथ-साथ अन्य की भूमि का कब्जा लेना, वास्तव में, अपने इस निर्णय के लिए आधार बनाया गया है कि धारा 5 को समाप्त करने के लिए तात्कालिकता खंड का आह्वान करना-सरकार द्वारा यांत्रिक रूप से एक जांच की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब उच्च न्यायालय ने यह राय ली कि भूमि का अधिग्रहण

अधिनियम की धारा 17 के तहत संबंधित किया गया थामें अपने दिमाग के आवेदन के बिना सरकार का एक आदेश

धारा 5-ए को लागू न करने का मामला, उसके लिए धारा 4 (1) अधिसूचना को छोड़कर बाद की अधिग्रहण कार्यवाही को अलग करने या रद्द करने के लिए खुला था, जिसका पालन किया गया था और यदि उसे धारा 4 (1) अधिसूचना के आधार पर नए सिरे से जांच का आदेश देना था तो भूमि का स्वामित्व अपीलार्थियों की भूमि को बहाल करना था। इस तरह की व्यवस्था को दरकिनार करना या रद्द करना अपरिहार्य था क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी

धारा 17 के तहत और भूमि राज्य में निहित थीसरकार, क्योंकि राज्य सरकार को उस भूमि के हस्तांतरण को अलग किए बिना और भूमि को अपीलार्थी-मालिकों को बहाल किए बिना, वह भूमि उनके लिए उपलब्ध नहीं थी।

धारा 5-ए, धारा 6, धारा 11 और धारा 16 के तहत प्रक्रिया का पालन करके बाद में अधिग्रहण। इस प्रकार अपीलार्थियों की भूमि के संबंध में मामले की परिस्थितियों में, जब धारा 4 (1) अधिसूचना का प्रकाशन 21-7-1977 पर किया गया था, जब धारा 6 के तहत घोषणा 21-7-1977 पर प्रकाशित की गई थी और कलेक्टर द्वारा धारा 17 (1) के तहत उस भूमि का कब्जा 10-7-1978 पर किया गया था और उस भूमि को राज्य सरकार में निहित किया गया था।

उस दिन हुआ, 1978 के डब्ल्यू. पी. संख्या 3416 में उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा केवल इंदौर विकास प्राधिकरण v के निर्देश को दरकिनार कर दिया गया।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

की गैर-प्रयोज्यता के संबंध में सरकार द्वारा दिया गया

7-7-1977 पर दी गई भूमि के लिए धारा 5-A, हमारे विचार में,

अदालत को नई कार्यवाही शुरू करने का आदेश देने में सक्षम नहीं

धारा 5-ए के तहत संबंधित भूमि के अधिग्रहण के लिए,

जहाँ तक कि धारा 4 (1) अधिसूचना पर संबंधित भूमि

पहले से ही सरकार की भूमि बन चुकी थी। इस राज्य में

तथ्यों का, जब भूमि का पिछला अधिग्रहणअधिनियम की धारा 17 के तहत किए गए अपीलार्थी कभी खड़े नहीं हुए

प्रभावित हुए। धारा 5-एक जांच आयोजित और बाद में घोषणा

अनावश्यक कार्यवाही की गई जो थी

विवादित घोषणा को एक तरफ रख दिया क्योंकि पहलेअधिग्रहण पूरा हो गया था और इसके परिणामस्वरूप निहित था

राज्य सरकार में भूमि थी और कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी।

बाद की कार्यवाहियों में अधिग्रहण के लिए जो

उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया गया

1978 का डब्ल्यू. पी. सं. 3416। इसलिए, कथित तथ्यों में, हालांकि

हम पाते हैं कि विवादित घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है

शून्य घोषित करते हुए हम स्पष्ट करते हैं कि पिछली कार्यवाही

बोझ, अप्रभावित रहा है और द्वारा दिया गया कोई भी पुरस्कारकलेक्टर या एल. ए. अधिनियम के तहत उसके द्वारा बनाया जाएगा

इसे पहले की अधिग्रहण कार्यवाही के आधार पर माना जाता है।

140. मई में जॉर्ज बनाम। विशेष तहसीलदार और अन्य। 102 , यह न्यायालय

किसी प्रावधान को अनिवार्य घोषित करने के प्रश्न पर विचार करते हुए, इस बात का परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या प्रावधान का पालन न करने से पूरी कार्यवाही अमान्य हो सकती है या नहीं। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया (जिन्हें फुटनोट 1 0 3 में संदर्भित किया गया है) और स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया:

102 (2010) 13 एस. सी. सी. 98 103 दत्तात्रेय मोरेश्वर बनाम। बॉम्बे राज्य और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1952 एससी 181; यू. पी. और अन्य राज्य। वी. बाबू राम उपाध्याय, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 751; रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड, रामपुर बनाम। नगरपालिका बोर्ड, रामपुर, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 895; मैसूर राज्य बनाम। वी. के. कंगन, ए. आई. आर 1975 एस. सी. 2190; शरीफ-उद-दीन बनाम। अब्दुल गनी लोन, ए. आई. आर 1980 एस. सी. 303; बलवंत सिंह और अन्य। वी. आनंद कुमार शर्मा और अन्य। , (2003) 3 एस. सी. सी. 433; भावनगर विश्वविद्यालय बनाम। पालिताना शुगर मिल प्रा. लि. लिमिटेड और ओआरएस। , ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 511; चंद्रिका प्रसाद यादव बनाम। बिहार राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2036; मेसर्स. रबर हाउस बनाम। एक्सेलसियर नीडल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, ए. आई. आर 1989 एस. सी. 1160; बी. एस. खुराना और अन्य। वी. दिल्ली नगर निगम और अन्य। , (2000) 7 एस. सी. सी. 679; हरियाणा और अन्र राज्य। वी. रघुबीर दयाल, (1995) 1 एस. सी. सी. 133; और गुल्लीपिल्ली सोवरिया राज बनाम। बंडारू पवनी @गुल्लीपिली पवनी, (2009) 1 एस. सी. सी. 714 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 24. गुल्लीपिल्ली में सोरिया राज बनाम। बंडारू पवनी, (2009) 1

एस. सी. सी. 714, इस न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए कहा जैसा कि नीचे दिया गया है (एस. सी. सी पी. 719, पैरा 17)

" 17. ..... प्रारंभिक शब्दों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'हो सकता है'

धारा 5 की निर्देशिका नहीं है, जैसा कि तर्क दिया गया है,

लेकिन अनिवार्य और गैर-पूर्ति इसकी अनुमति नहीं देगी

दो हिंदुओं के बीच अधिनियम के तहत विवाह। धारा 7

1955 अधिनियम को धारा 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें एक हिंदू है।

विवाह, जैसा कि धारा 5 के तहत समझा जाता है, संपन्न किया जा सकता है।

उसमें बताए गए समारोहों के अनुसार।

25. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है किएक प्रावधान को अनिवार्य घोषित करने के लिए, परीक्षण होना चाहिए

लागू किया गया है कि क्या प्रावधान का पालन नहीं किया गया है

यह पूरी कार्यवाही को अमान्य कर सकता है या नहीं। क्या

प्रावधान अनिवार्य या निर्देशिका है, इस पर निर्भर करता है

विधायिका का इरादा और उस भाषा पर नहीं जिसके लिए

इरादा पहना हुआ है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी चाहिए।

वैधानिक के संदर्भ, विषय-वस्तु और उद्देश्य के लिए

विचाराधीन प्रावधान। न्यायालय यह पता लगा सकता है कि क्या

वह परिणाम होगा जो निर्माण से प्रवाहित होगा

यह एक या दूसरे तरीके से और क्या क़ानून प्रदान करता है

प्रावधानों का अनुपालन न करने की आकस्मिकता के लिए

और इस बारे में कि क्या गैर-अनुपालन छोटे द्वारा दौरा किया जाता है

दंड या गंभीर परिणाम वहाँ से प्रवाहित होगा और

कानून और यदि प्रावधान अनिवार्य है, तो अधिनियम किया गया हैइसका उल्लंघन अमान्य होगा।

***

27. जी. एच. ग्रांट (डॉ.) बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर 1966 एस. सी 237,

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई "इच्छुक व्यक्ति" व्यथित है

इस तथ्य से कि किसी अन्य व्यक्ति ने वापस ले लिया है

अपनी भूमि का मुआवजा, वह प्रक्रिया का सहारा ले सकता है

अधिनियम के तहत निर्धारित या के लिए वाद में विवाद आंदोलन

ऐसे व्यक्ति से पुरस्कार राशि की वसूली करना।

(जोर दिया गया)

141. इसलिए, इस न्यायालय ने राय दी कि एक बार भूमि निहित होने पर

, इसका विनिवेश नहीं किया जा सकता है, भले ही इंदौर विकास प्राधिकरण v में कुछ अनियमितता हो।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

142. अब, मुख्य मुद्दे पर वापस आते हुए, चूक की कानूनी कल्पना (2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत) को नकारने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। शीर्षक जो पहले से ही अधिग्रहण के लाभार्थियों में निहित है

बिक्री कर आयुक्त, यू. पी. बनाम. मोदी शुगर मिल्स 1 04 द कोर्ट उन्होंने कहा है कि "एक कानूनी कल्पना उस उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए

इसे बनाया गया है और इसे इसके वैध से परे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

मैदान "। इसी तरह, ब्रेथवेट एंड कंपनी बनाम में। E.S.I.C¹05, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक कानूनी कल्पना को कानून में एक सीमित और निश्चित उद्देश्य के लिए अपनाया जाता है।

केवल और इसे उस उद्देश्य से आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है जिसके लिए विधायिका ने अपनाया है। लैप्सिंग केवल वहाँ प्रदान की जाती है जहाँ

न कब्जा लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है, न ही निहित भूमि के विनिवेश का इरादा है और न ही विशेष रूप से प्रदान किया गया है।

143. ब्लैक लॉ डिक्शनरी "निहित" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" निहित, एडज। (18 ग) एक पूर्ण, पूर्ण हो जाने के बाद

वर्तमान या भविष्य के आनंद के लिए अधिकार; आकस्मिक नहीं;

बिना शर्त; संपत्ति में पूर्ण निहित हित।

" दुर्भाग्य से, 'निहित' शब्द का उपयोग दो अर्थों में किया जाता है। सबसे पहले, एक ब्याज कब्जे में निहित हो सकता है, जब आनंद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, उदाहरण के लिए जब मैं ब्लैकएक्रे का मालिक होता हूं और उस पर कब्जा करता हूं। लेकिन एक हित निहित हो सकता है, यहां तक कि जहां यह तत्काल कब्जे का अधिकार नहीं रखता है, अगर यह भविष्य में कब्जा करने का एक निश्चित अधिकार प्रदान करता है। जॉर्ज व्हाइटक्रॉस पैटन, ए

न्यायशास्त्र की पाठ्यपुस्तक 305 (सी. डब्ल्यू.) पैटन और डेविड पी।

Derham eds. , 4 टी. एड. 1972) .

" भविष्य का ब्याज निहित है यदि यह दो आवश्यकताओं को पूरा करता है: सबसे पहले,

कि ब्याज के पूर्ववर्ती होने की कोई शर्त नहीं है

उन लोगों की प्राकृतिक समाप्ति के अलावा एक वर्तमान संपत्ति

और दूसरा, यह कि सैद्धांतिक रूप से यह पहचानना संभव है कि किसे कब्जे का अधिकार मिलेगा यदि ब्याज किसी भी समय एक वर्तमान संपत्ति बन जाना चाहिए। थॉमस एफ. बर्गिन 8. पॉल सी. हास्केल, भूमि और भविष्य के हितों में संपदा की प्रस्तावना 66-67 (2d संस्करण। 1984)।"

104 1961 (2) एससीआर 189105 1968 (1) एससीआर 771 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

144. वेबस्टर्स डिक्शनरी में 'निहित' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" निहित एडज। [पीपी। बनियान की] 1. कपड़े पहने; विशेष रूप से चर्च के वस्त्रों में। 2. कानून में, निश्चित; व्यवस्थित; निरपेक्ष; नहीं

किसी भी चीज़ पर निर्भर: एक निहित स्वार्थ के रूप में "।

145. पंजाब राज्य में v. साधु राम 1 06, यह देखा गया है कि एक बार कब्जा लेने और पुरस्कार पारित होने के बाद, भूमि मालिक के पास कोई स्वामित्व नहीं है और भूमि को इसके तहत अधिसूचित नहीं किया जा सकता है।

48 (1) पर और इस प्रकार देखा गया:

" 3. विद्वान न्यायाधीश ने प्रक्रिया पर ध्यान दिया

सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के निपटान में निर्धारित, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि को पूर्व मालिकों को सौंपने के लिए उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। भूमि खरीदने के बाद प्रत्यर्थी ने भूमि में सुधार किया था और इसलिए, वह भूमि का न्यायसंगत मालिक होने का हकदार है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सराहना करने में पूरी तरह विफल हैं। विद्वान न्यायाधीश ने अधिनियम और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि धारा 11 के तहत पुरस्कार पारित होने के परिणामस्वरूप

और भूमि का कब्जा, अधिनियम की धारा 16 के संचालन द्वारा, पूर्व मालिक का अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो गया और सरकार पूर्ण हो गई।

संपत्ति का मालिक सभी बाधाओं से मुक्त है। इस प्रकार, किसी ने भी अधिग्रहित भूमि के संबंध में कोई अधिकार, स्वामित्व और हित का दावा नहीं किया है। कब्जा लेने से पहले, सरकार के पास अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत भूमि को अधिसूचित करने की शक्ति है। उस स्थिति में, भूमि को पूर्व मालिकों को सौंपना आवश्यक है। इस मामले के तथ्यों पर ऐसा नहीं है। इन परिस्थितियों में, सरकार सभी बाधाओं से

मुक्त संपत्ति की पूर्ण स्वामी बन गई है, जब तक कि कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शीर्षक प्रदान नहीं किया जाता है,

कब्जा में रहकर कोई भी किसी भी कम न्यायसंगत शीर्षक का दावा कर सकता है। निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने प्रत्यर्थी की याचिका को नकार दिया कि उसे 20 साल की अवधि के लिए पट्टेदार के रूप में कब्जे में शामिल किया गया था। दूसरी ओर, निष्कर्ष यह था कि वह वार्षिक आधार पर पट्टेदार के रूप में कब्जे में था। कानूनी रूप से कब्जे में आने के बाद

1 6 (7) जे. टी. 118 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

साक्षय अधिनियम की धारा 116 उसे सरकार के अधिकार से वंचित करने और इसे तीसरे पक्ष में स्थापित करने से रोकती है। सरकारी उपाधि को अस्वीकार करके, उन्होंने वार्षिक पट्टे को भी जब्त कर लिया। इन परिस्थितियों में, पट्टाधारक के रूप में कब्जे में आने के बाद, पट्टा की समाप्ति और ज़ब्त होने के बाद, उसे कोई अधिकार नहीं है। भूमि पर अवैध और अवैध कब्जा

इसमें सरकार को नुकसान का भुगतान करना शामिल है।

146. स्टार वायर (इंडिया) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1 07, यह देखा गया कि एक बार पुरस्कार पारित हो जाने और अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद

राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त भूमि निहित की जाती है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 2. यह विशेष अनुमति याचिका एल. पी. ए. में 25-4-1996 पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होती है।

1996 का सं. 437। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना प्रकाशित की गई थी

1-6-1976 . अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की गई थी

16-2-1977 पर प्रकाशित। यह पुरस्कार 3-7-1981 पर पारित किया गया था। इसके बाद, संदर्भ भी अंतिम हो जाता है। याचिकाकर्ता ने अधिसूचना, घोषणा और पुरस्कार को अवैध बताते हुए चुनौती दी है। यह तर्क देता है कि पुरस्कार 21-1-1994 पर रिट याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आता है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी है

लच्छों का "।

147. बाजार समिति v में भी इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया है। कृष्ण मुरारी 1 08 और एल. आर. वी. द्वारा पुट्टू लाल (मृत)। उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. 09. 'वेस्टिंग' की अवधारणा पर द फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट्स यूनियन v में भी विचार किया गया था। दिल्ली सुधार न्यास 1 1. एक बार निहित होने के बाद, और अधिकार के साथ होता है, जिसके बाद एक व्यक्ति जो कब्जे में रहता है, वह केवल एक अतिचारक होता है, जो सही कब्जे में नहीं होता है और निहित होने पर राज्य में पूर्ण अधिकार, अधिकार माना जाता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“ (19) यह कि "बनियान" शब्द परिवर्तनीय महत्व का शब्द है, भारतीय कानूनों के प्रावधानों द्वारा भी दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, एस।

107 (1996) 11 एससीसी 698 108 (1996) 1 एससीसी 311 109 (1996) 3 एससीसी 99 110 1957 एससीआर 01 [2020] 3 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

56 प्रांतीय दिवाला अधिनियम (1920 का 5) न्यायालय को निर्णय का आदेश देने के समय अधिकार देता है।

या उसके बाद दिवालिया की संपत्ति के लिए एक रिसीवर नियुक्त करना और आगे यह प्रावधान करता है कि "ऐसी संपत्ति

फिर ऐसे रिसीवर में निहित करें "। संपत्ति प्राप्तकर्ता की संपत्ति के प्रशासन के उद्देश्य से निहित होती है।

अपनी संपत्ति का एहसास होने के बाद अपने ऋणों के भुगतान के लिए दिवालिया। दिवालिया की संपत्ति प्राप्तकर्ता में सभी उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि केवल दिवालिया अधिनियम के उद्देश्य के लिए निहित है और प्राप्तकर्ता का संपत्ति में अपना कोई हित नहीं है। दूसरी ओर, एसएस। 16 भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एल. ए. का अधिनियम 1) की धारा 17 में यह उपबंध किया गया है कि इस प्रकार अर्जित संपत्ति,

कुछ घटनाओं का होना, पूरी तरह से निहित होगा

सरकार सभी बाधाओं से मुक्त है। इन मामलों में

अधिकार या अधिकार के संबंध में सीमाएँ। विधायिका ने स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति का निहित होना किसी के लिए नहीं हैसीमित उद्देश्य या सीमित अवधि। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि "बनियान" शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है।

सभी मामले कि संपत्ति उस व्यक्ति या प्राधिकरण के स्वामित्व में है जिसमें वह निहित है। यह शीर्षक में निहित हो सकता है, या यह कब्जे में निहित हो सकता है, या यह एक सीमित अर्थ में निहित हो सकता है, जैसा कि उस संदर्भ में इंगित किया गया है जिसमें इसका उपयोग किसी विशेष कानून में किया गया हो सकता है। सुधार अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से एस. 45 धारा 49 और 54 और 54-ए जब वे किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय या किसी न्यास में निहित किसी निश्चित भवन या सड़क या वर्ग या अन्य भूमि की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामित्व उनमें से किसी के पास चला गया है।

पुन: में - 2013 के अधिनियम की धारा 24 के तहत निहित अधिकार

148. इस न्यायालय की राय है कि अधिनियम की धारा 24 निहित अधिकारों को छीनने का इरादा नहीं रखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो मूल रूप से राज्य के पास निहित स्वामित्व को छीन या विभाजित करता है, या लाभार्थियों या तीसरे पक्ष के हस्तांतरणकर्ताओं के हित या हित को विभाजित करता है, जिसे उन्होंने बिक्री या हस्तांतरण के माध्यम से कानूनी रूप से अर्जित किया था। ई विनिवेश के लिए बनाया गया एक विशिष्ट प्रावधान है, और न ही आवश्यक इरादे से अधिनियम, इस तरह के एक कठोर परिणाम का संकेत देता है।

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

स्टिंग का इरादा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ, निर्णय के. एन. एम. व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाम। केरल राज्य "

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अवलोकन किया गया था:

" 21. हमारे सुविचारित विचार में, गरिकापति मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत दावा करने वाले पांचवें प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क पर विचार करते समय पूरा आवेदन होगा

विशेष रूप से व्यक्त शब्दों द्वारा या आवश्यक रूप से प्रदान करता हैइरादा। दूसरे शब्दों में, विलुप्त होने की स्थिति में

पश्चात्वर्ती में व्यक्त प्रावधान द्वारा ऐसा कोई अधिकार

अधिनियम, वही अपना मूल्य खो देगा "।

149. हरियाणा राज्य बनाम में निर्णय। हिन्दुस्तान

निर्माण कंपनी लिमिटेड 1 1 2, पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया जाता है कि

आईरी को यह पूछताछ नहीं करनी है कि क्या नए अधिनियम में इसकी नई व्यवस्था है।

16) 4 एससीसी 216

17) 9 एससीसी 463 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रावधानों ने निरस्त कानून के तहत अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखा या क्या इसने उन अधिकारों और देनदारियों को छीन लिया है। जब निरसन के बाद उसी विषय पर एक नया अधिनियम बनाया जाता है, तो सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के लिए निस्संदेह नए अधिनियम की भाषा की जांच की आवश्यकता होगी यदि यह पहले निरस्त अधिनियम से अलग इरादे को व्यक्त करता है। यदि पुराने अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखा जाता है या नया अधिनियम उन्हें समाप्त करने या नष्ट करने का इरादा प्रकट करता है, तो जांच की आवश्यकता होगी। यदि नया अधिनियम अलग-अलग इरादों को प्रकट करता है, तो सामान्य खंड अधिनियम के अनुप्रयोग को बाहर रखा जाएगा।

150. हमने उक्त याचिकाओं के आलोक में 2013 के अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों की जांच की है और उसके बाद हम इस पर पहुंचे हैं।

कब और किस हद तक कार्यवाही समाप्त हुई या/और बचाई गई और कौन सी देनदारियाँ छीन ली गई हैं और 1894 के अधिनियम के तहत पहले अर्जित अधिकारों और देनदारियों का किस हद तक उन्मूलन किया गया है और नए अधिनियम द्वारा क्या समाप्त या नष्ट किया गया है, इस बारे में हमारे निष्कर्ष।

151. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) की व्याख्या विधायी इरादे के अनुरूप की जानी चाहिए, विशेष रूप से जब इसमें प्रावधान किया गया हो।

कार्यवाही के समापन के लिए। इसकी व्याख्या 2013 के अधिनियम की धारा 24 और 114 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 में किए गए प्रावधानों के आलोक में की जानी चाहिए, यह किसकी रक्षा करता है और इसमें कितना समय लगता है।

पक्षों के अधिकारों को दूर करना। निस्संदेह, धारा 24 (2) में 1894 के अधिनियम के तहत शुरू किए गए अधिग्रहणों के संबंध में पूर्वव्यापी संचालन है और जो कब्जा लेने से पूरा नहीं हुए हैं और न ही 5 साल बीतने के बावजूद मुआवजे का भुगतान किया गया है और कार्यवाही की जाती है।

अधिकारियों की सुस्ती के कारण लंबित। ऐसे मामलों में धारा 24 (2) में निहित प्रावधानों के कठोर परिणाम होते हैं।

152. विधायी आशय पर विचार करने के लिए, बेनिओन, सांविधिक व्याख्या, 5 वां संस्करण (2012) का उल्लेख किया गया है, जिसमें

देखा गया:

“ जहां, कारकों के वजन पर, ऐसा लगता है कि कुछ पूर्वव्यापी प्रभाव का इरादा था, पूर्वव्यापी के खिलाफ सामान्य धारणा इंगित करती है कि इसे एक दिशा के रूप में संकीर्ण रखा जाना चाहिए जैसा कि विधायी के अनुसार होगा।

इरादा।

एन. डी. ओ. आर. विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

संदिग्ध दंड के खिलाफ सिद्धांत। यह कानूनी नीति का एक सामान्य सिद्धांत है कि किसी भी संदिग्ध कानून के लागू होने से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। पूर्वव्यापीता के खिलाफ सामान्य धारणा का अर्थ है कि जहां किसी अधिनियम के संभावित विरोधी निर्माणों में से एक पूर्व-वास्तविक कानून लागू करेगा, तो उस निर्माण के संदिग्ध होने की संभावना है।

यदि निर्माण से भी कोई नुकसान होता है, तो वह दूसरा है

इसके खिलाफ कारक। एक पूर्वव्यापी अधिनियम एक नुकसान पहुँचाता है इस उद्देश्य के लिए 'यदि यह किसी निहित अधिकार को छीन लेता है या बाधित करता है

मौजूदा कानूनों के तहत अधिग्रहित, या एक नया दायित्व बनाता है, याएक नया कर्तव्य लगाता है, या एक नई अक्षमता संलग्न करता है, के संबंध में

घटनाएँ पहले ही हो चुकी हैं। न्यायालयों की बढ़ती प्रवृत्ति

कानूनी सिद्धांत को निष्पक्षता की अवधारणा से संबंधित दिखाया गया थास्टॉफटन एल. जे. ने कहा:

“ मेरी राय में सही सिद्धांत यह है कि संसद

माना जाता है कि लागू होने वाले कानून को बदलने का इरादा नहीं थापिछली घटनाओं और लेन-देन इस तरह से जो अनुचित है

उनमें संबंधित लोग, जब तक कि कोई विपरीत इरादा न होदिखाई देता है।

(जोर दिया गया)

यह बेनिओन, सांविधिक व्याख्या, 5 में देखा गया है।

(2012) कि जब यह माना जाता है कि संसद का इरादा नहीं था

पिछली घटनाओं और लेन-देन पर लागू कानून, जो अनुचित है

os उनमें संबंधित है जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो।

153. लॉरी बनाम में एक और निर्णय। रेनाड 1 1 3 13, को संदर्भित किया गया है

जो यह देखा गया था कि एक क़ानून का अर्थ इस तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए कि

अपनी भाषा की तुलना में एक बड़ा पूर्वव्यापी संचालन जरूरी है। निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है:

" इसके लिए निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट और अचूक भाषा की आवश्यकता है।

संसद के एक बाद के अधिनियम में पुनर्जीवित करने या फिर से बनाने के लिए सही समय से समाप्त हो गया। यह अंग्रेजी कानून का एक मौलिक नियम है कि नहीं

कानून का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि वह पूर्वव्यापी हो।

ऑपरेशन जब तक कि इसकी भाषा स्पष्ट रूप से आवश्यक न हो

ऐसा निर्माण; और उसी नियम में एक और शामिल है और

892) 3 च.

इस प्रभाव के लिए अधीनस्थ नियम कि एक क़ानून नहीं होना हैइस तरह से माना जाता है कि इससे अधिक पूर्वव्यापी संचालन हो

इसकी भाषा आवश्यक बनाती है।

(जोर दिया गया)

154. यामाशिता में-शिन्नीहोन स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड (ऊपर)

ई ऑफ लॉर्ड्स ने देखा है कि पूर्वव्यापीता की सीमा का सवाल भी इस बात पर निर्भर करता है कि यह ईएस के लिए अनुचितता का कारण बनता है। यह देखा गया है:

" नियम कि किसी व्यक्ति को उत्तरदायी या दंडित नहीं किया जाना चाहिए

जब अपराध नहीं किया जाता है तो ऐसा आचरण मौलिक है और

लंबे समय से। यह अधिकतम नलम क्रिमेन में परिलक्षित होता है।

नुल्ला पोएना सिने लेगे। यह अनुच्छेद 7 द्वारा संरक्षित है

मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपीय समझौता और

मौलिक स्वतंत्रताएँ (1953) (सी. एम. डी. 8969)।

नियम भी लागू होता है, लेकिन कम बल के साथ, अपराधी के बाहर

गोल। यह फिर से अधिकतम, लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन में व्यक्त किया जाता है।

रेस्पिसिट एंड ओम्निज़ नोवा कॉन्स्टीटच्यूशियो फ्यूचरिस टेम्पोरिबस फॉर्मम

इम्पोनेरे डेबेट नॉन प्रेरेटेराइटिस। फ्रांसीसी नागरिक संहिता

यह प्रदान करता है कि "ला लोई ने डाइपोज़ क्यू पोर ल 'अवेनिर; एल्ले ना" प्वाइंट डी 'एफ़ेट रेट्रोएक्टिफ़: "

लेकिन ये दोनों परिच्छेद एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कि अपवाद केवल तभी लागू होता है जब इसे लागू करने से अन्याय या अन्याय नहीं होगा। यह सामान्य नियम या धारणा के अनुरूप है जो स्वयं पर आधारित है

निष्पक्षता और न्याय के विचार, जैसा कि मैक्सवेल में उद्धृत अंश द्वारा दिखाया गया है, पूर्व, पी। 494 सी-ई, और हाल ही में स्टॉफटन एलजे द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सचिव बनाम में जोर दिया गया। टुनिक्लिफ [1991] 2 ऑल ई. आर. 712,724:

“ मेरी राय में सही सिद्धांत यह है कि संसद

यह माना जाता है कि पिछली घटनाओं और लेन-देनों पर लागू कानून को इस तरह से बदलने का इरादा नहीं था जो उनमें संबंधित लोगों के लिए अनुचित हो, जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो।

यह केवल किसी अधिनियम को पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी के रूप में वर्गीकृत करने का सवाल नहीं है। बल्कि यह अच्छी तरह से एक हो सकता है

डिग्री की बात-अनुचितता जितनी अधिक होगी, विकास प्राधिकरण को उतना ही अधिक करना होगा।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

यह उम्मीद की जा सकती है कि संसद यह स्पष्ट कर देगी कि क्या

इरादा "।

अधिकारों और प्रक्रिया, और अन्याय और निष्पक्षता के बीच का अंतर अच्छी तरह से ओवरलैप हो सकता है। इस प्रकार, यदि एक सीमा अवधि को छोटा कर दिया जाता है, लेकिन एक वादी के पास समाप्ति से पहले मुकदमा करने का समय होता है

यदि वह छोटी अवधि के भीतर मुकदमा नहीं करता है, तो उसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है (द यडुन [1899] पी. 236 देखें।) ; लेकिन यदि पिछली छोटी सीमा अवधि समाप्त होने के बाद सीमा अवधि बढ़ाई जाती है, तो वादी नई अवधि का लाभ उठाने में असमर्थ होगा क्योंकि तब तक प्रतिवादी को एक पूर्ण बचाव प्राप्त हो गया है और उसे इससे वंचित करना उचित नहीं होगाः यू बॉन टेव वी. देखें।

केंडरान बस मारा [1983] 1 ए. सी. 553 और मैक्सवेल बनाम।

मर्फी (1957) 96 सी. एल. आर. 261.

इसके अलावा, लॉर्ड ग्रिफिथ्स, चीवेली के लॉर्ड गॉफ और लॉर्ड स्लिन ऑफ

आई, नीचे के रूप में आयोजितः

" पूर्वव्यापी प्रभाव रखने वाले कथित वैधानिक प्रावधान के लिए उचित दृष्टिकोण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को कई अलग-अलग तरीकों से कहा गया है, लेकिन सार में कोई अंतर नहीं है।

अधिकारियों द्वारा खुलासा किया गया है। इस प्रकारः(1) इस सिद्धांत को "निर्माण के प्रथम दृष्टया नियम" के रूप में वर्णित किया गया है (यू बॉन टेव [1983] 1 ए. सी. 553,558 एफ), "एक

वैधानिक निर्माण में स्थापित सिद्धांत

प्रावधान "(पीयर्स बनाम। रक्षा राज्य सचिव [1988] ए. सी. 755,802 सी) या "अंग्रेजी कानून का एक मौलिक नियम" (लॉरी बनाम। रेनाड [1892] 3 Ch. 402 , 421 , मैक्सवेल ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटचूट्स, 12 वां संस्करण। , पी। 215 , कार्सन बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत।

कार्सन और स्टोएक [1964] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 511,516-517)।

(2) सिद्धांत यह है कि किसी क़ानून या क़ानून की व्याख्या तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि (i) "उपयोग की गई भाषा पर वह परिणाम अपरिहार्य न हो" (यू बॉन टेव, पीपी पर। 558 एफ, 563 डी-ई) या "उस प्रभाव को अधिनियम की भाषा के साथ हिंसा किए बिना टाला नहीं जा सकता हैः (में।

एथलमनी, एक्स पार्टे विल्सन [1898] 2 क्यू. बी. 547,552) या "इसके

भाषा ऐसी है कि स्पष्ट रूप से इस तरह के निर्माण की आवश्यकता होती है। (लॉरी वी। रेनाड, पी। 421); या (ii) "वे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान करते हैंः यू बॉन टेव को पी. पर देखें।

558 एफ "[2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(पीयर्स वी। रक्षा राज्य सचिव (1988) ए. सी. 755,802 सी-डी) या "ऐसा निर्माण अधिनियम के संदर्भ में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, या आवश्यक और विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता है।

निहितार्थ "(क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 12 वां संस्करण। , p.215]

(3) " यदि अधिनियम को ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जो किसी भी व्याख्या के लिए काफी सक्षम है, तो इसे केवल संभावित के रूप में माना जाना चाहिए। 552)।

(4) यदि उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर क़ानून का कुछ पूर्वव्यापी संचालन है, तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसका "अपनी भाषा द्वारा आवश्यक की तुलना में अधिक पूर्वव्यापी संचालन है" (लॉरी v. रेनाड, पी। 421) या "अपनी स्पष्ट भाषा या अपने प्रकट उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है" (अर्नोल्ड वी। केंद्रीय विद्युत उत्पादन बोर्ड [1988] ए. सी. 228,275।

व्यक्त सीमित शब्दों की अनुपस्थिति का उपयोग पूर्वव्यापी संचालन को इंगित करने के लिए एक आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह सही धारणा को उलट देगा। एक आवश्यक और विशिष्ट निहितार्थ आमतौर पर एक क़ानून के संदर्भ में उत्पन्न होता है कि, पिछले क़ानून को निरस्त करने से, कानून में एक "कमी" रह जाएगी यदि नए क़ानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के रूप में नहीं माना जाना था: देखें, उदाहरण के लिए, भारतीय खाद्य निगम बनाम। मारास्ट्रो कम्पानिया नेवेरा एस. ए. [1987] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 134, 152. द.

वर्तमान मामले में विशेष समस्या केवल एक संक्रमणकालीन समस्या है, जो केवल उन मध्यस्थों पर लागू होती है जो 1 जनवरी 1992 तक पुराने हैं, जिनके संबंध में हड़ताल करने के लिए आवेदन इसके तुरंत बाद किए जाते हैं। भविष्य में, ऐसे दावेदार या तो विलंबकारी बने रहेंगे या नहीं, इस मामले में संदर्भ एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। विधायिका की चिंता, और जिस शरारत पर इस धारा का उद्देश्य था, वह मौजूदा बासी मध्यस्थताओं की सीमित संख्या नहीं थी, बल्कि भविष्य के मध्यस्थता थे। इसके अलावा, हालांकि जिस शरारत के लिए खंड को लक्षित किया गया था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इन शब्दों को स्वयं देखकर शुरू करना चाहिए: चेबरो वी. देखें। चेबरो [1987] फैम। 127 , 130 , 134-135 .

एक दावेदार के लिए पूर्वव्यापी देना अनुचित होगा।

धारा 13 ए का संचालन। जहाँ तक मौजूदा विकास प्राधिकरण में दावेदारों की बात है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

मध्यस्थताओं का संबंध है, वे अच्छी तरह से हो सकते हैं

(सही ढंग से) 1 जनवरी 1992 से पहले सलाह दी गई थी कि वे कर सकते हैं

उनके होने के जोखिम के बिना दावे के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ें

इस तरह की देरी के कारण दावे खारिज कर दिए गए। एक पूर्वव्यापी

कानून के लागू होने से उसे दंड का सामना करना पड़ेगा

भले ही इस तरह की देरी पूर्वाग्रह या जोखिम का कारण थीमौजूदा कानून के तहत विवाद का अनुचित समाधान

ब्रेमर वल्कन में एक प्रतिवादी होना चाहिए था यह जानते हुए कि यह एक प्रतिवादी का दायित्व था (साथ ही एक

दावेदार) यह सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थ से निर्देश मांगना कि

विवादों का त्वरित समाधानः हन्ना ब्लुमेंथल को देखें

मामला [1983] 1 ए. सी. 854,923 एच. एक पूर्वव्यापी परिवर्तन

पक्षकारों की वैध अपेक्षाएँ

उनके आचरण के परिणाम जो उस समय हुए थे कानूनी और वाणिज्यिक निश्चितता के सिद्धांतों के विपरीत होना

जो उन आधारों का हिस्सा था जिन पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स

हन्ना ब्लुमेंथल ने बर्मेर वल्कन से प्रस्थान करने से इनकार कर दिया:पीपी देखें। 913 सी, 917 डी, 922 एच।' '

(जोर दिया गया)

155. रिलायंस को ग्लूसेस्टर यूनियन बनाम पर रखा गया था। वूलविच

एन 1 1 4, मौजूदा अधिकारों पर प्रभाव के संबंध में जिसमें निम्नलिखित हैं:

टीकाकरण किए गए हैं:

" कला के कानूनी प्रभाव पर विचार करने से पहले। XXXX. इस आदेश का

अप्टन सेंट लियोनार्ड के पैरिश के इस तरह के विभाजन पर, उस पैरिश में पहले से अधिग्रहित किसी भी बस्ती के पास होगा

खो गया: रेग वी देखें। टिपटन निवासी 3; डॉर्किंग यूनियन बनाम।

सेंट सेवियर यूनियन। समान का उद्देश्य और प्रभाव। 1 कला की।

इस कठिनाई से छुटकारा पाने और बस्तियों को संरक्षित करने के लिए है

जो प्रारंभ से पहले ही अर्जित किए जा चुके हैं

आदेश से। समान का उद्देश्य और प्रभाव। 2 इस तरह से है अर्जित की गई अपरिवर्तनीयता की स्थिति को संरक्षित करने के लिए

उस तारीख को; और इस मामले में उठाया गया सवाल यह है कि क्या

पार। 3 लेख की पूरी व्यापकता का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए -

17) 2 के. बी. 374 [2020] 3 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इससे पहले कोई अस्तित्व में नहीं था, या क्या, जैसा कि अपीलकर्ताओं का तर्क है, इसे पार्स के पूरक के रूप में माना जाना चाहिए। 1 और 2 और उन मामलों तक सीमित जहां व्यक्ति एक प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैंनिपटान या अपरिवर्तनीयता की स्थिति ताकि उनके संरक्षण के लिए

अवैध अधिकार। यदि शब्द बराबर हैं। 3 बिना किसी सीमा के समझा जाता है, फिर, 1893 और 1897 के बीच अप्टन सेंट लियोनार्ड्स में चेकर्स रो में भिखारी का निवास ग्लूसेस्टर में निवास माना जाता है, ग्लूसेस्टर में एक समझौता उसे प्रदान किया जाता है और उत्तरदाता सफल होते हैं। हम सोचते हैं।

इस पैराग्राफ का सामान्य सिद्धांत के अधीन इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि एक क़ानून प्रथम दृष्टया संभावित है और मौजूदा अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि इसमें उस प्रभाव के लिए स्पष्ट शब्द शामिल न हों, या जब तक कि, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक रूप से ऐसा नहीं करता है, और यह कि एक क़ानून को अपनी भाषा से अधिक पूर्वव्यापी संचालन के लिए नहीं माना जाना चाहिए-लॉरी v में लिंडले एलजे के अनुसार देखें। रेनाड -

विधायिका के संभावित इरादे के बारे में किसी भी दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है, जब तक कि इस तरह के निर्माण से कुछ स्पष्ट बेतुकी या विसंगति न हो; लेकिन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पैराग्राफ का निर्माण

उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिवाद किए जाने से इस तरह की व्यावहारिक असंगति उत्पन्न होती है। 1 उसी अनुच्छेद की कि उस पर कुछ सीमा डालना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति आदेश के प्रारंभ से पहले

अप्टन सेंट लियोनार्ड्स के पैरिश के उस हिस्से में दो साल के लिए रहता था, जिसे ग्लूसेस्टर में जोड़ा गया है और उसके बाद एक साल के लिए उस हिस्से में रहता है जो अप्टन सेंट लियोनार्ड्स का पैरिश बना हुआ है, तो वह बाद के हिस्से के बराबर होगा। 1 माना जाता है कि उन्होंने अप्टन सेंट लियोनार्ड के पैरिश में एक बस्ती हासिल की है, लेकिन यदि समान हो। 3 ऐसे मामले में अप्टन सेंट लियोनार्ड के अतिरिक्त हिस्से में उनके निवास को ग्लूसेस्टर के पैरिश में निवास माना जाना चाहिए और यदि ऐसा माना जाता है, तो उनका किसी एक पैरिश में लगातार तीन साल का निवास नहीं रहा है।

और इसका कोई समझौता नहीं है-दूसरे शब्दों में, बराबर का प्रभाव। 3 ऐसे मामले में उस बस्ती को नष्ट करना है जिसे समान रूप से संरक्षित किया गया है। 1 और सामान्य विधि नियम को पुनर्स्थापित करना जिसका उद्देश्य विकास प्राधिकरण v करना है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

निरस्त किया जाए। उसी परिणाम का विपरीत में पालन होगा मामला जहां निवास की बाद की अवधि तीनों को पूरा करती है

अप्टन सेंट लियोनार्ड के पुराने पैरिश में कई साल इस क्षेत्र में हैं।

जिसे ग्लूसेस्टर के पैरिश में जोड़ा गया है।

(जोर दिया गया)

156. द किंग वी. आय के सामान्य आयुक्त

कोर साउथेम्प्टन '5 यह देखा गया:

“ इस खंड की भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संसद

इसका उद्देश्य यह था कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव पड़े। उद्देश्य था कि

जब आयुक्तों ने कार्रवाई की थी तो राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकें

जो कानूनों के तहत, सही आयुक्त नहीं थे

प्रभार करें, बशर्ते कि यह द्वारा किया गया हो

उस पैरिश या स्थान के लिए आयुक्त जिसमें व्यक्तिआम तौर पर रहने वाले आरोपित। कि खंड पूर्वव्यापी था

वास्तव में सर रॉबर्ट फिनले द्वारा विवादित नहीं था, लेकिन उन्होंने तर्क दिया

कि पूर्वव्यापी संचालन की भाषा द्वारा सीमित हैधारा और इस संबंध में लगाए गए शुल्क तक विस्तारित नहीं है

और उप में निरसन पर - एस का एस. 2। 32 एस. 108 . उन्होंने तर्क दिया कि यदि विधानमंडल का उद्देश्य एस को शामिल करना था। 108 सबसे पहले

उप-धारा में इसे स्पष्ट शब्दों में संदर्भित किया गया होगा और

इसे केवल दूसरी उप-धारा द्वारा निरस्त नहीं किया जाता।

प्रथम उपखंड में अन्य खंडों का उल्लेख किया गया है -

आय कर अधिनियम, लेकिन एस के नहीं। 108 . यह लिया जाना चाहिए, वह

तर्क दिया कि संसद ने पैदा की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखा थाएस द्वारा। 108 , जिन्हें अरामायो के मामले में इंगित किया गया था

हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और संसद ने इन्हें हटाने का इरादा किया एस के निरसन से कठिनाइयाँ। 108 ताकि इसके संचालन को रोका जा सके।

भविष्य में, लेकिन अधिनियमों के संबंध में कानून को बदलने का मतलब नहीं था

कानून के पारित होने से पहले किया गया। सवाल निर्भर करना चाहिए

एस की भाषा के निर्माण पर। 32 . इसके लिए नियम

लागू किया जाना अच्छी तरह से व्यवस्थित है। यह अंग्रेजी का एक मौलिक नियम है।

कानून जिसका किसी क़ानून में अधिनियमन का आम तौर पर अर्थ लगाया जाता है

16) 2 के. बी. 249, (1917) 2 के. बी. 374 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भावी के रूप में और भविष्य के आचरण को विनियमित करने का इरादा, लेकिनयह नियम केवल निर्माण का है और इसे स्वीकार करना चाहिए

विधानमंडल का उद्देश्यः मून वी। डर्डेन, प्रति पार्क बी। यह भी कानून है कि एक क़ानून का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए

इसकी भाषा की तुलना में अधिक पूर्वव्यापी संचालन

आवश्यक: लॉरी वी। रेनाड, प्रति लिंडले एलजे का पता लगाने के लिएइरादे को सामान्य दायरे में रखा जाना चाहिए और

अधिनियमन की परिधि, लागू किए जाने वाले उपचार के लिए,

विधानमंडल का विचार: पार्डो वी। बिंघम पर लॉर्डहैथरली एल. सी. "

(जोर दिया गया)

157. के. एस. परिपूर्णन (ऊपर) में, यह देखा गया था कि

न्यायालय को पूर्वव्यापी संचालन के प्रभाव पर विचार करना होगा एन. जी. अधिकारों और दायित्वों और उस उद्देश्य के लिए, प्रत्यर्पण के इरादे का पता लगाया जाना चाहिए जैसा कि क़ानून में ही इंगित किया गया है। यह

यह देखा गया कि:

" 66. आर. वी. में लॉर्ड डेनमैन, सी. जे. का कथन। सेंट मैरी,

व्हाइटचैपल, (1848) 12 क्यू. बी. 120,127 कि एक क़ानून जो है

एक पूर्वव्यापी क़ानून क्योंकि इसके लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा कार्रवाई समय पूर्व से लेकर उसके गुजरने तक की जाती है, जो

इस न्यायालय से अनुमोदन प्राप्त किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि

कानून जो अन्यथा इस अर्थ में पूर्वव्यापी है कि यह

मौजूदा के तहत अर्जित किसी भी निहित अधिकार को छीन लेता है या बाधित करता है कानून बनाता है या कोई नया दायित्व बनाता है या कोई नया कर्तव्य लगाता है या

पहले से ही अतीत के विचार, के रूप में नहीं माना जाएगापूर्वव्यापी। अलेक्जेंडर वी। मर्कोरिस, (1979) 3 ऑल ईआर 305

गॉफ, एल. जे., लॉर्ड की उक्त टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद

डेनमैन, सी. जे. ने कहा है कि एक क़ानून नहीं होगा

संभावित रूप से कार्य करना यदि यह नए अधिकार और कर्तव्यों का सृजन करता है

पिछले लेन-देन से उत्पन्न होना। सवाल यह है कि क्या

विशेष क़ानून केवल संभावित रूप से काम करता है या है

पूर्वव्यापी संचालन को भी निर्धारित करना होगा मौजूदा अधिकारों और दायित्वों पर इसके प्रभाव के आधार पर,

चाहे वह नए दायित्वों का सृजन करे या नए कर्तव्यों को लागू करे यापिछले लेन-देन के संबंध में नई देनदारियाँ वसूल करता है।

उसके लिए विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

उद्देश्य का पता लगाना आवश्यक है

विधायिका जैसा कि क़ानून में ही दर्शाया गया है।

158. ज़िले सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। , (ऊपर), इस टी ने देखा है कि पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम एक निरसन के प्रभाव से अन्य का विस्तार नहीं करता है, एक विशेषाधिकार जो अर्जित अधिकार के बराबर नहीं था। इस अदालत ने एक टी की पूर्वव्यापीता पर विचार करते हुए कहा कि पूर्वव्यापीता उचित होनी चाहिए और गंभीर या कठोर नहीं होनी चाहिए; अन्यथा, यह असंवैधानिक होने के लिए खारिज किए जाने का जोखिम चलाता है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

" 15. हालांकि पूर्वव्यापीता की धारणा नहीं की जानी चाहिए और बल्कि पूर्वव्यापीता के खिलाफ धारणा है, क्रेज़ (क़ानून कानून, 7 वीं संस्करण) के अनुसार, विधायिका के लिए पूर्वव्यापी संचालन वाले कानूनों को लागू करने के लिए खुला है। यह प्राप्त किया जा सकता है

अधिनियम द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा

प्रयोग की गई भाषा। यदि नियोजित भाषा से यह एक आवश्यक निहितार्थ है कि विधायिका ने एक विशेष खंड को पूर्वव्यापी संचालन करने का इरादा किया है, तो अदालतें देंगी

संचालन स्पष्ट रूप से दिया गया है, अदालतें हो सकती हैंप्रावधानों का अर्थ निकालने और प्रश्न का उत्तर देने का आह्वान किया

क्या विधायिका ने पर्याप्त रूप से व्यक्त किया था कि

कानून को पूर्वव्यापीता देने का इरादा। चार कारकों को प्रासंगिक के रूप में सुझाया गया है: ((i) कानून का सामान्य दायरा और कार्यक्षेत्र; (ii) जिस उपाय को लागू करने की मांग की गई है; (iii)कानून की स्थिति; और (iv) विधायिका क्या थी

विचार किया। (पी। 388) पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम का विस्तार निरसन के प्रभाव से रक्षा करने के लिए नहीं है, एक विशेषाधिकार जो अर्जित अधिकार के बराबर नहीं था। (पी। 392)

***

18. राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में। मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ,(2003) 5 एस. सी. सी. 23 यह आयोजित किया गया है

कि किसी अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। प्रत्येक विधान, चाहे वह संभावित हो या पूर्वव्यापी, विधायी क्षमता के प्रश्न के अधीन होना चाहिए। पूर्वव्यापीता कुछ स्पर्श पत्थरों पर तय की जा सकती है जैसे कि:

(i) [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपयोग किए गए शब्दों को स्पष्ट रूप से प्रदान करना चाहिए या स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए

पूर्वव्यापी संचालन; (ii) पूर्वव्यापीता उचित होनी चाहिए और अत्यधिक या कठोर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा, यह असंवैधानिक के रूप में खारिज होने का जोखिम उठाती है; (iii) जहां न्यायिक निर्णय को दूर करने के लिए कानून पेश किया जाता है, निर्णय के वैधानिक आधार को हटाए बिना निर्णय को नष्ट करने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है।

एक अधिनियम के लिए। एक के साथ एक मान्य खंड

मूल वैधानिक परिवर्तन असंशोधित क़ानून के तहत कार्यों को अस्थिर छोड़ने के तरीकों में से केवल एक है,

अव्यवस्थित। नतीजतन, एक मान्य खंड की अनुपस्थिति अपने आप में पूर्वव्यापी संचालन को प्रभावित नहीं करेगी

वैधानिक प्रावधान, यदि ऐसी पूर्वव्यापीता अन्यथा है

जाहिर है। ”

159. इस न्यायालय ने इसके कठोर परिणामों पर विचार किया है

आयकर आयुक्त मुंबई बनाम में क़ानून का प्रत्यक्ष संचालन। सरकार बिल्डर्स 1 16 और इस प्रकार देखा:

" 25. क्या यह कहा जा सकता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए

मूल्यांकन वर्ष 1-4-2005 के बाद, बालकनी होनी चाहिए हटा दिया गया हालांकि इन्हें पहले अनुमति दी गई थी? इस तरह पकड़ें

इससे बेतुके परिणाम मिलेंगे क्योंकि कोई भी निर्धारिती से ऐसी शर्त का पालन करने की उम्मीद नहीं कर सकता है जो आवास परियोजना को मंजूरी दिए जाने के समय क़ानून का हिस्सा नहीं थी। इस प्रकार, हम पाते हैं कि इस मुद्दे को हल करने का एकमात्र तरीका यह ठहराना होगा कि खंड (घ) को आवास परियोजना के अनुमोदन और निर्माण के साथ अटूट रूप से जोड़ा जाना चाहिए और एक निर्धारिती को उक्त शर्त का पालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जब यह निर्धारिती या यहां तक कि विधायिका के विचार में नहीं था, जब आवास परियोजना को मंजूरी दी गई थी।

स्थानीय अधिकारियों द्वारा। 26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आइए हम विशेष पर ध्यान दें

इन मामलों में दिखाई देने वाली विशेषताएं:

26.1 . वर्तमान मामले में, आवास परियोजना की मंजूरी, इसका दायरा, परिभाषा और शर्तें, सभी संबंधित डीसी नियमों के प्रावधानों द्वारा तय की जाती हैं और उन पर निर्भर होती हैं। में।

15) 7 एस. सी. सी. 579 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

इसके विपरीत, रिलायंस जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निर्णय v.

सी. आई. टी., (1980) 1 एस. सी. सी. 139 केवल आयकर से संबंधित था।

26.2 . कानून की स्थिति और वित्त अधिनियम, 2004 के अधिनियमन से पहले अर्जित अधिकारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से जब स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाती है।

26.3 . धारा 80-आई. बी. (10) के प्रावधानों में न केवल एक विशेष तिथि का उल्लेख है जिसके पहले ऐसी आवास परियोजना का निर्माण किया जाना है।

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, यहां तक कि एक तारीख जिसके द्वारा आवास परियोजना पूरी होनी है, तय है। इन तिथियों का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जो डेवलपर्स को समय देता है

उनके कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आवास परियोजना उन निर्धारित तिथियों के भीतर शुरू और समाप्त हो जाए। इन अपीलों में तथ्यों के संदर्भ में इस योजना को होना था

1-4-2005 से बहुत पहले।

26.4 . धारा 80-आई. बी. (10) के पीछे मूल उद्देश्य डेवलपर्स को आवास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

समाज के कमजोर वर्गों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए

इस प्रावधान के तहत कटौती, यह एक आवश्यक शर्त है कि आवासीय इकाई का निर्माण अधिकतम 1000 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र पर किया जाए जहां ऐसी आवासीय इकाई स्थित हो। दिल्ली और मुंबई शहरों के भीतर या इन शहरों की नगरपालिका सीमा से 25 किमी के भीतर और किसी अन्य स्थान पर 1500 वर्ग फुट

जगह।

26.5 . यह व्याख्या का मूल सिद्धांत है कि ए

अनुचित रूप से कठोर और बेतुका निर्माणपरिणाम से बचना चाहिए।

26.6 . खंड (घ) यह स्पष्ट करता है कि आवास परियोजना में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। लेकिन जिस दिन से उक्त प्रावधान जोड़ा गया था, वे दुकानों और प्रतिष्ठानों के निर्मित क्षेत्र को कुल निर्मित क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 2000 वर्ग फुट, जो भी कम हो, तक सीमित करना चाहते थे। हालांकि,

विधायिका ने स्वयं महसूस किया कि इतना वाणिज्यिक स्थान निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। इसलिए, वर्ष 2010 में, संसद ने इस प्रावधान में और संशोधन किया है कि यह आवास परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र के 3 प्रतिशत या 5000 वर्ग फुट, जो भी हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऊँचा। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है जो पूर्ण [2020] 3 एस. सी. आर. बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहले के मापदंड से प्रस्थान। एक तरफ,

दुकानों और अन्य वाणिज्यिक के लिए अनुमेय निर्मित क्षेत्र

दुकानों को 2000 वर्ग फुट से बढ़ाकर 5000 वर्ग फुट कर दिया गया है। दूसरी तरफ

हाथ, हालांकि ऐसी दुकानों के लिए कुल निर्मित क्षेत्र और

कुल निर्मित क्षेत्र, "जो भी अधिक हो"। इसके विपरीत, पहले यह प्रावधान 5 प्रतिशत या 2000 वर्ग फुट था, जो भी हो।

कम "।

(जोर दिया गया)

160. यह न्यायालय जवाहरमल (ऊपर) और राय रामकृष्ण में है।

(उपर्युक्त), ने क़ानून के पूर्वव्यापी संचालन की सीमा का विश्लेषण करने से पहले व्यावहारिक वास्तविकताओं पर विचार किया है। हितों के टकराव के संबंध में कई निर्णयों का हवाला दिया गया था (जिनका उल्लेख फुटनोट में किया गया है)। इसके बाद 1 1 7) और यह आग्रह किया गया कि निर्माण का नियम जिसे अपनाया जाना है वह उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का है।

पुनः में - 2013 के अधिनियम का विधायी इतिहास

161. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक,

2011 (2011 का विधेयक (आईडी1) संसद में पेश किया गया था। धारा 24 के प्रावधान, जैसा कि उक्त विधेयक में प्रस्तुत किया गया है, निम्नानुसार हैं:

" 24. (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

कोई भी मामला जहां भूमि की धारा 4 के तहत अधिसूचना

अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. शुरू होने से पहले जारी किया गया था

यह अधिनियम लेकिन इसकी धारा 11 के तहत पुरस्कार नहीं दिया गया है

इस तरह के प्रारंभ से पहले की गई प्रक्रिया को माना जाएगा समाप्त हो गया है और उपयुक्त सरकार शुरू करेगी

117 उड़ीसा लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी v. श्री सीताराम राइस मिल, (2012) 2 एस. सी. सी. 108 @19-21; तिनसुकिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य और अन्य। , (1989) 3 SCC 709 @para 118-121; C. I. T. v. हिन्दुस्तान बल्क कैरियर्स, (2003) 3 एस. सी. सी. 57 @para 14-21; डी. साईबाबा बनाम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य। , (2003) 6 एस. सी. सी. 186 @पैरा 16 18; बलराम कामत बनाम। भारत संघ, (2003) 7 एस. सी. सी. 628 पैरा 24; न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. v. नुली निवेल्ले, (2008) 3 एस. सी. सी. 279 @पैरा 51-54; आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य। वी. श्रीमती. पी. लक्ष्मी देवी, (2008) 4 एससीसी 720 पैरा 41 और 42। ; एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2008) 13 एस. सी. सी. 30 पैरा 132-137 एन. कन्नदासन बनाम। अजय खोस और ओआरएस। , (2009) 7 एस. सी. सी. 1 पैरा 54-67; एच. एस. वंकानी बनाम गुजरात राज्य, (2010) 4 एस. सी. सी. 301 पैरा 43-48 मध्य प्रदेश राज्य बनाम। नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्य। , (2011) 7 एस. सी. सी. 639 पैरा 78-85; गुजरात राज्य और ए. एन. आर. वी. माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. ए. मेहता (सेवानिवृत्त) और अन्य। , (2013) 3 एससीसी 1: पैरा 96-98)।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

इस अधिनियम के प्रावधान।

(2) जहां भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार दिया गया है या नहीं, अधिग्रहण की प्रक्रिया

उपयुक्त सरकार प्रक्रिया शुरू करेगीइसके प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से अधिग्रहण

अधिनियम "।

162. यह धारा 24 (1) से स्पष्ट है, जैसा कि मूल रूप से पेश किया गया था, जिसमें पुरस्कार के संबंध में एक प्रावधान था, जो नहीं किया गया है,

लेकिन इसे बाद में संशोधित किया गया था, और अब जैसा कि धारा 24 (1) (ए) में प्रदान किया गया है, कोई चूक नहीं है और यदि पुरस्कार पारित नहीं किया गया है तो केवल अधिक मुआवजा उपलब्ध है। पूर्ववर्ती धारा 24 (2) में केवल उस भूमि के कब्जे के संबंध में प्रावधान था जिसे नहीं लिया गया है। इससे पहले, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, और यह प्रस्तावित किया गया था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

विधेयक के खंडों पर टिप्पणियों का खंड 24 इस प्रकार है:

" खंड 24 में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, एल. ए. को कुछ मामलों में व्यपगत माना जाएगा जहां पुरस्कार नहीं दिया गया है

और भूमि का कब्जा पहले नहीं लिया गया है

प्रस्तावित विधान का प्रारंभ।

163. राज्य सरकार के विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद समिति ने कुछ सिफारिशें कीं, जो नीचे दी गई हैं:

"16.5 समिति ने नोट किया कि विधेयक का खंड 24 प्रदान करता है

कि भूमि अधिग्रहण के मामले/प्रक्रिया अमान्य होगी

ऐसे मामलों में नए अधिनियम का अधिनियमन जहां कलेक्टर ने भूमि का अधिनिर्णय या कब्जा नहीं दिया है

प्रस्तावित विधान के प्रारंभ होने से पहले। उद्योग और मंत्रालयों के कुछ प्रतिनिधियों ने भी जैसे रेलवे और शहरी विकास ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया कि मौजूदा भूमि अधिग्रहण के तहत पहले से ही शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही, एल. ए. को समाप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे कई बुनियादी ढांचों में समय और लागत बढ़ेगी।

परियोजनाएं। हालांकि, ऐसे मामलों में भूमि मुआवजा और आर एंड आर [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति चाहेगी कि सरकार पुनः जाँच करे कि जारी करना और नियमों में आवश्यक प्रावधानों को शामिल करना

यह सुनिश्चित करने के लिए नए अधिनियम के तहत बनाया गया है कि

भूमि मालिकों/किसानों/प्रभावित परिवारों को बढ़ावा मिलता है

के प्रावधानों के तहत मुआवजा और आर एंड आर पैकेज

एल. ए. आर. आर. विधेयक, 2011 और साथ ही,

बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिकूल नहीं है प्रभावित "।

164. 29.8.2013 पर लोकसभा में बहस को संदर्भित किया गया था

सुनवाई के दौरान, इस सवाल के संबंध में दिए गए विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए कि अधिग्रहण के मामलों में पूर्वव्यापी प्रभाव क्यों दिया जाना चाहिए।

पूरा नहीं हुआ है। संबंधित समय पर संबंधित मंत्री श्री जयराम रमेश ने धारा 24 के संबंध में पूर्वव्यापी भाग के बारे में बहस का जवाब इस प्रकार दिया:

" ..... माननीय सदस्य ने भी सवाल उठाया है कि

पूर्वव्यापी खंड। यह धारा 24 के बारे में है जिसके तहत यह यह प्रावधान किया गया है कि यदि पुरस्कार के तहत पारित नहीं किया गया है

नए कानून की तुलना में पिछला कानून लागू होगा। दूसरा,

यदि पुरस्कार पारित किया गया है और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है

दिया गया है और कोई भौतिक अधिकार नहीं लिया गया हैकानून लागू होगा। तीसरी स्थिति जहाँ यह खंड

लागू होगा जब पुरस्कार पारित किया गया है लेकिन किसान

50 प्रतिशत से अधिक मुआवजा नहीं दिया गया है जो

इस कानून के प्रवर्तन की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्य और

कई अन्य लोगों ने यह आशंका जताई है कि यह अधिनियम लागू होगा।

प्रक्रिया के हर स्तर पर सीमा और मुझे उम्मीद है कि राज्य इन समयसीमाओं का पालन करेंगे। '

(जोर दिया गया)

165. यह स्पष्ट है कि बहस का जवाब देते हुए मंत्री ने

संबंधित ने कहा है कि यदि कब्जा नहीं लिया गया है और मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो ही चूक होगी। शुरू से ही बल कब्जे पर था। इस प्रकार, बहस के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि "या" शब्द को "और" के रूप में समझा गया था।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

इन रे: अधिनियम के उद्देश्य

166. यह भूमि मालिकों की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि

कठिनाइयों पर विचार, कठोर परिणाम, के महत्व

निष्पादन, मुकदमेबाजी के दौरान गंवाया गया समय, पुराने दावों का पुनरुद्धार धारा 24 के कानून के अधिदेश से विचलन की अनुमति नहीं देगा। यदि दायित्व अनिवार्य हैं, तो अधिनियम के इरादे को भी पराजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे कारकों की अवहेलना करे और इरादे की प्रासंगिक व्याख्या करे। कानून की भाषा, जहां भी संदर्भ की आवश्यकता हो, उसके उद्देश्यों और कारणों, प्रस्तावना, इसके विधायी इतिहास के साथ-साथ इसके साथ जुड़े प्रावधानों (पुराने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों सहित) पर अदालत द्वारा विचार किया जाना है। अर्नीत दास बनाम। बिहार राज्य की अदालत ने कहा कि "किशोर" की परिभाषा में अस्पष्टता को प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के बयान को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए। बुराकुर कोयला कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ 1 1 9 और ए. थंगल कुंजू मुसलियार बनाम। एम. वेंकटचलम पोट्टी 1 20. सुनवाई के दौरान, राज्य ने यह कहने के लिए अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया था कि जहां मुद्दा अंतिम हो गया है, वहां राहत नहीं दी जानी चाहिए। 121 2013 का अधिनियम पहले के कानूनों के संचालन और जनहित को कम करने के कारण होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। अत: न्यायालय

को परिचर परिस्थितियों के संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी चाहिए। साथ ही, अदालत को, एक उद्देश्यपूर्ण या उदार व्याख्या को अपनाते हुए, उन मामलों को प्रभावित नहीं करना चाहिए जो अंतिम या बासी हो गए हैं। पोपत बहिरू गोवर्धन और अन्य में। (ऊपर) सीमा प्रावधानों के संदर्भ में इस पहलू को निम्नलिखित शब्दों में उजागर किया गया था:

" 16. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि सीमा का कानून हो सकता है

किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित करता है लेकिन इसे इसके साथ लागू करना पड़ता है

इसकी सभी कठोरता जब क़ानून इस तरह निर्धारित करता है। अदालत के पास नहीं है

न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की शक्ति।

वैधानिक प्रावधान से कठिनाई या असुविधा हो सकती है।

किसी विशेष पक्ष को लेकिन अदालत के पास लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है

118 2000 (5) एस. सी. सी. 488119 1962 (1) एससीआर 44

120 1955 एस. सी. आर. 1196 121 दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुखबीर सिंह, (2016) 16 एस. सी. सी. 258, पद्म सुंदर राव (मृत) और अन्य। वी. टी. एन. और अन्य का राज्य। , 2002 (3) एस. सी. सी. 533; पोपट बहिरू गोवर्धन और अन्य। वी. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अन्र. , 2013 (10) एस. सी. सी. 765; बी. प्रेमानंद

& ओआरएस। वी. मोहन कोइकल और अन्य। , (2011) 4 एस. सी. सी. 266 और भावनगर विश्वविद्यालय बनाम। पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड और अन्य। , (2003) 2 एससीसी 111 [2020] 3 एस. सी. आर.

ऐसी स्थिति में आकर्षित। यह लगातार आयोजित किया गया हैकि, "असुविधा एक निर्णायक कारक नहीं है" जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

एक क़ानून की व्याख्या करते हुए "। एक वैधानिक से बहने वाला परिणाम

प्रावधान कभी बुरा नहीं होता है। अदालत को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है।

वह प्रावधान जिसे वह परिणामी संकट मानता है, उसे दूर करने के लिए

उसके संचालन से।

इन रे: धारा 24 (2) का परंतुक

167. इस सवाल के संदर्भ में कि क्या परंतुक का हिस्सा है

धारा 24 (2) या धारा 24 (1), यह अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों और राज्यों की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि परंतुक को इसके साथ पढ़ने की आवश्यकता है।

धारा 24 (2) का मुख्य प्रावधान और इसे धारा 24 (1) (बी) के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। यह बताया गया कि इस न्यायालय ने दिल्ली में विचार लिया है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम तरुण पाल सिंह और अन्य। , (2018) 14 एस. सी. सी. 161 कि परंतुक को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, को धारा 24 (1) (बी) के परंतुक के रूप में नहीं माना जा सकता है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण v. विरेन्द्र लाल बहरी और अन्य। (ऊपर),

मामले को संदर्भित करते समय एक अलग दृष्टिकोण लिया गया है, और यह है

यह देखा गया है कि इसे धारा 24 (1) (बी) के परंतुक के रूप में माना जाना चाहिए न कि धारा 24 (2) के। चूंकि मामले में धारा 24 (2) की व्याख्या शामिल है, इसलिए यह सामाजिक-न्याय के लिए बिल्कुल आवश्यक है और क्या परंतुक धारा 24 (2) का हिस्सा है या इसे एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना है या इसे धारा 24 (1) (बी) के परंतुक के हिस्से के रूप में माना जाना है, इस प्रश्न का निर्णय लिया जाना आवश्यक है क्योंकि यह इस उद्देश्य के लिए उत्पन्न होता है -

धारा 24 (2) के प्रावधान।

168. यह प्रस्तुत किया गया था कि वैधानिक प्रावधानों को पढ़ा जाना चाहिए

जैसे वे मौजूद हैं। व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा किसी परंतुक का स्थानांतरण,

जिसके परिणामस्वरूप

विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा। परंतुक द्वारा, संसद ने प्रतिस्पर्धी नए अधिकारों को संतुलित करने की कोशिश की है, और परंतुक को हटाया नहीं जा सकता है और शारीरिक रूप से किसी अन्य स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। यह भी की ओर से प्रस्तुत किया गया था अधिकारियों को प्राप्त करना कि धारा 24 (1 (बी) 'पूर्ण विराम' के साथ समाप्त होती है। धारा 24 (2) एक कोलन (:) के साथ समाप्त होती है। ये विराम चिह्न इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि संसद ने जानबूझकर धारा 24 (2) के अपवाद के रूप में परंतुक का उपयोग किया। परंतुक की नियुक्ति के लिए आगे इंदौर विकास प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

व्याख्या के तुलनात्मक नियम। धारा 24 (2) में ही विधायी इरादे का बहुत स्पष्ट संकेत है। यदि इसकी व्याख्या में कुछ अस्पष्टता है तो विराम चिह्न व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि इसकी व्याख्या में कुछ अस्पष्टता उठाई जाती है तो विराम चिह्न कानूनों की व्याख्या करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक विशेष विराम चिह्न के उपयोग पर विचार करना एक स्वीकृत वैधानिक विधि है।

व्याख्या। 169. विराम चिह्नों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, व्याख्या के एक वैधानिक तरीके के रूप में, पूर्ण विराम का अर्थ है कि विशेष वाक्य समाप्त होता है और खड़ा होता है।

ओआरएस। (ऊपर)। यह प्रस्तुत किया गया था कि परंतुक का उद्देश्य अधिग्रहण की समाप्ति से संबंधित धारा 24 (2) का हिस्सा होना नहीं हो सकता था, जहां परंतुक का विषय भूमि के भौतिक कब्जे से पूरी तरह से असंबंधित है, लेकिन केवल मुआवजे को जमा नहीं करने से संबंधित है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यदि परंतुक को धारा 24 (2) के साथ पढ़ा जाता है, तो मनमाने परिणाम सामने आएंगे। यह प्रावधान मनमाना होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निरस्त किया जा सकता है। यदि धारा 4 के तहत अधिसूचना केवल भूमि के एक भूखंड या एकल मालिक पर लागू होती है, तो धारा 24 (2) की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा, और ऐसे मामले में जहां भूमि के कई टुकड़े अधिग्रहित किए गए हैं, यदि अधिकांश भूमि के संबंध में मुआवजा जमा नहीं किया गया है, तो ऐसा अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, लेकिन 2013 के अधिनियम के तहत केवल उच्च मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। "अधिनियम के प्रारंभ से पाँच साल या उससे अधिक समय पहले दिया गया पुरस्कार" शब्द परंतुक में अनुपस्थित हैं। इन शब्दों को परंतुक के रूप में पढ़ने से शाब्दिक भाषा के लिए हिंसा होगी, और इसके स्पष्ट अर्थ परंतुक और एक लाभकारी प्रावधान होने का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए जो इसके प्रदर्शन को आगे बढ़ाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उसी अधिसूचना द्वारा बनाई गई भूमि के बड़े हिस्सों के संबंध में, अधिकांश के संबंध में मुआवजाजमीन जमा कर दी गई है। ऐसे मामले में कोई चूक नहीं होगी क्योंकि ऐसे मामले में परंतुक लागू नहीं होगा और क्या [2020] 3 एस. सी. आर. के संबंध में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकांश भूमि स्वामित्व का मुआवजा दिया गया है या नहीं दिया गया है।जमा किए गए धन का इस मुद्दे पर कोई असर नहीं होगा कि धारा 24 (2) के तहत व्यपगत होता है या नहीं।

परंतुक के संबंध में, विभिन्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं

विचार करें।

(क) व्याख्या:

171. मुख्य प्रश्न यह है कि क्या धारा 24 की योजना के तहत परंतुक को धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में माना जाता है या यह धारा 24 (2) में उकेरे गए अपवाद का हिस्सा है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

'या' शब्द की व्याख्या हम 'और' के रूप में करते हैं। उस संदर्भ में, जब दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड बनाम. तरुण पाल सिंह और अन्य 1 22

साथ ही जब दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम में प्रश्न पर विचार किया गया था। विरेन्द्र लाल बहरी और अन्य। , [एसएलपी [सी] No.37375/2016], प्रश्न किसी भी मामले में विचार के लिए नहीं आया था।

धारा 24 (2) में दो नकारात्मक स्थितियों में 'या' को संयुग्म रूप से या विच्छेदित रूप से पढ़ा जाना चाहिए। जब हम "या" के रूप में "और" में "शब्द को पढ़ते हैं

धारा 24 (2) के मुख्य भाग में, यह स्पष्ट है कि परंतुक को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में रहना होगा, जहां इसे विधायिका द्वारा रखा गया है, और तभी इसका अर्थ निकलता है। यदि 'या' का उपयोग दो नकारात्मक शर्तों के बीच किया गया है 'कब्जा नहीं लिया गया है' या 'मुआवजा नहीं दिया गया है

अन्यथा, उस मामले में परंतुक प्रभावी नहीं हो सकता है और यह अनुचित हो जाएगा और धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं होगा। राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में अधिग्रहण समाप्त होना पड़ता है, हालांकि (भूमि का) कब्जा ले लिया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मुख्य भाग की उचित व्याख्या नहीं होगी, जब "या" पढ़ा जाता है।

संयुक्त रूप से, धारा 24 (2) में ऐसे मामले में चूक का प्रावधान किया गया है जहां कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है, ऐसे मामले में अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में राशि जमा नहीं करने की आवश्यकता को देखते हुए परंतुक लागू हो जाता है।

172. धारा 24 (2) को पढ़ने से पता चलता है कि यदि मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो भी कब्जा ले लिया गया है, तो कार्यवाही

टूटता नहीं है। यदि लाभार्थियों के खातों में अधिकांश हिस्सेदारी के संबंध में भुगतान नहीं किया गया है और न ही जमा किया गया है, तो 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थियों को 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। धारा 24 (2) न केवल लेने में विफलता से संबंधित है

122 (2018) 14 एस. सी. सी. 161 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

धारकों के लिए। ऐसे मामले में जहां दोनों नकारात्मक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, जैसा कि धारा 24 (2) में उल्लेख किया गया है, एक चूक है। इस प्रकार, हमारी राय में परंतुक एक संपूर्ण प्रावधान है और वास्तव में यह धारा का एक हिस्सा है।24 (2) ; यह धारा 24 (2) के संदर्भ में फिट बैठता है क्योंकि जमा मुआवजे के भुगतान से संबंधित है और भुगतान न करने के कारण चूक प्रदान की जाती है।

पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा न लेने के साथ-साथ जमा न करने पर अधिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, जब भुगतान किए जाने के मामले में शर्तों में से एक को पूरा कर लिया गया है, या

कब्जा नहीं लिया गया है, कार्यवाही में कोई चूक नहीं हुई है क्योंकि दोनों नकारात्मक शर्तों का सह-अस्तित्व होना चाहिए।

173. जब हम धारा 24 (1) (बी) के प्रावधानों पर विचार करते हैं जहां 1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार पारित किया गया है, तो

ऐसी कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है। एकमात्र अपवाद 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि है और वह भी धारा में एक गैर-बाधा खंड प्रदान करके।

24 (2) धारा 24 (1) में निहित किसी भी चीज़ के लिए। गैर-बाध्य खंड धारा 24 (2) के लिए भी परंतुक को योग्य बनाता है। इसे धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि यह धारा 24 (1) (बी) का अपवाद है। हमारी राय में, धारा 24 (1) (बी) एक स्व-निहित प्रावधान है, और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लिए गैर-अवरोधक खंड का भी एक हिस्सा है जैसा कि इसमें प्रदान किया गया है।

उप-धारा (1)। संसद ने एक अपवाद तैयार किया, एक

धारा 24 (2) से धारा 24 (1) में गैर-अबाधित खंड। क्षतिपूर्ति का भुगतान 1894 के अधिनियम के तहत धारा 24 (1) (बी) के तहत किया जाना है न कि 2013 के अधिनियम के तहत। इस प्रकार धारा 24 (2) धारा 24 (1) (बी) का एक अपवाद है और परंतुक भी एक अपवाद है जो गैर-बाधा के साथ फिट बैठता है। केवल धारा 24 (2) का खंड। कोई अन्य व्याख्या अपमानजनक होगी।

धारा 24 (1) (बी) में निहित प्रावधानों के लिए जो यह प्रावधान करता है कि लंबित कार्यवाही 1894 के अधिनियम के तहत जारी रहेगी जैसे कि उसने [2020] 3 एस. सी. आर. नहीं किया था।

नए अधिनियम की शुरुआत। विधायी इतिहास यह भी इंगित करता है/इसका उद्देश्य था कि मुआवजे का भुगतान करने और कब्जा करने के लिए पांच साल की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए। उस भावना में,

प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में बनाया गया है। इस प्रकार जब संसद ने तर्क की प्रक्रिया द्वारा इसे किसी विशेष स्थान पर रखा है, तो प्रावधान को हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। शारीरिक रूप से इसे उठाना एक होगा अस्वीकार्य व्यायाम। जब तक यह बेतुके परिणाम नहीं देता है और अधिनियम की योजना में फिट नहीं होता है और जिन प्रावधानों के साथ यह ऐसी व्याख्या से जुड़ा हुआ है, व्यक्त प्रावधान के साथ हिंसा करना एक वैध व्याख्यात्मक अभ्यास नहीं है। इसे धारा 24 (1) (बी) में परंतुक के रूप में जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह विधायिका द्वारा नहीं किया गया है, और यह समझ में आता है कि इसे कहाँ रखा गया है। इसे उठाने की जरूरत नहीं है।

(ख) धारा 24 (2) में प्रयुक्त विराम चिह्नः

174. संसद ने धारा 24 (1) और अनुच्छेद (1) के बाद पूर्ण विराम (.) का उपयोग किया हैः) धारा 24 (2) के बाद। यह नहीं कहा जा सकता है कि विराम चिह्न खेलते हैं।

एक महत्वपूर्ण भूमिका, विशेष रूप से जब प्रावधान के किसी भी हिस्से को स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाता है। बृहदान्त्र का उपयोग एक उपखंड पेश करने के लिए किया जाता है जो इसके पहले के पाठ से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। हम बृहदान्त्र के इस पहलू की अतिरिक्त जांच कर रहे हैं। यद्यपि धारा 24 (2) के प्रावधान और उसके परन्तुक की व्याख्या को उसके स्थान निर्धारण के संबंध में आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है, इसे धारा 24 (2) के परन्तुक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि धारा 24 (1) (बी) के रूप में। विराम चिह्न का उपयोग हमारे निष्कर्ष को मजबूत करता है और विराम चिह्न वैधानिकता का एक स्वीकृत तरीका रहा है।

जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो व्याख्या करें। हालांकि कभी-कभी विराम चिह्न इसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है लेकिन आम तौर पर नहीं। धारा 24 (1) (बी) के बाद पूर्ण विराम किसी विशेष वाक्य को समाप्त करने और उसे अलग करने के जानबूझकर इरादे को व्यक्त करता है।

अगले भाग से। विराम चिह्न बृहदान्त्र के अर्थ के संबंध में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शैली मार्गदर्शिका निम्नानुसार बताती हैः

" उपखंड प्रस्तुत करने के लिए बृहदान्त्र का उपयोग करें जो तार्किक रूप से अनुसरण करता है।

इससे पहले के पाठ से, एक नई अवधारणा नहीं है और तार्किक रूप से पूर्ववर्ती मुख्य खंड पर निर्भर करती है। यदि वाक्य के दो भाग तार्किक रूप से जुड़े नहीं हैं तो कोलन का उपयोग न करें। इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

175. इंग्लैंड विश्वविद्यालय का नोट "सही तरीके से लिखना"

हरियाणा राज्य की ओर से भी भरोसा किया गया है। निम्नलिखित चर्चा की गई है:

" एक वाक्य में कोलन के कई कार्य होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं।

किसी भी वाक्य में एक से अधिक बार कोलन करें। नियम 1: स्तम्भों का उपयोग सूची प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हें करना चाहिए

एक पूर्ण वाक्य (स्वतंत्र खंड) का पालन करें।

नियम 2: कोलन का उपयोग व्याख्या करने, सारांशित करने या विस्तार करने के लिए किया जा सकता है।

एक शब्द, वाक्यांश या वाक्यांश का परिचय देकर एक वाक्य में अर्थखंड जो पिछले कथन पर विस्तारित होता है।

नियम 3: उपशीर्षक से शीर्षक को अलग करने के लिए कोलन का उपयोग किया जाता है।

नियम 4: औपचारिक रूप से उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए कोलन का उपयोग किया जा सकता है।

अकादमिक लेखन।

(जोर दिया गया)

176. यह स्पष्ट है कि बृहदान्त्र (:) में पिछले का संदर्भ है

कथन और उसी का विस्तार करता है और इसके अर्थ का विस्तार करता है

वाक्य। कोलन इंगित करता है कि पाठ आंतरिक रूप से इससे पहले के पिछले प्रावधान से जुड़ा हुआ है, यानी इस मामले में धारा 24 (2) और नहीं

धारा 24 (1)। बृहदान्त्र इंगित करता है कि आगे क्या होता है। बृहदान्त्र इससे पहले के तत्वों को साबित करता है, समझाता है, परिभाषित करता है या सूचीबद्ध करता है। यदि परंतुक को शारीरिक रूप से हटा दिया जाता है और धारा 24 (1 (बी) के बाद रखा जाता है, तो धारा 24 (2) एक "कोलन" के साथ समाप्त होगी, जो कभी भी किसी प्रावधान को समाप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। कुछ निर्णयों को यह कहते हुए संदर्भित किया गया है कि विराम चिह्नों को महत्व और महत्व दिया जाना चाहिए। पहले का विचार था कि विराम चिह्न प्रूफ रीडर द्वारा जोड़े जाते थे, और संसद द्वारा पारित अधिनियमों में कोई विराम चिह्न नहीं होते थे। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि पिछली शताब्दी में, अंग्रेजी अदालतों ने महसूस किया कि संसद के समक्ष रखे गए मसौदों में भी विराम चिह्न होते हैं और इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण है कि

उसी को अर्थ दें। वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन का विराम चिह्नों के बारे में यह कहना है:

"16.8 विराम चिह्न एक अधिनियम का एक हिस्सा है और इस पर विचार किया जा सकता है।

एक प्रावधान बनाने में। हालाँकि, यह आमतौर पर कम वजन का होता है।

क्योंकि किसी अधिनियम का अर्थ उसके साथ या उसके बिना समान होना चाहिए।

इसका विराम चिह्न।

:

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यद्यपि विराम चिह्न पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर इसका बहुत कम उपयोग होगा क्योंकि एक अधिनियम का अर्थ इसके साथ या इसके बिना समान होना चाहिए। विराम चिह्न एक उपकरण है जो अर्थ बनाने के लिए नहीं है,

लेकिन अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। इसका उद्देश्य मौखिक पठन में किए जाने वाले कदमों को इंगित करना और इंगित करना है।

भावना। एक अच्छी तरह से तैयार किए गए विधान का अर्थ

प्रस्ताव को विराम चिह्न की उपस्थिति या अनुपस्थिति को चालू नहीं करना चाहिए।

177. मार्शल वी। कोटिंगम 1 2 3 [1982] Ch 82 88 पर, 12 बजे स्थिति के परिवर्तन और उस विराम चिह्न को स्थापित करने का उल्लेख करते हुए

व्याख्या में उपयोग किया जा सकता है, यह माना गया था कि:

" वह दिन बहुत बीत चुका है जब अदालतें कोई ध्यान नहीं देंगी

संसद के एक अधिनियम में विराम चिह्न "।

हैनलोन बनाम लॉ सोसाइटी 1 24 में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

..... विराम चिह्नों को ध्यान में न रखना इस वास्तविकता की उपेक्षा करता है कि साक्षर लोग, जैसे कि संसदीय मसौदा तैयार करने वाले,

वे जो लिखते हैं उसे विराम चिह्न में लिखें, यदि समान रूप से नहीं, तो कम से कम

व्याकरण के सिद्धांतों के अनुसार। अन्य साक्षर लोगों, जैसे कि न्यायाधीशों को, विधान के अर्थ की व्याख्या करने के लिए विराम चिह्न को क्यों नहीं देखना चाहिए।

संसद द्वारा? "फिर भी ह्यूस्टन बनाम बर्न्स 1 25 में, यह माना गया था कि:

" विराम चिह्न अंग्रेजी रचना का एक तर्कसंगत हिस्सा है और यह है

कभी-कभी काफी महत्वपूर्ण रूप से नियोजित। मुझे संलग्न किए गए महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों से वंचित करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

अन्य लेखन में विराम चिह्न।

178. अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया गया। 126 इसी तरह, विराम चिह्नों की व्याख्या के लिए मेरिकन दृष्टिकोण अलग है। आयलर वी. में। कैरिबू 1 27, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

3 [1981] 3 सभी ईआर 8 * [1981] एसी 124 197 पर

[1910] ए. सी. 337,348 पर

डिंगमार वी। डिंगमार 2007 (2) सभी ई. आर. 382; कैनेडी बनाम सूचना आयुक्त और एक अन्य (न्याय राज्य सचिव हस्तक्षेप) [2012] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 3524

7 102 मुझे। 401 , 67 ए. 2 (1907)

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

" हम जानते हैं कि अदालतों द्वारा बार-बार इस पर जोर दिया गया है

और न्यायविदों का कहना है कि विराम चिह्न किसी क़ानून का हिस्सा नहीं है, और यह

निर्माण में इसे नहीं माना जाना चाहिए। यह नियम अपनी उत्पत्ति में

सामान्य ज्ञान पर स्थापित किया गया था, क्योंकि इंग्लैंड में 1849 तक

कानून चर्मपत्र पर प्रविष्ट किए जाते थे और बिना लागू किए जाते थे

विराम चिह्न। ऐसा नियम शर्तों पर लागू नहीं होता है।

जहाँ, इस राज्य की तरह, एक बिल मुद्रित किया जाता है और इसकी मेज पर होता है

विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य, विराम चिह्न और सभी, इससे पहले इसका अंतिम मार्ग। विराम चिह्न का कोई कारण नहीं है, जो

स्पष्ट और स्पष्ट बनाने में सहायता करने का इरादा है और करता है

अंग्रेजी भाषा में अन्य सभी चीजों का अर्थ होना चाहिए

विधियों की व्याख्या के मामले में अस्वीकार कर दिया गया। निरंतरता

राशन कानून इप्सो लेक्स "। तदनुसार हम पाते हैं कि

कहा गया है कि एक क़ानून की व्याख्या में विराम चिह्न हो सकता है

निर्माण; कि इसके द्वारा अर्थ अक्सर हो सकता हैनिर्धारित; कि यह खोज करने के साधनों में से एक है

विधायी आशय; कि यह भौतिक सहायता का हो सकता है

विधायी उद्देश्य का निर्धारण करना।

(जोर दिया गया)

अश्विनी कुमार घोष (ऊपर) ने कहा है:

" आखिरकार निर्माण में विराम चिह्न एक मामूली तत्व है।

एक क़ानून का, और अंग्रेजी द्वारा इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है

अदालतें। कॉकबर्न, सी. जे. ने स्टीफेंसन बनाम में कहा। टेलर: " जिस पर

संसद की सूची में कोई विराम चिह्न नहीं है और इसलिए हम हैं

मुद्रित प्रतियों में उससे बाध्य नहीं। " लेकिन ऐसा लगता है, कि 1850 से मुद्रित वेलम प्रतियों में कुछ हैं

विराम चिह्नों के मामले, और जब वे होते हैं तो उन्हें देखा जा सकता है

समकालीन प्रदर्शनी के एक प्रकार के रूप में। जब एक कानून है ध्यान से विराम चिह्न और इसके अर्थ के बारे में संदेह है, ए

नि:संदिग्ध रूप से विराम चिह्न को वजन दिया जाना चाहिए। मुझे जरूरत है।इस बात से इनकार नहीं करते कि कुछ मामलों में विराम चिह्न के उपयोग हो सकते हैं,

लेकिन इसे निश्चित रूप से एक नियंत्रक तत्व के रूप में नहीं माना जा सकता है

और किसी पाठ के स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

***** ***

****

" 77. उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि

याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार घोष दो आधारों पर।

पहले [2020] 3 एस. सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ यह कहा गया है कि अल्पविराम अधिनियम का हिस्सा नहीं था। कि पहले के अंग्रेज़ी न्यायाधीशों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण यह था कि

विराम चिह्न कानून का कोई भी हिस्सा नहीं है जो क्लेडन बनाम में विल्स, जे. की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हरा। ड्यूक ऑफ डेवनशायर बनाम में लॉर्ड एशर, एम. आर. द्वारा भी इस दृष्टिकोण को जोरदार अभिव्यक्ति दी गई थी। कोनोर जहाँ उन्होंने कहा:

" संसद के एक अधिनियम में कोष्ठक जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन विराम जैसी चीजें होती हैं।

इस दृष्टिकोण को प्रिवी काउंसिल द्वारा भारतीय कानूनों की व्याख्या के मामले में भी अपनाया गया था जैसा कि बर्दवान बनाम की महारानी में लॉर्ड हॉबहाउस की टिप्पणियों से दिखाई देगा। मुर्तुंजय सिंह, अर्थात्, "विधायिका के अधिनियमों के अर्थ में विराम चिह्न पर भरोसा करना एक त्रुटि है"। पुघ बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा भी यही राय व्यक्त की गई थी। आशुतोष सेन. यदि, हालांकि, अस्वीकृति के संबंध में नियम

व्याख्या के उद्देश्यों के लिए विराम चिह्न को अपूर्ण दायित्व माना जाना चाहिए और विराम चिह्न को कम से कम समकालीन व्याख्या के रूप में लिया जाना चाहिए, फिर भी अगर यह क़ानून के स्पष्ट अर्थ के विपरीत है तो इसे नजरअंदाज करना होगा। यदि विराम चिह्न अर्थहीन है या शब्दों के स्पष्ट अर्थ के साथ टकराव है, तो अदालत इसे उन शब्दों पर एक अर्थ रखने की अनुमति नहीं देगी जो वे हैं।अन्यथा ऐसा नहीं होता। यह मुझे दूसरे आधार पर ले जाता है जिस पर मुख्य रूप से उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया

याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार घोष, अर्थात्, "कोई अन्य कानून" वाक्यांश में "अन्य" शब्द स्पष्ट रूप से भारतीय बार काउंसिल अधिनियम को अन्य कानूनों के साथ विकल्प के रूप में और विशेषण खंड में निहित योग्यता दोनों के विषय में जोड़ता है। मैं इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय से पूरी तरह सहमत हूं। यदि इरादा यह था कि विशेषण खंड भारतीय बार काउंसिल अधिनियम के योग्य नहीं होना चाहिए, तो "अन्य" शब्द का उपयोग पूरी तरह से उपयुक्त और अनावश्यक था। द.

उस शब्द के उपयोग से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि विशेषण खंड भी "अन्य कानून" के अलावा कुछ और योग्य है। यदि इरादा यह था कि भारतीय बार काउंसिल अधिनियम योग्यता वाक्यांश से अप्रभावित रहे और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिसे विधायिका ने कहा होगा "या डीओआरई विकास प्राधिकरण को विनियमित करने वाले किसी भी कानून में।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

शर्तें आदि "। भारतीय बार काउंसिल अधिनियम का उल्लेख नहीं करना और विशेषण को छोड़ना अभी भी आसान होता।

खंड और केवल यह कहना कि "किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद"। अधिनियम के शीर्षक के सही अर्थ के आलोक में, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया है और उपयोग को ध्यान में रखते हुए

"अन्य" शब्द को धारण करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, उच्च न्यायालय के साथ सहमति में, कि गैर-अवरोधक खंड का उद्देश्य जिसे बाहर करना या हटाना था, वह संपूर्ण भारतीय बार काउंसिल अधिनियम नहीं था, बल्कि इसे बाहर करना या हटाना था

अधिनियम और कोई अन्य कानून केवल उस सीमा तक जहां तक वे या उनमें से कोई भी उन शर्तों को विनियमित करने के लिए अभिप्रेत है जिनके अधीन किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में दर्ज नहीं किए गए व्यक्ति को उस उच्च न्यायालय में वकालत करने की अनुमति दी जा सकती है और अल्पविराम, यदि इसे बिल्कुल भी देखा जा सकता है, तो इसे क़ानून के इस स्पष्ट अर्थ के विपरीत होने के रूप में अवहेलना की जानी चाहिए।

179. जमशेद एन. गुज़दार (ऊपर) में इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि:

“ 42. उच्च न्यायालयों के सामान्य अधिकार क्षेत्र को प्रविष्टि 11-ए में "न्याय का प्रशासन" शीर्षक के तहत निपटाया गया है, जिसका व्यापक अर्थ है और इसमें न्याय का प्रशासन शामिल है।

दीवानी के साथ-साथ आपराधिक न्याय। अभिव्यक्ति "प्रशासन"

न्याय का उपयोग बिना किसी योग्यता या योग्यता के किया गया है।

"शक्तियों" को शामिल करने के लिए पर्याप्त सीमा और

शक्ति के अनुदान में शामिल। राज्य विधानमंडल "न्याय प्रशासन" के संबंध में कानून बनाने और उच्च न्यायालय सहित राज्य के भीतर सभी न्यायालयों को सामान्य अधिकार क्षेत्र और सभी में शक्तियों के साथ निवेश करने के लिए एक उपयुक्त निकाय है। मामले, दीवानी और आपराधिक, इसका पालन करना चाहिए कि यह निवेश कर सकता है

इस तरह के सामान्य अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के साथ उच्च न्यायालय [2020] 3 एस. सी. आर.

क्षेत्रीय और आर्थिक अधिकारिता सहित और उच्च न्यायालय से ऐसी अधिकारिता और शक्तियों को भी छीनना, सिवाय उनके जो संविधान के तहत विशेष रूप से उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई हैं। यह कहना संभव नहीं है कि सिटी सिविल कोर्ट को असीमित अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश करना, उसे उच्च न्यायालय से छीनना, उच्च न्यायालय के "संविधान" और "संगठन" से निपटने के बराबर है। सूची III की प्रविष्टि 11-ए के तहत राज्य विधानमंडल को सिटी सिविल कोर्ट का गठन और आयोजन करने का अधिकार है और जब तक कि

ऐसे न्यायालय का गठन करते हुए राज्य विधानमंडल को ऐसे न्यायालयों को अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने का भी अधिकार है क्योंकि उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों का "न्याय प्रशासन" सूची III की प्रविष्टि 11-ए के अंतर्गत आता है, जब तक कि संसद प्रविष्टि 11 ए के तहत उस संबंध में कानून नहीं बनाती है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46 सूची III के मामलों के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र की बात करती है। सूची III में प्रविष्टि 13 ". इस संविधान के प्रारंभ में सिविल प्रक्रिया संहिता" है। प्रविष्टि 13 से यह कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल मामलों के संबंध में और

आम तौर पर नागरिक प्रक्रिया के मामले में संसद या राज्य विधानमंडल, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 246 (2) द्वारा प्रदान किया गया है, समवर्ती विधायी क्षमता प्राप्त करता है। 1987 का अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता में परिकल्पित न्यायालयों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और इस तरह राज्य विधानमंडल 1987 के अधिनियम को लागू करने के लिए सूची III की प्रविष्टि 13 के तहत कानून बनाने में सक्षम था।

68. राजिंदर सिंह बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ। कुलतार सिंह ए. आई. आर. 1980 पी. एंड एच. 1 ने इसी विषय को छूते हुए इस प्रकार कहाः (एयर पी। 1)

" जहाँ तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, क्षेत्राधिकार और सामान्य रूप से शक्तियों के विषय का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है।

सूची I की किसी भी प्रविष्टि में, लेकिन एक विशिष्ट विषय के रूप में 'न्याय प्रशासन' को सूची II की प्रविष्टि 3 (अब सूची III की प्रविष्टि 11-ए) में स्थान मिलता है।सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 3 में आने वाली 'न्याय प्रशासन' अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि राज्य विधानमंडल को न्याय प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति मिल सके।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

प्रविष्टि 3 में 'न्याय प्रशासन' शब्दों के बाद एक अर्धविराम है, और इस विराम चिह्न को अनुचित होने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। विराम चिह्न को इस विषय को विशिष्ट बनाने के एक निश्चित

उद्देश्य के साथ रखा गया है और इसका संबंध केवल उसके बाद के विषय से नहीं है। सूची I की प्रविष्टि 78 के तहत, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विषय

अदालतों में सुनवाई नहीं होती है। सूची II की प्रविष्टि 3 के तहत राज्य विधानमंडल अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान कर सकता है या पहले से ही प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को प्रतिबंधित या वापस ले सकता है। उच्चतम न्यायालय को छोड़कर किसी भी कानून के संबंध में कोई भी न्यायालय। इसलिए, राज्य विधानमंडल के पास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

अदालत "।

180. कई अन्य निर्णय हैं, जो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि विराम चिह्न, विशेष रूप से कोलन की एक क़ानून में शब्दों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन निर्णयों में फाल्कन टायर्स लिमिटेड बनाम शामिल हैं। कर्नाटक राज्य 1 28. यह प्रस्तुत किया गया था कि "कपास" शब्द के बाद अर्धविराम का मतलब यह नहीं था कि खंड का पहला भाग "ऐसी उपज" से अलग था जो किसी भी भौतिक, रासायनिक या अन्य प्रक्रिया के अधीन किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि विराम चिह्न कानून के निर्माण में एक सुरक्षित उपकरण नहीं है और यदि खंड के पहले भाग को दूसरे भाग से विच्छेद के रूप में पढ़ा जाता है तो यह क्र. सं. के साथ संघर्ष करता है। दूसरी अनुसूची में नंबर 2। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि परिभाषा खंड जो क़ानून का व्याख्या खंड है, "जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है। इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 11. हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई सार नहीं पाते हैं कि "कपास" शब्द के बाद अर्धविराम का मतलब यह नहीं है कि खंड का पहला भाग "ऐसी उपज" से विच्छेदित है जो किसी भौतिक, रासायनिक या अन्य प्रक्रिया के अधीन है। धारा 2 (ए) (1) दो भागों में है, इसमें कृषि से दो प्रकार के भोजन को बाहर रखा गया है।

उत्पादन करें। हमारे अनुसार, कृषि और बागवानी उत्पादों की परिभाषा यह नहीं बताती है कि कृषि या बागवानी उत्पादों में क्या शामिल किया जाएगा।

इसमें सभी कृषि या बागवानी उत्पाद शामिल हैं। लेकिन शामिल नहीं है, (1) चाय, कॉफी, रबड़, काजू, इलायची,

कृषि की परिभाषा से काली मिर्च और कपास या

बागवानी उत्पाद हालांकि इन सभी उत्पादों के अनुसार

शब्दकोश का अर्थ या आम बोलचाल में होगा

कृषि उपज के रूप में समझा जाता है; और (2) "ऐसी उपज

जैसा कि किसी भौतिक, रासायनिक या अन्य के अधीन किया गया है

उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने की प्रक्रिया ", जिसका अर्थ है

बहिष्कृत, जो किसी भी भौतिक, रासायनिक के अधीन किया गया है या इसे उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने की अन्य प्रक्रिया भी होगी।

कृषि की परिभाषा से बाहर रखा जाए याबागवानी उत्पादों को छोड़कर जहां ऐसी कृषि उपज होती है

केवल साफ किया जाता है, श्रेणीबद्ध किया जाता है, छँटाया जाता है या सुखाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि

आलू को साफ किया जाता है, श्रेणीबद्ध किया जाता है, छँटाया जाता है या सुखाया जाता है।कृषि उपज बनी रहती है लेकिन कच्चे आलू के मामले में

एक प्रक्रिया के अधीन और मानव के लिए चिप्स में परिवर्तित

खपत के लिए यह कृषि उत्पाद नहीं रहेगा

प्रवेश कर अधिनियम के उद्देश्य। दूसरे भाग में "ऐसी उपज" शब्द उस उपज को संदर्भित नहीं करते हैं जिसके पास है

पहले से ही कृषि या बागवानी से बाहर रखा गया है

उत्पादन करें लेकिन ऐसे अन्य कृषि उत्पादों को संदर्भित करें जो

किसी भौतिक, रासायनिक या अन्य प्रक्रिया के अधीन किया गया है

मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाए जाने के लिए "।

उद्धृत अन्य निर्णय गुजरात राज्य बनाम था। रिलायंस

Ltd.[12][9] 129 'फुल स्टॉप' और 'कोलन' के संबंध में, वेपा पी. सारथी की क़ानूनों की व्याख्या, पाँचवें संस्करण में इस मुद्दे पर इस प्रकार चर्चा की गई:

" द स्टॉप। सबसे महत्वपूर्ण विराम चिह्न है

अवधि या पूर्ण विराम। इसे एक पूर्ण के अंत में रखा जाना चाहिए

ऐसा वाक्य जो न तो विस्मयकारी हो और न ही प्रश्नवाचक हो। में से

बेशक, विधायी प्रारूपण में विस्मयकारी या पूछताछ

वाक्य नहीं होंगे। एक अधूरा वाक्य होना चाहिए

हालाँकि एक डैश के साथ समाप्त होता है। इसे ध्यान से देखना चाहिए।

क्या अंतिम पड़ाव उद्धरणों के अंदर या बाहर होना चाहिए।

भाव से आसानी से बताया जा सकता है।

कोलन। - इसका तात्पर्य यह है कि जो निम्नलिखित है वह समझाता है और प्रवर्धित करता है

वह वाक्य जो उससे पहले आता है। यह आम तौर पर पहले उपयोग किया जाता है

एक उद्धरण, या किसी शब्द का स्थान लेना जैसे कि

" अर्थात् "।

17) 16 एस. सी. सी. 28 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

181. अश्विनी कुमार घोष और अन्र (ऊपर) ने भी पूर्ण विराम के साथ काम किया और कहा कि जब तक विराम चिह्न पाठ में शब्दों के अर्थ से अलग नहीं होता है, यह व्याख्या में एक नियंत्रक कारक हो सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। स्वपन कुमार गुहा और अन्य 130, इस अदालत ने कहा कि व्याकरण और विराम चिह्न दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

जीवन की गति के शिकार और कभी-कभी सुविधा और सार्थकता दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, अल्पविराम का अनुसरण करने वाला खंड अल्पविराम से पहले के प्रत्येक खंड को कितनी दूर तक नियंत्रित करता है, यह संदेह से मुक्त मामला नहीं है। इस न्यायालय ने कहा कि:

" 5. चूंकि एफ. आई. आर. से विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या आरोपी धन परिसंचरण योजना चला रहे हैं, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि क्या

उस के वैधानिक अर्थ के भीतर समझा जाता है

अभिव्यक्ति। अधिनियम की धारा 2 (सी) में प्रावधान है:" 2. (ग) 'मुद्रा परिसंचरण योजना' से कोई भी योजना, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाए, त्वरित या आसान धन अर्जित करने के लिए, या किसी भी धन या मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति के लिए अभिप्रेत है।

योजना में सदस्यों के नामांकन के लिए लागू किसी भी घटना या आकस्मिकता पर धन का भुगतान करने के वादे के लिए विचार, चाहे वह धन या चीज ऐसी योजना या आवधिक सदस्यता के सदस्यों के प्रवेश धन से प्राप्त हो या नहीं;

व्याकरण और विराम चिह्न गति के दुर्भाग्यपूर्ण शिकार हैं

जीवन, और मैं इस मामले में केवल खंड (सी) में उपयोग किए गए अल्पविराम से नहीं जाना पसंद करता हूं क्योंकि, हालांकि वे मुझे प्रतीत होते हैं

सुविधा और दोनों के रूप में रखा गया था

अर्थपूर्णता, फिर भी, अल्पविराम और विराम चिह्न के अन्य उपकरणों के अधिक विचारशील उपयोग से खंड के अर्थ को विवाद से परे स्पष्ट करने में मदद मिली होगी। इसके अलावा, अल्पविराम का अनुसरण करने वाला खंड अल्पविराम से पहले के प्रत्येक खंड को कितनी दूर तक नियंत्रित करता है, यह संदेह से मुक्त मामला नहीं है। इसलिए, मैं अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले मामले के सार को ध्यान में रखते हुए खंड (ग) के सही अर्थ की खोज को अधिक सुरक्षित और संतोषजनक मानता हूं, जिस संदर्भ में अभिव्यक्ति की गई है -

उपयोग किया गया और आवश्यक रूप से इसके बाद के परिणाम

प्रावधान की किसी विशेष व्याख्या की स्वीकृति,

जिसके उल्लंघन पर दंडात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

182. वर्तमान मामले में धारा 24 (1) के बजाय धारा 24 (2) के प्रावधान से पहले बृहदान्त्र की नियुक्ति शामिल है, जो पूर्ण विराम के साथ समाप्त होती है, और यह समझ में आता है और सही अर्थ है जहां संसद ने इसे रखा है। परंतुक धारा 24 (2) का हिस्सा है। प्रावधान को बदलने और इसे धारा 24 (1) (बी) के परंतुक के रूप में पढ़ने की अनुमति नहीं है, मुख्य रूप से जब यह समझ में आता है कि संसद ने इसे कहाँ रखा है। प्रावधान पढ़ने के लिए

धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में, प्रतिकूलता पैदा होगी जो धारा 24 (1) (बी) में निहित प्रावधान हैं। अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए 5 साल की अवधि प्रदान की गई है जहां पुरस्कार दिया गया है। पारित किया गया, और 1894 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है। धारा 24 (2) एक अबाधित खंड से शुरू होती है; यह स्पष्ट रूप से

धारा 24 (1) के बावजूद है, और धारा 24 (2) का परंतुक धारा 24 (2) के दायरे को बढ़ाता है। जब विंडो अवधि धारा 24 (1) (बी), यानी धारा 24 (2) और इसके प्रावधान के तहत प्रदान की गई है, तो पारित किए गए पुरस्कार के मामले में उच्च मुआवजे का पालन नहीं किया जा सकता है।

2013 के अधिनियम के अधिनियमन के 5 वर्षों के भीतर अन्यथा विसंगतपरिणाम प्राप्त होंगे। यदि परंतुक को धारा 24 (1) (बी) के एक भाग के रूप में पढ़ा जाता है, तो यह उस प्रावधान पर विचार करने के लिए प्रतिकूल होगा जो -

अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए बचत अधिग्रहण और 5 साल की अवधि प्रदान की गई है। के तहत मामले थे

1894 का अधिनियम, जिसमें पुरस्कार दिसंबर 2013 में दिया गया होगा, 1.1.2014 पर अधिनियम लागू होने से कुछ दिन पहले। चूंकि 1894 के अधिनियम के प्रावधान ऐसे पुरस्कारों पर लागू होते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत पुरस्कार की सूचना दी जानी चाहिए। एकमुश्त जमा का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कलेक्टर को निर्दिष्ट आवश्यकताओं द्वारा रोका जाता है तो जमा किया जाना है

धारा 31 (2) भुगतान करने से। जमा पर सीधे अदालत या कोषागार में विचार नहीं किया जाता है, जैसा कि मामला 2013 के अधिनियम की धारा 77 (2) के अनुरूप धारा 31 (2) में प्रदान किया गया है।

183. परंतुक भुगतान न करने से संबंधित है। क्षतिपूर्ति है

जमा तब किया जाता है जब कलेक्टर को भुगतान करने से रोका जाता है। यह धारा 31 (1) के तहत किया गया दायित्व है कि वह राशि का भुगतान करे और भुगतान करे जब तक कि धारा 31 (2) में निर्दिष्ट आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए। इस प्रकार, जमा का "भुगतान नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति के साथ सह-संबंध है, और परंतुक केवल धारा 24 (2) के साथ ही समझ में आता है। भुगतान न करने या भुगतान से रोकने के मामले में, इंदौर विकास प्राधिकरण को मुआवजे की आवश्यकता होती है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

मामला संदर्भ न्यायालय में या अन्यथा कोषागार में जमा किया जाए, यदि अनुमत हो।

184. परंतुक में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि राशि लाभार्थियों के खाते में जमा की जानी है। इससे पहले 1894 के अधिनियम के तहत, लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन राशि जमा करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार जिस विधि का उपयोग किया जाता था, उसे लाभार्थियों के नाम पर और पुरस्कार के विपरीत संदर्भ न्यायालय या कोषागार में जमा किया जाता था। यह एक अलग खाता नहीं था, बल्कि संदर्भ न्यायालय का खाता था या

कोषागार में अलग रखा गया था। परंतुक की व्याख्या की जानी चाहिए और धारा 24 (2) के साथ अर्थ दिया जाना चाहिए क्योंकि राशि का भुगतान करने की आवश्यकता थी और इसे रोकने पर 1894 के अधिनियम के तहत परिकल्पित रूप से जमा किया जाना था।

185. अगर हम यह मानते हैं कि भले ही पुरस्कार 5 साल के भीतर पारित किया गया हो और मुआवजे की राशि सम्मान के साथ जमा नहीं की गई होविन्डो अवधि में पारित किए गए ऐसे पुरस्कार के लिए, यदि इसे अधिकांश होल्डिंग्स के संबंध में जमा नहीं किया जाता है, तो अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

कानून को फिर से लिखने के बराबर होगा। धारा 24 (1) (ए) का प्रावधान स्पष्ट है कि यदि कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया है, तो अधिक मुआवजा दिया जाएगा। कोई चूक प्रदान नहीं की जाती है। यदि पुरस्कार धारा 24 (1) (बी) की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो अन्य बातों के साथ-साथ मुआवजे के प्रावधान 1894 के अधिनियम के होंगे। धारा 24 (1) का एकमात्र अपवाद धारा 24 (2) में गैर-अबाधित खंड द्वारा यह प्रावधान करके बनाया गया है कि यदि 5 वर्ष या उससे अधिक समय से अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए हैं, तो एक नकारात्मक शर्त के रूप में चूक होती है। इस परंतुक में 2013 के अधिनियम के तहत उन सभी लाभार्थियों को, जिनके पास धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को भूमि थी, अधिक मुआवजे पर विचार किया गया है, यदि मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और अधिकांश जोतों के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है। यदि परंतुक जोड़ा जाता है, तो धारा 24 (1) (बी) धारा 24 (1) (बी) के उसी प्रावधान को नष्ट कर देगी जो 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रखने का प्रावधान करती है, जो मुख्य धारा को प्रतिस्थापित करने के लिए परंतुक का कार्य नहीं है, बल्कि इसकी व्याख्या करना है। यह मुख्य प्रावधान के साथ प्रतिकूलता पैदा करने के लिए नहीं है। परंतुक का कार्य

यह दायरे को समझाने या व्यापक बनाने के लिए है। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि परंतुक उस प्रावधान से आगे नहीं जा सकता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। द.परंतुक 1894 के अधिनियम से परे जाएगा क्योंकि यह धारा 24 (1) (बी) का इरादा है कि वह 1894 के अधिनियम द्वारा कार्यवाहियों को संचालित करे। इस प्रकार, धारा 24 (1) (बी) के साथ परंतुक का कोई स्थान नहीं है, और इसमें उचित रूप से [2020] 3 एस. सी. आर. नहीं है।

संसद द्वारा धारा 24 (2) के साथ संलग्न किया गया है और इसे सही स्थान पर रखा गया है जहां इसे होना चाहिए था।

186. यह उन मामलों में है जहां धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं है यदि कोई भी कदम उठाया गया है तो परंतुक उच्चतर प्रदान करने के लिए संचालित होता है।

क्षतिपूर्ति। ऐसे मामलों में जहां कब्जा ले लिया गया है, लेकिन परंतुक के तहत आवश्यकता के अनुसार राशि जमा नहीं की गई है, सभी लाभार्थियों को अधिक मुआवजे का पालन करना होगा क्योंकि एक बार कब्जा ले लिया गया है, भूमि राज्य में निहित है और भुगतान आवश्यक है।

ऐसी इच्छा होती है। परंतुक धारा 24 (2) की योजना का हिस्सा है, और परंतुक सहित धारा 24 (2) का पूरा प्रावधान तब संचालित होता है जब 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रियता होती है, जैसा कि उसमें विचार किया गया है।187. मूल विचार यह है कि परंतुक धारा 24 (1) (बी) के मुख्य प्रावधान का स्थान नहीं ले सकता है और इसे नष्ट नहीं कर सकता है। परंतुक का कार्य उन दबाव वाले प्रावधानों को छोड़ना है जिनसे यह जुड़ा हुआ है। यदि कब्जा ले लिया गया है, लेकिन केवल कुछ ही

लाभार्थियों को भुगतान कर दिया गया है, कोई चूक नहीं हुई है। भले ही किसी को भुगतान नहीं किया गया हो, एक बार कब्जा लेने के बाद कोई चूक नहीं होती है। मामले में

अधिकांश जोतों के संबंध में मुआवजा जमा नहीं किया गया है, कोई चूक नहीं है, लेकिन सभी लाभार्थियों को अधिक मुआवजे का पालन करना होगा। यह प्रावधान सभी के लिए समान व्यवहार प्रदान करता है, न केवल कुछ लोगों के लिए-और, वास्तव में, 1894 के अधिनियम की धारा 28ए के समान है-यदि भुगतान या जमा करने की बाध्यता का निर्वहन नहीं किया गया है और संदर्भ न्यायालय में भुगतान या जमा करके और यदि अनुमत हो, तो खजाने में दायित्व का निर्वहन करने के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं है।

धारा 24 (2) उस भूमि को बचाती है जो राज्य में निहित की गई है, एक बार जब अधिनिर्णय पारित हो जाता है और भूमि का कब्जा हो जाता है। हालाँकि, यदि अधिकांश भूमि मालिकों के संबंध में मुआवजा जमा नहीं किया गया है, तो किसी भी पुरस्कार में, सभी लाभार्थियों को निम्न के तहत अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए:

नया अधिनियम।

188. यह आग्रह किया गया कि धारा 24 (1) और 24 (2) विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 24 (1) मुआवजे से संबंधित है,

जबकि धारा 24 (2) अधिग्रहण की समाप्ति से संबंधित है।

हम इंदौर विकास प्राधिकरण v हैं। मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

प्रस्तुतिकरण स्वीकार करने में असमर्थ। धारा 24 (2) मुआवजे के भुगतान और कब्जा लेने से भी संबंधित है। धारा 24 (1) (ए) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, नए अधिनियम के तहत उच्च मुआवजा दिया जाएगा। धारा 24 (1) (बी) में जहां पुरस्कार दिया जाता है (नए अधिनियम के लागू होने के समय) आगे की कार्यवाही होगी धारा 24 (2) के अधीन रहते हुए, 1894 के

अधिनियम के प्रावधान ऐसे पुरस्कार पर लागू होंगे। इस प्रकार, धारा 24 (2) का मुख्य भाग मुआवजे के भुगतान से संबंधित है; साथ ही वह परंतुक जो सभी को अधिक मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करता है, धारा 24 (2) के संदर्भ में है और इसे हटाया नहीं जा सकता है और उपरोक्त परिस्थितियों में धारा 24 (1) (बी) में जोड़ा नहीं जा सकता है। अधिकांश भूमि स्वामित्व क्या होगी?

इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि एक ही भूखंड के अधिग्रहण के मामले में क्या अधिग्रहित किया गया है और यदि उसके संबंध में मुआवजा जमा नहीं किया गया है, तो यह बहुमत का गठन करेगा। बहुमत अधिग्रहण की गई हिस्सेदारी की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन क्या

अधिसूचना के तहत अधिग्रहित क्षेत्र के अनुसार बहुमत का गठन करता है।

189. धारा 24 (1) (ए) वहां संचालित होती है जहां लंबित अधिग्रहण कार्यवाही में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है; ऐसी स्थिति में नए अधिनियम के सभी प्रावधान।मुआवजे के निर्धारण से संबंधित अधिनियम लागू होगा। धारा 24 (1) (बी) तार्किक रूप से दूसरी स्थिति के साथ जारी है, यानी जहां पुरस्कार पारित किया गया है, और कहा गया है कि ऐसी स्थिति में, कार्यवाही जारी रहेगी।

1894 के अधिनियम के तहत जारी रखें। धारा 24 (2)-एक अपवाद के रूप में,

इसमें कहा गया है कि जहां कोई पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन कब्जा करने के लिए पांच साल या उससे अधिक समय से आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है, तो अधिग्रहण की अवधि समाप्त हो जाती है। यदि एक कदम उठाया गया है, तो परंतुक काम कर सकता है। समय ही सार है। यह समय-अंतराल के आधार पर है कि चूक प्रदान की जाती है और पांच साल के लिए भुगतान की चूक में, जैसा कि जमा करने में विफलता पर प्रदान किया गया है, अधिक मुआवजे का भुगतान किया जाना है। यह उस समय पर आधारित है-अधिक मुआवजे का पालन करना पड़ता है। यह केवल धारा 24 (2) के तहत बृहदान्त्र का उपयोग नहीं है, बल्कि धारा 24 (2) के बगल में परंतुक का स्थान है और धारा 24 (1) (बी) के नीचे नहीं है। इस प्रकार, परंतुक के स्थान में अधिक परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है, जब यह पूरी तरह से लागू हो।

धारा 24 (2) के प्रावधानों के अनुरूप। धारा 24 (2) पुरानी व्यवस्था को उसके संचालन के क्षेत्र के प्रभाव से पूरी तरह से मिटा देती है। के तहत

धारा 24 (1) (ए) में कहा गया है कि पुरानी व्यवस्था आंशिक रूप से समाप्त हो गई है क्योंकि अधिनिर्णय के चरण तक की सभी कार्यवाहियां संरक्षित हैं। 2013 के अधिनियम के लागू होने के बाद इस तरह की कार्यवाही में दिए गए पुरस्कार कोमुआवजे के निर्धारण के लिए इसके प्रावधानों को ध्यान में रखें। इस प्रकार, पुराने [2020] 3 एस. सी. आर. के तहत पुरस्कार के चरण तक की कार्यवाही को अंतिम माना जाता है।

एक्ट करें। धारा 24 (1) (बी) के तहत मामले में पुरानी व्यवस्था लागू होती है। परंतुक धारा 24 (2) के लिए एक अपवाद है और आंशिक रूप से पुरस्कार के बाद 5 साल या उससे अधिक के लिए चूक के मामले में उच्च मुआवजे के भुगतान के लिए नई व्यवस्था है।

पुन: में - प्रावधान के हिस्से के रूप में पढ़ा जाने वाला प्रावधान इसे जोड़ा गया है

190. एक परंतुक को खंड के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए -

जिसे जोड़ा जाता है। एक मुख्य प्रावधान में एक परंतुक जोड़ा जाता है जिससे वह जुड़ा होता है। ई अधिनियमक विस्तार नहि करैत अछि। यदि प्रावधान अधिनियमन भाग के प्रतिकूल है, तो परंतुक प्रबल नहीं हो सकता है। हालांकि बाद के अधिनियम के पूर्ण संदर्भ में। इसके स्थान पर विचार किया गया है, और निम्नलिखित निर्णयों में उद्देश्य पर विचार किया गया है। यह राजस्थान राज्य बनाम में देखा गया था। लीला जैन और अन्य 1 31:

" 14. . . . जहाँ तक एक के निर्माण के सामान्य सिद्धांत के रूप में

परंतुक का संबंध है, यह व्यापक रूप से कहा गया है कि

परंतुक का कार्य धारा के मुख्य भाग को सीमित करना है।

और कुछ नक्काशी करें जो परंतुक के लिए होगा

ऑपरेटिव भाग के भीतर था।

(जोर दिया गया)

इसी तरह, बिक्री-कर अधिकारी, सर्कल 1, जबलपुर बनाम में यह अदालत।

हनुमान प्रसाद 132 ने कहा है:

" 5. ..... यह सर्वविदित है कि एक परंतुक जोड़ा जाता है

मुख्य खंड मुख्य रूप से बाहर निकालने के उद्देश्य के साथ

उस मुख्य खंड का दायरा इसमें क्या शामिल है और क्या

विधायिका की इच्छाओं को बाहर रखा जाना चाहिए। .....

(जोर दिया गया)

वाणिज्यिक कर आयुक्त, राजस्व बोर्ड,

मद्रास और अन्र। वी. रामकिशन श्रीकिशन झवेर आदि 33 यह मनाया गया:

" 8. आम तौर पर, यह सच है कि परंतुक एक है

खंड के मुख्य भाग के लिए अपवाद; लेकिन यह मान्यता प्राप्त हैकि असाधारण मामलों में एक परंतुक एक मूल हो सकता है

स्वयं प्रावधान करें।

(जोर दिया गया)

131 1965 (1) एससीआर 276

132 1967 (1) एससीआर 831 133 आकाशवाणी (1968) एससी 59

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

191. एस. सुंदरम पिल्लई और ओआरएस में। वी. वी. आर. पट्टाबीरमन और 4, एक परंतुक का दायरा स्पष्ट किया गया था। प्रासंगिक चर्चा यह है कि एड निम्नानुसार है:

" 27. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि किसी परंतुक का दायरा क्या है और किसी परंतुक या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के लिए स्पष्टीकरण का दायरा क्या है। हम सबसे पहले परंतुक की प्रकृति, दायरे और विस्तार के सवाल पर विचार करेंगे। अच्छी तरह से स्थापित नियम परंतुक की व्याख्या यह है कि एक परंतुक के तीन अलग-अलग कार्य हो सकते हैं। आम तौर पर, एक परंतुक मुख्य अधिनियम के भीतर किसी चीज़ के लिए एक अपवाद या उसमें अधिनियमित किसी चीज़ को अर्हता प्राप्त करने के लिए होता है जो परंतुक के लिए अधिनियम के दायरे में होगा। दूसरे शब्दों में, किसी परंतुक को मुख्य अधिनियम से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही इसका उपयोग मुख्य अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को रद्द करने या शून्य करने के लिए किया जा सकता है।

***

" 29. कार्यों और कानूनों के निर्माण में बाधाएं (5 वीं संस्करण)

एक परंतुक के दायरे का उल्लेख करते हुए उल्लेख किया गया है

निम्नलिखित सामग्री:

" पी. 317. प्रावधान-ये अपवाद के खंड हैं या

किसी अधिनियम में योग्यता, जिसमें से कुछ को छोड़कर, या कुछ में अर्हता प्राप्त करना, अधिनियम जो, लेकिन के लिए

परंतुक, इसके भीतर होगा।

पी. 318. यद्यपि एक परंतुक के रूप में तैयार किया गया है, ऐसे खंड का असाधारण रूप से एक मूल अधिनियम का प्रभाव हो सकता है। 30. पृष्ठ 294-295 पर क़ानूनों की व्याख्या में सारथी ने एक परंतुक के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को एकत्र किया है:

(क) जब किसी को किसी धारा के लिए कोई परंतुक मिलता है तो स्वाभाविक धारणा यह होती है कि परंतुक के लिए, धारा के अधिनियमित करने वाले भाग में इस धारा का विषय शामिल होता।

प्रावधान।

(ख) एक परंतुक का अर्थ इसके संदर्भ में लगाया जाना चाहिए -

खंड के पूर्ववर्ती भाग जिनसे इसे जोड़ा गया है।

(ग) जहां परंतुक सीधे किसी धारा के प्रतिकूल है, वहां परंतुक खड़ा रहेगा और धारा का निरसन माना जाएगा क्योंकि परंतुक निर्माताओं के बाद के इरादे को बताता है।

(घ) जहाँ धारा संदिग्ध है, वहाँ एक परंतुक का उपयोग किया जा सकता है

इसकी व्याख्या के लिए मार्गदर्शन: लेकिन जब यह स्पष्ट होता है, तो एक परंतुक उन शब्दों के अस्तित्व का संकेत नहीं दे सकता है जिनका कोई निशान नहीं है अनुभाग।

(ङ) परंतुक मुख्य धारा के अधीन है।

(च) एक परंतुक बाध्यकारी कारणों को छोड़कर किसी अधिनियम को विस्तारित नहीं करता है।

(छ) कभी-कभी एक अनावश्यक परंतुक प्रचुर सावधानी के माध्यम से डाला जाता है।

(ज) एक प्रावधान पर रखा गया एक निर्माण जो इसे धारा की शर्तों के साथ सामान्य सामंजस्य में लाता है, प्रबल होना चाहिए।

(i) जब कोई परंतुक अधिनियमित करने वाले भाग के प्रतिकूल होता है, तो परंतुक बाद के अधिनियम की पूर्ण शर्तों पर प्रबल नहीं होगा, जिसे पहले वाले के पूरक के रूप में पढ़ने का निर्देश दिया गया है।

(जे) एक परंतुक में कभी-कभी एक ठोस प्रावधान हो सकता है।

***

35. लॉर्ड लॉरबर्न ने रोंडा शहरी जिला परिषद बनाम में एक प्रावधान का बहुत ही उपयुक्त विवरण और विस्तार दिया था। टाफ वेल रेलवे कं., 1909 एसी 253, जहां यह बताया गया था कि ड्राफ्ट्समैन द्वारा एक परंतुक को सम्मिलित करने का हमेशा इसके वैध उपयोग के लिए सख्ती से पालन नहीं किया जाता है और कभी-कभी एक परंतुक के रूप में शब्दबद्ध एक खंड पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक नया सार हो सकता है।

अधिनियम को जोड़ना और न केवल कुछ को छोड़कर या जो पहले होता है उसे योग्य बनाना। उसी प्रभाव के लिए जेनिंग्स बनाम में उसी न्यायालय का बाद का निर्णय है। केली, 1940 ए. सी. 206, जहाँ इसे इस प्रकार देखा गया:

" अब हमें परंतुक पर आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड के निर्माण में, यह पूरा है। इसे पढ़ा जाना चाहिए और यदि संभव हो तो इसके हर हिस्से को एक सुसंगत अर्थ दिया जाना चाहिए। शब्द इस प्रकार हैं: ..... बशर्ते कि ऐसा लाइसेंस

केवल उस वार्ड या जिला निर्वाचन प्रभाग में स्थित परिसरों के लिए अनुदान दिया जाएगा जिसमें जनसंख्या में ऐसी वृद्धि का विकास प्राधिकरण है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

हुआ। 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि शब्द' ऐसे हैं

जनसंख्या में वृद्धि "से कम नहीं की वृद्धि को संदर्भित करता है

25 प्रारंभिक शब्दों में उल्लिखित जनसंख्या का प्रतिशतखंड से।

36. परंतुक की व्याख्या करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि

सामान्य अधिनियम से विशेष मामलों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है और

उनके लिए अलग से व्यवस्था करें।

37. संक्षेप में, आम तौर पर, एक परंतुक का उद्देश्य सीमित करना है

अधिनियमित प्रावधान ताकि कुछ को छोड़कर जो

अन्यथा इसके भीतर या कुछ हद तक संशोधित करने के लिए रहे हैं

मुख्य प्रावधान में और इसका एक अभिन्न अंग बन जाता है ताकिस्वयं एक मूल प्रावधान के बराबर होना।

***

43. हमें इस पर अधिकारियों के बाद अधिकारियों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है।

क्योंकि कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है और

स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से स्थापित। संक्षेप में, एक परंतुक काम कर सकता है

चार विभिन्न उद्देश्य:

(1) मुख्य से कुछ प्रावधानों को अर्हता प्राप्त करना या छोड़ना

अधिनियम: (2) यह इरादे की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है।

कुछ अनिवार्य शर्तों पर जोर देकर अधिनियम का

अधिनियम को व्यवहार्य बनाने के लिए पूरा किया जाना:

(3) यह अधिनियम में ही इस तरह से अंतर्निहित हो सकता है कि एक

अधिनियम का अभिन्न अंग और इस प्रकार अवधि प्राप्त करता है और

मूल अधिनियम का ही रंग; और(4) इसका उपयोग केवल एक वैकल्पिक परिशिष्ट के रूप में किया जा सकता है

वास्तविक उद्देश्य को समझाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियम

वैधानिक प्रावधान।

(जोर दिया गया)

192. कानून पर क्रेज़, 7 वीं संस्करण।, देखा है, सम्मान के साथ

इस प्रकार प्रावधानों का निर्माण:

" एक अपवाद या योग्यता परंतुक का प्रभाव, अनुसार

निर्माण के सामान्य नियमों के अनुसार, [2020] 3 एस. सी. आर. को छोड़कर।

अधिनियम के पूर्ववर्ती भाग, या कुछ अर्हता प्राप्त करने के लिए

उसमें अधिनियमित किया गया, जो परंतुक के लिए इसके भीतर होगा;

और इस तरह के परंतुक को दायरा बढ़ाने के रूप में नहीं माना जा सकता है

एक अधिनियम का जब इसका निष्पक्ष और उचित रूप से अर्थ लगाया जा सकता है उस प्रभाव का श्रेय दिए बिना "।

(जोर दिया गया)

आर. वी. डिब्डिन, 1910 पी 57 (सी. ए.), निम्नानुसार अभिनिर्धारित है:

" व्याख्या की प्रस्तावित विधि की भ्रांति है

खोजने के लिए दूर नहीं। यह मूल नियम के खिलाफ पाप करता है निर्माण कि एक परंतुक पर संबंध के साथ विचार किया जाना चाहिए

मुख्य मामले के लिए जिसके लिए यह एक परंतुक के रूप में खड़ा है। यह.इसके बजाय इसे एक स्वतंत्र अधिनियमन खंड के रूप में माना जाता है।

मुख्य अधिनियम पर निर्भर होना। अदालतें हैं। तर्कों द्वारा गुमराह होने से इनकार कर दिया जैसे कि जो

हमें संबोधित किया गया है, जो पूरी तरह से लेने पर निर्भर करता है

शब्दों को पूरी तरह से उनके सख्त शाब्दिक अर्थों में, उपेक्षा करते हुए

मौलिक विचार कि वे दिखाई दे रहे हैं

प्रावधान "।

(जोर दिया गया)

193. ईश्वरलाल ठाकुरलाल अल्मौला बनाम। मोतीभाई नागजीभाई 1 35,

एक परंतुक के प्रभाव पर विचार किया और कहा कि इसका कार्य है "को छोड़कर

या मूल खंड में अधिनियमित किसी चीज़ को अर्हता प्राप्त करता है, जो लेकिन

क्योंकि परंतुक उस खंड के भीतर होगा। आमतौर पर किसी परंतुक का अर्थ लगाने में यह माना जा सकता है कि यह अभिप्रेत था कि धारा के अधिनियमित करने वाले भाग में विषय-वस्तु शामिल होती।

हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्मचारीयूनियन और ए. एन. आर. 136 और नीचे उल्लिखित अन्य निर्णय। 137 सुभाषचंद्र में

योगराज सिन्हा (ऊपर) ने देखा कि:

135 1966 (1) एससीआर 367136 (2004) 1 एस. सी. सी. 574

137 शिम्बू और अन्र। वी. हरियाणा राज्य (2014) 13 एस. सी. सी. 318; केदारनाथ जूट

विनिर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य। , 1965 (3) एससीआर 626। शाह भोजराज कुवेरजी ऑयल मिल्स एंड जिनिंग फैक्ट्री बनाम। सुभाष चंद्र योगराज सिन्हा,

ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1596; द्वारका प्रसाद बनाम द्वारका दास सराफ, 1976 (1) एस. सी. सी. 128; आय-कर आयुक्त, मैसूर, त्रावणकोर-कोच्चि और कुर्ग, बैंगलोर बनाम।

इंडो मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड, 1959 (पूरक 2) एससीआर 256 रोमेश कुमार शर्मा बनाम।

भारत संघ और ओआरएस। , (2006) 6 एससीसी 510।

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

“ (9) प्रावधानों के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित और अच्छी तरह से बनाया गया है।

समझ में आया। एक सामान्य नियम के रूप में, एक परंतुक जोड़ा जाता है

में जो है उसके लिए अर्हता प्राप्त करने या अपवाद बनाने के लिए अधिनियम अधिनियम, और आम तौर पर, एक परंतुक के रूप में व्याख्या नहीं की जाती है

एक सामान्य नियम बताते हुए। लेकिन, प्रावधान अक्सर इस रूप में नहीं जोड़े जाते हैं

मुख्य अधिनियम के लिए अपवाद या योग्यता लेकिन के रूप में

अधिनियम की धारा 50 निरसन के प्रभाव से संबंधित है। द. धारा के मूल भाग ने दो अधिनियमों को निरस्त कर दिया जो थे -

बॉम्बे राज्य में लागू। अगर कुछ और नहीं होता

कहा, बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 7 में होगा

लागू किया गया, और सभी लंबित मुकदमे और कार्यवाही होगी

पुराने कानून के तहत जारी रखा, जैसे कि निरसन अधिनियम नहीं था

पारित किया गया। परंतुक का प्रभाव मामले को लेना था

बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 7 और

विशेष बचत की व्यवस्था करें। इसका उपयोग निर्णय लेने के लिए नहीं किया जा सकता है।

कि अधिनियमों को समझने के लिए बचत खंडों का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। ये अधिनियमों में खंड पेश किए जाते हैं जो दूसरों को निरस्त करते हैं,

उन अधिकारों की रक्षा करें जो बचत के लिए खो जाएँगे।

यहाँ परंतुक लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों को बचाता है, और

आगे यह अधिनियमित करता है कि तब लंबित मुकदमे और कार्यवाहियां

अधिनियम में निर्दिष्ट न्यायालयों को हस्तांतरित किया जाए और वे हैं -

अधिनियम और इसके किसी भी या सभी प्रावधानों के तहत जारी रखें

उन पर कानून लागू होना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी

यह तर्क देता है कि परंतुक द्वारा अधिनियमित बचत खंड, यहां तक कि

यदि मूल कानून के रूप में माना जाता है, तो इसे केवल लागू करने के लिए लिया जाना चाहिए

निरसन के समय लंबित मुकदमे और कार्यवाहियां जो,

लेकिन परंतुक के लिए, निरस्त अधिनियम द्वारा शासित होगा।

विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, का प्रभाव

बचत बहुत व्यापक है, और यह आने वाले मामलों पर लागू होती है।

परंतुक के शब्दों में, जब भी अधिनियम का विस्तार किया जाता हैनए क्षेत्रों में।"

(जोर दिया गया)

194. मोतीराम घेलाभाई बनाम। जगन नगर और अन्य 138 1 3 8, दृश्य

भोजराज (ऊपर) में पुष्टि की गई और लागू किया गया। यह देखा गया

कि प्रावधानों को अक्सर मुख्य अधिनियम में अपवाद या योग्यता के रूप में नहीं बल्कि बचत खंड के रूप में जोड़ा जाता है, जिस स्थिति में उन्हें धारा द्वारा नियंत्रित नहीं माना जाएगा। मधु गोपाल बनाम। VI अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अन्य। 139 इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि किसी भी स्थिति में, यह निर्माण का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि जब तक स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया जाता है, तब तक एक परंतुक धारा या उप-धारा द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को नहीं छीन लेगा। द किंग वी. डोमिनियन इंजीनियरिंग कं. Ltd.[1]40, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां एक अधिनियम के एक खंड में दो प्रावधान हैं और दूसरा परंतुक किसी भी तरह से पहले के प्रतिकूल है, दूसरा परंतुक प्रबल होना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम में अंतिम स्थान पर है और निर्माताओं के अंतिम इरादे को बताता है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

" (7) परंतुक 2 प्रसव के मामले में मुख्य अधिनियम को परंतुक 1 से कम नहीं करता है और यह स्वयं परंतुक 1 को भी योग्य बनाता है। क्योंकि यह "आगे" प्रदान करता है कि "किसी भी मामले में जहां माल की भौतिक डिलीवरी नहीं है", कर होना चाहिए

देय जब माल में संपत्ति को जाता हैखरीदार। इस प्रकार जहां कोई भौतिक प्रसव नहीं होता है

परंतुक 1 द्वारा प्रस्तुत काल्पनिक वितरण प्रस्तुत किया जाता है। अप्रयोज्य। क्रोध जे. परंतुक 2 में एक विकल्प पाया गया

क्राउन के खिलाफ उनके फैसले के लिए आधार और यह सर्वोच्च न्यायालय में हडसन जे. के फैसले का मुख्य आधार है। में।

उनके प्रभुओं का दृष्टिकोण यह परंतुक एक अपरिवर्तनीय प्रस्तुत करता है

क्राउन के दावे में बाधा। डोमिनियन कंपनी द्वारा पल्प कंपनी को माल की कोई भौतिक डिलीवरी नहीं की गई है। परंतुक यह अधिनियमित करता है कि "किसी भी मामले में" जहां भौतिक वितरण नहीं हुआ है, संपत्ति के गुजर जाने पर कर का भुगतान किया जाना है। विचाराधीन माल में संपत्ति

कभी भी पल्प कंपनी के पास नहीं गया है। नतीजतन,

कर कभी देय नहीं हुआ है। यदि परंतुक 2 किसी भी तरह से परंतुक 1 के प्रतिकूल है तो यह प्रबल होना चाहिए क्योंकि यह इस मामले में अंतिम स्थान पर है।

अधिनियम और इसलिए लॉर्ड टेंटरडेन सी. जे. को उद्धृत करने के लिए, "निर्माता के अंतिम इरादे को बताता है" ((1831), 2 बी. और एड। 818 पी पर। 821) . शब्द प्रत्यर्थी, डोमिनियन कंपनी के साथ है, और

विजय प्राप्त करनी चाहिए। "

139 1988 (4) एस. सी. सी. 644 14 0 एयर (34) 1947 पी. सी. 94 इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

195. इस प्रकार परंतुक धारा 24 (2) के तहत दिए जाने वाले मुआवजे के लिए विदेशी नहीं है। यह धारा 24 (2) में जो बताया गया है उसका प्रावधान करता है और अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाता है, और उच्च मुआवजे का प्रावधान करता है,जहाँ अधिग्रहण कार्यवाहियों की कोई समाप्ति नहीं है और नहीं हो सकती है। निर्माण का नियम-जैसा कि चर्चा की गई पूर्ववर्ती मामले की कानून से स्पष्ट है, यह है कि परंतुक अपने संचालन में एक खंड में विषय-वस्तु तक सीमित होना चाहिए। एक परंतुक आम तौर पर एक परंतुक होता है और इसका प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। हमारी राय में, जब हम धारा 24 (2) में 'या' के रूप में 'न' शब्द की व्याख्या करते हैं, तो परंतुक का धारा 24 (2) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से अर्थ लगाया जा सकता है, न कि धारा 24 (1) (बी) के साथ।

196. उपरोक्त निर्णयों में अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि परंतुक निम्नलिखित प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है:

धारा 24 (1) (बी) और न ही यह अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को शून्य कर सकता है, लेकिन यह उच्च मुआवजा प्रदान करके आगे बढ़ सकता है, इस प्रकारधारा 24 (2) के मामले। इसलिए, प्रभावी रूप से, जहां अधिनिर्णय नहीं किया जाता है [धारा 24 (1) (ए)] साथ ही जहां अधिनिर्णय किया जाता है, लेकिन अधिसूचना में अधिकांश भूमि मालिकों के संबंध में मुआवजा जमा नहीं किया जाता है।

(अधिग्रहण के लिए) [यानी धारा 24 (2) का प्रावधान] मुआवजा नए अधिनियम, यानी 2013 के अधिनियम के संदर्भ में देय है।

197. उपरोक्त कारणों से, परंतुक की नियुक्ति पर विचार करते हुए, धारा 24 (2) के अंत में अर्ध-बृहदान्त्र का उपयोग किया गया है, धारा 24 (1) (बी) की व्याख्या और उस परंतुक को हटाने की स्थिति में होने वाली अस्वीकृति पर विचार करते हुए जो अनुज्ञेय नहीं है और विशेष रूप से जब हम धारा 24 (2) में 'या' के रूप में 'या' शब्द को पढ़ते हैं, तो इसे उस स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां विधायिका ने इसे विधिबद्ध किया है, इसे लागू नहीं किया गया है।

गलत तरीके से धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में रखा गया है लेकिन इसका उद्देश्य लाभकारी है

एक और सभी के लिए उच्च मुआवजे का परिणाम जहां कोई चूक नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार राशि जमा नहीं की गई है। अधिक मुआवजा है2013 के अधिनियम द्वारा विचार किया गया, जो इरादा पूरी तरह से नियुक्ति और व्याख्या द्वारा आगे बढ़ाया जाता है।

पुनः में - धारा 24 (2) में प्रयुक्त "भुगतान" और परंतुक में प्रयुक्त "जमा" शब्द का क्या अर्थ है -

धारा 24 (2)

198. इस मुद्दे से जुड़े सवाल हैं जैसे कि धारा 31 (1) के तहत भुगतान नहीं किए जाने का क्या परिणाम है और धारा 31 (2) के तहत जमा नहीं की गई राशि के क्या परिणाम हैं। द.

धारा 24 (2) का प्रावधान जब यह प्रावधान करता है कि मुआवजे में [2020] 3 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भुगतान किया गया है जहां पुरस्कार 5 साल या उससे अधिक समय पहले दिया गया है

2013 के अधिनियम की शुरुआत। इसके विपरीत, परंतुक में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है "एक पुरस्कार दिया गया है और अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा में जमा नहीं किया गया है।

लाभार्थियों का खाता "। हमें यह पता लगाना होगा कि 1894 के अधिनियम के तहत कब राशि जमा करने की आवश्यकता है और 1894 के अधिनियम के तहत भुगतान कैसे किया जाता है। 1894 के अधिनियम की धारा 31 के प्रावधान 'भुगतान' और 'जमा' शब्दों के अर्थ का पता लगाने के लिए धारा 24 (2) के प्रावधानों की व्याख्या की ओर आकर्षित हैं। धारा 31 (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि पुरस्कार पारित होने पर लाभार्थियों को मुआवजा दिया जाना है और कलेक्टर उन्हें इसका भुगतान करेंगे। भुगतान यह है कि केवल धारा 31 (1) में उपबंधित है। धारा 31 (1) में अभिव्यक्ति 'निविदा' और उन्हें भुगतान में 'जमा' शब्द शामिल नहीं हो सकता है।

199. 1894 के अधिनियम की धारा 31 (2) उस स्थिति में जमा से संबंधित है जब कलेक्टर को एक या अधिक द्वारा भुगतान करने से 'रोका' जाता है।

धारा 31 (2) में उल्लिखित आकस्मिकताएँ। जमा तब होता है जब कलेक्टर को भुगतान करने से रोका जाता है। यदि कलेक्टर को राशि प्राप्त करने से इनकार करने जैसी आकस्मिकताओं के कारण भुगतान करने से रोका जाता है, या यदि भूमि को अलग करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है, या यदि मुआवजे को प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के बारे में या इसके विभाजन के बारे में कोई विवाद है, तो वह (यानी कलेक्टर) इसे रोक सकता है या यदि विभाजन के बारे में विवाद है, तो वह पक्षों से संदर्भ न्यायालय यानी दीवानी अदालत से निर्णय लेने और स्वामित्व को समाप्त करने के लिए कह सकता है। ऐसी अनिवार्यताओं में, मुआवजे की राशि अदालत में जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए धारा 18 के तहत निर्देश प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 31 (2) धारा 18 के तहत संदर्भ के मामले में जमा की अपेक्षा करती है और

संदर्भ नहीं, जो 1894 के अधिनियम की धारा 30 या धारा 28ए के तहत मांगा जा सकता है।

धारा 31 (1) के तहत प्रस्तावित/निविदा, अधिग्रहण प्राधिकारी को भुगतान न करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया है भूमि मालिक और कलेक्टर द्वारा स्वीकार करने से इनकार करने पर भुगतान करने से रोक लगा दी जाती है। इस प्रकार, धारा 24 (2) में प्रयुक्त 'भुगतान' शब्द को धारा 31 (2) के तहत इसके केन 'जमा' में शामिल नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए धारा 24 (2), इंदौर विकास प्राधिकरण v के परंतुक में विशेष प्रावधान बनाया गया है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

विधायिका जैसा कि ऊपर माना गया है। क्षतिपूर्ति जमा न करने के दो अलग-अलग परिणाम हैं: (i) ऐसे मामले में अधिक मुआवजा जहां कब्जा ले लिया गया है, कुछ को भुगतान किया गया है और अधिकांश जोतों के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है, (ii) यदि कोई चूक नहीं होती है, तो लाभार्थी पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से धारा 34 के तहत परिकल्पित ब्याज के हकदार होंगे।202. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में "पेड" शब्द का अर्थ इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" भुगतान किए गए पिछले और पिछले वेतन "; एक राशि दें

इस प्रकार स्वामित्व "।

कैम्ब्रिज अंग्रेजी शब्दकोश, "भुगतान" को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

" किसी चीज़ के लिए पैसे दिए जा रहे हैं।

पी. रामनाथ अय्यर का एडवांस लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण, 2005,

"भुगतान" की निम्नलिखित परिभाषा का उपयोग करता है:

" लागू किया गया; तय किया गया: संतुष्ट।

203. भूमि मालिक को धारा 31 (1) में "भुगतान" शब्द अदालत में "जमा" अभिव्यक्ति को इसके दायरे में शामिल नहीं कर सकता है। जमा नहीं कर सकते

कहा जाए कि यह भूमि मालिकों को किया गया भुगतान है। जमा को भुगतान से रोका जा रहा है। हालाँकि, यदि उस राशि की निविदा है जोअर्थ राशि भूमि मालिक को उपलब्ध कराई जाती है जो भुगतान करने के दायित्व का निर्वहन होगा और उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने में चूक के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। में।

अदालत में जमा करने में चूक, देयता ब्याज [2020] 3 एस. सी. आर. का भुगतान करना है।

1894 के अधिनियम की धारा 34 के तहत। धारा 32 और 33 (जिन पर भूमि मालिकों के वकील ने यह कहने के लिए भरोसा किया था कि अदालत में जमा करने की स्थिति में, इस प्रकार धारा 31 के तहत जमा करना अनिवार्य है) सरकारी प्रतिभूतियों में राशि निवेश करने या मुआवजे आदि के बदले वैकल्पिक भूमि की मांग करने का प्रावधान करती है। ऐसी जमाओं पर 15 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं मिल सकता है।

धारा 34, जो 2013 के अधिनियम की धारा 80 के समान है। धारा 34 2013 के अधिनियम की धारा 80 के समान है जिसमें ब्याज की समान दर भी निर्दिष्ट की गई है। भले ही राशि संदर्भ न्यायालय में जमा नहीं की गई हो और न ही खजाने में उस इच्छुक व्यक्ति के नाम के विपरीत जो इसे प्राप्त करने का हकदार है, यदि कलेक्टर को धारा 31 (2) में प्रदान की गई आवश्यकताओं के कारण भुगतान करने से रोका गया है, तो ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि जमा राशि इच्छुक व्यक्ति को दिए बिना की जाती है, तो धारा 34 के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व,

जारी रहेगा। यह मानते हुए भी कि संदर्भ न्यायालय में जमा को अनिवार्य माना जाता है, उस मामले में भी धारा 34 में निर्दिष्ट ब्याज का पालन करना पड़ता है। हालांकि, जमा न होने के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकती है।

204. "जमा" की अवधारणा अलग है और "भुगतान" शब्द से काफी अलग है, जिसके कारण 2013 के अधिनियम की धारा 24 में चूक का प्रावधान किया गया है। अधिकांश भूमि स्वामित्वों के लिए जमा न करने के मामले में, उच्च मुआवजे का पालन किया जाएगा क्योंकि इस तरह का शब्द "भुगतान" इसके दायरे में "जमा" शब्द को शामिल नहीं कर सकता है। अन्यथा धारण करना इसके विपरीत होगा

धारा 24 (2) में निहित प्रावधान और इसके विभिन्न परिणामों वाले परंतुक। यह 1894 के अधिनियम की धारा 34 में प्रदान किया गया है, यदि भुगतान निविदा या भुगतान नहीं किया गया है, और न ही जमा किए गए ब्याज का भुगतान किया जाना है।

जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है। धारा 24 (2) में भी चूक का प्रावधान किया गया है यदि राशि का भुगतान नहीं किया गया है और कब्जा नहीं लिया गया है।

205. हमारी सुविचारित राय में, जमा करने की बाध्यता का उल्लंघन है, भले ही यह राशि संदर्भ में जमा करने के लिए ली गई हो।

अदालत को धारा 31 (2) में दिए गए भुगतान से रोका जा रहा है। चूक का निष्कर्षित कार्यवाही को फिर से खोलने का प्रभाव नहीं होगा। जमा करने में विफलता पर 1893 से 2013 तक जो कानूनी स्थिति और परिणाम था, वह केवल ब्याज के लिए दायित्व था और उन सभी लेनदेनों को धारा 24 में निहित

प्रावधानों द्वारा कभी भी अमान्य करने की मांग नहीं की गई थी। यह केवल उस मामले में है जहां एक लंबित है पाँच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्यवाही करते हुए, कब्जा लेने और मुआवजे के भुगतान के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं, तो धारा 24 (2) के तहत चूक होती है। यदि राशि इंदौर विकास प्राधिकरण में जमा नहीं की गई है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में, उच्च मुआवजे का पालन करना होगा। चूक और उच्च मुआवजा दोनों 5 साल या उससे अधिक की अवधि की शर्त के साथ योग्य हैं।

206. यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल राशि की निविदा भुगतान नहीं है।

स्वीकार की गई राशि गैर-भुगतान का लाभ उठाना चाहती है, हालांकि राशि उसके अपने कार्य के कारण बनी हुई है। उसके लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि उसे राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जब भुगतान का प्रस्ताव दिया गया है लेकिन जमा नहीं किया गया है, ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने का दायित्व बना रहता है और यदि अधिकांश हिस्सेदारी के लिए जमा नहीं किया जाता है, तो इसके लिए धारा 24 (2) के परंतुक में भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। धारा 77 और 80 में 2013 के अधिनियम की योजना भी वही है जो 1894 के अधिनियम की धारा 31 और 34 में प्रदान की गई थी।207. यह आग्रह किया गया कि भूमि मालिक ब्याज वाले खाते में निवेश की मांग कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1894 के अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत अदालत से निवेश की मांग की जा सकती है, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज एक वर्ष के लिए कब्जा करने की तारीख से 9 प्रतिशत की दर से और उसके बाद 15 प्रतिशत की दर से धारा 34 में प्रदान की गई दर से अधिक नहीं है। हम इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान देते हैं कि 1894 के अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत निवेश की जा रही राशि पर ब्याज की कोई अन्य सरकारी प्रतिभूति दर अधिक नहीं है। भूमि मालिकों के लाभ के लिए धारा 34 के तहत उच्च ब्याज दर उपलब्ध है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि राशि अदालत में जमा की जाती है, तो यह लाभार्थी की ओर से होती है। जमा करने में उस प्रपत्र की अनदेखी की जाती है जिसमें इसे खजाने में जमा किया जाता था, उस राशि को भूमि विवरण, पुरस्कार की तारीख आदि के साथ लाभार्थी को उसके नाम पर निर्दिष्ट देय खजाने में भी जमा किया जाता है।

208. एक और कारण है कि इस अदालत का मानना है कि इस तरह की व्याख्या उचित और संसदीय इरादे के अनुरूप है। पुरानी व्यवस्था के तहत, कलेक्टर के लिए पुरस्कार की घोषणा और निविदा भुगतान के लिए एक सुविधाजनक तिथि या तिथियां तय करना खुला था। भूमि स्वामी द्वारा प्राप्त करने से इनकार करने की स्थिति में, या अन्य मामलों में, जैसे कि वास्तविक मालिक की अनुपस्थिति, या इस विवाद के मामले में कि इसे किसे प्राप्त करना था, इसमें कोई संदेह नहीं है, कानून में प्रावधान किया गया था कि

राशि अदालत में जमा की जानी थी: जैसा कि आज भी धारा 77 के तहत होता है। फिर भी, न तो उस समय के दौरान [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब 1894 का अधिनियम लागू था और न ही 2013 के अधिनियम के तहत, पूरा अधिग्रहण अदालत में मुआवजे की राशि जमा न करने पर समाप्त नहीं होता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर पिछले किसी भी निर्णय ने ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार, यह कहना गलत होगा कि [अदालत में, धारा 31 (2) के तहत] मुआवजा जमा करने में विफलता का अर्थ होगा व्यपगत, यदि 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस तरह की व्याख्या से किसी प्रावधान का पूर्वव्यापी संचालन होगा, और एक मानक या मानक लागू करके लंबे समय तक पूरी की गई अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा, और उस समय के लिए इसका उपयोग किया जाएगा जब यह मौजूद नहीं था।

209. यदि अभिव्यक्ति "जमा" को इसमें शामिल किया जाता है

2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "भुगतान", विसंगति और प्रतिकूलता परंतुक और मुख्य के बीच के कारण होगी।

उप-धारा, जिससे बचा जाना चाहिए और धारा 31 (2) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन घातक नहीं है। भले ही राशि जमा नहीं की गई हो, धारा 24 (2) के आपात प्रावधान में अधिक मुआवजे का पालन करना होगा।

210. ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "टेंडर" शब्द का प्रयोग किया गया है।

इसका अर्थ इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“ टेंडर, एन। (16(ग) 1. एक वैध और पर्याप्त प्रस्ताव

प्रदर्शन; विशिष्ट, धन का बिना शर्त प्रस्ताव याऋण या दायित्व को पूरा करने के लिए कार्य निष्पादन

वितरण। निविदा निविदा देने वाले पक्ष को एक से बचा सकती है

भुगतान न करने या गैर-निष्पादन के लिए जुर्माना या हो सकता है, यदि

अन्य पक्ष अनुचित रूप से निविदा को अस्वीकार कर देता है, दूसरे को रख देता है

डिफ़ॉल्ट। सी. एफ.

प्रस्ताव

में

पार्टी

कार्यक्षमता; संयोजन। ” 211. यह स्पष्ट है कि राशि की "निविदा" पार्टी को बचाती है।

राशि का भुगतान न करने पर मिलने वाले परिणाम से इसे प्रस्तुत करना। विभिन्न अन्य कानूनों और निर्णयों में भुगतान करने की बाध्यता पर विचार किया गया है। जब किसी विशेष अधिनियम के संदर्भ में योजना के संबंध में भुगतान का दायित्व पूरा किया जाता है, तो उस उद्देश्य के लिए, विभिन्न अन्य कानूनों के तहत निर्णय प्रासंगिक होते हैं और उन्हें अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है।

212. द स्ट्रॉ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, सहारनपुर

वी. गोबिंद 1 4 1, इस न्यायालय ने भुगतान की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर विचार किया

141 1962 (उदाहरण 3) एस. सी. आर. 318 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के तहत वेतन

डी निर्वहन या बर्खास्तगी। इस न्यायालय ने माना है कि नियोक्ता ने

मजदूरी और वह भुगतान के लिए राशि होगी, अन्यथा एक

आदमी लेने से इनकार करके प्रावधान को अव्यवहारिक बना सकता है

एस। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

“ (8) आइए अब हम परंतुक के शब्दों की ओर मुड़ें

हमने ऊपर जो कहा है उसकी पृष्ठभूमि। प्रावधान रखा गया है

कि किसी भी कर्मचारी को तब तक छुट्टी या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि

की गई कार्रवाई की मंजूरी के लिए कार्यवाही लंबित है नियोक्ता द्वारा। यह स्पष्ट होगा कि दो प्रकार के

दंड की सजा परंतुक की शर्तों के अधीन है,

अर्थात्, निर्वहन या बर्खास्तगी। किसी भी अन्य प्रकार का

सजा परंतुक के भीतर नहीं है। इसके अलावापरंतुक दो शर्तें निर्धारित करता है, अर्थात् (i) भुगतान

एक महीने के लिए मजदूरी और (ii) द्वारा आवेदन करना

उस प्राधिकारी को नियोक्ता जिसके समक्ष कार्यवाही की जाती है

की गई कार्रवाई की मंजूरी के लिए लंबित है। यह विवादित नहीं है

हमारे सामने कि जब परंतुक शर्तों को निर्धारित करता है

एक महीने के वेतन का भुगतान करने के लिए, वह सब जो नियोक्ता है

मजदूरी स्वीकार करें जो वह आगे नहीं आ सकता है और कहता है कि वहाँ नियोक्ता द्वारा उसे मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

कर्मचारी हमेशा इस खंड को अव्यवहारिक बना सकता हैवेतन लेने से इनकार करना। जहाँ तक दूसरी शर्त की बात है

आवेदन करने के बारे में, परंतुक

आवश्यकता है कि आवेदन अनुमोदन के लिए किया जाना चाहिएनियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई।

(जोर दिया गया)

213. दिल्ली परिवहन उपक्रम के प्रबंधन में v.

औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली और ए. एन. आर. 42, एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ

टी ने समान प्रभाव के लिए कानून निर्धारित किया है। यह वास्तविक भुगतान नहीं है,

लेकिन भुगतान करने के दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि की निविदा। यह

न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 4. ..... परंतुक का मतलब यह नहीं है कि एक महीने के लिए मजदूरी

वास्तव में भुगतान किया जाना चाहिए था, क्योंकि कई मामलों में

नियोक्ता केवल बर्खास्तगी से पहले राशि का भुगतान कर सकता है लेकिन

और मजदूरी का भुगतान निश्चित रूप से किया जाता अगर हरि चंद उनसे माँगा था। इसका पालन करने में कोई विफलता नहीं थी

इस संबंध में प्रावधान।

(जोर दिया गया)

214. इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड v. नारायण भौमिक 1 43, यह आयोजित किया गया था

कि "परंतुक में भुगतान के बारे में शर्त का मतलब यह नहीं है कि वास्तव में मजदूरी का भुगतान किया जाना है, लेकिन यदि मजदूरी की निविदा या पेशकश की जाती है, तो ऐसी निविदा या प्रस्ताव क़ानून का पर्याप्त अनुपालन होगा"। बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, लखनऊ/44, का निर्णय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 14 (2) (सी) के संदर्भ में किया गया था। यह देखा गया कि धारा के तहत "भुगतान" किया गया

16 समुदाय के सदस्य द्वारा लाभांश की वास्तविक प्राप्ति पर विचार नहीं करता है। इसे इसके हकदार सदस्यों के लिए बिना शर्त उपलब्ध कराया जाना है। यह इस प्रकार देखा गया:

" 5. ..... इस न्यायालय ने जे. डालमिया बनाम में टिप्पणी की। के आयुक्त

आय-कर, दिल्ली, 53 आई. टी. आर. 83 जिसमें "भुगतान" अभिव्यक्ति है।

धारा 16 (2) वास्तविक प्राप्ति पर विचार नहीं करती है। सदस्य द्वारा लाभांश: सामान्य तौर पर, लाभांश कहा जा सकता है

धारा 16 (2) के अर्थ के भीतर भुगतान किया जाए जब कंपनी

अपने दायित्व का निर्वहन करता है और लाभांश की राशि बनाता है। इसके हकदार सदस्य के लिए बिना शर्त उपलब्ध।

215. धारा 24 (2) में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है।

"भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग धारा 24 (2) में किया गया है और जबकि परंतुक में "जमा" का उपयोग किया गया है। भुगतान में "जमा" शामिल नहीं हो सकता है, अन्यथा संसद ने मुख्य रूप से अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया होगा। उप-धारा और उसका परंतुक, यदि अर्थ समान होना था। न्यायालय कानून में किसी भी शब्द को जोड़ या घटा नहीं सकता है और उसे देना होगा

143 (1968) 1 पीएलजेआर 94

144 (1969) 2 एस. सी. सी. 316 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ और जब धारा 24 (2) के तहत मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि मुआवजे को जमा नहीं किया गया है जैसा कि परंतुक में उपयोग किया गया है। वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, विधान में जोड़ या घटाव की अनुमति नहीं है। अदालत के लिए किसी भी शब्द को जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं है। वहाँ कोई प्रस्थान नहीं हो सकता हैकानून के शब्दों से, जैसा कि कानूनी उक्ति "ए वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रेसेडेन्डम" में देखा गया है। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों (14 वां संस्करण) में बहुत सारे निर्णयों का उल्लेख किया गया है। धारा 24 (2) में "जमा" शब्द को जानबूझकर हटा दिया गया है, जिसका उपयोग परंतुक में किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि संसद ने एक ही प्रावधान में एक ही अर्थ वाले अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया है, जबकि "भुगतान" और "जमा" शब्दों का अर्थ पूरी तरह से अलग है। भुगतान वास्तव में भूमि मालिक को किया जाता है और अदालत में जमा किया जाता है, जो कि भूमि मालिक को किया गया भुगतान नहीं है। यह ब्याज के भुगतान के दायित्व का निर्वहन हो सकता है और उससे अधिक नहीं। शाब्दिक निर्माण के नियम को लागू करने से "भुगतान" और "जमा" शब्दों का प्राकृतिक, साधारण और लोकप्रिय अर्थ भी एक ही अर्थ नहीं रखता है; उन्हें स्वाभाविक और व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए, जैसा कि न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह (पृष्ठ 91 पर) द्वारा सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों में इस प्रकार कहा गया है:

प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ। कानून के शब्दों को पहले उनके स्वाभाविक, साधारण या लोकप्रिय अर्थों में समझा जाता है और वाक्यांशों और वाक्यों को उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझा जाता है, जब तक कि यह कुछ बेतुका की ओर न ले जाए या जब तक कि संदर्भ में कुछ न हो, या कानून के उद्देश्य में इसके विपरीत सुझाव न हो। " प्रभु ब्रूघम के अनुसार, "सही तरीका यह है कि" विधानमंडल द्वारा दिए गए शब्दों को लेना, और उस अर्थ को लेना जो दिए गए शब्द स्वाभाविक रूप से इंगित करते हैं, जब तक कि उन शब्दों का निर्माण, या तो प्रस्तावना द्वारा या प्रश्न में शब्दों के संदर्भ द्वारा, नियंत्रित या परिवर्तित न हो "; और विस्कॉन्ट हाल्डेन, एल. सी. के शब्दों में, यदि उपयोग की गई भाषा का एक स्वाभाविक अर्थ है तो हम उस अर्थ से तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक कि क़ानून को समग्र रूप से नहीं पढ़ा जाता है, संदर्भ हमें ऐसा करने के लिए निर्देशित करता है। एक बार-बार उद्धृत अंश में, लॉर्ड वेन्सलेडेल ने कहा

नियम इस प्रकार है: " वसीयतों और वास्तव में कानूनों और सभी लिखित उपकरणों के अर्थ में, शब्द के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ का पालन किया जाता है, जब तक कि यह कुछ बेतुका, या बाकी उपकरण के साथ कुछ प्रतिकूलता या असंगतता का कारण न बने, जिस मामले में व्याकरणिक और साधारण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शब्दों के अर्थ को संशोधित किया जा सकता है, ताकि इससे बचा जा सके

बेतुका, और असंगतता, लेकिन आगे नहीं "। और कहा।

लॉर्ड एटकिन्सन: " क़ानूनों के निर्माण में, उनके शब्द

उनकी व्याख्या उनके सामान्य व्याकरणिक अर्थों में की जानी चाहिए जब तक किकानून के संदर्भ में या उसके उद्देश्य में कुछ है

जहाँ वे होते हैं या जिन परिस्थितियों में वे होते हैं

उपयोग किया गया, यह दिखाने के लिए कि उनका उपयोग एक विशेष अर्थ में किया गया था

व्याकरणिक

से

उनके

साधारण

भावना "।

28 विस्कॉन्ट साइमन, एल. सी. ने कहा: “ सुनहरा नियम यह है कि

कानून के शब्दों को प्रथम दृष्टया उनके सामान्य शब्द दिए जाने चाहिए।

जिस संदर्भ में शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसके लिए एक अलग संदर्भ की आवश्यकता होती है। जिसका अर्थ है "। इस तरह के अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता है

न्यायाधीश "नीति के बारे में अपने स्वयं के विचारों के प्रकाश में" हालांकि

वे एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपना सकते हैं यदि वे पा सकते हैं कानून को संपूर्ण या सामग्री के रूप में पढ़ा जाता है जिसके लिए वे हैं

कानून द्वारा किसी अभिव्यक्ति की व्याख्या के लिए सहायक के रूप में संदर्भित करने की अनुमति

संसद के उद्देश्य या नीति "। आधुनिक कथन के लिए

नियम के अनुसार, कोई लॉर्ड साइमन के भाषण का उल्लेख कर सकता है

ग्लेसडेल एक मामले में जहाँ उन्होंने कहा: " संसद सर्वोपरि है

एक अधिनियम में जो कहा गया है उसके अर्थ के साथ श्रेय दिया जाना

संसद से। विधानों का प्रारूपण, एक के लिए इतना महत्वपूर्ण

जो लोग कानून के शासन के तहत रहने की उम्मीद करते हैं, वे कभी नहीं होंगे

संतोषजनक जब तक कि अदालतें जब भी संभव हो आवेदन करने की मांग न करें

निर्माण का 'स्वर्णिम नियम', जो कि वैधानिक हैभाषा, व्याकरणिक और पारिभाषिक रूप से, सामान्य में

और प्राथमिक अर्थ जो इसके संदर्भ में बिना चूक या जोड़। बेशक, संसद को श्रेय दिया जाना चाहिए।

अच्छी समझ के साथ; ताकि जब इस तरह का दृष्टिकोण उत्पन्न हो

अन्याय, मूर्खता, विरोधाभास या वैधानिकता का अपमान उद्देश्य भाषा को पर्याप्त रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि इससे बचा जा सके

इस तरह के नुकसान, हालांकि आगे नहीं "। नियमों में कहा गया है

ऊपर सुप्रीम द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है अदालत "।

(जोर दिया गया)

216. एक ही काम यह भी नोट करता है कि जब दो अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ होती हैं

यदि किसी कानून के उसी प्रावधान में, एक धारणा है कि विकास प्राधिकरण v।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

एक ही अर्थ में उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित अंश पृष्ठ पर न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के प्रासंगिक सिद्धांत हैं।

" ..... जब एक ही विषय वस्तु के संबंध में, अलग

शब्दों का उपयोग एक ही कानून में किया जाता है, एक धारणा है कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में नहीं किया जाता है।

में होने वाले 'विशिष्ट मामलों' के शब्दों का अर्थ लगाने में मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 5 और यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इन शब्दों का वही अर्थ नहीं है जो धारा 6 में आने वाले 'अनुसूची I में दो या अधिक विवरण' शब्दों का है, वेंकटरामा अय्यर, जे. ने कहा: जब एक क़ानून में अलग-अलग महत्व के दो शब्दों का दो में उपयोग किया जाता है।

लगातार प्रावधानों को बनाए रखना मुश्किल होगा कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में किया जाए। इसी तरह, बॉम्बे की धारा 3 (एफ. एफ.) के तहत 'लाभ' शब्द का अर्थ लगाते हुए

नगर निगम अधिनियम, 1888, जिसमें इन शब्दों का उपयोग किया गया था ' लाभ या लाभ ', सर्वोच्च न्यायालय ने शब्दों के शब्दकोश अर्थों पर भरोसा करते हुए कहा कि' लाभ 'शब्द' लाभ 'शब्द का पर्याय नहीं है क्योंकि यह इन तक ही सीमित नहीं है -

आर्थिक या वाणिज्यिक लाभ, और यह कि कुछ गतिविधियों द्वारा अर्जित कोई भी लाभ या लाभ या मूल्यवर्धन 'लाभ' के बराबर होगा।

** 14 . ब्राइटन पैरिश गार्डियंस बनाम। स्ट्रैंड यूनियन

संरक्षक, (1891) 2 क्यू. बी. 156, पी. 167 (सीए); सदस्य, राजस्व बोर्ड बनाम। आर्थर पॉल बेंथल ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 35, पी. 38 : 1955 (2) एस. सी. आर. 842; सी. आई. टी. बनाम. ईस्ट वेस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट (पी.) लिमिटेड, जयपुर ए. आई. आर 1989 एस. सी. 836, पी. 838 : (1989) 1 एससीसी 760; बी. आर.

उद्यम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1867, पी. 1902 : (1999) 9 एस. सी. सी. 700 (अनुच्छेद 298 में 'व्यापार और व्यवसाय' का अर्थ अनुच्छेद 301 में 'व्यापार और वाणिज्य' से अलग है); श्रीशल

एलॉय स्टील्स लिमिटेड बनाम जयस्वालासनेको लिमिटेड, जे. टी. 2001 (3) एस. सी. 114, पी. 119 : (2001) 3 एससीसी 609: ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1161 (धारा 138 एन. आई. में 'एक बैंक' और 'बैंक' शब्द हैं। अधिनियम, 1881 का समान अर्थ नहीं है); द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. हंसराजभाई बनाम। कोडाला एयर 2001 एससी 1832, पी। 1842 : (2001) 5 एस. सी. सी. 175; कैलाश नाथ अग्रवाल बनाम प्रदेशिया उद्योग और आई. एन. वी. उत्तर प्रदेश निगम, 2003 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1358, पी. 1365 : (2003) 4 एससीसी 305, पी। 313. (शब्द 'आगे बढ़ना' और 'सूट' [2020] 3 एस. सी. आर.

एक ही खंड में उपयोग किया गया अलग तरह से समझा गया); लेकिन में

परमजीत सिंह पाठक बनाम। आईसीडीएस लिमिटेड, (2006) 13 एससीसी 322: ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 168 अलग दृष्टिकोण इसलिए जेनिथ स्टील ट्यूब बनाम में लिया गया था। सिकॉम लिमिटेड (2008) 1 एस. सी. सी. 533: ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 451 मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया; डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम हरियाणा राज्य, 2003 एयर एससीडब्ल्यू 1046, पी। 1057 : आकाशवाणी 2003 एससी 1648: (2003) 5 एस. सी. सी. 622 (अभिव्यक्ति 'अपनी कीमत पर' और 'अपनी कीमत पर,

अलग-अलग अर्थ दिए गए एक खंड में उपयोग किया गया) "

217. क्रॉफर्ड बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णयों में। स्पूनर 1 45 और हावर्ड डी वाल्डन बनाम। आई. आर. सी. और ए. एन. आर. 1 46 ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

" ..... हम विधायिका के किसी अधिनियम के दोषपूर्ण वाक्यांश की सहायता नहीं कर सकते हैं, हम जोड़ या सुधार नहीं कर सकते हैं और, निर्माण द्वारा, मेकअप

कमियाँ जो वहाँ रह जाती हैं।

किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ना निर्माण के सभी नियमों के विपरीत है जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हो। इसी तरह, यह गलत है

और कानून के शब्दों के लिए कुछ अन्य शब्दों को प्रतिस्थापित करके आगे बढ़ना खतरनाक है। संक्षेप में बोलते हुए अदालत बहुत अच्छे कारण से कानून को फिर से तैयार नहीं कर सकती है कि उसके पास नहीं है

कानून बनाने की शक्ति "।

218. वी. एल. एस. फाइनेंस लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहा कि:

" 17. आम तौर पर, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत चक्रवृद्धि होता है और अनुमति देने की शक्ति अदालत को उन अपराधों को छोड़कर प्रदान की जाती है जिनके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, गैर-अवरोधक खंड को देखते हुए, रचना की शक्ति

न्यायालय या कंपनी विधि बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। विधायिका ने कंपनी विधि बोर्ड को वही शक्ति प्रदान की है जो किसी भी अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि आपराधिक न्यायालय के पास कार्यवाही की स्थापना के समक्ष अपराध की संरचना के लिए अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है। विधायिका ने अपने विवेक में पूर्व अनुमति के सवार को नहीं रखा है

46) 6 मूर पीसी 1

48) 2 ए. ई. आर. 825 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

बोर्ड और यदि अपीलार्थी का तर्क स्वीकार किया जाता है, समान रूप से "पूर्व के साथ" शब्दों को जोड़ना होगा।

अधिनियम में न्यायालय की अनुमति, जो अनुज्ञेय नहीं है।

18. जैसा कि अच्छी तरह से तय किया गया है, एक के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए

कानून, अदालत शब्दों की अस्वीकृति या जोड़ से बचती है और

इसे प्राप्त करने के लिए केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसका सहारा लेंअधिनियम का उद्देश्य या उद्देश्यपूर्ण अर्थ देना। यह भी है

व्याख्या का एक प्रमुख नियम कि शब्द, वाक्यांश, और

वाक्यों को उनके स्वाभाविक, सरल और स्पष्ट दिए जाने चाहिए।

अर्थ। जब भाषा स्पष्ट और स्पष्ट होती है, तो यहएक सामान्य अर्थ में व्याख्या की जानी चाहिए, और कोई जोड़ या

उपयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों में परिवर्तन की अनुमति है। के रूप में

पूर्व में देखे गए, उपरोक्त अधिनियम को ध्यान में रखा गया थाअधिनियम के प्रशासन में नरमी की आवश्यकता क्योंकि

चूक की एक बड़ी संख्या तकनीकी प्रकृति की है, और कई

की जटिल प्रकृति के कारण चूक हुई

प्रावधान।

(जोर दिया गया)

219. भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। कैसर एल्यूमीनियम

निकेल सर्विसेज इंक. 147, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 65. श्री सोराबजी ने भी ठीक ही कहा है कि

डुपोर्ट स्टील्स लिमिटेड बनाम में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा किए गए अवलोकन।

सर, (1980) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 142। उपरोक्त निर्णय में सदन ने

लार्ड्स ने न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया

विधायिका के इरादे को समझने में अपील; यह है

यह देखा गया कि: (डब्ल्यूएलआर पी। 157 सी-डी)

‘ ..... न्यायपालिका की भूमिका का पता लगाने तक ही सीमित है

वे शब्द जिन्हें संसद ने अपनी अभिव्यक्ति के रूप में अनुमोदित किया है

वह इरादा क्या था, और उसे प्रभावी बनाने के लिए।

जहाँ वैधानिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट है और

अस्पष्टताएँ इसके मैदान को प्रभावी बनाने में विफल रहने के बहाने के रूप मेंइसका अर्थ यह है कि वे स्वयं मानते हैं कि

ऐसा करने के परिणाम अनावश्यक होंगे, या यहाँ तक कि

अन्यायपूर्ण या अनैतिक। विवादास्पद मामलों में जैसे कि

12) 9 एससीसी 552 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

औद्योगिक संबंधों में शामिल, मतभेदों के लिए जगह है

नैतिक रूप से न्यायसंगत। हमारे संविधान के तहत यह संसद का है।इन मामलों पर राय जो सर्वोपरि है।

(जोर दिया गया)

उसी निर्णय में आगे यह कहा गया है: (डब्ल्यूएलआर पी। 157 एफ)

" ..... लेकिन अगर ऐसा है तो यह संसद के लिए है, संसद के लिए नहीं।

न्यायपालिका, यह तय करने के लिए कि अधिनियमों में बताए गए कानून में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं।

(जोर दिया गया)

***

67. हम विद्वानों के समर्पण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

अपीलार्थियों के लिए परामर्श कि "केवल" शब्द का लोप

धारा 2 (2) से संकेत मिलता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग 1 की प्रयोज्यता भारत में होने वाले मध्यस्थता तक सीमित नहीं है। हम उस धारा को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

2 (2) भाग I को मध्यस्थताओं पर भी लागू करेगा जोयह भारत के बाहर होता है। हमारी राय में, एक सादा पठन

धारा 2 (2) यह स्पष्ट करती है कि भाग I इसके दायरे में सीमित है। भारत में होने वाले मध्यस्थताओं के लिए आवेदन। हम हैं।

विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों के साथ सहमति में

उत्तरदाताओं और उत्तरदाताओं के समर्थन में हस्तक्षेप करने वालों के लिए, कि संसद की प्रयोज्यता को सीमित करके

भारत में होने वाले मध्यस्थताओं के लिए भाग I ने व्यक्त किया है

विधायी घोषणा। इसने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है

कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I मध्यस्थताओं पर लागू होता है।भारत में उनका स्थान/सीट होना।

***

82. प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करने का एक और मजबूत कारण

विदेशों में स्थित मध्यस्थताओं पर लागू होने के लिए,धारा 2 (2) में कुछ शब्द जोड़ने होंगे। द.

इस धारा में यह प्रावधान करना होगा कि "यह भाग भारत में जहां भी मध्यस्थता का स्थान है और जहां मध्यस्थता का स्थान है, वहां लागू होगा।

इसका स्थान भारत से बाहर है। " डोअर डेवलपमेंट अथॉरिटी v के विपरीत होने के अलावा।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 2 (2) का प्रासंगिक आशय और उद्देश्य,

व्याख्या एक कठोर और अनुचित होगी

धारा 2 (2) की भाषा का पुनर्लेखन/परिवर्तन। उतना ही

श्री सोराबजी द्वारा दृढ़ता से वकालत की गई, में प्रावधान

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 को उनके आधार से समझा जाना चाहिए।

भाषा/शब्द। यह अदालत के लिए अनुमेय नहीं है जबकि

प्रावधान के पुनर्निर्माण के लिए एक प्रावधान का निर्माण करना। अन्य में

शब्दों में, कोर्ट इस्त्री करते समय एक नई जैकेट का उत्पादन नहीं कर सकता है

पुराने के चीरों को बाहर निकालें। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम

इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करने में असमर्थ हैं

जैसा कि पहले देखा जा चुका है।

(जोर दिया गया)

220. हर्भजन सिंह (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणियां थीं:

:

" 7. ..... साधारण, व्याकरणिक और पूर्ण अर्थ होना चाहिए

किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय उपयोग किए गए शब्दों को सौंपा गयानियम का सम्मान करें- विधायिका उपयुक्त शब्दों का चयन करती है

इस तरह के इरादे के साथ जो इस तरह से प्रयुक्त शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है जब तक यह बेतुका या विसंगति में परिणाम नहीं देता है या जब तक कि

सामग्री-आंतरिक या बाहरी-अनुमति देने के लिए उपलब्ध है

नियम से प्रस्थान "।

(जोर दिया गया)

221. सदस्य में, राजस्व बोर्ड v. आर्थर पॉल

इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 4. हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि शब्द

" धारा 5 में "पदार्थ" का उद्देश्य वही अर्थ व्यक्त करना था जो

एस. 6 में "विवरण" शब्द है। अपने लोकप्रिय अर्थ में,

अभिव्यक्ति "विशिष्ट मामले" का अर्थ कुछ होगा

एक ही विवरण का हो, लेकिन सभी समान, वे हो सकते हैं विशिष्ट।

यदि ए ब्लैक एकड़ को एक्स को बेचता है और व्हाइट एकड़ को वाई को गिरवी रखता है,

लेन-देन विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, और वे हैं अलग-अलग मामले भी। लेकिन अगर ए ब्लैक एकड़ को एक्स के लिए गिरवी रखता है और

सफेद एकड़ से वाई तक बंधक, दोनों लेनदेन इसके अंतर्गत आते हैं

एक ही श्रेणी, लेकिन वे निश्चित रूप से अलग मामले होंगे।

यदि विधायिका का इरादा यह था कि 'विशिष्ट' अभिव्यक्ति

धारा 5 में 'मामलों' को इसके लोकप्रिय अर्थों में नहीं बल्कि अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के रूप में संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए, ऐसा कहने से आसान कुछ भी नहीं होगा। जब एक क़ानून में अलग-अलग महत्व के दो शब्दों का उपयोग लगातार दो प्रावधानों में किया जाता है, तो यह बनाए रखना मुश्किल होगा कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, और निष्कर्ष यह होना चाहिए कि धारा 5 में "विशिष्ट मामले" और धारा 6 में "विवरण" अभिव्यक्ति के अलग-अलग अर्थ हैं।

(जोर दिया गया)

222. आयकर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम। एम/एस। पूरब

वेस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट (पी) लिमिटेड 49, यह निम्नानुसार देखा गया:

" 7. स्पष्टीकरण में समय के दो बिंदु का संदर्भ है।

स्थान: पहले वाले को "अंत में" कहा गया है।

पिछला वर्ष "और दूसरा, जो जारी किया गया है," में है

इस तरह के पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम "। राजस्व के लिए वकील है

इस विशेषता पर जोर दिया कि उसी स्पष्टीकरण में

समय के संदर्भ को अलग तरह से व्यक्त किया गया है और यदि विधायी इरादा अंतर करने और कहने के लिए नहीं था

“ इस तरह के पिछले वर्ष के दौरान यह इरादा था कि

पिछले वर्ष के अंतिम दिन का विचार व्यक्त करें, वहाँ स्थिति व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती

अलग तरह से। इस स्थिति का समर्थन करने के लिए प्रचुर अधिकार है

अलग तरह से व्यक्त किया गया है विधायिका को लिया जाना चाहिए एक अलग इरादा व्यक्त करने का इरादा है। ”

(जोर दिया गया)

कई अन्य निर्णयों ने इसी प्रस्ताव को दोहराया है, अर्थात

कि जब विधायिका एक ही कानून में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है, तो विधायी इरादे को पूरा करने के लिए उन्हें अलग-अलग अर्थ दिए जाने चाहिए। 150

149 (1989) 1 एस. सी. सी. 760 150 बी. आर. उद्यम बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य। , (1999) 9 एससीसी 700; कैलाश नाथ अग्रवाल और अन्य। वी. यू. पी. लिमिटेड का प्रदेशिया औद्योगिक और निवेश निगम और ए. एन. आर. ,(2003) 4 एस. सी. सी. 305 (जिसने "कार्यवाही" और "वाद" की अलग-अलग व्याख्या की; डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम. हरियाणा राज्य और अन्य। , (2003) 5 एस. सी. सी. 622 (जहाँ "उसकी कीमत पर" और "उसकी कीमत पर" की व्याख्या अलग-अलग स्थितियों के लिए की गई थी।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

223. भूमि मालिकों ने तर्क दिया था कि भुगतान करने की बाध्यता प्राप्त होती है

केवल तभी भुगतान किया जाता है जब वास्तव में मुआवजे का भुगतान किया जाता है और/या जमा किया जाता है। भले ही इसे धारा 31 (1) के तहत विरोध के तहत प्राप्त किया जाता है, लेकिन अंत में इसे भूमि मालिकों द्वारा संदर्भ न्यायालय द्वारा समझौते के बाद स्वीकार कर लिया जाता है। हम प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि 1894 के अधिनियम की धारा 34 स्पष्ट है, भले ही राशि का भुगतान या जमा नहीं किया गया हो, इसमें ब्याज होता है। इसके पीछे तर्क यह है कि यदि राज्य राशि को बरकरार रख रहा है

शांति और भुगतान करने का दायित्व समाप्त नहीं होता है, लेकिन यह उसमें परिकल्पित ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। एक बार निविदा दिए जाने के बाद, भुगतान करने की बाध्यता पूरी हो जाती है ताकि यह नहीं कहा जा सके कि राशि का भुगतान किया गया है, लेकिन भुगतान करने की बाध्यता समाप्त हो गई है और यदि कोई व्यक्ति जिसने इसे स्वीकार नहीं किया है, वह भुगतान करने में

चूक के लिए दूसरे पक्ष को दंडित नहीं कर सकता है और जमा न करने पर केवल ब्याज लगता है क्योंकि धन को बरकरार रखा गया था।सरकार के साथ।

224. इस प्रकार, हमारी राय में, धारा 24 (2) में उपयोग किया गया "भुगतान" शब्द अपने अर्थ के भीतर "जमा" शब्द को शामिल नहीं करता है।

इसे प्राप्त करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि भुगतान न करने से उत्पन्न दायित्वराशि अधिग्रहण की समाप्ति की है। ऐसे मामले में राशि जमा न करने के कारण भी ब्याज लगेगा। समान रूप से, जब भूमि मालिक राशि स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उच्च के लिए एक संदर्भ चाहता है

क्षतिपूर्ति, ऐसे व्यक्ति का यह कहने का कोई सवाल नहीं हो सकता है कि उसे राशि का भुगतान नहीं किया गया था (वह कलेक्टर द्वारा हकदार होने के लिए दृढ़ था)। ऐसे मामले में, भूमि मालिक संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे का हकदार होगा।

पुनः में - धारा 55 और स्थायी के तहत बनाए गए नियम

राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश

225. अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों की ओर से यह आग्रह किया गया कि विभिन्न राज्य सरकारों ने अधिनियम की धारा 55 के तहत नियम बनाए हैं।

1894 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के तहत सरकारी धन के संबंध में स्थायी आदेश/निर्देश जारी किए हैं। ये स्थायी आदेश और नियम प्राचीन काल से लागू हैं; उनके प्रावधानों के लिए राशि की निविदा की आवश्यकता होती है, नोटिस [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुआवजे की राशि एकत्र करने के लिए भूमि मालिकों को जारी किया जाना

उन्हें सम्मानित किया। यदि वे धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए उपस्थित नहीं होते हैं और आवेदन नहीं करते हैं, तो अधिकारी देय राशियों का भुगतान कोषागार में उन व्यक्तियों को देय राजस्व जमा के रूप में करेगा जिन्हें वे क्रमशः देय हैं और साथ में दिए गए प्रपत्र (चिह्नित ई) में इसकी पुष्टि की गई है। जब प्राप्तकर्ता अंततः भुगतान का दावा करता है, तो उन्हें सामान्य राजस्व जमा के समान ही भुगतान किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण (बिहार और उड़ीसा) नियम 1894 के अधिनियम की धारा 55 के तहत बनाए गए थे। इसके नियम 10 को नीचे निकाला गया है:

" 10. धारा 12 (2) के तहत पुरस्कार की सूचना देने में और

जब पुरस्कार दिया गया था, तो अधिकारी उन्हें व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित होने की आवश्यकता होती है

दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए निश्चित तिथि

उन्हें यह भी सूचित करते हुए कि कोई ब्याज की अनुमति नहीं दी जाएगी

यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं। यदि वे प्रकट नहीं होते हैं, और नहीं करते हैं

अधिकारी को किसी भी आगे के प्रयास के बाद उनकी सुरक्षा के लिए उपस्थिति जो वांछनीय लग सकती है, देय राशि का कारण बन सकती है

कोषागार में देय राजस्व जमा के रूप में भुगतान किया जाना

वे व्यक्ति जिन्हें वे क्रमशः देय हैं और जिनका आश्वासन दिया गया है

साथ में (चिह्नित ई) के रूप में। अधिकारी करेगा

ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ताओं को भी सूचना दें, कोषागारजिसमें निर्दिष्ट जमा किए गए हैं। जब

भुगतानकर्ता अंततः जमा में रखी गई राशि के भुगतान का दावा करते हैं,

राशि का भुगतान उन्हें उसी तरीके से किया जाएगा जैसे

सामान्य राजस्व जमा। अधिकारी को, जहाँ तक

संभव है, देय भुगतान करने की व्यवस्था करें या उसके पास

के कारण जमा में रखी जाने वाली असंवित राशियों का गैर-उपस्थिति को कम से कम किया जा सकता है। जब भी

एक प्रतिनिधि के माध्यम से भुगतान का दावा किया जाता है या नहीं

या प्रदत्त राशि जमा करने के बाद, ऐसे प्रतिनिधि,

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार दिखाना होगा

अपने प्रधान की ओर से।

(जोर दिया गया)

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

226. असम राज्य में भी इसके तहत नियम बनाए गए हैं

जमा से संबंधित, 1894 के अधिनियम की धारा 55 पर। नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि धारा 18 के तहत मामला संदर्भ नहीं मांगा गया है, राशि को कोषागार में रखा जाना है। नियम 9 यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 9. धारा 12 (2) के तहत पुरस्कार की सूचना देने में और

इच्छुक जो व्यक्तिगत रूप से या उनके द्वारा उपस्थित नहीं थेजब पुरस्कार दिया गया था, तो कलेक्टर

दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए निश्चित तिथि उन्हें यह भी सूचित करते हुए कि उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा,

यदि वे प्रकट नहीं होते हैं। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं और आवेदन नहीं करते हैं

धारा 18 के अधीन सिविल न्यायालय के प्रति निर्देश के लिए, वह,

उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के किसी भी आगे के प्रयास के बाद या

भुगतान करें जो वांछनीय लग सकता है, राशि का कारण बन सकता हैविश्व युद्ध में देय राजस्व जमा के रूप में भुगतान किया जाना है

वे व्यक्ति जिन्हें वे क्रमशः देय हैं, और जिन्हें आश्वासन दिया गया है

सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित प्रपत्र में

समय-समय पर। वह ऐसे भुगतानकर्ताओं को भी नोटिस देगा।

जमा, कोषागार को निर्दिष्ट करते हुए जिसमें जमा है बनाया गया है। जब अंत में भुगतानकर्ता राशि के भुगतान का दावा करते हैं

जमा में रखी गई राशि का भुगतान उन्हें उसी में किया जाएगा

सामान्य राजस्व जमा के रूप में। कलेक्टर को करना चाहिए,

जहाँ तक संभव हो, देय भुगतान करने की व्यवस्था करें या

उस गाँव के पास जहाँ भूमि संबंधित है ताकि खाते में जमा की जाने वाली असंवित राशि की संख्या

गैर-उपस्थिति को कम से कम किया जा सकता है। जब भी

भुगतान का दावा एक प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है, जैसे

प्रतिनिधि को प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार दिखाना होगा

प्रधानाचार्य की ओर से मुआवजा।

(जोर दिया गया)

227. कर्नाटक राज्य में भी इसी तरह के नियम बनाए गए थे।

1894 के अधिनियम की धारा 55 के तहत। इसी तरह, राज्य में

भूमि अधिग्रहण (केरल) नियम, 1990 के नियम 14 (2) को भी लागू करें।

1894 के अधिनियम की धारा 55 के तहत तैयार किया गया, बशर्ते कि भुगतान

एनजी से पुरस्कार दिया जाएगा या राशि को जमा किया जाएगा

या राजस्व जमा (कोषागार) की तारीख से एक महीने के भीतर

वार्ड। बिहार और उड़ीसा राज्य में भी इसी तरह के नियम बनाए गए थे।

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

228. स्थायी आदेश No.28 अब राज्य द्वारा 1909 में जारी किया गया था और यह दिल्ली पर भी लागू था, जिसने पैरा 74 और 75 में प्रवेश के पांच तरीके प्रदान किए थे:

" 74. भुगतान करने के तरीके। पाँच तरीके हैं

भुगतान करना:(1) प्रत्यक्ष भुगतान द्वारा, पैरा 75 (1) इन्फ्रा देखें।

(4) चेक द्वारा, पैरा 75 (IV) इन्फ्रा देखें। (5) कोषागार में जमा करके, पैरा 75 (वी) इन्फ्रा देखें।

75. प्रत्यक्ष भुगतान।

*

*

(V) कोषागार जमा द्वारा। पुरस्कार की सूचना देने में

धारा 12 (2) और धारा 31 (1) के तहत ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को निविदा भुगतान जो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कार दिए जाने के समय उपस्थित नहीं थे, अधिकारी उनसे व्यक्तिगत रूप से या उनके द्वारा उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा।प्रतिनिधियों को उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि तक, यह भी सूचित करते हुए कि यदि वे उपस्थित होने में विफल

रहते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं और धारा 18 के तहत दीवानी अदालत में संदर्भ के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो अधिकारी आगे किसी भी कार्रवाई के बाद उपस्थित होगा।

उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करने का प्रयास जो प्रतीत हो सकता है वांछनीय है कि कोषागार को देय राशियों का भुगतान उन व्यक्तियों को देय राजस्व जमा के रूप में किया जाए जिन्हें वे क्रमशः देय हैं और जिनके लिए नीचे ई चिह्नित प्रपत्र में आश्वासन दिया गया है।

अधिकारी ऐसे भुगतानकर्ताओं को नोटिस भी देगा।

जमा, उस खजाने को निर्दिष्ट करते हुए जिसमें जमा किया गया है

बनाया गया। जब प्राप्तकर्ता अंततः जमा में रखी गई राशि के भुगतान का दावा करते हैं, तो राशि का भुगतान उन्हें सामान्य राजस्व जमा के समान ही किया जाएगा। अधिकारी को करना चाहिए,

जहाँ तक संभव हो, उस गाँव में या उसके पास देय भुगतान करने की व्यवस्था करें जिसमें प्राप्तकर्ता संबंधित है ताकि जमा में रखी जाने वाली असंवित राशियों की संख्या

गैर-उपस्थिति के खाते को कम से कम किया जा सकता है।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

जब भी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भुगतान का दावा किया जाता है, चाहे वह राशि जमा करने से पहले हो या बाद में, तो ऐसे प्रतिनिधि को अपने मूलधन की ओर से मुआवजा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए।

फॉर्म ई

फॉर्म ई

उस कार्य का नाम जिसके लिए भूमि दी गई है।

उस कार्य का नाम जिसके लिए भूमि दी गई है।

अर्जित किया गया

अर्जित किया गया

के ओमकोर प्रभारी को

के ओमकोर प्रभारी को

कोषागार

खजाना

कृपया क्रेडिट में हस्तांतरण के लिए प्राप्त करें

कृपया क्रेडिट में हस्तांतरण के लिए प्राप्त करें

राजस्व जमा रुपये की राशि

राजस्व जमा रुपये की राशि

भूमि के लिए मुआवजे के कारण

भूमि के लिए मुआवजे के कारण

देय उपरोक्त उद्देश्य के लिए लिया गया

देय उपरोक्त उद्देश्य के लिए लिया गया

डॉटलॉड बोलो के रूप में:

जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:

क्रमवार

राशि टिप्पणियाँ

नाम

नाम

आर्का

राशि टिप्पणियाँ

क्षेत्र

संख्या

में से

में से

में से

में से

देय

देय

भूमि

पुरस्कार में

व्यक्तियों की भूमि

प्रत्येक के लिए

प्रत्येक के लिए

लोग

बयान

को

को

नहीं।

किसे?

किसे?

जोड़ी

जोड़ी

एकड़ में रु.

आर $

एकड़।

कुल

कुल

भूमि अधिग्रहण अधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिकारीतिथि।

तिथि।

श्रेय दिया जाता हैराजस्व जमा

राजस्व जमा के लिए

कोषागार अधिकारी

कोषागार अधिकारीध्यान दें कि इस प्रपत्र का उपयोग कब किया जाना चाहिए

ध्यान दें कि इस प्रपत्र का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब

द.

देय राशि की राशि

मुआवजे की राशि जोड़ीके अभाव में खजाने में भेजा जाता है

के अभाव में खजाने में भेजा जाता हैमालिक जो प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं

मालिक जो प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं

स्वयं भुगतान के लिए।

स्वयं भुगतान के लिए "।

उपरोक्त के उप-पैरा (V) में यह स्पष्ट किया गया है कि भुगतान जमा किया जाता है।

कोषागार में जब कोई व्यक्ति जिसे धारा के तहत नोटिस दिया जाता है

12 (2) 1894 के अधिनियम की धारा मौजूद नहीं है और पुरस्कार पारित किया जाता है। जब मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए नोटिस दिया जाता है और मामले में वे उपस्थित होने में विफल रहते हैं, भूमि मालिक को देय राजस्व जमा के रूप में कोषागार को राशि का भुगतान करना पड़ता है।

229. नियम और स्थायी आदेश संबंधित लोगों के लिए बाध्यकारी हैं।

अधिकारियों और उन्हें उनका पालन करना होगा। वे अदालत में केवल तभी राशि जमा करते हैं जब संदर्भ (उच्च मुआवजे के लिए) मांगा जाता है, अन्यथा नहीं। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है और राशि अदालत में जमा की जाती है या यहां तक कि इसकी निविदा भी नहीं दी जाती है, तो धारा 34 के तहत केवल अधिक ब्याज मिलता है। एक बार जब नियम लंबे समय से लागू होते हैं और भले ही यह माना जाता है कि धारा 31 (1) के तहत परिकल्पित भुगतान से रोके जाने पर अदालत में जमा करना अनिवार्य है, तो [2020] 3 एस. सी. आर. बनाने का एकमात्र दायित्व है।

राज्य पर अधिक ब्याज का भुगतान किया जाता है। के प्रति दायित्व

ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना जारी रहेगा। जब अदालत में राशि जमा की जाती है, तो एक प्रक्रियात्मक अनियमितता होगी और प्रतिकूल परिणाम की परिकल्पना 1894 के अधिनियम की धारा 34 के तहत की जाती है। न्यायालय में जमा न करने का परिणाम यह है कि

भूमि मालिक को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जा सकता है जैसा कि 1894 के अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत परिकल्पित है, जिसमें ब्याज 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रकार, भूमि मालिकों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि वे लाभ के लिए खड़े हैं और फिर भी भुगतान सुरक्षित है क्योंकि इसे अदालत में रखा जाता है। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि "भुगतान" और "जमा" अभिव्यक्ति के बीच अंतर है, इस प्रकार कोषागार में नियमों के अनुसार या 1894 के अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित धारा 31 की योजना पर विचार करते हुए स्थायी आदेशों के अनुसार राशि जमा की जा रही है, जो 2013 के अधिनियम की धारा 77 और 80 के समान हैं। हमारा मानना है कि

कि अधिग्रहण को अमान्य नहीं किया जा सकता है, केवल अधिक मुआवजे का पालन किया जाएगा यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है, तो सभी लाभार्थी अधिक के हकदार होंगे।

धारा 24 (2) के परंतुक में परिकल्पित क्षतिपूर्ति।

230. न्यायालय में जमा के स्थान पर कोषागार में जमा करने से भूमि मालिक या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उनके हित की धारा 34 में निहित प्रावधानों द्वारा पर्याप्त रूप से रक्षा की जाती है। 1894 का अधिनियम, क्योंकि यह किसी भी अन्य सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में उच्च ब्याज दर सुनिश्चित करता है। उनका पैसा सुरक्षित है और निर्धारित राशि में जमा किया जाता है और उन्हें वितरण के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। कोई पूर्वाग्रह नहीं है और कानून का हर उल्लंघन अधिनियम को दूषित नहीं करेगा।

231. जानकीनाथ सारंगी बनाम। उड़ीसा राज्य 1 5 1, इस न्यायालय ने कहा कि कानून का प्रत्येक उल्लंघन अधिनियम को दूषित नहीं करेगा। यह आगे देखा गया है कि परीक्षण वास्तविक पूर्वाग्रह है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष अधिकार से कथित इनकार के कारण हुआ है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

" 5. इस सामग्री से यह तर्क दिया जाता है कि प्राकृतिक के सिद्धांत

न्याय का उल्लंघन किया गया क्योंकि अपीलार्थी के अपने साक्षय को दर्ज करने के अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया था और आगे कहा गया था कि उसकी पीठ के पीछे जो सामग्री एकत्र की गई थी, उसका उपयोग उसके अपराध को निर्धारित करने में किया गया था। इन तर्कों के समर्थन में कई निर्णयों का उल्लेख किया गया है जिनमें से प्रमुख हैं -

151 (1969) 3 एस. सी. सी. 392 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

बॉम्बे बनाम। नरुल लतीफ खान, (1965) 3 एससीआर 135; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। श्री सी. एस. शर्मा, (1967) 3 एस. सी. आर. 848 और भारत संघ बनाम टी. आर. वर्मा, (1958) एससीआर 499। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, और एकसकल मामले में, यह न्यायालय बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करके हस्तक्षेप करेगा, लेकिन मामले और मामले हैं। हमें यह देखना होगा कि किसी व्यक्ति के प्रति वास्तविक पूर्वाग्रह क्या है

उसे किसी विशेष अधिकार से कथित इनकार द्वारा। यहाँ प्रश्न सरल था। क्या अनुबंध कार्य के लिए तैयार की गई माप पुस्तिका की अपीलार्थी द्वारा ठीक से जांच और जाँच की गई थी या नहीं। उन्होंने चेक इन किया।

मार्च 1954 और उसके तुरंत बाद मई 1954 में

कार्यकारी अभियंता ने मापों की फिर से जाँच की और पाया कि पिछली जाँच ठीक से नहीं की गई थी।

मार्च और मई के बीच ज्यादा बारिश नहीं हो सकी, और गवाहों के अनुसार खुदाई के निशान उस दौरान मिट नहीं सके। हालाँकि यह कहा जाता है कि छठे और सातवें मील पर जाँच जुलाई में की गई थी।

और उस समय तक बारिश शुरू हो चुकी होगी। फिर भी गड्ढों के स्थानों पर गवाहों को इतना महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदला जा सका कि पूरी तरह से गलत तस्वीर पेश की जा सके। अगर कुछ होता तो बारिश के कारण धरती सिकुड़ने के बजाय सूज जाती और गड्ढे बड़े हो जाते न कि छोटे। वैसे भी गवाहों के सामने रखे गए प्रश्नों को दर्ज किया गया और मुख्य अभियंता को भेजा गया और उनके जवाब प्राप्त किए गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जवाब अपीलार्थी के हाथों में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन्हें उस समय देखा जब वह अभ्यावेदन कर रहे थे और उत्सुकता से उन्होंने अपने बचाव में उन जवाबों का उपयोग किया। दूसरे शब्दों में, उन्हें उनकी पीठ के पीछे इकट्ठा नहीं किया गया था और उनका उपयोग उनके लाभ के लिए किया जा सकता था और उनके पास अपने बचाव में उनका उपयोग करने का अवसर था। हम यह नहीं समझते हैं कि इस मामले में अपीलार्थी ने जिन दो सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंताओं का हवाला दिया था, या उनमें से किसी एक की जांच नहीं करने से कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ था। मामला सरल था कि क्या माप पुस्तिका की ठीक से जाँच की गई थी। बारिश और बाढ़ के बारे में दलीलें पूरी तरह से बेकार थीं और

मुख्य अभियंता के स्पष्ट जवाब इसके खिलाफ नहीं थे

अपीलार्थी। इन परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कल्पना करना आवश्यक नहीं है।

हमें नहीं लगता कि [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि एक मामला बनाया जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतउनका उल्लंघन किया जाता है। अपील विफल होनी चाहिए और तदनुसार खारिज कर दी जाती है,

लेकिन हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देंगे।

(जोर दिया गया)

232. सुनील कुमार बनर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और

152 न्यायालय ने कहा:

" 3. अपीलार्थी के विवाद में कोई सार नहीं है।

कि 1969 के नियमों का नहीं बल्कि 1955 के नियमों का पालन किया गया था। के रूप में

उच्च न्यायालय द्वारा इंगित, उनके खिलाफ बनाए गए आरोपों में

अपीलार्थी और पहले कारण दिखाएँ संदर्भ को नोटिस करेंयह स्पष्ट रूप से 1969 के नियमों के अनुरूप था। अपीलार्थी ने स्वयं उल्लेख किया है

उनके एक पत्र में जिसके तहत आरोप तय किए गए हैं

1969 के नियम। जाँच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि श्रीमुखर्जी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था

1969 नियम। हालाँकि, यह सच है कि अपीलार्थी नहीं था

नियम 8 (19) के तहत पूछताछ अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई जो

निम्नलिखित रूप में प्रदान किया गया है:

" पूछताछ करने वाला प्राधिकारी सदस्य के बाद

सेवाएँ उसका मामला बंद कर देती हैं और यदि सेवा का सदस्य

स्वयं की जाँच नहीं की है आम तौर पर उससे सवाल करें

साक्षय में उसके विरुद्ध उपस्थित होने वाली परिस्थितियाँ

सेवा के सदस्य को किसी भी बात की व्याख्या करने में सक्षम बनाने का उद्देश्य

उसके खिलाफ साक्षय में दिखाई देने वाली परिस्थितियाँ।

यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि यह प्रावधान समान है

1898 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 और

1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313। यह है।

अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि केवल गैर-परीक्षा या दोषपूर्ण

1898 संहिता की धारा 342 के तहत परीक्षा एक नहीं है

हस्तक्षेप के लिए आधार जब तक कि पूर्वाग्रह स्थापित नहीं किया जाता है,

के. सी. मैथ्यू बनाम त्रावणकोर राज्य-कोच्चि, ए. आई. आर. 1956 एससी

24 ; बिभूति भूषण दास गुप्ता बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, ए. आई. आर. 1969 एस. सी.

381 हम इसी तरह का विचार रखते हैं कि इसका पालन करने में विफलता

1969 के नियमों के नियम 8 (19) की आवश्यकताएँ नहीं हैं।जाँच को दूषित करें जब तक कि अपराधी अधिकारी सक्षम न हो

पूर्वाग्रह स्थापित करें। इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के साथ-साथ डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीश

80) 3 एस. सी. सी. 304 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

यह पाया गया कि अपीलार्थी किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं था नियम 8 (19) की आवश्यकता का पालन करने में विफलता। अपीलार्थी

स्वयं गवाहों से जिरह की, अपना बचाव प्रस्तुत किया

बहुत विस्तार से लिखित रूप में और स्वयं मामले का तर्क दिया

उसे और अपने लिखित में आरोपों के सभी पहलुओं से निपटा रक्षा। हमें नहीं लगता कि वह कम से कम पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे

पूछताछ अधिकारी द्वारा उससे पूछताछ करने में विफलता के कारण

नियम 8 (19) के अनुसार।

(जोर दिया गया) "

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम में भी इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया है।

किडीराम रेड्डी 1 53 और अन्य निर्णय।

233. एक दोहरी बाध्यता है, अर्थात्, भाग अनिवार्य और भाग अनिवार्य है।

टोरी। हावर्ड वी. पर्यावरण राज्य सचिव, (1975)

235 , लॉर्ड डेनिंग ने लॉर्ड के भाषण के एक हिस्से का हवाला दिया है।

एंसे, जिसे यहाँ नीचे निकाला गया है:

" अब उन मामलों के बीच का अंतर जो निर्देशिका हैं और

जो मामले अनिवार्य हैं वे हम सभी को अच्छी तरह से ज्ञात हैं

वेस्टमिंस्टर में अदालतों की आम भाषा। एक बात है विधायिका द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया गया। क्या बात है?

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका क्या परिणाम होगा? विधियों के मामले में जो हैं

अनिवार्य होने के लिए कहा जाता है, अदालतों ने फैसला किया है कि यदि यह नहीं है

सब कुछ विफल हो जाता है, और उसके बाद की कार्यवाही

हालाँकि इस तरह के प्रावधान का पालन नहीं किया गया होगा,बाद की कार्यवाही विफल नहीं होती है।"

बाद में लॉर्ड डेनिंग एम. आर. ने पीपी में कहा। 242-243 :

" इस धारा में कोई संदेह नहीं है कि अपील की सूचना अनिवार्य है।

यह लिखित रूप में होना चाहिए और निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाना चाहिए।

लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल सामग्री के बारे में निर्देशिका है। सबसे पहले लें अपील के 'आधारों' के बारे में आवश्यकता। खंड या तो है

'आधार' को इंगित करने की आवश्यकता में अनिवार्य है, या यह है

नहीं। इसका मतलब सभी या कोई नहीं होना चाहिए। मैं कोई औचित्य नहीं देख सकता।

इस दृष्टिकोण के लिए कि यह एक आधार के रूप में अनिवार्य है और नहीं

बाकी के लिए अनिवार्य। अगर एक वह सब था जो आवश्यक था, एक

अपीलार्थी को केवल एक तुच्छ या निराशाजनक चीज़ डालनी होगी।

जमीन और फिर बाद में अपने वास्तविक आधार को जोड़ने के लिए संशोधन करें। कि

यह एक व्यर्थ अभ्यास होगा। फिर 'तथ्यों को बताने' के बारे में। यह.

यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को किसी भी कीमत पर कहना होगा वे सभी तथ्य जिनके आधार पर वह अपनी अपील करता है। उसे बताना पड़ता है

तथ्य, सबूत नहीं। और तथ्यों पर निर्भर हो सकता है

साक्षय अभी प्राप्त किया जाना है, और पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से नहीं हो सकता है

यह उस समय ज्ञात होता है जब अपील की सूचना दी जाती है। सभी

चीज़ों पर विचार करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि खंड, जहाँ तक

'आधार' और 'तथ्य' का संबंध है, इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए

केवल निर्देशिका के रूप में: अर्थात्, जैसा कि वांछित जानकारी दी जानी चाहिए।

उनके बारे में। यह नहीं माना जाना चाहिए कि एक अपील होनी चाहिए

केवल इसलिए पूरी तरह से विफल हो जाता है क्योंकि आधार इंगित नहीं किए गए हैं,

या बताए गए तथ्य। भले ही वह उन्हें नहीं देना चाहता हो, यह

घातक नहीं है। दोषों को बाद में या तो पहले ठीक किया जा सकता है।

या अपील की सुनवाई में, जब तक कोई अवसर है उनके साथ व्यवहार करने के लिए।

(जोर दिया गया)

234. बेल्वेडियर कोर्ट मैनेजमेंट लिमिटेड बनाम फ्रॉगमोर

अनिवार्य और मौखिक प्रावधानों के बीच अंतर किया गया था। निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं:

" अंतिम टिप्पणी के माध्यम से मैं जोड़ूंगा कि मैं दृढ़ता से हूँ

इस दृष्टिकोण से आकर्षित कि वर्तमान प्रकार का कानून होना चाहिए

विश्लेषणात्मक आधार पर मूल्यांकन और व्याख्या की जाए। इसे होना चाहिए।

विचार किया जाए कि कौन से प्रावधान मूल हैं और

जो गौण हैं, यानी, केवल मशीनरी का हिस्सा हैं कानून। इसके अलावा, वे प्रावधान जो इस में आते हैं

बाद की श्रेणी की जाँच की जानी चाहिए कि क्या वेयांत्रिकी के आवश्यक भाग हैं या केवल सहायक हैं

अन्य प्रावधानों का ताकि उन पर जोर देने की आवश्यकता न पड़े परिस्थितियों की परवाह किए बिना। दूसरे शब्दों में, जैसे कि

संविदात्मक और समान दस्तावेजों का निर्माण, स्थिति

और किसी प्रावधान के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए समग्र रूप से विधान की योजना और उसकी भूमिका

उस योजना में प्रावधान-उदाहरण के लिए, क्या कुछ

प्रावधान एक विकल्प प्रदान करता है जिसे ठीक से कहा जाता है, चाहे कुछ

96) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1008 पी.

1032 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

प्रावधान एक शर्त पूर्ववर्ती के बराबर है, चाहे कुछ

आवश्यकता को किसी अन्य तरीके से पूरा किया जा सकता है या माफ किया जा सकता है। इस तरह का दृष्टिकोण जब कानून पर लागू होता है जैसे कि

वर्तमान मूल अधिकारों को सक्षम करने में सहायता करेगा

प्रभाव दिया गया है और बेतुकेपन से बचने में मदद करेगा या अनुचित कमी। ”

(जोर दिया गया)

235. शरीफ़-उद-दीन (ऊपर) में अनिवार्य के बीच का अंतर

निर्देशात्मक नियमों को इस प्रकार इंगित किया गया था:

" 9. अनिवार्य नियम और निर्देशिका के बीच का अंतर

उस उद्देश्य को प्राप्त करना जिसके बारे में नियम लागू किया गया है। निश्चित रूप सेव्यापक प्रस्ताव जिनका अनुमान कई तरीकों से लगाया जा सकता है।

निर्माण के नियमों के संबंध में न्यायालयों के निर्णय जो यह निर्धारित करने में पालन किया जाना चाहिए कि क्या कानून का कोई प्रावधान है

निर्देशिका या अनिवार्य को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है: तथ्य यह है

कि कानून एक शब्द निर्धारित करते समय "होगा" शब्द का उपयोग करता है

कर्तव्य इस सवाल पर निर्णायक नहीं है कि क्या यह एक है अनिवार्य या निर्देशिका प्रावधान। इसका पता लगाने के लिए

कानून की वास्तविक प्रकृति, अदालत को पता लगाना होगा

वह उद्देश्य जो विचाराधीन कानून के प्रावधान को करना है

अधीनता और इसकी रचना और जिस संदर्भ में इसे लागू किया गया है।

इसके साथ, इसे अनिवार्य माना जाना चाहिए। लेकिन जब एक प्रावधान कानून का किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित है और

उस प्रावधान की अवहेलना में किए गए किसी भी कार्य को अमान्य करना।

यह उन लोगों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करता है जिनके लाभ के लिए यह किया जाता है

अधिनियमित और उसी समय जिनका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है

कर्तव्य का पालन, इस तरह के प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए

एक निर्देशिका। जहाँ, हालांकि, कानून का एक प्रावधान निर्धारित करता है

कि एक निश्चित कार्य एक विशेष तरीके से किया जाना है

अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और इसके साथ जोड़ा जाता है

एक अन्य प्रावधान जो दूसरे को प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब

इस तरह का कार्य उस तरीके से नहीं किया जाता है, पूर्व को होना चाहिए

अनिवार्य माना जाता है। एक प्रक्रियात्मक नियम आमतौर पर

अधिनियम में दोष होने पर इसे अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए।

इसके अनुसरण में किया गया [2020] 3 एस. सी. आर. की अनुमति देकर ठीक किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाद में किया जाने वाला उचित सुधार

जब तक कि इस तरह की अनुमति के अनुसार त्रुटि को सुधारने के लिए नहींबाद में, एक और नियम का उल्लंघन किया जाएगा। जब भी ए

कानून निर्धारित करता है कि एक विशेष कार्य में किया जाना है

विशेष तरीके से और यह भी निर्धारित करता है कि अनुपालन करने में विफलता

उक्त आवश्यकता के साथ एक विशिष्ट परिणाम की ओर ले जाता है, यहयह मानना मुश्किल होगा कि आवश्यकता अनिवार्य नहीं है

और निर्दिष्ट परिणाम का पालन नहीं करना चाहिए।

(जोर दिया गया)

236. इसी तरह, राम दीन मौर्य (डॉ.) v. उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश और ओ. आर. एस. 155 इस न्यायालय ने कहा कि इसका गैर-अनुपालन

निर्देशिका का प्रावधान उसके उल्लंघन में किए गए अधिनियम की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। राय विमल कृष्ण और ओआरएस में। वी. बिहार राज्य और अन्य। 156 , इस न्यायालय ने प्रकाशन के तरीके पर विचार किया और कहा कि समाचार पत्र में प्रकाशन ही एकमात्र प्रभावी तरीका है और यह प्रावधान अनिवार्य है।

237. इस न्यायालय ने जमा न करने के प्रभाव पर भी विचार किया

हिसार सुधार में राशि v. श्रीमती. रुक्मिणी देवी और ए. एन. आर. 57 ने अभिनिर्धारित किया कि यदि मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया गया है, तो राज्य धारा 34 में दिए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 5. यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि ब्याज देय है और देय है

क्षतिपूर्ति न मिलने की स्थिति में भूमि मालिक

अदालत में समय पर भुगतान या जमा किया गया। कब्जा लेने से पहले

भूमि का, कलेक्टर को राशि का भुगतान या जमा करना होता हैजैसा कि धारा 31 में कहा गया है, जिसके विफल होने पर वह इसके लिए उत्तरदायी है

धारा 34 में दिए गए ब्याज का भुगतान करें।

6. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का कहना सही था

वह ब्याज भूमि मालिक को देय और देय था। द हाई

न्यायालय आवश्यक पक्षों को निर्देश देने में उचित था कि -

के निर्धारण के लिए निष्पादन न्यायालय में उपस्थित होना

राशि "।

238. किशन दास बनाम। U.P[1]58 की स्थिति में, इस न्यायालय ने कहा कि

जहां भूमि मालिकों ने स्वयं अधिग्रहण की कार्यवाही में देरी की, वह है155 (2009) 6 एससीसी 735

156 (2003) 6 एस. सी. सी. 401

157 1990 एस. सी. सी. 806

158 (1995) 6 एस. सी. सी. 240 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

अदालत के लिए ब्याज देने के लिए विवेकाधीन और वे अपनी विलम्बकारी रणनीति पर प्रीमियम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस न्यायालय ने कहा कि:

" 4. संबंधित प्रावधानों के संचालन के आलोक में

अधिनियम की धारा 34 और 28 के तहत निर्देश देना मुश्किल होगा।

ब्याज का भुगतान। वास्तव में, धारा 23 (1-ए) के लिए एक सेट-ऑफ है

व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए पुरस्कारों में देरी के मामलों में नुकसान

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार; अन्यथा एक व्यक्ति जो है

अधिग्रहण के निपटान में देरी के लिए जिम्मेदार

विलम्बकारी रणनीतियों के लिए कार्यवाही को प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। यह है।

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने कहा कि

ब्याज की राशि की भी गणना की गई और कुल राशि थीभूमि द्वारा अपीलार्थियों के खाते में जमा किया गया

पुरस्कार पास करने के बाद अधिग्रहण अधिकारी, अर्थात

15-11-1976 रुपये 20,48,615 की राशि में। इनके तहत

परिस्थितियों में, ब्याज का भुगतान करने का दायित्व तब उत्पन्न होगा जब

अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले लिया गया और राशि

जमा नहीं किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुआवजा थाजैसे ही पुरस्कार पारित किया गया, हम नहीं सोचते

कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करना हमारे लिए एक मामला है।

(जोर दिया गया)

239. डी-ब्लॉक अशोक नगर (साहिबाबाद) प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन में।

वी. U.P.159 की स्थिति में, यह देखा गया कि धारा 34 के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व कब्जा लेने की तारीख से उत्पन्न होता है।

240. यह तर्क दिया गया था कि वास्तव में कई मामलों में, संदर्भ था

कोषागार में जमा की जा रही राशि की मांग नहीं की गई थी

वैध है। अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा गया था और भूमि मालिकों ने बिना किसी कारण के मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि वे इसे प्राप्त कर सकते थे, विरोध के तहत संदर्भ लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए और यदि मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया गया था, तो वे धारा 34 के तहत परिकल्पित ब्याज के साथ इसका दावा कर सकते थे।

241. यह स्पष्ट है कि एक बार भूमि का अधिग्रहण करने के बाद, पुरस्कार पारित किया जाता है और

कब्जा ले लिया गया है, यह राज्य में निहित है। इसे लाभार्थियों को आवंटित किया गया था। एक बड़ा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सकता था।

योजनाओं के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था और उन्होंने बहुत कुछ विकसित किया है 159 (1997) 10 एससीसी 77 [2020] 3 एस. सी. आर.

बुनियादी ढांचा। हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि केवल अदालत के बजाय खजाने में राशि जमा करके, हमें सभी अधिग्रहणों को अमान्य कर देना चाहिए, जो हुए हैं। धारा 24 (2) के तहत ऐसा नहीं माना गया है। हम इस दलील को भी स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं कि जब कानून संचालित होता है तो अदालत को इन कठोर परिणामों को देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी राय में, यह समर्पण बिना किसी योग्यता के है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 24 (2) की उचित व्याख्या पर भी परिणामों की परिकल्पना नहीं की गई है।

242. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान का उद्देश्य यह है कि कलेक्टर के पास इसे जमा करने के लिए पर्याप्त धन होगा।

अधिकांश भूमि। यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी

वे अधिक मुआवजे के हकदार हैं। यदि अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास या खजाने में या अदालत में धन जमा नहीं किया गया है, तो परिणाम 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान के अनुसार उच्च मुआवजे का पालन करना होगा। अन्यथा भी, यदि कोषागार में जमा राशि अनियमित है, तो ब्याज का पालन 1894 के अधिनियम की धारा 34 के तहत किया जाएगा। अनुभाग

24 (2) यदि अधिग्रहण की कार्यवाही पुरस्कार की घोषणा के बाद 5 वर्षों के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो आकर्षित किया जाता है। संसद ने माना कि

अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए उचित समय के रूप में 5 वर्ष की अवधि अर्थात भूमि का भौतिक कब्जा लेना और मुआवजे का भुगतान करना। 2013 के अधिनियम का यह स्पष्ट आशय है कि धारा 24 (2) का प्रावधान उस कार्यवाही पर लागू होगा जो उस तारीख तक लंबित है जिस दिन 2013 का अधिनियम लागू किया गया है और यह समाप्त कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। एक वकील ने हमारे सामने आग्रह किया कि दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों और लुटियंस क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण 1913 में किया गया था और मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। 2013 का अधिनियम केवल उन लंबित कार्यवाहियों पर लागू होता है जिनमें कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और किसी मामले पर नहीं।

जहां कार्यवाहियां बहुत पहले समाप्त हो चुकी हैं, वहां धारा 24 (2) उन कार्यवाहियों को पुनर्जीवित करने और अधिग्रहण कार्यवाहियों को लेने की वैधता पर सवाल उठाने का साधन नहीं है, जिसके कारण 1960,1970,1980 के दशक में कब्जा लिया गया था, या कोषागार में राशि जमा करने के तरीके पर

सवाल उठाने के लिए नहीं है। 2013 के अधिनियम का उद्देश्य कभी भी ऐसे दावों को पुनर्जीवित करना नहीं था। ऐसे में

भूमि मालिक खजाने में कब्जा लेने की कार्यवाही या जमा करने के तरीके पर सवाल उठाने में रुचि रखते थे, ऐसा करने के लिए उनके पास उपलब्ध समय के भीतर ऐसी चुनौती की अनुमति थी। वे गहरी नींद से जाग नहीं सकते हैं और इंदौर विकास प्राधिकरण v को हराने के लिए इस तरह के दावे नहीं कर सकते हैं।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

वैध रूप से किया गया अधिग्रहण। हमारी राय में, कानून कभी भी 1984 के बाद किए गए सभी अधिग्रहणों को फिर से खोलने के लिए अपने प्रावधानों के दुरुपयोग पर विचार नहीं करता है-न ही अनुमति देता है-और इस तरह के दावों के विवरण की जांच करना अदालत का कर्तव्य है। हमारे सामने कई मुकदमे हैं जहां भूमि मालिक, अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने से चूक गए हैं और संदर्भ में राशि में वृद्धि की मांग करने के बाद भी कई दौर की मुकदमेबाजी के बाद अधिग्रहण की समाप्ति के बारे में बहस कर रहे हैं।

243. धारा 24 (1) (बी) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'जहां धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया गया है' है, तो 'ऐसी कार्यवाहियां 1894 के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रखें जैसे कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति "कार्यवाही जारी रहेगी" इंगित करती है कि कार्यवाही उस समय लंबित है; यह एक वर्तमान परिपूर्ण है।

और यह परिकल्पना की गई है कि कार्यवाही 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख तक लंबित होनी चाहिए। यह कलेक्टर के समक्ष समाप्त कार्यवाही पर लागू नहीं होता है जिसके बाद यह कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है। 2013 के अधिनियम की धारा 24, समाप्त कार्यवाही में लाभ प्रदान नहीं करती है, जिसकी वैधता यदि उचित कार्यवाही में देखी जानी है। यह केवल लंबित कार्यवाही में है जहां पुरस्कार हैपारित किया गया है और कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजा दिया गया है

भुगतान किया गया है, यह लागू होता है। कब्जा लेने के मामले में कोई चूक नहीं है, लेकिन अधिकांश के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है।

एक लंबित कार्यवाही में भूमि स्वामित्व, 2013 के अधिनियम के तहत उच्च मुआवजा धारा 24 (2) के प्रावधान के तहत होगा। इस प्रकार, यह प्रावधान किसी अन्य मामले में लागू नहीं होता है जिसमें 1894 के अधिनियम के तहत संदर्भ की मांग के माध्यम से उच्च मुआवजे की मांग की गई है या जहां अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाया गया है, हालांकि वे समाप्त हो चुके हैं। ऐसे मामले का निर्णय उनके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए और धारा 24 (2) के प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होते हैं।

पुनः में - मुद्दा नं. 4 : अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका

1894 का

244. 1894 के अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि

राज्य सरकार द्वारा एक पुरस्कार पारित होने के बाद भूमि ली जा सकती है और उसके बाद राज्य सरकार में सभी बाधाओं से मुक्त भूमि निहित की जा सकती है। समान प्रावधान तात्कालिकता के मामले में किए गए हैं

धारा 17 (1)। "कब्ज़ा" शब्द का उपयोग 1894 के अधिनियम में किया गया है, जबकि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में "भौतिक [2020] 3 एस. सी. आर". अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"कब्जा" का उपयोग किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कब्जा लेने के लिए पंचनामा लेना पर्याप्त नहीं है जब वास्तविक भौतिक कब्जा भूमि मालिक के पास रहता है और धारा 24 (2) के तहत वास्तविक भौतिक कब्जा लेने की आवश्यकता होती है, न कि किसी अन्य रूप में कब्जा। जब राज्य ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और पुरस्कार पारित कर दिया गया है, तो भूमि राज्य सरकार को सभी बाधाओं से मुक्त करती है। राज्य में भूमि निहित करने का कार्य किसी भी व्यक्ति के कब्जे में है।

तत्पश्चात, अधिकार को अतिक्रमणकारी के रूप में माना जाना चाहिए और उसे उस भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है जो राज्य में सभी से मुक्त है।

अड़चनें।

245. प्रश्न जो उत्पन्न होता है कि क्या 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने और अभिव्यक्ति के बीच कोई अंतर है

" धारा 24 (2) में प्रयुक्त "भौतिक अधिकार"। वास्तव में, 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का मतलब केवल भूमि पर भौतिक कब्जा करना था। 2013 के अधिनियम के तहत कब्जा लेना हमेशा भूमि पर भौतिक कब्जा करने के बराबर होता है। जब राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है और एक कब्जा लेने का ज्ञापन, जो भूमि का भौतिक कब्जा लेने के बराबर है। संपत्ति के बड़े हिस्से पर या अन्यथा जो अधिग्रहित किया जाता है, सरकार से इसे बनाए रखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस बल को कब्जे में नहीं रखना चाहिए और जब तक उस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया है, तब तक इसकी खेती शुरू करनी चाहिए। सरकार को रहना या भौतिक रूप से कब्जा करना शुरू नहीं करना चाहिए

एक बार जब उस पर कब्जा कर लिया जाता है तो उस पर कब्जा करने के लिए जाँच की कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके बाद, यदि भूमि का कोई और संरक्षण या भूमि पर कोई पुनः प्रवेश किया जाता है या कोई उस पर खेती शुरू करता है।

खुली भूमि या आउटहाउस आदि में रहने वाले लोगों को उस भूमि पर अतिक्रमण करने वाला माना जाता है जो राज्य के कब्जे में है। अतिक्रमणकारी का अधिकार हमेशा वास्तविक मालिक के लाभ के लिए होता है जो कि

मामले में राज्य सरकार।

246. अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों और राज्यों की ओर से यह आग्रह किया गया था कि अधिग्रहण करने के तरीके के संबंध में कोई मतभेद नहीं है आई. डी. ए. बनाम शैलेंद्र और पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. (ऊपर) में अधिकार, और यह कि बाद वाला अधिकार के पहलू के बारे में निर्णय नहीं है। श्री बालाजी नगर में दो न्यायाधीशों की पीठ का फैसला

इंदौर विकास प्राधिकरण मामले (ऊपर) में आवासीय संघ (ऊपर) को खारिज कर दिया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में लिया गया दृष्टिकोण वेलक्सन इंदौर विकास प्राधिकरण v में निर्णय के रूप में प्रबल होना चाहिए।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

कुमार (ऊपर), इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, यह अदालत मामले की नए सिरे से जाँच करने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि मुद्दे तैयार किए गए हैं।

247. अधिकार की अवधारणा जटिल है। इसमें दूसरों को रखने और बाहर करने का अधिकार शामिल है, जो आवश्यक है।

कब्ज़ा उस चीज़ के चरित्र पर निर्भर करता है जो कब्ज़ा में है।

यदि भूमि किसी भी उपयोग में सक्षम नहीं है, तो इसका उपयोग न करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मालिक के कब्जे में नहीं है। स्थापित सिद्धांत यह है कि अधिकार शीर्षक का पालन करता है। कब्जा में संपत्ति पर नियंत्रण शामिल है। अधिकार का तत्व भौतिक नियंत्रण या वस्तु पर शक्ति और शक्ति का प्रयोग करने का इरादा या इच्छा है। कॉर्पस और एनिमस दोनों आवश्यक हैं और इनका सह-अस्तित्व होना चाहिए। अधिग्रहित भूमि का कब्जा 1894 के अधिनियम के तहत धारा 16 या 17 के तहत लिया जाता है। सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार है। धारा 16 के तहत चरण धारा 4 (1) और धारा 9 (1) के चरण के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद कब्जा करने के

लिए आता है। धारा 16 के तहत, अधिकार लेने पर पुरस्कार पारित करने के बाद और धारा 17 के तहत पुरस्कार पारित करने से पहले निहित किया जाता है।

248. मित्रा का "संपत्ति के स्वामित्व और स्वामित्व का कानून", दूसरा संस्करण। , विद्वान लेखक ने वेस्ट पब्लिशिंग कंपनी के स्थायी संस्करण, वर्ड्स एंड फ्रेजेज की मदद से 'अतिचार' और 'अतिचार' अभिव्यक्तियों से निपटा है, जिसे इस संबंध में भी उद्धृत किया गया है कि कौन अतिचारकर्ता है:

" एक "अतिचारक" वह व्यक्ति है जो ऐसा करने के विशेषाधिकार के बिना दूसरे के कब्जे में भूमि में प्रवेश करता है या रहता है।

मालिक की सहमति से या अन्यथा बनाया गया। री विम्मर्स एस्टेट में, 182 पी. 2 डी 119,121,111 यूटा 444 "।

" एक "अतिक्रमणकारी" वह है जो मालिक की सहमति, व्यक्त या निहित, या कानून द्वारा बनाए गए विशेषाधिकार के बिना दूसरे के कब्जे में भूमि में प्रवेश करता है या रहता है। कीसेकर

वी. जी. एम. मैकेल्वी कं., 42 एन. ई. 2 डी 223,226,227,68 ओहायो

ऐप. 505. "

249. जो ऐसा करने के विशेषाधिकार के बिना दूसरे की भूमि पर प्रवेश करता है या कब्जे में रहता है, उसे भी अतिक्रमणकारी माना जाता है। एस. एम. याकूब बनाम में पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले के बल पर। टीएन.

बसु 1 60, मित्रा ने इस अवलोकन का उल्लेख किया है कि कब्जा होना चाहिए।

160 ए. आई. आर. 1949 पैट 146 [2020] 3 एस. सी. आर.

व्यवसाय के साथ भ्रमित न हों। एक व्यक्ति काफी समय तक कब्जा किए बिना संपत्ति के वास्तविक कब्जे में हो सकता है। वह व्यक्ति जिसे अपनी इच्छानुसार संपूर्ण का उपयोग करने का अधिकार है। आंशिक रूप से कब्जा यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि व्यक्ति बाकी के कब्जे में है। विद्वान लेखक ने जोविट के अंग्रेजी कानून के शब्दकोश का उल्लेख किया है,

एड। 1969 , ताकि यह समझाया जा सके कि कब्ज़ा क्या है।

" स्वामित्व की तीन आवश्यकताएँ हैं। सबसे पहले, वास्तविक या संभावित भौतिक नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, भौतिक

नियंत्रण कब्जा नहीं है जब तक कि इरादे के साथ न हो।

इसलिए अगर किसी सोते हुए व्यक्ति के हाथ में कोई चीज़ रखी जाती है तो उसके पास उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तीसरा, संभावना और इरादा दिखाई देना चाहिए या बाहरी संकेतों द्वारा सबूत होना चाहिए क्योंकि अगर चीज़ किसी के नियंत्रण में होने के कोई संकेत नहीं दिखाती है, तो यह नहीं है।

अधिकार।

250. अधिकार का गठन करने के लिए, एक व्यक्ति को भौतिक नियंत्रण में होना चाहिए। उसी पर कब्जा नहीं है जब तक कि इरादा न हो।

और तीसरा, संभावना और इरादा दिखाई देना चाहिए; अन्यथा, यह अधिकार नहीं है। मित्रा ने आगे इस बात पर चर्चा की है कि कब्जा कैसे निर्धारित किया जाए। प्रासंगिक उद्धरण यहाँ उद्धृत किया गया है:

" 36. किसके अधिकार में है-इसका निर्धारण। जोन्स वी। चॉपमैन, (1849) 2 एक्स। 803 : 18 एल. जे. एक्स. 456 : 76 पीआर 794;

मौले, जे, ने इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की:

" यदि एक क्षेत्र में दो व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक यह दावा करता है कि क्षेत्र उसका है, और प्रत्येक इस दावे में कुछ कार्य कर रहा है

अधिकार कब्जा, और यदि सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा वास्तविक कब्जे में है, तो मैं जवाब देता हूं, जिस व्यक्ति के पास शीर्षक है वह वास्तविक कब्जे में है और दूसरा व्यक्ति एक अतिचारक है।

ऐसे मामले में जो कब्जे में है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाना है

शीर्षक का तथ्य और एक ही स्पष्ट वास्तविक होना

स्वामित्व;

यह सवाल कि दोनों में से कौन सा वास्तव में कब्जे में है, कब्जे के तथ्य से निर्धारित होता है; शीर्षक के बाद, यानी कानून द्वारा, जो इसे शीर्षक का पालन करता है।"

किनोच लिमिटेड बनाम। रोलैंड्स, (1912) 1 सीएच 527; एलजे सीएच 340;

106 एल. टी. 316; प्रति जॉयस, जे, जहाँ उनका लॉर्डशिप कहता है:

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

" यह भूमि के संदर्भ में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है।

घटनाएँ जहाँ वास्तव में कब्ज़ा समाप्त हो जाता है

या सबूत अनिर्णायक है, अधिकार, कानून का पालन करता है

अधिकार रखने का अधिकार। जहाँ तक लिटिलटन के समय की बात है,

उन्होंने कहा, "जहां दो एक साथ एक घर या अन्य घरों में हों।

उक्त भूमि और आवासों पर दावा करने के लिए, और जो दावा करता है

एक शीर्षक से और दूसरे शीर्षक से, कानून

उसे अधिकार में निर्णय दें जिसे अधिकार रखने का अधिकार है एक ही मकानों में।

(जोर दिया गया)

251. उपाधि वाले व्यक्ति को वास्तविक अधिकार में माना जाता है।

दूसरा व्यक्ति एक अतिक्रमणकारी है। कानून में कब्जा किनोक लिमिटेड v में रखे गए अधिकार का पालन करता है। रोलैंड्स 161. आम तौर पर, संपत्ति के मालिक को कब्जे में माना जाता है और कब्जे के बारे में अनुमान उसके पक्ष में होता है। कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल बनाम। अनिल कुमार भुनजा और अन्य। , 162 , इस न्यायालय ने कहा कि कब्जा एक अधिकार और एक तथ्य का तात्पर्य है; संपत्ति के अधिकार और वास्तविक इरादे के तथ्य के साथ संलग्न आनंद लेने का अधिकार। इसमें नियंत्रण की शक्ति और नियंत्रण करने का इरादा शामिल है। कब्जा संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

" 13. " कब्ज़ा "एक बहुरूपी शब्द है जिसमें हो सकता है

विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग अर्थ। यह असंभव है कि

एक पूरी तरह से तार्किक और सटीक परिभाषा तैयार करें

" कब्ज़ा "में सभी स्थितियों के लिए समान रूप से लागू

सभी कानूनों के संदर्भ। डायस और ह्यूजेस अपनी पुस्तक में

न्यायशास्त्र का कहना है कि अगर किसी विषय को कभी बहुत अधिक नुकसान हुआ है

इसे सिद्धांत रूप देना "अधिकार" का है। इस कठिनाई का बहुत कुछ

और भ्रम है (जैसा कि सैल्मंड के न्यायशास्त्र में बताया गया है,

12 टी एडन। , 1966) इस तथ्य के कारण कि अधिकार नहीं है

विशुद्ध रूप से एक कानूनी अवधारणा "। अधिकार "का अर्थ है एक अधिकार और एक

तथ्य; संपत्ति के अधिकार से जुड़ा आनंद लेने का अधिकार और

वास्तविक इरादे का तथ्य। इसमें नियंत्रण की शक्ति शामिल है और

नियंत्रित करने का इरादा। (डायस और ह्यूजेस, आई. बी. आई. डी. देखें।)

14. पोलक और राइट के अनुसार,

" जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के साथ इस तरह के संबंध में है कि, जहाँ तक

चीज के संबंध में, वह मान सकता है, अभ्यास कर सकता है या मैनुअल को फिर से शुरू कर सकता है

161 (1912) 1 चै. 527162 (1979) 4 एससीसी 274 [2020] 3 एस. सी. आर.

आनंद में इसका नियंत्रण, और जहाँ तक अन्य व्यक्तियों का संबंध है, वह वस्तु उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के संरक्षण में है, या उसके द्वारा कब्जा किए गए घर या भूमि में या उस पर या उसके स्वामित्व वाले किसी पात्र में और उसके नियंत्रण में है, वह भौतिक रूप से है।

चीज़ का अधिकार "।

15. यह स्वीकार करते हुए कि "कब्जा" एक विशुद्ध रूप से कानूनी अवधारणा नहीं है, बल्कि तथ्य की बात भी है, सैल्मंड (12 वीं संस्करण, पी। 52)

"कब्ज़ा, वास्तव में", एक व्यक्ति और एक चीज़ के बीच के संबंध के रूप में वर्णित करता है। विद्वान लेखक के अनुसार परीक्षा

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति के पास कुछ है

यह है कि क्या वह इसके सामान्य नियंत्रण में है।

252. राम दास बनाम। देविंदर 1 63, इस न्यायालय ने कहा कि आम बोलचाल में अधिकार और व्यवसाय का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन

कानूनी कब्जा एक मालिक के रूप में संपत्ति रखने के बराबर है, जबकि कब्जा करने का अर्थ है उसमें उपस्थित होकर कब्जा रखना। भिंका और ओआरएस में। वी. चरण सिंह, भिंका और अन्य। वी. चरण सिंह 164, इस अदालत ने माना

कब्जा लेने और बनाए रखने के बीच द्विभाजन। वे परस्पर अनन्य अभिव्यक्तियाँ हैं और दो अलग-अलग स्थितियों पर लागू होती हैं। 'लेना' शब्द उस व्यक्ति पर लागू होता है जो किसी भूमि पर कब्जा करता है।

कानून के प्रावधानों के अनुसार, जबकि 'रिटेनिंग' शब्द प्रावधानों के अनुसार कब्जा करने वाले व्यक्ति पर लागू होता है।

कानून का, लेकिन बाद में उसी को अवैध रूप से बनाए रखना। भिंका और ओआरएस में। (ऊपर), कब्जा बनाए रखने के बारे में, यह देखा गया था:

" 14. यदि अपीलकर्ताओं ने विवादित भूमि पर कब्जा नहीं किया था, तो क्या उन्होंने उस समय लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार उसी पर कब्जा बनाए रखा था? लेने और बनाए रखने के बीच द्विभाजन इंगित करता है कि वे पारस्परिक रूप से अनन्य हैं और दो अलग-अलग स्थितियों पर लागू होते हैं। "लेना" शब्द कानून के प्रावधानों के अनुसार भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति पर लागू होता है, जबकि "बनाए रखना" शब्द भूमि लेने वाले व्यक्ति पर लागू होता है।

कानून के प्रावधानों के अनुसार कब्जा लेकिन बाद में इसे अवैध रूप से बनाए रखना। यह समझते हुए कि भूमि पर अपीलकर्ताओं का कब्जा शुरुआत से ही अवैध है, उन्हें प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

163 (2004) 3 एस. सी. सी. 684

164 1959 (पूरक 2) एस. सी. आर. 798 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

तत्काल प्रभाव से लागू किसी कानून का, ताकि वह इसके बाहर हो

अधिनियम की धारा 180 का दायरा।

253. 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत, भूमि पर कब्जा करने के तुरंत बाद सरकार को अधिकार सौंप दिया गया। 1894 के अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत, अधिग्रहित भूमि स्वामित्व या कब्जे के रूप में किसी भी शर्त या सीमा के बिना राज्य की संपत्ति बन गई। इस प्रकार पूर्ण शीर्षक राज्य में निहित है।

254. यह न्यायालय वी. चंद्रशेखरन और अन्र में है। वी. प्रशासनिक अधिकारी और अन्य 1 65 के अधिनियम के तहत निहित करने की अवधारणा से निपटा गया

1894. उक्त मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ताओं और राज्य और विकास बोर्ड के अधिकारियों ने एक-दूसरे के साथ सांठगांठ की ताकि अपीलकर्ता को सार्वजनिक भूमि को

हड़पने/अतिक्रमण करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसे अधिग्रहित किया गया था और दस्तावेजों को गलत साबित किया गया था ताकि उस पर फ्लैट का निर्माण किया जा सके। धोखाधड़ी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, राज्य के मुख्य सचिव

ऐसे अधिकारियों का पता लगाने और उनमें से प्रत्येक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के बाद भूमि का हस्तांतरण अमान्य है और इस तरह के बिक्री विलेख के आधार पर कोई स्वामित्व पारित नहीं होता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार राज्य में निहित भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त करने के बाद, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक बार भूमि का अधिग्रहण हो जाने के बाद, इसे कार्यकाल धारकों/इच्छुक व्यक्तियों को बहाल नहीं किया जा सकता है, भले ही इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए न किया गया हो जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया है। एक बार जब भूमि का कब्जा ले लिया जाता है, तो यह राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। धारा 16 और 17 के तहत, अर्जित संपत्ति

स्वामित्व या अधिकार के रूप में किसी भी सीमा या शर्त के बिना सरकार की संपत्ति बन जाती है। रिलायंस को फल और सब्जी व्यापारी संघ (ऊपर) पर रखा गया है:

19. यह कि "बनियान" शब्द परिवर्तनीय महत्व का एक शब्द है, भारतीय कानूनों के प्रावधानों द्वारा भी दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, प्रांतीय दिवाला अधिनियम (1920 का 5) की धारा 56 न्यायालय को निर्णय का आदेश देने के समय अधिकार देती है।

या उसके बाद दिवालिया की संपत्ति के लिए एक रिसीवर नियुक्त करना और आगे यह प्रावधान करना कि "ऐसी संपत्ति उस पर ऐसे रिसीवर में निहित होगी"। संपत्ति प्राप्तकर्ता की संपत्ति के प्रशासन के उद्देश्य से निहित होती है।

अपनी संपत्ति का एहसास होने के बाद अपने ऋणों के भुगतान के लिए दिवालिया। दिवालिया की संपत्ति प्राप्तकर्ता में सभी उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि केवल दिवाला अधिनियम के उद्देश्य के लिए निहित है और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरी ओर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 और 17 (एल. ए. का अधिनियम 1), यह उपबंध करता है कि इस प्रकार अर्जित संपत्ति,

कुछ घटनाओं का होना, पूरी तरह से निहित होगा

धारा 16 और 17 द्वारा अनुध्यात अर्जित संपत्तिबिना किसी शर्त के सरकार की संपत्ति बन जाती है

या अधिकार या अधिकार के रूप में सीमाएँ। विधायिका

यह स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति का निहित होना इसके लिए नहीं है

कोई सीमित उद्देश्य या सीमित अवधि। यह इस प्रकार दिखाई देगा कि "बनियान" शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, जिसका अर्थ है

सभी मामलों में कि संपत्ति व्यक्ति या व्यक्ति के स्वामित्व में है

अधिकार जिसे वह निहित करता है। यह शीर्षक में निहित हो सकता है, या यह निहित हो सकता है

अधिकार, या यह एक सीमित अर्थ में निहित हो सकता है, जैसा कि संकेत दिया गया है

जिस संदर्भ में इसका उपयोग किसी विशेष में किया गया हो सकता है

कानून का एक हिस्सा। सुधार अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 45 से 49 और 54 और 54-ए जब वे

किसी निश्चित इमारत या सड़क या वर्ग या अन्य भूमि की बात करें।

नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय या किसी न्यास में निहित होना,आवश्यक रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामित्व किसी के पास चला गया है

उन्हें "।

(जोर दिया गया)

255. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड बनाम। नरेश कुमार

इकुमार जगद और अन्य 1 6 166, वेस्टिंग की अवधारणा पर विचार किया गया था।

अदालत ने कहा कि निहित करने का अर्थ है पूर्ण और अक्षम्य

सामान्य अर्थ में, वस्त्र धारण करने का अर्थ है अधिकार में निहित होना। वेशभूषा

ब्याज निहित करना भी शामिल करें। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 38. " निहित "का अर्थ है एक निरपेक्ष प्राप्त करना और

अक्षम्य अधिकार। यह संदर्भित करता है और हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है यापरिवहन "। सामान्य अर्थ में "निहित" का अर्थ है निहित होना।

अधिकार। हालांकि, "वेस्टिंग" जरूरी नहीं है और

हमेशा अधिकार का अर्थ होता है लेकिन इसमें ब्याज का निहित होना शामिल है

ठीक है "। वेस्टिंग "का अर्थ हो सकता है शीर्षक में निहित होना, कब्जे में निहित होना।

या एक सीमित अर्थ में निहित, जैसा कि संदर्भ में संकेत दिया गया है

जिसका उपयोग अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान में किया जाता है। वह शब्द।

" बनियान के अलग-अलग रंग होते हैं, जो संदर्भ से रंग लेते हैं।

1 (12) एस. सी. सी. 695 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

"बनियान" शब्द के कपड़े संदर्भ से अलग-अलग रंग के होते हैं और ऐसी स्थिति जिसमें कानून में शब्द का उपयोग किया जाने लगा।

अभिव्यक्ति "बनियान" अस्पष्ट महत्व का एक शब्द है क्योंकि यह

इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है और इसे समझना होगा।

विभिन्न परिस्थितियों में एक अलग संदर्भ में।

[वीडियो फल और सब्जी व्यापारी संघ v. दिल्ली में सुधार

ट्रस्ट, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 344, महाराज सिंह बनाम। यू. पी. एयर का राज्य

1976 एससी 2602, नगर निगम। हैदराबाद बनाम। पी. एन. मूर्ति

ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 802, वट्टीचेरुकुरु ग्राम पंचायत बनाम। नोरी

वेंकटरामा दीक्षितुलु 1991 सप. (2) एस. सी. सी. 228, एम. इस्माइल

फारूकी वी। भारत संघ ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 605, एस. सी. सी. पी. 404 ,

पैरा 41, सरकार। ए. पी. वी. निजाम, हैदराबाद (1996) 3 एससीसी

282 , के. वी. शिवकुमार बनाम उपयुक्त प्राधिकरण (2000) 3 एससीसी 485 , नगर निगम। ग्रेटर बॉम्बे बनाम। हिन्दुस्तान

पेट्रोलियम कार्पोरेशन। आकाशवाणी 2001 एससी 3630 और सुलोचना

चंद्रकांत गलांडे बनाम। पुणे नगरपालिका परिवहन (2010) 8 एस. सी. सी. 467] "

(जोर दिया गया)

256. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वेस्टिंग कब्जे के साथ है और

कानून ने 1894 के अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत प्रावधान किया है कि एक बार कब्जा ले लिए जाने के बाद, पूर्ण निहितकरण हुआ। यह एक अक्षम्य अधिकार है और इसके बाद अधिकार निहित हो जाता है। धारा 16 के तहत निर्दिष्ट निहितिकरण विभिन्न चरणों के बाद होता है, जैसे कि अधिसूचना।

धारा 4 के तहत, धारा 6 के तहत घोषणा, धारा 9 के तहत नोटिस, धारा 11 के तहत पुरस्कार और फिर कब्जा। संपत्ति को सभी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त करने का वैधानिक प्रावधान किया जाना चाहिए।

पूर्ण प्रभाव। न केवल राज्य में कब्जे वाले जैकेट बल्कि अन्य सभी बाधाओं को भी तुरंत हटा दिया जाता है। जमींदार का अधिकार समाप्त हो जाता है और राज्य संपत्ति का पूर्ण मालिक और कब्जा बन जाता है। इसके बाद संपत्ति पर भूमि-स्वामी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसे संपत्ति लेने और उसे नियंत्रित करने के लिए कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। भले ही उसने कब्जा बरकरार रखा हो या अन्यथा अतिक्रमण किया हो।

राज्य द्वारा कब्जा किए जाने के बाद, वह एक अतिचारक है और अतिचारक का ऐसा कब्जा उसके लाभ के लिए और राज्य की ओर से होता है।

मालिक।

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

257. भूमि राज्य में निहित होने के बाद, कुल नियंत्रण है

निगम और अन्य 67, इस न्यायालय ने बॉम्बे नगर निगम अधिनियम की धारा 220 के संदर्भ में निहित करने की अवधारणा पर चर्चा की। यह. रिचर्डसन बनाम सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है। रॉबर्टसन, (1862) 6 एल. टी. 75 इस प्रकार:

" 8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 220 में यह प्रावधान है कि

नाली जो निगम में निहित है, एक नगरपालिका नाली है

और निगम के नियंत्रण में होगा। इसमें

संदर्भ में, सवाल यह उठता है कि किस अर्थ की आवश्यकता है

धारा 220 में आने वाले "बनियान" शब्द को निर्दिष्ट करें

एक्ट? रिचर्डसन बनाम। पी. पर रॉबर्टसन 6 एल. टी. 78 , यह देखा गया था

लॉर्ड क्रैनवर्थ द्वारा निम्नानुसार: (एल. टी पी. 78)

" 'बनियान' शब्द कम से कम अस्पष्ट महत्व का शब्द है।

प्रथम दृष्टया कब्जा में 'निहित' होना अधिक स्वाभाविक है।

अर्थ। अभिव्यक्तियाँ 'निवेश'-'वस्त्र' और

शब्द, पहली नज़र में आनंद की ओर इशारा करते हैंअधिकार प्राप्त करना। लेकिन मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ

तर्क जिसे बार में दबाया गया था, कि लंबे समय तक उपयोग से

' मूल रूप से 'निहित' का अर्थ है एक निरपेक्ष प्राप्त करना

और अक्षम्य अधिकार, जैसा कि नहीं से विरोधाभासी है

इसका प्राथमिक व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ है, अर्थात्, निहितकब्जे में।

15. इसलिए हमारा मानना है कि "बनियान" शब्द का अर्थ है

शीर्षक में निहित होना, कब्जे में निहित होना या सीमित में निहित होना

अर्थ, जैसा कि उस संदर्भ में इंगित किया गया है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है

अधिनियम का विशेष प्रावधान।

(जोर दिया गया)

258. 'बनियान' शब्द का अर्थ उस संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें

इसका उपयोग अधिनियम के एक विशेष प्रावधान में किया जाता है। वेस्टिंग पूर्ण है और सभी बाधाओं से मुक्त है जिसमें कब्ज़ा भी शामिल है। एक बार जब वहाँ वेस्टिंग है

167 2001 (8) एस. सी. सी. 143 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

259. अब, न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित 1894 के अधिनियम पर कब्जा करने के तरीके की जांच करेगा। बलवंत नारायण दे (ऊपर) में यह देखा गया था कि तहसीलदार का भूमि पर जाने और

निरीक्षण करने का कार्य अधिग्रहण करने के लिए पर्याप्त था।पेशा. इसके बाद, सरकार या मिशन के लिए इस अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत अधिग्रहण से हटने की अनुमति नहीं होगी।

यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

" 28. हम अपने भाई के निष्कर्ष से सहमत हैं।

उन्तवालिया, जे., और साथ ही उस तर्क के साथ जिस पर निष्कर्ष आधारित है। लेकिन हम एक अलग फैसला लिख रहे हैं।

और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 35,36,95 और 96 के तहत "वास्तविक" कब्जा आवश्यक नहीं है वर्तमान अपीलों का निपटान और हम अपने विद्वान भाई द्वारा कही गई बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं।

उन्तवालिया, जे., उस संबंध में, न ही हम व्यक्त करना चाहते हैं

अपने निर्णय में उनके द्वारा की गई विभिन्न अधिकारियों की चर्चा के साथ हमारी सहमति। हम समझते हैं कि यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जब सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एल. ए. के तहत उसके द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसे भूमि का वास्तविक कब्जा लेना चाहिए क्योंकि इसमें सभी हित शामिल हैं।

इसके द्वारा भूमि अधिग्रहण की मांग की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायिक निर्णयों द्वारा समझे जाने वाले अर्थ में "प्रतीकात्मक" कब्जा लेने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। न ही केवल कागज पर कब्जा करना पर्याप्त होगा। अधिनियम सरकार को भूमि सौंपने की एक आवश्यक शर्त के रूप में जिस पर विचार करता है, वह है भूमि का वास्तविक कब्जा लेना। इस तरह का कब्जा कैसे लिया जा सकता है, यह भूमि की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इस तरह के कब्जे को भूमि की प्रकृति के अनुसार लेना होगा। भूमि पर कब्जा करने के लिए कौन सा अधिनियम पर्याप्त होगा, यह निर्धारित करने वाला कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं हो सकता है। इसलिए, हमें एक पूर्ण और अलंघनीय नियम निर्धारित करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि केवल मौके पर जाना और ढोल की थाप से या अन्यथा घोषणा करना [2020] 3 एस. सी. आर. का गठन करने के लिए पर्याप्त होगा।

प्रत्येक मामले में भूमि का कब्जा लेना। लेकिन यहाँ, हमारे

राय, क्योंकि भूमि परती पड़ी थी और वहाँ कोई नहीं था

उस पर भौतिक समय पर फसल, तहसीलदार का कार्य

मौके पर जाकर भूमि का निरीक्षण करने के उद्देश्य से

यह निर्धारित करना कि कौन सा हिस्सा बेकार और कृषि योग्य था और क्या होना चाहिए,

इसलिए, इसका अधिकार लिया जाए और इसकी सीमा निर्धारित की जाए,

कब्जा लेने के लिए पर्याप्त था। ऐसा प्रतीत होता है।कि जब यह किया गया था तब अपीलार्थी उपस्थित नहीं था

तहसीलदार, लेकिन मालिक या रहने वाले की उपस्थिति

कब्जा लेने के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है।

कानूनी आवश्यकता के रूप में भी यह सख्ती से आवश्यक नहीं है।कि सूचना के मालिक या रहने वाले को दी जानी चाहिए

वह भूमि जिस पर किसी विशेष समय पर कब्जा किया जाएगा,

यद्यपि यह वांछनीय हो सकता है जहाँ संभव हो, ऐसी सूचना देना

इससे पहले कि अधिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि

केवल कागजी कब्जा लेने का लेन-देन, बिना रहने वाले या मालिक को कभी भी इसके बारे में पता चलता है।

260. तमिलनाडु आवास बोर्ड बनाम। ए. विश्वम (ऊपर) यह था

गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा का चित्र

यह कब्जा लेने का एक तरीका है। इस अदालत ने टिप्पणी की:

" 9. यह इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा तय किया गया कानून है कि

अधिग्रहण पर कब्जा करने के स्वीकृत तरीकों में से एक

भूमि एक ज्ञापन या पंचनामा का अभिलेखन हैएल. ए. ओ. उनके द्वारा हस्ताक्षरित गवाहों की उपस्थिति में और

भूमि का कब्जा लेना होगा जैसा कि यह होगा अधिग्रहित भूमि पर भौतिक कब्जा करना असंभव है।

यह सामान्य ज्ञान है कि कुछ मामलों में मालिक /

इच्छुक व्यक्ति कब्जा लेने में सहयोग नहीं कर सकता है

भूमि "।

(जोर दिया गया)

261. बांदा विकास प्राधिकरण (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

एक पंचनामा को वापस करना कब्जा करने के लिए पर्याप्त है। यह न्यायालय आई. डी. इस प्रकार नीचे:

" 37. जिन सिद्धांतों को उपरोक्त से निकाला जा सकता है

उल्लेखनीय निर्णय इस प्रकार हैं:

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

((i) कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या कार्य करता है।

अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेना होगा।((ii) यदि अधिग्रहित भूमि खाली है, तो राज्य प्राधिकरण का अधिनियम

मौके पर जाकर पंचनामा तैयार करने के लिए चिंतित

आम तौर पर लेने के लिए पर्याप्त माना जाता है

अधिकार।

((iii) यदि फसल अधिग्रहित भूमि या भवन पर खड़ी है /

संरचना मौजूद है, केवल प्राधिकरण द्वारा मौके पर जा रहा है

संबंधित, अपने आप में, लेने के लिए पर्याप्त नहीं होगा

अधिकार। सामान्यतया, ऐसे मामलों में, संबंधित प्राधिकारी

भवन के अधिभोगियों को नोटिस देना होगा /

संरचना या वह व्यक्ति जिसने भूमि पर खेती की है और

स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में कब्जा और प्राप्त करें

पंचनामे पर उनके हस्ताक्षर। बेशक, इनकार

भूमि या भवन/संरचना के मालिक के लिए एक कारण नहीं हो सकता है

ले जाया गया।((iv) यदि अधिग्रहण भूमि के एक बड़े हिस्से का है, तो यह नहीं हो सकता है -

अधिग्रहण/नामित प्राधिकारी के लिए संभव हैभूमि के प्रत्येक हिस्से पर भौतिक अधिकार और

यह पर्याप्त होगा कि प्रतीकात्मक अधिकार लिया जाए

की उपस्थिति में उपयुक्त दस्तावेज़ तैयार करना

स्वतंत्र गवाह और ऐसे गवाहों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करना

दस्तावेज़।

(v) यदि अधिग्रहण का लाभार्थी एक एजेंसी है /राज्य का साधन और कुल मुआवजे का 80 प्रतिशत

धारा 17 (3-ए) के संदर्भ में जमा किया जाता है और

अधिग्रहित भूमि के हिस्से का उपयोग आगे बढ़ाने के लिए किया गया है।

विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, तब न्यायालय

उचित रूप से यह मान लें कि अधिग्रहित भूमि का अधिकार है

ले जाया गया। "

262. तमिलनाडु और अन्र राज्य में। वी. महालक्ष्मी अम्मल ओआरएस। , (ऊपर), इस न्यायालय ने इसे लेने के अधिकार नोड पर निहित होने के प्रभाव पर विचार किया और इस प्रकार राय दी:

" 9. यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि धारा 6 के तहत घोषणा का प्रकाशन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्णायकता देता है। पुरस्कारइसे 26-9-1986 पर बनाया गया था और सर्वेक्षण संख्या 2/11 के लिए पुरस्कार [2020] 3 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31-8-1990 पर बनाया गया। पहले से ही कब्ज़ा

आई. डी. 1 पर शुरू किया गया, यह अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य में निहित है जो सभी बाधाओं से मुक्त है और इस तरह सरकार ने भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। प्रारंभिक पुरस्कार अधिनियम की धारा 11 के तहत दो साल के भीतर दिया गया है, यह तथ्य कि बाद में पुरस्कार 1990 को दिया गया था, प्रारंभिक पुरस्कार को अमान्य नहीं करता है। यह भी देखा जाना चाहिए कि बेदखल होने की स्थिति बनी हुई है। एक बार जब बेदखल करने पर रोक लग जाती है, तो आगे की सभी कार्यवाहियों को अनिवार्य रूप से इस न्यायालय द्वारा निर्धारित रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, सीमा भी एक बाधा के रूप में नहीं खड़ी होती है जैसा कि प्रदान किया गया है

अधिनियम की धारा 11-ए के परंतुक में। समान रूप से, भले ही धारा 9 और 10 के तहत नोटिस की सेवा में कोई अनियमितता हो, यह एक इलाज योग्य अनियमितता होगी और इसके कारणइसलिए, धारा 11 के तहत दिया गया पुरस्कार अमान्य नहीं हो जाता है। पुरस्कार केवल राज्य की ओर से एक प्रस्ताव है। यदि बिना विरोध के मुआवजा स्वीकार किया जाता है, तो यह इस तरह से बाध्य करता है

पक्षकार लेकिन धारा 28-ए के अधीन। अर्जित का अधिकार

भूमि केवल एक ज्ञापन के माध्यम से ली जाएगी,

पंचनामा, जो कानूनी रूप से स्वीकृत मानक है। किसी भी भौतिक कब्जे को लेना संभव नहीं होगा। इसलिए,

पूर्ववर्ती मालिक द्वारा बाद में जारी रखा जाना, यदि कोई हो, केवल अवैध या गैरकानूनी कब्जा है जो सरकार को बाध्य नहीं करता है और न ही धारा 16 के तहत निहित है जो अवैध कब्जाधारक को दिया गया है। इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था

पुरस्कार "।

263. बालमोकंद खत्री एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रस्ट में, ज़ार बनाम. पंजाब राज्य और अन्य धारा 68, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनिवार्य अधिग्रहण के तहत भूमि का भौतिक कब्जा लेना मुश्किल है। कब्जा लेने का सामान्य तरीका मसौदा तैयार करना है

पंचों की उपस्थिति में हनाम। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 4. यह देखा गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही का पूरा हिस्सा 17-4-1976 तक पूरा हो गया था। जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री पारेख ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने अभी भी अपना अधिकार बरकरार रखा है।

यह अब अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है।

96) 4 एस. सी. सी. 212 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

अनिवार्य अधिग्रहण के तहत भूमि का भौतिक कब्जा।

कब्जा लेने का सामान्य तरीका मसौदा तैयार करना है

पंचों की उपस्थिति में पंचनामा करना और कब्जा करना और लाभार्थियों को वितरण करना भूमि पर कब्जा करने का स्वीकृत तरीका है। इसके बाद, कब्जे को बनाए रखना केवल अवैध या अवैध के बराबर होगा।

अवैध कब्जा।5. इन परिस्थितियों में, केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने अधिग्रहित भूमि पर कब्जा बनाए रखा, अधिग्रहण

इसे कानून की दृष्टि से बुरा नहीं कहा जा सकता है। तब श्री पारेख द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता-संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान चला रहा है और एक सार्वजनिक विद्यालय स्थापित करने का इरादा रखता है और चूंकि अन्य भूमि उपलब्ध थी, इसलिए सरकार ने अपीलकर्ता के लिए अधिग्रहित भूमि को छोड़कर कुछ अन्य भूमि का अधिग्रहण किया होगा। उच्च न्यायालय में दायर जवाबी-हलफनामे में यह कहा गया था कि अधिग्रहित भूमि के अलावा, अपीलार्थी के पास 482 नहरों और 19 मरला भूमि भी थी। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि अपीलार्थी आगे बढ़ने के लिए अक्षम नहीं है

उस शैक्षणिक संस्थान की निरंतरता जिसे वह स्थापित करना चाहता है। तब यह तर्क दिया जाता है कि एक अवसर हो सकता है

अपीलार्थी को राज्य सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जाता है। हम पाते हैं कि हमारे लिए देना आवश्यक नहीं है

अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद से ऐसी कोई स्वतंत्रता पहले से ही है

पूरा हुआ "।

264. पी. के. कालबुर्गी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। , 169 , अधिकार के तरीके के साथ, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

" 6. इसके अलावा, माननीय मंत्री जिन्होंने आदेश पारित किया

विचाराधीन भूमि का विमुद्रीकरण करने की मांग की गई प्रतीकात्मक अधिकार और वास्तविक अधिकार के बीच अंतर

और उसके आधार पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ें

कानून की समझ कि प्रतीकात्मक अधिकार वास्तविक अधिकार के बराबर नहीं है, और अधिग्रहण से पीछे हटने की शक्ति का प्रयोग "वास्तविक अधिकार" लेने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। यह दृश्य प्रतीत होता है

बलवंत में इस न्यायालय के बहुमत के फैसले के विपरीत

नारायण भागड़े बनाम। एम. डी. भागवत, जिसमें यह न्यायालय

यह देखा गया कि इस तरह का कब्जा कैसे लिया जाएगा

यह भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस तरह के कब्जे को भूमि की प्रकृति के अनुसार लेना होगा। भूमि पर कब्जा करने के लिए कौन सा अधिनियम पर्याप्त होगा, यह निर्धारित करने वाला कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं हो सकता है। तत्काल मामले में जिन भूमि पर कब्जा करने की मांग की गई थी, वे खाली थीं, इस अर्थ में कि उस पर कोई फसल या संरचना नहीं थी। ऐसे मामले में केवल प्रतीकात्मक कब्जा लिया जा सकता है, और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में बताया गया था, ऐसा कब्जा भूमि को सरकार को सौंपने के बराबर होगा। इसके अलावा, अपीलार्थी की चार एकड़ और उससे अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 118 एकड़ के बड़े क्षेत्र का हिस्सा थी। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि भूमि का कब्जा 6-11-1985 पर लिया गया था। यहां तक कि मंत्री का आदेश जिस पर अपीलार्थी द्वारा काफी निर्भरता रखी गई है, यह इंगित करता है कि

भूमि प्रतीकात्मक रूप से ली गई थी।

265. सीता राम भंडार सोसायटी, नई दिल्ली (ऊपर) इस न्यायालय में कहा गया है कि जब भूमि के बड़े क्षेत्र का कब्जा लिया जाना है, तो पंचनामा खींचकर कब्जा करना जारी है। इसी तरह का विचार ओम प्रकाश वर्मा और अन्य (ऊपर) में व्यक्त किया गया है जिसमें कहा गया है:

“ 85. जैसा कि पहले बताया गया है, "दीवानी अपीलों की अनुमति है" अभिव्यक्ति का केवल एक ही अर्थ है अर्थात उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

इसके अलावा, अधिशेष भूमि का निर्धारण

मालिकों की घोषणा बहुत पहले ही अंतिम हो गई है। द. अधिनियम की धारा 10 के तहत जारी अधिसूचनाएं और

पंचनामा पर कब्जा करना भी अंतिम होता है। की ओर से

राज्य में, यह दावा किया गया कि अधिशेष भूमि का कब्जा 20-7-1993 पर लिया गया था और यह दर्शाते हुए पंचनामा निष्पादित किया गया था कि कब्जा ले लिया गया है। यह गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित है। हमने उन विवरणों का अध्ययन किया है जो पेपर बुक में उपलब्ध हैं। यह तय कानून है कि जहां भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया जाना है, तो ठीक से निष्पादित पंचनामा द्वारा कब्जा करने की अनुमति है। [सीता राम भंडार सोसायटी बनाम। सरकार. (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2009) 10 एस. सी. सी. 501।]

86. यह विवाद में नहीं है कि पंचनामा नहीं किया गया है किसी भी अपीलार्थी द्वारा किसी भी कार्यवाही में पूछताछ की गई।

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

हालांकि यह कहा गया है कि चाणक्यपुरी सहकारी समिति

एक समय उस पर कब्ज़ा था और श्री वेंकटेश्वर उद्यमों को मालिकों द्वारा अधिकार दिया गया था और

गोल्डन हिल कंस्ट्रक्शन को भी अधिकार दिया गया था

निगम और उसके बाद इसे खरीदारों को दिया गया, तथ्य यह है कि मालिकों के कब्जे में नहीं हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि कब्जा राज्य द्वारा कानूनी और वैध रूप से लिया गया था

एक पंचनामा बिल्कुल सही है और होने योग्य है

बरक़रार रखा "।

266. एम. वेंकटेश और ओआरएस में। वी. आयुक्त, बैंगलोर निवेश प्राधिकरण, आदि। 170 , इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश दिया है कि कब्जा लेने का एक तरीका ड्राइंग है।

नमामि। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 17. अजय कृष्ण सिंहल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय भी इसी प्रभाव के हैं। भारत संघ (1996) 10 एस. सी. सी. 721, महावीर बनाम। ग्रामीण संस्थान (1995) 5 एस. सी. सी. 335, ज्ञान चंद बनाम। गोपाल (1995) 2 एस. सी. सी. 528, मीरा साहनी बनाम। दिल्ली के उपराज्यपाल (2008) 9 एस. सी. सी. 177 और टीका राम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 689 इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाद की तारीख तक, प्रत्यर्थियों ने वाद संपत्ति के कब्जे में 12 साल पूरे नहीं किए थे ताकि वे बी. डी. ए., वास्तविक मालिक के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए हकदार हो सकें। यह तर्क कि भूमि का कब्जा कभी नहीं लिया गया था, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है

अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह तय किया गया है कि लेने के तरीकों में से एक

कब्जा एक पंचनामा खींचने से होता है जिसका कौन सा हिस्सा रहा है

के नेतृत्व में साक्षय के अनुसार पूर्णता के लिए किया गया प्रतिवादी बीडीए। टी. एन. आवास बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। ए. विश्वम (1996) 8 एससीसी 259 और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम। गुजरात राज्य (1998) 4 एस. सी. सी. 387, बी. डी. ए. को पर्याप्त समर्थन देता है।

कि उसके द्वारा कब्जा करने का तरीका अपनाया गया था

अनुमेय मोड।"

नमामि। एनएएल लेआउट निवासियों में इसी तरह के प्रभाव के लिए किसी अन्य कानून में कब्जा लेने के तरीके के बारे में निर्धारित किया गया है।15) 17 एससीसी 1

7 (13) एससीसी 474 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसोसिएशन वी। बैंगलोर विकास प्राधिकरण 1 72. कोयला क्षेत्र आदि के संबंध में अन्य कानूनों के संबंध में कुछ निर्णयों का उल्लेख किया गया था और कब्जा कैसे लिया जाता है और किस हद तक निहित किया जाता है। उन्हें विशेष अधिनियम के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अधिकार में विभिन्न अधिकार शामिल हैं, इसलिए इसे एक विशेष क़ानून में जोड़ा जाना चाहिए जिसके लिए हमारे पास इस न्यायालय के बहुत सारे निर्णय हैं। इसलिए, हमें अन्य मामलों में निर्णयों से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय में कहा गया कि एक व्यक्ति को एक अच्छी तरह से परिभाषित खनन क्षेत्र में निहित खनिजों के कब्जे में कहा जा सकता है, भले ही उसका वास्तविक भौतिक अधिकार एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित हो। आंशिक रूप से कब्जा पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। निर्णय याचिकाकर्ता के कारण में मदद नहीं करता है। एक बार एक ड्राइंग द्वारा कब्जा ले लिया गया है

पंचनामा, राज्य को पूरे क्षेत्र के कब्जे में माना जाता है न कि एक हिस्से के लिए। जैसा कि विशेष रूप से 1894 के अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान किया गया है, सभी बाधाओं से मुक्त अधिकार और नियंत्रण सरकार में निहित है। 268. मागुनी चरण द्विवेदी बनाम। उड़ीसा राज्य 1 73, भूमि कानूनों के प्रावधान से निपटता है जिसके लिए वास्तविक खेती के कब्जे की आवश्यकता होती है

जिनका हम यहाँ संबंध नहीं रखते हैं। श्री तारकेश्वर सियो ठाकुर जिउ बनाम। दार दास डे और Co.174, यह फिर से खनन से संबंधित मामला था। इस फैसले का कोई फायदा नहीं है। रमेश बेजॉय शर्मा बनाम में निर्णय। पशुपति राय 1 75 किराएदार के खास कब्जे और भौतिक कब्जे से संबंधित है, जिसके साथ हम तत्काल मामले में संबंधित नहीं हैं, और अभिव्यक्ति को निर्धारित करने के लिए निर्णय की कोई प्रासंगिकता नहीं है। तत्काल मामले में, हम इस सवाल पर विचार नहीं कर रहे हैं कि राजस्व कानूनों के तहत वास्तविक किसानों को क्या अधिकार दिए जाने हैं?

269. करणपुरा डेवलपमेंट कंपनी v. भारत संघ 1, फिर से खानों का मामला था। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य 1 77, इस न्यायालय ने तमिलनाडु आवास बोर्ड बनाम पर भरोसा किया। ए. विश्वम, (ऊपर), बालमोकंद खत्री एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रस्ट (ऊपर) और आयोजित यह कि पंचनामा का चित्रण कब्जा करने के लिए पर्याप्त है और अधिग्रहण को वैध माना गया था।

172 (2018) 12 एससीसी 400 173 1976 (2) एससीसी 134 174 1979 (3) एससीसी 106 175 (1979) 4 एससीसी 27 176 (1988) सप।

एससीसी 488 177 (1998) 4 एससीसी 387 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

270. वेलक्सन कुमार (ऊपर) में निर्णय को कानून को सही तरीके से निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने तस्वीरों पर विचार किया

यह भी मान लेना कि कब्जा नहीं लिया गया था। तस्वीरें इस बात का सबूत नहीं दे सकती हैं कि कब्जा लिया गया था या नहीं। ए की ड्राइंग

थोड़े समय के लिए या केवल फोटो लेने के लिए फिर से प्रवेश कर सकते हैं। यह पंचनामा खींचकर कब्जा करने की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जो कब्जा करने का एक दुर्लभ रूप से मान्यता प्राप्त और व्यवस्थित तरीका रहा है।271. रघबीर सिंह सहरावत बनाम में निर्णय में। हरियाणा राज्य ने यह टिप्पणी की थी कि जिस दिन पुरस्कार घोषित किया गया था, उस दिन पूरी भूमि पर कब्जा करना संभव नहीं है, इसे कानून को सही तरीके से निर्धारित करने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह बड़ी संख्या में उदाहरणों के विपरीत है। नर्मदा बचाओ में निर्णय

आंदोलन वी। M.P[1]7[9] की स्थिति, मामले के विशेष तथ्यों तक ही सीमित है। आयुक्त को मौके पर कब्जे का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया था। डीवीडी। और सी. डी. को यह मानते हुए देखा गया कि भूमि मालिकों के कब्जे में था। इंदौर के जिला न्यायाधीश ने कार्यकाल धारक के बयान दर्ज किए। हम आयुक्त की नियुक्ति या डी. वी. डी. और सी. डी. द्वारा कब्जा लेने के स्वीकार्य तरीके के रूप में कब्जा निर्धारित करने की विधि को मंजूरी नहीं देते हैं। समकालीन रूप से पंचनामा का चित्रण पर्याप्त है और यह अदालत आयुक्त के लिए आदेश XXVII, नियम 9 सी. पी. सी. के दायरे में कब्जे के तथ्य को निर्धारित करने के लिए खुला नहीं है। कब्जा लिया गया है या नहीं, यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त अपनी राय नहीं दे सकता है। हालांकि, अपने आप में पंचनामा का चित्र काफी है और इस तथ्य का प्रमाण है कि कब्जा ले लिया गया है।

272. भूमि मालिकों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 24 के तहत उपयोग की गई अभिव्यक्ति कब्ज़ा नहीं बल्कि भौतिक कब्ज़ा है। हमारी राय में, 1894 के अधिनियम के तहत जब धारा 16 के तहत या धारा 17 के तहत पुरस्कार पारित होने के बाद अधिकार लिया जाता है, तो पुरस्कार पारित होने से पहले भूमि राज्य में पूरी तरह से निहित होती है।

178 (2012) 1 एस. सी. सी. 792 179 (2011) 7 एस. सी. सी. 239 [2020] 3 एस. सी. आर.

कब्जा लेना, जो कब्जा लेने का तरीका है। इसके बाद, कब्जा में कोई भी पुनः प्रवेश या कब्जा बनाए रखना पूरी तरह से अवैध है और अतिक्रमणकर्ता का कब्जा मालिक के लाभ के लिए है और यहां तक कि खुली भूमि के मामले में भी, कब्जा मालिक का माना जाता है। जब भूमि खाली होती है और खुली होती है, तो इस न्यायालय द्वारा इसे मालिक का माना जाता है जैसा कि काशी बाई बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। सुधा रानी घोष 1 80.

अधिग्रहण और निहित होने के बाद सरकारी भूमि पर केवल पुनः प्रवेश

बिल्कुल राज्य में (1894 के अधिनियम के तहत) इसे कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और धारा 24 (2) का राज्य में निहित होने के बाद भूमि को बेचने का प्रभाव नहीं पड़ता है।

273. मारिया मार्गडिया सेक्वेरिया बनाम इरास्मो जैक डे

अनुभाग 1 8 1, इस न्यायालय के एक निर्णय को मंजूरी देते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून में "कब्जा" के बराबर क्या है और अभिनिर्धारित किया:

" कब्जा एक लचीला शब्द है और आवश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं है।

केवल संपत्ति के वास्तविक कब्जे तक। कानूनी

अधिकार की अवधारणा विभिन्न रूपों में हो सकती है। इन दोनों

अधिकार के तत्व कार्पस और एनिमस हैं। यदि शत्रुता की कमी है, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति कानून की नजर में भौतिक कब्जे में न हो। इसके विपरीत, अधिकार में रहने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति वास्तविक शारीरिक संपर्क में हो। अधिकार का पूरा विचार प्राप्त करने के लिए,

इस पर विचार करना चाहिए।

((i) अधिकार रखने वाला व्यक्ति, (ii) अधिकार में रखी गई चीजें और (iii) अधिकार से बाहर रखे गए व्यक्ति। एक आदमी एक पकड़ सकता है

अपने लिए उसमें किसी भी हित का दावा किए बिना आपत्ति। एक नौकर भले ही एक वस्तु पकड़े हुए हो, लेकिन उसे अपने स्वामी के लिए रखता है। इसलिए, उसके पास केवल चीज़ की अभिरक्षा है, न कि

अधिकार जो हमेशा स्वामी के पास रहेगा, हालांकि स्वामी वस्तु के वास्तविक संपर्क में नहीं हो सकता है। इसमें है।

यह प्रकाश जिसमें अधिकार की अवधारणा होनी चाहिए

एक सेवक और स्वामी के संदर्भ में समझा जाता है।

*** *****

मारिया मार्गडिया सेक्वेरिया (ऊपर) में उभरने वाले कानून के सिद्धांतों को नीचे स्पष्ट किया गया है:

180 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 434 181 2012 (5) एस. सी. सी. 370 विकास प्राधिकरण बनाम।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

" 1. यदि किसी को भी बिना किसी खर्च के परिसर में रहने की अनुमति दी जाती है तो कोई भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं करता है। वर्षों या दशकों के लंबे कब्जे से भी ऐसा व्यक्ति अधिग्रहण नहीं करेगा।

उक्त संपत्ति में कोई अधिकार या ब्याज।

274. नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड बनाम ईश दत्ता 1 82 के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में इस अदालत ने कहा कि:

" 28. जब के संबंध में कब्जा लिया जाना है

परती या पतित भूमि, ऐसा करने का केवल एक इरादा पर्याप्त नहीं हो सकता है। हालाँकि, अपीलार्थी का यह सकारात्मक रुख है कि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि और फसलें हैं।

वहाँ उगाया जाता था। यदि विचाराधीन भूमि कृषि भूमि है, तो न केवल वास्तविक भौतिक कब्जा लिया जाना था, बल्कि उन्हें ठीक से सीमांकित करने की भी आवश्यकता थी। अगर जमीन पर खड़ी फसलें होतीं, जैसा कि किया गया है

श्री राजू रामचंद्रन ने तर्क दिया कि कलेक्टर द्वारा इसके संबंध में कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी। यहां तक कि

कब्जा के उक्त प्रमाण पत्र में, यह नहीं कहा गया था कि जिस तारीख को कब्जा लिया गया था, उस तारीख को भूमि पर खड़ी फसलें थीं। हम देख सकते हैं किअचल संपत्ति के संबंध में कब्जा लिया जाना चाहिए।

संहिता के आदेश XXI नियम 35 में निर्धारित तरीके से

सिविल प्रक्रिया।

29. यह किसी भी समझ से परे है कि जब पूरी अधिग्रहित भूमि का कब्जा लिया गया है, तो वास्तविक कब्जा केवल उसके एक हिस्से का लिया जाएगा। कब्जे का प्रमाण पत्र या तो सही था या गलत। यह आंशिक रूप से सही या आंशिक रूप से गलत नहीं हो सकता है। या तो कब्जा वास्तव में वितरित किया गया था या वितरित नहीं किया गया था। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि लगभग 10 एकड़ भूमि के संबंध में कब्जा दिया गया था और शेष 55 एकड़ भूमि के संबंध में कब्जा नहीं लिया जा सका था। जब धारा 17 के प्रावधानों का सहारा लिया जाता है

ताकि, भूमि का अधिनिर्णय तुरंत प्रभावी हो जाए।

30. इस मामले की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि सभी कार्रवाई व्यापक तरीके से की गई थी। कलेक्टर ने 16 नवंबर, 1984 को अपने कब्जे के प्रमाण पत्र में कहा कि

यह कि पूरी भूमि के संबंध में कब्जा ले लिया गया था; भूमि और उसके क्षेत्र का विवरण भी कब्जे के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया था; यहां तक कि एनटीपीसी ने 24 फरवरी, 1986 को अपने पत्र में कहा था कि कब्जा केवल उसमें उल्लिखित चार गांवों में स्थित भूमि के संबंध में नहीं दिया गया था। निर्विवाद रूप से एनटीपीसी

10.215 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया। यह उठा।

उसके ऊपर निर्माण। यह समझना मुश्किल है कि अगर एनटीपीसी ने कुल मुआवजे का 80 प्रतिशत भुगतान किया होता।

अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3ए) के तहत,

65.713 एकर जमीन पर इसने केवल कब्जा प्राप्त किया था

लगभग 10.215 एकड़ भूमि का सम्मान और फिर भी इस तरह के लिए इसने माँ को लंबे समय तक रखा। इसलिए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि केवल प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया था।

275. वी. चंद्रशेखरन और अन्र में। वी. प्रशासनिक अधिकारी & Ors.183, भूमि का अधिग्रहण किया गया और अधिकारियों को कब्जा सौंप दिया गया। बाद में जमीन बेची गई, दस्तावेजों में हेरफेर किया गया,

अवैध था और वे भौतिक कब्जे में हैं। इस प्रकार, कार्यवाही में चूक हो जाती है। 277. अदालत इस तथ्य से अवगत है कि बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां भूमि अधिग्रहण के बाद विभिन्न निगमों को सौंप दिया गया है।

183 (2012) 12 एस. सी. सी. 133 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरलाल

[अरुण मिश्रा, जे।]

स्थानीय प्राधिकरण, अधिग्रहण निकाय, आदि। (अधिग्रहण के लिए) मुआवजा जमा करने के बाद उन निकायों और अधिकारियों को सौंप दिया गया है

भूमि का अधिकार। उन्होंने, बदले में, ऐसी अधिग्रहित भूमि के विकास के बाद संपत्तियों को सौंप दिया है; तीसरे पक्ष के हितों ने हस्तक्षेप किया है और अब ऐसी सभी कार्रवाइयों को अमान्य करने के लिए धारा 24 (2) की आड़ में घोषणा की गई है। जैसा कि हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 24 का उद्देश्य ऐसे मामलों को बिल्कुल भी शामिल करना नहीं है और कानून के प्रावधानों का इस तरह का घोर दुरुपयोग बंद होना चाहिए। एक बार निहित होने के बाद, एक स्पष्ट कानूनी प्रावधान के बिना स्वामित्व को मिटाया नहीं जा सकता है; किसी भी मामले में, भले ही भूमि मालिकों का तर्क कि कब्जे के बाद भी, मुआवजे का भुगतान न करने की स्थिति में, अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा, तर्कों के लिए था, स्वीकार किया जाएगा, इन तीसरे पक्ष के मालिकों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया जाएगा, जो उनके द्वारा कानूनी रूप से अधिग्रहित की जाएगी। बिना किसी प्रकार के मुआवजे के। इस प्रकार, हमें कब्जा करने के तरीके के संबंध में वेलक्सन कुमार (ऊपर) और नर्मदा बचाओ आंदोलन (ऊपर) में लिए गए निर्णयों को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है। हमारा मानना है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में कब्जा लेने का पंचनामा लेना राज्य में भूमि निहित करने का तरीका है और उसके बाद कोई भी पुनः प्रवेश या कब्जा बनाए रखना गैरकानूनी है और 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

पुनः प्रश्न संख्या 5: न्यायालय के अंतरिम आदेश का प्रभाव

278. अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया था कि अंतरिम रोक या निषेधाज्ञा के दौरान बिताई गई अवधि जिसके द्वारा अधिकारियों ने नहीं किया है

कब्जा लेने या भुगतान करने में सक्षम होने के लिए, धारा 24 (2) में प्रदान की गई 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि किसी लंबित मुकदमे में अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा अधिकारियों को प्रतिबंधित किया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण उस अवधि को शामिल करके समाप्त नहीं हो सकता है जिसके लिए अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने वाला अंतरिम रोक आदेश संचालित किया गया है। रिलायंस को "एक्टस क्यूरी नेमेनेम

ग्रेवबिट" सिद्धांत में निहित सिद्धांतों पर रखा गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) में विशेष रूप से अंतरिम रोक/निषेधाज्ञा की अवधि को छोड़कर प्रावधानों के अभाव में भी, उपरोक्त सिद्धांत आकर्षित किए गए हैं और अवधि को बाहर रखा जाना है।

2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत 5 साल की निर्धारित अवधि से न्यायालय। मुख्य कारण यह है कि विधायिका ने विशेष रूप से नहीं धारा 24 में ऐसी अवधि के अपवर्जन के लिए उपबंध किया गया है और दूसरा, जहां [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद ने अंतरिम आदेश की अवधि को बाहर करने की इच्छा व्यक्त की है जिसमें धारा 19 के परंतुक और 2013 के अधिनियम की धारा 69 के स्पष्टीकरण में ऐसी अवधि को बाहर करने का प्रावधान किया गया है। 1894 के अधिनियम में, धारा 6 में इसी तरह का प्रावधान किया गया था और धारा 11ए का स्पष्टीकरण दिया गया था। 2013 के अधिनियम को लागू करते समय हितधारकों के परामर्श की प्रक्रिया के दौरान, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने सुझाव दिया था कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश की अवधि को बाहर करने के लिए धारा 24 के प्रावधानों में एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाए। यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। भूमि सुधार विभाग द्वारा इस आधार पर कि यह खंड के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ टकराव में होगा। अंततः, अंतिम सिफारिश में, अदालत के अंतरिम आदेश की अवधि नहीं थी

बनाया गया। इस प्रकार, यह "केसस ओमिसस" है जिसे अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। उक्ति "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट" को लागू नहीं किया जाता है और यदि कभी क़ानून की व्याख्या के लिए लागू किया जाता है तो यह दुर्लभ है।280. पद्म सुंदर राव (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सिद्धांत पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है और इसी तरह खंडका में भी।

जैन ज्वेलर्स, (ऊपर), उक्ति लागू नहीं की गई थी। यह आग्रह किया गया कि अधिकतम के संबंध में स्नेल की इक्विटी (33वां संस्करण), 2015 में यह देखा गया है कि अधिकतम इक्विटी कानून के सिद्धांत का एक विशिष्ट नियम नहीं है। यह एक व्यापक विषय का कथन है जो न्यायसंगत अवधारणाओं को रेखांकित करता है।

और सिद्धांत। नतीजतन, न्यायसंगत उक्ति की उपयोगिता सीमित है। यह न्यायालय को कुछ सहायता प्रदान कर सकता है जब सिद्धांत के किसी विशेष नियम के दायरे के बारे में कुछ अनिश्चितता हो और एक न्यायसंगत विवेकाधिकार का प्रयोग करने में एक न्यायालय इसे लागू कर सकता है।

281. पार्सन ट्यूल्स एंड प्लांट्स (उपरोक्त) के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था कि अदालत द्वारा चूक की आपूर्ति नहीं की जा सकती है

उस पर नक्काशी करना या व्याख्या की आड़ में उसे पेश करना। ऐसा करने के लिए, यह विधायिका के संरक्षण पर निर्भर करेगा। जहाँ धारा 24 के तहत कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई है और कोई शुरुआत नहीं है

कार्य को पूरा करने के लिए बिंदु और अवधि, मुकदमों में बिताए गए समय को बाहर करने की धारणा प्रावधानों के लिए एक विदेशी अवधारणा है। अदालत को यह मान लेना चाहिए कि पुराना कानून दमनकारी और अन्यायपूर्ण था और समय के बहिष्कार की इस तरह की शुरुआत क़ानून के काम में जटिलता पैदा कर सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि सामान्य कानून के सिद्धांतों को विधायिका द्वारा क़ानून में ही व्यक्त या निहित निहितार्थ द्वारा बाहर रखा जा सकता है। में।

इस संबंध में, भारत संघ बनाम पर निर्भरता रखी गई है। एस. आई. सी. ओ. एम. लिमिटेड 84. यह भूमि मालिकों की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि कोई प्रावधान नहीं था

184 (2009) 2 एस. सी. सी. 121 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 24 (2) के तहत अंतरिम आदेश पर बिताए गए समय को हटाने का प्रावधान करने के लिए कोई भी अध्यादेश जारी करके और बाद में कानून में संशोधन करके अधिनियमित किया गया था, लेकिन अध्यादेश समाप्त हो गया। विधायिका प्रावधानों में संशोधन कर सकती थी क्योंकि अदालत इस अवधि को बाहर नहीं कर सकती।

282. इससे पहले कि हम विभिन्न प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर जाएं, विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न धारा 24 और उद्देश्यों की व्याख्या है और

2013 के अधिनियम के उद्देश्य। धारा 24 में विचार किया गया है कि 1894 के अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही उस तारीख तक लंबित है जिस दिन 2013 का अधिनियम अधिनियमित किया गया है और यदि कार्यवाही में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है, तो कोई चूक नहीं है और केवल मुआवजे का निर्धारण 2013 के अधिनियम के तहत किया जाना है। जहाँ एक पुरस्कार

धारा 24 (2) के तहत, जिसे प्राधिकरणों द्वारा पूरा किया जाना है, जहां अधिनिर्णय 2013 के अधिनियम के प्रारंभ से 5 साल या उससे अधिक समय पहले किया गया है, यदि भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। यदि कब्जा ले लिया गया है, तो अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों को मुआवजे का भुगतान करना होगा। अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए पांच साल का समय दिया गया है, न कि मामले पर सोने के लिए। अधिकारियों की ओर से सुस्ती या मशीनरी और चूक के मामले में।और बिना किसी अन्य कारण के चूक प्रदान की जाती है। चूक केवल भूमि अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों द्वारा चूक के मामले में प्रदान की जाती है, न कि किसी अन्य कारण या अदालत के

आदेश के कारण। जब प्रावधान की व्याख्या स्पष्ट है, तो अंतरिम आदेश की अवधि को हटाने के लिए संसद को धारा 24 (2) के तहत ऐसा प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि इसने धारा 19 (7) के प्रावधान के तहत घोषणा करने के लिए अंतरिम आदेश की अवधि को बाहर कर दिया है और 2013 के अधिनियम की धारा 69 के तहत अवधि की गणना के लिए भी बहिष्कार किया गया है। यह प्रावधान की भाषा को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रदान करने की आवश्यकता के कारण है। 2013 के अधिनियम की धारा 69 के तहत, दर पर अतिरिक्त मुआवजा

प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत दिया जाना है।

धारा 11. 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजे को इस अवधि के लिए बाहर रखा गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही किसी भी अदालत के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के कारण रुकी हुई है। धारा 24 के प्रावधानों ने अधिकारियों पर कदम उठाने का दायित्व डाल दिया है जिसका अर्थ है कि वे इस तरह के कदम उठाने के लिए तैयार हैं और निष्क्रियता या सुस्ती [2020] 3 एस. सी. आर.

या सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए, अवधि को बाहर करना होगा। मंत्री महोदय ने चर्चा के जवाब में श्री जयराम रमेश को चिंतित कियाऊपर उद्धृत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारियों के लिए कार्रवाई करने के लिए पांच साल की समय सीमा तय की गई है। यदि हम अंतरिम आदेश की अवधि को बाहर नहीं करते हैं, तो प्रावधान की भावना का उल्लंघन किया जाएगा।

283. दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम कार्यकारी प्राधिकरणों के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अवधि निर्धारित करने के संबंध में पांच साल है। सुखबीर सिंह और अन्य। (सुप्रा) ने देखा कि क्या

विधायिका वास्तव में कार्यपालिका को यह बता रही है कि उन्हें अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए था और पुरस्कार की घोषणा के बाद उचित समय के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करनी चाहिए थी। पाँच साल की छूट के बाद भी ऐसा नहीं करने पर, विधायी सहिष्णुता की सीमा को पार कर जाएगा, जिसके बाद पूरी कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। इस प्रकार, यह दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम के निर्णय से स्पष्ट है। सुखबीर सिंह और अन्य। (ऊपर), जिस पर भूमि मालिकों द्वारा भरोसा किया जाता है, वह समय सीमा कार्यकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित की जाती है

ऐसा प्रावधान भले ही इस प्रस्ताव पर विधान निर्माण के दौरान चर्चा की गई हो। हालांकि, अपवर्जन प्रदान करने वाले प्रावधान को लागू कर दिया गया है। यह अधिकारियों पर पांच साल के भीतर आवश्यक कदम उठाने का दायित्व डालता है, जिसमें अंतरिम आदेश की ऐसी अवधि शामिल नहीं है। 284. यह बताया गया कि कुछ राज्यों में, न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की अवधि को छोड़कर, धारा 24

(2) में संशोधन शामिल किए गए हैं। हमारी राय में, समय का अपवर्जन प्रदान करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और यह राज्यों की प्रचुरता द्वारा किया गया है।

और इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार ने भी अध्यादेश जारी करके समय के अपवर्जन के प्रावधान को लागू करने का प्रयास किया है, हालांकि वे समाप्त हो गए। यह श्री बालाजी नगर आवासीय संघ (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या और निर्णय के कारण था, जिसे कानून को सही ढंग से निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

285. 2013 के अधिनियम का उद्देश्य केवल वादियों को लाभान्वित करना नहीं है।

इसने एक नई व्यवस्था शुरू की है जो भूमि मालिकों के लिए फायदेमंद है। धारा 24 के प्रावधान स्वयं मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों को लाभ प्रदान करने का इरादा नहीं रखते हैं, जबकि 2013 के अधिनियम की धारा 114 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना है।

286. धारा 24 भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को एक के रूप में मानती है और

उक्त कार्यवाहियों के लिए संक्रमण तंत्र निर्धारित करता है। सामान्य रूप से भूमि का कब्जा एक बार में लिया जाना चाहिए, न कि अधिकारियों द्वारा टुकड़ों में। एक बार अधिनिर्णय दिए जाने के बाद, कब्जा लिया जा सकता है और उस पर धारा 16 के तहत राज्य में भूमि निहित है, और 1894 के अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत, किसी भी भूमि का कब्जा बिना अधिनिर्णय पारित किए तत्काल मामलों में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है। "अधिग्रहण कार्यवाही" पद को धारा 24 की उप-धारा (1) और (2) में संदर्भित किया गया है और इसके परंतुक से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश भूमि जोतों के मामले में मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।जमा किए गए, धारा 4 (1894 के अधिनियम की) के तहत अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। इसका उद्देश्य सभी संबंधित लोगों को लाभ देना भी है। मुआवजे का भुगतान भी करना होगा। भूमि का कब्जा धारा 4 के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा के संदर्भ में लिया जाना है और भुगतान किया जाना है

लाभार्थियों को दिया। यदि भुगतान नहीं किया गया है

न तो भूमि मालिकों को लिया जाता है और न ही कब्जा लिया जाता है, इसमें चूक होती है। यदि अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में 5 वर्षों के भीतर मुआवजा जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी 2013 के अधिनियम के तहत उच्च मुआवजे के हकदार हैं।

287. इस अदालत की राय में 2013 के अधिनियम का यह इरादा नहीं है कि जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया है, उन्हें उच्चतर लाभ मिलने चाहिए। धारा 24 के तहत विचार किए गए मुआवजे का लाभ दिया जाता है

सभी लाभार्थी। यह प्रावधानों द्वारा अभिप्रेत नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने मुकदमा दायर किया है और अंतरिम आदेश प्राप्त किया है, उन्हें टुकड़ों में2013 के अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करें। जिन लोगों ने 5 वर्षों के भीतर मुआवजे को स्वीकार कर लिया है और कब्जा भी सौंप दिया है, उन्हें लाभ होगा, यदि अधिकांश जोतों के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है। ऐसे मामले हैं जिनमें परियोजनाएं आंशिक रूप से सामने आई हैं और योजना के अनुसार योजनाबद्ध विकास के लिए शेष क्षेत्र की आवश्यकता है जिसके संबंध में अंतरिम रोक प्राप्त की गई है।

कानून का उद्देश्य अथक वादियों को लाभ पहुंचाना नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण 5 साल के भीतर कब्जा नहीं लिया जा सका। सार्वजनिक नीति मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसे समाप्त करने के लिए है। कई उदाहरणों में, विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं को एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था पीठ और रिट अपील लंबे समय से लंबित थे और जिनमें, परियोजनाओं की भूमि के हिस्से के संबंध में, धारा 24 (2) का लाभ प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। हमारे विचार में संसद का उपरोक्त कारणों से ऐसे वादियों को लाभ प्रदान करने का इरादा नहीं था। मुकदमा तुच्छ या उचित हो सकता है। ऐसे वादियों को अपने मामले के बल पर खड़ा होना पड़ता है और ऐसे मामले में 2013 के अधिनियम की धारा 114 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान स्पष्ट रूप से आकर्षित होते हैं और ऐसी कार्यवाही पुराने अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रखी जानी चाहिए जो 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) की भावना में होगी। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (बी) में प्रावधान है कि निरसन इस तरह से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। धारा 6 (सी)

इसमें कहा गया है कि निरसन इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। जब धारा 24 (1) (बी) में ही धारा 24 (बी) में उपबंधित धारा 24 के प्रयोजनों के लिए, जहां 1894 के अधिनियम के तहत अधिनिर्णय पारित किया गया है, उन कार्यवाहियों को जारी रखने का प्रावधान है, तो धारा 114 के प्रावधान स्पष्ट रूप से सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधानों के रूप में धारा 24 के अबाधित खंड की सीमा तक आकर्षित होते हैं, जहां कब्जा नहीं लिया गया है और न ही भुगतान किया गया है, वहां एक चूक होती है, वह भी अधिकारियों की निष्क्रियता से। किसी भी अदालत के अंतरिम आदेश को अधिकारियों या एजेंसियों की निष्क्रियता नहीं कहा जा सकता है; इस प्रकार, धारा

24 (2) में परिकल्पित 5 साल की अवधि की गणना के लिए समय अवधि को शामिल नहीं किया जाना है। धारा 24 (2) के प्रावधान के अनुसार, जहां कब्जा ले लिया गया है, लेकिन अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया गया है, सभी लाभार्थी

2013 के अधिनियम की धारा 114 के प्रावधानों को हटा दिया जाएगा, लेकिन यह सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग को समाप्त नहीं करेगा, जो धारा 24 (2) और इसके परंतुक में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर निरसन के प्रभाव से संबंधित है। 288. अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि केसस ओमिसस का सिद्धांत आवश्यक रूप से सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

एन. सी. ई. को सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम पर रखा गया है। एशर 1 85, में

निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

" इस मामले में निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या हम "बोझ" के सामान्य अर्थ का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि मेरे द्वारा वर्णित प्रकार के आकस्मिक बोझ को शामिल किया जा सके। अब यह न्यायालय पहले ही अभिनिर्धारित कर चुका है कि यह उप-धारा

उदारतापूर्वक समझा जाता है ताकि शासन को प्रभावी बनाया जा सके

विधान में सन्निहित सिद्धांत (विनचेस्टर कोर्ट एल. डी. v. मिलर); और मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी कोई क़ानून विचार के लिए आता है तो यह याद रखना चाहिए कि

यह मानव शक्तियों के भीतर नहीं है कि वे तथ्यों के कई समूहों का पूर्वानुमान लगा सकें जो उत्पन्न हो सकते हैं, और भले ही ऐसा था, लेकिन सभी अस्पष्टता से मुक्त शब्दों में उन्हें प्रदान करना संभव नहीं है। अंग्रेजी भाषा गणितीय परिशुद्धता का साधन नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा साहित्य और भी खराब होता। यही वह जगह है जहाँ संसद के अधिनियमों के मसौदा तैयार करने वालों की अक्सर अनुचित आलोचना की जाती है। एक न्यायाधीश, जो खुद को इस कथित नियम से बंधा हुआ मानता है कि उसे भाषा को देखना चाहिए और कुछ नहीं, विलाप करता है कि मसौदा तैयार करने वालों ने इसके लिए या उसके लिए प्रावधान नहीं किया है, या कुछ या अन्य अस्पष्टता का दोषी है। यदि संसद के अधिनियमों का मसौदा ईश्वरीय विवेक और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार किया जाता है तो यह निश्चित रूप से न्यायाधीशों की परेशानी को बचाएगा। में

इसकी अनुपस्थिति में, जब कोई दोष प्रकट होता है तो न्यायाधीश आसानी से ऐसा नहीं कर सकता है

अपने हाथ मोड़ें और ड्राफ्ट्समैन को दोष दें। उसे संसद के इरादे को खोजने के रचनात्मक कार्य पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और उसे यह न केवल क़ानून की भाषा से करना चाहिए,

लेकिन उन सामाजिक स्थितियों पर विचार करने से भी, जिन्होंने इसे जन्म दिया, और उस शरारत के बारे में भी, जिसे इसे सुधारने के लिए पारित किया गया था, और फिर उसे विधानमंडल के इरादे को "बल और जीवन" देने के लिए लिखित शब्द एससी का पूरक होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से हेडन के मामले में न्यायाधीशों के प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, और यह आज के लिए सबसे सुरक्षित मार्गदर्शक है। अच्छा व्यावहारिक इस विषय पर सलाह लगभग उसी समय दी गई थी

अपने दूसरे खंड एवस्टन वी में प्लोडेन। स्टड। घरेलू रूपक में यह है: एक न्यायाधीश को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए: यदि अधिनियम के निर्माताओं को स्वयं इसकी बनावट में इस गड़बड़ी का पता चलता, तो वे इसे कैसे ठीक करते?

फिर उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया होगा। न्यायाधीश को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस सामग्री से यह बुना गया है उसे बदल दें, लेकिन वह कर सकता है और उसे करना चाहिए

क्रीज को इस्त्री करें।

इस मामले को इस तरह से देखते हुए, मैं यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि

विधायिका ने विशेष रूप से एक आकस्मिक बोझ को ध्यान में नहीं रखा था जैसा कि हमारे यहाँ है। अगर यह होता, तो क्या यह इसे नहीं पहनता

एक वास्तविक बोझ के रूप में एक ही आधार? मुझे लगता है कि ऐसा होगा। यह होगा।किराया बढ़ाने की अनुमति दी है जब शर्तें ऐसी थीं

उनकी सहमति। लेकिन अगर, यहाँ की तरह, उन्होंने अपने दिमाग को निर्देशित नहीं किया इस बिंदु पर, अदालत को स्वयं राशि का आकलन करना है

बढ़ाते हैं। यह बताना होगा कि किरायेदार को कितना भुगतान करना चाहिए।

मकान मालिक को इस बोझ के हस्तांतरण का सम्मान। यह.

यह पूछकर ऐसा करना चाहिए कि एक इच्छुक किरायेदार किस पर सहमत होगा

वेतन और इच्छुक मकान मालिक इस संबंध में स्वीकार करने के लिए सहमत होंगे।

उसमें से। जैसे पहले के मामलों में अदालतें आकलन करने में सक्षम थीं

"फेयर वियर एंड टियर" खंड का मूल्य, और एक

" कुकर।" इसलिए वे गर्म पानी खंड के मूल्य का आकलन कर सकते हैं।

और इसे किराए के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से अनुवादित करें; और क्या लागू होता है

गर्म पानी अपशिष्ट हटाने आदि पर भी लागू होता है। आई.

सहमत हैं कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए, और आदेश के साथ

एस्क्विथ एलजे द्वारा प्रस्तावित।"

(जोर दिया गया)

289. रिलायंस को एम. पेंटिया बनाम पर भी रखा गया था। मुद्दला

वीरमल्लप्पा 1 86, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि जहां किसी कानून की भाषा अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय की ओर ले जाती है, जिसका इरादा नहीं है, तो उस पर एक ऐसा निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है। हमीदिया में हार्डवेयर स्टोर v. बी. मोहन लाल शौकर 87, यह माना गया कि बेतुकेपन से बचना चाहिए। उस निर्णय में सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड (ऊपर) के निर्णय पर भरोसा रखा गया था, जिसमें यह देखा गया था कि जब कोई दोष या चूक दिखाई देती है, तो एक न्यायाधीश बस अपने हाथ नहीं जोड़ सकता है और

186 (1961) 2 एससीआर 295

187 (1988) 2 एस. सी. सी. 513 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

ड्राफ्ट्समैन को दोष दें। विधायिका के इरादे को बल और जीवन देना कर्तव्य है। न्यायालय को संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कानून के शब्दों का उचित तरीके से अर्थ निकालना होगा।290. पुनः, मदन सिंह शेखावत बनाम। भारत संघ सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय का पालन किया गया है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

अक्षमता पेंशन का लाभ केवल इस आधार पर दिया जाएगा कि यात्रा का खर्च सरकारी खजाने द्वारा वहन नहीं किया गया था। अगर यात्रा को अधिकृत किया गया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता क्या इसके लिए किराया सरकारी खजाने से आया था

या खुद सेना के जवान "।

291. उपरोक्त प्रस्तावों के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, जब हम धारा 24 के प्रावधानों का अर्थ लगाते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से अदालत की अंतरिम रोक के दौरान बिताई गई अवधि को हटा देता है। कार्रवाई करने के उद्देश्य के लिए पांच साल की अवधि तय की गई है, अगर उन्होंने 5 साल या उससे अधिक समय से कार्रवाई नहीं की है, तो चूक होती है, अन्यथा नहीं। यहां तक कि अगर अदालत के आदेश के कारण अंतरिम रोक के संबंध में अदालत की कार्यवाही में बिताए गए समय को हटाने के संबंध में कोई प्रावधान किया गया होता, तो भी यह बहुत अधिक प्रतिबंध हो सकता था, जिस पर इस न्यायालय द्वारा भारत संघ और अन्य मामलों में विचार किया गया है। वी. मोदी रबर लिमिटेड 1 8 9. इस तरह का प्रावधान करना अनावश्यक होता। मोदी रबर लिमिटेड (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

" 7. ये दोनों अधिसूचनाएँ, जैसा कि उद्घाटन भाग से पता चलता है, हैं

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 (1) के तहत जारी किया गया और चूंकि नियम 2 में 'शुल्क' की परिभाषा, खंड (v) को अनिवार्य रूप से नियम 8 (1) में पेश किया जाना चाहिए और नियम 8 (1) में 'उत्पाद शुल्क' की अभिव्यक्ति को उस परिभाषा के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, नियम 8 (1) के तहत जारी इन दो अधिसूचनाओं में उपयोग की गई उसी अभिव्यक्ति की व्याख्या भी उसी अर्थ में की जानी चाहिए, अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क और इसके तहत दी गई छूट।

इन दोनों अधिसूचनाओं को केवल उत्पाद शुल्क तक ही सीमित माना जाना चाहिए। लेकिन उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति का एक बड़ा आयाम था और

188 (1999) 6 एससीसी 459 189 (1986) 4 एससीसी 66 [2020] 3 एस. सी. आर.

यह इंगित करने वाले किसी भी प्रतिबंधात्मक या सीमित शब्दों के अभाव में कि इसका उद्देश्य केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत अधिरोपित उत्पाद शुल्क को संदर्भित करना था, इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत या किसी अन्य अधिनियम के तहत अधिरोपित उत्पाद शुल्क के सभी शुल्कों को शामिल करने के लिए माना जाना चाहिए। प्रत्यर्थियों ने यह

इंगित करते हुए इस तर्क का समर्थन करने की मांग की कि जब भी केंद्र सरकार किसी अधिसूचना के तहत दी गई छूट को कर्तव्य तक सीमित रखना चाहती है

केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क, केंद्र सरकार ने "केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत देय उत्पाद शुल्क" या "केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क" या "देय उत्पाद शुल्क" जैसे सीमा के उचित शब्दों का उपयोग करके अपना इरादा स्पष्ट कर दिया।

उक्त अधिनियम के तहत "अधिसूचना सं। सीईआर-8 (3)/55 सी. ई. दिनांक 17 सितंबर, 1955, अधिसूचना संख्या 255/77-सी. ई. दिनांक 20 जुलाई, 1977, अधिसूचना सं। सीईआर-8 (1)/55-सी. ई. दिनांक 2 सितंबर, 1955, अधिसूचना सं। सीईआर-8 (9)/55-सी. ई. दिनांक 31 दिसंबर, 1955, अधिसूचना संख्या 95/61-सी. ई. दिनांक 1 अप्रैल, 1961, अधिसूचना संख्या 23/55-सी. ई. दिनांक 29 अप्रैल, 1955 और इसी तरह की अन्य अधिसूचनाएँ। लेकिन, यहाँ उत्तरदाताओं ने कहा कि विचाराधीन दो अधिसूचनाओं में सीमा के ऐसे किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति को इसके स्पष्ट प्राकृतिक अर्थ के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें उत्पाद शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं, जिसमें विशेष उत्पाद शुल्क और सहायक उत्पाद शुल्क शामिल हैं। अब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊपर उल्लिखित इन विभिन्न अधिसूचनाओं में, केंद्र सरकार ने नियम 8 (1) के तहत छूट देते समय, निर्दिष्ट भाषा का उपयोग किया है, जो दर्शाती है कि ऐसी प्रत्येक अधिसूचना के तहत दी गई छूट, कुल या आंशिक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क के संबंध में है। लेकिन, केवल इसलिए कि मसौदा तैयार करने के मामले में, केंद्र सरकार ने कुछ अधिसूचनाओं में विशेष रूप से उत्पाद शुल्क, जिसके संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत "उत्पाद शुल्क" के रूप में छूट दी गई है, का उल्लेख करते हुए, यह इस प्रकार नहीं है कि विशिष्टता के ऐसे शब्दों के अभाव में, "उत्पाद शुल्क" की स्थिति को स्वयं सभी शुल्कों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

एक्साइज। यह असामान्य नहीं है कि विधायिका विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

कभी-कभी, अपने इरादे को स्पष्ट करने की दृष्टि से संदेह है, भाषा का उपयोग करता है हालांकि यह नहीं हो सकता है

सख्ती से आवश्यक हो और इसके बिना भी एक ही इरादा हो

द्वारा अधीनस्थ विधान के मामले में अधिक होगा कार्यकारी। एक विशेष टुकड़े का मसौदा तैयार करने वाला अधिकारी

कार्यकारी विभाग में अधीनस्थ कानून हो सकता है

संभव के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ने की दृष्टि से शब्दों का उपयोग करें

इसके इरादे के बारे में संदेह या कभी-कभी इससे भी बड़े के लिए

अधीनस्थ विधान का अर्थ और दायरा। यहाँ, वर्तमान अधिसूचनाओं में उत्पाद शुल्क शब्द देय हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत एक नहीं मिलता है

द्वारा निर्भर अन्य अधिसूचनाओं के रूप में स्थान

उत्तरदाताओं। लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि

अनुमान है कि इन में "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति

अधिसूचनाओं का उद्देश्य उत्पाद शुल्क के सभी शुल्कों को संदर्भित करना था

इन शब्दों में से हमें दायित्व से मुक्त नहीं करता हैइन अधिसूचनाओं में "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति की व्याख्या करें।

हमें अभी भी इस अभिव्यक्ति का अर्थ निकालना है-इसका क्या अर्थ है?

और आयात करें

और यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए

जिस संदर्भ में यह होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि

इन अधिसूचनाओं को नियम 8 (1) के तहत जारी किया गया है।इन अधिसूचनाओं में "उत्पाद शुल्क" की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।

परिस्थितियों में एक विस्तारित अर्थ है ताकि इसमें विशेष उत्पाद शुल्क और सहायक उत्पाद शुल्क शामिल हैं।

(जोर दिया गया)

292. यू. पी. और अन्य राज्यों के राज्य पर निर्भर करना। वी. हिंदुस्तान एल्यूमीनियम

एन. और ओआरएस।, 190 1 9 0 यह प्रस्तुत किया गया था कि क्या कानून का एक टुकड़ा अपने आप में बंद हो गया है या संचालन में समाप्त हो गया है, यह कानून के मामले हैं और एक नागरिक में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है जो यह घोषणा करने के लिए कहे कि कानून को लागू किया गया है।

इस तरह के किसी भी आधार पर निरसित। चरम और स्पष्ट मामलों में, नहीं टी, एक प्राचीन कानून को अप्रचलित कहा जा सकता है और,

293. 2013 का अधिनियम संभावित रूप से कार्य करता है। 2013 के अधिनियम की धारा 114, धारा 24 के अनुसार कुछ बचत के साथ निरसन को प्रभावित करती है। इस प्रकार, अधिग्रहण की कार्यवाही को 1894 के अधिनियम के तहत, पुरस्कार देने के चरण तक संरक्षित किया जाता है; जहां पुरस्कार नहीं दिया जाता है, वहां 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे के प्रावधान लागू होते हैं; जहां पुरस्कार दिया जाता है, वहां आगे की कार्यवाही नए अधिनियम (2013) के तहत होगी। यदि पुरस्कारों के संबंध में अधिकारियों द्वारा कब्जा ले लिया गया है जो 1894 के अधिनियम के तहत 5 साल या उससे पहले किए गए थे और ऐसी कार्यवाही लंबित है, जो अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण होगी।

जिस तारीख को 2013 का अधिनियम लागू हुआ था। केवल धारा 24 (2) के तहत चूक (अधिग्रहण) और उच्च मुआवजे का पालन किया जाना चाहिए, जहां मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, न ही भूमि का कब्जा लिया जाता है। धारा 24 के तहत 5 साल या उससे अधिक की अवधि का प्रावधान किया गया है। में

हालाँकि, जहाँ कब्जा ले लिया जाता है, लेकिन बहुसंख्यक भूमि के संबंध में मुआवजा जमा नहीं किया जाता है, वहाँ 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजा उन सभी को देय है-जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें पहले मुआवजा मिला था।

294. रिलायंस को सिंडिकेट बैंक बनाम में निर्णय पर रखा गया है। प्रभा डी. नाइक और एन. आर. 1 9 1, जिसमें यह देखा गया था कि

विधायिका को व्यापक रूप से समाज की जरूरतों और प्रचलित कानूनों के प्रति सचेत होना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि विधायिका कठिनाइयों और मौजूदा स्थिति से अवगत नहीं थी। उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है; हालाँकि, यह भूमि मालिकों के कारण का समर्थन नहीं करता है।

295. श्री बालाजी नगर आवासीय संघ (उपरोक्त) के निर्णय की शुद्धता पर योगीश नीमा और अन्य में संदेह था। (ऊपर), और मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। श्री बालाजी नगर आवासीय संघ (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणियाँ

बनाए गए थे:

" 11. 2013 के अधिनियम की धारा 24 के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है।

19 1 (2001) 4 एस. सी. सी. 713 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

जिस अवधि के दौरान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हो सकती है

किसी भी अदालत में। उसी अधिनियम में, घोषणा के प्रकाशन के लिए सीमा के संदर्भ में धारा 19 (7) का परंतुक धारा 19 (1) और धारा 69 (2) का स्पष्टीकरण धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना और पुरस्कार की तारीख के बीच देरी के संदर्भ में भूमि के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए, विशेष रूप से प्रदान करता है कि अवधि या

जिन अवधियों के दौरान अधिग्रहण की कार्यवाही आयोजित की गई थी

किसी भी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी रोक या निषेधाज्ञा के कारण प्रासंगिक अवधि की गणना में बाहर रखा जाएगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

विधायिका ने जानबूझकर धारा 24 (2) में इंगित पांच साल की अवधि बढ़ाने को छोड़ दिया है, भले ही कार्यवाही में रोक या निषेधाज्ञा के आदेश के कारण देरी हुई हो।

कानून की अदालत द्वारा या किसी भी कारण से प्रदान किया गया। इस तरह के मामलेपद्म सुंदरा में इस न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा किए गए विषय पर कानून को देखते हुए अदालत द्वारा छूट प्रदान नहीं की जा सकती है।

राव वी. टी. एन. राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 533।

12. यहां तक कि 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी, विधायिका

एक के माध्यम से धारा 6 में संशोधन लाया था

इस उद्देश्य के लिए स्पष्टीकरण 1 जोड़ने के लिए 1984 का संशोधन अधिनियम

अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत घोषणा को प्रकाशित करने के लिए प्रदान की गई सीमा के संदर्भ में, उस अवधि को छोड़कर जब अदालत के आदेश द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। इसी तरह का प्रभाव धारा 11-ए का स्पष्टीकरण था, जो

इसे 1984 के संशोधन अधिनियम 68 द्वारा जोड़ा गया था। जाहिर है कि

विधायिका ने अपने विवेक से 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत पांच साल की अवधि को अदालत द्वारा स्थगन के किसी भी आदेश के कारण कार्यवाही में किसी भी देरी से पूर्ण और अप्रभावित बना

दिया है। विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले सादे शब्द स्पष्ट हैं और कोई अस्पष्टता या संघर्ष पैदा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में, अदालत को व्याख्या के शाब्दिक नियम से अलग होने की आवश्यकता नहीं है।

296. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संसद द्वारा 24 (2) को एक अंतरिम आदेश की अवधि को बाहर करने के लिए सचेत चूक प्रभावी होनी चाहिए और न्यायालय को इस अंतराल को नहीं भरना चाहिए। इंदौर लोपमेंट अथॉरिटी (ऊपर) में श्री बालाजी [2020] 3 एस. सी. आर. में दिया गया निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नगर आवासीय संघ (ऊपर) को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया था और यह पुणे नगर निगम (ऊपर) में विषय नहीं था। हालाँकि, पक्षों के विद्वान वकील ने आग्रह किया था कि यह प्रश्न इस प्रकार उत्पन्न होता है कि इसे वर्तमान बड़ी पीठ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, हमने मामले की नए सिरे से जांच की है।

297. ऐसे मामलों में जहां कुछ भूमि मालिकों ने लेने का विकल्प चुना है

मुकदमेबाजी (जिसका उन्हें अधिकार है) का सहारा लेना और यथास्थिति का अधिकार या आदेश लेने पर अंतरिम आदेश प्राप्त करना, व्यावहारिक वास्तविकता के रूप में अधिकारियों या राज्य के अधिकारियों के लिए यह संभव नहीं है कि कब्जा लेना या मुआवजे का भुगतान करना। कई उदाहरणों में, इस तरह के अंतरिम आदेशों ने पुरस्कार देने में भी बाधा उत्पन्न की। अब, जहां तक पुरस्कारों (और क्षतिपूर्ति भुगतान, ऐसी कार्यवाहियों के अनुसरण में) का संबंध है, 2013 के अधिनियम के तहत पुरस्कार देने के लिए प्रदान की गई अवधि को धारा 11A.192 के स्पष्टीकरण के आधार पर बाहर रखा जा सकता है।

अधिकारी और जिन लोगों ने इस तरह के अंतरिम आदेश प्राप्त किए थे, वे मुकदमा दायर करने में अपनी कार्रवाई से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, जो हो भी सकता है और नहीं भी।

मेधावी। गुण-दोष के सवाल के अलावा, जब यथास्थिति के कब्जे या आदेश या आगे की कार्यवाही पर रोक के संबंध में कोई अंतरिम आदेश होता है, तो अधिकारी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और न ही वे मुआवजे का भुगतान कर सकते हैं। उनके दायित्व भूमि अधिग्रहण की योजना के साथ जुड़े हुए हैं। यह देखा गया है कि अधिकारी कार्यवाही में तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि अंतरिम आदेश खाली नहीं हो जाता। 298. हमारी सुविचारित राय में, भूमि मालिकों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी का निर्णय अपने गुणों और उनके लाभों के आधार पर किया जाना चाहिए।

धारा 24 (2) वादियों के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अंतरिम आदेश नहीं है, तो वे उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके वे हकदार हैं, अन्यथा मुकदमेबाजी, देरी और विलंबकारी रणनीति के

परिणामस्वरूप नहीं और कुछ समय के लिए यह पूरी तरह से तुच्छ याचिकाएं और जाली दस्तावेज हो सकते हैं जैसा कि वी. चंद्रशेखरन (ऊपर उल्लिखित) में देखा गया है।192 " 11 - ए. जिस अवधि के भीतर पुरस्कार दिया जाएगा

कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत एक पुरस्कार देगा और उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां उक्त घोषणा भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ से पहले प्रकाशित की गई हो। 1984 पुरस्कार इस तरह की शुरुआत से दो साल की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

व्याख्या: इस खंड में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना में। वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश द्वारा ढक्कन घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली किसी कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा।

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

299. अभे राम (मृत) में एल. आर. और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ या 193., इस न्यायालय ने "स्टे" शब्दों के विस्तारित अर्थ पर विचार किया।

ई कार्रवाई या कार्यवाही "। यह देखा गया कि इस न्यायालय द्वारा संपादित किसी भी प्रकार के आदेश की ओर से एक अवरोधक कार्रवाई होगी

अधिकारीगण आगे बढ़ें। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 9. अत: बी. आर. गुप्ता बनाम में दिए गए कारण। भारत संघ, 37 (1989) डी. एल. टी. 150 (डी. एल.) डी. बी., निम्नलिखित घोषणा के प्रकाशन को रद्द करने के संदर्भ में स्पष्ट हैं।

धारा 6 बनाम उसमें रिट याचिकाकर्ताओं के लिए। विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या द्वारा प्राप्त ठहराव

कुछ व्यक्ति जिन्होंने उत्तरदाताओं को प्रतिबंधित किया

धारा 6 के तहत घोषणा का प्रकाशन समान रूप से होगा।

अपीलार्थियों से संबंधित मामलों के लिए विस्तार योग्य होगा। हम.

इस आधार पर आगे बढ़ें कि अपीलकर्ताओं ने घोषणा के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं प्राप्त की थी, लेकिन जब से

उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में, वास्तव में, उन्हें घोषणा के प्रकाशन से प्रतिबंधित कर दिया है, अनिवार्य रूप से, जब न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के समर्थन में विवादित आदेशों में घोषणा को प्रतिबंधित नहीं किया है, तो अधिकारियों को तब तक अपने हाथ पीछे रखने पड़े जब तक कि मामलों का निपटारा नहीं हो जाता। वास्तव में, इस न्यायालय ने विभिन्न मामलों में स्थगन या कार्यवाही के आदेशों को विस्तारित अर्थ दिया है, अर्थात्, यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेंदोलिया बनाम। गुजरात राज्य (1991) 4 एस. सी. सी. 531, हंसराज एच. जैन बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1993)

3 एस. सी. सी. 634, संगप्पा गुरुलिंगप्पा सज्जन बनाम। की स्थिति

कर्नाटक, (1994) 4 एस. सी. सी. 145, गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम। राजस्थान राज्य, (1993) 2 एस. सी. सी. 662, जी. नारायणस्वामी रेड्डी बनाम। सरकार. कर्नाटक, (1991) 3 एस. सी. सी. 261 और रोशनारा बेगम बनाम। भारत संघ, (1986) 1 शीर्ष 6 दिसंबर। "कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" शब्दों की इस न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से व्याख्या की गई है और इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार का

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में से एक निषेधात्मक होगा

अधिकारियों की ओर से आगे की कार्रवाई। जब धारा 5-ए के तहत जांच करने की कार्रवाई की गई थी

धारा 6 के तहत जारी और घोषणा की गई थीजब तक अदालत यह नहीं मानती कि धारा 5-ए के तहत जांच ठीक से की गई थी और धारा 6 के तहत प्रकाशित घोषणा वैध थी, तब तक यह खुला नहीं होगा।

अधिकारी मामले में आगे बढ़ें। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, कुछ के संबंध में दी गई रोक होगी

यह उन अन्य लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने उस ओर से रोक प्राप्त नहीं की थी। हम धारा 5-ए की जांच और आपत्तियों पर विचार के संबंध में पहले के निर्देश की शुद्धता से चिंतित नहीं हैं क्योंकि इसे प्रतिवादी संघ द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। हम इसकी शुद्धता पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, हालांकि यह संदेह के लिए खुला है।

300. ओम प्रकाश बनाम। भारत संघ और Ors.[1]94, यह देखा गया कि भूमि मालिकों के मामलों में से एक में दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश से उत्तरदाताओं पर आगे बढ़ने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगेगा।

आगे अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा जारी करना। यह निम्नानुसार देखा गया:

" 72. इस प्रकार, दूसरे शब्दों में, स्थगन का अंतरिम आदेश दिया गया

भूमि मालिकों के मामलों में से एक में अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ने के लिए उत्तरदाताओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्या उन्होंने उस अवधि के दौरान उक्त अधिसूचना जारी की थी जब ठहराव था

ऑपरेटिव, तो जाहिर है कि उन्हें अदालत की अवमानना करने के लिए घसीटा गया होगा। स्थगन के अंतरिम आदेशों में प्रयुक्त भाषा भी ऐसी है कि इसने उत्तरदाताओं को धारा 6 के तहत घोषणा/अधिसूचना जारी करके मामले में आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दिया था।

अधिनियम "।

301. सुरेश चंद बनाम। गुलाम चिश्ती 1 95, इस न्यायालय ने उस प्रावधान पर विचार किया जहां किरायेदार के संरक्षण का हकदार नहीं होगा

धारा 39. यदि मुकदमा दस साल से अधिक लंबा रहा होता, तो किरायेदार इस तरह के संरक्षण का हकदार होता। सुझाई गई व्याख्या यह थी

इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह किरायेदार को मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस न्यायालय ने सार्वजनिक नीति के आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ाते हुए फल प्राप्त करने पर नाराजगी जताई। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 17. यह तर्क दिया गया कि 'इस अधिनियम का प्रारंभ' शब्दों का अर्थ उस तारीख से किया जाना चाहिए जिस दिन अधिस्थगन अवधि समाप्त हो गई और अधिनियम ध्वस्त भवन पर लागू हो गया। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए इस न्यायालय को दो स्थानों पर दिखाई देने वाली एक ही अभिव्यक्ति को अलग-अलग अर्थ देने की आवश्यकता होगी।

19 4 (2010) 4 एससीसी 17

195 (1990) 1 एस. सी. सी. 593 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

एक ही खंड। प्रारम्भ की तिथि पर शब्द वाद के लंबित होने के संबंध में इस अधिनियम का अर्थ होगा

15 जुलाई, 1972, जैसा कि ओम प्रकाश गुप्ता बनाम. विजेन्द्रपाल को खोदें

गुप्ता, (1982) 2 एस. सी. सी. 61, लेकिन ऐसी तारीख के शब्द

जमा किए जाने के लिए के रूप में माना जाना चाहिए इसके बाद की तारीख में अधिनियम के वास्तविक अनुप्रयोग की तारीख

15 जुलाई, 1972। आम तौर पर, निर्माण का नियम यह है कि

एक ही अभिव्यक्ति जहाँ यह एक ही में एक से अधिक बार दिखाई देती है

कानून, विशेष रूप से उसी प्रावधान में, वही प्राप्त करना चाहिए

'आरंभ' शब्द अनावश्यक है। तीसरा ऐसाव्याख्या इस द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत होगी।

आत्म राम मित्तल मामले में न्यायालय, (1988) 4 एस. सी. सी. 284, जिसमें यह

माना जाता था कि किसी भी व्यक्ति को पीड़ित नहीं किया जा सकता था क्योंकि

मुकदमे के निपटारे में अदालत की गलती या अदालत की देरी। रखने के लिए

10 वर्ष की अवधि में, किरायेदार संरक्षण का हकदार नहीं होगा। धारा 39 की, लेकिन यदि वाद दस वर्ष से अधिक लंबा है,

किरायेदार इस तरह के संरक्षण का हकदार होगा। इस तरह की

व्याख्या किरायेदार को विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी

मुकदमेबाजी, और यदि वह निपटान में देरी करने में सफल हो जाता है

10 वर्ष की समाप्ति तक मुकदमा, वह लाभ प्राप्त करेगा

धारा 39, अन्यथा नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि

कि तर्क को कायम रखना संभव नहीं है "।

196 96 , ए

302. श्याम सुंदर और ओआरएस में। वी. राम कुमार और अन्र।

इस न्यायालय की शीर्षक पीठ ने कहा कि ई. एस. के मूल अधिकारों की जांच मुकदमे की तारीख को की जानी चाहिए जब तक कि विधायिका

ऐसे अधिकार पूर्वव्यापी हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 28. उपरोक्त निर्णयों से कानूनी स्थिति जो

यह उभरता है कि जब किसी अधिनियम के निरसन के बाद

एक नया कानून, इस तरह के कानून को प्रभावित नहीं करता है

मुक़दमे की तारीख पर पक्षों के मूल अधिकार या

पूर्वव्यापी और अपील की अदालत इस पर विचार नहीं कर सकती हैके बाद अस्तित्व में लाए गए एक नए कानून पर विचार करें

01) 8 एससीसी 24 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील किए गए निर्णय को इसलिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि अपील में पक्षों के अधिकार कानून के तहत निर्धारित किए जाते हैं

सूट की तारीख पर बल लगाएं। हालांकि, प्रक्रियात्मक मामलों में कानून की स्थिति अलग होगी।

कानून, लेकिन जहां तक पक्षों के मूल अधिकारों का संबंध है, वे अधिनियम में संशोधन से अप्रभावित रहते हैं।इसलिए हमारा विचार है कि जहां किसी अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद नया कानून बनाया जाता है,

और पार्टियों के मूल या निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है। इरादा। हम इस विचार से आगे हैं कि एक है

किसी कानून के पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा और आगे एक कानून को इसकी भाषा की तुलना में अधिक पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन एक संशोधन अधिनियम जो प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसे पूर्वव्यापी माना जाता है जब तक कि संशोधन अधिनियम अन्यथा प्रदान नहीं करता है। हमने संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा मूल अधिनियम में लाई गई नई प्रतिस्थापित धारा 15 पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से नहीं पाते हैं। संचालन में पूर्वव्यापी जो मुकदमे के निर्णय की तारीख पर पक्षों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है और इसे अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार में लिया जाना आवश्यक है। शांति देवी बनाम। हुकुम चंद, (1996) 5 एस. सी. सी. 768, इस न्यायालय को प्रतिस्थापित धारा 15 की व्याख्या करने का अवसर मिला था, जिससे हम संबंधित हैं और यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 के एक सादे पठन पर, यह स्पष्ट है कि इसे संभावित रूप से पेश किया गया है और ऐसी धारा का किसी भी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में पुष्टि किए गए पूर्व-प्रवर्तन के लिए मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री को प्रभावित करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम उक्त निर्णय में व्यक्त विचार के साथ सम्मानपूर्वक सहमत हैं और मानते हैं कि प्रतिस्थापित धारा 15 में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह

पूर्वव्यापी है, पक्षकारों के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है जो उन्हें मुकदमे की तारीख या पहली बार अदालत द्वारा डिक्री पारित करने की तारीख को अर्जित हुआ था। हमारा यह भी विचार है कि वर्तमान अपीलें पक्षकारों के मूल अधिकारों के निर्धारण से संबंधित कानून में परिवर्तन से अप्रभावित हैं और इनका निर्णय डीओआरई विकास प्राधिकरण v के आलोक में किया जाना आवश्यक है।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

पूर्व-प्रवर्तन का कानून जैसा कि पारित होने की तारीख को मौजूद था

आदेश "।

(जोर दिया गया)

303. सारा मैथ्यू (ऊपर) में, यह देखा गया कि देरी हुई

न्यायालय संज्ञान लेते हुए वादी को न्याय से वंचित नहीं कर सकता है। ए.

कानून की व्याख्या करेगा और इसके बजाय उचित निर्माण करेगा

एक सिद्धांत को लागू करना जो प्रावधान को अस्थिर बना देगा

एल. टी. आर. संविधान का अधिकार रखता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 37. हम इस दृष्टिकोण को लेने के लिए भी इच्छुक हैं क्योंकि वहाँ है

के मामलों में निश्चितता या निश्चितता की कुछ मात्रा होना आपराधिक अपराधों से संबंधित सीमाएँ। यदि, जैसा कि इस द्वारा कहा गया है

न्यायालय, संज्ञान लेना मन का अनुप्रयोग है

संदिग्ध अपराध के लिए मजिस्ट्रेट, व्यक्तिपरक तत्व

अंदर आता है। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है या नहीं

यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक मेहनती शिकायतकर्ता या अभियोजन एजेंसी जो तुरंत फाइल करती है

शिकायत या अभियोजन शुरू करना गंभीर होगा

पूर्वाग्रहपूर्ण यदि यह माना जाता है कि कम्प्यूटिंग के लिए प्रासंगिक बिंदु

सीमा वह तिथि होगी जिस पर मजिस्ट्रेट निर्णय लेगा।

संज्ञान। शिकायतकर्ता या अभियोजन एजेंसी

पूरी तरह से मजिस्ट्रेट की दया पर छोड़ दिया जाए, जो ले सकता हैकई कारणों से सीमा अवधि के बाद संज्ञान

विधायिका एक मेहनती शिकायतकर्ता को अदालत से बाहर निकालने के लिए इस तरह से। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता

उसकी शिकायत के निवारण के लिए अदालत का रुख करता है। वह चाहता है।अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालतें

आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं

न्यायालय द्वारा किसी मामले का संज्ञान लेने में देरी एक मेहनती शिकायतकर्ता को न्याय से वंचित कर देगा। इस तरह की

धारा 468 सी. आर. पी. सी. की व्याख्या अस्थिर होगी।

और इसे असंवैधानिक बना देगा। यह अच्छी तरह से तय है कि ए कानून की अदालत एक प्रावधान की व्याख्या करेगी जो मदद करेगी

के सिद्धांत को लागू करके कानून की वैधता को बनाए रखें

एक सिद्धांत को लागू करने के बजाय उचित निर्माण जो

प्रावधान को अस्थिर और अधिकार से बाहर कर देगा

संविधान। (यू. पी. पावर कार्पोरेशन लिमिटेड वी. अयोध्या प्रसाद

मिश्रा। (2008) 10 एससीसी 139) "

[2020] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसे अंतरिम आदेश से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिद्धांत "कमोडम एक्स-इंजुरिया सुआ नेमो हैबरे डेबेट" जो कि सुविधा है, किसी पक्ष को उसकी अपनी गलती से नहीं मिल सकता है।धारा 24 के प्रावधान वादियों या गैर-वादियों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और एक ही अधिग्रहण के संबंध में उनके साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं, अन्यथा, विसंगत परिणाम हो सकते हैं और प्रावधान अपने आप में भेदभावपूर्ण हो सकते हैं।

विचार करें। अतः उक्त निर्णयों को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। 306. भारत संघ और अन्य में। वी. नॉर्थ टेल्यूमर कोलियरी एंड ऑर्स 9 8 198, इस न्यायालय ने कहा कि देरी करने की रणनीति को सफल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देरी करने से, मालिक को बड़ी राशि का ब्याज मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसे मूल राशि में से एक पैसा भी न मिले। यह मालिकों को अनुचित लाभ प्रदान करने के बराबर होगा जो कभी भी इरादा नहीं हो सकता है।

संसद से। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 8. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष मुख्य रूप से कोयला अधिनियम की धारा 18 (5) की व्याख्या पर आधारित हैं। उच्च न्यायालय ने विभिन्न शब्दकोशों से "एनूर" और "लाभ" शब्दों के अर्थ को उद्धृत किया है। कोयला अधिनियम के संदर्भ और योजना में इन सरल शब्दों के अर्थ को समझने के लिए किसी शब्दकोश या किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ब्याज को कोयला खदानों के मालिकों के लाभ के लिए सुनिश्चित करना होगा। कोयला अधिनियम के तहत आयुक्त के समक्ष दावे हैं

मालिकों के लेनदार और जिन देनदारियों का भुगतान करने की मांग की गई है, वे भी कोयला खदानों के मालिकों के हैं। कब ऋणों का भुगतान किया जाता है और देनदारियों का भुगतान किया जाता है, केवल कोयला खदानों के मालिक ही लाभान्वित होते हैं। मालिकों द्वारा अपने ऋणों का भुगतान किए बिना ब्याज राशि को निकालना।

197 2014 (6) एस. सी. सी. 564

198 1989 (3) एस. सी. सी. 411 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

और देनदारियाँ अनुचित होंगी। उन्हें केवल गोद लेना है।

दावों के संवितरण को स्थगित करने में देरी करने की रणनीति और

फलस्वरूप अधिक ब्याज अर्जित करें। इतनी देरी के कारण, मालिकभारी मात्रा में ब्याज मिलेगा, हालांकि अंततः वह

दावों का। यह अनुचित लाभ प्रदान करने के बराबर होगा मालिक जो कभी भी संसद का इरादा नहीं हो सकता है।

हम महामहिम द्वारा दी गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं। न्यायालय और अभिनिर्धारित करें कि कोयला अधिनियम के तहत उपार्जित ब्याज

खान और उसी का उपयोग आयुक्त द्वारा किया जाना हैलेनदारों के दावों को पूरा करना और अन्य का निर्वहन करना

कोयला अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देनदारियाँ।

33

307. तुच्छ मुकदमा दायर करना संदिग्ध आचरण नहीं हो सकता है और

ठहराव; लेकिन धारा 24 (2) का लाभ उन्हें प्रदान नहीं किया जाना चाहिए

जिसने कब्जा लेने या मुआवजे का भुगतान करने से रोका,

ठहरने के दौरान बिताई गई अवधि।

308. पद्म सुंदरा राव (मृत) और अन्य में। (ऊपर), यह न्यायालय

केसस ओमिसस के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा:

" 12. कानून और मामलों के पुनर्लेखन के संबंध में प्रतिद्वंद्वी याचिकाएं

ओमीसस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह एक अच्छी तरह से बसा हुआ है।

कानून में सिद्धांत है कि अदालत कुछ भी नहीं पढ़ सकती है

वैधानिक प्रावधान जो स्पष्ट और असंदिग्ध हो। एक कानून

यह विधायिका का एक आदेश है। में प्रयुक्त भाषा

कानून विधायी इरादे का निर्धारक कारक है। द.

निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि

स्वयं। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या किया गया है इरादा था, लेकिन क्या कहा गया है। क़ानून होने चाहिए

यूक्लिड के सिद्धांतों के रूप में नहीं, "जज लर्नड हैंड"

कहा, "लेकिन शब्दों को कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए

वे उद्देश्य जो उनके पीछे हैं। (लेनी घाटी कोयला देखें

को. वी. येनसावेज, 218 एफ. आर. 547) में इस विचार को दोहराया गया था।

भारत संघ बनाम। वेदेम वास्को डे के फिलिप टियागो डी गामागामा (1990) 1 एससीसी 277।

13. डी. आर. वेंकटचलम बनाम उप परिवहन आयुक्त

(1977) 2 एस. सी. सी. 273, यह देखा गया कि न्यायालयों को [2020] 3 एस. सी. आर. से बचना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैचारिक संरचना या योजना के बारे में उनकी अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ के प्राथमिकता से निर्धारण का खतरा, जिसमें व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान कुछ हद तक उपयुक्त हैं। वे व्याख्या के भेष में विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं।

लिमिटेड, (2000) 5 एस. सी. सी. 515) विधायी मामला छूट न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। द. धारा 6 (1) की भाषा सरल और असंदिग्ध है। इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि किया गया था

नरसिम्हा का मामला। नंजुदैया के मामले में, उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से समय अवधि चलाने के लिए अवधि को और बढ़ा दिया गया था। ऐसा दृष्टिकोण नहीं हो सकता है

धारा 6 (1) की भाषा के साथ मिलान। यदि विचार स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि कोई मामला न केवल धारा 6 (1) के परंतुक के खंड (i) और/या खंड (ii) द्वारा, बल्कि एक गैर-निर्धारित अवधि द्वारा भी कवर किया जा सकता है। यही कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता है।

16. टकटकी निर्णय सिद्धांतों की प्रयोज्यता से संबंधित याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। के में निर्णय।

चिन्नाथांबी गौंडर बनाम। टी. एन. सरकार, ए. आई. आर. 1980 मैड 251 को 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधन से बहुत पहले 22-6-1979 पर प्रस्तुत किया गया था। यदि विधायिका उन मामलों में नया जीवन देने का इरादा रखती है जहां धारा 6 के तहत घोषणा रद्द कर दी जाती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करके ऐसा नहीं कर सकती थी। तथ्य यह है कि

विशेष रूप से स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए प्रदान की गई विधायिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि किसी अन्य अवधि को बाहर करने का इरादा नहीं था और किसी अन्य सीमा की अवधि प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिकतम एक्टस

क्यूरी निमेनेम ग्रेवबिट की पूर्ण पीठ द्वारा हाइलाइट किया गया मद्रास उच्च न्यायालय का इस मामले की तथ्य स्थिति पर कोई आवेदन नहीं है। इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

309. उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि मामला छूट अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और स्पष्ट आवश्यकता के मामले में, यदि कानून के प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है तो अदालत को कानून की व्याख्या करनी होती है। यदि आवश्यक समझा जाए तो किसी कानून में संशोधन, संशोधन और निरसन करना विधायिका का काम है। धारा 24 के प्रावधानों की उपरोक्त व्याख्या के कारण, हम प्रस्तुत किए गए कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम केसस लागू नहीं कर रहे हैं

आग्रह के अनुसार ओमिसस। पद्म सुंदर राव (ऊपर) में, इस न्यायालय ने 1894 के अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने के लिए सीमा की अवधि पर विचार किया। कर्नाटक राज्य बनाम के मामले में इस अवधि को आगे बढ़ाया गया है। डी. सी. नंजुदैया 199. उपरोक्त निर्णय में कुछ अभिव्यक्तियों को गलत माना गया। पद्म सुंदरा राव में

(ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कोई अवधि, जो विधायिका ने विशेष रूप से प्रदान की है, स्थगन और निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की जाती है, तो उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से चलने के लिए समय अवधि प्रदान करके किसी अन्य अवधि को बाहर करने का इरादा नहीं किया जा सकता है और यह उस अवधि को जोड़ने के लिए अदालत के लिए खुला नहीं होगा। पद्म सुंदरा राव (ऊपर) में प्रश्न पूरी तरह से अलग था और यह प्रावधानों में शामिल नहीं की गई अवधि को गिनने के बारे में था।

धारा 24 की व्याख्या।

310. जहाँ तक कानून में उक्ति के अनुप्रयोग का संबंध है, राणा गर्डर्स लिमिटेड v. भारत संघ 200, इस न्यायालय ने कहा कि वैधानिक प्रावधान सामान्य कानून सिद्धांतों पर प्रबल होगा। राणा गर्डर्स लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय पर भारत संघ (ऊपर) में विचार किया गया था जहां इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 9. आम तौर पर, ऋण की वसूली के लिए क्राउन के अधिकार किसी विषय के अधिकार पर हावी होंगे। क्राउन ऋण का अर्थ है "राज्य या राजा को देय ऋण; ऐसे ऋण जो एक विशेषाधिकार है जो क्राउन को अन्य सभी लेनदारों से पहले प्राथमिकता का दावा करने का अधिकार देता है।" [पी द्वारा उन्नत कानून शब्दकोश देखें।

रामनाथ अय्यर (तीसरा संस्करण), पी। 1147.] हालाँकि, ऐसे लेनदारों का अर्थ असुरक्षित लेनदार होना चाहिए। क्राउन ऋण का सिद्धांत सामान्य कानून के सिद्धांत से संबंधित है। एक सामान्य कानून, जो संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर कानून है, को उसके अनुच्छेद 372 के संदर्भ में सहेजा गया है। सामान्य कानून के वे सिद्धांत, जो इस प्रकार थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के लागू होने के समय मौजूद, उपरोक्त प्रावधान के कारण सहेजे गए हैं। एक ऋण जो सुरक्षित है या जो एक क़ानून के प्रावधानों के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 के स्पष्ट अर्थ को ध्यान में रखते हुए संपत्ति पर पहला प्रभार बन जाता है, उसे क्राउन ऋण पर प्रबल माना जाना चाहिए, जो है -

एक असुरक्षित।

10. यह सामान्य बात है कि जब संसद या कोई राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम बनाता है, तो वही सामान्य कानून पर हावी होगा। इस प्रकार, सामान्य विधि सिद्धांत जो भारत के संविधान के लागू होने की तारीख को मौजूद था, उसे एक वैधानिक प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, संसद और राज्य विधानमंडलों ने भी विभिन्न कानूनों में प्रावधान जोड़े, जिनमें से कुछ का उल्लेख पहले किया जा चुका है, यह प्रावधान करते हुए कि वैधानिक बकाया करदाता की संपत्तियों पर पहला प्रभार होगा। इस मामले के इस पहलू पर इस न्यायालय द्वारा एक शृंखला में विचार किया गया है

निर्णय "।

311. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य कानून के सिद्धांतों को वैधानिक प्रावधान पर तौलना होगा और बाद वाले को प्रबल होना होगा, लेकिन वैधानिक प्रावधान स्वयं यह स्पष्ट करता है कि तत्काल मामले मेंअवधि को बाहर करना होगा, इस प्रकार, सामान्य कानून के सिद्धांत भी पूरी ताकत से लागू होते हैं। मैरी एंजेल और ओआरएस में। वी. टी. एन. 201 की स्थिति, उक्ति "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टरियस" इस न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए आया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्ति को तब लागू करने की आवश्यकता होती है जब इसका अनुप्रयोग उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिस पर इसे लागू किया जाना है, जिससे विसंगति या अन्याय होता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

“ 19. इसके अलावा, "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" उक्ति के आधार पर व्याख्या के नियम के लिए, डीन v के मामले में रानी की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में इस पर विचार किया गया है। विसेंग्रंड, (1955) 2 क्यू. बी. 120। न्यायालय ने उक्त उक्ति पर विचार किया और कहा कि आखिरकार, यह नहीं है।

निर्माण के लिए एक सहायता से अधिक और इसका बहुत कम, यदि कोई हो, वजन है जहां "बहिष्करण परिवर्तन" को प्रभावित करने के इरादे के अलावा अन्य आधारों पर "समावेशन संघ" के लिए जिम्मेदार

ठहराया जा सकता है। इसके बाद, न्यायालय ने कोलकुहौन बनाम के मामले से निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया। ब्रूक्स, (1887) 19

201 1999 (5) एस. सी. सी. 209 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

406 पर क्यू. बी. डी. 400, क्यू. बी. डी. जिसमें न्यायालय ने इसके लिए कहा

मंजूरी " ..... " "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" उक्ति हम पर थोपी गई है। अदालत में जो कहा गया है, मैं उससे सहमत हूं।

इस सिद्धांत के बारे में नीचे विल्स, जे. द्वारा लिखा गया है। यह अक्सर एक मूल्यवान सेवक होता है, लेकिन कानूनों या दस्तावेजों के निर्माण में पालन करने के लिए एक खतरनाक मास्टर होता है। बहिष्करण अक्सर असावधानी या दुर्घटना का परिणाम होता है, और इस उक्ति को तब लागू नहीं किया जाना चाहिए जब इसका उपयोग, उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, जिस पर इसे लागू किया जाना है, विसंगति या अन्याय की ओर ले जाता है। मेरी राय में, यहाँ उक्ति का अनुप्रयोग

यह विसंगति और अन्याय की ओर ले जाएगा और 1920 के अधिनियम की धारा 14 (1) को अनिश्चित और मनमौजी बना देगा।

उसका संचालन।

312. उक्ति "लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया" का अर्थ है कि कानून असंभव के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करता है। हालांकि भुगतान संभव है लेकिन भुगतान का तर्क प्रासंगिक है। ऐसे मामले हैं जिनमें मुआवजे की निविदा दी गई थी, लेकिन इनकार कर दिया गया और फिर इसमें जमा किया गया

खजाना। अदालत में मुकदमा था, जो लंबित था (या कुछ मामलों में, निर्णय लिया गया था); मुआवजे में वृद्धि के लिए पहले संदर्भ मांगे गए थे और मुआवजे में वृद्धि की गई थी। अधिग्रहण की कार्यवाही या कब्जा लेने आदि के लिए कोई चुनौती नहीं थी। इस न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में, यहां तक कि संबंधित कार्यवाही में भी -

क्षतिपूर्ति, धारा 24 (2) को यह बताने के लिए लागू किया गया था कि अदालत में क्षतिपूर्ति जमा नहीं करने या खजाने में जमा करने या अन्यथा अदालत के अंतरिम आदेश के कारण कार्यवाही समाप्त हो गई है, क्योंकि ऐसी कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए।

चुनाव याचिका, किसी भी परिस्थिति में, सीमा की अवधि को बचाने के लिए पंजीयक को प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। चुनाव याचिका को खुली अदालत में शाम 4.15 बजे तक यानी अदालत के कार्य समय

तक पेश किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने आदेश पारित किया था कि अदालत दोपहर 3.15 बजे के बाद बाकी के लिए नहीं बैठेगी। इस प्रकार, अगले दिन दायर की गई याचिका को समय के भीतर माना गया। मोहम्मद गाजी बनाम। एम. पी. और अन्य 203 का राज्य 202 1999 (8) एससीसी 266

203 2000 (4) एससीसी 342 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मैक्सिम "एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट" को मैक्सिम "लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया" के साथ विचार के लिए सामने आया-कानून एक आदमी को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो संभव नहीं है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

" 7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निष्पक्षता की अधिकतम सीमा, अर्थात् न्यायालय का एक अधिनियम किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, लागू होगी। यह सिद्धांत न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित है, जो कानून के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरा उक्ति है, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया-कानून किसी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। कानून स्वयं और उसके प्रशासन को अस्वीकार करने के लिए समझा जाता है जैसा कि यह अपने सामान्य सूत्र में करता है, बाध्यकारी असंभवताओं के सभी इरादे, और कानून के प्रशासन को विशेष मामलों के विचार में उस सामान्य अपवाद को अपनाना चाहिए। उपरोक्त अधिकतम की प्रयोज्यता को मंजूरी दे दी गई है

(1996) 2 एससीसी 459। " 314. एक और रोमन कानून उक्ति "निमो टेनटूर एड"

"असंभवता", का अर्थ है कि कोई भी असंभवता करने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि मुआवज़े को लेने और वितरित करने के ऐसे कार्य असंभव नहीं हैं, फिर भी वे अदालत के आदेश के निर्वाह के दौरान कानूनी प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं; आदेश का पालन किया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायसंगत सिद्धांतों पर भी, ऐसी अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड बनाम।

कन्नौर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्य। 204 , यह न्यायालय

यह देखा गया कि जहां कानून किसी कर्तव्य या आरोप का निर्माण करता है और पक्ष बिना किसी चूक के इसे करने में अक्षम है और इसका कोई उपाय नहीं है, वहां कानून सामान्य रूप से उसे माफ कर देगा। यह न्यायालय उपरोक्त उक्ति पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित रूप में टिप्पणी करता है:

" 30. लैटिन उक्ति जिसे अंग्रेजी निर्णय लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया में संदर्भित किया गया है, जिसे सामान्य अंग्रेजी स्वीकृति में नपुंसकता के रूप में भी व्यक्त किया गया है, इसका मतलब है कि

कानून किसी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। इस प्रकार हमेशा एक अजेय अक्षमता होनी चाहिए

दायित्व का पालन करें, और वही रोमन के समान है

204 2002 (5) एस. सी. सी. 54 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

अधिकतम निमो सिद्धांत असंभव है। ब्रूम के कानूनी अधिकतम में,

स्थिति का वर्णन नीचे किया गया है:

" फिर, यह एक सामान्य नियम है जो पर्याप्त व्यावहारिक चित्रण को स्वीकार करता है, वह नपुंसकता बहाना कानून; जहां कानून एक कर्तव्य या आरोप बनाता है, और पक्षकार है

बिना किसी चूक के इसे करने में अक्षम, और इसका कोई उपाय नहीं है, वहां कानून सामान्य रूप से उसे माफ कर देगा (टी): और हालांकि प्रदर्शन की असंभवता, सामान्य रूप से, किसी दायित्व का पालन न करने का कोई बहाना नहीं है।

जिसे किसी पक्ष ने स्पष्ट रूप से अनुबंध द्वारा किया है,

फिर भी जब दायित्व कानून द्वारा निहित है,

प्रदर्शन की असंभवता एक अच्छा बहाना है। इस प्रकार एक ऐसे मामले में जिसमें एक माल के मालवाहक को डॉक के कारण एक जहाज को तुरंत उतारने से रोका गया था

हड़ताल, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि एक निर्दिष्ट समय में उतारने के लिए एक स्पष्ट समझौते के अभाव में एक उचित समय के भीतर उतारने का निहित दायित्व था, यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकतम लेक्स गैर संज्ञानात्मक विज्ञापन असंभवता लागू होती है, और लिंडले, एल. जे. ने कहा: ' हमे करना है

निहित दायित्व, और मुझे किसी ऐसे मामले की जानकारी नहीं है जिसमें नुकसान का भुगतान करने का दायित्व कभी भी किसी व्यक्ति पर वह नहीं करने के लिए निहित होता है जो अपने नियंत्रण से परे कारणों से असंभव बना दिया।

315. हुडा और अन्र में। वी. डॉ. बाबेश्वर कन्हार और ए. एन. आर. 205, ने इस सामान्य सिद्धांत पर विचार किया कि एक पक्ष को उनके नियंत्रण से परे कुछ परिस्थितियों में ऐसा करने से रोका जाता है, पहले ऐसा कर सकता है।

समान अवसर जैसा कि सांबशिव चारी v में आयोजित किया गया है। रामासामी

206. डॉ. बाबेश्वर कन्हार (ऊपर) में, यह इस प्रकार देखा गया था:

" 5. दिनांकित पत्र के खंड 4 में क्या निर्धारित किया गया है 30-10-2001 स्वीकार करने से इनकार करने के संबंध में एक संचार है

आवंटन। यह 28-11-2001 पर किया गया था। उत्तरदाता 1 को हुडा के कार्यालय को 1-12-2001 और 2-12-2001 पर बंद करने और डाक अवकाश के लिए नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। 30-11-2001 . वास्तव में, इन मामलों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यहाँ तक कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10 के तर्क को भी लागू किया जा सकता है। उक्त खंड के अलावा और

05) 1 एससीसी 191 : (1899) 22 मैड 179 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभिन्न अन्य अधिनियमों में विभिन्न प्रावधान, सामान्य सिद्धांत है कि एक पक्ष को कुछ लोगों द्वारा एक कार्य करने से रोका जाता है

उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियाँ, पहले ऐसा कर सकती हैं

बाद का अवसर (देखें सांबशिव चारी बनाम। रामासामी

रेड्डी, (1898) 8 एमएलजे 265)। इस सिद्धांत का अंतर्निहित उद्देश्य एक व्यक्ति को वह करने में सक्षम बनाना है जो वह कर सकता था।

छुट्टी पर, अगले कार्य दिवस पर। जहाँ, इसलिए, एक अवधि

न्यायालय में किसी कार्य के निष्पादन के लिए विहित किया जाता है या

कार्यालय, और वह अवधि अवकाश पर समाप्त हो जाती है, तो अधिनियम को उस अवधि के भीतर किया गया माना जाना चाहिए यदि यह अगले दिन किया जाता है जिस दिन अदालत या कार्यालय खुला होता है। इसका कारण यह है कि कानून प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं करता है

एक असंभवता। (हुसैन एली वी. देखें। डॉन्ज़ेल, आई. एल. आर. (1880) 5 कैल 906।) न्याय और समीचीनता का हर विचार

यह आवश्यक होगा कि स्वीकृत सिद्धांत, जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आता है, उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां यह अन्यथा लागू नहीं होता है। अंतर्निहित सिद्धांत लेक्स

नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया (कानून करता है) हैं ।एक आदमी को असंभव करने के लिए मजबूर न करें) और एक्टस क्यूरी

(न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा)। पद होने के अलावा, नीचे दिए गए मंचों द्वारा पारित आदेशों में कुछ भी कमजोर नहीं है। हालांकि, निर्धारित ब्याज की दर थोड़ी अधिक प्रतीत होती है और इसे घटाया जाता है

9 % 3-12-2001, अर्थात जिस तारीख को हुडा द्वारा पत्र प्राप्त किया गया था, से प्रभावी रूप से भुगतान किया जाएगा।

316. पुनः राष्ट्रपति चुनाव 207 में, इस न्यायालय ने ऐसा ही किया

वैशन। जब कानून के किसी हिस्से का पालन करने के लिए अक्षमता होती है, तो आरोप को माफ करना पड़ता है। जब किसी कानून द्वारा की गई औपचारिकताओं का निष्पादन परिस्थितियों के कारण असंभव हो जाता है और संबंधित व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो इसे इस रूप में लिया जाना चाहिए -

क्षमा करें। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 15. किसी उम्मीदवार की मृत्यु के मामले में पद की अवधि समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पूरा होने की असंभवता

ऐसा प्रतीत हो सकता है कि 1952 के अधिनियम की धारा 7 अनुच्छेद को नहीं छीनती है। 62 (1) अपने अनिवार्य चरित्र का। कानून नपुंसकता बहाना लेगम का सिद्धांत एक अन्य सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है

74) 2 एस. सी. सी. 33 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

लॉ लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया। नपुंसकता बहाना वह है जब कानून के अनिवार्य हिस्से को करने के लिए एक आवश्यक या अजेय अक्षमता होती है जो नपुंसकता बहाना है। कानून किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो कोई संभवतः नहीं कर सकता है। जहां कानून कोई कर्तव्य या आरोप बनाता है, और पक्षकार बिना किसी चूक के इसे करने में अक्षम है और उस पर कोई उपाय नहीं है, वहां कानून सामान्य रूप से उसे माफ कर देगा। इसलिए, जब यह प्रतीत होता है कि किसी कानून द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का प्रदर्शन उन परिस्थितियों से असंभव हो गया है जिन पर इच्छुक व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं था, जैसे कि भगवान का कार्य, तो परिस्थितियों को एक वैध बहाने के रूप में लिया जाएगा। जहाँ ईश्वर का कार्य रोकता है

कानून के शब्दों का अनुपालन, वैधानिक प्रावधान

के कारण इसके अनिवार्य चरित्र को अस्वीकार नहीं किया जाता है

ईश्वर के कार्य के कारण होने वाली अधिरोहण असंभवता। (देखें।

ब्रूम की कानूनी अधिकतम 10 वीं संस्करण। पीपी में। 162-163 और क्रेज़

क़ानून 6 वीं संस्करण पर। पी पर। 268) . ”

317. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। निदेशालय

प्रवर्तन 208, कानूनी उक्ति "नपुंसकता बहाना कानून" को यह ठहराने के लिए लागू किया गया है कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जिसे संभवतः किया नहीं जा सकता है। हालांकि प्रदर्शन की असंभवता के संबंध में अधिकतम सख्ती से लागू नहीं हो सकता है, हालांकि, का प्रभाव

अदालत के आदेश ने, कुछ समय के लिए, अधिकारियों को दायित्व को पूरा करने में अक्षम कर दिया। इस प्रकार, जब वे प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें पहले उपलब्ध अवसर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो उनके लिए क़ानून द्वारा निर्धारित समय है, यानी अंतरिम आदेश की अवधि को छोड़कर कुल 5 साल की अवधि।

318. मैक्सिम एक्टस क्यूरी निमेनेम ग्रेवबिट की स्थापना इस पर की गई है

न्यायालय की कार्यवाही या न्यायालय के कार्यों के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यदि मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान कोई अंतरिम आदेश दिए जाते हैं, तो वे मामले में अंतिम निर्णय के अधीन होते हैं। यदि मामला बिना योग्यता के खारिज कर दिया जाता है, तो अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से भंग हो जाता है। यदि मामला बिना किसी योग्यता के दायर किया गया है, तो उक्ति को कमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट, यानी सुविधा के लिए आकर्षित किया जाता है। अपनी गलती से किसी पार्टी में जमा नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि मुकदमा तुच्छ रूप से या बिना किसी आधार के दायर किया गया है, तो विलंब करने के लिए अन्यायपूर्ण रूप से और उसके द्वारा विलंबित किया जाता है,

208 (2005) 4 एससीसी 530 [2020] 3 एस. सी. आर.

ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई समानता नहीं है। ऐसे मामलों का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना आवश्यक है। मृत्युंजय पानी और अन्र में। वी. नर्मदा बाला सस्मल और ए. एन. आर. 209, इस न्यायालय ने कहा कि:

" (5) यही सिद्धांत लैटिन मैक्सिम कमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हैबरे डेबेट में शामिल है, अर्थात,

सुविधा किसी पक्ष को उसकी अपनी गलती से नहीं मिल सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी को भी लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपने स्वयं के गलत कार्य से।

319. यह कानून की नीति नहीं है कि देरी के कारण असमर्थनीय दावे फलीभूत हों। इसी तरह, कानून का पालन करने वाले व्यक्ति की पीड़ा की अनुमति नहीं है। 2013 का अधिनियम बेईमान वादियों को लाभ प्रदान नहीं करता है, लेकिन इसका उद्देश्य पांच साल के भीतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों की सुस्ती को दूर करना है।

320. राज्यों का आग्रह है कि मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करके, कोई भी अपने आचरण का लाभ नहीं उठा सकता है। इस विचार को पी. सेंट जे. लैंगन द्वारा मैक्सवेल ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स (12 वां संस्करण) में समझाया गया है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" अन्याय और बेतुकेपन से बचने के सिद्धांतों पर, कोई भी

अपनी गलती से लाभ उठाने के लिए। हो सकता है कि वह अपनी गलती का फायदा न उठाए। हो सकता है कि वह अपने स्वयं के हित में स्वयं निर्मित होने का अनुरोध न करे। आवश्यकता "(किश वी। टेलर, (1911) 1 के. बी. 625, पृष्ठ 634 पर फ्लेचर मौल्टन आई. जे. के अनुसार)।

इस प्रकार एक अधिनियम जो न्यायाधीशों को प्रशिक्षुओं को छुट्टी देने के लिए अधिकृत करता है

उनके सामने कुछ परिस्थितियों में "स्वामी की उपस्थिति पर" उनके अनुबंध से उनकी जानबूझकर अनुपस्थिति में निर्वहन को उचित ठहराया गया। अधिनियम का इस तरह से अर्थ लगाना अनुचित होगा कि स्वामी को अपनी हठधर्मिता (डिटन्स केस (1701) 2 साल्क) से लाभ हुआ। 490) ”

321. जी. टी. सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ 2 1 0, यह था

209 एआईआर 1961 एससी 1353

210 (1998) 3 एस. सी. सी. 376 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

प्रदान किया गया। जयपुर नगर निगम बनाम। सी. एल. मिश्रा 2 1 1, यह है

ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम C.I.T[213] 13. यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी को भी न्यायालय के कार्य से पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है और अंततः याचिका को बिना योग्यता के पाया जाता है और खारिज कर दिया जाता है, तो न्याय के हित के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त कोई भी अनुचित या अनुचित लाभ आवश्यक है।तटस्थ रहें।

322. महादेव सावलाराम शेल्के बनाम। पुणे नगरपालिका

निगम 2 1 4, यह देखा गया है कि न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायालय के अधिनियम द्वारा प्रतिवादियों को हुए नुकसान को कम करने का कर्तव्य निभा सकता है। इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है

न्यायालयक प्रक्रियाक दुरुपयोग पर रोक लगाउ। अमरजीत सिंह और ओआरएस में। वी. देवी रतन और ओआरएस 215, और राम कृष्ण वर्मा (ऊपर), यह देखा गया कि कोई भी व्यक्ति अदालत के कार्य से पीड़ित नहीं हो सकता है और अंतरिम आदेश के अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए। अमरजीत सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 17. कोई भी वादी केवल विचाराधीनता से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

कानून की अदालत में मामले का, क्योंकि अंतरिम आदेश हमेशा मामले में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश में विलय हो जाता है, और यदि रिट याचिका अंततः खारिज कर दी जाती है, तो अंतरिम आदेश कायम रहता है।

स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है। किसी पक्ष को अंतरिम आदेश प्राप्त करके अपनी गलतियों का कोई लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और

इसके बाद अदालत को दोष दें। तथ्य यह है कि रिट अंततः किसी भी योग्यता से रहित पाई जाती है, यह दर्शाता है कि एक तुच्छ रिट याचिका दायर की गई थी। मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट, जिसका अर्थ है कि अदालत का कार्य किसी पर पूर्वाग्रह नहीं करेगा, ऐसे मामले में लागू हो जाता है। ऐसी तथ्य स्थिति में, न्यायालय के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत कार्य को पूर्ववत करने के लिए न्यायालय बाध्य है। इस प्रकार, कोई भी अयोग्य

या किसी पक्ष द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संस्थान के रूप में बेअसर किया जाना चाहिए

212 (1992) 2 एस. सी. सी. 620213 (1980) 2 एससीसी 191

214 (1995) 3 एससीसी 33 215 (2010) 1 एससीसी 417 [2020] 3 एस. सी. आर.

न्यायालय के अधिनियम द्वारा विलंबित कार्रवाई से किसी दावेदार को कोई लाभ प्रदान करने के लिए मुकदमेबाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (शिव शंकर बनाम। यू. पी. एस. आर. टी. सी., 1995 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 726, जी. टी. सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (1998) 3 एस. सी. सी. 376 और जयपुर नगर निगम। वी. सी. एल. मिश्रा, (2005) 8 एस. सी. सी. 423)

18. राम कृष्ण वर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1992) 2 एस. सी. सी. 620, इस न्यायालय ने गि्रंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम में अपने पहले के फैसले पर भरोसा रखते हुए इसी तरह के मुद्दे की जांच की। आई. टी. ओ., (1980) 2 एस. सी. सी. 191 और यह अभिनिर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अधिनियम से पीड़ित नहीं हो सकता है और यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और याचिकाकर्ता इसका लाभ उठाता है, और अंततः याचिका को बिना किसी योग्यता के पाया जाता है और खारिज कर दिया जाता है, तो न्याय के हित के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी अयोग्य या अनुचित

अधिकारिता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ

अदालत को निष्प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

323. कर्नाटक में दुर्लभ पृथ्वी और अन्र। वी. वरिष्ठ भूविज्ञानी, खान और भूविज्ञान विभाग, 216, इस न्यायालय ने कहा कि सिद्धांत

यह आवश्यक है कि पक्ष को उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए, लेकिन अदालत के आदेश के लिए जो अंततः टिकाऊ नहीं पाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को लाभ हो रहा है जो अन्यथा अर्जित नहीं होता और दूसरे पक्ष को अदालत के आदेशों के अलावा नुकसान उठाना पड़ा है। सफल पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा अर्जित लाभ के वितरण की मांग कर सकता है, या जो उसने खो दिया है उसकी भरपाई कर सकता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 10. x x x x में एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट का सिद्धांत और यह अभिनिर्धारित किया कि सिद्धांत केवल अदालत के ऐसे कृत्यों तक ही सीमित नहीं था जो गलत थे; यह सिद्धांत ऐसे सभी कृत्यों पर लागू होता है जिन पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अदालत ने इस तरह से कार्य नहीं किया होता यदि उसे तथ्यों और कानून से सही ढंग से अवगत कराया जाता। यह पुनर्स्थापन का सिद्धांत है जो आकर्षित होता है। जब पक्ष के किसी कार्य के कारण, अदालत को एक आदेश पारित करने के लिए राजी करना, जिसे अंत में टिकाऊ नहीं माना जाता है, के परिणामस्वरूप एक पक्षकार हो जाता है

लाभ प्राप्त करना जो उसने अन्यथा अर्जित नहीं किया होता,

या दूसरे पक्ष को एक ऐसी निर्धनता का सामना करना पड़ा है जिसे उसे भुगतना नहीं पड़ता, लेकिन अदालत के आदेश और ऐसे पक्ष के कार्य के लिए, तब सफल पक्ष ने अंततः निर्णय लिया

216 (2004) 2 एस. सी. सी. 783 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

के अंत में धन के संदर्भ में आकलन योग्य राहत का हकदार

मुकदमेबाजी, उसी तरीके से क्षतिपूर्ति का हकदार है

जिसमें पक्षकार होते यदि अंतरिम आदेश

अदालत पारित नहीं हुई होगी। सफल पार्टी

माँग कर सकते हैं: (ए) विपरीत द्वारा अर्जित लाभ का वितरण

न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत पक्षकार, या (बी) करने के लिए

उसने जो खोया है उसकी भरपाई करें।

11. इस मामले के तथ्यों में, के निर्णय के बावजूद

उच्च न्यायालय, यदि अपीलकर्ताओं ने यह नहीं माना होता

अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करने के लिए, वे नहीं होते

खनन पट्टों को संचालित करने और बढ़ाने और हटाने का अधिकार

और निकाले गए खनिजों का निपटान करें। लेकिन कुछ समय के लिए

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई अंतर नहीं है

अपीलार्थी और कोई भी व्यक्ति, बिना किसी विधिसम्मत के,

प्राधिकरण, किसी भी भूमि से कोई भी खनिज, प्रयोज्यता को आकर्षित करता हैधारा 21 की उप-धारा (5)। जैसा कि अपीलार्थी हार गए हैं

न्यायालय से, उन्हें लाभ बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत उनके द्वारा अर्जित। द. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि उन्हें रखा जाना चाहिए।

उसी स्थिति में जिसमें वे होते अगर यहअदालत ने अंतरिम आदेश जारी करके उनकी रक्षा नहीं की होगी।

वह सब जो राज्य सरकार अपीलार्थियों से मांग रही है

यह छोटे खनिजों की कीमत है। किराया, रॉयल्टी या कर है

राज्य सरकार द्वारा पहले ही बरामद किया जा चुका है और,

इसलिए, उस शीर्ष के तहत कोई मांग नहीं है। कोई दंड नहीं

कार्यवाही, किसी भी आपराधिक कार्यवाही से बहुत कम, की गई है

अपीलार्थियों के खिलाफ शुरू किया गया। यह बिल्कुल गलत है कि

तर्क दें कि अपीलकर्ताओं को कोई भी भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है

जुर्माना लगाया जा रहा है या किसी दंडात्मक कार्रवाई के अधीन हैं। यह नहीं है।

अपीलार्थियों का मामला कि उन्हें भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है

उन्होंने निर्यात से जो प्राप्त किया है, उससे अधिक कीमत

या कि प्रत्यर्थी राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य किसी में है

मनमाना या अनुचित तरीके से "।

(जोर दिया गया)

324. ए. आर. अंतुले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि यह एक समझौता है।

सिद्धांत यह है कि अदालत का कोई कार्य किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। यह उक्ति

क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट न्याय और अच्छी समझ पर आधारित है।

कानून के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है।

नान को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। भारत में, विलम्ब द्वंद्वों के कारण होता है। ए. आर. अंतुले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा:

" 102. यह शीर्ष अदालत होने के नाते, किसी भी वादी के पास कोई नहीं है

अपने निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए किसी भी उच्च मंच से संपर्क करने का अवसर। मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी में लॉर्ड बकमास्टर बनाम

नॉरमैडिन, 1917 ए. सी. 170 (एस. आई. सी.) ने कहा: " न्यायालय के सभी नियम और कुछ नहीं बल्कि न्याय के उचित प्रशासन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रावधान हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि उन्हें सेवा करने के लिए बनाया जाए और उनके अधीन किया जाए

उद्देश्य।"

गुजरात राज्य बनाम में यह न्यायालय। रामप्रकाश पी. पुरी, (1970) 2 एस. सी. आर. 875 ने इस स्थिति को दोहराते हुए कहा: [एस. सी. सी पी. 159 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी. 31 , पैरा 8]

" प्रक्रिया को एक नौकरानी के रूप में वर्णित किया गया है न कि कानून की मालकिन के रूप में, जिसका उद्देश्य न्याय के कारण को कम करना और सुविधा प्रदान करना है न कि इसे नियंत्रित करना या बाधित करना है। प्रक्रिया के सभी नियमों की तरह, यह नियम एक ऐसे निर्माण की मांग करता है जो इस उद्देश्य को बढ़ावा दे।

एक बार जब न्यायिक संतुष्टि हो जाती है कि निर्देश देने के लिए खुला नहीं था और इसे अदालत की गलती के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह न केवल उचित है, बल्कि अदालत का कर्तव्य भी है कि वह अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके गलती को सुधारें। न्यायिक राय इस दृष्टिकोण के पक्ष में बहुत अधिक झुकती है कि

न्यायालय को बिना किसी बाधा के स्वयं न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है। यह सिद्धांत रूप में है, जैसा कि (अलेक्जेंडर) रॉजर मामले (1869-71) LR 3 PC 465 में संकेत दिया गया है। मेरा विचार है कि वर्तमान स्थिति में, अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है। महाजन। , जे. केशरदेव चामरिया बनाम में चार न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोल रहे हैं। राधा किसेन चामरिया,

1953 पृष्ठ 153 पर एस. सी. आर. 136 ने कहा:

" न्यायाधीश के पास डिक्री धारक द्वारा लिए गए आधारों या निर्णय-देनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा किए बिना अपनी गलती को सुधारने का अधिकार क्षेत्र था।

325. कर अधीक्षक बनाम। ओंकारमल नाथमल ट्रस्ट 217,

न्यायालय ने राज्य सरकार के आचरण पर विचार नहीं किया

76) 1 एस. सी. सी. 766 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

परिवर्तन की मांग में किसी भी स्तर पर अंतरिम आदेश पर सवाल उठाना या निषेधाज्ञा के आदेश का संशोधन। यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य अपनी गलती और परिश्रम की कमी का लाभ नहीं उठा सकता है और यह तर्क नहीं दे सकता है कि नए अधिनियम की धारा 7 (2) के दायरे में नोटिस जारी करना असंभव है। निर्णय अलग है और अपने स्वयं के तथ्यों पर बदल जाता है। यद्यपि अधिनियम को निष्पादित किया जा सकता है लेकिन उसके अनुसार नहीं

सार्वजनिक नीति जो न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करती है। निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से धारा 24 (2) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, और तथ्यों पर, इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है।326. रिलायंस को नीरज कुमार सैनी बनाम पर रखा गया था। U.P.2¹8 की स्थिति। वहाँ, इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के कार्य के कारण किसी को भी कोई पूर्वाग्रह नहीं झेलना चाहिए; कानूनी सिद्धांत शून्य में काम नहीं कर सकता है। इसे तथ्यों से पोषण प्राप्त करना होगा। जैसे ही अपीलकर्ताओं ने अपने भाग्य के लिए इस्तीफा दे दिया और घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए जाग गए

यह भूल जाना कि कानून सतर्क लोगों की सहायता नहीं करता है। कोई भी सुस्ती की विलासिता में लिप्त नहीं हो सकता है, संभवतः इस भावना को पोषित करना कि भूलना एक गुण है। यदि ऐसा आचरण है, तो मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट के तहत शरण लेने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त सिद्धांत के साथ कोई विवाद नहीं है। पार्टी को अधिकार के बारे में सतर्क रहना होगा, लेकिन अनुपात लागू नहीं किया जा सकता है। राय में, निर्णय में अनुपात को धारा 24 (2) की व्याख्या के उद्देश्य से लागू नहीं किया जा सकता है।

327. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब पक्ष अदालत के समक्ष होते हैं, तो अंतिम निर्णय को प्रबल होना पड़ता है, और वे इसके आधार पर सफल या विफल होते हैं

उनके सापेक्ष मामलों के गुण-दोष। न ही शरण लेने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत के आदेश के आवरण के तहत दूसरे पक्ष को नुकसान में डालने के लिए

स्थिति. यदि किसी ने अदालत के आवरण के तहत आनंद लिया है, तो उस अवधि को आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारियों की निष्क्रियता के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है।

धारा 24 के तहत। राज्य के अधिकारियों ने कार्रवाई की होगी लेकिन अदालत के आदेश के लिए। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं के लिए संपर्क करने का अवसर

उन मामलों में अदालत यह थी कि राज्य या अधिग्रहण करने वाले निकाय उनकी संपत्तियों को ले रहे थे। अंततः मामले को अधिग्रहण या मुआवजे को चुनौती देने में अपनी योग्यता पर खड़ा होना पड़ता था, और इसलिए ऐसी स्थितियों में धारा 24 (2) के तहत कोई अधिकार या लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था।

उस समय को बाहर करने का प्रावधान जिसके दौरान एक अंतरिम आदेश संचालित हुआ, 218 (2017) 14 एससीसी 136 [2020] 3 एस. सी. आर.

इसका अर्थ है कि संसद ने ऐसी चूक का इरादा किया था। 'एक्सप्रेसिओ यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टरियस' उक्ति का अर्थ है कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों या किसी विशेष वर्ग की चीजों का स्पष्ट उल्लेख निम्नानुसार माना जा सकता है:

उस वर्ग के अन्य सभी लोगों को छोड़कर निहितार्थ। हालाँकि, यह उक्ति तब लागू नहीं होती है जब विचाराधीन कानून के प्रावधानों से पता चलता है कि बहिष्करण का इरादा नहीं हो सकता था। कोलकुहौन वी. ब्रूक्स 219 हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने राय दी कि:

" हम पर 'एक्सप्रेसिओ यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टरियस' कहावत को दबाया गया है। इस उक्ति के बारे में जे. विल्स द्वारा नीचे अदालत में जो कहा गया है, मैं उससे सहमत हूं। यह अक्सर एक मूल्यवान सेवक होता है,

लेकिन कानूनों या दस्तावेजों के निर्माण में पालन करने के लिए एक खतरनाक मास्टर। 'बहिष्करण' अक्सर असावधानी या दुर्घटना का परिणाम होता है, और इस उक्ति को उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं किया जाना चाहिए जिस पर यह लागू होता है।

लागू किया जाना, विसंगति या अन्याय की ओर ले जाता है।

लुईस सदरलैंड का सांविधिक निर्माण (दूसरा संस्करण), धारा 491, इस नियम को निम्नानुसार लागू करता है:

" एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टरियस-निर्माण के सभी नियमों की तरह यह उक्ति भी कुछ शर्तों के तहत कानून निर्माता के इरादे को निर्धारित करने के लिए लागू होती है, जब यह अन्यथा नहीं होता है।

प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में, यह सुरक्षित और

संतोषजनक निष्कर्ष; लेकिन अन्यथा एक या अधिक चीजों की अभिव्यक्ति अन्य चीजों का निषेध या बहिष्कार नहीं है। जो व्यक्त किया जाता है वह केवल तभी विशिष्ट होता है जब वह रचनात्मक होता है, या किसी मौजूदा कानून या विशेष अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अपमान करता है। अधिकतम एक वैधानिक प्रावधान पर लागू होता है।

जो मूल रूप से एक शक्ति या अधिकार प्रदान करता है।

329. 5 नवंबर, 1934 को यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ कस्टम्स एंड पेटेंट अपील्स के समक्ष एक मामले में, यार्डली एंड कंपनी लिमिटेड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्णय लिया गया, अदालत ने खाली

कांच के जार और ढक्कन वाले कुछ माल के शुल्क के साथ वर्गीकरण और मूल्यांकन के सवाल पर विचार किया, और क्या इन्हें 'संपूर्णता' के रूप में माना जा सकता है जो 1930 के टैरिफ अधिनियम के पैराग्राफ 33 के तहत देय होगा। उस मामले में अदालत ने कोलकुहौन बनाम में टिप्पणियों पर भरोसा किया। ब्रूक्स

(ऊपर) और यह अभिनिर्धारित किया कि उनके ढक्कन के साथ कांच के जार संपूर्णता के रूप में देय होंगे, इसके बावजूद कि इसके लिए एक स्पष्ट विधायी प्रावधान नहीं है।

219 (1889) 21 क्यू. बी. डी. 52 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

परिपूर्ण। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1909,1913 और 1922 के परिधीय अधिनियमों में विधायी प्रावधान के संदर्भ में अभिव्यक्ति का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रासंगिक प्रावधान (1930 के अधिनियम में) केवल घोषणात्मक प्रकृति का था और मौजूदा कानून का अपमान नहीं था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर बनाम। राष्ट्रीयओबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 220, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

एक्सप्रेसियो यूनिअस विशेष रूप से विशिष्ट है:

" इस मूल सिद्धांत के अधीन है कि अदालतों को करना चाहिए

विधायी आशय और उद्देश्य का पता लगाने का प्रयास करना,

और फिर निर्माण का एक नियम अपनाएं जो इन्हें हराने के बजाय प्रभावी होता है।

330. कर्नाटक राज्य में v. भारत संघ 2 2 1 221, न्यायालय ने कहा

टोपी:

" इससे पहले कि सिद्धांत को पूरी तरह से लागू किया जा सके, न्यायालय को कुछ ऐसा करने का एक स्पष्ट तरीका खोजना चाहिए जो एक क़ानून में प्रदान किया गया है, जो अपने आवश्यक निहितार्थ से बाहर हो सकता है।

उसी काम को करना और किसी अन्य तरीके से कुछ और नहीं करना। जैसा कि ऊपर की चर्चा से पता चला है कि यहाँ इस मामले को शामिल करने का इरादा संविधान निर्माताओं का था

के लिए पूछताछ के लिए संसद द्वारा प्रावधान बनाना

बिना किसी अन्य सीमा के संकेत के, सिवाय इसके कि वे सूची में पाए जाने वाले विषयों से संबंधित होना चाहिए। मैंने भी संकेत दिया है

अधिनियम की धारा 3 जैसा प्रावधान, किसी भी मामले में, अनुच्छेदों के साथ पठित अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत क्यों आएगा?

248 और संविधान की 356, भले ही वे सभी विषय जिनसे वे संबंधित हों, सूचियों में निर्दिष्ट नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार, हमारे संविधान में एक अधिनियम को शामिल करने के लिए स्पष्ट प्रावधान है

जैसे कि अधिनियम की धारा 3, इसलिए, कोई जगह नहीं है"एक्सप्रेसियो यूनियस" नियम को लागू करने के लिए जो कुछ भी स्पष्ट रूप से प्रदान की गई विधायी प्रविष्टि के भीतर आता है उसे बाहर करने के लिए। उस उक्ति को उपयुक्त रूप से एक "उपयोगी सेवक लेकिन एक खतरनाक स्वामी" के रूप में वर्णित किया गया है (प्रति लोप्स एल. जे. कोलकुहौन बनाम में। ब्रूक्स [1888] 21 क्यू. बी. डी. सीमाएँ या शर्तें जिनके तहत

निर्माण संचालन का यह सिद्धांत अक्सर होता है

उन लोगों द्वारा अनदेखी की जाती है जो इसे लागू करने का प्रयास करते हैं।

पी (1972) 2 एस. सी. सी. 560

(1977) 4 एससीसी 608 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस ठोस और व्यापक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कि संविधान में विशेष रूप से जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, उसे जानबूझकर इसके दायरे से बाहर माना जाना चाहिए, ताकि संवैधानिक संशोधन से कम कुछ भी अधिकृत न हो सके। इस पर कानून बनाना वास्तव में एक "कैम्स ओमिसस" का आविष्कार करना है ताकि इस नियम को लागू किया जा सके कि जहां कानून में इतना अंतर है, वहां न्यायालय इसे नहीं भर सकता है। हालाँकि, नियम समान रूप से स्पष्ट है कि न्यायालय किसी क़ानून की इस तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है कि "

कैसस ओमिसस "जहाँ वास्तव में कोई नहीं है (देखें): द मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड v. पेंडरसन ब्रदर्स [1888] 13 ए. सी. 595)। यदि हमारा संविधान स्वयं उस कमी को भरने के लिए कानून का प्रावधान करता है जिसे एक कमी के रूप में माना जाना चाहिए, तो ऐसा करने की मांग करने वाले कानून को कैसे अमान्य माना जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से प्रदत्त विधायी शक्ति का प्रयोग करके अपने इच्छित कार्य को पूरा करता है? इस प्रकार बनाए गए प्रावधानों के उद्देश्य और इसे बनाने के लिए प्राधिकरण की घोषणा करने में, न्यायालय कोई चूक नहीं करते हैं या किसी अंतराल को बिल्कुल नहीं

भरते हैं। यह संसद ही है जो ऐसा कर सकती है और उसने ऐसा किया है। यह मानना कि संसद ऐसा करने में अक्षम है, एक असमर्थनीय सिद्धांत या किसी की कल्पना की कल्पना को प्रतिस्थापित करना है-कि संविधान किसी भी तरह से रास्ते में खड़ा है-जिसके लिए केवल एक स्पष्ट संवैधानिक है।

बार हासिल कर सकता है। ”

मैरी एंजेल (ऊपर) में इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

..... डीन बनाम के मामले में रानी की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में "एक्सप्रेसिओ यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस". उक्ति के आधार पर व्याख्या के नियम पर विचार किया गया है। विसेंग्रंड (1955) 2 क्यू. बी. डी. 120। न्यायालय ने उक्त उक्ति पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि आखिरकार यह निर्माण के लिए एक सहायता से अधिक है और इसका बहुत कम, यदि कोई हो, वजन है जहां "बहिष्करण परिवर्तन" को प्रभावित करने के इरादे के अलावा अन्य आधारों पर "बहिष्करण संघ" के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इसके बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित मार्ग का उल्लेख किया -

कोलकुहून बनाम का मामला। ब्रूक्स (1887) 19 क्यू. बी. डी. 400 जिसमें न्यायालय ने अपनी मंजूरी के लिए कहा-'द मैक्सिम' एक्सप्रेसियोहम पर दबाव डाला गया है। मैं सहमत हूँ।

इस उक्ति के बारे में जे. विल्स द्वारा नीचे दिए गए न्यायालय में क्या कहा गया है। यह अक्सर एक मूल्यवान सेवक होता है, लेकिन दस्तावेजों के कानूनों के निर्माण में पालन करने के लिए एक खतरनाक मास्टर होता है।

डीओआरई विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

बहिष्करण अक्सर असावधानी या दुर्घटना का परिणाम होता है, और इस उक्ति को तब लागू नहीं किया जाना चाहिए जब इसका उपयोग उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिस पर इसे लागू किया जाना है, जो असंगति या अन्याय की ओर ले जाता है। मेरी राय में, यहाँ इस उक्ति के लागू होने से विसंगति और अन्याय होगा, और 1920 के अधिनियम की धारा 14 (1) को इसके संचालन में अनिश्चित और मज़बूत बना देगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले की परिस्थितियों की जांच करें केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 10 (ए) के साथ और उपरोक्त मार्ग को संदर्भित करते हुए "उक्ति" अक्सर एक मूल्यवान सेवक होता है, लेकिन एक खतरनाक स्वामी होता है। और यह अभिनिर्धारित किया कि नियम इस मूल सिद्धांत के अधीन है कि न्यायालयों को विधायी इरादे और उद्देश्य का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए, और फिर निम्नलिखित नियमों को अपनाना चाहिए:

निर्माण जो एक के बजाय प्रभावी हो सकता है

इन्हें पराजित करें। इसके अलावा, आवश्यक निहितार्थ द्वारा निषेध का नियम केवल वहीं लागू किया जा सकता है जहां किसी कर्तव्य के निष्पादन के लिए एक निर्दिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई हो। परभणी ट्रांसपोर्ट को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड के मामले में v. आर. टी. ए. औरंगाबाद [1960] 3 एस. सी. आर. 177, इस न्यायालय ने कहा कि उक्ति

' एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टरियस 'के लिए एक उक्ति है

विधायिका के इरादे का पता लगाना और जहां वैधानिक भाषा स्पष्ट और अर्थ स्पष्ट है, वहां आवेदन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, हरीश चंदर वाजपेयी बनाम।

त्रिलोकी सिंह, [1957] 1 एस. सी. आर. 370, न्यायालय ने क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल के निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया,

10 संस्करण, पृष्ठ 316-317:

" कभी-कभी विधियों में पाए जाने वाले प्रावधान, जो अपूर्ण रूप से अधिनियमित होते हैं या विशेष मामलों के लिए केवल वही जो पहले से और अधिक व्यापक रूप से कानून था, कभी-कभी इस तर्क के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य कानून को बदलने के इरादे का अनुमान आंशिक या सीमित अधिनियम से लगाया जाना था, जो मैक्सिम एक्सप्रेसियो यूनिअस, एक्सक्लूसिओ अल्टरियस पर निर्भर करता है। लेकिन यह उक्ति ऐसे [2020] 3 एस. सी. आर. में लागू नहीं होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मामले। अदालत ऐसे अनावश्यक प्रावधानों (जो आम तौर पर निराधार आपत्तियों और बेकार संदेहों को पूरा करने के लिए अधिनियमों में जगह पाते हैं) से केवल एक ही निष्कर्ष निकाल सकती है कि विधानमंडल या तो अनजान था या अनजान था।

कानून की वास्तविक स्थिति, या कि इसने प्रभाव के तहत काम किया

अत्यधिक सावधानी बरतें।

अंत में, हम कहेंगे कि पम्पथी बनाम के मामले में। मैसूर राज्य (ऊपर), न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि नहीं प्रक्रिया से संबंधित विधायी अधिनियम सभी मामलों के लिए प्रावधान कर सकता है और न्यायालय के पास कानून के व्यक्त प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियां होनी चाहिए जो कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं।

331. इन सभी कारणों से, यह माना जाता है कि एक प्रावधान को स्पष्ट रूप से अधिनियमित करने में चूक, जिसमें वह अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान कोई अंतरिम

2013 के अधिनियम के अनुसार, इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे समय (अंतरिम आदेशों के निर्वाह) को शामिल करने में चूक का कोई विशेष विधायी उद्देश्य है। यह न्यायालय इस संदर्भ में नोटिस करता है कि नए अधिनियम के तहत भी (और न ही यह 1894 अधिनियम के तहत ऐसा था) एक निर्दिष्ट समय के भीतर मुआवजे का भुगतान न करने के लिए, पूरे अधिग्रहण के अंत के लिए कोई प्रावधान अधिनियमित नहीं किया गया है और न ही कब्जे के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, भुगतान और जमा प्रावधानों (धारा 77 के तहत) का पालन न करने से केवल धारा 80 के तहत अधिक ब्याज भुगतान होता है। वर्तमान मामले में, यह निर्धारित करते हुए कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है या नहीं, अंतरिम आदेशों के दौरान समय के बहिष्करण के लिए प्रावधान करने में चूक, असावधानी या दुर्घटना का एक स्पष्ट परिणाम है, विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, मैक्सिम एक्टस क्यूरे नेमिनेम ग्रेवैबिट में अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप अन्याय होगा।

इन रे: पुनर्स्थापना का सिद्धांत:

332. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत मुकदमे के अंत में पूर्ण न्याय करने के आदर्श पर आधारित है, और पक्षों को उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए, लेकिन मुकदमेबाजी और मामले में पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, के लिए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एम. पी. की स्थिति & Ors.[222] 222

222 (2003) 8 एस. सी. सी. 648 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी पक्ष मुकदमे का लाभ नहीं उठा सकता है। इसे एल. आई. एस. खो जाने की स्थिति में देरी के कारण प्राप्त लाभ को कम करना पड़ता है। अंतरिम अदालत द्वारा पारित आदेश अंतिम निर्णय में मिल जाता है। किसी पक्ष के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की वैधता, अंतरिम चरण में पार्टी के खिलाफ अंतिम आदेश के सफल होने की स्थिति में उलट जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क्षतिपूर्ति का स्रोत नहीं है। बल्कि यह न्याय, समानता और निष्पक्षता के शासन की वैधानिक मान्यता है। अदालत के पास पुनर्स्थापन का आदेश देने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है ताकि पूर्ण न्याय किया जा सके। यह इस सिद्धांत पर भी है कि एक गलत व्यवस्था को जीवित रखने और उसका सम्मान करने से उसे कायम नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालतों ने धारा 144 सी. पी. सी. की शर्तों के भीतर नहीं आने वाली असंख्य स्थितियों में बहाली के सिद्धांत को लागू किया है। प्रतिपूर्ति की प्रयोज्यता को आकर्षित करने वाली बात यह नहीं है कि अदालत का कार्य गलत या गलती या अदालत द्वारा की गई त्रुटि है; परीक्षण यह है कि क्या, पक्ष के किसी कार्य के कारण अदालत को अंत में एक आदेश पारित करने के लिए राजी करना टिकाऊ नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को एक लाभ प्राप्त हो रहा है जो उसने अन्यथा अर्जित नहीं किया होगा, या दूसरे पक्ष के पास है

निर्धनता का सामना करना पड़ा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। मुकदमेबाजी को एक उत्पादक उद्योग होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुकदमेबाजी को खेल तक सीमित नहीं किया जा सकता है जहां हर मामले

में अवसर का एक तत्व होता है। यदि प्रतिपूर्ति की अवधारणा को अंतरिम आदेशों के आवेदन से बाहर रखा जाता है, तो वादी को अंतरिम आदेश से प्राप्त लाभों को निगलने से लाभ होगा। इस न्यायालय ने दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र (ऊपर) में इस प्रकार टिप्पणी की:

" 26. हमारी राय में, पुनर्स्थापन का सिद्धांत इस समर्पण का ध्यान रखता है। अपने व्युत्पत्तिगत अर्थ में "पुनर्स्थापना" शब्द का अर्थ है किसी डिक्री या आदेश के संशोधन, परिवर्तन या उलटने पर किसी पक्ष को बहाल करना, जो अदालत के डिक्री या आदेश के निष्पादन में या प्रत्यक्ष रूप से खो गया है।

एक डिक्री या आदेश का परिणाम (जफर खान बनाम देखें। बोर्डराजस्व, यू. पी., 1984 सप एस. सी. सी. 505) कानून में, "बहाली" शब्द का उपयोग तीन अर्थों में किया जाता है: (i) किसी विशिष्ट वस्तु को उसके सही मालिक या स्थिति को वापस करना या पुनर्स्थापित करना; (ii)

दूसरे के साथ की गई गलती से प्राप्त लाभों के लिए क्षतिपूर्ति; और (iii) नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति।

किसी और के कारण। (ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 7th Edn देखें। , पी।

1315) . जॉन डी. कैलामारी और जोसेफ एम. पेरिलो द्वारा अनुबंध के कानून को ब्लैक द्वारा यह कहने के लिए उद्धृत किया गया है कि "बहाली एक अस्पष्ट शब्द है, जो कभी-कभी [2020] 3 एस. सी. आर. का उल्लेख करता है।

किसी ऐसी चीज़ का जो ली गई हो और कभी-कभी की गई चोट के मुआवजे का उल्लेख करते हुए:

" अक्सर, शब्द के किसी भी अर्थ के तहत परिणाम समान होगा। ..... अन्यायपूर्ण निर्धनता, साथ ही अन्यायपूर्ण संवर्धन, पुनर्स्थापन के लिए एक आधार है। यदि प्रतिवादी एक गैर-यातनापूर्ण गलत निरूपण का दोषी है, तो वसूली का उपाय कठोर नहीं है, लेकिन पुनर्स्थापन के अन्य मामलों की तरह, सापेक्ष दोष, सहमत जोखिम, और वैकल्पिक जोखिम आवंटन की निष्पक्षता जैसे कारक जो किसी भी पक्ष की गलती के लिए सहमत नहीं हैं और जिम्मेदार नहीं हैं,

तौला गया। '

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 में बहाली के सिद्धांत को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। सी. पी. सी. की धारा 144 न केवल एक डिक्री को अलग करने, उलटने, अलग करने या संशोधित करने की बात करती है, बल्कि इसमें एक डिक्री के बराबर एक आदेश भी शामिल है। प्रावधान का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें लगभग सभी प्रकार के परिवर्तन, परिवर्तन, अलग रखने या किसी डिक्री या आदेश के संशोधन को शामिल किया जा सकता है। अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश अंतिम

निर्णय में विलय हो जाता है। एक पक्ष के पक्ष में पारित एक अंतरिम आदेश की वैधता, अंतिम निर्णय के खिलाफ जाने की स्थिति में उलट जाती है

पार्टी अंतरिम चरण में सफल रही।

XXX

27. XXX

यह इस सिद्धांत पर भी है कि एक गलत व्यवस्था को जीवित रखने और उसका सम्मान करने से उसे कायम नहीं रखा जाना चाहिए (ए. अरुणगिरी नादर बनाम. एस. पी. रथिनसामी, (1971) 1 एमएलजे 220)। इस तरह की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालतों ने धारा 144 की शर्तों के भीतर नहीं आने वाली असंख्य स्थितियों में बहाली के सिद्धांतों को लागू किया है।

28. यह कि अदालत के किसी कार्य से कोई भी पीड़ित नहीं होगा, यह अदालत के गलत कार्य तक सीमित नियम नहीं है; "अदालत का कार्य" अपने व्यापक दायरे में ऐसे सभी कार्यों को शामिल करता है जिनके बारे में अदालत किसी भी कानूनी कार्यवाही में राय बना सकती है कि अदालत ने इस तरह से कार्रवाई नहीं की होती अगर उसे सही तरीके से किया जाता।

तथ्यों और कानून से अवगत कराया। x x x पुनर्स्थापन की अवधारणा इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

अंतरिम आदेशों के आवेदन से बाहर रखा जाता है, फिर वादी

मिलने वाले लाभों को निगलने से लाभ होगा अंतरिम आदेश का भले ही लड़ाई हार गई हो

अंत। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम यह राय कि सफल पक्ष अंततः एक का हकदार था

मुकदमे के अंत में धन के संदर्भ में आकलन योग्य राहत,

किसी उपयुक्त स्थान पर ब्याज के पुरस्कार द्वारा क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है

उस अवधि के लिए उचित दर जिसके लिए अंतरिम आदेश

अदालत ने धन जारी करने पर रोक लगा दी थी

ऑपरेशन "।

(जोर दिया गया)

333. गुजरात राज्य और अन्य में। वी. एस्सार ऑयल लिमिटेड और ए. एन. आर. 223, यह

यह देखा गया कि पुनर्स्थापन का सिद्धांत अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ के खिलाफ एक उपाय है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 61. पुनर्स्थापन की अवधारणा वस्तुतः एक सामान्य कानून है।

सिद्धांत, और यह अन्यायपूर्ण संवर्धन के खिलाफ एक उपाय है या

अनुचित लाभ। अवधारणा का मूल विवेक में निहित है।

न्यायालय का, जो किसी पक्ष को धन रखने से रोकता है या

दूसरे से प्राप्त कुछ लाभ, जो उसे प्राप्त हुआ है

न्यायालय की गलत डिक्री का तरीका। इस तरह का उपाय

अंग्रेजी कानून आम तौर पर अनुबंध में एक उपाय से अलग होता है।

या अपकृत्य में और सामान्य कानून की तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आता है

उपचार, जिसे अर्ध-अनुबंध या पुनर्स्थापना कहा जाता है। 62. यदि हम पुनर्स्थापन की अवधारणा का विश्लेषण करते हैं, तो एक बात सामने आती है

स्पष्ट रूप से कि प्रतिस्थापन का दायित्व व्यक्ति पर है याप्राधिकरण जिसे अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण प्राप्त हुआ है

लाभ (इंग्लैंड के हैल्सबरी के नियम, चौथा संस्करण देखें। , खण्ड. 9 , पी।

434) . '

334. ए. षण्मुगम बनाम। अरिया क्षत्रिय राजकुला वंशथु

मदालय नंदवन परिपलनाई संगम 224 में यह कहा गया था कि मुकदमेबाजी के लाभ को बेअसर करने के लिए प्रत्येक न्यायालय में प्रतिस्थापन संबंधी अधिकार क्षेत्र अंतर्निहित है। कानून के दाहिने तरफ के व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए

यदि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कायम रखना है तो मुकदमेबाजी के प्रभावों के कारण वंचित रहना होगा; तुच्छ मुकदमेबाजी के गलत लाभ को समाप्त करना होगा। न्यायालय ने टिप्पणी की: 223 (2012) 3 एस. सी. सी. 522

224 (2012) 6 एससीसी 430 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 37. यह न्यायालय, इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में-कानूनी कार्रवाई बनाम। भारत संघ (जिसमें हममें से एक, डॉ. भंडारी, जे. फैसले के लेखक थे) के पास बहाली की अवधारणा से निपटने का अवसर था। प्रासंगिक

प्रासंगिक निर्णयों से संबंधित उस निर्णय के पैराग्राफ यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: (एससीसी पीपी। 238-41 & 243-46 , पैरा 170-76,183-88 और 190-93)

" 170. XXX

171. राम कृष्ण वर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की: (एस. सी. सी पी. 630, पैरा 16)

सुनवाई में देरी करके अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोगजीवन नाथ वाहल के मामले और उच्च न्यायालय में निर्देश दिया गया

इससे पहले। वास्तव में, 29-9-1959 के बाद अनुदान की प्रारंभिक अवधि समाप्त होने पर, उन्होंने नवीनीकरण प्राप्त करने या अपने वाहनों को चलाने का अधिकार खो दिया, क्योंकि इस न्यायालय ने योजना को चालू घोषित कर दिया था। हालांकि, कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग करके, वे सुनवाई तक अपने वाहनों को चलाना जारी रखे हुए हैं

आपत्तियों से। यह न्यायालय ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। आईटीओ

अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए

अनुच्छेद 226, न्याय के हित की अपेक्षा करता है कि किसी पक्ष द्वारा प्राप्त कोई भी अनुचित या अनुचित लाभ

न्यायालय की अधिकारिता को बेअसर किया जाना चाहिए। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि इसके द्वारा मुकदमे की संस्था नहीं होनी चाहिए

इसके लिए जिम्मेदार पक्ष को अनुचित लाभ प्रदान करने की अनुमति। उस कानून के आलोक में और संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति को देखते हुए यह न्यायालय,

50 ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को बेअसर करेंमुकदमा चलाने के लिए मुकदमे को खींचने में अपीलकर्ताओं सहित

स्वीकृत मार्ग या क्षेत्र या भाग पर स्टेज कैरिज

और आपत्तियों की सुनवाई के अपने अधिकार को खो दिया

उनके द्वारा दिनांकित 26-2-1959 की मसौदा योजना में दाखिल किया गया।

172. कविता त्रेहन बनाम में यह न्यायालय। बलसारा हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने निम्नलिखित रूप में देखा: (एस. सी. सी पी. 391, पैरा 22)

विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

'22 . क्षतिपूर्ति करने का अधिकार क्षेत्र प्रत्येक न्यायालय में निहित है और जब भी न्याय होगा तब इसका प्रयोग किया जाएगा।मामले की माँगें। इसका प्रयोग अंतर्निहित शक्तियों के तहत किया जाएगा,

जहाँ मामला सख्ती से धारा के दायरे में नहीं आता था

144. धारा 144 इन शब्दों के साथ शुरू होती है:

" 144. प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन। - (1) कहाँ और जहाँ तक

एक डिक्री या एक आदेश किसी भी अपील में भिन्न या उलट है,

पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही या में अलग या संशोधित किया जाता है इस उद्देश्य के लिए स्थापित कोई भी मुकदमा

तत्काल मामला सख्ती से इन शर्तों के भीतर नहीं आ सकता है -

धारा 144, लेकिन ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष कर सकता है

प्रत्येक न्यायालय में निहित पुनर्स्थापन की बड़ी और सामान्य शक्तियों के लिए अपील।

173. मार्शल संस एंड कंपनी (आई) लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। साही ओरेट्रांस (पी) लिमिटेड ने निम्नलिखित रूप में देखा: (एससीसी पीपी। 326-27 , पैरा

4)

' 4. तथ्यों के कथन से, हालांकि यह प्रतीत होता है

हमारे लिए, प्रथम दृष्टया, कि अपीलार्थी के पक्ष में एक डिक्री किसी न किसी कारण से निष्पादित नहीं की जा रही है, हम इस स्तर पर प्रतिवादी को देने का निर्देश देना उचित नहीं समझते हैं।

द्वारा दायर मुकदमे के बाद से अपीलार्थी का अधिकार

प्रतिवादी अभी भी लंबित है। यह सच है कि कार्यवाही

किसी न किसी आधार पर लंबे समय तक खींचा जाता है और कभी-कभी अंतहीन होने के साथ अत्यधिक तकनीकी हो जाता है।

हर स्तर पर प्रोलिक्सिटी, अनजान लोगों को एक कानूनी जाल प्रदान करता है। देरी के कारण, कार्यवाही के बेईमान पक्षकार

अनुचित लाभ उठाएँ, और वह व्यक्ति जो गलत स्थिति में है

कब्जे से मामलों के निपटारे में देरी से खुशी होती है

प्रक्रियात्मक जटिलताओं का अनुचित लाभ उठाना। यह है।

यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि कब्जे के लिए एक डिक्री प्राप्त करने के बाद

अचल संपत्ति के निष्पादन में लंबा समय लगता है। ऐसी स्थिति में, निर्णय के हितों की रक्षा के लिए

लेनदार, उचित आदेश पारित करना आवश्यक है ताकि

उचित लाभ जो बाजार के बराबर हो सकता है

किराया उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो संपत्ति पर अधिकार रखता है।

अनुचित मामलों में, अदालत एक प्राप्तकर्ता नियुक्त कर सकती है और

संपत्ति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को [2020] 3 एस. सी. आर. के रूप में कार्य करने का निर्देश दें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[प्राप्तकर्ता का एक अभिकर्ता जिसे] प्राप्तकर्ता द्वारा निर्धारित रॉयल्टी राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है या ऐसा अन्य आदेश पारित करता है जो न्याय के हित को पूरा कर सकते हैं। यह उस वादी को और नुकसान पहुँचाने से रोक सकता है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है और

संपत्ति की रक्षा करें, जिसमें आगे अलगाव भी शामिल है।

174. पद्मावती बनाम। हरिजन सेवक संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 6-11-2008 पर निर्णय लिया, न्यायालय ने कहा

इसके अंतर्गत: (डीएलटी पी। 413, पैरा 6)

स्थिति। आपको मुकदमेबाजी को लंबा करने के लिए केवल पेशेवरों को शामिल करना होगा ताकि किसी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित किया जा सके और अवैधताओं का लाभ उठाया जा सके। मेरा मानना है कि

ऐसे मामलों में जहां अदालत को लगता है कि अदालतों को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने से, एक वादी ने अवैधताओं को कायम रखा है या एक अवैध अपराध को कायम रखा है। अधिकार, न्यायालय को ऐसे वादियों पर लागत अधिरोपित करनी चाहिए जो वादियों द्वारा प्राप्त लाभों और सही व्यक्ति को होने वाले नुकसान और अभाव के बराबर होनी चाहिए ताकि तुच्छ मुकदमेबाजी की जांच की जा सके और लोगों को अदालतों के माध्यम से अवैध कार्यों की भरपूर फसल काटने से रोका जा सके। प्रत्येक न्यायिक प्रणाली के उद्देश्यों में से एक यह होना चाहिए कि अदालतों को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए अन्यायपूर्ण संवर्धन को हतोत्साहित किया जाए। अदालतों द्वारा लगाई गई लागत सभी मामलों में सही व्यक्ति को झेलने वाले अभाव के बराबर वास्तविक लागत होनी चाहिए।

हम ऊपर उल्लिखित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को मंजूरी देते हैं।

175. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा: (पद्मावती मामला, डी. एल. टी. पीपी. 414-15 , पैरा 9)

अदालत एक तुच्छ मुकदमा है जिसमें अदालतें वादियों द्वारा लगाई जाती हैं और जिसे यथासंभव लंबे समय तक खींचा जाता है। भले ही ये वादी अंततः अपना अधिकार खो देते हैं, वे असली विजेता बन जाते हैं और आखिरी बार हंसते हैं। लोगों का यह वर्ग जो ठहराव प्राप्त करके अवैध कृत्यों को कायम रखता है और अदालतों से आदेश पीड़ित को न केवल उनके द्वारा किए गए पूरे अवैध लाभ का भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि लागत विकास प्राधिकरण v।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार से वंचित है लेकिन उस पर बोझ भी होना चाहिए अनुकरणीय लागत के साथ। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास तभी कायम रह सकता है जब कानून के सही पक्ष के लोगों को यह महसूस न हो कि भले ही वे अदालत में न्याय के लिए लड़ते रहें और अंततः जीत जाते हैं, वे मूर्ख बन जाएंगे क्योंकि 20 या 30 वर्षों के बाद एक मामला जीतने से गलत करने वाले को वास्तविक लाभ होगा, जिसने उन सभी वर्षों के लिए लाभ प्राप्त किया था। इस प्रकार, यह देखना अदालतों का कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे गलत काम करने वालों को हर कदम पर हतोत्साहित किया जाए, और यहाँ तक कि

यदि वे अपनी धन शक्ति के कारण मुकदमेबाजी को लंबा करने में सफल होते हैं, तो अंततः उन्हें इन सभी वर्षों के लंबे मुकदमेबाजी की लागत झेलनी होगी। तय कानूनी स्थितियों के बावजूद, स्पष्ट रूप से गलत काम करने वाले, न्यायिक समीक्षा के एक के बाद एक स्तर का उपयोग करते हैं

एक जुआ के रूप में तंत्र, पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए कि पासा हमेशा उनके पक्ष में होता है क्योंकि अगर वे हार भी जाते हैं, तो प्राप्त समय ही वास्तविक लाभ होता है। इस स्थिति को अदालतों द्वारा मुक्त किया जाना चाहिए।

176. दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ,

2008 की अपील (सिविल) संख्या 29197 के लिए विशेष अनुमति थी

इस न्यायालय को प्राथमिकता दी गई। न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

(एस. सी. सी पी. 460, पैरा 1)

' 1. हमने विद्वान वकील को पेश होते हुए सुना है

183. मार्शल संस एंड कंपनी (आई) लिमिटेड बनाम। साही ओरेट्रांस (पी) लिमिटेड इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 4 में कहा किइसके अंतर्गत: (एससीसी पीपी। 326-27)

यह सच है कि कार्यवाही को एक के लिए खींचा जाता है

' 4 .

किसी न किसी मामले में लंबा समय बिताना और कभी-कभी हर स्तर पर अंतहीन उत्कृष्टता के साथ अत्यधिक तकनीकी बन जाना, अनजान लोगों को एक कानूनी जाल प्रदान करता है। देरी के कारण, कार्यवाही के बेईमान पक्ष अनुचित लेते हैं

लाभ, और एक व्यक्ति जो गलत कब्जे में है, प्रक्रियात्मक जटिलताओं का अनुचित लाभ उठाकर मामलों के निपटारे में देरी से प्रसन्न होता है। यह एक ज्ञात [2020] 3 एस. सी. आर. भी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्य यह है कि अचल के कब्जे के लिए एक डिक्री प्राप्त करने के बाद

संपत्ति, इसके निष्पादन में लंबा समय लगता है। ऐसी स्थिति में,

निर्णय के हित की रक्षा के लिए-लेनदार, यह है

उचित आदेश पारित करना आवश्यक है ताकि बहुत अधिक लाभ जो बाजार के किराए के बराबर हो सकता है

संपत्ति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है। में।

उचित मामलों में, न्यायालय एक प्राप्तकर्ता नियुक्त कर सकता है और निर्देश दे सकता है

वह व्यक्ति जो एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए संपत्ति पर कब्जा कर रहा है

रॉयल्टी राशि जमा करने के निर्देश के साथ प्राप्तकर्ता का

प्राप्तकर्ता द्वारा नियत किया गया या ऐसा अन्य आदेश पारित किया गया जो

न्याय के हित को पूरा करें। यह आगे की चोट को रोक सकता है

वादी जिसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है और उसकी रक्षा करने के लिए

संपत्ति, जिसमें आगे अलगाव भी शामिल है। '

184. औसेफ मथाई बनाम। एम. अब्दुल खादिर, यह न्यायालय

कानूनी स्थिति को दोहराया किः (एस. सी. सी पी. 328, पैरा 13)

'13 .

[अदालत द्वारा दी गई रोक प्रदान नहीं करती है

एक पक्ष पर अधिकार और यह हमेशा के अधीन प्रदान किया जाता है

न्यायालय में और जोखिमों पर मामले का अंतिम परिणाम और

ठहराव दे दिया था। ठहराव की मंजूरी स्वतः नहीं होती है। एक वैधानिक संरक्षण के विस्तार के लिए राशि "।

अन्य निर्णय भी हैं, जो दोहराते हैं और लागू करते हैं

एक ही सिद्धांत। 225335. एक गलत-कर्ता या वर्तमान संदर्भ में, एक वादी जो अपना मौका लेता है, उसे रणनीति में देरी करके लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह वह है

न्यायालय को एक उपकरण के रूप में उपयोग करके अनुचित संवर्धन या अनुचित लाभ प्राप्त करने को हतोत्साहित करना न्यायिक प्रणाली का कर्तव्य है। कलाभारती विज्ञापन में v. हेमंत विमलनाथ नरीचनिया 226 ने कहा कि अदालतों को अंतरिम आदेशों के अनुसार पारित परिणामी आदेशों के प्रभाव को बेअसर करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अंतरिम उपाय के रूप में राहत प्राप्त करने के लिए वादियों के बीच बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए इस तरह के निर्देश आवश्यक हैं।

225 इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन v. भारत संघ, (2011) 8 एस. सी. सी. 161, ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। सीआईटी, (1980) 2 एससीसी 191, राम कृष्ण वर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1992) 2 एस. सी. सी. 620। इसके अलावा मार्शल संस एंड कंपनी (आई) लिमिटेड बनाम। साही ओरेट्रांस (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. , (1999) 2 एससीसी 325।

226 (2010) 9 एस. सी. सी. 437 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

और गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय से बचें। इस प्रकार, प्रतिस्थापन सिद्धांत इस विचार को मान्यता देता है और आकार देता है कि एक वादी द्वारा, अदालत के आदेशों के कारण, उसके इशारे पर प्राप्त लाभों को कायम नहीं रखा जाना चाहिए; यह विपुल या क्रमिक वादी को बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटाने और दूसरों के अधिकारों को विफल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा-जिसमें अधिग्रहण की कार्यवाही में अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्यों को कम करना शामिल है। एक अलगउदाहरण के लिए, दृष्टिकोण का अर्थ यह होगा कि जहां दो भूमि मालिकों (एक ही अधिसूचना द्वारा अपनी भूमि से विस्थापित होने की इच्छा रखने वाले) को मुआवजा दिया जाता है, जिनमें से एक मुद्दे को अंतिम रूप देने की अनुमति देता है-और आगे बढ़ता है, तो दूसरा एक या मुकदमे की श्रृंखला दायर करके अधिग्रहण के अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्य को रोकने का प्रयास करता है, जिसके लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश पक्षों को बाधित और बाध्य कर सकते हैं, बाद वाले को लाभ होगा और धारा 24 (2) के तहत मानित चूक की शर्त के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। इस न्यायालय की राय में, इस तरह का परिणाम संसद द्वारा कभी भी अभिप्रेत नहीं था; इसके अलावा, प्रतिस्थापन सिद्धांत की आवश्यकता है।

कि वादी द्वारा प्राप्त लाभ की दूसरे पक्ष के पक्ष में उचित रूप से भरपाई की जानी चाहिए।

336. कृष्णास्वामी एस. पी. डी. वी. भारत संघ 227, यह देखा गया कि न्यायालय की एक अनजाने में हुई गलती, जो पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है।

किसी भी पक्ष के कारण को अवश्य और अकेले ही ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार, हमारी राय में, जिस अवधि के लिए धारा 24 के तहत अंतरिम आदेश संचालित किया गया है, उसे ऊपर उल्लिखित विभिन्न कारणों से धारा 24 (2) के तहत 5 साल की अवधि की गणना के लिए बाहर रखा जाना चाहिए।

पुनः प्रश्न सं। 6 : क्या धारा 24 बासी को पुनर्जीवित करती है और

वर्जित दावा 337. आगे बढ़ने से पहले, हमारी राय में, धारा 24 लंबित कार्यवाहियों पर विचार करती है न कि उन निष्कर्षों पर जिनमें

कब्जा ले लिया गया है, और मुआवजे का भुगतान या जमा कर दिया गया है। धारा 24 उन कार्यवाहियों की वैधता पर सवाल उठाने के लिए एक हाथ या उपकरण प्रदान नहीं करती है, जो 1894 के अधिनियम के तहत की गई हैं औरपाँच वर्ष या उससे अधिक समय से पहले समाप्त हो गया था। यह केवल उन मामलों में है जहां कब्जा नहीं लिया गया है, न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है, कि एक चूक है। यदि कब्जा ले लिया गया है, और अधिकांश भूमि के संबंध में मुआवजा जमा नहीं किया गया है, तो क़ानून के लाभकारी प्रावधान में प्रावधान है कि सभी लाभार्थियों को 2013 के अधिनियम के तहत स्वीकार्य मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। लाभार्थियों,

अर्थात्, धारा 24 (2) के परंतुक के तहत विचार किए गए भूमि मालिक हैं -

जिन्हें 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने की तारीख तक लाभार्थियों के रूप में दर्ज किया गया था। प्रावधान नहीं है शून्य लेन-देन के आधार पर लागू किया जाना है, और जिन व्यक्तियों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर या अन्यथा खरीदा है, वे धारा 24 के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं जैसा कि धारा 24 (2) के परंतुक और शिव कुमार और अन्य में निर्णय से स्पष्ट है। वी. भारत संघ और अन्य धारा 228।

338. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि धारा 24 का उपयोग लंबित कार्यवाहियों में आवेदन दायर करके विभिन्न दावे प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

या तो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष। ऐसे मामले हैं जिनमें मुकदमेबाजी के पहले दौर में अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी जाती है विफल रहा है, वैधता बरकरार रखी गई है, और पुरस्कार पारित होने के बाद कब्जा ले लिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि कब्जा लेने के लिए पंचनामा खींचना अनुमेय तरीका नहीं था, और वास्तविक भौतिक कब्जा ऐसे भूमि मालिकों/खरीदारों/पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के पास रहता है क्योंकि धारा 24 का लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए।

इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने मुआवजा भी वापस ले लिया है।339. यह न्यायालय उन मामलों से अवगत है जहां मुआवजे में वृद्धि के लिए संदर्भ मांगा गया था, कोषागार में धन जमा किया गया था।

वृद्धि की गई और कब्जा ले लिया गया। फिर भी, अधिग्रहण पर सवाल उठाए गए हैं, और धारा 24 के तहत दावे किए जा रहे हैं कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है, क्योंकि खजाने में जमा (मुआवजे की राशि) कानून के अनुसार नहीं थी, इसलिए राशि को संदर्भ अदालत में जमा किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, यह न्यायालय यह भी नोट करता है कि ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कब्जा लेने के बाद, जब

इससे पहले, और मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों की भूमि से संबंधित इस तरह का अधिग्रहण समाप्त हो गया है। रायसीना पहाड़ियों का महत्व सभी को पता है। धारा 24 का सबसे बड़ा दुरुपयोग करने की मांग की गई है, जिसका उद्देश्य लाभ प्रदान करना है। यह. 228 2019 (13) स्केल 698

229 (2018) 3 एस. सी. सी. 588 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

उन्हें वापस कर दिया गया, क्योंकि अधिग्रहण धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गया है। परोपकारी प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करके ऐसे सभी मामलों में राहत देने के लिए हमारे सामने भी तर्क उठाए गए हैं। यह आग्रह किया गया कि यह न्यायालय राहत देने के लिए बाध्य है क्योंकि धारा 24 पूर्वव्यापी है और अधिकारियों ने पांच साल या उससे अधिक समय से कब्जा करने की परवाह नहीं की है, और उन्होंने मुआवजे का भुगतान नहीं किया है और इसे खजाने में जमा नहीं किया है जिसे कानूनी नहीं कहा जा सकता है। यह घोषित किया जाता है कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है, और भूमि उन्हें वापस कर दी जाती है। यदि कोई बुनियादी ढांचा मौजूद है, तो राज्य सरकार को अधिनियम की प्रक्रिया का पालन करने के बाद नए सिरे से भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए।2013. इससे पहले, भूमि मालिकों के साथ अन्याय किया जाता था, जैसा कि ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों में देखा गया है। हमें इस न्यायालय के निर्णयों में बाधा नहीं डालनी चाहिए और हम पुणे नगर निगम (उपरोक्त) में निर्धारित कानून और टकटकी लगाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

340. मोटे तौर पर, समाप्त मामलों पर पूछताछ की जा रही है।

धारा 24 में निहित प्रावधानों को लागू करना। हमारे विचार में

राय, निष्कर्षित मामलों की वैधता पर धारा 24 (2) की आड़ में सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि यह कार्यवाही पर सवाल उठाने का कोई ऐसा अधिकार परिकल्पना या प्रदान नहीं करता है और अधिग्रहण बहुत पहले समाप्त हो गए हैं, या मुकदमेबाजी के कई दौरों में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पक्षों के अधिकारों का निपटारा किया गया है।

341. इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को वर्ष 1999 में निरस्त कर दिया गया था।

दावे किए गए। निरस्तीकरण के बाद, यह दावा किया गया कि राज्य सरकार द्वारा वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है क्योंकि इस तरह के निरस्तीकरण का प्रभाव कब्जा लेने की कार्यवाही को समाप्त करने का है, जो कि आरोप लगाया गया था, कानून के अनुसार नहीं था। असम राज्य में v.

भास्कर ज्योति सरमा और अन्य 230, असम राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि भौतिक कब्जा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है और यह भूमि मालिक की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 (5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यह कब्जे में लेने से पहले था

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 (6), धारा 10 (5) के तहत अधिसूचना आवश्यक थी; इस प्रकार, कोई कब्जा नहीं कर सकता है।

कहा जाए कि इसे निरसन अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में लिया गया है। इस न्यायालय को जिस प्रश्न पर विचार करना था, वह यह था कि क्या उस मामले में वास्तविक भौतिक कब्जा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया था। असम राज्य ने प्रस्तुत किया कि हालांकि कब्जा वर्ष 1991 में ले लिया गया था, लेकिन यह एकतरफा और भूमि मालिक को बिना किसी सूचना के हो सकता है। यह.

आग्रह किया गया कि धारा 10 (5) का केवल गैर-अनुपालन निरसन अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त होगा। इस न्यायालय ने भूमि मालिक के निवेदन को खारिज कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 15. उच्च न्यायालय ने माना है कि कथित बेदखल करने से पहले अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यह मानते हुए कि यह मामला है, इसका मतलब यह होगा कि 7-12-1991 पर जब पूर्ववर्ती मालिक को बेदखल कर दिया गया था

विचाराधीन भूमि से, वह धारा 10 (5) के आधार पर शिकायत कर सकता था और यहां तक कि उसे अधिकार की बहाली की भी मांग कर सकता था, चाहे वह इस तरह की बहाली पर एक बार फिर अधिनियम की धारा 10 (5) और 10 (6) के तहत बेदखल होने के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिकार। वास्तव में इसलिए जब तक कि कुछ ऐसा न हो जो स्वाभाविक रूप से गलत था ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके जैसे कि भूमि की पहचान या उसकी सीमाएं या मामले की जड़ तक जाने वाली समान प्रकृति की कोई अन्य परिस्थिति, इसलिए एक निर्णय की आवश्यकता होती है,जिस व्यक्ति ने धारा 10 (3) के तहत अधिशेष घोषित किए जाने के कारण अपनी भूमि खो दी थी, वह धारा 10 (5) के उल्लंघन के लिए आंदोलन करना उचित नहीं समझेगा क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ सकता है कि भले ही अदालत उसके इस तर्क को बरकरार रखे कि प्रक्रिया का निर्धारित के अनुसार पालन किया जाना चाहिए, फिर भी उसके लिए अधिकारियों के लिए भूमि को बनाए रखना पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन अगले ही दिन धारा 10 (3) के तहत केवल एक नोटिस देकर उसे उसी से बेदखल कर दिया जा सकता है।

230 (2015) 5 एस. सी. सी. 321 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

10 (5) . इस दृष्टिकोण से यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक अकादमिक अभ्यास होगा।

मालिक या कब्जे में व्यक्ति अपनी गलती खोजने के लिए

इस आधार पर बेदखल करना कि धारा के तहत कोई नोटिस नहीं

10 (5) उसकी सेवा की गई थी।

16. इस मुद्दे को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यह मानते हुए कि कब्जे में कोई व्यक्ति शिकायत कर सकता है, अंतिम विश्लेषण में बहुत अधिक लाभ के बिना, सवाल यह है कि क्या ऐसी शिकायत धारा 10 (5) के कथित उल्लंघन के लंबे समय बाद की जा सकती है। यदि वास्तविक भौतिक कब्जा पूर्व भूमि मालिक से 7-12-1991 पर लिया गया था, जैसा कि वर्तमान मामले में आरोप लगाया गया है, तो धारा 10 (5) पर आधारित कोई भी शिकायत ऐसे बेदखल होने के उचित समय के भीतर की जानी चाहिए थी। यदि मालिक ने ऐसा नहीं किया, तो जबरन लेना

कब्जा करने से सरासर चूक से वैधता प्राप्त होगी

समय की। ऐसी किसी भी स्थिति में, मालिक या व्यक्ति

यह माना जाना चाहिए कि कब्जे के तहत उसका अधिकार माफ कर दिया गया है

अधिनियम की धारा 10 (5)। कोई भी अन्य दृष्टिकोण, हमारी राय में, एक वादी को शिकायत करने का लाइसेंस देगा, इसलिए नहीं कि

क्योंकि यह न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य बनाम में था। हरि राम, (2013) 4 एस. सी. सी. 280 इस बात पर विचार करते हुए कि क्या धारा 10 (5) में आने वाला शब्द "हो सकता है" सक्षम प्राधिकारी को विवेकाधिकार देता है। भौतिक रूप से लेने से पहले नोटिस जारी करना या नहीं करना

धारा 10 (6) के तहत विचाराधीन भूमि का कब्जा। सवाल यह है कि क्या धारा 10 (5) का उल्लंघन संभव है और

उस मामले में खुद को बेदखल करना या इसे कानून की नजर में गैर-कानूनी बनाना विचार के लिए नहीं आता था। हमारी राय में,धारा 10 (5) जो निर्धारित करती है वह एक सामान्य और तार्किक है।

कार्रवाई की प्रक्रिया जिसका पालन करने से पहले किया जाना चाहिए अधिकारियों ने रहने वाले को बेदखल करने के लिए बल प्रयोग करने का फैसला किया

धारा 10 (6) के तहत। यदि अपीलार्थी का [2020] 3 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

में पूर्व मालिक के विस्थापन के संबंध में संस्करण

दिसंबर 1991 सही है, यह तथ्य कि इस तरह का बेदखल धारा 10 (5) के तहत बिना किसी सूचना के किया गया था, इसका कोई परिणाम नहीं होगा और यह अधिनियम को दूषित या समाप्त नहीं करेगा।

निरसन अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजनों के लिए कब्जा करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व मालिक भाबदेब सरमा ने अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी स्तर पर धारा 10 (5) के उल्लंघन के आधार पर कोई शिकायत नहीं की थी, जिसका अर्थ है कि उन्होंने

ऐसा करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में निरसन अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाया नहीं जा सकता है जहां कब्जा बिना कब्जा किए लिया गया हो।

प्रक्रिया का पालन करते हुए, और भूमि मालिक भूमि को अपने पास नहीं रख सकता है। यह

अदालत ने यह भी कहा कि एक बार में कब्जा ले लिया गया है वर्ष 1991 में, धारा 10 (5) के गैर-अनुपालन के बारे में कोई भी शिकायत ऐसे बेदखल होने के उचित समय के भीतर की जानी चाहिए थी। के द्वारा

समय के साथ, कब्जा वैधता प्राप्त करेगा। इस प्रकार, मालिक या कब्जे वाले व्यक्ति को यह माना जाना चाहिए कि उसने उसे माफ कर दिया है।

अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत अधिकार। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल एक निरसन अधिनियम की आकस्मिक परिस्थिति के कारण, जो कुछ अधिकार प्रदान करता है, मुकदमे ने भूमि मालिक को निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए उसके बेदखल होने के बारे में मुद्दा उठाने के लिए लुभाया था। उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि इस तरह के दावे नहीं किए जा सकते।

इस पर विचार किया गया और देर से उठाए गए ऐसे किसी भी विवाद को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।342. धारा 24 (2) को एक छत्र के रूप में उपयोग करने की मांग की गई है ताकि उस समाप्त कार्यवाही पर सवाल उठाया जा सके जिसमें कब्जा ले लिया गया है।

विकास किया गया है, और मुआवजा जमा किया गया है, लेकिन इनकार के कारण हो सकता है, इसे एकत्र नहीं किया गया है। अधिग्रहण की कार्यवाही को धारा 24 (2) के मानदंडों के भीतर चुनौती नहीं दी जा सकती है, एक बार जब कब्जा लेने का पंचनामा तैयार कर लिया गया हो, उसके बाद पुनः प्रवेश या कब्जा बनाए रखना अतिचारक का है। कार्यवाही की वैधता को देर से चुनौती नहीं दी जा सकती है, और अधिकार धारा 24 (2) के प्रावधानों के आधार पर चुनौती को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। धारा 24 (2) केवल पांच साल या उससे अधिक समय तक कार्य करने के लिए अधिकारियों की सुस्ती/निष्क्रियता पर विचार करती है। यह दावा करना बहुत आसान है कि खुली भूमि के संबंध में भौतिक कब्जा नहीं लिया गया था। फिर भी, एक बार निहित होने के बाद, स्वामित्व मालिक का माना जाता है, अर्थात, राज्य सरकार और भूमि लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दी गई है, इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

343. भूमि अधिग्रहण के मामलों में, इस न्यायालय ने अदालतों को देरी के बारे में आगाह किया है और कहा है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर सवाल उठाने में देरी घातक है। यदि कब्जा कानून के अनुसार नहीं लिया गया है और निहित करना धारा 16 के अनुसार नहीं है, तो अदालतों के समक्ष कार्यवाही उचित समय के भीतर शुरू की जानी चाहिए, न कि कई दशकों के अंतराल के बाद। 344. हरि सिंह और ओआरएस में। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2 3 1 231, कार्यवाही पर सवाल उठाने में ढाई साल की देरी हुई। यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिका को केवल दंड के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

345. टी. एन. और अन्य राज्यों में। वी. एल. कृष्णन और अन्य 2 3 2 232, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता देर से अपना दावा नहीं उठा सकते।

निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 3 के उप-नियमों (बी) और (सी) का पालन न करना भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 55 (1) धारा 5-ए के तहत की गई रिपोर्ट और इसके परिणामस्वरूप धारा 6 के तहत की गई घोषणाओं को दूषित करती है। उक्त उप-नियमों में प्रावधान है कि धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की प्राप्ति पर, कलेक्टर

आपत्तियों की सुनवाई की तारीख तय करें और आपत्तिकर्ता के साथ-साथ विभाग को भी इसकी सूचना दें। यह विभाग के लिए खुला है कि वह भूमि मालिकों द्वारा दायर आपत्तियों के जवाब के रूप में एक बयान दायर करे। रिट याचिकाकर्ताओं का निवेदन था कि किसी मामले में, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि भूमि मालिकों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के आलोक में, संबंधित विभाग अधिग्रहण को छोड़ने का निर्णय ले। चूंकि विभाग को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था

यहाँ संबंधित, यह अपना बयान दर्ज नहीं कर सका

उनकी आपत्तियों का जवाब दें। इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। हम करते हैं।

231 एयर 1984 एससी 1020 232 (1996) 1 एससीसी 250 [2020] 3 एस. सी. आर.

रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई अड़चनों के कारण इस निवेदन के गुण-दोष में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 6 के तहत घोषणा वर्ष 1978 में किसी समय की गई थी,

और रिट याचिकाकर्ताओं ने केवल वर्षों में ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना। यदि उन्होंने इस आपत्ति को उचित समय पर उठाया होता और यदि यह सही और स्वीकार्य पाया जाता, तो सरकार को उक्त आवश्यकता का पालन करने का अवसर दिया जा सकता था।

कई वर्षों तक चुप रहने के बाद, याचिकाकर्ता इस तर्क को उस स्तर पर दायर रिट याचिकाओं में नहीं उठा सकते हैं जब

पुरस्कार दिए जाने वाले थे।

346. बृहन्मुंबई नगर निगम बनाम। औद्योगिक निवेश कंपनी प्रा. लि. लिमिटेड 2 3 3, इस न्यायालय ने विलंब करने के लिए सी. टी. के साथ कहा कि

" 29. इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि जब रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी होती है और जब अधिग्रहण की कार्यवाही में उठाए गए सभी कदम अंतिम हो जाते हैं, तो न्यायालय

अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द करने की विवेकाधीन शक्तियां हैं। लेकिन इसका उपयोग सभी प्रासंगिक कारकों को व्यावहारिक रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जब पुरस्कार पारित किया गया था, और कब्जा ले लिया गया था, तो न्यायालय को पुरस्कार को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जो अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले विचार में लिया जाने वाला एक भौतिक कारक है। तथ्य यह है कि कोई तीसरा नहीं

इस मामले में पार्टी के अधिकार बनाए गए थे जो हस्तक्षेप के लिए शायद ही कोई आधार है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज करने के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करना सही नहीं था

लकड़ियाँ।

***

एस. बी. मजूमदार, जे. (सहमत)-मैं इस दौर से गुजरा हूँ।

मेरे सम्मानित विद्वान भाई के द्वारा तैयार किया गया निर्णय।

रामास्वामी, जे. मैं सम्मानपूर्वक इस निष्कर्ष से सहमत हूँ कि उत्तरदाता 1 और 2 बस से चूक गए थे।

[अरुण मिश्रा, जे।]

अधिग्रहण की कार्यवाही तुरंत। अतः परिणाम यह है किअपरिहार्य है कि रिट याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी है

सकल देरी और लैच की जमीन।

और नगर निगम सभी बाधाओं से मुक्त जैसा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 द्वारा आदेशित है। इस प्रकार

अधिक मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार विभिन्न दावेदारों को दिया गया पुरस्कार के साथ-साथ निहित अधिकार को दरकिनार करते हुए बनाया गया था

उनके द्वारा निर्मित। आखिरकार रिट याचिका दायर की गई।ये घटनाएँ हुई थीं। इस तरह की रिट याचिका स्पष्ट रूप से थी

सम्मानपूर्वक उस निष्कर्ष से सहमत हैं जिस पर मैंने सीखा है भाई रामास्वामी, जे., इस आधार पर पहुँचे हैं कि

रिट याचिका में देरी और विलंब को खारिज करने की आवश्यकता है,

और उस आधार पर अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय के कई अन्य निर्णय हैं, जिनमें देरी होती है

वादियों को किसी भी राहत से वंचित करने के लिए आयोजित किया गया था। 234

347. जसवीर सिंह और अन्र में। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और

ओआरएस। 235 , रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय ने मुआवजे के पुनर्निर्धारण का निर्देश दिया था। उस मामले में

इस न्यायालय द्वारा अतिरिक्त मुआवजे पर विचार करने के लिए रिमांड पर लिया गया

234 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। भगवान सिंह भाटी और अन्य। , (2008) 3 एस. सी. सी. 462, रिट याचिका दायर करने में 10 साल की घातक देरी हुई। सरकार में। ए. पी. और अन्य। वी. कोल्लुतला ओबी रेड्डी और अन्य। , (2005) 6 एस. सी. सी. 493, भूमि अधिग्रहण के छह साल बाद रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका को देरी और विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया था। 235 (2017) 6 एससीसी 787 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2. 19-12-2005 पर अपीलकर्ताओं ने अधिग्रहण को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की

ऐसी कार्यवाही जिसका निर्णय उच्च न्यायालय ने 2010 में मुआवजे के पुनर्निर्धारण का निर्देश देते हुए किया था। उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा यू. पी. बनाम राज्य में 16-10-2012 पर रद्द कर दिया गया था। जसवीर सिंह [2012 की सिविल अपील No.7535, आदेश दिनांक 16-10-2012 (SC)]। यह देखा गया कि -

" पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के बाद, गंभीर विवादों में प्रवेश किए बिना और इस पर कोई टिप्पणी किए बिना

2010 , जो दोनों पक्षों के वकील की उपस्थिति में पारित किया गया था, उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रकार, निर्णय और आदेश पहले आक्षेपित किया गया थाहम अपनी पवित्रता खो चुके हैं। इसलिए, इसे अलग रखा जाता है।

हालाँकि, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, हम रिट याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज देते हैं

अधिमानतः माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से। मामला किसी को सौंपा जा सकता है

अंतिम निपटान के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष पीठ। पक्षकारों को मामले में शामिल सभी तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों को उठाने की स्वतंत्रता होगी। उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार करे।

इससे भी अधिक, यदि उत्तरदाता अपनी अपीलों को वापस लेने के संबंध में इतने व्यथित हैं, जिन्हें उनके द्वारा रिमांड पर लिया गया था।इस न्यायालय के तहत ब्याज की पात्रता निर्धारित करने के लिए

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा 23 (1-ए) और प्रतिवादी द्वारा इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक आवेदन किया जाता है, उच्च न्यायालय कानून के अनुसार उक्त आवेदन पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है। यदि अपीलें बहाल की जाती हैं तो सभी मामलों की सुनवाई एक ही पीठ द्वारा एक साथ की जाएगी।

3. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के इस तर्क पर विचार किया कि मुआवजे के संबंध में निर्णय कानून की नजर में कोई पुरस्कार नहीं था और हालांकि कब्जा बहुत पहले ले लिया गया था और रेलवे लाइन बिछाई गई थी, डोर डेवलपमेंट अथॉरिटी v।

मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

अधिग्रहण की कार्यवाही को दरकिनार किया जाना चाहिए था, और

क्षतिपूर्ति वर्तमान बाजार दर पर प्रदान की जानी थी। उच्च न्यायालय ने दिनांकित निर्णय के माध्यम से उक्त याचिका को खारिज कर दिया

30-5-2014 जस्वीर सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी ऑनलाइन सभी 8465। यह देखा गया कि आपत्ति

पुरस्कार के खिलाफ अपीलकर्ताओं पर पहले ही विचार किया जा चुका था

और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12-9-2005 पर रिमांड केवल वैधानिक लाभों के संबंध में था। पहली बार अधिग्रहण की वैधता के खिलाफ रिट याचिका दायर करने की मांग की गई थी

जो अफ़लातून v में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए अनुज्ञेय नहीं था। दिल्ली के उपराज्यपाल, (1975) 4 एससीसी

285 , स्वाका प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड बनाम। राजस्थान राज्य, (2008) 4 एस. सी. सी. 695, सावरन लता बनाम। हरियाणा राज्य, (2010) 4 एस. सी. सी. 532 और बांदा विकास प्राधिकरण बनाम। मोती लाल अग्रवाल, (2011) 5 एस. सी. सी. 394। रॉयल ऑर्किड होटल्स बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। जी. जयराम रेड्डी, (2011) 10 एस. सी. सी. 608, को एक प्रतिष्ठित क्षेत्र के अधिकार के धोखाधड़ीपूर्ण प्रयोग से संबंधित मामले के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला: (जसवीर सिंह मामला, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 8465 (एस. सी. सी. ऑनलाइन)

पैरा 45-47)

" 45. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि रिट याचिका अत्यधिक प्रतिबंधित है और खारिज की जानी चाहिए।

अकेले लच्छों की जमीन पर।

46. जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ताओं का मुख्य

शिकायत मुआवजे में वृद्धि के लिए है, जिसके लिए

याचिकाकर्ता पहले ही 1993 की पहली अपील संख्या 880 दायर कर चुका है।

और 1998 की प्रथम अपील सं. 401 जिसमें अपील की जा रही है।

तारीख के क्रम से अनुमति दी गई है, हम मनोरंजन करने का कोई कारण नहीं देखते हैं

रिट याचिका।

47. हालांकि योग्यता पर विभिन्न प्रस्तुतियाँ चुनौतीपूर्ण हैं

अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही को उठाया गया है

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील, हमने यह विचार लिया है कि रिट याचिका अत्यधिक प्रतिबंधों द्वारा वर्जित है, हम द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों में प्रवेश करना आवश्यक नहीं पाते हैं

गुण-दोष पर याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील। "[2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

348. स्वाका प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड और ओआरएस। वी. की स्थिति

राजस्थान और ओ. आर. एस. 236, रिट याचिका कब्जा लेने के बाद दायर की गई थी और निर्णय अंतिम हो गया है। रिट याचिका को देरी और विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया था। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य। 237 , उचित समय के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती के अभाव में, चुनौती को वापस ले लिया गया। देरी भी हुई

हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड में घातक।

और ओआरएस। वी. जैन स्कूल सोसायटी 238. धारा 6 के तहत घोषणा पर सवाल उठाने के लिए दो साल बाद रिट याचिका दायर की गई थी और इसे खारिज कर दिया गया था अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उदयपुर बनाम भेरू लाल और अन्य में देरी के आधार पर। 5 से 10 साल की देरी को अधिग्रहण की कार्यवाही पर सवाल उठाने में घातक माना गया जैसा कि विश्वास नगर इवैक्यू प्लॉट खरीदार संघ और अन्य में आयोजित किया गया था। वी. अवर सचिव, दिल्ली प्रशासन। & Ors.240

349. ऐसे कई निर्णय हैं जिनमें 6 महीने या उससे अधिक की देरी के कारण इस न्यायालय ने अधिग्रहण की चुनौती को खारिज कर दिया है।

कार्यवाही। हमारी राय में, धारा 24 उन कार्यवाहियों को चुनौती देने के अधिकार को पुनर्जीवित नहीं करती है जो समाप्त हो चुकी हैं। उन निर्णयों और आदेशों की वैधता को धारा 24 (2) के प्रावधानों की आड़ में फिर से नहीं खोला जा सकता है या उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उस प्रावधान के संबंध में हमारे तर्क के कारण (जिसे हमने धारा के तहत माना है)

350. उत्तर प्रदेश राज्य में जल निगम और अन्र। वी. जसवंत सिंह और ए. एन. आर. 24 1, इस न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई दावेदार अपने अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जानता है और अपने

उपचार का दावा नहीं करता है, तो इस तरह की निष्क्रियता या आचरण अधिकार की छूट के बराबर है। ऐसे मामलों में, समय की समाप्ति और 236 (2008) 4 एस. सी. सी. 695

237 (1998) 4 एस. सी. सी. 387

238 (2003) 12 एस. सी. सी. 538

240 (1990) 2 एससीसी 268

241 (2006) 11 एस. सी. सी. 464 इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायालय नहीं जा सकता है कई वर्षों के अंतराल के बाद बासी मांगों में। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 32. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील दृढ़ता से आग्रह करते हैं

कि तिलकचंद मोतीचंद मामले में इस न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम

उनका विचार है कि याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए

जो बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के इस ओर रुख करते हैं

अत्यधिक के बाद संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय

विलम्ब। इस भूमि में सर्वोच्च न्यायालय को मूल दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र

संविधान। यह इरादा नहीं हो सकता था कि यह न्यायालय वर्षों के अंतराल के बाद पुरानी मांगों में जाएगा। यह.

कहा जाता है कि अनुच्छेद 32 अपने आप में एक गारंटीकृत अधिकार है। तो यह है, लेकिन यह इस से आगे नहीं बढ़ता है कि यह इरादा था

संविधान निर्माताओं का कहना है कि इस न्यायालय को सभी को खारिज कर देना चाहिए

सिद्धांत और अत्यधिक के बाद दायर याचिकाओं में राहत प्रदान करना

विलम्ब '।

सभी पुराने और मृत दावों को पुनर्जीवित करने के रूप में व्याख्या की गई। इस न्यायालय ने टिप्पणी की इस प्रकार:

" 29. इस न्यायालय ने आई. डी. अधिनियम की धारा 10 (1) (सी) और (डी) पर विचार करते हुए बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अधिनियम धारा 10 (1) (सी) या (डी) के तहत विवाद उठाने के लिए सीमा की अवधि प्रदान नहीं करता है, यदि विलंब के कारण, कोई विवाद है बासी हो जाता है या अस्तित्व में नहीं रहता है, संदर्भ होना चाहिए

242 (1970) 1 एससीसी 84 243 (2007) 9 एससीसी 109 [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्वीकार कर दिया। इसने यह भी माना है कि समय के अंतराल के परिणामस्वरूप हार होती है

उपचार और अधिकार भी। देरी घातक होगी यदि

इसके परिणामस्वरूप न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक भौतिक साक्षय प्राप्त हुए हैं

वी. के. पी. माधवनकुट्टी, (2000) 2 एससीसी 455; बलबीर सिंह बनाम। पंजाब रोडवेज, (2001) 1 एस. सी. सी. 133; सहायक। कार्यपालकइंजीनियर वी। शिवलिंग, (2002) 10 एस. सी. सी. 167 और एस. एम. नीलाजकर बनाम। दूरसंचार जिला। प्रबंधक, (2003) 4 एससीसी 27)। देर होने पर

दावों को पुराना और गैर-मौजूदा माना जाता है

धारा के तहत किसी संदर्भ को अस्वीकार या अस्वीकार करने का उद्देश्य

10 (1) (ग) या (घ) सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं होने के बावजूद,

यह मानना अतार्किक होगा कि अधिनियम में संशोधन

छह की समय सीमा निर्धारित करते हुए धारा 10 (4-ए) को सम्मिलित करना महीनों, सभी बासी और मृत को पुनर्जीवित करने के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए

दावे करते हैं।

***

31. इसलिए धारा 10 (4-ए) गैर-विद्यमान को पुनर्जीवित नहीं करती है।

या बासी या मृत दावे लेकिन केवल उन दावों को सुनिश्चित करता है जो

धारा 10 (4-ए) में छह महीने के नियम को लागू करके जीवन थे।

उस तारीख को जब धारा लागू हुई, एक है श्रम न्यायालय में जाने के लिए कम से कम छह महीने का समय।

यह "या तारीख" शब्दों को जोड़कर सुनिश्चित किया जाता है।

औद्योगिक विवादों की शुरुआत (कर्नाटक)

संशोधन) अधिनियम, 1987, जो भी बाद में "शब्दों के लिए" हो

" उसके साथ संवाद की तारीख से छह महीने के भीतर

निर्वहन, बर्खास्तगी, छंटनी या समाप्ति "। दूसरे शब्दों में, वे सभी जिन्होंने छह महीने की अवधि के दौरान समाप्ति के आदेशों को सूचित किया है

7-4-1988 माना जाता था कि इस तरह के आदेशों को सूचित किया गया था

एक की मांग के उद्देश्य से 7-4-1988 पर समाप्ति का

उपचार। इसलिए, "तारीख से छह महीने के भीतर" शब्द

औद्योगिक विवादों की शुरुआत (कर्नाटक)

संशोधन) अधिनियम, 1987, जो भी बाद में हो, केवल उन्हें ही सक्षम बनाता है

जिसे छह के भीतर समाप्ति का आदेश सूचित किया गया था

7-4-1988 से महीनों पहले, धारा 10 (4-ए) के तहत आवेदन करने के लिए।"

352. कर्नाटक राज्य में v. लक्सुमन 244, इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि दावों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उनके द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित न की गई हो।

ई. इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

005) 8 एस. सी. सी. 709 विकास प्राधिकरण v. मनोहरल

[अरुण मिश्रा, जे।]

" 9. जैसा कि देखा जा सकता है, उप-धारा (3) के संदर्भ में न्यायालय में आवेदन करने के लिए कानून द्वारा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि आवेदन न्यायालय में है, हालांकि एक विशेष

अधिनियम के तहत, अनुच्छेद 137, सीमा अधिनियम, 1963 का अवशिष्ट अनुच्छेद आकर्षित किया जाएगा और आवेदन करने के लिए आवेदन के तीन साल के भीतर या आवेदन के 90 दिनों की समाप्ति के भीतर आवेदन करना होगा। अतिरिक्त मामले में इस न्यायालय के फैसले से स्थिति का निपटारा किया जाता है। स्प्ल. भूमि अधिग्रहण

अधिकारी वी. ठाकुरदास, (1997) 11 एस. सी. सी. 412। यह आयोजित किया गया था: (एससीसी

पी। 414 , पैरा 3)

उपायुक्त धारा 18 के तहत मामलों को दीवानी न्यायालय को भेजेगा। अधिनियम की संशोधित उप-धारा (3) (ए) के तहत, उपायुक्त, 1-9-1970 से 90 दिनों के भीतर, धारा 18 के तहत दीवानी न्यायालय को एक निर्देश देगा: जो वह करने में विफल रहे। नतीजतन, संचालन द्वारा

उप-धारा 3 (बी) वनों से आच्छादित 90 दिनों की समाप्ति के साथ, उत्तरदाताओं को कार्रवाई का कारण प्राप्त हुआ था

निर्देश देने के अनुरोध के साथ सिविल कोर्ट में एक आवेदन

उपायुक्त एक संदर्भ देने के लिए। उस आवेदन को करने के लिए उप-धारा (3) (बी) में निर्धारित सीमा की कोई अवधि नहीं है, लेकिन यह सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

सीमा अधिनियम की अनुसूची द्वारा निर्धारित। चूँकि नहीं

लेख ने स्पष्ट रूप से इस तरह की सीमा निर्धारित की हैआवेदन, अनुच्छेद 137 के तहत अवशिष्ट लेख

सीमा अधिनियम की अनुसूची आकर्षित होती है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा निर्धारित सीमा की किसी विशेष अवधि के अभाव में, आवेदन धारा 18 (3) (बी) में निर्धारित 90 दिनों की समाप्ति की तारीख से तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए था, यानी वह तारीख जिस पर प्रतिवादी दावेदार को कार्रवाई का कारण प्राप्त हुआ था। जब से आवेदन आया है

माना जाता है कि इसे तीन साल से आगे बनाया गया था, इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था

सीमा। चूँकि उच्च न्यायालय ने मामले पर भरोसा किया

नगर परिषद, (1969) 1 एस. सी. सी. 873

खारिज कर दिया, उच्च न्यायालय का आदेश अस्थिर है। "[2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह स्थिति केरल में तर्क द्वारा भी समर्थित है।

एस. ई. बी. बनाम टी. पी. कुन्हालियममा (1976) 4 एस. सी. सी. 634। यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक संशोधन के बिना केंद्रीय अधिनियम के तहत, एक संदर्भ को मजबूर करने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान नागरिक न्यायालय से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं था, और इस तरह का दृष्टिकोण बनाने के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई थी। एक दावेदार के लिए केवल आवेदन करने की आवश्यकता थी

पुरस्कार या पुरस्कार की सूचना के छह सप्ताह के भीतर संदर्भ, जैसा भी मामला हो। लेकिन जाहिर है, राज्य विधानमंडल ने दावेदार के लिए एक समय-सीमा प्रदान करना आवश्यक समझा।

बढ़े हुए मुआवजे के लिए अपना दावा करना और

आवेदन का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना

अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा एक समय निर्धारित करना जिसके भीतर उसे कार्य करना है और दावेदार को पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने पर दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एक अतिरिक्त अधिकार प्रदान करना जिसके तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन किया गया था।

निर्धारित समय "।

और निवेश किए गए हैं, विशेष रूप से जब भूमि का अधिग्रहण बहुत पहले किया गया हो। जैसा कि वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी. वी. बनाम. में कहा गया है, कानूनी निश्चितता को बनाए रखना न्यायालय का कर्तव्य है। भारत संघऔर ओआरएस 245। भूमि मालिकों ने आग्रह किया था कि चूंकि 2013 का अधिनियम नई परिस्थितियाँ पैदा करता है, जो उनके हितों के लिए फायदेमंद हैं, इसलिए देरी या देरी का सवाल ही नहीं उठता है। इस न्यायालय की राय है कि उक्त तर्क बिना किसी गुण के है। जैसा कि पहले माना गया था, लाचेज़ का सिद्धांत हमेशा एक आलसी पक्ष को रोकता है, जो अदालत से संपर्क नहीं करने का विकल्प चुनता है, या अदालत से संपर्क करने के बाद, एक प्रतिकूल निर्णय की अनुमति देता है

गलत व्याख्या के आधार पर धारा 24 (2) के प्रावधान। 245 (2012) 6 एस. सी. सी. 613

354. ब्रिटिश रेलवे बोर्ड बनाम। 247 में निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

" ..... इक्विटी, जब एक नियामक सार्वजनिक क़ानून के लिए एक अपील का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए औपचारिकताओं के अनुपालन की आवश्यकता होती है, तो इस तरह के क़ानून (धोखाधड़ी को रोकने के लिए अनुमानित रूप से पारित) को अनुमति नहीं दी जाएगी।धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है और एक ट्रस्ट लागू करके ऐसा करेगा या कानूनी अधिकार पर समता।

355. हम भूमि मालिकों की ओर से इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कानून के संचालन से कार्यवाही समाप्त हो गई है और इस न्यायालय को प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही में चूक नहीं हुई थी1894 के अधिनियम के तहत विचार किया गया है, और 2013 के अधिनियम की धारा 24 में विचलन किया गया है। इस प्रकार, धारा 24 भूमि मालिकों को इस घोषणा के लिए अदालतों से संपर्क करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण देती है कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है, यदि या तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है या भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है। मथुरा प्रसाद बाजू जयसवाल और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय। वी. दोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय 248 पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया था कि रेस नहीं हो सकता है पिछली कार्यवाही में न्यायिक स्थिति जब कार्रवाई का कारण अलग होता है; केनरा बैंक बनाम पर भी निर्भरता रखी जाती है। एन. जी. सुब्बाराय सेट्टी और ए. एन. आर. 249, जहां मथुरा प्रसाद बाजू जयसवाल और अन्य का निर्णय। (उपर्युक्त) का विलंबित चुनौतियों के रूप में पालन किया गया। रिलायंस को आगे अनिल कुमार गुप्ता बनाम पर रखा गया था। बिहार राज्य 250 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकार को भूमि सौंपने को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अधिकार के अनुसार नहीं लिया गया थाधारा 5-ए (1) का पालन न करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। धारा 9 के तहत जारी सूचना और धारा 11 के तहत पारित पुरस्कारअनुमेय आधार पर भी पूछताछ की जा सकती है। राम चंद और ओआरएस पर भी भरोसा रखा गया है। वी. भारत संघ 2 5 1 251 का तर्क है कि अधिग्रहण प्राधिकरण की ओर से निष्क्रियता और देरी भी भूमि मालिक के पक्ष में कार्रवाई के कारण को जन्म देगी।

356. भूमि मालिकों की प्रस्तुतियों का पूरा सरगम धारा 24 में निहित प्रावधानों की गलत व्याख्या पर आधारित है। यह. राज्य को (भूमि के) अधिकार से वंचित करने का इरादा नहीं है, जिसका अधिकार राज्य में निहित किया गया है। यह केवल उस स्थिति में अधिक मुआवजा देने का इरादा रखता है जब अधिकांश जोतों के संबंध में मुआवजे को जमा करने का दायित्व पूरा नहीं किया गया है। धारा 24 में कार्रवाई का एक नया कारण दिया गया है यदि पांच साल या उससे अधिक के लिए कब्जा किया गया है।न तो लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। यदि कब्जा ले लिया गया है और सम्मान के साथ मुआवजा जमा नहीं किया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश भूस्वामियों के लिए, सभी सत्ताधारियों को उच्च मुआवजा दिया जाता है। धारा 24 अधिग्रहण कार्यवाही या राजकोष में क्षतिपूर्ति जमा करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली को चुनौती देने के लिए कोई नया कारण प्रदान नहीं करती है। अदालत, उस मामले में, ब्याज या उच्च मुआवजे, जैसा भी मामला हो, का पालन कर सकता है। हमारी सुविचारित राय में, धारा 24 लंबित कार्यवाहियों पर लागू होती है, न कि समाप्त कार्यवाहियों पर और समाप्त कार्यवाहियों की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ऐसी चुनौती धारा 24 के तहत मानित चूक के दायरे में नहीं आती है। धारा 24 (2) के तहत चूक अधिकारियों की निष्क्रियता या उसमें दिए गए आवश्यक कदम उठाने में सुस्ती के कारण है।

357. हमारी यह भी राय है कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करता है जहां चुनौती दी जाती है। कार्यवाही की वैधता को नकार दिया गया था और कब्जा लेने की कार्यवाही को बरकरार रखा गया था। धारा 24 उन कार्यवाहियों को फिर से खोलने का इरादा नहीं रखती है जो समाप्त हो चुकी हैं। मथुरा में निर्णय प्रसाद बाजू जयसवाल और अन्य। (ऊपर) कोई फायदा नहीं है।

अनिल कुमार गुप्ता बनाम में भी ऐसा ही निर्णय लिया गया है। बिहार राज्य (ऊपर)। कोई शक नहीं।इसके बारे में कि कार्यवाही (यानी, मूल अधिग्रहण, या इससे संबंधित पहलुओं) पर सवाल उठाया जा सकता है लेकिन एक उचित समय के भीतर; लेकिन एक बारचुनौती दी गई है और विफल रही है या उचित समय के लिए नहीं की गई है, धारा 24 में इसे फिर से खोलने का प्रावधान नहीं है।

358. जहाँ तक प्रस्ताव राम चंद और ओआरएस में निर्धारित किया गया है। वी. भारत संघ (उपरोक्त) का संबंध है, धारा 24 के तहत अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता और देरी का ध्यान रखा गया है। शरारत नियम (या हेडन का शरारत नियम) को बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी v में निर्णय पर भरोसा करने वाले भूमि मालिकों की ओर से सेवा में लगाया गया था। बिहार राज्य (ऊपर), यह प्रस्तुत किया गया था कि 1894 के अधिनियम में इंदौर विकास प्राधिकरण v के अधिग्रहण की ओर से अत्यधिक देरी के मामले में चूक का प्रावधान नहीं है।अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकारी। विधायिका द्वारा कार्यवाही के समापन की धारा 24 में प्रावधान करके 2013 के अधिनियम को लागू करके गड़बड़ी को दूर करने की मांग की गई है। प्रस्तुतिकरण असमर्थनीय है। धारा 24 के तहत किए गए प्रावधानों में अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए 5 साल की अवधि प्रदान की गई है, और यदि 5 साल या उससे अधिक की देरी होती है, तो एक चूक होती है और अन्यथा नहीं। प्रावधान को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा, पूरे बुनियादी ढांचे, जो सामने आया है, को छोड़ना होगा और केवल वादियों को ही तुच्छ मुकदमेबाजी का अनुचित फल मिलेगा, जो पहले कई दौर की मुकदमेबाजी में हार गए हैं, जो कभी भी कानून का इरादा नहीं हो सकता है।

359. हमारा मानना है कि धारा 24 का उपयोग मृत और पुराने दावों और निष्कर्षित मामलों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। वे ऐसा नहीं कर सकते।2013 के अधिनियम की धारा 24 के दायरे में पूछताछ की जाए। धारा 24 के प्रावधान न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को अमान्य नहीं करते हैं, जहां अधिकार और दावे खो गए हैं और अस्वीकार कर दिए गए हैं। कानून के संचालन द्वारा वर्जित दावों का कोई पुनरुद्धार नहीं है। इस प्रकार, धारा 24 के अधिनियमन के बहाने पुराने और मृत दावों का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। असाधारण मामलों में, जब वास्तव में, भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन कब्जा ले लिया गया है, तो उपाय कहीं और है यदि मामला परंतुक द्वारा कवर नहीं किया गया है। यह न्यायालय है जो 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत स्वतंत्र रूप से इस पर विचार नहीं करेगा।

360. यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 101 2013 के अधिनियम के तहत अप्रयुक्त भूमि की वापसी का प्रावधान करती है। धारा 101 में प्रावधान है कि यदि भूमि का उपयोग कब्जा लेने की तारीख से पांच साल तक नहीं किया जाता है, तो उसे मूल मालिक या मालिकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, वापस कर दिया जाएगा या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से प्रत्यावर्तन करके उपयुक्त सरकार के भूमि बैंक को वापस कर दिया जाएगा। धारा 101 निम्नानुसार है:

" 101. अप्रयुक्त भूमि की वापसी। - जब इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित कोई भी भूमि पांच साल की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहती है। कब्जा लेने की तारीख से, इसे मूल मालिक या मालिकों या उनकी कानूनी संपत्ति, जैसा भी मामला हो, या उपयुक्त सरकार के भूमि बैंक को उस तरीके से वापस किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।उपयुक्त सरकार द्वारा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए, "लैंड बैंक" का अर्थ है एक सरकारी संस्था जो रूपांतरण पर केंद्रित है।सरकारी स्वामित्व वाला खाली, परित्यक्त, अप्रयुक्तअर्जित भूमि और कर-अपराधी संपत्तियों को उत्पादक में बदलना "का उपयोग करें।

361. धारा 24 अधिग्रहण की समाप्ति से संबंधित है। धारा 101 अप्रयुक्त भूमि की वापसी से संबंधित है। धारा 101 को ऐसा नहीं कहा जा सकता है यह 1894 के अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण पर लागू होता है। चूक के प्रावधान पर अपने बल पर विचार किया जाना चाहिए न कि धारा 101 के आधार पर, हालांकि मूल मालिक या मालिकों या कानूनी उत्तराधिकारियों या भूमि बैंक को भूमि वापस देने की भावना है। भूमि की वापसी 2013 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित सभी भूमि के संबंध में है क्योंकि उद्घाटन भाग में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति है "जब इस अधिनियम के तहत कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है।अप्रयुक्त रहता है "। दूसरी ओर, चूक तब होती है जब राज्य धारा 24 (2) के संदर्भ में कदम नहीं उठाता है। धारा 101 के प्रावधान 1894 के अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहणों पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार, 2013 के अधिनियम की धारा 101 में निहित प्रावधानों से ऐसा कोई पोषण नहीं लिया जा सकता है। धारा 24 (2) के तहत अप्रयुक्त भूमि को वापस करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अंतराल के उद्देश्य से पांच साल के तर्क को लागू किया गया है।

362. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में दिया गया निर्णयनिगम और एन. आर. (ऊपर) इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और अन्य सभी निर्णय जिसमें पुणे नगर निगम (उपरोक्त) का पालन किया गया है, को भी खारिज कर दिया गया है। श्री बालाजी नगर आवासीय में निर्णय एसोसिएशन (उपरोक्त) को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से। , (उपर्युक्त), धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और क्या 'या' को 'नौर' या 'और' के रूप में पढ़ा जाना है, विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

363. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं निम्नानुसार:

1. धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि पुरस्कार 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

2. यदि पुरस्कार पाँच वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो इंदौर विकास प्राधिकरण v के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर।अदालत, तब कार्यवाही जारी रहेगी जैसा कि 1894 के अधिनियम के तहत 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत प्रदान किया गया है जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

3. कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द 'या' को 'नौर' या 'और' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित चूकपांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण होता हैउक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया

गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है। इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

4. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में 'भुगतान' अभिव्यक्ति में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है। द.जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के प्रावधान में दिया गया है। यदि इसे अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) निम्नलिखित के हकदार होंगे:2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न होने की स्थिति में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

5. यदि किसी व्यक्ति को मुआवजे की पेशकश की गई है1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत, यह दावा करने के लिए उसके लिए खुला नहीं है कि भुगतान न करने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।या अदालत में क्षतिपूर्ति जमा न करना। भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

6. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।

7. 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा करने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के तहत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/[2020] 3 एस. सी. आर. तैयार करना है। ज्ञापन। एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

8. धारा 24 (2) के प्रावधान जो कार्यवाहियों के मानित व्यपगत होने का प्रावधान करते हैं, उन मामलों में लागू होते हैं जब अधिकारी उनके कारण विफल हो जाते हैं। 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय के लिए कब्जा लेने और मुआवजे का भुगतान करने में निष्क्रियता, संबंधित प्राधिकरण के पास लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में। अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

9. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।अधिग्रहण। धारा 24 2013 के अधिनियम के प्रवर्तन की

तारीख को लंबित कार्यवाही पर लागू होती है, अर्थात 1.1.2014। यह पुराने और समय-प्रतिबंधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही

भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए अदालत के बजाय कोषागार में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति दें।

गुण-दोष पर विचार करने के लिए मामलों को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।

देविका गुजराल संदर्भ ने जवाब दिया।